राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का बीसवां दिवस [संख्या :13

मंगलवार,

16 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन , जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : अभी तो कर लेता हूं बाद में लाना।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, पहले अकाल राहत कार्यों की घोषणा होगी। उसके बाद आज की कार्यवाही चलेगी। नहीं तो हम किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। जनता जो मर रही है, किसान जो मर रहे हैं उनकी कार्यवाही के लिये पहले आप उनको पाबन्द करें। सरकार यह घोषणा करे कि अकाल राहत कार्य चालू किये जाएंगे। (व्यवधान) क्या चालू कर रही है? बेकार की बात करते हो, विरोध करते हो फालतू में। जो कुछ हम कह रहे हैं बिलकुल सही बात है। आपको जनता के बीच में जाओगे तब पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के छात्रावास

553. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के शैक्षणिक उत्थान का दायित्व जनजाति विकास विभाग का है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उप योजना क्षेत्र में जनजाति विकास विभाग के अलावा छात्रों के आवास हेतु समाज कल्याण व स्वयं सेवी संगठनों द्वारा छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनजाति विकास के लिए उपयोजना क्षेत्र के ऐसे भवन विहीन छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्र विकास (श्री नंदलाल मीणा) : (1) जी हां। जनजाति विकास विभाग द्वारा इस हेतु रखे गए प्रावधानों का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

Page No.2

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) जी हां। समाज कल्याण विभाग के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित राजकीय भवनविहीन छात्रावासों का भवन निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ब्यौरे के लिये परिशिष्ट 1 देखें)

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या परिशिष्ट "अ" में वर्णित सुविधाओं को माननीय मंत्री जी जनजाति के शैक्षणिक उत्थान के लिये पर्याप्त मानते हैं ? यदि नहीं, तो क्या और प्रावधान करने की मंशा रखते हैं ? नम्बर दो, जनजाति विकास विभाग के मद से समाज कल्याण विभाग के करीब 53 छात्रावास संचालित हैं उनमें मात्र 27 छात्रावासों के भवन वह भी पूर्ण नहीं बने हुए हैं। तो सभी भवन बनाने की इच्छा विभाग की है या नहीं ?

नम्बर तीन, मेरा कहना है कि गौहाटी में देश के जनजाति मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और उसमें महाराष्ट्र पैटर्न पर जनजातियों के विकास का निर्णय लिया गया था। राजस्थान में भी जनजाति परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, तो क्या आप महाराष्ट्र पैटर्न पर जनजातियों के विकास का विचार रखते हैं, कृपया बताएं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी उप योजना क्षेत्र के शैक्षणिक उत्थान के बारे में जो योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है। माननीय सदस्य भी जनजाति सलाहकार समिति के सदस्य हैं, यदि ये उचित समझते हैं कि इसमें और सुविधाएं या लाभ देने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हाथ में लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जनजाति उप योजना क्षेत्र में 53 आश्रम छात्रावास जनजाति विभाग के विशेष केन्द्रीय सहायता के मद से समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं जिनमें लगभग 27 छात्रावास ऐसे हैं जो किराये के भवन में चल रहे हैं। 27 छात्रावासों में से 2 ऐसे हैं जो भवन उपलब्ध नहीं होने की वजह से आज की तारीख में संचालित नहीं हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं, आज ही मैंने निर्देश दिये हैं कि 27 जो छात्रावास भवन किराये पर चल रहे हैं उनके लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएं और विशेष केन्द्रीय सहायता के मद से राशि प्राप्त कर उनके भवन निर्माण किये जाएं।

जहां तक गौहाटी में फरवरी, 1995 में कल्याण मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में हुए जनजाति विकास विभाग के मंत्रियों के सम्मेलन का सवाल है, सम्मेलन में यह बात साफ आयी कि जिस पद्धति से जनजाति उप योजना क्षेत्र के कार्यों का संचालन किया जा रहा है उससे विलम्ब हो रहा है और उस विलम्ब को दूर करने के लिए महाराष्ट्र

(श्री नन्दलाल मीणा)

गवर्नमेन्ट ने जो पैटर्न एडाप्ट किया है, वह पैटर्न सारे राज्यों में लागू हो। इसको मोटे रूप मे वहां पर निर्णय लिया गया। राजस्थान सरकार ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि महाराष्ट्र पैटर्न राजस्थान में लागू किया जाएगा और वर्ष 1997-98 से 9वीं योजना जो प्रारम्भ होगी, राजस्थान में भी महाराष्ट्र पैटर्न के आधार पर उप योजना क्षेत्र के विकास के कार्यक्रमों को हाथ में लिया जाएगा।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक उत्थान ही नहीं, जनजातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए इस विभाग को जो अब तक मात्र मौनिटरिंग का काम देखता है, क्रियान्विति विभाग जो आंकड़ें फर्निश करते हैं वे सही हैं या नहीं, इसकी देखरेख भी पूरे रूप में नहीं हो रही है। क्या आप सम्पूर्ण क्रियान्विति का पक्ष जनजाति विकास विभाग के अंतर्गत रहे ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रहे हैं या राज्य स्तर पर कोई विचार कर रहे हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, ट्राइब्ल सब प्लान एरिये में शैक्षणिक उत्थान के लिए प्राइमरी स्कूल तक की जो शैक्षणिक व्यवस्था है वह पंचायती राज संस्थान संचालित करता है। सीनियर सैकण्डरी स्कूल तक शिक्षा विभाग उसको देखता है और कालेज स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग उसको देखता है। हमारा तो उद्देश्य यह है कि आदिवासी उप योजना क्षेत्र में जो आदिवासी बालक और बालिकाएं हैं वे समाज के अन्य वर्गों के मुकाबले में खड़े हों, शैक्षणिक लाभ उनको पर्याप्त मिलता रहे। आदिवासी इलाकों में लड़कों और लड़कियों की शिक्षा का अनुपात अन्य समुदायों से काफी कम है। इस दृष्टि से समाज कल्याण विभाग जो छात्रावास संचालित करता है, जनजाति विकास विभाग जो आश्रम छात्रावास संचालित करता है और स्वयंसेवी संस्थाएं भी बालक और बालिकाओं के लिए जो छात्रावास संचालित करती है, उन छात्रावासों के माध्यम से बालक और बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक अपर्याप्त शिक्षा सुविधा का सवाल है, स्वयंसेवी संस्थाओं को हमने इस बात के लिए आमन्त्रित किया है कि वह भारत सरकार के केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय ने जो दिशा-निर्देश दिये हैं उनके आधार पर वे अपने प्रस्ताव बनाकर भेजें और प्रत्येक छात्रावास को 40-40 लाख रुपये भारत सरकार उपलब्ध करवाती है उसके माध्यम से बालक और बालिकाओं को शिक्षा दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए जितने भी छात्रावास आजादी के बाद 1952 से चल रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम किसी ने हाथ में नहीं लिया। हमने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में भी कम से कम प्रत्येक जिले में प्रतिभावान छात्रों के लिए छात्रावास हों जो आगे जाकर काम्पटीशन में

(श्री नन्दलाल मीणा)

खड़े हो सकें, और वो आरक्षण है उस आरक्षण की पूर्ति कर सकें। ऐसी योजनाएं चल रही हैं। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक उत्थान का सवाल नहीं है, इसके साथ हरेक की भावना जुड़ी हुई है। जो योजना इसमें दर्शायी गयी है उसके अतिरिक्त भी यदि आप उचित समझें तो मुझे आपकी सलाह से लाभान्वित करें ताकि आदिवासी क्षेत्रों में और भी योजनाओं को प्रारम्भ किया जा सके।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : 50 प्रतिशत से ज्यादा पोपुलेशन ट्राइब्स की है

श्री किशनाराम नाई : अध्यक्ष महोदय, एक-एक को बोलने दें। व्यवस्था दें, ताकि हम हमारी बातें कह सकें।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह ट्राइब्ल एरिये से संबंधित प्रश्न है, मुझे पूछने दीजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा सेक्रिफाइस, सबसे ज्यादा तकलीफ ट्राइबल्स ने सीकर और झुंझुनूं जिले में उठाई थी। सीकर और झुंझुनूं जयपुर स्टेट के पार्ट थे, हमारे यहां ट्राइब्स के लोग हैं।

राज्य सरकार के मुकाबले में प्रजा मण्डल ने संघर्ष किया था, हम उस संघर्ष में शामिल थे, हमने उनको ऊंचा उठाने की चर्चा की थी। मान्यवर प्रत्येक मीणा जाति को जरायम पेशा माना जाता था, थानों में उनकी हाजरी लगती थी उस इलाके के अन्दर। सीकर और झुन्झुनूं में यह स्थिति थी। सीकर और झुन्झुनूं के अन्दर राजस्थान सरकार ने ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, समाज में उनका स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोई योजना नहीं बनायी। न वहां पर कोई छात्रावास खोला, न उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी और न उनको और किसी प्रकार की सुविधा थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीकर और झुंझुनूं के लिए आपकी योजना क्या है ? क्या वहां पर कोई छात्रावास है ? यदि नहीं है तो क्या छात्रावास खोलेंगे ? मैंने कहा है कि सीकर और झुंझुनूं के लिए जरायम पेशा जाति घोषित थी, थानों में हाजरी लगती थी, प्रजा मण्डल ने एजीटेशन किया था, उनके जरायम पेशा को तुडवाया था। उस इलाके को आप भूले हुए हैं। क्या राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करके वहां कोई योजना इस प्रकार की बनाएगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय किशनाराम जी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल से समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक हरिजन छात्रावास बड़ी मुश्किल से प्रयास करने के बाद खुला था।

श्री अध्यक्ष : यह शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात चल रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : हरिजन का नहीं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात चल रही है।

श्री किशनाराम नाई : जुड़ता हुआ प्रश्न है, जवाब दे देते मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : माननीय दयाराम जी। (व्यवधान) एक सैकण्ड, बिराजें। मैं सबको टाइम दूंगा।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के जवाब में यह कहा कि हम महाराष्ट्र पैटर्न को 1997-98 से लागू करने जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न में क्या है और उसको आप लागू करने जा रहे हैं उससे क्या फायदा होगा? दूसरा, समाज कल्याण विभाग द्वारा ट्राइब्ल एरिया में जो छात्रावास चल रहे हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। कहीं भवन नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं मिलता है दो-दो दिन तक। क्या आपका विभाग टी.एस.पी. के अधीन लेकर उस छात्रावास का संचालन करना चाहता है ? आपने लास्ट ईयर एक आदेश जारी करके वहां के छात्रावासों को अपने अधिकार में लेकर वापस हटा दिया। क्या यही सही है? और सही है तो क्यों आपने हटाया? तीसरा, विकास योजनाएं चल रही हैं उनके अन्दर आर.ए.एस., आर.टी.एस. के पूर्व परीक्षा कोर्स करवाते हैं। यह कार्यक्रम आपने कब से चालू किया और अभी तक किया उसके क्या परिणाम रहे ? इन तीन प्रश्नों के जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) पहले जवाब आने दें।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : अध्यक्ष महोदय, जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से काफी धन खर्च किया जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं एक छोटी-सी जानकारी चाहूंगा और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। काम्पीटिशन एग्जामिशन के प्रिपेरेटरी एग्जामिनेशन के लिए व्यवस्था किये जाने की जानकारी मंत्री महोदय ने सदन को दी है, मेरा मानना यह है कि इसमें गम्भीरता का अभाव है। पिछले पांच वर्षों में आल इण्डिया काम्पीटिशन में आई.ए.एस. आई.पी.एस. कैडर में एक भी व्यक्ति का राजस्थान से चयन नहीं होना इस बात का संकेत देता है कि हम इस बारे में गम्भीर नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हैं, इसके अच्छे नतीजे नहीं निकल रहे हैं। चन्द वर्षों पहले राजस्थान में इस तरह के हॉस्टल संचालित किये जाते थे काम्पीटिशन प्रिपेरेटरी एग्जामिनेशन के लिए, उससे राजस्थान के कई बच्चे काम्पीटिशन एग्जामिनेशन में आया करते थे। लगभग पिछले 5 साल से एक भी बच्चा आई.ए.एस., आई.पी.एस. में नियुक्त नहीं होना बहुत गम्भीर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको आप दुबारा देखें, आश्वस्त हों और कहीं कमी हो तो उस कमी को पूरा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री शांतिलाल खोईवाल : एक मिनट, पूरा करा लूं।

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्रीजी का जवाब आने दें, बाद में आपको अवसर दे दूंगा।

Page No.6

श्री शांतिलाल खोईवाल : कृपया मुझे मदद करें। जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं_

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा प्रश्न हो गया है, कृपया बिराजें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : एक सैकण्ड और लूंगा। कोचिंग क्लास संचालित करने की जानकारी मंत्री महोदय ने दी है उसमें गम्भीरता का बिलकुल अभाव है और उसके नतीजे नहीं निकल रहे हैं। शिक्षक ध्यान नहीं देते हैं, उनकी व्यवस्थाएं पूरी नहीं की जा रही हैं। टीचर्स की जो व्यवस्था की जाती है उसमें आधे-अधूरे मन से करते हैं। यह ठीक बात नहीं है। निवेदन मेरा यह है कि इस तरह की व्यवस्था करें कि आगे आने वाले समय में एस.टी., एस.सी. के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय, पहले मंत्रीजी का बात सुन लें फिर आपको अवसर दे दूंगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : साथ ही जवाब आ जाए तो क्या बुरा है ?

श्री दयाराम परमार : हमारा प्रश्न है और ये बीच में अपनी बात करने लग जाते हैं। हमारा आदमी भूखा मरता है, हमारे आदमी को रोटी नहीं मिलती है, हमारे आदमियों को स्कूल नहीं मिलता है और आप बीच में कि यह प्रश्न है, वह प्रश्न है। मैं बात पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न में क्या है उसको हमें समझाओ, उसको लागू कब तक कर दिया जाएगा और इससे पहले ही ये बीच में बोलने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। मंत्री जी को सुनें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के दर्द का मैं अनुभव करता हूं। इन्होंने उप योजना क्षेत्र में संचालित समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के बारे में, व्यवस्था के बारे में, अव्यवस्था के बारे में बात कही है। उप योजना क्षेत्र में लगभग 119 छात्रावास [illegible] कल्याण विभाग के माध्यम से संचालि[illegible] उनमें 53 छात्रावास जनजाति विकास विभाग के पैसों से समाज कल्याण विभाग संचालित करता है। मैं सदन से यह स्पष्ट निवेदन करता चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के छात्रावास पिछले दो साल से व्यवस्थित चल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, फिर भी जनजाति विकास विभाग के 53 छात्रावास जो समाज कल्याण विभाग संचालित कर रहा है उनके लिए हमारा स्पष्ट मत यह बना है कि इसी सत्र से ये छात्रावास समाज कल्याण विभाग से वापस लेकर जनजाति विकास विभाग संचालित करे और इसकी हम व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक महाराष्ट्र पैटर्न का सवाल है, हमारा जनजाति विकास विभाग लाइजनिंग डिपार्टमेंट है। राज्य सरकार का राज्य मद का 12.44 प्रतिशत पैसा और भारत

(श्री नन्दलाल मीणा)

सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता हमको प्राप्त होती है। जनजाति उप योजना क्षेत्र में उनके सर्वांगीण विकास के लिए हर विभाग के माध्यम से योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, संचालित की जाती हैं। इसमें पैसा डी.आरडी.ए. में जमा होता है और डी.आरडी.ए. सम्बन्धित विभागों के माध्यम से उस इलाके में निर्माण के कार्य कराता है। अध्यक्ष महोदय, प्राय: यह देखा गया है कि इस तरह का जो थ्री-टायर सिस्टम बना है जनजाति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उससे काफी विलम्ब होता है। और समय पर क्षेत्र को जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। महाराष्ट्र पैटर्न का मायना यह होगा कि ट्राइब्ल सब प्लान एरिया के सारे विभाग जिसमें चाहे वन विभाग हो, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, यानी जो विभाग वहां पर कार्यरत हैं उनका सीधा नियंत्रण, संचालन आयुक्त, जनजाति विभाग के हाथ में आएं ताकि जो भी योजनाएं हैं उनको त्वरित गति से उस इलाके में लागू किया जा सके। मैं समझता हूं आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गये होंगे।

श्री दयाराम परमार : लागू कब तक कर देंगे ?

श्री नन्दलाल मीणा : वित्तीय वर्ष 1997-98 में राजस्थान में महाराष्ट्र पैटर्न लागू कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह जी।

श्री रामनारायण चौधरी : सीकर और झुंझुनूं में मीणा जाति के बारे में मैंने सवाल पूछा था, वहां के मीणाओं के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास विभाग का 1975 में गठन किया गया था। तब यह जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग था और आज की तारीख में यह जनजाति विकास विभाग है। कांग्रेस के शासन में यह क्षेत्रीय विकास इसलिए था, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यदि धरियावद में विद्युत लाइन खींच दी और कोई माननीय मंत्री, विद्युत मंत्री वहां पर बटन दबा कर बिजली का संचार करवाते हैं तो बिजली धरियावद कस्बे में मिली परन्तु अखबारों में छपता कि सारा आदिवासी इलाका जगमगा गया है। तो इस क्षेत्रीय विकास विभाग को हटा कर हमने जनजाति विकास विभाग किया है, डाइरेक्ट सुविधा।

आदरणीय चौधरी साहब ने एक प्रश्न और किया कि ट्राइब्ल सब प्लान में 50 फीसदी से अधिक आबादी किसी डिस्ट्रिक्ट की, किसी कस्बे की, उपखण्ड की यदि होती है तो वह ट्राइब्ल शिड्यूल्ड के अन्दर सम्मिलित होता है। उदयपुर सम्भाग, चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतापगढ़ उपखण्ड, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले का पूरण और सिरोही जिले के आबू रोड का कस्बा तालुका ट्राइब्ल सब प्लान में आता है।

Page No.8

(श्री नन्दलाल मीणा)

अध्यक्ष महोदय, छोटी सादड़ी का, बड़ी सादड़ी का इलाका, बल्लभनगर का इलाका, नाथद्वारा का इलाका, गोगुन्दा का इलाका, पाली जिले के बाली का इलाका, पिंडवाड़ा का इलाका, ये भी ट्राइब्ल सब प्लान एरिया से लगे हुए हैं लेकिन ये सब माडा इलाके के अंतर्गत है। हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इन इलाकों में जो माडा स्कीम में हैं, ट्राइब्ल सब प्लान एरिया में सम्मिलित किया जाए। सवाई माधोपुर, अलवर, टौंक, जयपुर में भी इसी तरह के मिनी ब्लॉक हैं। महाराष्ट्र का उनका नक्शा मंगवा लिया है, महाराष्ट्र में भी पूरे उत्तरी भाग में अलग-अलग स्थान हैं जहां मिनी ब्लॉक्स के बजाय ट्राइब्ल सब प्लान में उनको सम्मिलित किया गया है। 29 अगस्त को जनजाति सलाहकार परिषद की मैंने बैठक आमंत्रित की है उसमें माननीय सदस्यों के जो विचार आएंगे जो उचित विचार होंगे उन पर निर्णय लिया जाकर राजस्थान में भी क्रियान्विति की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : रघुवीरसिंह जी।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक और प्रश्न का जवाब चाहता हूं। जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्थान में...

श्री रामनारायण चौधरी : आपने सीकर और झुंझुनूं के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जहां पर स्कैटर्ड और आइसोलेटेड पापुलेशन है। गांव के गांव मीणा जाति के हैं। वहां पर चक नहीं बनता लेकिन क्या आप वहां कुछ नहीं करेंगे ? उनको आप छोड़ देंगे ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि पांच हजार, दस हजार की कुल आबादी में पांच हजार आदिवासी वहां निवास करते हों तो उसके लिये भी योजना है। आप मुझे बता दें, मैं इसकी सारी छानबीन करवा लूंगा। मंजूरी निश्चित रूप से बनायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंहजी।

श्री रघुवीर सिंह : मैं माननीय मंत्रीजी से स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी तक आपको उस इलाके की स्थिति का ज्ञान ही नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को सीकर और झुंझुनूं के आदिवासी लोगों की जानकारी ही नहीं है कि वह क्या कौम थी, उसने क्या तकलीफें सही हैं और किस प्रकार उसने संघर्ष किया था। श्रीधर पण्डित की अगुवाई में श्रीमाधोपुर में सीकर और झुंझुनूं के मीणों ने आन्दोलन किया, जेल गये, कष्ट उन्होंने भोगे, वहां के इलाके की आपको जानकारी नहीं है। आप कहते हैं कि उनको माडा में ले लिया, उस योजना में ले लिया। आप जांच कराइये, अपने अधिकारियों को भेजिये कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो उनका विकास कीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंहजी।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : आप महाराष्ट्र पैटर्न 1997-98 से लागू कर देंगे। महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार ट्राइबल पापुलेशन को जो ट्राइबल सब प्लान एरिया में है, कितने प्रतिशत पैसा प्रत्येक विभाग देते हैं ? क्या आप इस तरह की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं कि 1997-98 में सभी विभाग साढ़े बारह प्रतिशत पैसा ट्राइबल एरिया डवलपमेंट डिपार्टमेंट में जमा करा देंगे ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विभाग को उसकी मांग के अनुसार मांग संख्या 30 जनजाति विकास में पैसा आवंटित किया जाता है। आज स्थिति यह है कि जनजाति विकास विभाग का सीधा नियंत्रण उस पर नहीं है। शिक्षा विभाग की मांग संख्या 30 में राशि आवंटित है लेकिन उसका संचालन माननीय शिक्षा मंत्रीजी करते हैं। मास्टर प्लान की वजह से यह संचालन जो शिक्षा विभाग या सिंचाई विभाग या विद्युत विभाग करता है, वह जनजाति विकास विभाग के हाथों में आ गया है। मान लो ईरिगेशन का मसला है, एनीकट्स या तालाब बनाने हैं तो सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी, तकनीकी अधिकारी वहां पर डेपुटेशन पर होंगे और सर्वे कराने का काम, तखमीना बनाने का काम, निर्माण का काम, सारा उसके अंतर्गत चलेगा।

श्री रघुवीर सिंह : एक प्रश्न मैं भी माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या विभाग हाई रेपुटेटेड शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देती है और छात्रों को अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति देती है ? यदि हां, तो क्या संस्थाओं ने 1995-96 में कोई डिमाण्ड की थी और उसके अनुसार सरकार ने उनको छात्रवृत्ति दी ? दूसरी बात यह कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि प्रतिभावान छात्रों के लिये छात्रावासों का संचालन हो रहा है, कृपया बताएं कि ये छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं। कामन छात्रावासों में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह सुविधा कहां-कहां चलती है ?

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, सबका जवाब साथ ही दे दें, आपको माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से विनम्र निवेदन है कि आप अपनी योजना में छात्राओं के लिये भी कोई व्यवस्था करें क्योंकि उनके ठहरने की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। उनके माता-पिताओं के लिये यह बहुत दुखद है कि उनकी बच्चियां इस वजह से पढ़ नहीं पाती हैं। दूसरा, आप जिन छात्रावासों को लेते हैं उनमें आप भेदभाव करते हैं। आप ज्यादातर पैसा अपने यहां लगवाते हैं और हमारी तरफ सवाई माधोपुर जिला जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, टोडाभीम जो अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है वहां के लिये आपने आज तक कोई पैसा हमको नहीं दिया है। वहां हास्टलों की हालत बड़ी खराब चल रही है, बढ़िया खाना न मिलने से लड़के बीमार होते हैं। उनके लिये

(श्री रामस्वरूप मीणा)

किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। आप इस प्रकार का भेदभाव न बरतें और हमको सबसे ज्यादा सुविधाएं दें। छात्राओं के लिये व्यवस्था करें।

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ट्राइब्ल सब एरिया में टैक्निकल एजुकेशन देने के लिये भी आपने कोई व्यवस्था की क्योंकि आजकल सारा रोजगार इसी से मिलता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलालजी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी फरमाया कि हम जनजाति उप योजना में समाज कल्याण के छात्रावासों में से 53 छात्रावास देख रहे हैं। समाज कल्याण के छात्रावासों में दुर्दशा है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है इसलिये कृपया बताएं कि समाज कल्याण के सभी छात्रावासों को आप अपने विभाग में लेना चाहते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने छात्र-छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति के बारे में प्रश्न किया है। बोर्ड और यूनिवर्सिटी में जो छात्र-छात्राएं प्रथम श्रेणी आते हैं उनके लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान है, इसके अलावा जो मेधावी छात्र हैं उनके लिये हर जिले में अलग से एक-एक छात्रावास है जहां प्रथम श्रेणी प्राप्त बालक-बालिकाएं ही प्रवेश पाते हैं। डूंगरपुर, उदयपुर जिले में ये छात्रावास संचालित हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में भवन निर्माण कार्य चल रहा है, मैं समझता हूं कि भवन निर्माण कार्य पूरा होते ही छात्रों को प्रवेश दे दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रामस्वरूपजी ने कहा कि आदिवासी उप योजना क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्च होता है और माडा क्षेत्र में कम होता है, भेदभाव बरता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सावन के अन्धे को हरा ही हरा नजर आता है।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन है सावन का अन्धा ?

श्री नन्दलाल मीणा : फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि 1992-93 में 162.09 लाख रुपये, 1993-94 में 115.72 लाख रुपये, 1994-95 में 153.31 लाख रुपये आबंटित किये गये। माननीय रामस्वरूप जी, मुझे इस बात का अफसोस है, मैं लगभग सवा दो बरस से जनजाति विकास विभाग का काम देखता हूं आपने कभी भी कष्ट नहीं किया यह बताने का कि यहां पर छात्रावास होना चाहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आपकी मीटिंग में गया था और आपको जो शिकायत की थी उसकी क्या जांच की ?

श्री नन्दलाल मीणा : मैं जब सवाई माधोपुर के छात्रावासों को देखने गया तो मैंने हरेक के लिये कहा।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब आप मेरे साथ चलिये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है जब जनजाति विकास विभाग ने माडा क्षेत्र में आने वाले सभी माननीय सदस्यों को एक प्लेटफार्म पर आमंत्रित किया और उनके सुझाव मांगे कि आप इनको किस हिसाब से व्यवस्थित रूप से संचालित करना चाहते हैं। इसमें माननीय सदस्य भी सम्मिलित थे, जिसका रिकार्ड साक्षी है। इन्होंने किसी प्रकार की कोई राय नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री परसादीलाल मीणा।

श्री दलीचन्द (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के छात्रावासों में जो छात्र रहते हैं उनके लिए बैड वगैरह की व्यवस्था होती है लेकिन वहां पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज की तारीख में हमारे बालक-बालिकाएं भेड़-बकरियों की तरह से छात्रावासों में रहते हैं। क्या मंत्री महोदय इस के लिये कोई अलग से प्रावधान करेंगे ?

दूसरा मेरा एक प्रश्न यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र छोटीश्रवण में एक छात्रावास है। उसका निर्माण हो चुका है लेकिन वहां केलू डाले हुए हैं, एंगल के पाइप डालकर केलू डाले हुए हैं। उनमें पानी की ऐसी सीपेज लगी कि वे पाइप जंग से गल गये हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री दलीचन्द : एक मिनट। वहां जो बच्चे आज की तारीख में रहते हैं उनको इतनी परेशानी है कि वहां जमीन में पानी ही पानी हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री दलीचन्द : क्या मंत्री महोदय इस छात्रावास की छत को आर.सी.सी. का करने का विचार रखते हैं ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास बिलकुल सुव्यवस्थित हैं। हर छात्रावास में समाचार पत्रों की व्यवस्था, वाचनालय की व्यवस्था, टी.वी. की व्यवस्था और बिलकुल नवीन बिस्तरों की व्यवस्था जिस तरह से पर्यटन विभाग में सुन्दर तरीके की व्यवस्था चलती है उसी तरह से चलती है। मैं आप सबसे स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में आप जाकर देखें उसमें यदि आपको कहीं खामियां नजर आएं तो कृपया मुझे अवगत कराएं, मैं उसकी व्यवस्था ठीक करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, 5 जुलाई, 1996)

न्यायिक सेवाओं में आरक्षण

150. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट): क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कितने पद आरक्षित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

Page No.12

(श्री परसादीलाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि आरक्षण कोटे के मुताबिक उक्त जातियों के व्यक्तियों का आरक्षित पदों पर चयन नहीं किये जाने के कारण पद रिक्त चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो कितने कितने पद रिक्त हैं ?

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती शशीदत्ता) : (1) राजस्थान न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति के 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। आरक्षण विज्ञापित पदों के अनुसार होता है।

(2) जी हां, अनुसूचित जाति के 21 तथा अनुसूचित जनजाति के भी 21 पद रिक्त हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है वह ठीक नहीं दिया है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदवार रिक्त पदों की संख्या आपको बतानी चाहिये कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के कितने पद आपके पास हैं और कितने पद वैकेन्ट हैं, ए.सी. जे. एम. के कितने हैं, सी. जे. एम. कितने हैं, डी. जे. के कितने हैं और इस वर्ग का कुल कितना बैकलॉग है। मंत्री महोदया, क्या यह सही है कि 1989, 92, 93 और 96 में जो आपका बैच निकला है उसमें एक भी अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी का सलेक्शन नहीं किया गया है यदि हाँ, तो क्यों नहीं किया गया है ? एस. सी., एस. टी. के जितने पद आरक्षित थे आपने उनको भरने का ध्यान नहीं रखा और उनको अदर जातियों से भर दिया । क्या यही आपका रिजर्वेशन है ? क्या न्यायिक सेवाओं में सरकार ने कभी बैकलॉग को देखा है कि कुल कितना बैकलॉग अब तक इसमें है ?

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत स्पेसिफिक था जिसका जवाब मैंने स्पेसिफिक ही दिया है । दूसरी बात आपने पूछी कि न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति का एक भी पद 1989 से नहीं भरा। अभी जो आपने प्रश्न किया उसका मैं आपको बिलकुल स्पष्ट जबाव दे रही हूँ कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्थान न्यायिक सेवा की भर्ती हेतु विज्ञापित पदों पर अनुसूचित जाति के 16 परसेन्ट अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षित हैं जो मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ । अब आपने कहा कि 1989 से लेकर 1993 तक हमने रिजर्वेशन का इनको लाभ नहीं दिया । ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं है और इसका एक बहुत ही स्पष्ट क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 40 प्रतिशत मार्क्स एग्जाम में और उसके बाद इन्टरव्यू में 151 नम्बर लेने होंगे । अगर उसके अभाव में कोई प्रत्याशी क्वालीफाई नहीं कर पाता है या परीक्षा को पास नहीं कर पाता है दोनों लिखित परीक्षा और इन्टरव्यू को, उस स्थिति में ऐसा होता है । पद नहीं भरे जाते हैं तो उन पदों को हमने कैरी फारवर्ड किया है। उसके बारे में मैं आपको बता रही हूं कि कितने कितने पद हमने इनके कैरी फारवर्ड किये हैं । आपने कहा कि 1995 में जो भर्ती की 110 पदों के लिए उसमें 3 अनुसूचित जाति के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद हमने भरे हैं । जहां तक आपने अनुसूचित जनजाति के

(श्रीमती शशीदत्ता)

अभ्यर्थियों का सवाल उठाया है, मेरी तरफ से तो मैं यह नहीं कह सकती लेकिन, माननीय सदस्य, आप भी जानते हैं, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए कि जब वे एग्जाम ही पास नहीं करेंगे तो कैसे भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे ? अगर आप ऐसा मानते हैं तो उसके लिए शायद यह विभाग लायबल नहीं है अभी भर्ती की गयी उसमें कोई एलिजिबल केन्डीडेट नहीं पाया गया इसलिए इन पदों को कैरी फारवर्ड किया है।

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्री महोदय, आपने कहा कि 151 नम्बर उनको कुल मिलने चाहिए इन्टरव्यू में। 35 नम्बर का इन्टरव्यू होता है उसमें तथा औरों को 32 और 33 नम्बर दे रहे हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी को 134 नम्बर लाने के बाद भी कम नम्बर देकर जानबूझकर एस. सी. और एसटी. के लोगों का पद वैकेन्ट रखते हैं। 134 के बाद कितने नम्बर उसके थे 135 में से ? कहीं तो आप 132 और 134 नम्बर आने के बाद भी 10 नम्बर दे रहे हैं क्या इसी तरह से आप पदों को भरना चाहते हैं ? क्या यही सरकार की मंशा है ? आपको नहीं भरना चाहिए दूसरी जातियों से उनके पदों को। खाली रखिये। आपको विशेष बैच निकालना चाहिए। यह नहीं कि आप इनके हकों पर दूसरे लोगों को बैठा दें। क्या जरूरत है फिर आरक्षण की ? खतम कर दो इस आरक्षण को। एससी. और एसटी का न्यायिक सेवाओं में आरक्षण रखने की क्या जरूरत है ? आप इसी तरह से प्रमोशन्स में कर रहे हैं। कितने डीजे. आपके हैं, कितने एसीजेएम. हैं, कितने सीजेएम. हैं ? बीस बीस साल की जिनकी नौकरी हो गयी एससी., एसटी. वालों की उनको आपने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पदों पर बैठा रखा है। क्या सरकार मूक दर्शक है ? इसमें सरकार ने कभी ध्यान देने का विचार रखा है ? प्रमोशन्स हैं या सलेक्शन्स, आपके सारे पदों का जो बैकलॉग है उसको आपको स्पेशल बैच से भरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इस सेवा में नहीं आते हैं। आई. ए. एस. और आईपीएस. में फिर क्यों टाप कर रहे हैं ? वे आरक्षण से ऊपर क्यों आ रहे हैं ? इसमें भी ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर पदों पर भर्ती नहीं होने देने के लिए इन्टरव्यू में उनका 35 में से 10 नम्बर दे रहे हैं और दूसरी जाति वालों को आप देखें तो 35 में से 33 नम्बर दे रहे हैं। क्या यही न्याय है ? क्या यही न्याय है रिजर्वेशन क्लास को ? आप स्पष्ट करें कि इनका जितना भी बैकलॉग है उसके लिए कोई स्पेशल बैच से भर्ती करने का क्या सरकार विचार रखती है।

श्री अध्यक्ष : धनखड़ साहब ने भी पूछा है। एक एक माननीय सदस्य बोलेंगे तो ठीक रहेगा। मैं चाहूंगा मदेरणा साहब कह दें पहले।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक

(श्री परसराम मदेरणा)

क्वेश्चन यह है, जैसा कि माननीय मंत्री साहिबा ने प्रश्न के भाग संख्या (2) में सूचना दी है कि शिड्यूल्ड कास्ट के 21 और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भी 21 पद रिक्त हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1989 से लेकर 1996 तक एस.सी. और एस. टी. के जुडिशियल और रिटर्न टैस्ट में जो आदमी एलिजिबल नहीं हो हायर जुडिशियल सर्विसेज में हो सके उनका क्या बैकलॉग 42 ही है ? 42 नहीं है तो ईयरवाइज एग्जामिनेशन्स हुए हैं जुडिशियल और हायर जुडिशियल सर्विसेज के, उसमें टोटल बैकलॉग अभी तक कितना है? जैसा कि प्रश्नकर्ता ने आपसे पूछा है, बैकलॉग के इन बिन्दुओं पर भी वे अपने आप में एलिजिबल नहीं बन सकते हैं योग्यता के आधार पर ?

जुडिशियल सर्विसेज के अन्दर, जहां प्रश्न न्याय से सम्बन्ध रखता है, न्यायालय ऐसे स्थापित किये गये हैं कि समाज के दलित वर्ग के लोगों पर और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और इसलिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट हुई हैं। इन जातियों के लोग अगर प्रेजाइडिंग आफिसर होंगे तो निश्चित तौर पर जिनके साथ अन्याय होता है उनको न्याय मिलेगा। बैकलॉग जो ईयर टू ईयर कैरी फारवर्ड हुआ है जुडिशियल सर्विस और हायर जुडिशियल सर्विस, दोनों ही सर्विसेज के अन्दर वह टोटल बैकलॉग क्या है और इस बैकलॉग को भरने के लिए राज्य सरकार व्यावहारिक तौर पर क्या निर्णय लेने जा रही है ?

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय परसादी लाल जी के प्रश्न का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि इन पदों को कैरी फारवर्ड कर दिया जाता। तो मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि प्रक्रिया के अनुसार इन लोगों की भर्ती होती है।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने मेरे से बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, मैं यह बताना चाहूंगी कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय मुझसे पूर्व में लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, आपसे भी पूर्व में उनके समय भी शायद यही प्रक्रिया थी। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को यह स्पष्ट करती हूं, आप पहले सुन लीजिये फिर पूछ लीजिये। आप भी लॉ मिनिस्टर...

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो डिप्टी मिनिस्टर जुडिशियल एण्ड लॉ था। आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आप स्टेट मिनिस्टर हैं।

श्रीमती शशी दत्ता : आप रहे हुए हैं इसलिए तो मैं आपको कह रही हूं। आप पहले लॉ मिनिस्टर रहे हुए हैं और मैंने आपके द्वारा की हुई नोटिंग्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है। आप आप जितने सीनियर हो उतनी मैं नहीं हूं। आप लॉ एण्ड जस्टिस मिनिस्टर रहे थे और I am sitting on the post of only Law Minister. This question is not concerned to the Law Minister. This question is only concerned to the Minister concerned and the Minister

(श्रीमती शशी दत्ता)

concerned is Mr. Kailash Meghwal. I am not Minister concerned. According to the question of the Law Minister......(Interruptions) Minister concerned is Kailash Meghwalji because he is looking after the Justice and Home Department.

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, इस पीड़ा का निवारण कीजिये।

श्रीमती शशीदत्ता : मैं जवाब दे रही हूं। देखिये, आप इस क्वेश्चन को खराब मत कीजिये। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैं जवाब भी देना चाहती हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : You are speaking from the heart of House and he is responsible man. और आपको अननैसेसरी परेशान कर रहे हैं हम लोग।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे अपनी पीड़ा का निवारण कैलाश जी से मिलकर कर लेंगी, आपको जरूरत क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : रहिमन निज मन की व्यथा, मन में राखो घोल। It is a matter of inter-se between the Minister of Home and Judicial and Law Minister. You sort it out.

श्री रामस्वरूप मीणा : आप अपनी लड़ाई में हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो ? हमारे बैकलॉग को भरोगे या नहीं भरोगे, सीधा उत्तर दो। हमें इसका जवाब चाहिए, आप अपनी लड़ाई में हमको मत डालो। एस. सी., एस. टी. के साथ आप अन्याय कर रहे हो, उसको भरोगे या नहीं भरोगे ? यह बताइये कि जो खाली हैं उनको कब तक भरोगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री कालूलाल गूजर : आप लोगों ने भी कल अपनी लड़ाई में सदन का समय खराब किया था।

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में माननीय विधायक महोदय को यह बताना चाहूंगी कि मैंने मेरे समय में सबसे पहले, माननीय परसराम जी भी लॉ मिनिस्टर रहे हैं, माननीय चपलोत जी की तरफ मैं हाथ नहीं करूंगी क्योंकि अध्यक्ष हैं वे, वे भी लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बावजूद मैंने पहली बार 102 पदों पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की भर्ती के लिए अथक प्रयास किया और भर्ती करवायी। राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज मेरे टाइम में हुई और अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति का इसमें सलेक्शन भी हुआ है लेकिन इसके बावजूद आप शायद इस विभाग को नहीं समझ पा रहे हैं। इस विभाग की भर्ती में हमारा काम सिर्फ पदों को विज्ञापित करना है, भर्ती करने का काम माननीय हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट का क्राइटेरिया आप भी जानते हैं और माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी जानते हैं। उसका

Page No.16

(श्रीमती शशि दत्ता)

काम पदों को भर्ती करने का, इंटरव्यू लेने का, उनको नियुक्ति देने का, सलेक्शन करने का है। मेरे पास सिर्फ सलेक्शन होने के बाद_

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जब विषय मंत्रीजी के क्षेत्राधिकार में नहीं है और माननीय गृह मंत्रीजी के क्षेत्राधिकार हैं तो आप इस प्रश्न को वहां पर ट्रांसफर क्यों नहीं फरमा दें जहां से सही जवाब आ जाय ?

श्री अध्यक्ष : आप यह कह रही हैं कि हाई कोर्ट के अन्तर्गत आता है चयन का यह का र। सलेक्शन की बात हो रही है। माननीय धनखड़ जी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखने की बात है कि आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के अन्दर तो क्वालिफाई कर रहे हैं, काम्पीट करके आ जाते हैं और वहां पर टॉप पर भी आ रहे हैं और यहां पर हमारे कैंडीडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। आप इसको ट्रांसफर कर दीजिये। आप जवाब दें इसका।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया से स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्योंकि सलेक्शन हाई कोर्ट करता है, रिटन टैस्ट भी हाई कोर्ट लेता है, एम्प्लायी को भी हाई कोर्ट लेता है_

श्रीमती शशिदत्ता : आर.पी.एस.सी. लेती है मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को।

श्री परसराम मदेरणा : आर.पी.एस. सी. में हाई कोर्ट का जज बैठता है, Am I correct? मेरा निवेदन यह है कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं होने जा रहा है और सलेक्शन बोर्ड उनका रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है। क्योंकि इतना बड़ा बैकलॉग आगे से आगे कैरी फारवर्ड हो रहा है, क्या राज्य सरकार स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात हाई कोर्ट से करके इन पदों को विज्ञापित करके उनके भरने का कोई भी प्रयास करेगी ?

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया है लेकिन मैं प्रतिपक्ष के नेता से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो रवैय्या जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच में है, न तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता इससे अनभिज्ञ हैं और न यह सदन अनभिज्ञ है। इसलिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता से मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इस पवित्र सदन को मेरी तरफ से कोई आश्वासन दूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : It is a function of the Legislation and the Government. जुडिशियरी कहां बीच में आ गयी ? यह तो गवर्नमेंट की नीति का प्रश्न है कि गवर्नमेंट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति कितनी संवेदनशील है। सरकार उनकी पूर्ति करवाती है या नहीं करवाती है, यह तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जुडिशियरी कहां से फंसी है ?

Page No.17

श्री रामस्वरूप मीणा : सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार क्या करेगी, यह बताइये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रक्रिया वर्तमान में हैं, सबार्डिनेट जुडिशियरी के दो हिस्से हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस और राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस। राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है और राजस्थान जुडिशियल सर्विस का रिक्रूटमेंट प्रोसस अलग है। माननीय मंत्री महोदया का यह कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान जुडिशियल सर्विस का रिक्रूटमेंट प्रोसस करता है, गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश वहां बैठता है। ऐसी प्रक्रिया और रिक्रूटमेंट में भी होती है, कोई न कोई एक्सपर्ट बैठता है। He does not preside that particular selection Board.

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड भी बैठता है।

श्री जगदीप धनखड़ : तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस में आपने रिजर्वेशन दे रखा है ? इसके लिए तो आपको कानून बनाना है।

नम्बर दो, आपने जो 42 वैकेन्सीज बतायी हैं, 21 एस. सी. की और 21 एस. टी. की, इनमें राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस का क्या कम्पोनेंट है ?

नम्बर तीन, आपने कहा कि रिक्वायर्ड मैरिट के कैंडीडेट्स उपलब्ध नहीं है। यह बात आज के दिन कोई मानने को तैयार नहीं है क्योंकि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब का रिप्रेन्टेशन जो सैण्ट्रल सर्विसेज में है वह बड़ा कमेंडेबल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग एलिजिबल कैंडीडेट्स के लिए चालू करने की योजना रखते हैं ?

मेरी अगली सप्लीमेंट्री है कि बैकलॉग को पूरा करने के लिए एस. सी., एस. टी. के लिए स्पेशल ड्राइव होती है, क्या इस प्रकार के स्पेशल ड्राइव की कोई योजना है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट यह है कि जहां भी सलेक्शन करने के फोरम हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे ट्रिब्यूनल हो, चाहे कंज्यूमर के अन्दर डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम हो, इन एडजुडिकेशन बोडीज में जो सिटीजन के भाग्य का फैसला करते हैं क्या आप इनमें एस.सी., एस.टी. को रिजर्वेशन देने का कोई कार्यक्रम रखते हैं? क्योंकि अब तक जो रिप्रजेंटेशन आपने दे रखा है वह बिलकुल नैग्लीजिबल है वर्चुअली। (व्यवधान) जवाब आने दें, मैंने पांच स्पेसिफिक प्रश्न पूछे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सोचकर जवाब दो।

श्रीमती शशीदत्ता : आप सोचकर प्रश्न पूछते हो क्या ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय धनखड़ साहब का पहला प्रश्न था कि क्या आर.एच. जे.एस. में रिजर्वेशन का प्रावधान है तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि निश्चित रूप से इसमें प्रावधान है। और आपने पूछा बैकलॉग के बारे में तो मैंने आपको जो

(श्रीमती शशीदत्ता)

बैकलॉग मेरे पास उपलब्ध था, बता दिया कि 21-21 पद रिक्त हैं एस.सी. एसटी. के।

श्री जगदीप धनखड़ : आर.एच.जे.एस. के कितने हैं ?

श्रीमती शशीदत्ता : नहीं, आर. एच. जे. एस. के बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूं। आपने यह पूछा भी नहीं था फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : फिर से सॉरी ? Then you say sorry.

श्रीमती शशीदत्ता : No. I don't say sorry. This was not the question. फिर भी आपने यह पूछना चाहा कि कितने पद...

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न तो न्यायिक सेवा का है and you know about the judicial services.

श्रीमती शशीदत्ता : ये तो आर.एच.जे.एस. का पूछ रहे हैं, न्यायिक सेवा का नहीं पूछ रहे हैं वे।

श्री परसराम मदेरणा : वे दोनों के बारे में ही पूछ रहे हैं, इन्होंने एक पर्टिकूलर सर्विस के बारे में नहीं पूछा। प्रश्न दोनों ही सर्विस के बारे में है...

श्रीमती शशीदत्ता : तो मैं जवाब दे रही हूं।

श्री परसराम मदेरणा : न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : पहले मेरा जवाब आ जाए। स्पेशल ट्रेनिंग की क्या बात है, स्पेशल ड्राइव की क्या सिचुएशन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम ट्रिब्यूनल्स की क्या सिचुएशन है ?

श्रीमती शशीदत्ता : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा की सीधी भर्ती में रोस्टर के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होती है। वर्तमान में 1993 से अनुसूचित जाति के दो पद और अनुसूचित जनजाति का एक पद रिक्त चला आ रहा है। आपने शायद नोट कर लिया होगा कि एस.सी. के दो और एस.टी. का एक पद रिक्त है राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज में। उनमें से अभी जो परीक्षा आनरेबल हाई कोर्ट ने ली, उसमें एक पद एस.सी. के लिए वर्तमान में चयनित कर लिया गया है और यथाशीघ्र उसका नियुक्ति आदेश जारी होने वाला है। आर.एच.जे.एस. में दो एस.टी. के और एक पद एस. सी. का रिक्त हैं।

आपका दूसरा प्रश्न था, आरक्षण तो है आर.एच. जे.एस. में, वह मैंने स्पष्ट कर दिया।

आपका तीसरा प्रश्न था कि ट्रिब्यूनल्स में एस.टी. एस. सी. के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए। जहां तक ट्रिब्यूनल्स का सवाल है, वे निश्चित रूप से राज्य सरकार की कंसेंट के आधार पर ही गठित किये जाते हैं और उनमें से आरक्षण का लाभ भी दिया जाता है, लेकिन किन कारणों से आप यह महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों को नही दिया गया ? अगर किसी अच्छे व्यक्ति की या योग्य व्यक्ति की

(श्रीमती शशीदत्ता)

सिफारिश की गयी है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता मंच में और इनमें कई जगह पर इन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। इसमें आपको पता है बिलकुल ही...

श्री जगदीप धनखड़ : क्या कानून बनाएंगे आरक्षण का, यह पूछ रहा हूं मैं। क्या आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अन्दर, ट्रिब्यूनल्स में, जो राज्य सरकार के अधीन हैं, जिनमें आप अपाइंटमेन्ट्स करते हैं, एस.सी., एस.टी. को आप रिजर्वेशन दोगे क्योंकि वर्तमान में रिप्रजेंटेशन बिलकुल नेग्लीजिबल है ?

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह उच्च न्यायिक सेवा अलग कैडर है ?

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री महोदया जवाब दे देंगी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जुडिशियरी में एस.सी. एस. टी. को रिजर्वेशन देने की बात का है, वह अलग कैडर है। इसकी पूर्ति क्यों नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्रीजी के उत्तर से यह समझ पाया हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात रिटन टैस्ट के 40 प्रतिशत मार्क्स है और 40 प्रतिशत मार्क्स इस कम्युनिटी के लोग प्राप्त नहीं कर सकते इसलिये वह इसमें (व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि...

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे लोग 70-80 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं (व्यवधान) हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मंत्रीजी, कि इस जाति के लिए रिजर्वेशन के कोटे को पूरा करने के लिए 40 प्रतिशत जो निर्धारित है, इसको आप रिलैक्स कीजिये। ओपन मार्केट से लॉ ग्रेजुएट्स को जो इस जाति के, कम्युनिटी के हैं, आप इन्टरव्यू में बुलाइये और उनमें से बैकलॉग को आप पूरा कीजिये। इनके लिए रिटन एग्जामिनेशन हटा दीजिये अगर आपको इस जाति के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है और सोशल आब्जेक्टिव समाज में यदि प्राप्त करना है। ये राइडर्स हैं, रेस्ट्रिक्शन्स हैं, जो अपर कास्ट के लिए हैं। अगर आप अपर कास्ट वाली चीजें लोअर कास्ट के साथ, एस.सी., एस.टी. के साथ जोड़ते रहेंगे तो किसी भी कीमत पर ये लोग अपरकास्ट के लोग हैं अपर स्ट्राटा के हैं, उनके मुकाबले में नहीं आ सकते। आप रिटन टैस्ट को अबोलिश कीजिये। ओपन मार्केट से लॉ ग्रेजुएट्स जो क्वालिफाइड हैं और इनमें भी जिनकी प्रैक्टिस नहीं है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट में, सिम्पली ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनका आप इन्टरव्यू कीजिये और इस बैकलॉग को पूरा कीजिये। आपको क्या दिक्कत है, मंत्री महोदया, मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा और सुन लें साथ-साथ।

श्रीमती शशीदत्ता : मैं धनखड़ साहब के सवाल का जवाब दे दूं क्योंकि माननीय

(श्रीमती शशिदत्ता)

धनखड़ साहब ने बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि ट्रिब्यूनल्स में और डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम नियुक्ति किस आधार पर देते हैं और रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं। मैं, माननीय सदस्य, आपको बताना चाहूंगी कि यह सैन्ट्रल एक्ट है और इसमें Reservation is to be made by the central Government. So the State Government is not entitled to frame the Rules and Regulations relating to the Central Act. सैण्ट्रल एक्ट जो भी हमें कहता है, अकोर्डिंग टू दैट, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि वह डेपुटेशन पोस्ट है। किसी डी.जे. को हम डेपुटेशन पर कंजूमर फोरम में या फैमिली कोर्ट में थोड़े टाइम के लिए लेते हैं और वह कोई विशेष पर्सन नहीं होता या उनकी कोई उसमें विशेष जानकारी नहीं होती। जो भी डी.जे. हैं उनको हम डेपुटेशन पर या तो कंजूमर फोरम में लेते हैं या फिर फैमिली कोर्ट में जैसा प्रावधान है, लेते हैं। यह कोई विशेषता वाली बात नहीं है कि उसको इधर लगाएं। यह उनकी सर्विसेज के हिसाब से लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत देर से आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब यह बहुत लम्बा हो गया है।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत भी नहीं देना चाहते।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इजाजत देने की जरूरत कहां पड़ गयी ? अपन तो ले ही लेते हैं इजाजत।

श्री रामनारायण मीणा : यह तो कोई बात नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलें आप। किसको दूं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : सरकार पब्लिक प्रोसीक्यूटर अपनी तरफ से नोमिनेट करती है_

श्री रामनारायण मीणा : किसको दे, आप देखिये।

श्री अध्यक्ष : आप पहले से कह रहे हैं, हरिसिंह जी।

श्री रामनारायण मीणा : पहले से क्या कह रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने पहले भी हाथ खड़ा किया।

श्री रामनारायण मीणा : इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक-एक सप्लीमेंट्री कर लें दोनों।

श्री अध्यक्ष : जल्दी करें।

श्री रामनारायण मीणा : इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को आप इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। पूछें, हरिसिंहजी, आप।

श्री रामनारायण चौधरी : सारा मामला इस बात पर आता है कि रिटन एग्जामिनेशन है, 40 प्रतिशत मार्क्स है जो यह कम्युनिटी प्राप्त नहीं कर सकती और रिटन एग्जामिनेशन में 40 प्रतिशत मार्क्स का राइडर। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप अलाउ करेंगे ? फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। आप अलाउ कीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के हाथ में दो बातें हैं - एक तो सरकार पब्लिक प्रोसीक्यूटर खुद नोमिनेट करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने एस. सी. एसटी. के कितने पब्लिक प्रोसीक्यूटर नोमिनेट किये हैं ? दूसरा प्रश्न, सरकार की हाई कोर्ट के जज नोमिनेट करने की भी सिफारिश रहती है। (व्यवधान) बिलकुल रहती है सरकार की। राज्य सरकार की सिफारिश रहती है और with the consultation of the Chief Justice of the High Court और आप गवर्नर के पास सूची भेजते हैं, गवर्नर साहब सेन्ट्रल मिनिस्ट्री के पास भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट करता है। आपका इन्वाल्वमेंट तो उसमें हैं। क्या मंत्रीजी, आप यह बता सकती हैं कि राजस्थान की सरकार ने 1990 से लेकर आज तक एक भी एस.सी. एसटी. के योग्य वकील को हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की ? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कांत : इनको भेजना चाहते हो क्या हाई कोर्ट में ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : रिटन टैस्ट के बारे में क्या कहा, मंत्रीजी, आपने ?

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरा सुनें आप। समय कम है।

श्रीमती शशीदत्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, शायद वे वकील रहे हैं, उन्होंने कांस्टीट्यूशन पढ़ा होगा। मैं कांस्टीट्यूशन की सैक्शन पढ़कर सुना रही हूं कि किन परिस्थितियों में (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं तो आई.पी. सी. का वकील रहा हूं, मैं कांस्टीट्यूशन का नहीं रहा हूं। आप तो पढ़ो।

श्रीमती शशीदत्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सवाल पर आज तैयार होकर आयी थी। मुझे मालूम था कि ये इस तरह के प्रश्न उठाएंगे। I was completely ready to give all the replies. इसलिए कांस्टीट्यूशन में, आप मेरे से मिल लें, एक-एक सेक्शन को मैं आपको क्लियर कर दूंगी। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट में आप तक किसी भी एस.सी., एसटी. के आदमी की भर्ती क्यों नहीं हुई या मेरे समय में क्यों नहीं हुई। मैं इनसे यह पूछना चाहूंगी कि पिछले चालीस साल से ये लोग इस सरकार में थे, आज तक किसी भी (व्यवधान) नहीं-नहीं, मैंने तो

श्री हरिसिंह (महुआ) : चालीस साल में हमने कैडर तैयार किया था और चालीस साल के हमारे तैयार करने का नतीजा है कि आप यहां पर लॉ मिनिस्टर बन बैठी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : मेरी सुन लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : चालीस साल में हमने यह कैडर तैयार किया है, क्या बातें कर रही हैं आप।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी मंशा नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती शशीदत्ता : Sit down. Please, sit down.

श्रीमती कमला : जो कोई जवाब नहीं दे सकता, वह यही जवाब देता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट - 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भनोत कमेटी के सुझावानुसार लेखों का संधारण

449. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)** : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में सरकार के लेखों के संधारण हेतु क्या प्रक्रिया है ?

(2) क्या वित्त विभाग के अन्तर्गत लेखा संधारण हेतु निदेशक कोष एवं लेखा का पद सृजित किया था ? यदि हां, तो निदेशक को लेखा संधारण का कार्य किन कारणों से आवंटित नहीं किया गया ?

(3) क्या भनोत कमेटी ने लेखा संधारण का कार्य महालेखाकार से लेकर राज्य सरकार को सौंपने हेतु कोई सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमेटी के सुझावों को लागू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य सरकार के लेखों का संधारण नियंत्रक एवं महालेखापरी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, कमेटी की अभिशंसा राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

गणतंत्र दिवस समारोह पर पुरस्कार वितरण प्रकरण

450. **श्री भरत सिंह (खानपुर)** : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की सूची जिला प्रशासन तय करता है ? यदि हां, तो इस वर्ष बारां जिला मुख्यालय पर सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की सूची किसने तय की थी तथा चयनित

Page No.23

(श्री भरत सिंह)

समिति के कौन-कौन सदस्य थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बारां जिला चयन समिति द्वारा श्री रमेश अदलखा को पल्स पोलियो अभियान एवं पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया जाना था और समारोह में उक्त व्यक्ति का नाम पुकारा गया था, मगर मुख्य अतिथि द्वारा उनको सम्मानित नहीं कर अपमानित किया गया ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की सूची जिला प्रशासन तय करता है। इस वर्ष बारां जिला मुख्यालय पर सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की सूची जिला प्रशासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा तय की गई थी। इस समिति में अति. जिला कलक्टर, बारां (संयोजक), जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) सदस्य, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, बारां (सदस्य) सहायक कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग (सदस्य सचिव) थे।

(2) हां, यह सही है कि बारां जिला चयन समिति द्वारा श्री रमेश अदलखा को पल्स पोलियो अभियान एवं पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया जाने हेतु चयन किया गया था। समारोह में इनका नाम पुकारा गया था, किन्तु श्री अदलखा समारोह में उपस्थित नहीं थे।

पूर्व विधायकों को रियायती दर पर सर्किट हाउसों में ठहरने की सुविधा

451. श्री जुबेर खान (रामगढ़) एवं श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस व राज्य के विभिन्न सर्किट हाउसों में पूर्व विधायकों को पूर्व की भांति रियायती दर पर ठहरने की व्यवस्था के संबंध में कोई आदेश जारी किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक और किस दर पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। पूर्व विधायकों को दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में व राज्य के विभिन्न सर्किट हाउसों में कभी भी रियायत दर पर ठहरने की व्यवस्था के आदेश नहीं है, और ना ही इस प्रकार के आदेश किये जाने का मामला विचाराधीन है।

राजस्थान हाउस एवं बीकानेर हाउस (नई दिल्ली) के लेखों का अंकेक्षण

452. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान हाउस एवं बीकानेर हाउस

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

नई दिल्ली के लेखों का गत पांच वर्षों में आंतरिक जांच दल, निदेशक कोष एवं लेखा के जांच दल एवं महालेखाकार के जांच दल द्वारा कब-कब ऑडिट करवाया गया ? उक्त जांच दलों द्वारा किये गये अंकेक्षण के प्रतिवेदन/आई.आर. आदि की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नियमानुसार भण्डार का भौतिक सत्यापन कितने समय में किया जाना वांछनीय है ? अन्तिम रूप से गत 3 समयावधियों व भण्डार के भौतिक सत्यापन के जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान हाउस एवं बीकानेर हाउस में अनुपयोगी घोषित सामान की सूची सामान के क्रय, वर्ष एवं क्रय मूल्य सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) अनुपयोगी सामान की गत 5 वर्षों में कब-कब नीलामी की गई, नीलामी की क्या प्रक्रिया थी तथा कितने रुपये का क्या-क्या सामान किस-किस पार्टी को नीलाम किया गया?

उत्तर

(1) राजस्थान हाउस/बीकानेर हाउस, नई दिल्ली के लेखों का गत पांच वर्षों में निम्नानुसार ऑडिट करवाया था :-

(ए) आन्तरिक जांच दल द्वारा गत पांच वर्षों में कोई ऑडिट नहीं किया गया है।

(बी) निदेशक, कोष एवं लेखा के जांच दल द्वारा निम्नुसार तीन बार ऑडिट किया गया :-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष
2	92-93
116	93-94
339	94-95

(सी) महालेखाकार राजस्थान के जांच दल द्वारा निम्नानुसार दो बार ऑडिट किया गया :-

(2) जनवरी, 91 से जून, 93 तक एवं जुलाई, 93 से अक्टूबर, 94 तक उपरोक्त पांचों प्रतिवेदनों की प्रतियां (परिशिष्ट - क) सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) नियमानुसार भण्डार का भौतिक सत्यापन एक वर्ष में एक बार कराया जाना वांछनीय है गत तीन समयावधियों में भण्डार का भौतिक सत्यापन निदेशक कोष एवं लेखा के दल द्वारा किया गया था जिसके प्रतिवेदन का उल्लेख उपरोक्त बिन्दु सं. 1 में वर्णित आडिट रिपोर्ट सं. 116 एवं 339 में भी उपलब्ध है जो (परिशिष्ट - "क") संलग्न है। इसके अलावा माह जनवरी, फरवरी 1996 में राजस्थान हाउस/बीकानेर हाउस नई दिल्ली के भण्डार का भौतिक सत्यापन सहायक लेखाधिकारी, निवासीय आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा किया गया जिसकी रिपोर्ट (परिशिष्ट "ख") एवं राजस्थान हाउस/बीकानेर हाउस नई दिल्ली में अनुपयोगी सामान की सूची वांछित सूचना सहित (परिशिष्ट "ग") सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) अनुपयोगी सामान की नीलामी की

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों / प्रावधानानुसार सर्वे कमेटी का गठन कर अनुपयोगी सामान का सर्वे कराकर उनकी रिपोर्ट के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा अनुपयोगी घोषित करने की स्वीकृति दी गई थी व नियमानुसार हर बार नीलामी कमेटी का गठन कर कमेटी की देखरेख में घोषित अनुपयोगी सामान की खुली नीलामी द्वारा बेचा गया। नीलामी की सूचना का प्रसारण नियमानुसार यथा समय समाचार पत्रों से किया गया था। गत पांच वर्षों की वांछित सूचना (परिशिष्ट - "घ") सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(प्रतिवेदन, रिपोर्ट एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गयी)

शासन सचिवालय की सफाई व्यवस्था

453. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शासन सचिवालय की सफाई का काम ठेके पर करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1995-96 का सफाई का ठेका किसको कितने रुपयों में दिया गया ?

उत्तर

जी हां, यह बात सही है कि शासन सचिवालय की सफाई का काम ठेके पर करवाया जा रहा है।

वर्ष 1995-96 का सफाई का ठेका निम्न प्रकार से दिया गया :–

1. दिनांक 1.4.95 से दि. 30.5.95 तक का सफाई का ठेका श्री प्रहलाद नारायण को रु. 31,097/- प्रति माह की दर से दिया गया था।

2. उक्त ठेकेदार का कार्य ठीक नहीं होने के कारण ठेका निरस्त कर दिनांक 1.6.95 से 31.3.96 तक सफाई का ठेका श्री ओमप्रकाश रावत को रु. 34,500/- प्रतिमाह की दर से दिया गया था।

शासन सचिवालय में शीघ्रलिपिक से निजी सहायक के पद पर पदोन्नति प्रकरण

454. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1985 का राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 शिड्यूल 1 के ग्रुप "सी" के क्रम संख्या 2 के कॉलम 6 में शीघ्रलिपिक से निजी सहायक पद पर पदोन्नति हेतु 50 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता से, जो सचिवालय में शीघ्रलिपिक पद पर 7 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, एवं 50 प्रतिशत सचिवालय में कार्यरत शीघ्रलिपिक जो राजस्थान लोक सेवा आयोग से निजी सहायक की प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं की पदोन्नति नियम हैं ?

(2) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 से

(श्री बाबूलाल)

1983-84 तक किन-किन को शीघ्रलिपिक से निजी सहायक पद पर वरिष्ठता से और किन-किन को प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग ने मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग डा.जी. एन. सक्सेना के केस में चिकित्सा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय एवं अनेक विभागाध्यक्षों को दिनांक 31 मार्च, 1983 तक तदर्थ अस्थायी आधार पर अर्जित की गई सेवा या अनुभव को अनुभव हेतु गिनने की राय दी है? यदि हां, तो शासन सचिवालय में अस्थायी रूप से कार्यरत शीघ्रलिपिकों की सेवा को निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु मानने से मना किये जाने के क्या कारण थे? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या यह सही है कि श्री टीकम चन्द जैन को सचिवालय में दिनांक 11 अगस्त, 1972 को अस्थायी रूप से शीघ्र लिपिक पद पर नियुक्त किया गया था एवं दिनांक 11 अगस्त, 1972 से ही शीघ्रलिपिक वेतन श्रृंखला और वेतन वृद्धियां दी गई थी तथा दिनांक 6 अप्रेल 1979 को शीघ्रलिपिक पद पर स्थायी भी किया गया था ? यदि हां, तो फिर श्री जैन की दिनांक 11 अगस्त, 1972 से 15 मार्च, 1978 तक की सेवा को अनुभव हेतु नहीं मानने के कारणों का नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि कार्मिक (क-2) विभाग की राय के अनुसार श्री जैन वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970 के शिड्यूल-1 के ग्रुप - सी के क्रम सं. 2 के कॉलम 6 (2) के तहत शीघ्रलिपिक से निजी सहायक पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव रखते थे? यदि हां, तो फिर किस नियम के तहत वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री जैन के नाम के सम्मुख "अनुभव नहीं रखते हैं" रिमार्क लगाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 1983-84 में वरिष्ठता एवं प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जिन व्यक्तियों को निजी सहायक पद पर पदोन्नति दी गई है, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी हां, परन्तु दिनांक 31.3.83 तक तदर्थ सेवा को अनुभव के रूप में उसी स्थिति में गिना जाता था, जबकि तदर्थ नियुक्ति regular line of promotion में की गयी हो। सचिवालय के शीघ्रलिपिकों के मामले इस सिद्धान्त के अनुरूप न होने के कारण स्वीकार नहीं किये गये। क्योंकि वरिष्ठ लिपिक से शीघ्र लिपिक regular line of promotion के पद नहीं है।

(4) जी हां। श्री जैन द्वारा दिनांक

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

11.8.72 से 15.3.78 तक तदर्थ रूप से शीघ्रलिपिक के पद की गयी सेवा की राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1970 में अधिसूचना स.प. 6(2) डी. ओ पी/ए-II/71 दिनांक 9.10.75 के द्वारा जोड़े गये प्रावधान के तहत regular line of promotion में नहीं होने के कारण गणना नहीं की गई।

(5) जी नहीं। श्री जैन 1961-62 में शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यरत नहीं थे। यह भी सही नहीं है कि श्री जैन 1982-83 में निजी सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु वांछित 7 वर्ष का नियमित सेवा का अनुभव रखते थे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट - 3 देखें)

शासन सचिवालय में शीघ्रलिपिक के पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति विवरण

455. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय में शीघ्रलिपिक से निजी सहायक पद पर पदोन्नति, स्थायी कारण, वरिष्ठता आदि के संबंध में फैले भ्रष्टाचार, भाई, भतीजा-वाद आदि के खिलाफ दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को किसी ने प्रार्थना पत्र दिया था और कार्मिक (ख-2) विभाग से रेकार्ड मंगाने, जांच अधिकारी नियुक्ति करने एवं शिकायतकर्ता को सुनने के लिये आवेदन पत्र आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई इसमें किसको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उसने अब तक क्या कार्यवाही की ? जांच अधिकारी का नाम व उस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1991-92 में राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970 के शिड्यूल -1 (ग्रुप - सी) के क्रम संख्या 2 के कॉलम 6 में सचिवालय में शीघ्रलिपिक से निजी सहायक पद पर पदोन्नति हेतु 50 प्रतिशत वरिष्ठता से एवं 50 प्रतिशत सचिवालय में कार्यरत शीघ्रलिपिकों के राजस्थान लोक सेवा आयोग से निजी सहायक की प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति करने के नियम थे यदि हां, तो क्या उक्त नियमों के अनुसार उक्त वर्षों में पदोन्नतियां दी गई ? यदि नहीं, तो उक्त वर्षों में वरिष्ठता से लोक सेवा आयोग से परीक्षा उत्तीण करने पर की गई पदोन्नतियों की पृथक-पृथक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति एवं स्मरण पत्र माननीय मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय को भी दी गई थी ? क्या उक्त् प्रार्थना पत्र में जांच अधिकारी नियुक्त करने एवं रेकार्ड मंगाने तथा प्रार्थी को सुनने हेतु निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं , तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रार्थी को सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात शिकायत आधारहीन तथा नियम विपरीत पाये जाने के कारण अस्वीकार की गयी। अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1991-92 में यह नियम लागू नहीं थे। राज्य सरकार के आदेश क्र. 3 (71) डी.ओ.पी./ए-II/84 दिनांक 10.8.89 द्वारा निजी सहायक के पद को शीघ्रलिपिक पद से शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान कर दिया गया था।

(3) जी हां। प्रकरण पर विचार कर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24.2.96 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया।

पर्यटन निगम की बीयर शॉप्स बीयर खरीद प्रकरण

456. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की प्रदेश में किस-किस जिले में कहां-कहां पर कितनी-कितनी बीयर शॉप्स वर्तमान में संचालित की जा रही हैं तथा आबकारी विभाग के ठेके के नियमों के तहत एक यूनिट की लाइसेंस फीस कितनी निर्धारित की हुई है।

(2) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में निगम द्वारा किस-किस पार्टी से किस-किस ब्राण्ड की कितनी-कितनी मात्रा में बीयर की पेटिया क्रय की गई ? पार्टी का नाम, बीयर की मात्रा, राशि आदि सहित माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में एक ही ब्राण्ड की अधिक मात्रा बीयर क्रय किये जाने का कारण बीयर कम्पनियों द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों को कमीशन दिया जाना है ?

(4) क्या निगम द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो कब और जांच का परिणाम क्या रहा ?

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा कुल 59 बीयर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। बीयर दुकानों की जिलेवार सूचना निम्न प्रकार है :–

आबकारी विभाग द्वारा एक यूनिट की 5000/- रु. लाइसेंस फीस और 10,000/ रुपया न्यूनतम फीस कुल 15,000/- रुपया प्रति वर्ष ली जाती है :—

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

क्र.सं.	शहर का नाम	दुकान संख्या	जिला
1.	सोढ़ाला जयपुर	1	जयपुर
2.	रेल्वे स्टेशन	1	जयपुर
3.	झोटवाड़ा	1	जयपुर
4.	गोपालपुरा बाईपास	1	जयपुर
5.	चांदी की टकसाल	1	जयपुर
6.	एम.आई.रोड	1	जयपुर
7.	ढेर के बालाजी	1	जयपुर
8.	टूरिस्ट होटल कैम्पस्	1	जयपुर
9.	बर्फखाना	1	जयपुर
10.	ट्रान्सपोर्ट नगर	1	जयपुर
11.	लालकोठी	1	जयपुर
12.	राजापार्क	1	जयपुर
13.	चांदपोल	1	जयपुर
14.	इन्दिराबाजार	1	जयपुर
15.	कोटपूतली	1	जयपुर
16.	घूमरहोटलकैम्पस् जोधपुर	1	जोधपुर
17.	जोधपुर दुकान नं. 2	1	जोधपुर
18.	जोधपुर दुकान नं. 3	1	जोधपुर
19.	जोधपुर दुकान नं. 4	1	जोधपुर
20.	जोधपुर दुकान नं. 5	1	जोधपुर
21.	अजमेर दुकान नं. 1	1	अजमेर
22.	अजमेर दुकान नं. 2	1	अजमेर
23.	अजमेर दुकान नं. 3	1	अजमेर
24.	अजमेर दुकार नं. 4	1	अजमेर
25.	किशनगढ़ जिला अजमेर	1	अजमेर
26.	ब्यावर	1	अजमेर
27.	अलवर दुकान नं 1	1	अलवर
28.	अलवर दुकान नं. 2	1	अलवर
29.	अलवर दुकान नं. 3	1	अलवर

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

1	2	3	4
30.	बहरोड दुकान नं. 1	1	अलवर
31.	उदयपुर दुकान नं. 1	1	उदयपुर
32.	उदयपुर दुकान नं. 2	1	उदयपुर
33.	उदयपुर दुकान नं. 3	1	उदयपुर
34.	सीकर	1	सीकर
35.	दौसा	1	दौसा
36.	भरतपुर	1	भरतपुर
37.	गंगापुर सिटी	1	सवाई माधोपुर
38.	बजरिया स.माधोपुर	1	"
39.	टोंक	1	टोंक
40.	बूंदी	1	बूंदी
41.	बीकानेर दुकान नं. 1	1	बीकानेर
42.	बीकानेर दुकान नं. 2	1	बीकानेर
43.	बीकानेर दुकान नं. 3	1	बीकानेर
44.	बाड़मेर	1	बाड़मेर
45.	जैसलमेर	1	जैसलमेर
46.	पाली	1	पाली
47.	डूंगरपुर	1	डूंगरपुर
48.	माउन्टआबू दु.नं. 1	1	सिरोही
49.	माउन्ट आबू दु.नं. 2	1	सिरोही
50.	आबू रोड	1	सिरोही
51.	सिरोही	1	सिरोही
52.	मकराना	1	नागौर
53.	चित्तोडगढ़	1	चित्तौड़गढ़
54.	चन्देरिया	1	चित्तौड़गढ़
55.	भीलवाड़ा	1	भीलवाड़ा
56.	कोटा दुकान नं. 1	1	कोटा
57.	कोटा दुकान नं. 2	1	कोटा
58.	कोटा दुकान नं. 3	1	कोटा
59.	कोटा दुकान नं. 4	1	कोटा

Page No.31

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

(2) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में निगम द्वारा क्रय की गई बीयर की सूचना परिशिष्ट (अ) व (ब) में संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(4) इस बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। और न ही इसमें निगम द्वारा किसी प्रकार की जांच करवाई गई है।

(सूचना के लिये परिशिष्ट 4 देखें)

सरकारी भवन व सम्पत्तियों से प्राप्त आय

457. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या मुख्य (सम्पदा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कौन-कौन से भवन व सम्पत्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हैं ? सम्पत्ति के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन-कौन से भवन सरकार के काम में आ रहे हैं, कौन-कौन से भवन किराये पर हैं और कौन-कौन से भवनों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का ताला लगा हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भवन व दुकानें किराये पर दे रखी हैं ? यदि हां, तो उन से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) चांदी की टकसाल, आमेर और पुरानी तहसील आमेर के भवनों से क्या आय होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) गांधी चौक आमेर में कांग्रेस कार्यालय किस द्वारा कब किराये पर दिया गया और उस से क्या आय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार जयपुर शहर के जो जो भवन व सम्पत्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है उसकी सूची संलग्न परिशिष्ट (क) में है।

(2) जयपुर स्थित 2 व आमेर स्थित 4 भवन सरकार के काम में आ रहे हैं, 2 भवन आंशिक रूप से सरकार के काम आ रहे हैं, इन 2 भवनों में से एक भवन का आंशिक भाग किराए पर दिया हुआ है, दूसरे भवन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का किसी भवन पर ताला लगा हुआ नहीं है। विवरण परिशिष्ट (ख) में दर्शाया गया है।

(3) जी, हां। यह सही है कि सानिवि. में पुरानी तहसील भवन का '140' '36' वर्गमीटर भाग श्रीमती विमला श्रीवास्तव को किराये पर दे रखा है, जिससे प्रतिवर्ष 1752 रु. की आय होती है।

(4) चांदी की टकसाल आमेर सिटी सर्वे एवं नजूल रजिस्टर में भी दर्ज है, इससे कोई आय नहीं होती है। पुरानी तहसील में एक मात्र श्रीमति विमला श्रीवास्तव से 146-00 प्रतिमाह किराया सानिवि. में जमा होता है।

(मुख्य (सम्पदा) मंत्री)

(5) गांधी चौक आमेर में कांग्रेस कार्यालय किस द्वारा कब किराये पर दिया गया है इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है, इस सम्पत्ति से कोई आय नहीं होती।

(सूची विवरण के लिये परिशिष्ट 5 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करना

458. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली में ऐसे कौन-कौन से गांव व ढाणियां है जिनकी आबादी 250 से अधिक है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मोहनपुरा पंचायत में जोधपुरा की ढाणी एवं गांव काफी आबादी के हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक इस गांव एवं ढाणी को राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली के 250 से अधिक आबादी वाले गांव व ढाणियों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त संलग्न सूची के क्रम संख्या एक से 137 तक उल्लेखित ग्राम पूर्व में ही राजस्व ग्राम घोषित हो चुके हैं, केवल क्रम संख्या 138 पर अंकित ढाणी जोधपुरा मूल ग्राम मोहनपुरा से दूर नहीं होने के कारण इसे नवीन राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है।

(3) ढाणी जोधपुरा की दूरी मूल ग्राम मोहनपुरा से नहीं होने के कारण इस बड़े गांव को खण्डित करना उचित नहीं मानते हुये नया राजस्व ग्राम घोषित करना उपयुक्त नहीं है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 6 देखें)

पंचायत समिति गिर्वा (उदयपुर) के भवन हेतु भू-आबंटन

459. **श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (बल्लभनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में पंचायत समिति गिर्वा के भवन एवं आवासीय सुविधा हेतु जिला कलक्टर उदयपुर एवं सरकार द्वारा कितनी भूमि आबंटित की गई ? आबंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि में से कुछ भूमि सरकार ने नगर विकास न्यास, उदयपुर को हस्तान्तरित की गई है ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में पंचायत समिति गिर्वा के भवन एवं आवास हेतु सर्वप्रथम दिनांक 11.2.81 को राज्य सरकार द्वारा

(राजस्व मंत्री)

आदेश दिया गया कि जिलाधीश महोदय के प्रस्तावानुसार कुल 8 बीघा 14 बिस्वा में से केवल जितने भू-भाग पर पंचायत समिति गिर्वा के भवन व स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए हैं उतनी ही भूमि आबंटित की जावें (परिशिष्ट -1) तथा शेष भूमि पर पंचायत समिति का जो नाजायज कब्जा है उसे हटाया जाये। इस आदेश के उपरान्त तहसीलदार, गिर्वा को रिपोर्ट (परिशिष्ट -2) दिनांक 14.4.82 के आधार पर जिलाधीश, उदयपुर द्वारा पंचायत समिति के नाम पर 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज करने के आदेश दिये गये (परिशिष्ट - 3) वे आदेश दिनांक 4.5.82 को पारित किये गये। पुनः दिनांक 12.11.84 को राज्य सरकार द्वारा 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि पंचायत समिति को स्टाफ क्वार्टर्स, बीज गोदाम व कुक्कुटशाला के निर्माण हेतु आबंटन की स्वीकृति दी गई (परिशिष्ट-4) इस आदेश की अनुपालना में दिनांक 14.12.84 को जिलाधीश द्वारा आदेश दिये जाकर पंचायत समिति के नाम पर उक्त भूमि अमल बरामद करने हेतु तहसीलदार, गिर्वा को निदेशित किया गया। (परिशिष्ट -5)

(2) दौराने भू-प्रबन्ध कार्यवाही 1.1600 हैक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष समस्त भूमि तत्समय प्रभावी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 125 में वर्णित प्रावधानानुसार कब्जा नहीं होने से बिलानाम दर्ज कर दी गई। सन 1989 में उदयपुर शहर के आस-पास स्थित समस्त बिलानाम भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम हस्तान्तरित करने के राज्य सरकार के आदेश होने से उक्त बिलानाम भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हो गई। (परिशिष्ट -6)

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

ग्राम मणु (नागौर) की राजस्व भूमि पर अतिक्रमण

460. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मणु तहसील लाडनूं जिला नागौर में राजस्व भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के समय पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी ? यदि हां, तो क्यों और कब तथा कितने क्षेत्र में यह अतिक्रमण किस प्रकार की भूमि पर था ?

(2) क्या यह भी सही है कि गोली चलाने के मामलों की जांच भी कराई गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा व कब ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नाजायज कब्जे का क्या किया गया ? क्या उसे हटा दिया गया या नियमित कर दिया गया तथा इस कब्जे के बारे में अब क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम मणु तहसील लाडनूं जिला नागौर में राजस्व भूमि

Page No.34

(राजस्व मंत्री)

खं. नं. 27 किस्म मैमु. अंगोर रकबा 40 बीघा के अतिक्रमण को हटाते समय पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस भूमि पर श्री गुमानसिंह पुत्र बालसिंह का अतिक्रमण कब्जा था। जिसे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दिनांक 29.9.95 को पुलिस फोर्स के साथ हटाते समय अतिक्रमी के पुत्र शम्भूसिंह द्वारा तलवार एवं भालों के साथ ऊंट पर सवार होकर अतिक्रमण हटाने में बाधा उत्पन्न करने एवं शान्ति भंग करने पर उतारू होने से आत्म सुरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

(2) जी, हां। यह सही है कि गोली चलाने के मामले की जांच ए.डी.एम. नागौर के द्वारा की गई थी। जिसमें पाया गया कि मणु तहसील लाडनूं में अतिक्रमण था जिसे हटाने तहसीलदार मय जाप्ता फोर्स के मौके पर दिनांक 29.9.95 को पहुंचे। लेकिन अतिक्रमी एवं उसके पुत्र द्वारा तहसीलदार पर हमला कर देने के कारण अतिक्रमी को डराने हेतु तहसीलदार ने हवाई फायर के आदेश दिये थे। दो फायर किये गये, एक फायर से अतिक्रमी के पुत्र शम्भूसिंह की पिंडली पर लगने पर उपचार हेतु हास्पिटल पहुंचाया गया था। अतिक्रमी एवं उसका पुत्र अपराधिक प्रवृत्ति का होना पाया गया। जांच प्रतिवेदन दिनांक 28.11.95 की प्रति संलग्न है।

(3) उक्त नाजायज कब्जे को हटाते वक्त अवरोध उत्पन्न हो जाने से व उसी दिन कस्बा लाडनूं में एक अन्य घटना घटित हो जाने से कानून एवं व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उक्त नाजायज कब्जा हटाने का अभियान स्थगित करना पड़ा था। जिसके कारण यह अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। उक्त अतिक्रमित भूमि का नियमन नहीं किया गया है। अब अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तहसील लाडनूं में जेरकार है।

(प्रतिवेदन के लिये परिशिष्ट 7 देखें)

ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर (जयपुर) की विवादग्रस्त भूमि का आबंटन

461. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की आराजी खसरा नम्बर 279,280,207 लगायत 295,314 कुल 12 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 282 से 286,317,355 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा भूमि सहायक जिलाधीश, चाकसू जिला जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक आर.ए. 92/1568 दिनांक 26.9.1992 जो विवादग्रस्त थी को आबंटित कर दी है ? यदि हां, तो आबंटित व्यक्ति का नाम मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन का न्यायालय से जब तक फैसला नहीं हो जाता है, तब तक सरकार ने एक पक्ष से खेती करने के बदले में अमानत राशि प्राप्त की थी ? यह

(श्री हरिनारायण बैरवा)

अमानत राशि कितनी-कितनी कब-कब प्राप्त की गई ?

(3) क्या उक्त अमानत राशि को काफी, वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त कृषकों को राज्य कोष से अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? क्या न्यायालय का फैसला किसी एक व्यक्ति के पक्ष में हो चुका है ? अब तक अमानत राशि का भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे ? अब कब तक उक्त कृषकों को इसका भुगतान कर दिया जायेगा ?

(4) अमानत राशि का अब तक भुगतान नहीं करने में कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार अब उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या अब सरकार उक्त कृषकों को उनकी जमा राशि का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि सहायक कलक्टर, चाकसू ने अपने क्रमांक 1568 दिनांक 26.9.92 द्वारा विवादग्रस्त आराजी को आबंटन किया है। सहायक कलक्टर, चाकसू ने अपने उक्त पत्र द्वारा राजस्व अपील अधिकारी (प्रथम) जयपुर के निर्णय के प्रति लगाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। राजस्व अपील अधिकारी (प्रथम) जयपुर ने अपने निर्णय में विवादग्रस्त आराजी का राजीनामें के आधार पर श्री जगदीश पुत्र भोमा जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी मनोहपुरा को एक मात्र खातेदार काश्तकार माना है।

(2) सहायक कलक्टर चाकसू के आदेश दिनांक 23.6.92 द्वारा ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर की भूमि 279,280,287 से 295,314 कीता 12 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा खाता नं. 44 व 45 की भूमि ख. नं. 282 से 286,317,335 मिन कुल 6 किता रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा का रिसीवर तहसीलदार सांगानेर को नियुक्त किया गया। तथा उक्त आराजी को कब्जे में लेकर काश्त करने के आदेश भी दिये। तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रतिवादी अपीलाण्ट भोमा व उसके मृत्यु के पश्चात उसके पौत्र द्वारा 1100/- रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से निम्नानुसार जमा कराई है : —

क्र.सं.	दिनांक	राशि
1.	17.7.82	1100/-
2.	15.7.83	1100/-
3.	16.7.84	1100/-
4.	9.7.85	1100/-
5.	8.7.86	1100/-
6.	17.7.87	1100/-
7.	5.7.88	1100/-
8.	30.6.89	1100/-
9.	10.7.90	1100/-
10.	4.7.91	1100/-

Page No.36

(राजस्व मंत्री)

(3) जी, हां। यह सही है कि अभी तक प्रार्थी को अमानता राशि का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान के विलम्ब होने के कारणों की जांच की जा रही है। तहसीलदार सांगानेर को शीघ्र भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं।

(4) कारणों की जांच की जा रही है। जांच उपरान्त ही कार्यवाही की जाना संभव है।

(5) जी, हां। कृषक को उसकी जमा अमानत राशि का शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा।

ग्राम बस्सी सीतारामपुरा व सहजपुरा (जयपुर) सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

462. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बस्सी सीतारामपुरा व ग्राम सहजपुरा तहसील जयपुर में एन.बी.सी. फैक्ट्री ने राजकीय भूमि व सार्वजनिक शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा नाजायज कब्जा हटाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? खसरा नम्बर व रकबे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एन.बी.सी. फैक्ट्री ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 138 व उसके बटा नम्बर पर काबिज हैं ? यदि हां, तो किस किस बटा नम्बर के कितने रकबे पर ?

(3) क्या यह सही है कि मान इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ने अपने आधिक्य भूमि को समर्पित कर स्कीम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय अधिकारी से करोड़ों की रकम स्वीकृत करवाई है ? क्या उक्त भूमि एम.आई.सी. के स्वामित्व में है ? यदि हां, तो एम.आई.सी. ने कौन-कौन से खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि समर्पित की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ग्राम चक हसनपुरा तहसील जयपुर स्थित भूमि का खसरा नम्बर 54 उसके बटा नम्बर रक्षा सम्पदा की है ? यदि हां, तो इस भूमि के विरुद्ध ऋण स्वीकृति किस प्रकार करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है। ख.नं. व रकबे की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। ग्राम बस्सी सीतारामपुरा की भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगत आदेश है ग्राम सहजपुरा की भूमि के संबंध में न्यायालय तहसीलदार जयपुर में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही जैरकार है।

(2) एन.बी.सी. फैक्ट्री ग्राम बस्सी सीतारामपुरा के ख.नं. 138/278, 138/279, 138/281 व 138/282 के क्रमश : 2.16, 1.16, 0.01 व 15.07 कुल रकबा 20 बीघा पर काबिज है।

Page No.37

(राजस्व मंत्री)

(3) राजस्थान वित्त निगम जयपुर के अनुसार एए. आई. एफ. आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्वास पैकेज के अनुसार ऋणी इकाई द्वारा राजस्थान वित्त निगम को एक मुश्त जमा योजना के अन्तर्गत रुपये 62.72 लाख रु. जमा करवाकर भूमि संबंधी मूल दस्तावेजों को मोरगेज से मुक्त करवाना था। फिर इकाई द्वारा भूमि (सरप्लस लैण्ड) 75000 वर्गमीटर का राज्य सरकार को समर्पित कर राज्य सरकार से समर्पित भूमि के एवज में ब्रिज लोन 140.00 लाख रुपये सहित कुल 246.00 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित था। लेकिन मूल प्रवर्तकों द्वारा स्वयं के प्रस्तावित अंशदान 224.00 लाख रुपये नहीं जुटाये जाने एवं राजस्थान वित्त निगम को एक मुश्त जमा कराये जाने हेतु 62.72 लाख रुपये का प्रबन्ध नहीं किये जाने के कारण स्वीकृत पुनर्वास पैकेज अभी भी लम्बित पड़ा हुआ है।

(4) ग्राम चक हसनपुरा स्थित ख.नं. 54/1 रकबा 58 बीघा 4 बिस्वा मकबूजा लांगसर ख.नं. 54/1 मिन रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भारत सरकार के रक्षा सम्पदा विभाग तथा ख. नं. 54/2 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा बी.सी.आर. रेल्वे के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वित्त निगम द्वारा मैसर्स मान इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. के स्वामित्व की भूमि को ही मोरगेज की गई है। संबंधित भूमि का वाद माननीय उच्च न्यायालय में जेरकार होने के कारण संबंधित दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे वाद में होने के कारण विवरण अंकित नहीं किया जा सका है।

(सूचना के लिये परिशिष्ट 8 देखें।)

जोधपुर के पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें

463. **श्री खेत सिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील जोधपुर अन्तर्गत माणक लाव, सूरपुरा, मण्डोर पूंन्जला हल्के के पटवारी अमूमन अपर मुख्यालय पर नहीं मिलते ? क्या सरकार इस एक निश्चित समय मुख्यालय पर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द करने कर विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे। उक्त चारों पटवारियों द्वारा कितने-कितने ग्रामीणों को नई पास बुक वितरित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक पास बुकें वितरित कर दी जायेगी ? प्रत्येक के अन्तर्गत कुल कितने खाते हैं ?

उत्तर

यह सही नहीं हैं कि जोधपुर तहसील के पटवार मण्डल, माणकलाव, सूरपुरा, मण्डोर व पूंजला के पटवारी अमूमन अपने मुख्यालय पर नहीं मिलते हैं, इस आशय की कोई सूचना/शिकायत नहीं है, जो पटवारियान के मुख्यालय में नहीं मिलने को प्रमाणित करती हो। भू-अभिलेख नियमों में पटवारीगण के

(राजस्व मंत्री)

मुख्यालय पर रहने की व्यवस्था कर रखी है। पटवारी माणकलाव द्वारा 600 , पटवारी सूरपुरा द्वारा 140 पटवारी मण्डौर द्वारा 150 तथा पटवारी पूंजला द्वारा 200 नई पास बुकें वितरित की गई है, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पटवारी माणकलाव के अन्तर्गत 781, पटवारी सुरपुरा के अन्तर्गत 875, पटवारी मण्डोर के अन्तर्गत 488, व पटवारी पूंजला के अन्तर्गत 338 खाते हैं।

अभी किसी भी खातेदार का नई पास बुक प्राप्त करने का आवेदन विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सुरेर (अलवर) के ग्राम गोठ की भूमि पर अवैध कब्जा

464.श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुरेर (राजगढ़-अलवर) के ग्राम गोठ के खसरा नम्बर 702 एवं 703 का रकबा कितना-कितना हैं एवं उन पर कौन-कौन खातेदार काबिज हैं ? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि खसरा नं. 703 के खातेदार ने खसरा नं. 702 की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त खसरा की पैमाइश करवाकर अनधिकृत रूप से कब्जा की हुई भूमि को उसके वास्तविक मालिक को दिलवाने हेतु न्याय हित में कोई कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में खसरा नं. 702 के मालिक ने पैमाइश भी करवाई थी ? यदि हां, तो कब एवं उसका परिणाम क्या रहा ? इस खसरे की कितनी भूमि पर दूसरे खातेदार का अतिक्रमण है तथा उस अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में गत एक वर्ष में सरकार द्वारा कब-कब, क्या -क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला अलवर के तहसील राजगढ़ के पटवार मण्डल सुरेर के ग्राम गोठ के वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार ख.नं. 702 का रकबा 18 एयर तथा ख. नं. 703 का रकबा 34 एयर है । ख. नं. 702 रामप्रसाद पुत्र दौलतराम जाति ब्राह्मण निवासी गोठ की खातेदारी का है तथा ख. नं. 703 रामसहाय पुत्र बाला बक्स व रामजीलाल दत्तक पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी गोठ की खातेदारी का है। यदि किसी खातेदार का अन्य खातेदारी की भूमि पर कब्जा है तो खातेदार नियमानुसार पैमाइश कराने अथवा कब्जा प्राप्त करने हेतु संबंधित न्यायालय में चाराजोई कर सकते हैं।

(2) ख. नं. 702 के खातेदार रामप्रसाद पुत्र दौलतराम ने दिनांक 7.6.95 को पैमाइश हेतु तहसील राजगढ़ में आवेदन किया जिस

(राजस्व मंत्री)

पर दिनांक 8.6.95 को पटवारी हल्का सुरेर को पैमाइश करने के आदेश दिये गये। पटवारी हल्का दिनांक 14.6.95 को पैमाइश करने हेतु मौका पर गया। भूमि विवादग्रस्त होने से नियमानुसार पैमाइश नहीं की जा सकी। विवाद के संबंध में खातेदार सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकता है।

ग्राम रतनपुरा तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में दर्ज बरसाती नाले की भूमि पर अतिक्रमण

465. **श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम रतनपुरा, पंचायत गठवाड़ी तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) की भूमि खसरा नम्बर 655 व 609 में पूर्व से ही गैर मुमकिन बरसाती नाला दर्ज है ? यदि हां, तो नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नाले की भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अनाधिकृत कब्जा करके नाले का मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया है, जिसकी समय-समय पर ग्रामवासियों द्वारा शिकायतें भी की गई ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार उक्त अनधिकृत कब्जे को कब तक हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम रतनपुरा तहसील जमवारामगढ़ में ख.नं. 655 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा तथा ख. नं. 701 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा गै.मु. नला दर्ज है। नक्शे की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। यह सही है कि इस संबंध में ग्रामवासियों ने शिकायत की है, शिकायत प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, आमेर मु. जयपुर को मौके पर जाकर जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये। श्री चोखाराम पुत्र बिरदा जाति जाट सा. देह ने ख. नं. 655 व 701 के भू-भाग पर अतिक्रमण कर अपने खेत में मिलाकर गै.मु. नाले का मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया है। अतिक्रमी के विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्कूलों व कालेजों के भवन निर्माण हेतु भूमि निःशुल्क आवंटन

466. **श्री भीमराज भाटी (पाली)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा माह दिसम्बर, 1988 में स्कूलों व कालेजों आदि के भवन के निर्माणार्थ निःशुल्क भूमि आवंटित करने बाबत कोई अधिसूचना जारी

Page No.40

(श्री भीमराव भाटी)

की गई थी ? यदि हां, तो अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत किन-किन स्कूलों व सामाजिक संगठनों को निःशुल्क भूमि आबंटित करने का प्रावधान है ?

(3) क्या जिला कलक्टर, पाली द्वारा माह दिसम्बर, 1988 एवं 1991 में उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत निःशुल्क भूमि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो किस -किस संस्था को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिला कलक्टर, पाली द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत किया गया निःशुल्क भूमि आबंटन वैध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन आबंटनों को रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला कलक्टर को निजी स्वयं सेवी संस्थाओं के लिये भूमि आबंटन करने की शक्तियां देने के उद्देश्य से अधिसूचना जारी की गई थी। जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) उपरोक्त अधिसूचना के जारी होने के उपरान्त जिला कलक्टर निजी स्वयं सेवी संस्थाओं को भूमि देने के लिए सक्षम है।

(3) राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों आदि तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1963 के तहत दिसम्बर, 1988 से 1991 तक किन संस्थाओं को भूमि का आबंटन किया गया की सूची संलग्न है।

(4) आबंटन की वैधता के संबंध में जांच करायी जा रही है।

(अधिसूचना व सूची के लिये परिशिष्ट 9 देखें।)

बूंदी जिले में कृषि भूमि का औद्योगिक/व्यावसायिक/आबादी भूमि में रूपान्तरण

467. श्री **बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि भूमि का ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक व व्यावसायिक आबादी प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाये हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बूंदी जिले की समस्त तहसीलों में ऐसे रूपान्तरण के कोई मामले बकाया हैं ? यदि हां, तो बकाया मामलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बकाया मामलों के आवेदन की दिनांक, रूपान्तरण शुल्क जमा करने की तिथि व रूपान्तरण न किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को

(राजस्व मंत्री)

औद्योगिक, व्यावसायिक व आबादी प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन नियम, 1992 बने हुये हैं। नियमों का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 1992 में ही हो चुका है।

(2) जिले में तहसील स्तर पर उक्त नियमों के अन्तर्गत रूपान्तरण का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। उपखण्ड अधिकारी बून्दी स्तर पर एक तथा जिला कार्यालय में एक कुल दो प्रकरण विचाराधीन है। सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(3) विचाराधीन दो प्रकरणों का विवरण खण्ड -2 के परिशिष्ट में अंकित है।

(सूची के लिये परिशिष्ट 10 देखें।)

पदेन राजस्व अपील अधिकारी (जयपुर) द्वारा दिये गये निर्णय

468. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993 से 1996 तक कौन-कौन भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर में पद-स्थापित रहे हैं ? उनके नाम मय अवधि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी दिनांक 5 से 7 दिसम्बर, 1995 एवं 11 दिसम्बर, 1995 से 5 जनवरी, 1996 तक उपार्जित अवकाश पर रहे ? यदि हां, तो उन द्वारा उक्त अवधि में न्यायालय के निर्णय किस प्रकार किये गये? क्या सरकार इन निर्णयों को अवैधानिक मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा पारित किये गये बहुत से निर्णयों की तिथियों में एक ही दिन मुकाम दौसा एवं मुकाम चौमूं न्यायालय में सुनवाई रखी गयी तथा निर्णय सरे इजलास सुनाये गये, अंकित की गई है जबकि चौमूं एवं दौसा के मध्य लगभग 85 किलोमीटर की दूरी है साथ ही वे उक्त तिथि को उपार्जित अवकाश पर भी थे?

(4) क्या यह सही है कि जिन तिथियों को मुकाम दौसा व मुकाम चौमूं में एक ही तिथि को निर्णय पारित किये गये उस समय उक्त अधिकारी द्वारा राजकीय वाहन का उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो यात्रा किस प्रकार, किस वाहन से की गई ?

(5) क्या सरकार उपरोक्त फर्जी, गलत, अनियमित, अवैधानिक कार्यवाही एवं गम्भीर अपराध करने वाले दोषी अधिकारी को तत्काल निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त फर्जी एवं गलत कार्यवाहियों की जानकारी वर्तमान भू-प्रबन्ध आयुक्त को लम्बे समय से है ?

Page No.42

(श्री गोपीराम बाट)

यदि हां, तो उन द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 1996 एवं 25 जनवरी, 1996 को निर्णय सुनाये गये, जबकि इन्हीं तारीखों में अधिकांश पत्रावलियों पर उनके तत्कालीन रीडर द्वारा यह अंकन किया गया है, कि पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है ? क्या सरकार का ऐसा आदेश है कि अधिकारी अवकाश पर रहते हुए घर पर बैठकर निर्णय सुनाये ? सरकार ऐसे प्रकरणों में क्या कदम उठा रही है ताकि इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो ?

(8) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा विगत तीन वर्षों में भू-प्रबन्ध अधिकारी के कार्यालय एवं न्यायालय का निरीक्षण एवं जांच की गई ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के पद पर दिनांक 5.2.93 से 10.6.94 तक सुश्री शमीम अख्तर व दिनांक 10.6.94 से 26.1.96 तक श्रीमती गीतासिंह देव तथा दि. 27.1.96 से आज तक श्रीमती लता मोहन पदस्थापित है।

(2) जी, हां। श्रीमती गीतासिंह देव, भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर दिनांक 5.12.95 से 7.12.95 एवं 11.12.95 से 5.1.96 तक उपार्जित अवकाश पर रही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सही स्थिति की जानकारी प्राप्त हो पावेगी।

(3) जांच जारी है। जांच रिपोर्ट आने पर ही सही स्थिति का आकलन हो सकेगा।

(4) जांच रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(5) जांच कार्य चालू है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिकारी के दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही संभव होगी।

(6) वर्तमान भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 8.3.96 के प्राप्त होने के बाद आयुक्त द्वारा जांच कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जांच जारी है।

(7) सम्बन्धित प्रकरण में जांच कार्यवाही चालू है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

(8) विगत 3 वर्षों में भू-प्रबन्ध आयुक्त ने भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 1.11.94, 11.7.95, 1.11.95 को किया।

बृजनिधि का मंदिर जयपुर का बेचान प्रकरण

469. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि त्रिपोलिया

Page No.43

(श्री विष्णु मोदी)

बाजार, जयपुर स्थित बृजनिधिजी का मंदिर विदेशी संस्था "इस्कान" को दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर और किन शर्तों के अधीन ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विदेशी संस्था को मंदिर दिये जाने के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग एवं पुलिस विभाग ने आपत्ति की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में पुनर्विचार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) मंदिर श्री बृजनिधि जी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर को इन्टरनेशनल सोसाइटी फार कृष्णा कोन्शियसनेस (इस्कोन) को सुपुर्दगी पर दिये जाने के प्रस्ताव पर परीक्षण किया जा रहा है। प्रस्ताव के परीक्षण के संदर्भ में पुलिस विभाग से विदेशी संस्था (इस्कोन) की गतिविधियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गयी थी। प्रकरण अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समिति उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) द्वारा करवाये गये कार्य

470. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं जिले की उदयपुर वाटी पंचायत समिति क्षेत्र में जनवरी, 1995 से मई, 1996 की अवधि में गड्ढे खोदने, पौधे लगाने, पारा लगाने, पानी देने आदि, का कितना-कितना कार्य विभागीय दैनिक मजदूरी के आधार तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से करवाया गया ?

(2) इस क्षेत्र में कहां-कहां गांव वालों की संस्थाएं बनी हुई हैं ? उनके गठन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा इसमें पंचायत राज संस्थाओं व जन प्रतिनिधियों का क्या सहयोग लिया गया ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में जनवरी, 1995 से मई, 1996 तक की अवधि में खड्डे खोदने, पौधे लगाने, पारा लगाने एवं पानी पिलाने के कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(2) उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में गठित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" के अनुसार है। समितियों का गठन राज्यादेश क्रमांक एफ. 7 (23) वन/90 दिनांक 26.4.91 के अनुसार प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर किया जाता है। वन विभाग का क्षेत्रीय वन अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत के सहयोग से समिति के सदस्यों की सूची तैयार करता है। समिति उसके क्षेत्र में पड़ने वाले वन क्षेत्रों, वृक्षारोपण क्षेत्रों में वनों की सुरक्षा में विभाग के साथ

(वन मंत्री)

सहयोग करती है क्या इन क्षेत्रों के प्रबन्धन में विभाग की दिशा निर्धारित करने का सहयोग प्रदान करती है। इन क्षेत्रों से होने वाली वन उपज में समिति सहभागी भी होती है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 11 देखें।)

केवलादेव (भरतपुर) के राष्ट्रीय उद्यान का अग्निकाण्ड प्रकरण

471. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि घना केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में इस वर्ष आग लग गई थी ? यदि हां, तो यह आग कितने क्षेत्र में लगी और उससे कितना नुकसान हुआ ?

(2) क्या गत वर्षों में भी इस उद्यान में आग लगी थी ? यदि हां, तो कब-कब और क्या आग लगाने के कारणों की जांच की गई है ?

(3) भविष्य में आग से नुकसान न हो इसका क्या प्रबन्ध किया गया ?

(4) क्या इस प्रकार की दुर्घटना से पर्यटकों के आने पर कोई असर पड़ा है ?

(5) पर्यटकों को घना उद्यान देखने हेतु क्या सुविधाएं इस पार्क में उपलब्ध हैं ? क्या इन सुविधाओं पर आग लगने से कोई असर हुआ है ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस वर्ष 31 मई को केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के एक हैक्टेयर क्षेत्र में आग लग गयी थी। इस आग से घास, छोटी झाड़ियां एवं सूखी लकड़ियां जली है, बड़े पेड़ का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(2) गत 5 वर्षों में भी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में लगी आग का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	आग लगने की दिनांक
1991-92	30.4.91
1992-93	20.4.92
1993-94	22.6.93
1994-95	आग नहीं लगी
1995-96	14.5.95, 3.6.95

(3) आग के कारणों की जांच में यह पाया गया कि उद्यान में आने वाले पर्यटकों एवं परमिट द्वारा घास लेने आने वाले ग्रामवासियों द्वारा अज्ञानवश धूम्रपान करने के कारण उक्त आग लगी थी।

(4) भविष्य में आग से नुकसान न हो इसके लिये उद्यान में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, धूम्रपान न करने की सख्त हिदायत दी गयी है, फायर वाच मैन तथा विशेष गश्ती दल का गठन किया गया है। पानी का टैंकर भर कर रखा जाता है तथा वायरलैस के द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र में सजगता से सम्पर्क बनाया जा सकता है। इन घटनाओं से पर्यटकों के आने पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा है।

Page No.45

(वन मंत्री)

(5) पर्यटकों के घना उद्यान देखने हेतु साइकिल, रिक्शा, तांगा इलेक्ट्रावेन एवं नावों की सुविधा उपलब्ध है। इन सुविधाओं पर आग लगने से कुछ भी असर नहीं हुआ है।

पंचायत समिति पिपलखूंट (बांसवाड़ा) की हितग्राही योजना

472. **श्री फूलचन्द (सलूम्बर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की पिपलखूंट, पंचायत समिति के हुडा बावजी कूप नं. 1, हितग्राही योजना के तहत चलाया गया है ? यदि हां, तो इस योजना के मानदण्ड एवं उद्देश्य क्या थे ?

(2) इस योजना का प्रारंभ काल कब तक का था और समाप्त किस स्थिति में किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना से लाभान्वित व्यक्ति कौन-कौन हुए और आज तक की स्थिति क्या है ?

(4) क्या लाभार्थी एवं विभाग के बीच कोई अनुबन्ध, शर्त या साझा कार्यक्रम निर्धारित था ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी, हां। हितग्राही योजना का उद्देश्य आदिवासियों को वन संरक्षण में रुचि बढ़ाना एवं उन्हें वृक्षारोपण द्वारा स्थाई रोजगार उपलब्ध कराना था। इस योजना के मानदण्डानुसार स्थानीय भूमिहीन, लघु एवं सीमांतकृषक, वन श्रमिक, आई.आर.डी.पी. चयनित कम से कम तीन -चार आदिवासी परिवारों को वृक्षारोपण हेतु एक ग्रुप में ऐसी भूमि आबंटित की जानी थी जिससे पहले से ही बाड़बन्दी हुई हो तथा वहां पर पानी उपलब्ध हो ताकि रोपित पौधों एवं स्थापित की जाने वाली पौधशाला में सिंचाई की जा सके।

(2) इस योजना की अवधि पीपलखूंट पंचायत समिति के हुडा बावजी कूप नं. 1 में वर्ष 1988-89 से 92-93 तक थी। योजना के अन्तर्गत संविदा की हितग्राही परिवारों द्वारा पालना नहीं करने से कार्य बन्द कर दिया गया।

(3) पीपलखूंट पंचायत समिति के अन्तर्गत हुडा बावजी कूप नं. (1) में हितग्राही योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(4) योजना के अन्तर्गत संविदा की हितग्राही परिवारों द्वारा पालना नहीं करने एवं कार्य संतोषप्रद नहीं होने से 17.4.93 से कार्य बन्द कर दिया गया है। जी, हां। योजना की संविदा का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार संलग्न है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 12 देखें।)

पंचायत समिति रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के कृषि पर्यवेक्षकों/ग्राम सेवकों का कार्य क्षेत्र

473. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर की पंचायत समिति रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ में कहां-कहां पर कृषि पर्यवेक्षकों/ग्रामसेवकों के पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पदों पर कहां-कहां इनका पदस्थापन किया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कृषि पर्यवेक्षकों/ग्राम सेवकों के कार्य क्षेत्र एवं कार्य क्या हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर की पंचायत समिति रामगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ में क्रमशः 24/24 कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों पर कृषि पर्यवेक्षक कार्यरत हैं। पद स्थापन की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं। कृषि विभाग में ग्राम सेवकों का कोई पद सृजित नहीं हैं।

(2) कृषि पर्यवेक्षक के कार्य व दायित्व परिशिष्ट - 2 पर संलग्न है। कृषि पर्यवेक्षकों को आबंटित कार्य क्षेत्र परिशिष्ट - 3 पर है। कृषि विभाग में ग्रामसेवकों का कोई पद सृजित नहीं है।

(परिशिष्ट सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों पर व्यय

474. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 से मई 1996 तक राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किन-किन जिलों में कितनी-कितनी किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया गया ?

(2) उक्त निर्माण कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 से मई, 96 तक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कुल 1054 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण कराया गया। इन सड़कों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट - "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त सड़कों पर 7079.38 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 13 देखें)

कृषि उपज मण्डियों की आय निर्माण कार्य

475. श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मंगलसिंह डांगावास)

(1) कृषि विपणन बोर्ड में कृषि उपज मण्डियों की आय से गत पांच वर्षों में 10% /या अन्य दर से कितनी राशि जमा हुई ? पूर्व में इस मद में कितनी राशि जमा थी ?

(2) इस राशि में से कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन विभाग या कृषि विभाग के भवन बनाने में कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) इस राशि में से उक्त भवनों में वातानुकूल यन्त्र, कूलर, हीटर इत्यादि लगाने में कितनी राशि व्यय की गई और उसका क्या औचित्य था ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में गत 5 वर्षों में मण्डी अंशदान से 3750.49 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई, इससे पूर्व इस मद में 2,685.53 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(2) कृषि विपणन बोर्ड के मुख्यालय एवं खण्डीय कार्यालयों के भवन निर्माण पर वर्ष 1995-96 तक 316.70 लाख रुपये व्यय किया गया है।

(3) उक्त भवनों हेतु वातानुकूल यंत्र, कूलर, हीटर आदि पर 4.03 लाख रु. का व्यय हुआ है। स्थानीय जलवायु एवं कम्प्यूटर कक्ष की आवश्यकता को देखते हुए कूलर, हीटर वातानुकूल यंत्र आदि क्रय किये गये।

श्रीगंगानगर के मण्डी यार्ड में दुकानों का आवंटन

476. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) श्रीगंगानगर के नये मण्डी यार्ड में कृषि उपजों का व्यापार करने वाले व्यापारी वर्ग यथा: दलाल फुटकर व्यापारी व प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए कितनी दुकानें बनवाई गई, कितनी दुकाने बनवाना प्रस्तावित हैं एवं कितनी दुकानें निर्माणाधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रीगंगानगर के नये मण्डी यार्ड में विभिन्न मण्डी कार्यकर्ताओं यथा, व्यापारी, आढ़तिया, दलाल, फुटकर व्यापारी, मिल व प्रोसेसिंग यूनिट्स से दुकान आबंटन के लिए कितने प्रार्थना-पत्र मई, 1996 तक प्राप्त हुये और उनमें से श्रेणीवार कितने मण्डी कार्यकर्ताओं को दुकानों का आबंटन किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि व्यापार करने वाले प्रार्थियों की मांग व उपलब्ध दुकानों में अंतर है ? यदि हां, तो सरकार मण्डी में कारोबार करने वाले व्यापारियों को दुकानों की किस प्रकार पूर्ति करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार ने नए मण्डी यार्ड में दुकानों के आबंटन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, कृषकों को

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कोई आरक्षण निर्धारित किया है ? यदि हां, तो आरक्षण व्यवस्था संबंधी आदेश/नियम सदन की मेज पर रखें। मंडी समिति, श्रीगंगानगर द्वारा आरक्षण के तहत किये गये दुकान आबंटन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि नये मण्डी यार्ड, श्रीगंगानगर में दुकानों की भारी कीमत होने के कारण व्यापारी अण्डर हैड सौदा कर दुकानों का क्रय-विक्रय कर रहे हैं जबकि दुकानें मण्डी समिति की सम्पत्ति है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में नियंत्रण स्वरूप क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर के अनुज्ञापत्रधारी "क" वर्ग दलाल, व्यापारियों के लिये 260 बड़ी दुकानें बनाई गई। 40 सण्डरीशाप्स का भी निर्माण कराया गया। अब कोई भी नई दुकानें प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन नहीं है। क्योंकि अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार भूखण्ड आबंटन किये जाते हैं।

(2) श्रीगंगानगर मण्डी प्रांगण में विभिन्न मण्डी कार्यकर्ताओं से दुकान आबंटन के लिये कुल 1103 आवेदन पत्र प्राप्त हुये। श्रेणीवार दुकानों के आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है :—

"क" वर्ग दलाल अनुज्ञापत्रधारी	70
व्यापारी अनुज्ञापत्रधारी	85
संयुक्त अनुज्ञापत्रधारी	79
कृषक वर्ग	4
कोटन काम्पलेक्स	2
भारतीय रूई निगम	1
रिक्त दुकानें :	241
(27 बड़ी + 32 छोटी)	59
कुल	300

(3) जी हां। इस अन्तर की पूर्ति के लिये मण्डी समिति द्वारा 100 भूखण्ड आबंटन हेतु चिन्हित किये जा चुके हैं। साथ ही निर्मित दुकानों के ऊपर कार्यालय/दुकान निर्माण के लिये स्थान आबंटन की योजना प्रस्तावित है।

(4) वर्तमान में मण्डी प्रांगण में सण्डरीशाप्स में कृषकों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आदेश की प्रति परिशिष्ट - "अ" पर संलग्न है। दिनांक 7.10.95 से पूर्व कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 20.2.95 को तत्समय कृषकों हेतु प्रभावी आरक्षण के तहत निम्न 4 को दुकानों का आबंटन किया गया है (1) मैसर्स जमीदारां ट्रेडिंग कम्पनी (2) मैसर्स किसान ट्रेडिंग कम्पनी (3) मैसर्स राम प्रताप रामकरण (4) मैसर्स किसान कृषि उपज क्रय विक्रय केन्द्र।

(5) जी हां। ऐसे चार प्रकरण मण्डी समिति के ध्यान में आने पर उनका आबंटन

(राज्य मंत्री, कृषि)

निरस्त कर दिया गया है। ऐसे अन्य मामलों की जानकारी हेतु एक समिति का गठन कर सर्वे कराया जा रहा है। यदि अनधिकृत क्रय-विक्रय अथवा सबलेटिंग के प्रकरण सामने आते हैं तो दोषी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिये परिशिष्ट 14 देखें)

जिला नागौर का साक्षरता कार्यक्रम

477. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा अब तक उक्त कार्यक्रम पर क्या-क्या कार्य सम्पन्न हुये हैं तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की गई ?

(2) इस कार्य हेतु जिला स्तर पर किस-किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा किस-किस अधिकारी को क्या-क्या कार्य सौंपा गया ?

(3) कितनी अवधि में कब तक सम्पूर्ण जिले को साक्षर करना प्रस्तावित हैं? क्या इसके लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

(4) इस सम्बन्ध में भारत सरकार व राज्य सरकार ने क्या-क्या आदेश व निर्देश कब -कब जारी किये ? आदेशों / निर्देशों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि नागौर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। जिला साक्षरता समिति का गठन दिनांक 25.10.94 को सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन क्रमांक 66/नागौर 94-95 दि. 7.10.94 के द्वारा हुआ था।

नागौर जिले की सम्पूर्ण साक्षरता परियोजना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, दिल्ली द्वारा दिनांक 21.9.95 को स्वीकृत हुई।

अब तक सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर निम्न प्रकार राशि का व्यय हुआ।

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	मद	स्वीकृत राशि परियोजना वार (लाखों में)	30 जून 1996 तक व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	सर्वेक्षण	7.00	0.63
2.	वातावरण निर्माण	62.13	3.32
3.	प्रशिक्षण	185.71	1.40
4.	पठन पाठन सामग्री	220.44	4.64
5.	प्रशासनिक व्यय	40.18	0.60
6.	फुटकर व्यय	27.95	0.72
7.	मूल्यांकन	10.50	शून्य
8.	परिवीक्षण एवं प्रबोधन	35.00	शून्य
		588.91	11.31

(2) नागौर जिले में साक्षरता अभियान के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है संचालन हेतु किसी भी अधिकारी की स्वतंत्र नियुक्त नहीं की गई है किन्तु कार्यक्रम के संचालन पर्यवेक्षण हेतु शिक्षा विभाग के परिपत्र सं. 6

(3) शिक्षा-1/92 दि. 23.9.94 की अनुपालना में सैकोण्डमेन्ट के आधार पर निम्न अधिकारियों की सेवायें साक्षरता अभियान को गति प्रदान करने हेतु ली गई है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम मय कार्यरत स्थान	कार्यग्रहण तिथि	पदकार्य	कार्यमुक्ति तिथि	वि.वि.
1.	श्री आनंद प्रकाश व्यास व्याख्याता, राउमावि. नागौर	-	समन्वयक वातावरण निर्माण एवं समस्त प्रकोष्ठ कार्य	22.8.95	-
2.	श्री पुरखाराम मिर्धा प्राचार्य, राउमावि, कुचेरा	1.3.95	सचिव, प्रशासनिक कार्य	12.9.95	

Page No.51

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3	4	5	6
3.	श्री जी.डी. कल्ला मुख्य आयोजना अधिकारी नागौर	12.9.95	सचिव प्रशासनिक कार्य	20.12.95	–
4.	श्री एस.पी. गौतम जि. प्रौढ़ शि.अ. नागौर	20.12.95	प्रशासनिक कार्य	कार्यरत	—
5.	श्री आनन्द प्रकाश शर्मा प्राचार्य राउमावि, मिठड़ी , लाडनूं	13.12.95	समन्वयक वातावरण निर्माण	कार्यरत	—
6.	श्री ओमप्रकाश कुलदीप प्राचार्य, राउमावि. कुचामन सिटी, नागौर	16.5.96	समन्वयक महिला जागृति	कार्यरत	—

(3) 1. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नई दिल्ली द्वारा 14 माह की अवधि के लिए स्वीकृत हुआ है जैसा कि परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित था।

2. नागौर जिले में साक्षरता अभियानान्तर्गत शिक्षण कार्य का शुभारंभ 20 जुलाई 96 से किया जाना प्रस्तावित है।

3. शिक्षण सामग्री जुलाई 96 के द्वितीय सप्ताह में 461 ग्राम पंचायतों मुख्यालयों को पहुंचाई जा रही है।

4. शिक्षण अवधि में शिक्षार्थियों को नागौर जिले हेतु निर्मित "आखर चानणो" की कुल तीन पुस्तकें क्रमशः पहली पोथी, दूसरी पौथी व तीसरी पोथी पूर्ण कराई जाएगी जिन पर क्रमशः ढाई माह, दो माह व डेढ़ माह का समय लगने का सम्भावना है।

(4) इस संबंध में भारत सरकार व राज्य सरकार ने निम्न आदेश व परिपत्र प्रस्तारित किये हैं (प्रतियां संलग्न)

1. पं.6(3) शिक्षा -1/93, जयपुर दिनांक 16 मई 1995 (भारत सरकार स्वीकृति)

2. एफ.1-11/95 मई 7 दिनांक 5 अक्टूबर 95 (भारत सरकार बजट)

3. प 6(3) शिक्षा -1/92 जयपुर दिनांक 23.9.94 (राज्य सरकार सैकोण्डमेन्ट संबंधी परिपत्र)

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

Page No.52

जिला बीकानेर के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक

478. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामनगर, उच्च प्राथमिक विद्यालय बख्तपुरा, दंतोर, डेली तलाई में कुल कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कौन-कौन अध्यापक कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामनगर, उच्च प्राथमिक विद्यालय बख्तपुरा, दंतोर, डेली तलाई में अध्यापकों के स्वीकृत पद निम्नानुसार है। कार्यरत अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

	स्वीकृत पदों की संख्या				
	II ग्रेड	III ग्रेड	पुस्तकालयाध्यक्ष	शा. शि.	कुल
रा.मा.वि. रामनगर	5	1	1	1	8
उप्रावि बख्तपुरा	1	7	-	-	8
उप्रावि.दंतोर	1	2	-	-	3
उप्रावि. जोधासर (डेली तलाई)	1	2	-	-	3

(सूची के लिये परिशिष्ट 15 देखें)

सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा (जयपुर) के खिलाफ प्राप्त शिकायतें

479. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री बालूराम नागर, सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर के खिलाफ अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें वर्ष 1990 से विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो अब तक प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री नागर के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई है ? यदि हां, तो अब तक जांच पूर्ण नहीं होने के कारणों की विवरण सदन की मेज पर रखें अब कब तक सरकार उक्त जांच पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

(3) श्री नागर जिन मामलों में दोषी पाये गये क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि श्री बालूराम नागर, सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा के खिलाफ शिकायतें 1990 से विचाराधीन है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार श्री नागर के विरुद्ध प्रथम शिकायत जुलाई 1992, द्वितीय शिकायत जनवरी, 1993, तृतीय शिकायत फरवरी, 1995 एवं चतुर्थ शिकायत मार्च 1995 में प्राप्त हुई थी। इन चारों शिकायतों

Page No.53

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

की प्रतियां परिशिष्ट - 1 अ,ब,स तथा द सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक जांच करवा ली गयी है। प्राथमिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

(3) प्राथमिक जांच प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

480. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्राम फाजिलाबाद की जनसंख्या 1991 के अनुसार कितनी है तथा किस आधार पर इस गांव के विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया ?

(2) ग्राम फाजिलाबाद के विद्यालय (उच्च प्राथमिक) के समान मानदंड रखने वाले क्षेत्र के अन्य विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण है ? ऐसे विद्यालयों को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के गांव फाजिलाबाद की 1991 के जनगणनानुसार जनसंख्या 579 है। क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकता तथा प्रशासनिक आधार गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किया गया है।

(2) विद्यालयों की क्रमोन्नति के समय केवल जनसंख्या को आधार नहीं रखा जाता है। जनसंख्या निर्धारित मापदंड का एक अंग है, इसके अतिरिक्त विद्यालय के अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या तथा कुल विद्यालय की छात्र संख्या फीडर विद्यालयों की संख्या एवं दूरी, समकक्ष विद्यालय एवं दूरी, क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकता, भौगोलिक परिस्थितियों तथा उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत क्रमोन्नत किया जाता है।

केशव देवी सेठी गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल (लाडनूं) के अध्यापकों के पेंशन प्रकरण

481. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों / अधिकारियों की सेवा निवृत्ति के आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो कब से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लाडनूं स्थित केशव देवी सेठी गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल के अध्यापक/अध्यापिकाओं/ प्रधानाध्यापक के पेंशन प्रकरण आज भी लम्बित है ? यदि हां,

Page No.54

(श्री बाबूलाल)

तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय से दिनांक 30 अप्रेल, 1995 को सेवा निवृत्त हुई प्रधानाध्यापिका के पेंशन एवं ग्रेच्युटी की राशि के भुगतान का आदेश शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक इसका भुगतान कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रेच्यूटी एवं अन्य भुगतान करने हेतु प्रधानाध्यापिका एवं अध्यापकों द्वारा समय-समय पर रजिस्टर्ड ए.डी. से पत्र भेजे गये ? यदि हां, तो कब-कब ? प्राप्त पत्रों की प्रति एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरणों में किसी अधिकारी/ कर्मचारी को दोषी मानती है एवं क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। दो वरिष्ठ अध्यापकों के पेंशन प्रकरण अप्रशिक्षित होने से वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.7.95 द्वारा चयनित वेतनमान की वसूली के क्रम में लौटाये गये। पुनः पूर्ति उपरान्त दिनांक 4.7.96 को पेंशन विभाग अजमेर को प्रेषित कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक का पेंशन प्रकरण विभाग द्वारा पी.पी. ओ. जी. पी. ओ. दिनांक 12.9.95 को जारी कर दिया है तथा अदेय प्रमाण पत्र विभाग द्वारा दिनांक 5.7.96 को जारी हो चुका है।

(3) जी नहीं। पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के भुगतान आदेश पेंशन विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं। उनके द्वारा लगाये गये आक्षेप की पूर्ति दिनांक 5.7.96 को की गई है। प्रधानाध्यापिका से तीन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर भुगतान किया जा सकेगा।

(4) जी हां। प्रधानाध्यापिका से एक रजिस्टर्ड पत्र 3119 दिनांक 17.1.96 को विभाग को प्राप्त हुआ, किसी वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्रधानाध्यापिका का प्रावधान अदेय प्रमाण पत्र दिनांक 5.7.96 को जारी किया जा चुका है।

(5) जी नहीं। वित्तीय नियमों एवं पेंशनों नियमों के अन्तर्गत की कार्यवाही में विलंब हुआ। इसके लिये विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का दोष सिद्ध नहीं है।

(प्रति के लिये परिशिष्ट 16 देखें)

प्रश्न संख्या 482

(स्थगित)

अलवर से प्रकाशित अखबारों पर नियंत्रण

483. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : — क्या जनसम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या समाचार पत्रों में अश्लील फोटो, लेख, कहानी आदि छापने पर किसी प्रकार का सरकार का नियंत्रण है ? यदि हां, तो क्या अलवर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर ऐसे प्रकरणों में गत तीन वर्षों में कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो किन-किन समाचार पत्रों के विरुद्ध, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन दैनिक समाचार पत्रों के वास्तविक परिचालन संख्या और बताई जाने वाली संख्या की जांच की गई है ? इन दैनिक समाचार पत्रों को गत तीन वर्षों में कितना-कितना अखबारी कागज का कोटा व अन्य सुविधाएं व सामग्री सरकार ने उपलब्ध कराई ? प्रत्येक समचार पत्र की अलग-अलग जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 18 मई, 1996 को एक पत्र अलवर जिले के अग्रवाल महिला संघ द्वारा निदेशक एवं जनसम्पर्क अधिकारी को अलवर के कुछ समाचार पत्रों की परिचालन संख्या की जांच के लिए दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अलवर से प्रकाशित "अमरनाद" दैनिक समाचार पत्र के टाइटल के बारे में भी निदेशक को शिकायती पत्र द्वारा जांच करने हेतु निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो क्या जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अलवर के दैनिक "अरूणप्रभा वे विचार टाइम्स" को गत तीन वर्षों में कितने विज्ञापन दिये गये एवं कितना भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त समाचार पत्रों का वार्षिक आय-व्यय का विवरण कितना है तथा क्या वह दिखाये गये पत्र की परिचालन संख्या से मिलता है ? गत तीन वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार का नियंत्रण नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता के तहत शिकायत पर कार्यवाही की जाती है।

(2) परिचालन संख्या की जांच नहीं की गई। अखबारी कागज का कोटा राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। पत्रकारों को विभाग द्वारा अधिस्वीकरण की सुविधा दी गई है। सूची संलग्न है। परिशिष्ट "क"

(3) पत्र प्राप्त हुआ है। जिस पर जांच की जा रही है।

(4) प्रश्न तीन के तहत जो पत्र प्राप्त हुआ है उसी में अमरनाद का नाम अंकित है, जांच कराई जा रही है।

(5) विवरण संलग्न है। परिशिष्ठ "ख"

Page No.56

(जनसम्पर्क राज्य मंत्री)

(6) विभाग द्वारा वार्षिक आय-व्यय विवरण नहीं मांगा जाता है। परिचालन संख्या के लिए सी.ए. का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है जिसकी प्रतियां संलग्न हैं। जो परिशिष्ट "ग" पर है।

(सूची, विवरण, प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर, अजमेर एवं कोटा के उपभोक्ताओं से प्राप्त अमानत राशि

484. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर, कोटा व जयपुर में वर्ष 1995-96 तक विद्युत मण्डल ने विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से अमानत राशि के रूप में कुल कितनी राशि जमा की है ?

(2) क्या मण्डल उक्त जमा राशि पर उपभोक्ताओं को ब्याज की अदायगी भी करता है ? यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं से औसत विद्युत उपभोग के आधार पर अमानत राशि लिये जाने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल के लेखे जिला स्तर पर नहीं रखकर वृत्त स्तर पर रखे जाते हैं। दिनांक 31.3.96 को वृतवार विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से अमानत राशि की जमा राशि की स्थिति इस प्रकार से है :–

वृत	रु. (लाखों में) (अन्तिम आधार पर)
अजमेर वृत	891.67
कोटा वृत	1822.99
जयपुर जिला वृत	710.36
जयपुर शहर वृत	1737.87

(2) जी नहीं। उपभोक्ता द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत मण्डल अपने सभी उपभोक्ताओं से समुचित अमानत राशि वसूल करने के लिये अधिकृत है। उपभोक्ता द्वारा विद्युत खपत करने के करीब दो -ढाई महीने पश्चात् विद्युत मण्डल को इसकी राशि प्राप्त हो पाती है। विद्युत उपलब्ध कराने व राशि प्राप्त करने में करीब 2-2 1/2 माह लगते हैं और यदि मण्डल इस अवधि का ब्याज नहीं लेता है तो उपभोक्ताओं को भी अमानत राशि पर ब्याज मांगने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रकार से तीन माह के उपभोग के बराबर अमानत राशि वसूल करने एवं उस पर ब्याज नहीं देने के प्रावधान को सही माना है। फिर भी उपभोक्ताओं को सुविधा देने की दृष्टि से मण्डल केवल दो माह की विद्युत खपत के बराबर ही अमानत राशि वसूल कर रहा है।

हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु अनुदान

485. **श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार

Page No.57

(श्री कुबेर खान)

द्वारा राज्य सरकार को हरिजन बस्तियों/परिवारों के लिए विद्युतीकरण/रोड लाइट/कुटीर ज्योति जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से 1995 तक उक्त योजनाओं के लिये कितनी-कितनी राशि का प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा रखा गया एवं कितनी-कितनी राशि इन योजनाओं पर व्यय की गई ? सूची वर्षवार, योजनावार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा भी अनुदान प्रदान किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 से 1995 के दौरान राज्य सरकार ने अपनी ओर से कितनी राशि उक्त योजनाओं पर व्यय की ?

(3) इन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए विद्युत मण्डल द्वारा क्या-क्या शर्तें एवं मानदण्ड बनाये हुये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला अलवर में गत पांच वर्षों में कितनी हरिजन बस्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ पहुँचाया गया एवं कितनी बस्तियों को लाभ पहुंचाया जाना शेष है ?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से राजराज्य विद्युत मण्डल को हरिजन बस्तियों/परिवारों के लिए विद्युतीकरण/रोड़ लाईट कनेक्शन हेतु कोई अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन कुटीर ज्योति योजना के लिए केन्द्र सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से राज. राज्य विद्युत मण्डल को अनुदान राशि प्रदान करती है। केन्द्र सरकार जहां प्रति व्यक्ति 400 रु. की राशि उपलब्ध कराती है वहां राज. राज्य विद्युत मण्डल शेष राशि प्रति व्यक्ति 890 रुपये उपलब्ध कराती है।

वर्ष 1990 से 1995 तक कुटीर ज्योति योजना के लिये केन्द्र सरकार द्वारा रखे गये प्रावधान एवं कुल अनुमानित व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र.सं.	वर्ष	अनुदान राशि प्रति कनेक्शन (रुपये)	अनुदान राशि का (प्रावधान रु. लाखों में)	अनुमानित व्यय (लाख रु. में)
1.	1989-90 (3/91 तक)	220	52.10	145.344
2.	1991-92	-	कार्यक्रम नहीं	-
3.	1992-93 एवं 93-94	400	87.28	172.435
4.	1994-95	400	24.88	56.523
5.	1995-96	400	24.88	86.765

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा राज. राज्य विद्युत मण्डल को कोई अनुदान राशि प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के कुटीर ज्योति कलेक्शन के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग कुछ सहायता देती है।

(3) हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का हर वर्ष लक्ष्य योजना के आकार स्वरूप तक किये जाते हैं। हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत करने हेतु जिलेवार लक्ष्य जिले की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किये जाते हैं। विद्युतीकृत ग्रामों में समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिभाषित हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण ऐसी स्वीकृत योजनाओं के तहत इस कार्य हेतु भौतिक एवं वित्तीय प्रावधानों की सीमा तक किया जाता है। विद्युतीकृत ग्राम की हरिजन बस्ती में रोड लाइट कनेक्शन हेतु ग्राम सरपंच को केवल प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ देना पड़ता है कि ग्राम पंचायत बिजली के बिलों के भुगतान नियमित तौर पर करती रहेगी।

कुटीर ज्योति योजना के तहत विद्युतीकृत ग्रामों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की एक बल्ब प्रकाश बिन्दु मय आन्तरिक वायरिंग घरेलू कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना के लक्ष्य केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किये जाते हैं एवं इनका जिलेवार आबंटन राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा किया जाता है। जिलों के लक्ष्य का पंचायत समितिवार आबंटन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा किया जाता है। राज. राज्य विद्युत मण्डल जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चिन्हित गरीब परिवारों की जिनको सर्विस लाइन द्वारा कनेक्शन दिया जा सकता है, कनेक्शन देने का कार्य करता है। चिन्हित परिवारों को केवल 136 रुपये आवेदन शुल्क अमानत राशि एवं स्टाम्प पेपर कीमत आवेदन पत्र के साथ जमा कराने पड़ते हैं और विद्युत संबंध के बाद बिजली खर्च वहन करना पड़ता है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के चिन्हित गरीब परिवारों के लिये उपरोक्त राशि का भुगतान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किये जाने की सहमति हुई है।

(4) गत पाचं वर्षों में जिला अलवर में क्रमशः 35,25,22,22 एवं 29 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकृत किया गया। समाज कल्याण द्वारा परिभाषित अविद्युतीकृत हरिजन बस्तियों की सूची विद्युत मण्डल के पास उपलब्ध नहीं है। अतः यह बता पाना संभव नहीं है कि कितनी बस्तियां विद्युतीकृत हेतु शेष हैं।

विधान सभा क्षेत्र मकराना के क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर्स

486. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र मकराना में 1994 से आज तक कुल कितने ट्रांसफार्मर्स कितने-कितने पावर के जल गये हैं ? इस सम्बन्ध में जानकारी निम्न प्रारूप में सदन की मेज पर रखें : -

(श्री रूपाराम)

1. ट्रांसफार्मर्स जलने की दिनांक।

2. कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सूचना भेजने की दिनांक।

3. सहायक अभियन्ता द्वारा सूचना भेजने की दिनांक।

4. अधिशासी अभियन्ता द्वारा सूचना भेजने की दिनांक।

5. अधिशासी अभियन्ता कार्यालय मकराना में सूचना पहुंचाने की दिनांक।

6. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय नागौर में सूचना पहुंचाने की दिनांक।

7. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय नागौर से ट्रांसफार्मर्स रवाना करने की दिनांक।

8. अधिशासी अभियन्ता कार्यालय मकराना में ट्रांसफार्मर्स पहुंचने की दिनांक।

9. सहायक अभियन्ता कार्यालय कुचामन सिटी में ट्रांसफार्मर्स पहुँचने की दिनांक।

10. मौके पर ट्रासफार्मर्स लगने की वास्तविक दिनांक।

उत्तर

मकराना विधान सभा क्षेत्र के सहायक अभियन्ता (पवस) राराविमं में वर्ष 1994 से जून, 1996 तक विभिन्न क्षमता के कुल 145 ट्रांसफार्मर जले। जिनका क्षमतावार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	ट्रांसफार्मर की क्षमता	जलने की संख्या
1.	100 केवीए	32
2.	63 केवीए	57
3.	40 केवीए	4
4.	25 केवीए	51
5.	16 केवीए	1
	योग	145

अधीक्षण अभियन्ता, नागौर द्वारा ट्रांसफार्मर जलने के बाद शीघ्र बदलने हेतु वृत स्तर पर सभी क्षेत्रों के सहायक अभियंताओं से प्राप्त सूचनानुसार जलने की तिथि से ट्रांसफार्मर वृत स्तर पर उपलब्ध करवाकर बदलने की कार्यवाही की जाती है, जिसका आकलन वृत स्तर पर बिन्दु संख्या 1,2,3,6,7,9 एवं 10 में किया जाता है। जो कि परिशिष्ट "अ" में संलग्न हैं।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सहायक विद्युत निरीक्षक बहरोड द्वारा निरीक्षण

487. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालय जो कि पिछले 25 वर्षों से भरतपुर में कार्यरत था, को किन कारणों से भरतपुर से बहरोड स्थानान्तरित किया गया ?

(2) क्या अन्य जिलों में भी सहायक विद्युत निरीक्षक के कार्यालय को स्थानान्तरित किया गया एवं बाद में पुनः उसी स्थान पर स्थानान्तरित किया गया ? क्या भरतपुर में भी पुनः इस कार्यालय को स्थापित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त कार्यालय के बहरोड में स्थानान्तरण होने के बाद सहायक विद्युत निरीक्षक ने अब तक कितनी बार इस कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में निरीक्षण किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.12.1994 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा विद्युत संस्थापनों के सामयिक निरीक्षण के नये मापदण्ड निर्धारित किये जाने के कारण भरतपुर में सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालय को स्थापित करने से अनावश्यक राज्य सरकार पर वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए सहायक विद्युत निरीक्षक, भरतपुर कार्यालय को बहरोड में स्थानान्तरित किया गया। जहां पर गत पांच वर्षों में तेजी से औद्योगिक विकास होने के कारण सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालय की प्रशासनिक स्तर पर उपयोगिता महसूस की गयी। भरतपुर में उक्त अधिसूचना के अनुरूप निरीक्षण सहायक का कार्यालय रखा गया है।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 22 (19) ऊर्जा/94 दिनांक 23.9.95 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा कार्यालय सहायक विद्युत निरीक्षक, चौमूं/सीकर को भी क्रमशः सिरोही एवं राजसमंद स्थानान्तरित किया गया है। पुनः किसी भी कार्यायल को पूर्व स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया गया है। बहरोड से सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालय को पुनः भरतपुर स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है।

(3) सहायक विद्युत निरीक्षक बहरोड के अधीन आने वाले कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक स्तर पर स्थानीय विद्युत उपभोक्ताओं के सामयिक निरीक्षण सम्पादित करवाने के निर्देश दिये गये जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। भरतपुर क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं का निरीक्षण कार्य राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 31.12.94 के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। भरतपुर क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण वहां के उपभोक्ताओं की मांग एवं सुविधा के अनुसार सहायक विद्युत निरीक्षक सांगानेर के अधीन है तथा तात्कालिक समस्याओं के निराकरण हेतु भरतपुर में निरीक्षण सहायक का कार्यालय स्थापित है।

(आदेशों की प्रति के लिये परिशिष्ट 17 देखें)

जिला भीलवाड़ा में दुग्ध विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु गठित इकाइयां

488. **श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)** : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम को अधिक व्यवस्थित, सुचारू और जनोपयोगी बनाने हेतु ग्राम, तहसील, जिला, प्रदेश स्तर पर अनेक सहकारी दुग्ध इकाइयां गठित की गई हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में कितना दूध, घी आदि प्रतिदिन उपलब्ध होता है ? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भीलवाड़ा जिले में दुग्ध संयंत्र लगा हुआ है ? यदि हां, तो उस की कुल कितनी क्षमता है और जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से उसका संबंध कैसा है ? संयंत्र के लाभ हानि का विगत 5 वर्षों का लेखा-जोखा सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(3) क्या उक्त जिला दुग्ध संघ के कार्य क्षेत्र में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं ? यदि हां, तो तहसीलवार नाम, दैनिक आपूर्ति किए जाने वाले दुग्ध की मात्रा, दुग्ध के रास्ते तथा समिति अध्यक्षों के नाम आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के वर्तमान में कौन-कौन पदाधिकारी कार्यरत हैं तथा उसके नियमित चुनाव कब तक कराने का सरकार का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला स्तर पर विभिन्न संघों द्वारा किये जा रहे दुग्ध संकलन एवं घी उत्पादन का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। दुग्ध संयत्र की कुल क्षमता का एक लाख लीटर प्रतिदिन है।

दुग्ध संयंत्र, भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की सम्पत्ति है।

दुग्ध संयंत्र का विलीनीकरण संघ में दिनांक, 01.01.90 को हो चुका है, अतः दुग्ध संयंत्र की जगह संघ का पिछले पांच वर्ष का लाभ-हानि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

अंकेक्षण वर्ष	शुद्ध लाभ (लाख रुपये में)
1991-92	4.12
1992-93	0.68
1993-94	10.78
1994-95	27.70
1995-96	50.00
अंकेक्षण चल रहा है।	अनुमानित

(3) जी हां। ब्यौरा परिशिष्ट-"ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में प्रशासक नियुक्त है।

निर्वाचन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उरमूल डेयरी द्वारा दूध खरीद

489. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

उरमूल डेयरी की इकाइयों ने माह मार्च 1996 में प्रत्येक दुग्ध समिति व केन्द्र से कितना फैट व एस. एन. एफ. का दूध खरीदा है व डेयरी प्लान्ट में कितनी फैट व एस.एन.एफ. का दूध प्राप्त हुआ व डेयरी प्लांट से बाहर कितनी फैट व एस.एन.एफ. का दूध भेजा गया? दिल्ली से कितना फैट व एस.एन.एफ. का दूध उरमूल को प्राप्त हुआ ?

उत्तर

उरमूल डेयरी की समस्त इकाइयों द्वारा माह मार्च, 1996 में दुग्ध समितियों व केन्द्रों से 4425.15 मै. टन दूध खरीदा गया जिसमें 202.34 मै. टन फैट व 359.04 मै. टन एस.एन. एफ. थी।

उरमूल डेयरी प्लाण्ट द्वारा 4434.67 मै. टन दूध प्राप्त किया गया जिसमें 202.65 मै. टन फैट व 362.67 मै. टन एस.एन.एफ. थी।

Page No.62

(दुग्ध विकास राज्य मंत्री)

डेयरी प्लान्ट द्वारा दिल्ली को 3714.35 मै. टन दूध भेजा गया जिसमें 128.28 मै. टन फैट व 355.56 मै. टन की एस.एन.एफ. थी जबकि दिल्ली से दूध उरमूल को प्राप्त नहीं होता।

मर्केन्टाइल व यूनियन को-आपरेटिव बैंकों में जमा राशियों के भुगतान प्रकरण

490. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक व यूनियन को-आपरेटिव बैंक वर्षों पूर्व बन्द कर दिये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार सहकारी बैंकों को चलाने के नाम पर कोई सहायता करती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैंकों में जनता की धन राशियां जमा थीं, जिन्हें आंशिक रूप से ही लौटाया गया है और वर्षों बाद भी उनकी जमा धन राशियां पूर्णरूप से नहीं लौटायी गई हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उनकी धन राशियां लौटाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है? यदि हां, तो किन-किन को, और कब तक, कितना-कितना मूलधन व ब्याज लौटा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक दिनांक 9.3.76 से एवं यूनियन को-आपरेटिव बैंक लि. जयपुर दिनांक 8.10.76 से अवसायन में चल रहे हैं।

(2) प्रश्न अस्पष्ट है। कौन से सहकारी बैंक एवं किस प्रकार की सहायता से तात्पर्य है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

(3) प्रश्न अस्पष्ट है। "उन" बैंकों से क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट नहीं है।

(4) खण्ड संख्या 3 के अनुसार उत्तर देना संभव नहीं है।

संयुक्त रजिस्ट्रार पद पर पदोन्नति प्रकरण

491. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1988 से 1995 तक उप रजिस्ट्रार पद के कितने अधिकारियों की संयुक्त रजिस्ट्रार के पद पर योग्यता के आधार पर पदोन्नति की गई ? वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने अधिकारियों को योग्यता के आधार पर सुपरसीड किया गया ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने अधिकारियों के नाम भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में विशेष चयन हेतु कार्मिक विभाग को प्रस्तावित किये गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1996-97 के लिये कितने

(श्री भीमराव भाटी)

अधिकारियों के नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष चयन हेतु प्रस्तावित किये गये हैं ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। किन किन वर्षों की सूचना प्रस्तुत की जानी है, अंकित नहीं किया गया है। अतः उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

(4) वर्ष 1996-97 के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष चयन हेतु सहकारिता विभाग द्वारा तीन अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किये गये हैं।

(सूचना के लिये परिशिष्ट 18 देखें)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति इटावा (कोटा) का अंकेक्षण प्रतिवेदन

492. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति, इटावा, कोटा की गत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितता व गबन के आरोप सामने आये थे ?

(2) यदि हां, तो उक्त संस्था पर लगे अनियमितता, गबन के ऑडिट आक्षेपों पर अब तक सक्षम अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ईटावा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. की वर्ष 80-81 से ऑडिट रिपोर्ट्स में अनियमितता व गबन के मामलों में सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। कुल 21 मामले 3,59,934.56 रुपये के लिए पंजीकृत किए गए थे। पंजीकृत प्रकरणों के निष्पादन पर 34,940.55 रुपये की मूल राशि के लिए दोषियों के विरुद्ध डिक्री जारी की गई। डिक्री की मूल राशि के विरुद्ध 32,280.55 रुपये की वसूली हो चुकी है। एक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई जा चुकी है तथा उसकी वूसली के लिए कुर्की वारन्ट जारी किया जा चुका है।

अधिकारियों/ कर्मचारियों का पद स्थापन

493. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि अधिकारियों/ कर्मचारियों को गृह जिले में पदस्थापित किये जाने पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो कब से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रतिबन्ध के रहते हुए

Page No.64

(श्री रामनारायण मीणा)

कतिपय अधिकारी एवं कर्मचारी गृह जिलों में पदस्थापित हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहकारिता विभाग की पदस्थापन/स्थानान्तरण नीति दिनांक 28.6.95 के अनुसार राजस्थान सहकारी सेवा एवं राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों/ कर्मचारियों को सामान्यत अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। (प्रति संलग्न है)

(2) उक्त नीति के अनुसार गृह जिले में पदस्थापन किये जाने पर कोई स्पष्ट प्रतिबन्ध नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या 1 व 2 के आधार पर इस संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रति के लिये परिशिष्ट 19 देखें)

नवजीवन को-आपरेटिव सोसाइटी जयपुर का विद्युत नगर शॉपिंग सेन्टर प्रकरण

494. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि नवजीवन को-आपरेटिव सोसायटी, सहकारी विभाग से पंजीकृत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सोसायटी ने विद्युत नगर में एक शॉपिंग सेन्टर बनाया था और प्रत्येक दुकान की जमीन 50 गज थी, और उसके पट्टे भी दिये गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दुकानों को जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराकर उनका साइज 1/3 कर दुबारा पट्टे दे दिये और 2/3 जमीनों की कीमत भी सोसायटी ने उपभोक्ताओं को नहीं लौटाई है ?

(4) क्या यह सही है कि उन दुकानों की जमीन पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने पार्क बना दिया और उपभोक्ता उन दुकानों से महरूम रह गये ?

(5) क्या सरकार उन उपभोक्ताओं की उक्त समस्या के निपटारे संबंधी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं क्या ?

उत्तर

(1) सहकारी विभाग से नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर नाम से संस्था पंजीकृत है।

(2) समिति के अनुसार समिति ने विद्युत नगर "बी" योजना विकसित की थी जिसके 50 वर्गगज की दुकानें भी सृजित की थी एवं उनके आबंटन पत्र (पट्टे) भी दुकानधारी सदस्यों को दिये थे।

(सहकारिता मंत्री)

(3) यह सूचना नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से चाही गई है जो प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(4) यह सूचना नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से चाही गई है जो प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(5) यह सूचना नगरीय विकास एवं आवास विभाग से चाही गई है। जो प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जायेगी।

ग्राम सेवा सहकारी समिति रोझा, खोखराना एवं खिर्चेरा

495. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रोझा, खोखराना एवं खिर्चेरा के लिये एक ही ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यरत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र व बारानी क्षेत्र आते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि समिति का मुख्य कार्य क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों तक ही सीमित है तथा बारानी क्षेत्र के काश्तकारों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त सहकारी समिति को दो समितियों क्रमशः ग्राम पंचायत रोझा एवं ग्राम पंचायत खोखराना व खिर्चेरा में विभाजित करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । रोझा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड कार्यरत है ।

(2) जी हां । रोझा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्षेत्र में सिंचित व बारानी क्षेत्र आते हैं ।

(3) जी हां । समिति के सिंचित एवं बारानी दोनों प्रकार के क्षेत्र के काश्तकार सदस्यों की ऋण पूर्ति की जाती है ।

(4) जी नहीं ।

जिला उदयपुर की बाल विकास परियोजनाएं

496. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में कुल कितनी बाल विकास परियोजनाएं कहां-कहां संचालित हैं ? इन परियोजनाओं के संचालन हेतु किस-किस तरह के पद सृजित हैं एवं क्या सभी पद भरे हुये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभागीय मानदण्डानुसार क्षेत्र के गांवों, आबादी व भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या आंगनबाड़ी केन्द्र खुले हुए हैं ? यदि नहीं, तो नए केन्द्र किस-किस परियोजना में कहां-कहां खोले जाने प्रस्तावित हैं ?

(श्री महावीर भगोरा)

(3) क्या योजना के उद्देश्यों के अनुसार कार्यक्रम संचालित हैं ?

(4) क्या उद्देश्य प्राप्ति का मूल्यांकन कराया गया है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा एवं इसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में निम्न 11 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं :–

1. गोगुन्दा 2. कोटड़ा 3. झाड़ोल 4. खैरवाड़ा 5. सलूम्बर 6. सराड़ा 7. धरियावद 8. बड़गांव 9. गिर्वा 10. मावली 11. उदयपुर शहर।

इन परियोजनाओं में स्वीकृत सभी पद भरे हुए नहीं हैं। स्वीकृत एवं भरे हुए पदों की सूची (परिशिष्ट -"अ") सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। भारत सरकार के मानदण्डानुसार जनसंख्या के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र खुले हुए हैं। नये केन्द्र खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(3) जी, हां।

(4) जी, हां। कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्ति का मूल्यांकन निदेशक, मूल्यांकन संगठन विभाग द्वारा सैम्पल आधार पर वर्ष 1994 में कराया गया था। अध्ययन के निष्कर्ष की प्रति (परिशिष्ट-ब) सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची एवं प्रति के लिये परिशिष्ट 20 देखें)

राजस संघ (उदयपुर) द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित खाद्य सामग्री

497. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में राजस संघ द्वारा आवंटित खाद्य सामग्री जो उचित मूल्य की दुकानों से वितरित होती है, की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई अन्य व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि डीलरों को गेहूं आदि का जो कोटा दिया जा रहा है, उसमें भारी अनियमितताएं हो रही हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जनजाति के डीलरों को आवश्यकता के अनुसार गेहूं आदि आबंटित नहीं कर बहुत कम मात्रा में गेहूं, शक्कर आदि का आबंटन किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस संघ को आबंटित खाद्य सामग्री मांग के अनुसार उठाली जावे तथा वितरित हो सके, इसके लिए प्रकरण का विस्तृत में परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

पंचायत समिति झाड़ोल, कोटड़ा (उदयपुर) में जीवन धारा योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि

498. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति झाड़ोल एवं कोटड़ा जिला-उदयपुर में वर्ष 1995-96 में जीवनधारा योजना अन्तर्गत राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकारियों द्वारा उक्त योजनाओं में फर्जी नाम से राशि आबंटित कर स्वयं ने उठा ली ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति के नाम से कितनी-कितनी राशि, किस -किस अधिकारी द्वारा उठाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति झाड़ोल एवं कोटड़ा जिला उदयपुर में वर्ष 95-96 में जीवनधारा योजनान्तर्गत कुल 47.80 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके तहत 159 पात्र व्यक्तियों को स्वीकृत राशि व ग्रामवार विवरण परिशिष्ट - 1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, अधिकारियों द्वारा फर्जी नाम से राशि आबंटित कर उठा लेने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायत अभी तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर अथवा इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं, इस प्रकरण में कोई शिकायत प्राप्त हुई तो जांच कराकर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 21 देखें)

प्रश्न संख्या 499

(स्थगित)

जिला टोंक में स्वरोजगार योजना के तहत स्वीकृत कार्य

500. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में स्वरोजगार योजना के तहत कितने काम टोंक जिले के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए ? उन

Page No.68

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

स्वीकृत कार्यों की सूची नामवार व स्वीकृत धनराशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इन स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने कार्य अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल 339 काम टोंक जिले की विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत किये गये थे। इन स्वीकृत कार्यों की नामवार एवं स्वीकृत धनराशि वार सूची "परिशिष्ट -अ" पर संलग्न है।

(2) इन स्वीकृत कार्यों में से 221 कार्य पूर्ण हो गये तथा 112 कार्य अधूरे एवं प्रगतिरत हैं। जबकि 6 अपूर्ण कार्य बंद हैं। इनका विवरण संलग्न "परिशिष्ट -अ" के कालम 6,7 एवं 8 में अंकित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला भीलवाड़ा में प्रस्तावित आयुर्वेदिक औषधालय

501. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1996-97 में कोई आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां, एवं कब तक ये औषधालय खोल दिये जायेंगे ?

(2) क्या तहसील मांडल के धुंवाला मांडल गांव में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो वहां पर कब तक औषधालय प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। फिलहाल भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1996-97 में कोई नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार नहीं है।

(2) जी हां। मांडल तहसील के ग्रा धुंवाला (मांडल) में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रस्ताव वर्ष 1995-96 में जिला कलक्टर के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

आगामी वर्षों में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, 2 जुलाई, 1996)

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

84. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के ग्राम रूध, सकीतरा व रूध हेलक में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सरकार की जानकारी में आया है ? यदि हां, तो विवरण को सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह)

(2) सरकार ने उक्त अतिक्रमण को हटाने की क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या उक्त ग्रामों में कुछ सिवाय चक भूमि आबंटन योग्य है ? यदि हां, तो उक्त भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के ग्राम रूध सकीतरा में अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है। ग्राम रूध हेलक में 6.10 हैक्टर सिवायचक भूमि पर 14 विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) ग्राम रूध हेलक में उक्त 6.10 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण संवत् 2048, 2050, 2051 व 2052 दिया गया है। अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तहसीलदार कुम्हेर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर अतिक्रमियों को बेदखल किया गया है। संवत 2052 में अतिक्रमण करने पर दिनांक 25.1.96 को बेदखली के आदेश पारित किये हैं और 18.3.96 को मौके पर वास्तविक रूप से बेदखल किया गया है।

(2) ग्राम रूध सकीतरा में आबंटन योग्य कोई सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है। ग्राम रूध हेलक में आबंटन योग्य सिवायचक भूमि निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	ख.नं.	रकबा	किस्म भूमि
1.	133	1.30 हैक्टेयर	बारानी प्रथम
2.	245	1.50 हैक्टेयर	बारानी प्रथम
3.	1	4.80 हैक्टेयर	बारानी प्रथम
	योग	7.60	

(सूची के लिये परिशिष्ट 22 देखें)

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : –

(1) श्री अरूण सिंह एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से हैपिटाइटस की बीमारी के कारण कतिपय डाक्टर्स की हुई मृत्यु उपरांत सहायता प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील के ग्राम सोगर में विद्युत मण्डल के एक ट्रांसफार्मर के सपोर्ट में करेन्ट आने से एक वृद्ध की हुई मृत्यु के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। प्रस्तावकर्ता माननीय

Page No.70

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी :–

(1) श्री अरूणसिंह एवं श्रीमती बीना काक, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्रीय जन्तुआलय प्राधिकरण द्वारा राज्य के पांचों जन्तुआलयों को बंद करने की कथित सिफारिश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम गुड्ढा-सम्पतपुरा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भू आबंटन किये जाने के बावजूद उनको कब्जा नहीं दिलवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री परसादीलाल मीणा : बोलने के लिए दी है ?

श्री अध्यक्ष : हां, दो-दो मिनट।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों में श्रमिक कम करने एवं कथित भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में बिजली की विकट समस्या के संबंध में।

(3) श्री रामेश्वरलाल भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुजानगढ़ के दलियां में पम्प हाउस पूर्व निर्धारित स्थान पर न बनाकर प्राथमिक विद्यालय मैदान में बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग में वर्ष 1989-90 में प्रधानाचार्य के 621 पदों के लिए की गई डी.पी.सी. में बरती गई कथित अनियमितता एवं नियम विरुद्ध पदोन्नतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार के संबंध में।

(6) श्री जगतार सिंह कंग, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीकरणपुर निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई की समस्या बहुत गम्भीर होने के संबंध में।

(7) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के तहसील चाकसू की 12 ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सोमकागदर बांध 5 मीटर ऊंचा उठाकर डूंगरपुर पंचायत समिति को पानी दिलवाये जाने के संबंध में।

(9) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि विभाग के निदेशक पद पर तकनीकी वर्ग के अधिकारी को पदस्थापित करने के संबंध में।

(10) श्री चुन्नीलाल गरासिया, सदस्य, विधानसभा की ओर से कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षकों व सहायक कृषि अधिकारियों के

(श्री अध्यक्ष)

पदों का कार्य निजी संस्थाओं को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला वृत्त जोधपुर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में।

(12) श्री गोपीचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के कस्बा नगर की पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, I am holding the floor with your permission.

श्री मदनमोहन (खैरथल) : पाइंट आफ आर्डर।

श्री जगदीप धनखड : I have sought your permission.

श्री मदनमोहन : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज इस सदन में आरक्षण के मुद्दे के ऊपर जो बहस हो रही थी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि_

श्री जगदीप धनखड़ : Sir, I am holding the floor with your permission.

श्री मदनमोहन : आरक्षण का एक दिन तय कर लिया जाए जिस दिन पूरे दिन बहस हो_

श्री अध्यक्ष : वो है।

श्री मदनमोहन : और सरकार की तरफ से वक्तव्य दिला दिया जाए। जिस तरह से प्रत्येक विभाग में_

श्री अध्यक्ष : विराजिये। जरूर।

श्री मदनमोहन : सैकड़ों की तादाद में बैकेन्सीज खाली पड़ी हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : बिलकुल सही है, जो ये कह रहे हैं, एक दिन बैठ जाने दीजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री मदनमोहन : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि एक दिन का_

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति के लिए नियम 134 का निलम्बन

श्री अध्यक्ष : हां, धनखड़ साहब, आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, बोलें। उसी पर बोलना है आपको।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : नहीं, साहब, आप ऐसे प्रिएम्प्ट मत करें। आप हमारे कस्टोडियन हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह लिस्ट आयी है और उस पर आपने बोलने के लिए अनुमति मांगी है। मैंने अनुमति दी है, आप बोलें।

श्री मदनमोहन : अध्यक्ष महोदय, मेरे पाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये। नहीं, वह दे देंगे व्यवस्था। अभी आज पहले विश्वास मत प्राप्त करना और अविश्वास की बात चल रही है। पहले आप दूसरी बात तो सुनें। अविश्वास आया है अभी अविश्वास पहले सुनेंगे। बिराजिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा कराने पर सहमति हो गयी थी, कृपया तारीख की घोषणा जल्दी कर दें।

श्री अध्यक्ष : हैं ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : चर्चा कराने पर सदन की सहमति हो गयी थी, सरकार भी तैयार थी, तारीख की घोषणा जल्दी कर दें।

श्री अध्यक्ष : हां, अभी बता देंगे। थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बता देंगे, आज बता देंगे, बिराजिये आप।

श्री कालूलाल गूजर : समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : पहले अविश्वास प्रस्ताव आया है, कोई संकल्प लाये हैं तो उन पर कोई बोलना चाहें, आप बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस विश्वास और अविश्वास की बात कर रहे हैं, यह कोई विषय विचाराधीन ...

श्री जगदीप धनखड़ : The permission has been given to me. How can the Hon'ble Member interfere ? I am holding the floor. I am not yielding. I have been granted permission. The Hon'ble Speaker has given permission to me. Why are you creating chaos in the House ?

श्री परसादी लाल मीणा : आप हिन्दी में बोलें, वे अंग्रेजी नहीं जानते। हिन्दी में बोलें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था कर मुझे बोलने का सुअवसर दे दिया..

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बोलिये आराम से।

श्री जगदीप धनखड़ : और कह दिया कि आप इस प्रस्ताव पर बोलिये, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्यों कि मेरे खिलाफ आप बोलेंगे इसलिए मैं तो उठता हूं और माननीय उपाध्यक्षजी को भेज रहा हूं। आप आराम से बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : महावीर जी भी माननीय सदस्य हैं, माननीय, इसलिए महावीर जी को नहीं बोलने देना..(व्यवधान)

Page No.73

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आप गलत परम्परा डालेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय-

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : चीफ व्हिप को डेफिनिटली बोलने दिया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर उनको अधिकार है तो महावीर जी को भी बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि अभी किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिस पर बोलना चाहते हैं, आपने यह संकेत दिया कि क्योंकि-

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति इनको दे दी, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो उस पर काहे की-

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस पर पाइंट आफ आर्डर है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : चीफ व्हिप हैं या कोई मजाक है। इनको बोलने दीजिये। इनके बाद आप बोल लेना.(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : What is your point of order ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस पर मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री जगदीप धनखड़ : He cannot challenge the ruling of the Chair. आप अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को.(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं चैलेंज कहां कर रहा हूं ?

श्री जगदीप धनखड़ : और क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : हमने कुछ नहीं कहा और.(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने जो संकेत दिया ।.(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय ने सुओमोटो कहा कि-

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष की परमिशन से वे बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आप अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय ने सुओमोटो कहा है लेकिन अध्यक्ष महोदय, नियम 306 के अन्तर्गत प्रावधान है, वह किसी प्रकार की छूट देकर वह कह सकते हैं लेकिन हम कांस्टीट्यूशन से-

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में पाइंट आफ आर्डर हो रहा है। अभी हाउस के सामने there is no point of order.

श्री जगदीप धनखड़ : Not taking proper care of the sancfity of the House....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि जिस बात की ओर आपने संकेत किया है उस पर आपके सामने कोई निर्णय के लिए आएगा, आप उस पर कोई व्यवस्था देंगे और कोई दिन तय होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : दे दी व्यवस्था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं-नहीं। आपने यह भी कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री जगदीप धनखड़ : आप आसन की व्यवस्था को चुनौती मत दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्योंकि मेरे अविश्वास पर चर्चा हो रही है इसलिए माननीय उपाध्यक्ष को बुला रहा हूं, आपने यह भी कहा। नियमों में यह प्रावधान है कि जब अध्यक्ष महोदय के अविश्वास पर यहां पर सदन में चर्चा हो तो उस पर निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय को अपनी सीट छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति आसन पर होना चाहिए लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी तो मूव है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :...और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बोलना चालू करें आप, जब तक कि वह...(व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय स्वयं परमिशन दे चुके हैं, अब आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय खुद परमिशन दे चुके हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, ये आपकी रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं। नियमों की दुहाई देने वाले सचेतक महोदय खुद चैलेंज कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये प्रस्ताव मूव नहीं कर सकते। इसमें आसन के बारे में...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय इस मामले में आपने जो रूलिंग दी है, आपने स्वयं कहा है कि उपाध्यक्ष महोदय यह आएंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...इसमें स्पेसिफिक पाइंट होते हैं और स्पेसिफिक पाइंट पर कोई चार्ज लगाया जा सकता है लेकिन वह जब तक मूव नहीं होगा उस पर आप कि... प्रकार की व्यवस्था 14 दिन के अन्दर कोई...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति दे दी गई है, आप अब कृपया बैठ जाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब तक आप कोई दिन तय नहीं करेंगे तब तक इस पर कोई विचार नहीं हो सकता।...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप क्या अध्यक्ष महोदय को डिक्टेट कर रहे हैं ? आप, मुख्य सचेतक महोदय, अध्यक्ष महोदय को डिक्टेट करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय खुद ने परमिशन दी है आप महोदय इनको अदरवाइज डिक्टेट करना चाह रहे हैं।

Page No.75

श्री शैलेन्द्र जोशी : कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है कानूनी रूप से। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : With your permission, I am holding the floor of the House. I must get your protection.

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दे दी, इनको बोलने की अनुमति दे दी उसके बाद आप कैसे बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेन्डेटरी प्रोविजन हैं...

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपने कहा कि उपाध्यक्ष को बुला रहा हूं, मेरे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है और उपाध्यक्ष को बुला रहा हूं, इसका अब एतराज यही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अविश्वास पर चर्चा होगी उसके लिए 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। आप इसमें तय करेंगे (व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा अनुमति दे दी गयी है माननीय सदस्य को, ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य सचेतक महोदय का कोई कानूनी अधिकार नहीं रह जाता कि वे बीच में व्यवधान डालें। (व्यवधान) मुख्य सचेतक महोदय को, माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठाइये। यह गलत परम्परा है कि माननीय मुख्य सचेतक महोदय बगैर अनुमति के बोलने लग गये हैं और सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय को बैठाइये और माननीय सदस्य श्री धनखड़ साहब को जो अनुमति दी है उनको बुलवाइये। (व्यवधान)...

श्रीमती कमला : (व्यवधान)...मुख्य सचेतक महोदय, आपका नम्बर नहीं है, आपका नम्बर आए तब बोलिएगा। अभी आपका नम्बर नहीं आया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान)...मुख्य सचेतक महोदय सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं (व्यवधान)...

श्रीमती कमला : (व्यवधान)...रूल के तहत ही तो बोल रहे हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान)... उससे पहले कोई विचार नहीं हो सकता... (व्यवधान)...कांस्टीट्यूशन का जो प्रोविजन है अध्यक्ष के खिलाफ (व्यवधान) ...अधिकार नहीं है। (व्यवधान) प्रोविजन के खिलाफ है यदि आप इस प्रकार का कोई संकेत भी देते हैं तो वो संविधान के खिलाफ है (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : अब आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, बैठ जाइये चुपचाप।

(12.12)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौडगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो आपके समक्ष यह व्यवस्था रखी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

है कि 14 दिन का नोटिस ही नहीं है, हाउस को यह पता भी नहीं है कि किस बात पर बोलने जा रहे हैं_(व्यवधान)_और 14 दिन के नोटिस_(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था दे दी गयी है अध्यक्ष महोदय द्वारा इस बारे में_(व्यवधान)_

श्री नरपत सिंह राजवी : _(व्यवधान)_जब तक पता ही नहीं है कि किस बात पर आप बोल रहे हैं_(व्यवधान)_नहीं दी जा सकती।_(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार 14 दिन का नोटिस लाते हैं_(व्यवधान)_उसके ऊपर आसन को भी कोई व्यवस्था करने का अधिकार नहीं है।_(व्यवधान)_

श्री लक्ष्मण सिंह रावत :. _(व्यवधान)_ मोशन को स्वीकार कर लिया गया है _(व्यवधान)_

श्री नरपत सिंह राजवी : कहां से स्वीकार कर लिया गया है ? असत्य बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत :_(व्यवधान)_अब इस बिन्दु पर_(व्यवधान)_14 दिन का नोटिस चाहिये 10 दिन का नोटिस चाहिये वह पाइंट तो अपने आप ही समाप्त हो गया_(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : धनखड़ साहब को बोलने की इजाजत दे दी गयी है माननीय अध्यक्ष द्वारा _(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में निश्चित नहीं है_(व्यवधान)_इस बात के लिए कोई नियम बने हुए नहीं है। कांस्टिट्यूशन प्रावधान है_14 दिन का नोटिस आवश्यक है। वह आज नोटिस नहीं दिया गया है इसलिए इस मामले पर_(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ :_(व्यवधान)_ उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव मूव किया है उसके बाद उस पर आप_(व्यवधान)_उसके बाद हमने नियमों में शिथिलता चाही। उसके बाद में स्पीकर साहब के पास अलग से दस्तखत करके पेश कर दिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, सचेतक महोदय।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष :कृपया सुनिये आप। सुनने में क्या हो गया ? सुनिये। कोई दिक्कत नहीं है, सुनिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : _(व्यवधान)_ पाइंट आफ आर्डर कभी भी कर सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट रूल कोट करके करूंगा_पाइंट आफ आर्डर_

श्री नाथू सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 134 Sir, you have allowed me.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। नियमों में प्रावधान है। पाइंट आफ आर्डर।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दे दी गयी है (व्यवधान) यदि आसन द्वारा आज्ञा दे दी गयी है कि धनखड़ साहब बोलें तो माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय,–

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पाइंट आफ आर्डर, आप फिर बोलें। माननीय सदस्य, पाइंट आफ आर्डर।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर अण्डर रूल 306 एंड अण्डर रूल 134, उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर टाप प्रायोरिटी पर लिया जाता है मंत्री महोदय भी इस बात से अवगत हैं। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय जगदीप जी धनखड़ जब खड़े हुए उसके बाद मुख्य सचेतक महोदय भी अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए। उसके पूर्व ही सदाशयता बताते हुए अध्यक्ष महोदय ने यहां पर निर्णय लिया कि क्योंकि मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है इसलिए मैं उठकर चला जाऊंगा और उपाध्यक्ष महोदय यहां पर आएंगे। यह उनकी सदाशयता थी। उसके बाद, सुनिये (व्यवधान)–

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था कर रहा हूं। कृपया आप बिराजें। मैं कह रहा हूं कुछ। मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मैं यह मानता हूं कि नियमों के अन्दर 14 दिन का प्रावधान है और इसीलिए हमने यह मोशन भी मूव किया है। प्रस्ताव आपकी टेबल के ऊपर है कि अन्तर्गत रूल 306, 134 को स्थगित किया जाए, निलम्बित किया जाए लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने सुओमोटो अपना यह निर्णय दे दिया कि मैं इस सीट से हट जाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय आएंगे और मेरे विरुद्ध में चर्चा होगी। यह उन्होंने (व्यवधान) 40 लोगों ने दस्तखत किये और मोशन हमने मूव कर दिया है। मोशन को एडमिट माना जाए और सदन में इस मोशन पर स्ट्रेट अवे चर्चा की जाए। 14 दिन का, 10 दिन का वे सब बातें अब स्टैण्ड नहीं करती है।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें। माननीय धनखड़ साहब, आप बिराजें। पाइंट आफ आर्डर आया है उसके बारे में कहना चाहते हैं क्या आप ?

श्री नाथू सिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आपकी इजाजत से (व्यवधान)–

श्री हरजीराम बुरड़क : इस मामले में पाइंट आफ नहीं होता (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर नहीं होता क्योंकि इसमें व्यवस्था है।

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर नहीं बन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 3-4 रूलिंग की तरफ कोट

(श्री नाथू सिंह गुर्जर)

करना चाहूंगा। 134 स्पीकर के अगेंस्ट में या डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इसमें डील करने वाले जो नियम हैं वो 134 और कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 180..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें। बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : आर्टिकल 180, 181, 182 ये तीन आर्टिकल जो इसको डील करते हैं और हमारे रूल्स...(व्यवधान)...

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : Hon'ble Member, you have forgotten to mention the Art. 107 which is very relevant so far as the rule... आप तो 81-82 पर आ रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री नाथू सिंह गुर्जर : हां, मैं बता रहा हूं, आप बिराजिये। While I am speaking...

श्री उपाध्यक्ष : शायद लौटकर आ जाएं उसी पर।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो बिजनेस रूल्स है इसमें रूल 134 में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में मोशन आएं तो उसमें क्लियर 14 डेज चाहिये और मैक्सीमम 20 डेज। लेकिन इसमें एक व्यवस्था और की गयी जिसकी बात कर रहे है 306 कि इसमें छूट दी जा सकती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा...(व्यवधान)...अब आप सुन लीजिये Let me finish please. आप हर चीज पर बोलेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगा...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : छूट दे दी है अभी, आप उठकर चले गये।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए लोक सभा और विधान सभा के उन क्षणों का ध्यान दिलाना चाहूंगा जब लोक सभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव आये और विधान सभा में अविश्वासन प्रस्ताव इसी तरह के आये। आज तक ऐसा एक भी इंसीडेंट नहीं हैं, घटना नहीं है जिसमें जिस दिन मोशन आया हो, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)... बता रहा हूं जिसमें जिस दिन नोटिस आया हो उसी दिन उसको एक्सैप्ट करके उस पर चर्चा करायी गयी हो। एक भी अब तक, I am subject to correction, माननीय सदस्य, अगर उनके पास कोई ऐसी घटना है तो उसकी जानकारी देंगे। मेरी जानकारी के अनुसार, उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा में मावलंकर जी के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया। हुकुम सिंह जी के खिलाफ आया 8 नवम्बर, 1966 को और उसका डिस्कशन हुआ 24 नवम्बर, 1966 को। इसी तरह से बलराम जी जाखड़ के विरुद्ध आया 30 मार्च, 1987 को, डिस्कशन में आया वह 15 अप्रेल, 1987 को। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपने यहां भी आया है।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : अपने यहां पर भी बता रहा हूं। 19 फरवरी, 1953 को जब श्रीमान् नरोत्तमलालजी जोशी यहां पर स्पीकर

(श्री नाथू सिंह गुर्जर)

थे, उनके विरुद्ध इसी तरह का प्रस्ताव आया और उसी दिन वह डिस्कशन नहीं हुआ। उसमें एक व्यवस्था और की गयी जो अभी यहां से माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि क्योंकि मेरे खिलाफ यह आया है इसलिए मुझे बैठना चाहिये कि नहीं बैठना चाहिये। इश्यू यही थी कि नरोत्तम जी के समय भी कि आप यहां पर कुर्सी छोड़ कर चले जाइये चूंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है...(व्यवधान)...अब आप सुन लीजिये...

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, What is the point of order ? आपका भाषण तो...(व्यवधान)...

श्री नाथू सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय स्पीकर ने उस दलील को रिजेक्ट किया और कहा कि इस समय आप सदन की कार्यवाही चलने दीजिये, जिस समय यह चीज डिस्कशन में आएगी उस समय मेरे खिलाफ जब आरोप लगेंगे उस समय मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा लेकिन उसके पहले कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। (व्यवधान) डिस्कशन नहीं...(व्यवधान)...Let me finish.. (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : उन्होंने तो बड़प्पन दिखाया, उन्होंने इस बात का आभास होते ही, कहा कि मैं जाता हूं... (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह गुर्जर : नहीं, नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक : प्रोसिडिंग्स में आएगी यह बात...(व्यवधान)...Mr. Speaker... (interruptions)...took a decision.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : You can make two and two, four. आप दो और दो चार कर सकते हैं। You can derive conclusions. He left the Chair. He has vacated the Chair.

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। स्पीकर साहब खुद गये हैं।

श्रीमती बीना काक : चैयर तो डिसीजन ले चुकी है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय मंत्री महोदय, सदन को गुमराह न करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय ने मोशन को असैप्ट किया और माननीय जगदीप जी धनखड़ को मोशन मूव करने की परमीशन दी...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : बोलने के लिए अलाउ किया कि आप, जगदीप जी धनखड़, बोलिये।...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : और यह कहा कि मेरे खिलाफ मोशन है इसीलिए मैं जाऊंगा और उपाध्यक्ष महोदय आकर प्रिसाइड करेंगे। ये गलत कोट कर रहे हैं कि हमने कुछ कहा...(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह गुर्जर : जब माननीय गिरिराज प्रसाद जी तिवाड़ी स्पीकर थे... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : स्पीकर का डिक्लिशन था, उन्होंने अलाउ किया कनखड़ जी को बोलने के लिए (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह गुर्जर : अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था लेकिन, मेरी जानकारी के अनुसार the same day, the motion was not discussed. स्पीकर कभी कुर्सी छोड़कर गये नहीं, इसलिए मेरा निवेदन है कि न तो स्पीकर को कुर्सी छोड़कर जाने की जरूरत है और डिस्कशन के लिए क्लियर 14 डेज का इसमें नोटिस चाहिए। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि इस मोशन को रिजेक्ट करें, इसको असैप्ट नहीं करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये तो सही। आप बिराजें। कृपया बिराजें, हरिसिंहजी। (व्यवधान) देखिये मुख्य सचेतक जी बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, मुख्य सचेतक जी बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में संविधान की धारा 179 का प्रोविजो "ग" पढ़कर सुनाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 179 यह कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने, पद त्याग और पद से हटाये जाने, यह किन परिस्थितियों में ? विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, एक-"क"। "ख" में किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को सम्बोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। और "ग" विधान सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परन्तु खण्ड "ग" के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गयी हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये रूल 306 में रिलैक्सेशन की बात करते हैं। प्रक्रिया के तहत विधान सभा का संचालन … है उसमें हाउस को और माननीय अ… अधिकार है कि 306 के अन्तर्गत … रिलैक्सेशन दे सकते हैं लेकिन संविधान … ऊपर कोई भी विधान सभा या कोई … माननीय अध्यक्ष, इस संविधान के प्रोविजन के खिलाफ अपना विनिश्चय नहीं दे सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार में पेज 92 में आप पढ़िये। तत्कालीन संसद के उपाध्यक्ष पर अविश्वास के एक प्रस्ताव की सूचना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यह अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का मामला है। यदि आप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास लाना चाहते हैं और उसमें बहस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन राजस्थान की जनता यह चाहती है कि यह सभा न्याय करे और यह न्याय दिखना चाहिए। यह मैनुअली प्रोविजन है। आपके रहते हुए नहीं मैंने 1982 की कार्यवाही देखी है, माननीय चन्दनमल जी बैद साहब, जिस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

समय आपने इस राजस्थान को ++++ किया है। वह प्रोसिडिंग्स आप 1982 की पढ़िये जब एक दिन में आपने सारे बिल, सारे प्रस्ताव, सारी मांगे और क्या क्या कार्यवाही, हमारे माननीय सदस्यों को, आप बात कर रहे हैं माननीय चन्दनमल जी। मैंने 1982 में (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इतने वर्षों बाद क्या बोल रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिसमें अध्यक्ष माननीय पूनम चन्द जी विश्नोई थे।

श्रीमती कमला : उस वक्त क्यों नहीं बोले ? वर्षों बाद क्यों बोल रहे हो ? अध्यक्ष महोदय द्वारा परमिशन दी गयी है, ..क्सेशन कर गये हैं बोलने के लिए, इजाजत दी गयी है। अब क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक एक करके हम सब को आपने सदन से बाहर निकालकर जिस प्रकार की आपने स्थापना की है, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा कोई दूसरी आपने ++++ कार्यवाही हो नहीं सकती-(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : स्पीकर साहब के चैम्बर में बात की गयी है, रूलिंग देकर गये हैं। चैम्बर में चले जाइये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया भाषा में संयत बरतें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम ऐसे प्रस्ताव (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय (व्यवधान) बहस हो रही थी उस समय इस मौजूदा सरकार को क्या हो गया था ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, विरोधी दल के नेता महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं गवर्नमेंट चीफ व्हिप महोदय से अनुरोध करूंगा कि पूर्व में जो कार्यवाही सदन में हुई, उन्होंने तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य का नाम लेकर +++ कर दिया, जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको +++ कह दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस दिन को कहा है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष :कृपया सुन लें।

श्री परसराम मदेरणा : उस दिन मैं भी सदन में बैठा था तो मैं भी +++ हो गया।

श्री महावरी प्रसाद जैन : उस दिन कहा है, प्रोसिडिंग में है (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : प्रतिपक्ष के नेता जो अभी मुख्य मंत्री जी हैं वे भी बैठे हैं। पूरा सदन ही +++ होता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सब को निकाल दिया उस समय आपने हमको।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बैठे बैठे बात मत करो, आप भी +++ हो, आप भी +++ हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वही करेंगे हम।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

Page No.82

श्री परसराम मदेरणा : मेरा निवेदन यह था कि राजस्थान की जनता इस देश की पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में, डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर है और सामुदायिक विकास और पंचायत के सम्बन्ध में कल मांग थी, इस राजस्थान के एक लाख से ऊपर प्रतिनिधियों की समस्याओं पर और उनकी मांगों पर यहां पर चर्चा नहीं कर सके और जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने उस मांग को पास कराया उसको आप महिमामंडित कहेंगे या क्या कहेंगे ? इसलिए, सदन में कोई भी बात कही जाती है, शालीनता से कही जाए, गंभीरता से कही जाए, युक्तिसंगत रूप से कही जाए। भाषा के प्रयोग की मैं बात कह रहा हूं, जोर जोर से + + + करने से + + + कौन होता है, कौन नहीं होता है यह तो जनता के पास हम सब जाएंगे, तब फैसला हो जाएगा। लेकिन आज बहस जो कुछ हुई बहुत गंभीर मामला है। It is not an ordinary resolution. It is a resolution that this House lacks confidence in the Hon'ble Speaker. यह गरिमामय पद है, उसकी मैजेस्टी है, उसकी डिग्निटी है, बहुत वेदना के साथ हम लाये हैं, इस सम्बन्ध में बहुत सिरियसली चर्चा होनी चाहिए, इसको अन्य मामलों के एट पार नहीं लिया जाना चाहिए। आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से पूरा उत्तरदायित्व उप मुख्य मंत्री जी का है। मुख्य सचेतक तो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी भी है, करना चाहिए, बात कहनी चाहिए। रूल्स आफ प्रोसीजर में जो बात है निश्चित तौर पर आप कहिये, आपको अधिकार है। मैं समझता हूं हमको तो है कि नहीं है आपको तो जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि आप चीफ व्हिप हैं लेकिन सबसे बड़ा उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी मुख्य मंत्रीजी की अनुपस्थिति में उप मुख्य मंत्रीजी की है। और उप मुख्य मंत्रीजी, + + + but he is waiting in the wings. आप जिस उत्तरदायित्व के पद पर हैं और सदन के नेता की अनुपस्थिति में कि बी.जे.पी. के दल ने उनको उप नेता निर्वाचित किया कि नहीं किया, मुझको मालूम नहीं लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि वे आज ट्रेजरी बैंचेंज पर सीनियर मोस्ट मंत्री है और उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं समझता हूं कि यहां मुझे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी दूसरा मोशन आया है अंडर रूल 306 for suspension of the procedure prescribed unde[illegible] rule 134, जिसका सम्मानीय मंत्री ज[illegible] एलएलएम. अभी जिक्र कर रहे थे। उपाध्य[illegible] जी, जिन लोगों ने मोशन दिया कि रिलैक्स किया जाए अंडर रूल 306, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको बोलने की अनुमति पुकार के दी और यह कहकर गये कि अविश्वास का प्रस्ताव है इसलिए मैं उनको अनुमति देता हूं। जब अनुमति दे दी गयी तो प्रश्न आज यह नहीं है, प्रश्न यह खड़ा होता है कि अध्यक्ष महोदय ने, सुनिए आप, जिस नरोत्तम जी की व्यवस्था को आप यहां पर उठा रहे हैं वह रिडंडेंट हो गयी है, that is irrelevant. वो

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री परसराम मदेरणा)

इर्रेलेवेंट यूं हो गयी है, नहीं, पहले से नहीं हुई है यह इर्रेलेवेंट। अध्यक्ष महोदय, प्रोसिजर गो थ्रू करने की बात कह रहे थे, उनको जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने 306 के अंदर इनको पुकार लिया रूल रिलैक्सेशन के मामले में और कह दिया, क्योंकि डिस्कस हो रहा है। जो आप 180 और 181 पढ़ रहे हैं वह उस वक्त है जब मोशन डिस्कस होता हो। उस वक्त, कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि जिसके खिलाफ होगा, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे अध्यक्ष हो, वे आसन पर विराजमान नहीं होंगे। अब उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ है, मैं जा रहा हूं। ऐसी स्थिति इस सदन में खड़ी कर दी उन्होंने कि इस मोशन का रिलैक्सेशन भी कर दिया और_

श्री नाथू सिंह गुर्जर : क्या रूल कांस्टीट्यूशन को ओवर रूल कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुन लें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कह रहा हूं डेट्स जो उन्होंने दी हैं, all the dates are with me. लोकसभा की और विधान सभा की ऑल डेट्स के बारे में आप सही थे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आसन पर विराजमान थे अगर वे 306 में रिलैक्सेशन नहीं करते तो उनको जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा आप कह रहे हैं, वे तब जाते जब मोशन ग्रांट हो जाता। ग्रांट में दस दिन के भीतर डेट मुकर्रर होती। डेट के दिन वे विराजमान नहीं रहते यहां आसन पर। उस वक्त, उपाध्यक्ष महोदय, आपको वे अनुरोध करते कि क्योंकि मेरे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है इसलिए मैं आज सदन में नहीं बैठूंगा और मेरे बारे में चर्चा होगी। उसमें यह भी लिखा हुआ है, अगर स्पीकर पारटेक करना चाहे तो डिबेट के अंदर नीचे बैठकर भी पारटेक कर सकता है, उपाध्यक्ष ऊपर बैठे रहेंगे। अगर उनके खिलाफ कोई भी बात कही जा रही है, उनको एक्सप्लेनेशन देना है तो वे सदन में बैठकर अपना एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। लेकिन प्रश्न आज यह है कि अध्यक्ष महोदय तो गये और अध्यक्ष महोदय का जो इंटेंशन थीं, जो मंशा थी और जो उनकी व्यवस्था थी उसका इंटरप्रेटेशन करने के लिये माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं, और सिवाना वाले माननीय मंत्री जी भी अध्यक्ष जी की मंशाओं को ज्यादा जानते हैं। प्रश्न यह खड़ा हो गया और उपाध्यक्ष महोदय, इस पर निर्णय आपको स्वयं लेना है या आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिये अध्यक्ष महोदय से कि उनके यहां पर सदन में मैं नहीं बैठूंगा। इसका अभिप्राय क्या था ? अगर उनका अभिप्राय दूसरा था तो वह स्टेज थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है कि यह रेगुलेशन बिजनेस में आएगा। हमने कहा कि बिजनेस में लेने के लिये समय के लिये इसका प्रोसीजर जो पूरा प्रेसक्राइब कर दिया गया है। आप 134 में इसका रिलैक्सेशन कीजिए। रिलैक्सेशन का तो उन्होंने यह कह दिया कि मैं अब जा रहा हूं क्योंकि मेरे खिलाफ है। यह स्थिति है अब उसमें आर्ग्युमेंट जो आप कह रहे हो वह मैं समझता हूं कि फ्यूटाइल आर्ग्युमेंट हो रहा है। कुछ थोड़ी-सी शंकाएं और आशंकाएं मेरे दिमाग में भी है वे तभी

(श्री परसराम मदेरणा)

स्पष्ट हो सकती है कि माननीय अध्यक्ष महोदय की उसमें अनुशंसा क्या थी, उनकी मंशा क्या थी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उप मुख्य मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो प्रश्न सदन के सामने खड़ा हुआ है उस पर गंभीरता से विचार विनिमय होना चाहिये। प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष महोदय ने किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को इजाजत दी बोलने की। उन्होंने कुछ बोलना चाहा, उन्होंने बोलने की इजाजत दी और वे बोलने के लिए खड़े हुए-

श्री उपाध्यक्ष : जो भी बोलना चाहा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब वे क्या बोलना चाहते थे, वे बोल भी नहीं पाये और अध्यक्ष महोदय अंदर चले गये, केवल यह कह कर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप सुनने का कष्ट करें। व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वे यह कह कर चले गये कि क्योंकि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बोलना चाहते हैं इसलिए मैं जा रहा हूं। यह कह कर चले गये। आप सुन लीजिये, यह कह कर वे चले गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लीगल पोजीशन जो अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बतायी लगभग वही है। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ 134 के अन्तर्गत 14 दिन के नोटिस का प्रावधान है। यही प्रावधान संविधान के आर्टिकल 179 के अन्तर्गत है। अब इसमें सवाल यह है कि माननीय सदस्य धनखड़ जी ने 306 के नीचे इन रूल्स को रिलैक्स करने की बात कही, जिसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, जिसका निर्णय होना बाकी है। (व्यवधान) सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। निर्णय होना इसलिए बाकी है कि इस सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहेंगे। एक बात हमारे सामने है कि ये प्रावधान कांस्टीट्यूशन में है, उसी तरह का प्रावधान रूल्स में है। 306 केवल रूल्स का सस्पेंड करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष को देता है लेकन कान्स्टीट्यूशन के प्रावधान को सस्पेंड करने का अधिकार न माननीय सदस्य को है, न इस सदन को है। डिबेट इस बात पर हो रही है कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 179 में 14 दिन का जो मैण्डेटरी प्रावधान है कि 14 दिन के पहले बहस हो ही नहीं सकती, मैण्डेटरी है, क्या यह सदन या अध्यक्ष उसको सस्पेंड कर सकते हैं। यह सवाल सामने है और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर आप बहस करा लें। हमारी ओर से भी कोई सदस्य बोलना चाहें, आप भी बोलना चाहें, बोलें और फिर आप कोई व्यवस्था दे दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, सदन के सामने एक बहुत अहम मुद्दा है। यह जो स्थिति पैदा हुई है, अच्छी नहीं है। बहुत पीड़ा के साथ वह स्थिति सदन के सामने आयी है। आज मैं माननीय अध्यक्षजी का बहुत बड़ा मान करता हूं, उन्होंने एक बहुत अच्छी परम्परा इस आसन पर बैठकर डाली। इधर से उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया, 306 में रूल्स को रिलैक्स करने के

(श्री शिवनाथ सिंह)

लिए प्रस्ताव आया। माननीय अध्यक्ष जी ने उन दोनों बातों को सोचकर यहां अपने मुख से कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर बोलना चाहते हैं इसलिए मैं बोलने की इजाजत देता हूं, माननीय जगदीपजी धनखड़ अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री नरपतसिंह राजवी : नहीं, यह नहीं कहा है, आप रिकार्ड (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : नहीं यह नहीं कहा (व्यवधान) आपको कांग्रेस जोइन कर लेनी चाहिए (व्यवधान)+ + + करते हो और हम सुनते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, इनको नियंत्रित कीजिए। (व्यवधान) इनको नियंत्रित कीजिए। महावीरजी, इनको कण्ट्रोल करो, इनको नियंत्रित करो।

उपाध्यक्ष जी, यह सब हो चुका उसके बाद में यहां दूसरी परिस्थिति पैदा करने की चेष्टा की गयी। मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि स्पीकर साहब ने तो 306 में रिलैक्सेशन दे दिया लेकिन संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है इसलिए अध्यक्षजी, व्यवस्था से ऐसे रूल को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। इधर के माननीय सदस्यों ने अविश्वास का जो प्रस्ताव रखा है, वह अपनी जगह है लेकिन मैं यह सोचता हूं कि सत्तापक्ष का माननीय अध्यक्षजी की रूलिंग में विश्वास नहीं है और माननीय अध्यक्षजी ने जो एक स्वस्थ परम्परा अपने आसन से दी है, संविधान की आड़ देकर वे उस परम्परा को तोड़ना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, सदन सर्वोपरि है और सदन के अन्दर आसन उससे भी सर्वोपरि है। हम सब रूल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। यह पंचायत है, यह पंचायत अपना प्रोसीजर तय करती है। यह पंचायत सर्वोपरि है और इस पंचायत के सरपंच ऊपर बैठते हैं। पंचायत के सरपंच को सब अधिकार होते हैं। उन्होंने अपने विवेक से और विवेक नहीं, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी परम्परा डालने के लिए उन्होंने कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ है, आप बोलिए और मैं आसन छोड़कर जाता हूं माननीय उपाध्यक्षजी यहां आएंगे। इसलिए अब इस बात में कहीं कोई शंका नहीं रहती, अध्यक्षजी ने 306 में रिलैक्स कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ था उस पर बोलने की इजाजत उन्होंने दे दी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सत्तापक्ष से और इस सरकार के उच्च मंत्रियों से निवेदन है कि अध्यक्ष हमारे सब के हैं लेकिन आपकी पार्टी से नोमिनिटेड हैं, उनकी शान में, जो उन्होंने इतना ऊंचा आदर्श पेश किया है, आप अपनी शंकाएं व्यक्त मत कीजिए। मेरे ख्याल से यह एक सुन्दर परम्परा उन्होंने डाली है कि आसन छोड़कर चले गये और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आपको आसन दिया है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, उस चर्चा को प्रारम्भ करवाइये जो कि पहले शुरू हो चुकी है। (व्यवधान) धनखड़जी ने बात शुरू कर दी है इसलिए इसमें आगे कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा और प्रतिपक्ष के माननीय नेता से

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

निवेदन करूंगा कि इस पर थोड़ा गम्भीरता से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बात न करें, माननीय मंत्री महोदय, सुनें।

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष जी, प्रश्न सिर्फ इतना ही नहीं है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और उसका प्रोसीजर फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। उसका कण्डीशन प्रिसीडेण्ट 134 (2) में यह है कि वह लिस्ट आफ बिजनेस में आना चाहिए। वह कण्डीशन प्रिसीडेण्ट फुलफिल हुई नहीं है, माननीय सदस्यों को पता नहीं है कि किस बारे में बोलना चाह रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप 306 को देखिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें क्या बोलना है।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय शैलेन्द्र जोशी साहब, अंग्रेजी और हिन्दी भाषा हमको भी पढ़नी आती है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको इंग्लिश, हिन्दी पढ़ना आती है लेकिन समझना नहीं आता। आपको समझना नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शैलेन्द्रजी जोशी, कृपया...

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न केवल इतना है कि यह अपने आप इण्टरप्रेट करके 306 में रिलैक्स कर दिया गया हो और अविश्वास प्रस्ताव पर बात करने की बात कर रहे हैं।

यहां की जो प्रोसीडिंग्स हैं, वह ऑन रिकार्ड है, टेप भी किया हुआ है। रूल के सम्बन्ध में अगर सबसे पहली मांगी जाएगी तो उस रूल के तहत 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। उन रूल्स के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय ने रिलैक्स किया या नहीं किया, इसके लिए सदन की अनुमति तो अभी तक नहीं मिली और सदन की अनुमति नहीं मिली है तो कण्डीशन प्रिसीडेण्ट भी फुलफिल नहीं हुआ है। पहले लिस्ट आफ बिजनेस के अन्दर उसको एण्टर करें उसके बाद में उसके ऊपर अपनी व्यवस्था दें तब जाकर उस चीज को पूरा करने का होगा।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 134 (2) को आप पढ़ लें। जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय लिस्ट आफ बिजनेस में एण्टर नहीं करेंगे उस नोटिस को, उससे पहले रूल्स रिलैक्स करने की व्यवस्था कहां से हो जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी आज सुबह आधे घण्टे पहले चर्चा हुई है उसको आप टेप रिकार्ड पर दुबारा सुनवाएं। 306 के अन्दर व्यवस्था नहीं दी गयी है, रूल्स को सस्पेंड किया नहीं गया है उससे पहले इस अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में अगर कोई नोटिस दिया गया है तो हाउस को पहले, लिस्ट आफ बिजनेस में सूचित किया जाए, उसके बाद में उसको टेक-अप किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मदेरणा साहब की इस बात से सहमत हूं कि इस सदन में सरकार के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव हो, उससे टाप-प्रायोरिटी का और उससे भी बहुत ही गम्भीरता का अगर कोई प्रस्ताव है तो अध्यक्ष के खिलाफ का प्रस्ताव है। वे हमारे नियम-कानून के संरक्षक है। उनके सम्बन्ध में विचार करते समय अगर कोई बात हो तो, किसी भी माननीय सदस्य को प्रिय या अप्रिय लगे लेकिन उसको हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करके उस पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें अपने सामने हैं। पहली बात यह है कि माननीय धनखड़ साहब ने किस बात की अनुमति ली। दूसरी बात है कि 306 की प्रक्रिया पूरी हुई कि नहीं हुई और तीसरी बात यह है कि 306 की प्रक्रिया पूरी हो गयी हो तो संविधान का जो मैंण्डेटरी प्रोवीजन है, क्या उसका हम उल्लंघन कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले 306 को आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। नियमों का निलम्बन-कोई सदस्य अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जो माननीय सदस्य पहले यह करना चाहें, वे प्रस्ताव करेंगे, सदन उस पर अपनी सहमति देगा और सदन की सहमति देने के बाद अध्यक्ष महोदय करेंगे कि मैंने नियमों का निलम्बन कर दिया। इसलिए आज के दिन सदन में किसी भी प्रकार से 306 के बारे में यह प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। पहला तो मेरा निवेदन करना यह है कि यह अध्यक्ष को करना था।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में साफ-साफ लिखा हुआ है। हमें आज इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, नियमों के निलम्बन करने का आपको अधिकार है, सदन के प्रस्ताव के द्वारा अधिकार है लेकिन क्या हम उन बातों को निलम्बित कर सकते हैं जो कि भारतीय संविधान में मैण्डेटरी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको 2 लाइन पढ़कर सुना दूं। "Provided that no resolution for the purpose of Clause (c) shall be moved unless at least fourteen day notice has been given of the intention to move the resolution :..." तो यह बात साफ है कि यह जो 134 में हमारी प्रक्रिया दी गयी है, वह आर्टिकल 178 के अनुरूप में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक इस सदन की एक परम्परा का स्मरण कराना चाहूंगा। बहुत ही आदरणीय हैं और जिनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, माननीय पूनम चन्दजी विश्नाई के श्रीमुख से निकली हुई परम्परा मुझे अच्छी तरह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से ध्यान है। हम सब उधर बैठे हुए थे। बहुत ही गम्भीर और (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : बात बहुत गम्भीर है। 178 में कहां है ? उसका उल्लेख ही नहीं है।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : 179.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 179 सारी साहब, 179.

श्री परसराम मदेरणा : हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 179 है, साहब। माननीय पूनम चन्दजी विश्नोई यहां विराजमान थे और सदन में बहुत उत्तेजना का वातावरण था। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने, जो प्रतिपक्ष के नेता थे, चार लाइन लिखकर यहां दीं और उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं वे शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं। हां, उन्होंने कहा था। उस समय माननीय पूनम चन्दजी ने स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की थी और हमने उसको स्वीकार किया था कि आपके इस प्रकार नोटिस देने से अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को तो किसी न किसी कारण से सेंसर करने के लिये या सरकार की खामियां बताने के लिये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है लेकिन अध्यक्ष के लिये अविश्वास प्रस्ताव अपन सिर्फ उनकी खामियां बताने के लिए लाएं तो हमारे लिये किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। यह बात अलग है कि कल जो कुछ हुआ, उसके बारे में किन-किन की, कैसी-कैसी राय है, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं पुनः एक बार यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मदेरणा साहब से, विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से कि अविश्वास प्रस्ताव अगर कल के बारे में अध्यक्ष महोदय को कुछ बातें कहने के लिये लाना है तो वह लाना हमारी परम्पराओं के लिये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय के पास जाकर के हमको कहना चाहिये और जो त्रुटि है या त्रुटि रही है, उसका निराकरण करना चाहिये। अगर केवल इसी कारण से अविश्वास प्रस्ताव पर अपन चर्चा करना चाहें तो हमारे लिये उचित नहीं होगा। पिछली बार भी हमने एक बार ऐसा किया। सदन के संचालन के बारे में यदि कोई शिकायत हो, मैं समझता हूं कि पंचायती राज जैसे विषय पर सब बोलते तो बहुत अच्छी बात होती, अन्य विषय हैं, उन पर भी हम बोलते तो बहुत अच्छी बात होती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन निवेदन के साथ, नम्बर-वन, अध्यक्ष महोदय के मुंह से एक बात सदन में यह भी निकली थी कि मैंने तो दो-दो मिनट की चिट के रूप में जो आया है, उसके रूप में धनखड़ साहब को पुकारा, वह प्रोसीडिंग भी देख ली जाय। 306 का प्रस्ताव नहीं हुआ, यह प्रोसीडिंग भी देख ली जाए। एक सौ...

श्रीमती कमला : प्रोसिडिंग मंगवा लें।

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग मंगवा लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, हां। मंगवा लीजिये, मंगवा लीजिये। शांति रखिये, आप बोल लीजिये न। इसमें गुस्सा करने की,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मोटवानी साहब, आप जिसके उपाध्यक्ष के पद पर रहे (व्यवधान) आप बिराजिये। इन सारी परिस्थितियों में रूल्स अपनी जगह हैं, नियम अपनी जगह हैं और संविधान की व्यवस्था अपनी जगह है लेकिन इस सदन की परम्परा भी अपने स्थान पर है और इसलिये मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि सारे अप्रिय प्रसंगों, जैसे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, बहुत वेदना के साथ ला रहे हैं तो वेदना को दूर किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : कल के बारे में आप दो शब्द कह दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने कह दिया, जो कुछ मुझे कहना था। मैं मेरिट में नहीं जा रहा हूं। वेदना पर अगर करना है तो उस पर तो बाहर बैठकर फैसला किया जा सकता है। सिर्फ वेदना के कारण से अविश्वास प्रस्ताव ? मैं माननीय पूनम चन्दजी से भी कहूंगा कि इस सदन की जिस प्रकार की अपनी परम्परा रही है, माननीय नरोत्तम लालजी, रामनिवासजी मिर्धा से लेकर के पूनमचन्दजी से लेकर के सारी जो अपनी एक जबरदस्त परम्परा रही है, उस परम्परा के हिसाब से अपन चले। मेरा पुनः निवेदन है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम इतनी लम्बी-चौड़ी बहस में पड़ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कही -

श्री उपाध्यक्ष : आप भी शॉर्ट में ही कह दें।

श्री टीकमचन्द कान्त : बिलकुल शॉर्ट में कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, और वह यह था कि अध्यक्ष महोदय का अभिप्राय क्या था और मंशा क्या थी। वास्तव में सही मायने में बोलें तो बात यह है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा भावनाशील हैं। प्रश्न उपस्थित होने से पूर्व नियमों में जाने से पूर्व नियमों के अनुसार उनको अनुमति मिलने से पूर्व ही संवेदनशीलता के कारण और भावनाशीलता के कारण उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपकी इस बात पर, अब मेरे लिये अविश्वास प्रस्ताव की जो बात करना चाहते हो, उस पर व्यवस्था भी मैं नहीं दूंगा, इसकी जगह उपाध्यक्ष आएंगे वे अनुमति देंगे। यानि वह व्यवस्था भी उपाध्यक्ष महोदय देंगे। बात यहीं समाप्त हो जाती है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सदस्य, आप गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आप बिलकुल गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : इन्होंने , उपाध्यक्ष महोदय-

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्होंने नाम बोला बोलने के लिये-

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने नाम बोला है, बोलने के लिये और (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला यही नहीं, 306 के तहत निलम्बन की जो आज्ञा चाहते हैं, वह भी आप दें या न दें।

एक माननीय सदस्य : वे 306 में आज्ञा दें ही नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : नहीं, नहीं। वह भी आप दें या नहीं दें, उनको बोलने की अनुमति भी आप दें या नहीं दें, यह सम्पूर्ण व्यवस्था आपके ऊपर छोड़कर अध्यक्ष महोदय गये हैं। इस बात को कृपया ध्यान में रखकर के अपना निर्णय इसमें दें।

श्री उपाध्यक्ष : भाटीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी और उनके नेता को बधाई देता हूं कि वे आज यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं। साथ ही साथ... (व्यवधान) देखिये, बड़ी गम्भीर सिचुएशन है, मेहरबानी करके आप भी बोलिये। मैं कब कह रहा हूं मत बोलिये। साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आल दो, स्पीकर साहब ने अनेकों रूलिंग्स मेरे खिलाफ दी होंगी, मेरे प्रस्तावों के खिलाफ दी होंगी, उनको एक तरफ धरते हुए मैं स्पीकर साहब का भी, अध्यक्ष महोदय का भी आभारी हूं कि आज जो उन्होंने यहां एक परम्परा...

श्री उपाध्यक्ष : आसन किसी के खिलाफ रूलिंग नहीं देता। आसन तो जो नियम और परम्परा हैं, उनके अनुसार कुछ कहता है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ठीक है। स्पीकर साहब ने आज बहुत ही इस हाउस की ऊंची परम्परा डाली है। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने और माननीय लक्ष्मणसिंह जी ने पाइंट ऑफ आर्डर के माध्यम से जो भी बिन्दु उठाये हैं, उनमें मैं भी अपने आपको जोड़ते हुए यह अर्ज करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, 179 के तहत कांस्टीट्यूशन में प्रोवीजन है लेकिन उस कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन्स को लागू करने के लिये, भले ही पार्लियामेंट में या असैम्बलीज में यह रूल्स आफ प्रोसीजर बने हैं, ये फ्रेम हुए हैं। अनेकों बार 1952 से लेकर आज तक, अपने को पता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जैसे परिस्थिति आयीं उनमें अमेंडमेंट्स भी आये हैं और इन रूल्स को एप्लाई करने की अथोरिटी आप दोनों में है कि हाउस अच्छी तरह चले। आज मेरा ख्याल है, एक भी सदस्य ऐसा नहीं है इस विधान सभा का कि जिसको सुबह से पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। अखबार में था, अच्छी तरह से पढ़ा। जो अखबार नहीं पढ़ता है, उनको भी पता है क्योंकि आपस में चर्चा होती है। अगर कोई यह कह दें कि साहब मुझे पता नहीं है, ठीक है, उनको पता नहीं होगा। मैं उनका...

श्री किशन गोपाल कोगटा : हाउस अखबार से नहीं चलता।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठता है जैसा कि उप मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया, कि अध्यक्ष को यह तो 306 के तहत अथोरिटी है कि वह रूल्स का रिलैक्सेशन कर सकते हैं कि लेकिन कांस्टीट्यूशनल कोई भी प्रोवीजन हो, वे उसमें

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

रिलैक्स नहीं कर सकते। अब मैं यह अर्ज करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपको यह अथोरिटी कांस्टीट्यूशन में दे दी है कि आप स्पीकर के खिलाफ 14 दिन के नोटिस के तहत पधारो लेकिन साथ ही साथ रूल्स में आपने क्या किया ? उपाध्यक्ष महोदय, 134 के तहत 14 दिन का प्रोवीजन रखा है और दूसरे और अनेकों रूल्स हैं, जिनके तहत आपने कुछ बाइंडिंग्स रखी हैं, मैम्बर्स पर और इस हाउस पर। अब प्रश्न यह उठता है कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में जहां कि कांस्टीट्यूशनल फ्रेमर्स ने नहीं सोचा होगा, उन्होंने कल्पना ही नहीं की होगी कि ऐसा कोई इश्यू या कोई बिन्दु उठ जाता है। उसके लिये आपको अथोरिटी दी है, इस चेयर को। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें तो अध्यक्ष महोदय ने बताया ही नहीं और न ही अनुमति ली। हाउस में चेयर को किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : है।

(13.00)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : है, तो आप स्पीकर बन जाओ, पीछे मैं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न अब अपने सामने आया, 306 को रिलैक्स करने के लिये। इसमें मैं भी सिग्नेटरी हूं और अध्यक्ष महोदय की महानता है कि जैसे ही माननीय सदस्य धनखड़जी उठे, स्पीकर साहब ने उनका नाम पुकारा और नाम पुकार कर उन्होंने कहा कि आप मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है। उस पर बोलना चाहते हैं इसलिये मैं आपको इसके लिये अनुमति देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया। सुनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये, सुनें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरा कहीं स्पीकर साहब ने जो फरमाया उसके खिलाफ है। आप थोड़ा सीरियसली लो, कोई यह...

श्री नाथू सिंह गुर्जर : भाटी साहब, 306 पढ़िये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो आप कहेंगे तो आप के घर पर आ कर जो आप फरमायेंगे वह पढ़ लूंगा।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : 306 पढ़िये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, 306 अच्छी तरह पढ़ रखा है। 306 तो मैंने कोट भी किया है। जब आपने 121 की व्यवस्था उठायी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह उठता है, चेयर को सब अथोरिटी है कि वह हाउस को सुनाएं या नहीं सुनाएं। जो बिजनेस चेयर के सामने आया है उसके तहत ही स्पीकर साहब ने धनखड़ साहब को परमिशन दी। मैं और भी अर्ज करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी जिक्र उन्होंने फरमाया और यह भी कहा कि चूंकि मेरे खिलाफ आप यह अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं, इसलिये मैं तो उठ कर जाता हूं उपाध्यक्ष आएंगे और आप खूब बोलिये या इस पर खूब चर्चा कीजिये, चर्चा शब्द था या बोलिये, मैंने बोलिये सुना। उपाध्यक्ष महोदय,

Page No.92

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

अब प्रश्न उठता है इंटरप्रेटेशन का। अब इंटरप्रेटेशन की कोई आवश्यकता इसलिये नहीं उठती, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप तो तब निर्णय लेंगे अगर अध्यक्ष महोदय ने नहीं लिया हो, अब वह इम्प्लाइड कंसेंट है, इम्प्लाइड डिसीजन है। इसलिये मेरी आप से विनती है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, कोई मजाक की बात नहीं है। हम यहां विपक्ष में बैठे हैं, जो नेतागण हैं उन्होंने बहुत ही विचार कर सोच समझ कर क्योंकि आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप हमारे भी हैं, आप बी.जे.पी. के नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप के ज्यादा हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब, महावीरजी, अगर आप...(व्यवधान)...उनको तो रोकिये।

इसलिये मेरी अर्ज यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो रूल्स हैं उन रूल्स का इंटरप्रेटेशन बड़े ग्रेसफुली और मेग्नानिमसली अध्यक्ष महोदय ने किया है, उसको आप लागू करते हुए इस डिबेट पर हमें चर्चा करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, हमें करने दीजिये मेहरबानी करके। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद और धनखड़ जी को बोलने दें। धन्यवाद।

श्री नरपत सिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। थोड़ा सा अर्ज करूंगा। अभी एक चर्चा आयी है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट की, मेरे ख्याल से तो सदन की कोई इम्प्लाइड कंसेंट होती ही नहीं है और माननीय अध्यक्ष की तो इम्प्लाइड कंसेंट का प्रश्न नहीं है, वे तो एक्सप्रेसली कहते हैं।

दूसरा मेरा निवेदन था, अखबारों में काफी छपा है यह निश्चित रूप से सही है। अखबारों में भी छपा, कल रात को ही पता लग गया लेकिन मैं ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यान मैग्नाकार्टा साइन होने के बाद 1937 की जेनकिन्स ट्रायल्स हुई थी, उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जब इंग्लैण्ड के राजा ने किसी चीज का विरोध करते हुए सदस्यों पर दबाव डाला और स्पीकर से पूछा कि अमुक सदस्य कहां है, उसकी जानकारी आप को है, तो माननीय अध्यक्ष ने उस समय कहा, Speaker can see nothing, he can speak nothing and he listens nothing. अध्यक्ष महोदय को अगर इस चीज की अखबार से जानकारी थी, वास्तव में भी, फिर भी उनके अध्यक्ष होने के नाते उस चीज का रिफ्लेक्शन इस सदन की कुर्सी पर बैठने के पश्चात नहीं हो सकता, इम्प्लाइड कंसेंट नहीं मानी जा सकती। धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट कहना चाहता हूं।

विवाद का विषय यह चल रहा है कि स्पीकर महोदय ने 306 के अन्तर्गत इजाजत दी या नहीं दी। इसमें कहा यह जा रहा है कि 306 की इजाजत जब तक कि हाउस की स्पेसिफिक कंसेंट ले नहीं ली जाए तब तक नहीं मानी जाएगी। मैं आप से केवल यह

Page No.93

(श्री हरिसिंह)

निवेदन करना चाह रहा हूं कि स्पीकर में इस प्रक्रिया निगम ने बहुत बड़ी शक्ति निहित कर दी है, 306 से भी ज्यादा उनको अधिकार हैं और इसके सम्बन्ध में मैं नियम 307 और 308 पढ़ना चाहता हूं। जितने भी नियम इसके अन्दर हैं उनकी परिभाषा, उन नियमों का इंटरप्रेटेशन जो स्पीकर साहब अपने मुंह से कहेंगे वह माना जाएगा। आप इसमें देखें। "307. Residuary Powers- All matters not specifically provided for in these rules and all question relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time direct."

"308...If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the decision of the Speaker shall be final."

रूल्स के सम्बन्ध में स्पीकर साहब ने अगर कोई बात कह दी कि इस नियम का इंटरप्रेटेशन इस प्रकार से है तो उनका कहना फाइनल है, उनकी व्यवस्था को चैलेंज करना इस सदन में मैं समझता हूँ, उपयुक्त बात नहीं होगी ।

स्पीकर महोदय ने, आप अपनी हाउस की प्रोसिडिंग्स मंगा लीजिये, टेप मंगा लीजिये, उन्होंने स्पष्टतः यह बात कही कि क्योंकि मिस्टर धनखड़ मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में बोलना चाहते हैं इसलिए मैं उनको इजाजत दे रहा हूं और मैं आसन से जा रहा हूं। ऐसी बात उन्होंने कही थी इस संबंध में इसलिए अब कोई यह बात कि 306 की इजाजत दी या नहीं दी, स्पीकर के मुंह से बात निकल गयी वह बात फाइनल है यह मेरा निवेदन है आप से ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक सत्ता पक्ष की तरफ से किसी माननीय सदस्य ने जो भाषा का प्रयोग किया, + + + उसको मैं कार्यवाही से विलोपित करता हूं ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप के सचेतक महोदय ने किया है ।

श्री शिवनाथ सिंह : उनको ताड़ना दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय । —(व्यवधान)—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाये रखें । सवाल यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है इस अविश्वास के प्रस्ताव के अन्दर जो प्रक्रियाएं हमारी बनी हुई हैं, नियमों के अंदर हैं, नियम 36 के अन्तर्गत उनको रिलैक्स किया जाए और रिलैक्स करने के बाद उस पर चर्चा की जानी चाहिये ।

एक सवाल यह भी आया कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी । तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षजी जब आसन से जा रहे थे तो मैंने

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

पूछा था, उन्होंने अनुमति दी है लेकिन अनुमति दी है 306 पर बातचीत करने के लिये, डिस्कस करने के लिए 306 में । 306 पर हाउस डिस्कस कर सकता है, यह उन्होंने कहा है ।तो माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है...

श्री शिवनाथ सिंह : माफी चाहता हूं, यह बात उनको ही आकर कहनी चाहिये क्या कह कर गये हैं वे । उनको आकर कहनी चाहिये यह बात ।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया जब आसन पैरों पर हो, आप बहुत पुराने सदस्य हैं, वरिष्ठ हैं इस सदन के अन्दर, आप यदि नियमों का पालन करेंगे तो और सब करेंगे ।

श्री शिवनाथ सिंह : पूरा पालन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय । पूरा पालन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठे-बैठे भी नहीं बोल सकते ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, 306 पर सदन यदि डिस्कस करना चाहे तो डिस्कस कर सकता है, मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं। इसके अलावा इनके पाइंट आफ आर्डर को मैं रिजेक्ट करता हूं ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय स्वयं ही आकर इस स्थिति को स्पष्ट करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा बजाय इसके कि हम स्वयं इसको इंटरप्रेट करें ।...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय जो कह गये हैं उसका स्पष्टीकरण वे स्वयं ही करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी । जो कह गये हैं, जो कुछ यहां कहा गया, उस सब के बारे में व्यवस्था दी है । कृपया बिराजें ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने आपकी व्यवस्था दी है । आपकी व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं क्योंकि विपक्ष सदैव ही नियमों के अनुरूप चलने में विश्वास करता है । आपने रूल 306 में डिस्कशन करने की जो अनुमति दी है उसके लिये भी हम आपके आभारी हैं । आपने 306 में अनुमति दी है । डिस्कशन करने के लिये, उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री नाथू सिंह गुर्जर: 306 पर बोल सकते हो, इश्यू पर नहीं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : 306 के अंदर, उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि अगर अध्यक्ष महोदय चाहें तो रूल्स को रिलैक्स किया जा सकता है । अब इस नियम का प्रावधान क्यों रखा गया है ? अध्यक्ष महोदय को काफी वाइड पॉवर्स इस नियम के अन्तर्गत दी गयी है। ऐसी कई बार परिस्थिति आ जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जबकि यह अपेक्षा की जाती है चेयर से, अध्यक्ष महोदय से, कि वे कुछ रूल्स को भी स्थगित करें ।

यह सर्वविदित है कि यह सदन 22 या 23 तारीख तक चलेगा और कल जो परिस्थितियां बनी थीं, उपाध्यक्ष महोदय,

Page No.95

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

परिस्थितियां ऐसी थीं कि जिससे विपक्ष को, यह सही है, वहुत ही वेदना से इस निर्णय को लेना पड़ा। सरकार के खिलाफ तो अविश्वास के प्रस्ताव कई बार लाये जाते हैं लेकिन ऐसा रेयरली होता है जबकि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार किया जाता है । इसलिए विपक्ष की कार्यकारिणी की कल बैठक हुई, आपातकालीन बैठक हुई, इस पर गंभीरता से विचार किया गया। सभी मुद्दों के ऊपर सोचा गया तब यह निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया जाये। हम यह भी जानते हैं कि रूल 134 में प्रक्रिया निर्धारित है और 134 के अंदर 14 दिन का नोटिस दिया जाता है । 14 दिन के बाद में चेयर से यह पूछा जायेगा कि इसके पक्ष में अगर वन फिफ्थ मेम्बर्स हों तो खड़े हों। वन फिफ्थ खड़े होंगे उसके बाद में इसका निर्धारण किया जायेगा कि कौनसे डे पर इसके ऊपर चर्चा की जाये । हम 134 से भी वाकिफ हैं लेकिन पांच-छह दिन के बाद सैशन खतम होने वाला है और परिस्थितियां कल की जिस प्रकार की थीं विपक्ष को ऐसा आभास हुआ, विपक्ष ने ऐसा महसूस किया कि आसन से, अध्यक्ष महोदय से हमारे हितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय से जो अपेक्षा थी कि वे सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाकर निष्पक्ष भाव से हमारी बात को सुनेंगे और निर्णय लेंगे । उस आशा पर, उस विश्वास पर कुठाराघात हुआ है। और इसलिए इस निर्णय पर पहुंच कर हमने 134 के नियम को आगे स्थगित करने के लिये अपना रिजोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं टैक्नीकलीटीज में नहीं जाना चाहता । हमें बाद में उस सब्स्टेंस की तरफ ध्यान देना है। अभी पंचायत राज मंत्रीजी ने लोक सभा की कुछ रूलिंग कोट की। मैं भी यहाँ पर रूलिंग्स के ऊपर ही आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहूँगा, जो 2 रूलिंग लोक सभा में हुई उसकी तरफ ले जाना चाहूँगा । उस वक्त भी इस प्रकार के रिजोल्यूशन आये, मैं नहीं कहता कि उसमें स्पेसिफिकली जो रीजन था, उस पर जो डिस्कशन अलाउ किया, उसमें 14 दिन वाले को वेव किया गया। लेकिन कुछ टेक्नीकल फार्मलटीज कम्पलीट करनी चाहिये थीं, नियमों के अनुसार और कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 94 के हिसाब से लोक सभा के स्पीकर को हटाने के लिए जो टेक्नीकलीटीज पूरी करनी थी, वह पूरी की गयी थी ।

लेकिन जिस प्रकार के आज अध्यक्ष महोदय ने सदाशयता बतायी, आज उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से उस वक्त स्पीकर और डिप्टी महोदय ने भी सदाशयता बतायी । मैं पहली बात की, तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 18.12.54 को स्पीकर मावलंकर साहब के अगेंस्ट में नो कान्फिडेंस का मोशन लाया गया था । मावलंकर साहब उठकर चले गये

Page No.96

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

थे चेयर से, डिप्टी स्पीकर कहां पर थे और उस समय भी कई टेक्नीकलीटीज की, औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की गयी थी। डिप्टी स्पीकर लोक सभा ने 18.12.54 को, मैं कोल एण्ड शकधर में से कोट कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, The Deputy Speaker made the following observations when a point of order was raised regarding the admissibility of the resolution for the removal of Speaker Mavalankar:..." डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा "... I do not want to disallow this motion on a technicality... yet since this happens to be a Resolution for the removal of the Speaker, I would say that I am going to admit it now, of course subject to hon. members supporting it, I am going to allow it. I do not want to stand on technicalities because it is one of first impression, and a matter of this kind ought to be thrashed out in the House." अर्थात् डिप्टी स्पीकर साहब ने उन टैक्नीकलीटीज को दर-किनार कर दिया जो कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 94 के अन्तर्गत आवश्यक थीं। वे भी कांस्टीट्यूशन की धारा के अनुरूप होनी चाहिये थी, जो नहीं थीं। उन्होंने यह कहा, क्योंकि यह हाउस चाहता है या इसके कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं तो इस इश्यू पर टेक्नीकलीटीज में नहीं जाऊंगा और इसको थ्रेश आउट कर लेना चाहिये सदन में और इसलिए उन्होंने इस इश्यू पर डिस्कशन अलाउ कर दिया।

इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, 15.4.1987 को जब डा. बलराज जाखड़ स्पीकर थे, उनको हटाने के लिये एक रिजोल्यूशन लाया गया था उस वक्त भी चेयर पर डिप्टी स्पीकर थे। डिप्टी स्पीकर साहब ने इसी प्रकार से यह फार्मलटीज और टेक्नीकलीटीज, औपचारिकताओं को वेव करने की बात कही थी और उन्होंने निर्णय लिया था उन्होंने कहा था, "Again in a similar situation, the Deputy Speaker made the following observations regarding the admissibility of the resolution for removal of Speaker, Dr. Bal Ram Jakhar."

I quote, "... Further, the notice suffers from many infimities which I should like to place before the House...." और बाद में उन्होंने कहा "...However, notwithstanding all this, I would not like to stand between the members who have given the notice and the rest of the House. Since this happens to be a resolution given under article 94 of

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

the Constitution and concerns the removal of the Speaker himself,—" अर्थात् इसी चीज को 1987 में भी वापस प्रतिपादित किया गया कि जब किसी अध्यक्ष महोदय के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके सब्स्टेंस में जाना चाहिये न कि फार्मलटिज और टेक्नीकलीटीज में जाना चाहिये। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 94 के अंदर जो प्रावधान था उनमें फार्मलटीज पूरी नहीं की गयी थीं इन दोनों ओकेजेन्स में 1954 में भी, 1987 में भी और तत्कालीन डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने सदाशयता बरती। उनके अगेंस्ट में था यह इश्यू, इस कारण से उन्होंने नियमों को भी अलग हटाकर, उनका भी निलम्बन करके उस विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, क्योंकि निर्णय आपको करना है और ये आपसे सम्बन्धित बिन्दु हैं – हम किसी ऐसे नियम को सस्पैण्ड करने के लिये मांग नहीं कर रहे हैं जो कि सरकार से सम्बन्धित है, इसलिए आपको और भी ज्यादा सदाशयता बरतनी पड़ेगी, आपको और भी इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा जिस प्रकार का उदाहरण अभी-अभी अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत किया है। वैसे सब अपने दिल में जानते हैं कि बाइ हिज डीड एण्ड एक्ट, उन्होंने यह प्रूव कर दिया कि वह इस पर डिस्कशन अलाउ करते हैं और उन्होंने बड़प्पन दिखाकर इस चेयर को वैकेट कर दिया। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आप बड़प्पन दिखायें। डिस्कशन होगा, हम जानते हैं और इनका अन्त क्या होने वाला है, यह भी हम जानते हैं लेकिन फिर भी आज हाउस के सामने विपक्ष ने सोच-समझकर बहुत गंभीरता से मनन और चिन्तन करके एक इस प्रकार का रिजोल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत किया है, और नियम 134 को सस्पैण्ड करने के लिये नियम 306 के हवाले से आपसे आज्ञा मांगी है। आपकी शक्तियों में यह निहित है कि आप 134 को सस्पैण्ड करके इस अविश्वास प्रस्ताव पर, जो अध्यक्ष महोदय के अगेंस्ट में आया है, चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तकनीकी मामलों में न जाकर सिर्फ एक मुद्दे की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव की प्रक्रियाओं को रिलैक्सेशन देकर इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की इजाजत क्यों दी, इसके बारे में सदन को सोचना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को कतई तौर पर उचित नहीं समझा कि 14 दिन की जो एक कानूनी फार्मेलटी है, उसके कारण से यह प्रस्ताव लम्बित रहे। उसके बाबत सदन में जो चर्चाएं होनी हैं या जो बाहर की जाएंगी, अगर यह चर्चा नहीं होती तुरन्त तो उन लम्बित चर्चाओं का, भ्रांतियों का और अन्य मुद्दों का भी प्रभाव, कुप्रभाव या प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय उस बात को कतई तौर पर अपनी

(श्रीमती कमला)

शान के, इज्जत के, प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं मानते होंगे इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को लम्बित करना उचित नहीं समझा। जो तकनीकी मुद्दे इसमें आ सकते थे उन सबको दरकिनार करके उन्होंने रिलैक्सेशन देकर इस पर चर्चा कर आज ही इसको समाप्त करना उचित समझा।

एक बहुत बड़ा पहलू है, उनकी बहुत बड़ी सदाशयता है और एक दूरगामी प्रभाव को अपने ऊपर से हटाने के लिये उनकी एक सोच है। उसको मानते हुए उन्होंने बखूबी सोचकर खुले रूप से इसकी परमिशन दी है जिसको सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य दूसरी तरह से इंटरप्रेट करके रोकना चाहते हैं और इस प्रस्ताव को लम्बित रखकर उनके ऊपर जो चर्चाएं चलती रहेंगी उनको कायम रखना चाहते हैं। यह उनके सम्मान के खिलाफ बात होगी न कि उनके सम्मान के अनुकूल बात होगी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर इसकी इजाजत दी थी। अब इसको कानूनी मुद्दे में डालकर आगे टालना, इसको लम्बित करना उपयुक्त नहीं है। उनकी भावनाओं के अनुकूल हमें इसके ऊपर चर्चा करने की शुरूआत करनी चाहिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास वह स्लिप होगी जो माननीय धनखड़ साहब ने दी थी, जरा पढ़कर सुना दें तो हमें मालूम पड़ जाएगा आपने क्या इजाजत मांगी।

श्री उपाध्यक्ष : 306 वाली ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने जो स्लिप भेजी थी बोलने के बाद में, जीरो आवर में। बोलने के लिए जो आपने स्लिप दी थी।

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने कोई स्लिप नहीं दी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, है तो पढ़ दीजिये, नहीं तो कोई बात नहीं। खैर, आप देख लीजिये, यदि है तो उसको पढ़ लीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : 306 के बाद नाम दिये हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप देख लीजिये। यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। यदि होगी तो बाद में देख लेंगे।

श्री जगदीप धनखड़ : Please let me read.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक मिनट पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये फिर आप बोल लेना। अभी तो बहस चलेगी, आप बोल लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने आज अध्यक्ष महोदय को किसी प्रकार की कोई स्लिप जीरो आवर में कोई बात कहने के लिए नहीं दी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यहां पर यह कहा कि आपकी पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए जो लिस्ट आपके सचेतक ने दी है आपका नाम एक नम्बर पर है इसलिए आप बोलिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने स्लिप नहीं दी ? ठीक है, छोड़िये हो गया, मान लिया।

श्री जगदीप धनखड़ : और यह कहा कि आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोलिये और वह प्रस्ताव आपको (व्यवधान) मैं बता दूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बैठिये मान लिया मैंने ।Now I am not yielding, sir.

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, मैं मेरी बात पूरी कर दूं। उपाध्यक्ष महोदय, Deputy Chief Minister is trying to speak out of nothing.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। अब आप बिराजें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक व्यवस्था दे दी, अब उस व्यवस्था के बारे में कुछ भी कहना किसी भी माननीय सदस्य के लिए न नियमों के अनुकूल हैं, न परम्पराओं के अनुकूल है, न उचित है। आपने यह व्यवस्था दे दी कि 306 के बारे में यहां पर बहस करिये। इसके पहले की बात जो भी हुई, मैं समझता हूं उसकी चर्चा करने से अब कोई फायदा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 14 दिन का नोटिस देने का जो प्रावधान है, मुख्य रूप से यह प्रावधान संविधान में है। रूल्स बाद में बने हैं, संविधान पहले बना है और उस संविधान के अन्तर्गत ही 179 आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को करने के पीछे संविधान निर्माताओं का सोच बहुत दूर का था। संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि हाउस में कभी भी गर्मा-गर्मी हो सकती है और गर्मा-गर्मी में कभी कोई भी माननीय सदस्य क्योंकि और तो उपाध्यक्ष के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, यह आपके नियमों में है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करनी हो तो एक ही हो सकती है कि आप उनको रिमूवल का नोटिस दे दीजिये। इसके सिवाय उनके बारे में या उनकी व्यवस्था के बारे में एक शब्द भी करने की इजाजत न कानून देता है, न नियम देते हैं, न परम्पराएं देती हैं। तो कोई भी माननीय सदस्य किसी भावावेश में आकर कभी भी यह नोटिस दे सकता है कि वहीं आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देना है और चूंकि वह भावावेश में दिया हुआ है इसलिए उस पर पुनर्चिन्तन करने का अवसर दिया जाना जरूरी है। इसलिए डेलीबरेटली यह 14 दिन की व्यवस्था संविधान में की गयी है क्योंकि 14 दिन का पीरियड इतना लम्बा है कि कोई भी सदस्य या मान लीजिये कोई वर्ग या पार्टी या दल अचानक कोई निर्णय करे तो 14 दिन में वह उस पर पुनर्विचार कर सकता है। वह इसलिए कि माननीय अध्यक्ष का जो पद है, प्रतिपक्ष के नेता भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, सभी सहमत होंगे कि अत्यन्त गरिमामय पद है। सरकार के खिलाफ चाहे जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सरकार के खिलाफ आरोप भी लगाये जा सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन अध्यक्ष इन सब बातों से बरी हैं, न उन पर आरोप लगाया

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जा सकता है। इसलिए उनको हटाने का मामला बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, यह संविधान की मंशा है और मैं समझता हूं, आज तक की सब परम्पराओं की भी मंशा है कि अध्यक्ष के खिलाफ कुछ भी कहने के पहले हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार विचार करना चाहिए कि क्या इस पद पर हम आक्षेप लगाएं क्या इसको हटाने की स्थिति आ गयी? इसलिए जानबूझकर के 14 दिन का यह समय रखा गया पुनर्विचार करने के लिए। मैं समझता हूं कि जितने भी अभी अविश्वास प्रस्ताव आये हैं, एकाध एक्सेप्शन का मुझे पता नहीं, वे इसी तरह के आये हैं, वे 14 दिन में रिफ्यूज भी हो गये और बाद में उन पर किसी ने चर्चा भी नहीं की, दबाव भी नहीं डाला। तो संविधान निर्माताओं ने बहुत समझ के साथ यह 14 दिन का पीरियड रखा था।

अब सवाल यह है रूल 134 का, इस पर लम्बी प्रक्रिया है। अभी तो प्रस्ताव पर चर्चा इसलिये नहीं हो सकती कि 135 की मंशा के अनुसार जब तक प्रस्ताव मूव नहीं किया जाय और वन फिफ्थ आफ दि मैम्बर खड़े होकर उसको सपोर्ट नहीं करें तब तक चर्चा नहीं हो सकती। मान लीजिये आपने इजाजत भी दे दी तो भी यह प्रक्रिया तो पूरी करनी ही पड़ेगी कि वन फिफ्थ आफ दि मैम्बर खड़े होकर उस प्रस्ताव के पक्ष में बोलें। तब उस पर चर्चा हो सकती है। अभी तो कोई प्रक्रिया हुई नहीं, अब प्रक्रिया होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि मामला 306 का है। 134 और 135 तो बाद में आएंगे जब 306 पर आप अपनी व्यवस्था दे देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 306 में, जहां तक इन रूल्स का प्रश्न है इन रूल्स को सस्पेण्ड करने की प्रक्रिया दी हुई है लेकिन अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि 307 और 308 में बहुत पावर्स हैं। पढ़कर तो उन्होंने सुना दिया मगर साफ लिखा गया है कि रेजीडयुअरी पावर्स हैं, जो पहले कहीं लिखे हुए नहीं है। तो 306 तो आलरेडी लिखा हुआ है, 307 में नहीं आता। ऐसी ही इन्टरप्रेटेशन की बात कही 308 में। इसमें इन्टरप्रेटेशन का सवाल ही नहीं है तो यहां पर न तो 307 लागू होता है और न ही 308 लागू होता है। सी[illegible] सीधा-सीधा 306 का है 306 में रिलैक्स करने की व्यवस्था दी हुई है। जब, मान लीजिये, अध्यक्ष की इच्छा भी हो कि 306 में रिलैक्स करना है तो हाउस को पूछेंगे। हाउस कहेगा कि हां, रिलैक्स कर लीजिये तो रिलैक्स की प्रक्रिया भी होनी बाकी है। वह भी अध्यक्ष के हाथ में नहीं है कि एकदम स्ट्रेट वे में वे कह दें कि मैंने रिलैक्स कर दिया, वह भी उनके हाथ में नहीं है।

इसके अलावा एक और पाइन्ट है इसमें, यदि हम संविधान का वायलेशन करते हैं तो हम न केवल बड़ी भारी गलती करते हैं, We attract the Article 356 also. 356 आर्टिकल के अन्तर्गत, यदि कोई विधान सभा संविधान का वायलेशन करती है तो that can be dissolved. इसी आधार पर उसको

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

डिजोल्व किया जा सकता है कि इस विधान सभा ने संविधान का पालन नहीं किया है, वायलेशन किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है। (व्यवधान) तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय संविधान का वायलेशन करने का अधिकार जब विधान सभा को नहीं है तो अध्यक्ष को कहां से पावर्स आ गये कि वह संविधान के 179 के प्रोवीजी को सस्पैण्ड कर दें। यह पावर आ ही नहीं सकती है। यह तो विधान सभा को भी नहीं है, विधान सभा भी संविधान के खिलाफ कोई कदम उठा नहीं सकती। इसलिये यह मामला इतना सरल नहीं है कि जैसा कहा जा रहा है। इसमें संवैधानिक व्यवस्थाएं साथ में हैं। (व्यवधान) आज तक की जितनी भी व्यवस्थाएं हुई हैं, वे सारी व्यवस्थाएं, इसके अनुसार कोई अध्यक्ष उदार तो सकते हैं जैसा कि माननीय लक्ष्मणसिंहजी ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई अध्यक्ष भावुक भी हो सकते हैं जो यह पसन्द नहीं करें कि यहां बैठकर मेरे ऊपर चार्ज लगे तो मैं फिर यहां बैठूं या नहीं बैठूं उनकी मर्जी की बात है, यह व्यक्ति की बात है। इसका कानून से सम्बन्ध नहीं है और न संविधान से सम्बन्ध है। अलग-अलग वृत्ति के व्यक्ति होते हैं, अलग-अलग सोच के व्यक्ति होते हैं, इसलिए उससे इसको जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। यह कहना कि भावुकता में कुछ अध्यक्ष महोदय ने कह दिया तो उनकी बड़ी भारी उदारता हो गयी, तो यह उदारता इस कानून के ऊपर तो नहीं है। उदारता भी कानून के अन्तर्गत ही हो सकती है, कानून के ऊपर नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में जब संविधान में 14 दिन का नोटिस मैंडेटरी है और उसका वायलेशन करने के और भी परिणाम हो सकते हैं, 306 के अन्तर्गत मान लीजिये इन रूल्स को स्थगित भी कर दिया गया तो भी संविधान के नियम कानून को तो आप स्थगित नहीं कर सकते, वह लागू रहेगा। इसलिए बिना 14 दिन का नोटिस दिये इस पर किसी प्रकार की चर्चा होना या 306 के अन्तर्गत इसको रिलैक्स करना, यह कानून सम्मत नहीं है बल्कि विधान विरोधी है। ऐसी स्थिति में यह 306 का जो प्रस्ताव आपके सामने आया है, मेरा निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था दीजिये और प्रस्ताव को निरस्त करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोटवानी साहब बोल रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात यह आयी कि 306 के तहत हम इस रिजोल्यूशन के लिये नियम 134 को रिलैक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके लिये यह कहा गया कि यह प्रोवीजन/कांस्टीट्यूशन में भी है और वही प्रोवीजन हमारा जो विधान बना उसमें भी है। अब रिलैक्सेशन के जो रूल्स बने वे भी इस लैजिस्लेटिव असैम्बली को कांस्टीट्यूशन के तहत पावर्स मिले तब बनाये। इन रूल्स को बनाते वक्त कहीं भी यह बात नहीं कही कि कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन का समावेश इस

(श्री किशन मोटवानी)

विधि विधान में किया गया है। राजस्थान लैजिस्लेटिव असैम्बली के प्रोसीजर एण्ड रूल्स में। इसको इन शिथिलता के रूल्स से अलग रखा जाए Other than the provisions which are made in the constitution. उसको अलग रखकर उस पर रिलैक्सेशन नहीं किया जा सकता। ऐसी अगर सोच होती तो मैं समझता हूं कि आज जो हमारे प्रक्रिया के रूल्स बने हैं वे इसको एक्सक्लूड करते। इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है तो जो भी रूल्स हमारे बने हैं वे 306 के तहत शिथिलता प्राप्त करने योग्य हैं। आज जो रिजोल्यूशन यहां आया है और जो परिस्थितियां बनी हैं, अगर 14-15 दिन असैम्बली चलने की सम्भावना और होती तो हम इस पर प्रेशर नहीं डालते, जोर नहीं डालते और इसके लिये 306 के तहत नहीं आते। इसीलिये हम आये हैं। मेरा कहना यह है कि यह जो कहा जा रहा है कि हम इसमें कान्स्टीट्यूशन की अवहेलना करेंगे तो शायद हमारी असैम्बली को भंग किया जाएगा, यह निराधार है क्योंकि जो कुछ हमारा विधि विधान बना है, वह कान्स्टीट्यूशन के तहत बना है, सही बना है और यह जो रूल 306 रूल्स को रिलैक्स करने का रूल है वह बिलकुल 134 को भी कवर करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि 306 के तहत शिथिलता देकर, इस डिस्कशन में दिक्कत कहां है ? आज आपने भी देखा, फिर कहेंगे कि डिटेल में जा रहे हैं किन्तु हम तो इस प्रक्रिया को इसीलिये अपना रहे हैं कि आने वाले समय में इस सभा का, इस सदन का जो संचालन है, जिसमें मैं समझता हूं कि इधर या उधर कहीं न कहीं हमारी तरफ से भी, ऊपर से भी घुन लगा है, उस घुन की समाप्ति कैसे हो। जब तक हम इंगित नहीं करेंगे, जब तक अपनी बात कहेंगे नहीं कि यहां यहां गलतियां हुई हैं, इसका अगर आने वाले समय में सुधार किया जाता है तो जो गरिमापूर्ण स्थान इस सभा को मिला हुआ है वह वापस मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मोटवानी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर दिया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बार बार बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बार बार बो... सकते हैं बोलने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने विचारणीय अब आ गया है, वह यह है कि ...

श्री जगदीप धनखड़ : We are waiting for our turn. I was allowed.

श्री उपाध्यक्ष : घनश्याम जी के बाद आप बोलें।

श्री जगदीप धनखड़ : हर आदमी कोई बात कहे तो आप कहें कि इम्पोर्टेड बात कही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मोटवानी जी ने जो बात कही है, मैं दो बातों की ओर सिर्फ एक मिनट में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चेयर को इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग देनी है। वह रूलिंग शायद आने वाले समय के लिये बहुत महत्वपूर्ण होगी। उपाध्यक्ष महोदय, 306 में सदन रिलैक्स कर सकता है और जैसा माननीय हरिसिंह जी ने कहा, 307 या 308 का अगर आप प्रयोग करें और मान लीजिये चेयर भी इसको रिलैक्स कर दे तो प्रस्ताव का प्रयोग किये बिना कर दिया। लेकिन मूल प्रश्न आपकी रूलिंग में निहित हो गया, वह यह हो गया कि क्या चेयर इस रिलैक्शन के आधार पर संविधान की मैंडेटरी प्रोवीजन है उसका भी उल्लंघन कर सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस पर आपको फैसला करना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह फैसला एक मिनट में नहीं हो सकता। इसके लिये संविधान, नियम और सारे सदन को सुनकर आप इसका फैसला कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जरूरी नहीं है कि आप आज ही फैसला करें, आप इसको रिजर्व भी कर सकते हैं और रिजर्व करने के बाद भी इसका फैसला हो सकता है। इसलिये मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि सारे मामले को सुनकर आप विवेकसंगत रूप से इस प्रकार का फैसला करें ताकि आने वाले समय में एक परम्परा हमारे लिये कायम हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धनखड़ साहब ।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उसका मैं बड़ा आदर करता हूं, मेरा यह उत्तरदायित्व है। जो व्यवस्था दी गयी है, उसके पूर्व भी जो व्यवस्था दी माननीय अध्यक्ष महोदय ने, बड़े सोच समझकर वह व्यवस्था दी। जब मैं खड़ा हुआ तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, आप अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कीजिये। तब तक, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ भी कहा नहीं था। उन्होंने यह कागज दिखाया कि मेरे पास आपका नाम आ गया है। मैं अन्दाजा लगाता हूं कि that must be the list of Speakers given by Chief Whip of this side. उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद माननीय सदस्य मदन मोहन जी बोले तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गयी है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, I want to congratulate the Hon'ble Speaker, कि उन्होंने अपनी भावना को पूरी तरह व्यक्त किया और एक बार नहीं, रिपीट किया कि यहां पर कि मेरे बारे में आप जो कुछ कहना चाहते हैं, आप उसको कहिये और जितना बोलना चाहते हैं उतना बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी है उस पर मैं पुनर्विचार करने के लिये तैयार नहीं हूं। आप तो 179 के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने धर्म संकट है और धर्म संकट यह है

(श्री जगदीप धनखड़)
कि अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी और अध्यक्ष जी ने व्यवस्था देने के बाद, सेटिंग वरी हाई ट्रेडीशंस कहा कि उपाध्यक्ष महोदय आएंगे। कंटीन्यूएशन में कहा, मिड स्ट्रीम...

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने व्यवस्था दी, आप उस पर पुनर्विचार करने के लिये तत्पर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कि 306 पर चर्चा चल रही है उसके बारे में आप चर्चा करें। मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने अपनी व्यवस्था में निश्चित तौर पर वह बात कही जो अध्यक्ष महोदय ने इस आसन को छोड़ते वक्त आप के कान में कही थी कि मैं 306 के ऊपर यहां पर डिस्कशन करा रहा हूं। आपने कहा कि इसलिये वे 306 के डिस्कशन की बात कह गये। अब प्रश्न 306 का है। 179 भी हमने पढ़ रखा है, 180 को भी हमने पढ़ रखा है, 181 भी पढ़ रखा है और अभी आर्टिकल 356 का उल्लेख कर रहे थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां पर। कान्स्टीट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, प्रेसीडेंट रूल की बात है, किधर की किधर जोड़ रहे हैं ? 179 की बात तो उपाध्यक्ष महोदय, बाद में आएगी। 179 में कान्स्टीट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोवीजन है : Rules are subservient to the specific provisions in the constitution. Very humbly I would submit that these rules are made by this sovereign House under Article 281 of the Constitution of India, and whatever provision in the rules has been prescribed , that is in consonance with the provisions of the constitution of India. यह यों नहीं है। रूल्स और कान्स्टीट्यूशन को आप सेपरेट कर रहे हो। कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत ही ये रूल्स बने हुए हैं और इसीलिये 306 नहीं, 307 और 308 में जो वास्ट पावर स्पीकर के ऊपर कन्फर किये गये हैं despite & notwithstanding.

श्री नाथू सिंह गुर्जर : Notwithstanding...

श्री परसराम मदेरणा : Notwithstanding anything provided in the constitution एलएलएम. नाटविदस्टेंडिंग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। Notwithstanding that whatever may be the situation in the House, he is the supreme authority here and he can make any relation whatsoever. इसलिये पहले तो 306 पर, उपाध्यक्ष महोदय, बात होने दीजिये, आप 179 को बीच में इंडक्ट मत कीजिये। अभी तो आपने यह कहा...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा।

श्री परसराम मदेरणा : पुनर्विचार क्या, मुझे तो आपने परमिशन दी कि मैं पुनर्विचार

Page No.105

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं करता। आप पुनर्विचार मत कीजिये। आसन सर्वोपरि है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पिछली बातों को नहीं दोहरा रहा।

श्री परसराम मदेरणा : आप उसके लिये तैयार नहीं है तो हम भी विवश हैं, मजबूरी है हमारी। आसन जब सुन ही नहीं रहा है किसी बात को और वह पुनर्विचार करने के लिये तैयार ही नहीं है_

श्री उपाध्यक्ष : मैं दोनों कानों से सुन रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप जब दोनों कानों से सुन रहे है तो आपने खुद ने यह व्यवस्था दी है कि 306 के ऊपर अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा है। पहले शंकाएं जाहिर की कि अध्यक्ष महोदय ने परमिशन दे दी है और मैं जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय जब जाएंगे जिस किसी प्रेजाइडिंग आफिसर के खिलाफ नो कांफीडेंस मोशन ग्रान्ट होने के बाद रिजोल्यूशन डिसक्शन पर आ गया है, वोटिंग पर आ गया है उस वक्त वे नहीं आएंगे Somebody else will come. वह नहीं है तो डिप्टी स्पीकर आएगा और पैनल नहीं है तो गवर्नर किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को उसमें नोमिनेट करेंगे, यह भी प्रावधान है। लेकिन वे यहां से सदाशयता से गये, इमोशनली गये_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह तो क्लियर हो जाएं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : नो-नो, मैं कह रहा हूं। With heavy heart, we have brought this Resolution, and there must have been a reaction in the mind of the Hon'ble speaker. क्योंकि अभी उप मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि अलग-अलग व्यक्ति पर डिपेंड करता है। विष्णु जी ने कह दिया कि you cannot bring such a resolution now because it requires 14 days time. मैटल सैटअप का, इमोशन्स का, भावनाओं का, सदाशयता का विवेचन, उसकी व्याख्या उप मुख्य मंत्रीजी ने की। ये दूसरे मैटल के बने हुए हैं और वर्तमान अध्यक्ष दूसरे मैटल के बने हुए हैं। ये कुछ रूथलैस हैं, उधर से नीचे आ गये। मैं होता तो जिन्दगी में कभी वहां नहीं आता। मुझे तो 6-8 दिन का टाइम मिला था, 1980 में यहां पर प्रोटैम स्पीकर था। मैं उधर नहीं आया, मैं तो प्रोटैम था, इलैक्शन करवाना था स्पीकर का। तो भी चार दिन में हाउस में कई कान्स्टीट्यूशनल मैटर रेज हुए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस कुर्सी पर तो बैठे थे आप।

श्री परसराम मदेरणा : जिस दिन कान्स्टीट्यूशनल मैटर रेज हुआ, चार घंटे तक बहस करवायी सदन में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने व्यवस्था

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी दी थी। सदन को सम्मन करने के बारे में प्रश्न उठा था, आपने व्यवस्था दी थी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट सम्माननीय राजबहादुरजी ने कान्स्टीट्यूशनल पाइन्ट उठाया था। अभी हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग एडवोकेट है, आप उसको सुनिये पहले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो फैट राजबहादुरजी के पाइन्ट आफ आर्डर का हुआ वही फैट सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वकील साहब का होना है।

श्री परसराम मदेरणा : The opposition does not want to hurt the feelings of the Hon'ble speaker. With a heavy heart, I have expressed this earlier also. अब 306 पर इसको आप लिमिटेड रखिये, उसके बाद में आपकी दूसरी कोई व्यवस्था जिसको आप कह रहे हैं 179-179, वह होने की बात है। यह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बार बार बीच में करते हैं, उस दिन मुझे कहना पड़ा यह पण्डिताई आपकी मोनोपोली नहीं है। पण्डिताई आप छांट रहे हो इसलिये मुझे बात कहनी पड़ी। यह 179 हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। We are crystal clear in our mind. We have read 181 also.

एक के बाद एक प्रोसीजर-बिजनेस में आएगा, फिर उसके बाद में रिजोल्यूशन मूव होगा, हाउस की ग्रान्ट मान ली जाएगी मैम्बर्स खड़े होंगे। आज जो कुछ भी अध्यक्ष महोदय यहां से करके गये, हो सकता है कि उनकी मंशा कुछ दूसरी हो, इमोशनल हो गये हों। कल मुझे बुलाया तो मैं नहीं गया। इसलिये मैं नहीं गया कि जब इस तरह यहां पर हाउस में उत्तेजना थी तो अध्यक्ष महोदय को सदन में इमिजिटेयली आना चाहिये था। यह बात तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जब से टेलीकास्ट हो रहा है Whenever there is din and noise in the House, डिप्टी स्पीकर अभी हैं नहीं लेकिन पैनल आफ चेयरमैन वक्त में गड़बड़ी हुई है तो सम्माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के 27 और 28 को-10 को तो कोई ऐसा हुआ नहीं था और 11 और 12 जून को 5 दफा बाहर जाने के बाद में सदन में शांति स्थापित करने के लिये सदन में पधारे और सदन में शांति स्थापित की। अध्यक्ष महोदय कल आये नहीं आप पुनर्विचार के लिये तैयार नहीं। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं सकते। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो अभी मुख्य मंत्री बने हुए हैं, अखबारों में खूब आ रहा है, कल भी आया था 'पंजाब केसरी' में आया, एडिटोरियल आया है हिन्दुस्तान टाइम्स में आया है। मैं निश्चित तौर पर जानता हूं, आप सुन लीजिये, उप मुख्य मंत्रीजी, आप कभी अपनी जिन्दगी में मुख्य मंत्री बनने वाले नहीं हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 208 जिसका आपने उल्लेख किया मैं वही पढ़कर सुनाना चाहता हूं : "A house of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution.."

These rules cannot be without the subject of this Constitution and 179 is a Constitutional provision and these rules are subject to the provision of the Constitution, not beyond that.

श्री उपाध्यक्ष : यस, धनखड़ साहब।

श्री परसराम मदेरणा : It is a matter the judicial court will decide. You are not the final authority.

श्री नाथू सिंह गुर्जर : रूल्स एक्ट के खिलाफ होंगे तो एक्ट प्रिवेल करेगा कि रूल्स प्रिवेल करेंगे, आप बताइये।

श्री परसराम मदेरणा : You have never practised after passing your post graduation, then LL.B.

श्री नाथू सिंह गुर्जर : When there is a clear cut provision in the Article, then rules cannot pass that Article.

श्री परसराम मदेरणा : Attorney is a degree.आप सुप्रीम कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में लॉ का इन्टरप्रेटेशन करते और करते करते आप शीतलवाड़ बन जाते तो मैं नतमस्तक हो जाता। एलएल.एम. तो बहुत फिर रहे हैं।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : एक मिनट, धनखड़ साहब, एक मिनट।

श्री चन्दनमल बैद : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने एलएल.एम. पास करके प्रैक्टिस नहीं की लेकिन एक्टिंग जरूर की है।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन में पार्लियामेन्ट और असैम्बली हाउस का सिस्टम, किस सिस्टम से हाउस चलेगा इसके लिये रूल्स बनाने की पावर दी हुई है, एक आर्टिकल के तहत असैम्बली को भी और पार्लियामेन्ट को भी। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है, जैसा माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने कोट किया 208, इसी तरह 194 में उसमें लिखा है कि कोई भी पार्लियामेन्ट और असैम्बली वही रूल नहीं बना सकती जो कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनके कोंट्रेरी हो, नम्बर वन। नम्बर टू, अमेण्डमेंट आफ दी कान्स्टीट्यूशन की पावर केवल पार्लियामेंट को है और पार्लियामेन्ट आर्टिकल 368 के तहत कान्स्टीट्यूशन का अमेंड कर सकती है। लेकिन उसके लिये सीमित अधिकार पार्लियामेन्ट को अमेंडमेंट करने के दिये हुए है। इस समय माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि अमेंडमेंट आफ कान्स्टीट्यूशन के ऊपर बहुत सारी रूलिंग 1952 से लेकर और आज तक की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर डिसीजन्स दिये हैं। आपकी जानकारी के लिये, आप अभी शीतलवाड़ को और किस किस को कोट कर

(श्री नाथू सिंह गुर्जर)

रहे थे, मेरी पढ़ी हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ा है...

श्री परसराम मदेरणा : एक रूलिंग बता दीजिये, इस हाउस के अन्दर स्वीपिंग रिमार्कस करते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें यह रूलिंग हो गयी।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : मैं बता रहा हूं आपको आर्टिकल 368...

श्री परसराम मदेरणा : We are law knowing persons.

श्री नाथू सिंह गुर्जर : जब डिफाइन किया गया 1952 से लेकर आज तक, धनखड़ साहब जानते होंगे ...

श्री परसराम मदेरणा : Do not try to (... interruption...) It is based on your assertion, and your assertion is not law. यह भी कह दो...(व्यवधान)...मैं आपकी बात पर बिलकुल कहूंगा आप ...(व्यवधान)...

श्री नाथू सिंह गुर्जर : बता रहा हूं अभी।

श्री परसराम मदेरणा : कहां है रूलिंग ? मैं आपकी बात को बिलकुल तौलता, आप रूलिंग लाइये।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : बहुत सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला नहीं है, बहुत सारे हैं। रूलिंग की बात नहीं है। 368 के तहत कान्स्टीट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती है, एक नहीं सैकड़ों हैं, केशवानन्द भारतीय बेसिक फीचर्स आफ दी कान्स्टीट्यूशन, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस असैम्बली को यह अधिकार है कि वह कांस्टीट्यूशन के किसी आर्टिकल का वायलेशन करे, रूल बनाकर ? कर सकती है क्या ? नहीं कर सकती है। ये जो रूल्स हैं ये हाउस के सिस्टम को चलाने के लिए हैं, कांस्टीट्यूशन के किसी आर्टिकल का वायलेशन करने के लिए नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष ने कहा है कि वह अपनी व्यवस्था में चेंज नहीं करेंगे, आप फालतू बात क्यों कर रहे हो ?

श्री नाथू सिंह गुर्जर : कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल 179 आर्टीकल क्लियरली कहता है कि 14 डेज का नोटिस उसमें आवश्यक है। इसलिये मैंने यह बताया कि पार्लियामेन्ट में और असैम्बली में इस तरह से बहुत सारे अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें, मंत्री महोदय।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : 14 डेज का क्लियरकट नोटिस और यह नियमों में भी आपने प्रावधान कर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, 306 की बात हो रही है, उसमें भी स्पीकर साहब सुओमोटो इजाजत नहीं दे सकते। हाउस से पूछना पड़ेगा, हाउस की इजाजत लेनी पड़ेगी। प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव को हाउस में रखा जाएगा। हाउस चाहे तो उसे अस्वीकृत

Page No.109

(श्री नाथू सिंह गुर्जर)

कर दे, हाउस चाहे तो उसे स्वीकार कर ले। उसकी भी एक प्रक्रिया दी हुई है। इसलिए केवल स्पीकर के डिस्क्रिशनरी पावर पर कोई नहीं छोड़ा हुआ है।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जरा मंत्री महोदय को कहिये कि वे बैठें।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत सिम्पल मैटर मैंने यहां कहा। खड़े होकर के एक लम्बा-चौड़ा भाषण रूलिंग का हवाला दे दिया। मैंने एक ही बात कही है उप मुख्य मंत्री जी मैंने कहा है कि यह रूल्स जो बने हुए हैं -

They are under Article 208. They are in consonance with the visions of the constitution. As ards the provisions in the constitution it is independent-independent of the rules. There is no question of violating and the oppposition is not going to violate it. They are levelling a baseless and frivolous charge against the opposition that we are making an attempt to violate law. Not at all. As regards the view point under rule 306, the relaxation for going through the procedure prescribed under rule 134, we are submitting to the Chair and the house our view point. Where are we violating the provisions of the Constitution ? We are not. We are not doing this.आप बीच में ही कि वायलेट कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। जी, हम वायलेट नहीं कर रहे हैं। शायद आप बोल रहे थे तब आप मेरी तरफ देख रहे थे। अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और मुझे आपकी तरफ ही देखना चाहिये था। लेकिन ये तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, पूरे का पूरा हमको उपदेश दे रहे थे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वे इस बात को भूल गये आपने जो कहा था। अपनढ़ जाट और पढ़ा-लिखा जाट इस बात को भूल गये।

श्री परसराम मदेरणा : Gurjar are also jats. सब्स्टेंशियल पीजेंट्री क्लास हैं, उनकी संस्कृति, उनका दिमाग...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मगर एक बात है परसराम जी। + + +

श्रीमती कमला : यह आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है ? आप कितने बड़े सदन में किस सम्मानित पोस्ट पर बैठे हैं ? यह आप इस तरह से कोट करके पहले भी एक बार बोल गये थे जब आप अध्यक्ष थे तब।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ उदाहरण ऐसे हैं...

श्रीमती कमला : इस तरह की बातें, आप

+ + + अभिव्यक्ति उप मुख्य मंत्री द्वारा वापस ली गयी।

(श्रीमती कमला)

यह सोच समझकर बोला करें कि किसके बारे में किस जमाने में क्या बोल रहे हैं आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इस तरह से महिलाओं के नामों को लेकर जो बोला जा रहा है इसको मेहरबानी करके वापस लें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत ढंग से उदाहरण दिये हैं (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह जो आप बोल रहे थे, यह जमाना बदल गया है, भूल जाइये उस जमाने को।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, इसको वापस लें। इसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री जी को इस तरह के उदाहरण नहीं देने चाहिये (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। बहुत सी बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : स्त्रियों के चरित्र के बारे में (व्यवधान) आदमियों के चरित्र के बारे में (व्यवधान) महिलाओं के चरित्र के बारे में बात करने लगे (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यदि मेरे शब्दों से महिलाओं के दिल को चोट पहुंची है तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : बहुत गलत बात है। उप मुख्य मंत्रीजी ने (व्यवधान) उद्धृत करने का क्या मतलब हुआ यहां पर ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उप मुख्य मंत्री महोदय महिलाओं के संबंध में इस प्रकार की टिप्पणियां पहले भी कर चुके हैं। उसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : उप मुख्य मंत्री जी ने महिलाओं के संबंध में जो टिप्पणियां की हैं उनको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उन्हें ताड़ना दी जाए। उप मुख्य मंत्री जी को ताड़ना दी जाए और महिलाओं के खिलाफ जो टिप्पणी है उसको एक्सपंज किया जाये। पहले भी आपने इस प्रकार की टिप्पणी की थी और आपको माफी मांगनी पड़ी थी (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्री जी ने पहले भी टिप्पणी की थी और माफी मांगनी पड़ी थी। (व्यवधान) नारी जाति का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। विपक्ष व प्रदेश नारी जाति का अपमान नहीं सहेगी। (व्यवधान)

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं अपना श्लोक वापस लेता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : यह बात किसी को भी कहने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) महिलाओं को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी जिस समय पुरुषों ने ये बातें कहीं। उनको आज आप उद्धृत करते हैं, यह क्या तरीका है ? (व्यवधान) आप अपने शब्दों को वापस लें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पुरुषों के भाग्य

Page No.111

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

की बातें करें लेकिन स्त्रियों के चरित्र के बारे में उन्हें कोई बोलने का हक नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : बोलने का अधिकार नहीं है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं। बात सुनिये आप, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले बात क्लियर हो जाए ये बातें कहीं क्यों गयीं। हम बहुत अनुशासित लोग हैं, हम बिलकुल अनुशासन नहीं तोड़ना चाहते लेकिन किसी भी प्रकार की कोई किंवदंती जिसकी वहां पर कोई जरूरत नहीं थी, इस प्रकार से उद्धृत की गयी जो मैं समझती हूं कि अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वापस ले लिया। नहीं, आप क्षमा मांगें सदन से। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : यह शब्द वापस ले लिया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप मेरी बात सुनिये। भाभड़ा साहब ने जो कुछ कहा, वे शब्द वापस ले लिये हैं।

श्रीमती कमला : क्षमा मांगें (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : क्षमा मांगें, क्षमा। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार की बात न इधर से आये न उधर से आये। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह क्या तरीका है ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : ईश्वर इन्हें क्षमा करना, इन्हें मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ भी_

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्षमा वीरस्य भूषणम्।

श्रीमती बीना काक : आपने हाथ जोड़ लिये और सिर्फ चार तक गिनती (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी बात पर यह कहा गया है कि नरकृत शास्त्रों के सब बंधन (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री परसराम मदेरणा : भाभड़ा जी ने जो कुछ भी कहा उन्होंने विथड्रा भी कर लिया, खेद भी प्रकट कर दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली। क्षमा मांग ली तो इनको माफ किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धनखड़ साहब।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यन्त्रा चंचल होय_

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पुरुषस्य चरित्रम्-(व्यवधान) जोड़ा जाए इसमें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय, अब सब काम खतम हो गया है, अब पंडिताई नहीं झाड़ें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पंडिताई तो जिन्दगी भर करूंगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : घर में करें। महिलाओं के बारे में नहीं बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समाज में करूंगा और घर में भी करूंगा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : समाज में कर लें लेकिन महिलाओं के बारे में कोई खराब शब्द नहीं बोलेंगे आप।.(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दन्तहीन, विष रहित, विनीत सरल हो।

श्री परसराम मदेरणा : क्षमा बड़न को होत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था to diffuse the little infuriated temper in the House.

राजा चंचल होय जगत को सरकर लागे ॥

पंडित चंचल होय सभा बिच उत्तर ध्यावे ॥

घोड़ा चंचल होय झाट मैदान दिखावे ॥

ये तीनों चंचल भले, राजा, पंडित, गजपुरी। पंडित ज्यादा चंचल होय देस का भट्टा बैठावे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें।

(14.00)

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 306 के तहत जो प्रस्ताव प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों के साथ मेरे द्वारा भी दिया गया है, उसमें उल्लेखित किया गया है कि नियम 134 को स्थगित किया जाए। जिसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्ताव की सूचना होने की तिथि से पूरे 14 दिन बाद और 21 दिन से पहले के कोई दिन होगी। फिर कारण दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि राजस्थान विधान सभा का वर्तमान सत्र 22-23 जुलाई, 1996 को समाप्त हो रहा है, अतः नियम 306 के अन्तर्गत उक्त नियम 134 को निलम्बित किया जाए तथा माननीय अध्यक्ष महोदय को हटाने के प्रस्ताव पर आज ही चर्चा करायी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय को यह मिल गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव 134 का दिया गया है। जिसको पढ़ कर, जिसका अध्ययन करने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो किया उस प्रस्ताव की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और आपके माध्यम से पूरे सदन का-

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : अब आपके वहां से रिमोट कंट्रोल होने की आदत है ही नहीं। मान्यवर, उपाध्यक्ष, महोदय, मैं 306 में नियमों

(श्री जगदीप धनखड़)

के रिलैक्सेशन की चर्चा क्यों कर रहा हूं यह बताना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक क्या है कि 134 के तहत जो प्रस्ताव है उसका मुद्दा क्या है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Sir, I would plead with you to prevail upon senior members of the Government to kindly maintain composure on a matter such serious as this. निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 134 के अन्तर्गत अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत कर सूचित करते हैं कि कल दिनांक 15 जुलाई, 1996 को व पूर्व में अनेक अवसरों पर अध्यक्ष के सदन के सदस्यों के प्रति व्यवहार, विपक्षी सदस्यों की अवहेलना तथा सत्ता पक्ष के इशारों पर चलने की कार्यवाही से क्षुब्ध होकर अत्यंत पीड़ा व वेदना के साथ यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये विवश होना पड़ रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिना परमिशन के कैसे हो रहा है ? यह कैसे हो रहा है आपके राज में बिना परमिशन के। प्रस्ताव मूव होने से पहले आसन पर आक्षेप हो रहे हैं, कृपया देखें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष 306 में रिलैक्सेशन क्यों मांग रहा हूं, इस विषय पर मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। 306 का प्रस्ताव मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि 134 का एक प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को हटाने बाबत हम दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं that is an issue. उसमें क्या कंटेंट्स हैं, क्या उसके अन्दर इस प्रकार का संकल्प है कि 306 में नियमों का रिलैक्सेशन हो ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन महसूस करता है कि आसन की ओर से जिस गरिमा, स्वच्छता और निष्पक्षता की अपेक्षा है-

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को आप क्यों पढ़ रहे हो, 306 में आप बात करिये, 306 में कहिये (व्यवधान) इसकी मैं अनुमति नहीं दे पा रहा हूं, इसकी अनुमति नहीं है। आप 306 के संदर्भ में कुछ बात कहें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 306 की बड़ी इम्पोर्टेंस है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 306 की बात मैं आइसोलेशन में नहीं कर सकता। 306 की बात करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जो संकल्प 134 में दिया जा रहा है उसमें हमने क्या कहा है। उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहा है, सदन महसूस करता है कि अध्यक्ष की ओर से जिस गरिमा और स्वच्छता और निष्पक्षता की अपेक्षा है उसका नितांत अभाव प्रकट हुआ है। संसदीय लोकतंत्र में इन भावनाओं की अभिव्यक्ति (व्यवधान)

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाए। जब तक माह्य की आपने अनुमति नहीं दी है तब

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तक ये कैसे पढ़ सकते हैं ? इन्होंने स्पष्ट कहा था और ये कहने लगे कि यह मैंने प्रस्ताव दे दिया है...

श्री जगदीप धनखड़ : कामना व आशा करता है परन्तु पूर्व में अनेक अवसरों पर...

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो अनुमति ले ली स्वतः ही।

श्री जगदीप धनखड़ : विशेषतः कल दिनांक 15 जुलाई, 1996 को आसन के व्यवहार में निष्पक्षता का अभाव रहा जिससे इस पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। राजस्थान विधान सभा की...

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइंट आफ आर्डर।

श्री जगदीप धनखड़ : कौन से नियम में हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 294, पाइंट आफ आर्डर 294 में उठा रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : वह तो प्रोसीजर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 306 की जो चर्चा कर रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 306 की चर्चा नहीं की जा सकती। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा गम्भीर विषय है जिस पर बहुत सावधानी से विचार किया जाना चाहिये, और कोई भी नियमों को लेकर, इधर उधर से कुछ बात करे। मैं समझता हूं कि जो कुछ पहले व्यवस्थाएं हुई हैं उन सारी व्यवस्थाओं का पहले माननीय परसराम मदेरणाजी ने क्या कहा, पहले माननीय अध्यक्ष की कुर्सी, पर विराजमान थे उन्होंने क्या कहा, यह सब हम इसलिए पढ़ते हैं कि वह हमारे लिए एक तरह से मार्गदर्शन के रूप में होता है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि केवल संविधान की धारा 179 में ही नहीं संविधान की धारा 90 में भी जो राज्य सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए है उसमें भी इस प्रकार का प्रावधान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष यह पढ़ना चाहता हूं...

श्री जगदीप धनखड़ : आप क्या व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं ? 306 के लिए मुझे काल अपान किया गया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 306 में नहीं किया जा सकता। किसलिए नहीं किया ज सकता, वह मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्य महोदय, क्या पाइंट आफ आर्डर अलाउ व दिया ?

श्रीमती कमला : यह कौन-सी व्यवस्था का प्रश्न हुआ ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले जो रिलैक्स हुआ या नहीं, इस पर चर्चा की जा सकती है या नहीं की जा सकती...

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, I was allowed by you honour.

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

महोदय, संविधान की धारा 90 में उप सभापति का पद रिक्त होना_

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हो गयी, ये आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उप सभापति का रिक्त होना, 89 में राज्य सभा का सभापति और उप सभापति, 90 में उप सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना_

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है, यह तो पता लगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राज्य सभा के उप सभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त करेगा_

श्रीमती कमला : संविधान के प्रावधानों को पढ़ रहे हैं, यह कौन सी व्यवस्था का प्रश्न हुआ ? आपकी इजाजत से माननीय सदस्य जिस चर्चा पर बोल रहे हैं और जबरदस्ती यह व्यवस्था का प्रश्न बना रहे हैं, आप रोकिये इनको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी भी सभापति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और ाज्य सभा के माननीय सदस्यों के बहुमत से ारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा ाकेगा परन्तु "ब" खण्ड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा तब तक कि प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना नहीं दी गयी हो।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, इधर भी देखा करिये कभी-कभी तो। उपाध्यक्ष महोदय, आप गलत उनको इजाजत दे रहे हो।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : 306 पर विचार हो रहा है और बीच में इनको पढ़ने की इजाजत दे दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपको काल एण्ड शकधर की व्यवस्था सुनाना चाहता हूं।

श्रीमती कमला : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा में इनके वर्तमान सदस्यों के बहुमत से_

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था को ये कैसे चैलेंज कर रहे हैं ?

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आ सकता है, नहीं आ सकता है उस पर बोल रहे हैं। व्यवस्था का कोई प्रश्न है ही नहीं। आप उनको टोक ही नहीं रहे हो। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अनुच्छेद 94 (2) में किया गया है इसका मतलब है कि वर्तमान सदस्यों की वास्तविक संख्या में उन संख्या का ध्यान नहीं रखा जाता जो खाली हों_(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आप गाइड कर सकती हैं, बाध्य नहीं कर सकतीं। आप बिराजें। इन्होंने कोई व्यवस्था का सवाल उठाया है उसको सुनना पड़ेगा। आप बिराजें।

श्रीमती कमला : मैं तो आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कम से कम 14 दिन की सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन का हिसाब लगाते समय प्रारम्भिक और अंत के दो दिन छोड़ दिये जाते हैं। जो सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदच्युत करने का संकल्प देना चाहता है उसे यह सूचना लिखित रूप में सचिव को देनी पड़ती है। दो या अधिक सदस्य संयुक्त रूप से सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलने पर संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव उस सदस्य के नाम पर उस दिन की कार्यसूची में लिया जाता है जो अध्यक्ष नियत करें लेकिन इस प्रकार नियत दिन संकल्प की सूचना मिलने के 14 दिन के बाद कोई भी दिन तय हो सकता है, यह है। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी व्यवस्थाओं के अनुसार इसमें बिलकुल कैटेगरीकल, मैंडेटरी मतलब है, प्रोवीजन किया गया है। सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं कि 14 दिन के पहले वह संकल्प को नहीं पढ़ा जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। न प्रस्तावना की जा सकती है न उस पर किसी प्रकार की चर्चा हो सकती है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि उस संकल्प के बारे में किसी प्रकार की चर्चा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प पढ़ रहे हैं, 306 के बारे में कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, 306 का मतलब क्या है ? 306 का प्रस्ताव इसीलिये रखा है कि नियमों में शिथिलता देकर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए। अगर इसकी बात ही नहीं करेंगे तो 306 के विषय में क्या कहेंगे, आप बता दीजिये क्या कहेंगे ? 306 में कहेंगे तो यही न कि यह आवश्यक है, 306 में नियमों में ढील देने की इसलिये जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष जी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं...(व्यवधान)...नॉट टू डिस्टर्ब मी...

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आर्ग्युमेंट की भी मैं समझता हूं कि पहले यहां पर अविश्वास प्रस्ताव आया क्योंकि 14 दिन का समय नहीं था इसलिये अप्रेल में अविश्वास प्रस्ताव आया और अगला सदन जब अगस्त में बैठा तब इस पर विचार हुआ क्योंकि 14 दिन पूरे नहीं हुए

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

थे। इतना ही नहीं, लोकसभा में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हुई कि 11 अप्रेल को लिया गया और 16 अप्रेल तक लोकसभा चलनी थी लेकिन चूंकि 16 अप्रैल को 15 दिन पूरे नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ गया। अब आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आपको पूरे समय से दिया है। He is speaking on what point ? किस बात पर बोल रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा..

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया जो बोलना चाहते हैं वही बोलिये।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकारी मुख्य सचेतक बिना किसी आधार पर बोलने की जो चेष्टा करते हैं उस पर आसन की तरफ से अंकुश लगाना चाहिये, शासन की तरफ से भी लगाना चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज आपका बोलना सम्भव नहीं है, धनखड़ साहब।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चीफ व्हिप ऑफ द गवर्नमेंट ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उस व्यवस्था के प्रश्न में इनके कथन और कांस्टीट्यूशनल एण्ड लीगल पोजीशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सदन के समक्ष रखी थी, उसको रीट्रेट किया है रूलिंग के साथ इन्होंने (व्यवधान) वह आपने शकधर की बात नहीं कही होगी, ये खड़े हो गये। इनको क्या है कि इनको पकड़ाते हैं, ये पकड़ करके यहां पढ़ देते हैं। न कोई समझ में आया न कोई बात..।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो पकड़ कर लाता हूं, मुझे कोई पकड़ाता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए आप मेहरबानी करके पहले तैयारी करके आया कीजिये। In a House whatever subject you want to raise on a point of order it is the preparation which is power. You came unprepared. You get from the Assembly Secretariat certain rulling. अब फिर कौल और शकधर की बात की। अब मेज वाला ही पढ़ दो। वह तो रेलेवेंट है, मेज का पढ़ो, House of Commons, you see, is the Mother of all the parliaments. It is in consonance. शकधर ने जगह-जगह मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का उल्लेख किया है। मेज में क्या लिखा है ? कोई पढ़ना नहीं, कोई लिखना नहीं। इसलिए मैंने उस दिन बहुत ही कंस्ट्रेंट के साथ कहा था..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमें गर्व है कि ऐसा सचेतक मिला है।

एक माननीय सदस्य : जाटों के लिए कहा था।

श्री परसराम मदेरणा : अपनढ़ और पढ़ने

(श्री परसराम मदेरणा)

वाली बात पर मैंने कहा था। यह जाटों के लिये नहीं महाजन के लिये कह रहा हूं। ये पढ़े हुए अनपढ़ हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन हमें गर्व है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस आसन पर आप बैठे हैं उसके बारे में 20 मार्च...

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कौल एण्ड शकधर को पढ़कर सुनाता हूं, पेज 92...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I don't yield. आप भाभड़ाजी के नजदीक बैठे हैं, कम से कम संसदीय परम्पराएं उनसे ग्रहण तो कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मैन मुद्दे पर आइये।

श्री परसराम मदेरणा :...जिसमें चार्ल्स को बिहैड किया था। वे स्पीकर जिनको बिहैड किया था वह भी पढ़िये। 21 Speakers were beheaded. यह पार्लियामेण्ट्री प्रैक्टिस एक दिन में नहीं आयी है, इस पर बहुत खून खच्चर हुए हैं। हम अध्यक्ष के आसन पर बहुत मर्यादाओं में चल रहे हैं बल्कि मैं उनके इमोशन से...I tell you, you are made of a different disturbs. इसलिये मैं आपको यह नहीं दूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय भावनाओं में चले गये। कल तो मैं नहीं गया था, उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मैं चाहता था कि वे सदन में पधारते, वे नहीं पधारे। वे सदन में हमेशा संयत भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आज ही उनसे मिलूंगा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं उनसे मिलूं। यह दूसरा प्रश्न है कि आएगा कि नहीं आएगा, अभी तो 306 की चर्चा चल रही है और 306 में थोड़ा डिक्रिशन लेकर आपने रूलिंग दी है। कल आप कह रहे थे कि सदन का समय बहुत कीमती है, सदन को बैठना तो था पांच बजे तक, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जल्दी-जल्दी कराकर तीन बजे ही छुट्टी कर दी। दो घण्टे का कीमती समय...

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट भी बड़े कीमती होते हैं। पांच मिनट में मैंने व्यवस्था दी थी, वे भी बड़े कीमती थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत सोच समझ कर दीजिये, बड़ा कीमती समय है।

श्री परसराम मदेरणा : आज का तो कीमती है। यह पार्लियामेंट नहीं है, यह किसी स्टेट की विधान सभा है, पार्लियामेंट होती तो हाउस ऑफ कॉमंस का भी रिपीटीशन होता। उसमें 21 स्पीकर बिहैड किये गये थे उसमें एक डिप्टी स्पीकर भी था। मुझे आगे कुछ नहीं कहना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सर सलामत रहे।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस आसन पर आप बिराजमान हैं उसके बारे में 20 मार्च, 1985 को जब सम्माननीय देवपुराजी अध्यक्ष बने तो एक बहुत ही अनुभवी सदस्य ने कहा कि यह कुर्सी

(श्री जगदीप धनखड़)

विक्रमादित्य की है। इस पर बैठने के बाद अपेक्षा यह की जाती है कि आप अपनी पार्टी और दल के विचारों से ऊपर उठकर इस सदन की गरिमा बनाये रखेंगे, यह भाभड़ाजी ने कहा था। सही मौके पर व सदन में से जाने की उनकी शैली को मैं हमेशा एप्रिशिएट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, भाभड़ाजी ने एक साक्षात्कार में मुख्य मंत्रीजी के बारे में यह कहा कि...

श्री उपाध्यक्ष : आपको 306 के बारे में कुछ नहीं कहना ?

श्री जगदीप धनखड़ : 306 के बारे में ही है...

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नहीं, नथिंग।

श्री जगदीप धनखड़ : आगे कहा है, हमें विश्वास तो है आपके सारे जीवन को देखते हुए कि क्या आप निष्पक्ष रहेंगे, लेकिन आपके लिये परीक्षा की घड़ी है, विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठना सहज है मगर परीक्षा में सफल होने के लिये प्रयास की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप इस कुर्सी के अनुरूप इस सदन की गरिमा को देखते हुए हां पक्ष और ना पक्ष के बीच में बिलकुल निष्पक्ष और न्यायोचित निर्णय दल के ऊपर उठकर देंगे। इसी के साथ मैं आपको बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता अकाल से पीड़ित है, भुखमरी के कगार पर है। उनकी भावनाओं को सदन में उजागर करने के लिये प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। प्रतिपक्ष इस बात के लिये कटिबद्ध था। जब वह इस भावना को व्यक्त नहीं कर पाया, राजस्थान की जनता की पीड़ा को सदन में उजागर नहीं कर पाया और संकट भी अभाव का, ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव आया है। उपाध्यक्ष महोदय, भाभड़ाजी...

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान 137 की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें मूल प्रस्ताव पर भी 15 मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं है। क्या आपने इनको इतने अधिक समय बोलने की अनुमति दे दी है ? पहला तो यह, दूसरा यह कि मूल प्रस्ताव पर ही इतना समय है तो 306 पर कितना...

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मूल से ब्याज प्यारा होता है। मूल 15 मिनट तो ब्याज की कोई सीमा नहीं है।

श्री नरपतसिंह राजवी : दूसरा मेरा निवेदन है कि अभी संकल्प पढ़ दिया गया। अगर 306 में ही छूट नहीं दी है तो संकल्प पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं पढ़ना चाहिये था। इसको एक्सपंज करने की व्यवस्था फर्माएं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31 जनवरी, 1986 को एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा...

श्री परसराम मदेरणा : इसका प्रोवीजो पढ़ा है आपने ? पहली बात तो यह है कि

(श्री परसराम मदेरणा)

रिजोल्यूशन लाया ही नहीं गया है। आप कह रहे हैं कि रिजोल्यूशन में यह है। रिजोल्यूशन का आपने पैरेलल बताया कि रिजोल्यूशन के लिए 15 मिनट नहीं हैं, लेकिन आपने प्रोवीजो क्यों नहीं पढ़ा ?

श्री नरपतसिंह राजवी : वह भी पढ़ लिया। इसलिये ही पूछा है कि आपने अनुमति दे दी क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : He is mover of the resolution. The Member from Kishangargh is the mover of the resolution also. When moving the same he speaks for such longer time as the speaker or the person presiding may permit. 15 मिनट बोले नहीं और बीच में गवर्नमेंट के चीफ व्हिप बोल गये और दूसरे सदस्य इनको बाधा पहुंचाते रहे, व्यवधान डालते रहे। यह तो रिजोल्यूशन आपने ध्यान आकर्षित किया है लेकिन वह स्टेज ही नहीं आई है रिजोल्यूशन उसमें 15 मिनट ईच मैम्बर है It is not a resolution moved by one Member, the resolution has been moved by 48 Members.

श्री नरपतसिंह राजवी : The question is whether the permission has been given. मैंने यह नहीं कहा कि नहीं बोल सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अनुमति दे दी क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपको व्यवस्था देनी है वह स्टेज ही नहीं है।

श्री नरपतसिंह राजवी : क्योंकि इसमें आइसोलेशन में हम बोल नहीं सकते। इसलिए मूल है वह भी पढ़ना पड़ेगा। फिर तो प्रस्ताव लाने की सी व्यवस्था हो गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम मूल पाठ पढ़ा है संकल्प का वह तो आ गया...

श्री उपाध्यक्ष : श्री धनखड़ साहब, अब आप समाप्त करें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी तक तो सही मायने में शुरूआत ही नहीं की है। मैंने तो मेरी पीड़ा बतायी है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मा. उपाध्यक्ष महोदय, धनखड़ साहब को सिर्फ इण्डियन कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 179 के मैंडेटरी प्रोवीजन्स को देखते हुये 306 आपरेटिव हैं या नहीं, इतनी ही बात करनी है। बाकी पुरानी दलीलें दे रहे हैं इसका मतलब नहीं है इससे कुछ।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में जहां राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए और पीड़ित जनता को राहत दिलाने के लिए विधान सभा में कोई समस्या को उजागर करना अनिवार्य है और सम्पूर्ण प्रतिपक्ष उस बात को उठाना चाहता है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की जनता की पीड़ा और उसका यहां पर प्रस्तुत किया जाना और उस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था - आपने सरकार को डायरेक्शन्स दिये कि आज या कल उस पर चर्चा करें, वक्तव्य दें और उसमें आपने संशोधन करते हुए सरकार को यह भी निर्देशित किया कि आज ही आप वक्तव्य दें। सरकार ने इसको भी स्वीकार कर लिया। यदि वास्तव में ये पीड़ित होते तो कल इस पर चर्चा होती। लेकिन वह पीड़ा नहीं है और केवल सदन का समय बरबाद किया जा रहा है यह।

श्री जगदीप धनखड़ : What is point of order ? Upadyaksha Mahodaya, ever since you allowed me to hold the floor, most of the time...(interruptions)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आसन से क्या रूलिंग चाही है पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने संकेत दिया है आपको।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पाइन्ट आफ आर्डर का मतलब यह तो नहीं है, ऐसा निर्बाध अधिकार नहीं है कि चाहे जो पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये कह दें, कुछ भी, बोल जाएं।

श्री जगदीप धनखड़ : He should be reprimanded. Every time the Chief Whip is raising the point of order in which there is no point involved. भाषण देने की क्या यह कोई आपने शैली पैदा कर रखी है। Let the chair give the ruling on this.

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी। आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पहले ये तो बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : ये कह चुके हैं। आप बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो बोल दूंगा लेकिन ये अपनी बात तो पूरी कर लें।

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने कन्क्लूड कर दिया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे ऐसा ही आभास हुआ है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं तो। मैंने नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको कितना लम्बा और खींचेंगे ?

श्री जगदीप धनखड़ : मैं जितना आवश्यक समझूंगा, बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यसूची के अन्दर और भी काम हैं। कृपया इसको आप संक्षिप्त करिये, कन्क्लूड करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आप थोड़ा बिराजें तो मैं कहूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप समय का आकलन देखेंगे तो जब से आपने मुझे काल किया है श्री महावीर प्रसाद

(श्री जगदीप धनखड़)

जी, सरकारी मुख्य सचेतक ने मेरे से ज्यादा समय लिया है और किस आधार पर लिया है कि आधा दर्जन तो पाइन्ट आफ आर्डर रेज कर दिये। एक भी पाइन्ट आफ आर्डर सस्टैन नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर प्रसाद जी तो आपके सामने हैं। आपके प्रतिपक्ष के नेता कई बार बीच में बोले हैं, इसलिए आप यह भी तो सोचें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तब बोला हूं कि there is no point of order of the Hon'ble Chief Whip of the Government. अब यह पीड़ा की बात ले आये। इनका पीड़ा से क्या लेना देना है। यह तिलक और तराजू वालों को न पीड़ा है न वीड़ा है, तलवार वालों को..

श्री भंवरसिंह डांगावास : ऐसी बात नहीं कहें आप। नहीं, नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो किसानों के लिए पीड़ा रखते हैं। ..(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, ओ.बी.सी., जाट, गूजर सबसे चुनकर आता हूं और लगातार चुनकर आ रहा हूं। आप मेरी पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं। सन् 1981 में जब बाढ़ आयी थी और आप यहां पर मंत्रिमण्डल का दायित्व पूरा कर रहे थे। आप सदन में जब कमेटी के चेयरमैन के रूप में थे, मैं सदस्य था, आप मेरी पीड़ा से अच्छी तरह से परिचित हैं। मैंने गांव और गरीब की पीड़ा हृदय से रखी है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैंने उनकी सेवा की है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने उस दिन मुक्का तानकर कितनी पीड़ा दी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह तो सदन की व्यवस्था के लिए आवश्यक था, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय..(व्यवधान)..वह भी पीड़ा का ही परिचायक था। सदन में घोर अव्यवस्था हो रही थी और इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कब से हो गए तिलक तराजू ? लेकिन आप में कांशीराम जी का असर कहां से हो गया ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : जब से समझौता कर लिया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं "तिलक" को वापस लेता हूं। तराजू में खोटा नहीं तोलना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे लोगों ने उठा ली है तराजू। न्याय की भी और यह जो हम तराजू उठाया करते थे अब आप मण्डियों में जाकर देखें जिस जाति का आप प्रतिनिधित्व करते हैं उस जाति के लोगों ने ज्यादातर तराजू उठाकर दुकानें खोल ली हैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह प्रस्ताव माह्यता की स्थिति नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिना अनुमति के बोल रही हैं।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा :– आप इतना लम्बा क्यों करवा रहे हैं ?–

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सम्माननीय गिरिराज प्रसाद जी का निर्वाचन अध्यक्ष पद पर हुआ तो सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने 31 जनवरी, 1986 को, जब आप प्रतिपक्ष में थे आपने कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि हमारे अधिकारों का प्रयोग करने में भी आपका सहयोग और स्नेह इसी तरह से मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वह बात श्री भामड़ा जी ने व्यक्त की हो प्रतिपक्ष में रहते हुए, चाहे श्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी ने प्रतिपक्ष में रहते हुए यह भावना व्यक्त की हो लेकिन ले-देकर एक बात कहता हूं कि आसन से क्या अपेक्षा की जाती है। आसन से यह अपेक्षा की जाती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीति का सरकारी तंत्र पर मजबूती से कन्ट्रोल नहीं है ताकि जनता के कष्टों का निराकरण हो सके और यह कैसे सम्भव हो, इसका एकमात्र साधन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा है। यदि विधान सभा सशक्त तरीके से कार्य नहीं करेगी तो अधिकारी वर्ग पर राजनीति का कोई असर नहीं रहेगा। इसी उद्देश्य से माननीय उपाध्यक्ष महोदय देश की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ने वाली इस विधान सभा के लम्बे समय तक अध्यक्ष रहे और जिन्होंने जोइन्ट पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्षता करके एक ऐसी रिपोर्ट दी जिसकी सराहना पूरे देश ने की उनकी रामनिवास जी मिर्धा ने इस विधान सभा में 25 अप्रैल, 1997 को क्या कहा और उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज जो अंकन किया गया जो मैंने स्वयं लिखा है उस पर मैं आऊंगा। उन्होंने कहा...

श्री उपाध्यक्ष : 25 अप्रैल, 19 सौ–

श्री जगदीप धनखड़ : 25 अप्रैल, 1957, मैं अपना यह प्रथम धर्म समझूंगा कि सदन के हर सदस्य के जो अधिकार है, जो हित हैं उनको मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित रखूं। आपकी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें लिखा हुआ है, कर्तव्य धर्म ही स्वाभाविक है। हमारी पीड़ा आज के दिन क्यों हैं ? पीड़ा इसलिए हैं कि एक सदस्य का अधिकार नहीं, सम्पूर्ण प्रतिपक्ष के अधिकार पर कुठाराघात हो गया पूरी तरह से और अधिकार क्या ? अकाल से पीड़ित, भुखमरी के कगार पर जो जनता खड़ी है उसके कष्ट आपके माध्यम से सरकार के समक्ष लाने का। आगे क्या कहा उन्होंने ? इसके साथ-साथ यह सदन की जो परम्पराएं हैं, जो सदन की प्रतिष्ठा है उन्हें पूरी तरह से निभाने में सचेत रहूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब मदन मोहन जी बोल रहे थे, "हां धनखड़ जी, आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोलें", यह उन्होंने कहा। क्यों कहा ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद ही

(श्री जगदीप धनखड़)

कोई व्यक्ति इस सदन का होगा जो माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत रखता हो। He is pure hearted man. He speaks out of his heart. उनकी इतनी क्वालिटीज हैं। इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने तुरन्त कहा, हां धनखड़ साहब, आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हो। आगे जब बात चली तो उन्होंने मदन मोहन को कहा, एक मिनट बिराजें। नहीं, नहीं वे दे देंगे व्यवस्था, अभी आज पहले विश्वास मत प्राप्त करना है, अविश्वास की बात चल रही है, अविश्वास आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों हुआ ? माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब कांशस को टटोला, उनको महसूस हुआ कि प्रतिपक्ष कल इस मुद्दे को उठाना चाहता था वह मुद्दा ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट का था, उस मुद्दे से राजस्थान की जनता का हित जुड़ा हुआ था। And he responded to the call of his conscience. उन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात कही। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं-

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध यह करना चाहता हूं. You have placed us at the cross roads. हमने देखा कि अध्यक्ष जी ने यहां पर बैठकर क्या कहा। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के हर सदस्य के साथ अध्यक्ष जी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है, उस प्रतिष्ठा को यदि कोई भी आंच आती है, हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करें। जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने, मैं कहूंगा कि पीड़ित अध्यक्ष महोदय ने responding to the call of his conscience. राजस्थान की जनता के पक्ष में निर्णय किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जहां राजस्थान की पीड़ित जनता को न्याय देने का मामला हो, आपको कोई कदम, आपका कोई भी आचरण किसी भी तरीके से बाधक तो हो ही नहीं सकता। चूंकि आप सदन में विराजमान नहीं इसलिए मैंने आपको इस स्थिति से अवगत कराया। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप अपनी व्यवस्था को रिव्यू करें ताकि अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था यथावत रहे। अध्यक्ष जी की व्यवस्था को या तो आप ओवर रूल करें, ऐसा आपने किया नहीं, अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी, वह रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे, स्थिति स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी। आप कुछ कह रहे हैं ? ये तो सब्जैक्ट के बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ सब्जैक्ट बोल रहे हैं। आप बोलिये कुछ कहना चाहते हों तो वरना मैं अपनी व्यवस्था देना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं बोलूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : Would you allow me to conclude ? माननीय

(श्री जगदीप धनखड़)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कह दिया कि अध्यक्ष जी ने इसी मुद्दे पर कोई व्यवस्था दे दी, क्या मैंने गलत कह दिया ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नाम मेरा भी दिया हुआ है। सचेतक महोदय की लिस्ट में नाम है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रामनिवासजी मिर्धा की कही हुई बात इसलिए पढ़ी थी कि 1957 में जो उन्होंने बात कही, उस बात की पालना करने का नतीजा यह हुआ कि देश में आज वे उच्चकोटि के पार्लियामेंटेरियन माने जाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I would appeal you, please rise to the occasion. यह नैरो पोलिटिकल कंसीडरेशन का मामला नहीं है। इसके लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सम्माननीय भामड़ा जी ने अध्यक्ष बनने के बाद में कहा कि आज के बाद मैं अपनी पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे रहा हूं-

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री नरेन्द्र सिंह भाटी। अब मैं आपको समय नहीं दूंगा, आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : I am concluding. I am in the process of concluding. आप बैठिये तो।

श्री उपाध्यक्ष : कन्क्लूड कर दिया, आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके खड़े रहते कैसे कहूं। Let me conclude. भामड़ा जी ने कहा, आज के बाद मैं अपनी पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे रहा हूं। जब तक इस आसन पर हूं, मेरे सामने कोई राजनीतिक विचार नहीं होंगे। सदन होगा, सदन के नियम होंगे, इस सदन में आप राजस्थान की जनता के विकास और उन्नति के लिए जो निर्णय लेंगे, वे होंगे। इस विषय पर कोई पार्टी, कोई राजनीति मेरे में नहीं रहेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए पढ़ रहा हूं इन बातों को कि भामड़ा जी ने अध्यक्ष की हैसियत से क्या कहा, चतुर्वेदी जी ने प्रतिपक्ष में क्या कहा, भामड़ा जी ने प्रतिपक्ष में क्या कहा और वर्षों तक भैरोंसिंह जी शेखावत, जो आज सदन के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा कि राजस्थान की जनता की समस्या के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए राजनीति को किसी भी तरीके से बाधक नहीं होने दिया जायेगा। जिस पद पर आप बैठे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि कल के घटनाक्रम में आप यहां बैठे थे, हम बहुत कंस्ट्रेक्टिव तरीके से अध्यक्ष महोदय को लायबल मानते हैं क्योंकि अध्यक्ष महोदय कक्ष में थे।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह आरोप जा रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरी बात कह रहा हूं। कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस पूरे सदन को चलाने की लायबिलिटी अध्यक्ष की है। चतुर्वेदी जी, इसमें क्या आपको कोई आफेंडिंग

(श्री जगदीप धनखड़)

चीज नजर आती है ? अध्यक्ष जी यहां पर नहीं है तो उनकी कंस्ट्रेक्टिव लायबिलिटी है कि सदन में कोई भी बात हो, प्रतिपक्ष के नेता कह चुके हैं, अध्यक्ष जी आते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जब आप यहां बिराजमान थे और यह स्थिति उत्पन्न हो गयी I am sure your conscience will help all of us and help the public of Rajasthan, ताकि उनकी समस्याओं का कोई हल निकल सके।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकारा उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं। विपक्ष की तरफ से नेता महोदय के बाद मे जितने भी सदस्य बोलें हैं, उनकी भावनाओं के साथ मैं अपने आपको जोड़ते हुए आपने जो 306 के बिन्दु पर मुझे बोलने का समय दिया उसमें यहीं कहना चाहता हूं , मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि मैंने उन प्रस्तावों पर दस्तखत किये। मैं अध्यक्ष पद का आदर करता हूं, आदर करता आया हूं, आज से नहीं सन् 1980 से। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब अति हो जाती है तो हमारे पास चारा क्या है ? आप कोई भी व्यवस्था दें, जितने भी आप निर्णय दिलवाएं, जितने भी आप जजमेंट दें, उनको तो हम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि 9 तारीख की रात को जो घटना हुई या दुर्घटना हुई या जो कल की अकाल के बारे में हुई, मतलब आपके नेता, आपके भी लोग यह कहते हैं और हम भी चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ राजस्थान में मुहिम हो, अकाल के बारे में राजस्थान के लैजिस्लेचर्स की चिन्ता होनी चाहिए। अगर हम करप्शन पर बोलें तो आप हमें बन्द कर दो, अगर हम राजस्थान की जनता के हित के सम्बन्ध में मुद्दे उठाएं तो आप बन्द कर दो, अकाल पर आप बोलने नहीं दो। उपाध्यक्ष महोदय, आज यह नौबत आयी ही इसीलिए कि कल चूंकि बरसात नहीं आयी थी और बार-बार मंत्री महोदय से यह निवेदन किया जा रहा था कि 30 तारीख के बाद जो अकाल के कार्य बंद हो गये आप उनको चालू कर दीजिये। मंत्री महोदय हर समय यही कहते कि जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करवा दूंगा। अब उपाध्यक्ष महोदय, नौ तारीख चीखते-चीखते यह नौबत आयी कि मुझे वैल में आकर यह कहना पड़ा कि मैंने रिजोल्यूशन मूव ही नहीं किया, मैंने मोशन मूव ही नहीं किया। उस पर अध्यक्ष महोदय ने पूरा का पूरा सात पेज का एक निर्णय फरमा दिया। दूसरे दिन 10 तारीख को...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ...यह अविश्वास प्रस्ताव पर बहस नहीं हो रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : घनश्याम जी, मैं कभी आपको टोकता नहीं हूं। मैं 306 पर अर्ज कर रहा हूं कि 306 की मांग क्यों हुई ? इसलिए हुई कि आज हमारे पास समय नहीं है। अब 306 पर निर्णय आप दिलवाएंगे। मेरी आपसे पुरजोर रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप जो भी हम मुद्दा उठाएं, उन पर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

गम्भीरता से लें। आप गम्भीरता से लेते हैं, मुझे पूर्व में आपने बहुत समय दिलवाया लेकिन यह नौबत क्यों आती है ? यह नौबत तब आती है, मेरे खिलाफ या कोई माननीय सदस्य के खिलाफ बगैर नोटिस के 131 का प्रस्ताव एक्सैप्ट हो जाए, हाउस के एजेंडा में छप जाए, मुझे नोटिस मिले नहीं और यह तो यह, उपाध्यक्ष महोदय, बगैर हमें पूछे, बगैर कारण बताये वह चर्चा भी नहीं हो और सरकार उत्तर दे नहीं। मतलब यह कहां तक होगा ? करप्शन का मुद्दा हम उठाएं, माननीय धनखड़ साहब ने मुद्दा उठाया था सी.बी.आई. की रिपोर्ट का। उस पर अध्यक्ष भाभड़ा साहब ने निर्णय दे दिया था। आज मेरे सामने दिक्कत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने सभी माननीय सदस्यों को, पहले मैं मेरे कांग्रेस के मित्र लोग या विपक्ष के मित्र लोग थे सिर्फ इन्हीं को चिट्ठी लिखता था, अब की बार मैंने जान-बूझकर सभी माननीय सदस्यों को क्योंकि अगर यह नौबत आ जाए की कोई व्यवस्था नहीं हो, ऐसा रिजोल्यूशन हो जाएं, जजमेंट हो जाएं, जिसमें कोई मोशन नहीं हो तो कब तक बरदाश्त होगा। माननीया मंत्रीजी मार्गरेट अल्वा जी कहती हैं कि कोई सी.बी.आई. की रिपोर्ट नहीं है और यह चेयर कह देती है कि रिपोर्ट हमने देख ली। अब उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं, मैं कर रहा हूं। यह नौबत क्यों आ रही है ? मैं आपसे विनती कर रहा हूं चेयर के माध्यम से कि हमें पता है कि इसका निर्णय क्या होने वाला है ? हमारे पास संख्या नहीं है। अगर आप अलाउ करेंगे तो भी हम हारेंगे क्योंकि आखिर कोई मोशन एक्सैप्ट होगा तो उसके लिए मैजोरिटी चाहिए। आपको हमने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी आत्मा की आवाज पर तो कुछ सोचो लेकिन ठीक है, इनकी बंदिशें हैं। इसलिए यह जानते हुए कि हम इस प्रस्ताव में सफल नहीं होंगे, इसको पारित कराने में लगे हैं तो भी सभी माननीय सदस्यों ने और माननीय नेता महोदय ने प्रस्ताव बड़े दुःख के साथ आपके सामने, इस चेयर के सामने प्रस्तुत किया है, बड़े भारी मन से। अब, उपाध्यक्ष महोदय, उस पर वापस नहीं जाना चाहता। मैं आभारी हूं अध्यक्ष महोदय का, आलदो आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 306 की चर्चा के बारे में कहा और चूंकि 306 पर मेरे दस्तखत हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन तो भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने बड़प्पन दिखाया कि अगर सभी माननीय सदस्य इतने चिन्तित हैं अध्यक्ष की व्यवस्था के खिलाफ तो ठीक है, मैं अनुमति देता हूं इनको बोलने की। अब आप फरमा रहे हैं कि आप तो सिर्फ 306 को देखी ता आपसे यह रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ेगी की रूल्स में हम बंधे हुए हैं, व्यवस्थाओं में हम बंधे हुये हैं, निर्णयों में बंधे हुए हैं, हमें कही और जाने की जगह नहीं हैं, तब हम आपके पास आये हैं कि 306 को आप रिलैक्स कीजिये। अब बार-बार चर्चा हो रही है 179 की, किताबें सब मेरे पास

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

पड़ी हैं, हम इस पर कह भी चुके हैं लेकिन अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आखिर इस हाउस को ढंग से चलाना है। उदाहरण के रूप में, हम 16 माननीय सदस्यों ने एक एडजोर्नमेंट मोशन उठाया नौ तारीख को। यहां पर परम्परा रही है कि आप रिजैक्ट कर दें। कोई भी नोटिस लें, चेयर से उसके बारे में निर्णय जरूर सुनाया जाएगा, आप यह नहीं कर सकते कि आप उस निर्णय को अपने पास ही रख लेंगे, आपको इस सदन में अवगत कराना पड़ेगा। 1952 से यह परम्परा रही है कि किन-किन सदस्यों ने कौनसा मुद्दा उठाया और चूंकि मैं जनहित में नहीं समझता, मैं रिजैक्ट करता हूं। आप दो मिनट की परमिशन दें भले ही लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मोशन मूव हो जाए हमने आपको, सैक्रेटरी साहब को दे दिया और उसका यहां जिक्र भी नहीं हो। अब लोग कह देते होंगे कि चेयर के पास सब पावर्स हैं। मैं भी मानता हूं कि चेयर के पास सब पावर्स हैं इसलिए चेयर के पास यह भी पावर है कि 306 बगैर यहां डिस्कस किये हुए, 307 और 308 में प्रोविजन्स को बगैर यहां डिस्कस किये हुए, भावना में आये नहीं आये, उनको एक तरफ रखकर सुओमोटो जैसी परमिशन दी विपक्ष के माननीय धनखड़ साहब को बोलने की कि आप खूब बोलें। वे भी चाहते थे। अगर नहीं चाहते होते तो उसी समय रिजेक्ट कर देते, आपको यहां पधारने की तकलीफ ही नहीं देते, उपाध्यक्ष महोदय। अब चेयर से एक व्यवस्था हो गयी और मैं तो कहता हूं इसमें आखिर बिगड़ेगा क्या। ये लोग सब फरमा रहे हैं कि नहीं, नहीं, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। या तो पहले ब्रीफ करके आते स्पीकर महोदय को कि आप किसी हालत में डटे रहना। (व्यवधान) वह तो आपने किया नहीं। अब कहते हैं कि स्पीकर साहब भावना में आ गये। अध्यक्ष महोदय भावना में आये, भावना में नहीं आये लेकिन उनका जो कदम था, वह बहुत उचित था, सराहनीय था और मैं सोचता हूं, यह भी एक प्रीसिडेंट बनेगा उपाध्यक्ष महोदय, अगर 134 के प्रस्ताव को यहां मंजूरी देते हुए आप इसको डिस्कस करवा लें। अनेकों माननीय सदस्यों को मौका मिले इधर से भी और उधर से भी, क्योंकि यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। इस सदन की गरिमा को देखते हुये, मैं तो चाहता हूं कि मेहरबानी करके, भले ही कितने ही प्रेशर आएं, 306 के रूल्स को जैसा स्पीकर साहब ने परे रखा है, परे रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी प्रेशर को मानते हैं क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मालिक के प्रेशर को सबसे ज्यादा मानता हूं, उसके बाद में मित्रों के प्रेशर के मानता हूं और उनकी सलाह मानता हूं और नियमों के प्रेशर को–

श्री उपाध्यक्ष : आसन के सभी मित्र हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उनको मैं मानता हूं। आप इसको अदरवाइज नहीं लें, उपाध्यक्ष

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

महोदय, मैं गम्भीरता से बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैंने करप्शन का मुद्दा उठाया, उसके बाद 16.4.1994 के बाद में इस सरकार ने मेरे खिलाफ 34 केसेज लगा रखे हैं। ठीक है, मैं भिड़ रहा हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस की बात हो रही है। (व्यवधान) भाटी साहब को जाना था औसियां और आ गये जयपुर। वह बात हो गयी कि इनको जाना था सोजतीगेट और आ गये कबूतरों का चौक। यह कोई बात हुई क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, बात कहां की बोल रहे हैं और बात किधर को जा रही है, बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। बात खतम नहीं हो रही है। मैं जोधपुरी भाषा में बोली हूं। बात जो करनी है वह मुद्दे की बात करो ना।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कृपया बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : तीन घंटे खराब कर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, गुरु और गुरुआणी को तो मैं पगां लागूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कृपया ध्यान रखें इस बात का।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज यही है, जनता ने यहां चुनकर भेजा है, आज भले ही उधर विराजमान हो। मैं कहता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं आपके मुख्य मंत्रीजी की कि जो इनकी भूमिका विपक्ष के नेता की रही है, यह हमको सीखना चाहिये नौ बजे ना पक्ष की लाबी में सब एम.एल.एज. को तैयारी से यहां पेश करना, मुद्दों को उठाना और विपक्ष की रोल जो अदा करनी है। आपको क्या बुरा लगता है मैं आपके मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा करूं तो ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : आप तीर दूसरी तरफ मार रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपको शायद गलतफहमी है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं उस भावना का आदमी नहीं हूं। अगर मुझे किसी पर तीर मारना होगा तो मैं सीधा ही मारूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में बार-बार नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी कारण भैरोंसिंहजी शेखावत साहब तीन बार मुख्य मंत्री बने। लेकिन, उपाध्यक्षजी, चेयर को और सदन के नेता को इतनी हिम्मत होनी चाहिए, सहनशक्ति होनी चाहिए कि अगर आज विपक्ष की तरफ से कोई बिंदु उठाया जाए, किसी प्रश्न पर हो, जो जनता के हित में हो तो अपनी इनटालरेंस दिखाएं, गुस्सा आए क्यों ? आज हम चुन कर आये हैं

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

औसियां से मैं चुन कर आया हूं, माननीय सदस्य 200 जगह से चुन कर आये हैं, तो इस सदन में आये किसलिए हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, कोई भत्ते लेने के लिए आये हैं ? हम आये इसलिए हैं कि जनता के हित के इश्यूज, यह नैसेसरी नहीं है कि सिर्फ कांस्टीट्यूएंसी की बात हो, राजस्थान की बात हो, देश की बात हो, अगर पर्यावरण की हो तो पूरे संसार की बात हो, आज ओजोन की बात वी.पी. सिंहजी कर लें, ये इश्यूज हम उठाने आये हैं। अगर आप रूल्स में हमें बांध कर रखेंगे, आप कहेंगे कि सिर्फ 306 के तहत ही चर्चा कर सकते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, वाक आउट होगा, जो भी कुछ होगा। लेकिन इस स्टैप से जनता के सामने जो एक मैसेज गया है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको आप भले ही कितना ही चाहें, यह सरकारी पक्ष कितना ही चाहे, नहीं मिटा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब कहते हुए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मेहरबानी करके 306 पर जो आप व्यवस्था दिलाएं, बड़े ही सोच-समझ कर आप हमें परमिशन दिलाएं उपाध्यक्ष महोदय, कि 306 के तहत आप 134 में चर्चा होने देंगे। अगर वह कहेंगे तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम। मैं नम्बर से बोल रहा हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत भारी हृदय से ...(व्यवधान)... हम जब बोल रहे हैं, मेहरबानी करके आप थोड़ा सुनने की कृपा करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। भारी हृदय से हमारे अध्यक्ष के खिलाफ, हमारे विपक्ष के पूरे दलों ने मिल करके एक अविश्वास का प्रस्ताव दिया और उसी समय उनसे यह भी निवेदन किया कि जो 134 के तहत हमने अविश्वास दिया है उसमें जो 14 दिन का समय है, 306 के तहत वह कम किया जाए। क्यों य[illegible] अविश्वास का प्रस्ताव देना पड़ा, इस बा[illegible] हमारे माननीय सदस्यों ने आपको बताया है, पर मुझे भी छोटा-सा निवेदन करना है। कल तो जो हुआ उसमें आप भी थे, आप को स्वयं को मालूम है। आज किसान और गरीब अकाल में जूझ रहे हैं, उनके भूखे मरने की हालत हैं। न नया अनाज बोया गया है, न पुराना अनाज आया है। कहीं बारिश से खराब हो गया है, कहीं सूखे से हो गया। तो कल अकाल के बारे में सरकार को बोलना चाहते थे, सरकार से यही तो निवेदन करना चाहा था कि 31 जुलाई तक जहां अकाल राहत के कार्य चल रहे हैं उनको बढ़ा दिया जाए पर सरकार उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थी, यह स्थिति थी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप मुझे क्या दो मिनट भी नहीं बोलने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप कोई नयी बात नहीं कर रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं नयी बात ही कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कर रही हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसलिए हमको वैल में आना पड़ा। मैं आपको बिलकुल नयी कह रही हूं। इसलिए हमको वैल में आना पड़ा और आकर के हमने फिर भी निवेदन किया अध्यक्ष जी से आपसे, सबसे कि [illegible]-सा आप लोग ऐसा कोई रास्ता निकालें, हमारे नेता और सत्ता पक्ष के लोग मिल कर कोई ऐसा रास्ता निकाल सकें कि हम अकाल राहत के बारे में बातचीत कर सके। इतने अनुनय विनय के बाद में भी जब कोई स्थिति पैदा नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय को भी हमने बहुत निवेदन किया तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि शायद अध्यक्ष महोदय के ऊपर एक दल का, सत्ता पक्ष का इतना ज्यादा प्रभाव है कि वे हमारी बात नहीं सुनना चाहते या क्या स्थिति है। तो हमको बार-बार निवेदन यह करना पड़ा कि फिर हमको अविश्वास का प्रस्ताव लाने की मजबूरी करनी पड़ेगी। जैसा कि उप मुख्य मंत्रीजी ने अभी भाषण में कहा कि कई बार भावुकता में आकर, कई बार बड़े लाइट मूड में, ऐसा नहीं है उप मुख्य मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमारे विपक्ष के नेता ने कल मीटिंग की है, सारे सदस्यों ने मिल कर बहुत सोच-विचार किया है उसके बाद ही यह प्रस्ताव आया है। न लाइटली आया है, न भावुकता के कोई मूड में आया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं, जैसा अभी भाई कह रहे थे, हम अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं और आने के बाद में वहां की जनता अपेक्षा करती है। उनके यहां जो कठिनाई है, कई बार तो इतनी अविलम्ब जरूरत होती है, कहीं आग लग रही है, कहीं कोई मार दिया गया, हम यहां आकर बोलने के लिए आपसे परमिशन मांगते हैं। अगर हमको अध्यक्षजी और उपाध्यक्षजी स्वीकृति भी न दें, समय भी बोलने का न दें तो हम सदन में आकर कैसे उन दुखी लोगों की बात बताएं। अगर हमारे क्षेत्र के लोगों की बात हम यहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वे कहेंगे कि हमने चुनकर आपको क्यों भेजा। इसलिए इन सब परिस्थितियों को देखें। यह भी बात है कि जब अध्यक्ष महोदय यहां बैठते हैं तो जज की जगह बैठते हैं और जज साहब का निर्णय मान्य होता है हरेक के ऊपर। लेकिन जज साहब का निर्णय सही होता है तो मन में सुखी होकर आदमी जाता है चाहे उसको जेल भी जाना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। समाप्त।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगी। चाहे उसको जेल जाना

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

पड़े लेकिन सही निर्णय होता है तो खुश होकर जाता है। लेकिन अगर उसके साथ में अन्याय होता है तो उसको चाहे आप छुट्टी भी दे देते हैं, जेल भी नहीं देते हैं, वह दुखी मन से जाता है कि उसके साथ में अन्याय हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब अध्यक्षजी की कुर्सी पर कोई बैठता है तो उससे अन्याय न हो, न्याय हो, इस तरह का ध्यान रखा जाए। इसीलिए हमने यह प्रस्ताव रखा है और हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि प्रस्ताव के ऊपर, मालूम है हमें कि यह पास नहीं होगा, सत्ता पक्ष के पास मैजोरिटी है-

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपेन्द्रसिंह जी शेखावत। कृपया समाप्त करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : लेकिन चर्चा का समय दिया जाए और 306 में रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि इस प्रस्ताव पर बहस की जा सके। धन्यवाद, आपने समय दिया लेकिन अफ़सोस यह है कि आप बीच-बीच में मुझे रोकते रहे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब विश्वास उठता है तो न तो शोर - शराबा होता है, न ध्वनि होती है, न कोई आवाज होती है, न कोई धुआं निकलता है, मगर जब विश्वास टूट जाता है तो बड़ी वेदना होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सदस्य आज तक इस सदन में रहे उनका सदन के, इस आसन के प्रति अटूट विश्वास रहा है। कामना भी यह रही कि विश्वास अटूट रहे। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप पिछले उदाहरण देखें, 1952 से लेकर 1996 तक लगातार 45 वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है, यह विधान सभा का सदन इस बात का साक्षी है, इस सदन की प्राचीर इस बात की साक्षी है कि उसने आसन पर जो व्यक्ति बैठा है उस में विश्वास रखा है। लेकिन विश्वास को ठेस आज लगी, किस मजबूरी में, किस विवशता में, किस वेदना में प्रतिपक्ष के सदस्यों को यह कदम उठाना पड़ा, इस वेदना पर आपको गौर करना चाहिए। निश्चित रूप से नियमों के प्रावधान के अनुसार, आपने नियमों की गुत्थी में इस प्रश्न को उलझाया किंतु मैं इतना ही निवेदन कर चाहता हूं आपसे कि आखिर एक वेदना सदस्यों को महसूस हुई और कौन-सी कुर्सी के प्रति हुई, जिस कुर्सी के प्रति हमेशा आदर रहा है। कुर्सी पर कभी महान लोग बैठे, इस कुर्सी को सुशोभित किया निरंजन नाथजी आचार्य ने, इस कुर्सी को सुशोभित किया रामनिवासजी मिर्धा ने इस कुर्सी को

(15.00)

सुशोभित किया पूनमचंद जी विश्नोई ने और इस कुर्सी को सुशोभित किया, उस तरफ के बैठने वाले सदस्य जानते हैं, महारावल डूंगरपुर लक्ष्मणसिंह जी ने, हीरालाल जी देवपुरा ने भी। एक गरिमा, एक इज्जत इस कुर्सी के प्रति रही है। आज ऐसी कौन-सी परिस्थितियां पैदा हुई। चाहे नियम 306 में आप इसको अटकाइये, ऐसी कौन-सी वेदना

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

सदस्यों को हुई जिससे मजबूर होकर इस स्तर तक जाना पड़ा ?

उपाध्यक्ष महोदय, परम्पराओं की चर्चा की गयी, निश्चित रूप से परम्पराएं बड़ी उज्ज्वल रही हैं लेकिन एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1977-78 में महारावल लक्ष्मणसिंहजी इस कुर्सी पर विराजमान थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उस जमाने में जनसंघ से जनता पार्टी में गये थे, उस वक्त भी उन्होंने यह कोशिश की कि इस कुर्सी को, इस आसन को उनके इशारों पर चलाया जाए। आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आदरणीय सूर्य नारायण जी चौधरी और तत्कालीन मुख्य सचेतक आदरणीय नवनीत जी पालीवाल अध्यक्ष के चैम्बर में गये वही रिमोट कंट्रोल्ड की चर्चा हुई, अध्यक्ष को प्रैशर हुआ। यह बात "पैट्रीइट" अखबार में छपी सुधांशु मिश्रा के लेख से। स्वर्गीय मथुरादास माथुर ने इस सदन में प्रिविलेज मोशन मूव किया, उस प्रिविलेज मोशन में उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय पर प्रैशर नहीं होना चाहिए। बहस चली, आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत उस वक्त मुख्य मंत्री हुआ करते थे, विरोध पक्ष के लोगों ने चर्चा में भाग लिया। जो सार निकला आगे जाकर महारावल साहब ने इस आसन से जो व्यवस्था दी मैं उसकी चार पंक्तियां आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं, विषय से अलग हटकर नहीं। महारावल साहब पर प्रैशर क्रिएट करने की बात अखबारों में छपी और सदन में व्यवस्था पर बात आयी तब उन्होंने जो पढ़ा है सदन में, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं 8-29 मार्च, 1978 - अध्यक्ष जी ने कहा है कि किसी स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। उन पर प्रैशर की चर्चा जब सदन में आयी तब उन्होंने कहा मैं माननीय सदस्यों से इस हद तक कहने को तैयार हूं कि जब तक मैं इस आसन पर हूं इस सदन की गरिमा और महिमा को बरकरार रखने की पूरी चेष्टा करूंगा। मैं अवसरवादी नहीं हूं, मुझे पदलोलुपता नहीं है। अगर सदन की गरिमा में कोई फर्क आया या उसके स्वाभिमान में कोई फर्क आया तो एक क्षण में मैं कोई भी पद को ठुकरा सकता हूं। इस सम्बन्ध में चर्चा की सीमा की पराकाष्ठा हो गयी है। इतना ही मैं कहूंगा, एक वृद्ध की बात याद रखें कि भारतीय नरेशों को त्याग भी आता है। यह छोटे-मोटे पद का त्याग करना बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं धरा। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, सदन की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। इस प्रतिष्ठा को कायम रखना मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है। इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों निश्चित रूप से मैं यह आश्वासन देता हूं कि छोटी-मोटी बातें अगर होंगी तो होने दो, बात का बतंगड़ मत बनाइये। मैं सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा को कायम रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भावना इस आसन की है। आज परम्पराओं की बात करने वाले

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

माननीय लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूं, आदरणीय पूनमचन्द जी विश्नोई इसी सदन में इसी आसन पर विराजमान थे और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर ने कहीं महसूस किया कि सत्ता पक्ष की बजाय विरोध पक्ष को अधिक महत्व दिया जा रहा है, तो उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि पूनमचन्द जी ने स्पष्ट कहा कि मैं पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, इन सब बातों से ऊपर उठकर हूं। आज प्रतिपक्ष की रक्षा कौन करेगा? हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? हम आसन से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा का यदि उत्तरदायित्व किसी पर है तो आप इस सदन के रक्षक हैं, रखवाले हैं और प्रतिपक्ष की आशाएं आप में निहित हैं। यदि सत्ता पक्ष ने रिमोट कंट्रोल से इस चेयर को कंट्रोल करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से कष्ट होता है। रिमोट कंट्रोल की मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य सचेतक महोदय वहां से पर्चियां भेजते हैं, मुख्य सचेतक वहां से आदेश देते हैं। पिछली बार क्या हुआ ? शालिनी शर्मा के मामले में विरोध पक्ष के नेता बोल रहे थे, ज्यों ही मुख्य मंत्री ने जवाब दिया, आसन ने क्या व्यवस्था दी ? तब तकलीफ होती है। आसन हमारे अधिकारों की यदि रक्षा नहीं करेगा, हमारी रक्षा की आसन से यदि हम उम्मीद नहीं करेंगे तो आखिर किससे करेंगे ? क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करता हूं कि आज परिस्थितियां हैं कि मुख्य मंत्रीजी दिल्ली में है, उप मुख्य मंत्रीजी को सदन सम्भालना पड़ता है। निश्चित रूप से भाभड़ा साहब राजस्थान का भविष्य आप देख रहे हैं, राजस्थान आपके भविष्य को देख रहा है। भावी मुख्य मंत्री के रूप में राजस्थान में आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, आपने योग्यता का प्रदर्शन किया है। कल आपने जिस तरह से सारे मामले को निपटाया, अपनी योग्यता का परिचय दिया। यह सदन आपकी योग्यता का परिचय ले चुका है जिस दिन आपने अपनी डिमाण्ड में पढ़कर अपनी योग्यता प्रदर्शित की। राजस्थान की जनता आपको मुख्य मंत्री के रूप में देखना चाहती है, आपकी उत्कंठा तो यह है लेकिन विरोध पक्ष को विश्वास में लिये बिना...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आप क्यों कह रहे हो, ये समझते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कितना चला पाएंगे, यह आपके सोचने की आवश्यकता है। मैं तो इतना ही कहूंगा, भाभड़ा साहब, आप मुख्य मंत्री जी बनें, आप सदन के नेता भी बनें, लेकिन विपक्ष की मर्यादाओं की इज्जत भी आप करें। आपने अभी एक उदाहरण दिया तुलसीदासजी का तो आपका हाल इस सदन ने देखा। मुख्य मंत्री जी के रूप में आपने जो नेतृत्व सदन को दिया, मुझे तो इतना कहना पड़ रहा है कि-

"जाको प्रभु दुःखदारण देही, वाकी मति पहले हर लेही।"

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

यह हालत हो गयी है "विनाशकाले विपरीत बुद्धि।"

श्री कालूलाल गूजर : आपके साथ ऐसा ही हुआ है क्या ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मेरे साथ नहीं हुआ है, हो रहा है। कल...

श्री कैलाश मेघवाल : "विनाशकाले विपरीत बुद्धि" का पूरा श्लोक सुना दें तो मानें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मानेंगे-मानेंगे, वो भी सुना दूंगा, जब आपका वक्त आएगा सुना दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कल आखिर कैसी परिस्थितियां थी जिन पर हमको मजबूर होना पड़ा ? फोगिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए अत्याचारों पर कांग्रेस चर्चा करना चाहती थी, माननीय सदस्य चर्चा करना चाहते थे, आपने उसको जल्दबाजी में निपटाया। पंचायती राज के अधिकारों की चर्चा हम करना चाहते थे, पंचायती राज में अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार की चर्चा हम करना चाहते थे, जल्दबाजी में आपने उसको निपटाने की कोशिश की। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे लेकिन सारे प्रश्नों से पहले, अधिकारों से पहले रोटी की लड़ाई लड़ने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। अधिकार हमारे हैं लेकिन उन अधिकारों से पहले रोटी की लड़ाई लड़ने की जब बात आयी तो, उपाध्यक्ष महोदय, सारा मामला निपटा दिया गया। आखिर यह सरकार चाहती क्या है ? विरोध पक्ष के लोगों को इस प्रकार से रोककर आखिर करना क्या चाहते हो ? कल का जो दिन था वह राजस्थान विधान सभा के इतिहास में काले पृष्ठों में लिखा जाएगा। ये छोटी-छोटी गलतियां, भामड़ा साहब, ये छोटी-छोटी भूलें क्या परिणाम देंगी ? मुझे तो इतना ही कहना है - "तवारीख के वो दौर भी हमने देखें हैं। लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पायी।" आखिर आप आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए कौन-सा रास्ता छोड़कर जाना चाहते हैं ?...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपके बाल मेरे से पहले सफेद हो गये इसलिए मैं छोड़कर जाऊंगा कि आप जायेंगे, क्या पता।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि राजनीतिक दल के माध्यम से लोग चुनाव लड़कर आते हैं। आपने भी लड़ा है, हमने भी लड़ा और माननीय अध्यक्ष जी ने भी राजनीति दल के माध्यम से चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव लड़ने के बाद एक परिपाटी है कि अध्यक्ष महोदय गरिमा के अनुरूप सारे दलों के दलदल से ऊपर आसन पर बैठकर सदन को मार्गदर्शन देते हैं, परिपाटी चलाते हैं सदन की। और आप तो उस दल से हैं, प्रभु, जिस दल ने भगवान राम को भुनाया है। राम मंदिर की चर्चा होती है राम के पुजारी है। आखिर उस राम की मर्यादा यदि आप हजारवां हिस्सा भी मानते और आपने उसका अनुसरण किया होता...

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट तो ज्यादा हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, राम का यदि चरित्र था तो विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी धाती थी। जब उसके विश्वास पर एक नागरिक ने अंगुली उठायी, माता सीता को तपस्या देनी पड़ी थी। आज अंगुलियां उठ रही हैं, मां सीता पर नहीं इस आसन पर अंगुलियां उठ रही हैं। और एक अंगुली नहीं उठ रही है, कोई अंगुली दो लाख का प्रतिनिधित्व करती है, कोई अंगुली तीन लाख का प्रतिनिधित्व करती है, ये लाखों अंगुलियों जब उठती हैं तो राम के उपासक पर तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपको विचार करना पड़ेगा। जिस विश्वास की हम बात कर रहे हैं, जिस विश्वास को कायम करने की हम बात कर रहे हैं उस विश्वास को आखिर कौन कायम करेगा ? मैं यह मानता हूं कि आप भी विद्वान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और मैं यह भी मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय भी विद्वान हैं। विद्वान व्यक्ति जो राम के भक्त हैं और जो राम की मर्यादाओं पर चलना चाहते हैं उनसे मैं आज पूछना चाहता हूं, राम तो राजा थे जनतांत्रिक पद्धति से चुनकर नहीं आये, मगर इस आसन पर बैठने वाले सज्जन जनतांत्रिक पद्धति से चुनकर आये हैं और लोकतंत्र में आस्था एवं विश्वास रखते हैं। उनको तो तपस्या का यदि फल मिलता है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको संकल्प लेना पड़ेगा और आपको परीक्षा में खरा उतरना पड़ेगा। नियमों की बाधाओं की आड़ में मैं नहीं ले जाना चाहता, हो सकता है आपके नियम मुझे भी परमिशन नहीं दे लेकिन जब विश्वास समाप्त हो जाता है, सारी बात समाप्त हो जाती है। मैं सिर्फ आधे मिनट में वर्तमान नेता और राजस्थान के पूर्व विरोध पक्ष के नेता रहे आरणीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने जो इस सदन में कहा है केवल वह आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कितना लम्बा है वह ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : बहुत लम्बा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है पद कि गरिमा के लिए_

श्री कालीचरण सराफ : भूल गये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : भूला नहीं हूं। याद दिलाऊंगा तो सब आपके भी चौड़े आ जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय जवाहर लाल नेहरू ने कहा है-

"The Speaker represents the House, he represents the dignity of the House, the freedom of the House and because the House represents the nation, in a particular way, the Speaker become the symbol of the nation's freedom and liberty. Therefore, it is right that that should be an honoured position, a free position and should

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

be occupied always by men of outstanding ability and impartiality."

उपाध्यक्ष महोदय, इसी चर्चा में भैरोंसिंह जी शेखावत ने कहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नहीं, इस चेयर पर बैठने वाले सम्मानित उस सदस्य के लिए जो कि पैनल के रूप में यहां आता है राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखते हुए। उसके लिए हमारे, पूर्व विरोधी दल के नेता ने जब वे मुख्य मंत्री हुआ करते थे जब इनकी सत्ता और सरकार थी, उस वक्त कहा है –

"इसी प्रकार विद्या पाठक को मैंने कई बार कहा है कि चेयर पर रहने के बाद आप बीजेपी. की सदस्या नहीं हो, चाहे आपने बीजेपी. से त्यागपत्र नहीं दिया लेकिन आप बीजेपी. की सदस्या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने त्यागपत्र दिया नहीं दिया, हालांकि यह ट्रेडीशन है कि अध्यक्ष बनता है तो उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह ट्रेडीशन है, आप यह नहीं मानें तो मेरी बदकिस्मती है।"

यह वर्शन राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री का है और सिर्फ एक चौथाई मिनट के अन्दर मैं समाप्त कर रहा हूं मेरी बात। राजस्थान के बहुत बड़े समाजवादी नेता इस सदन के वर्षों सदस्य रहे स्वर्गीय आदरणीय प्रोफेसर जी केदार ने तीन लाइन कही हैं, वह भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं चैयर के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर केदार ने 27 अक्टूबर, 1986 को विश्वास प्रस्ताव रखा गया था उस वक्त ये शब्द कहें थे - "Speaker is the part of the House, derives his powers from the House for better functioning of the House. In the ultimate analysis, he is a servant of the House, not its master." उपाध्यक्ष महोदय, जिस सदन ने इस चेयर का सम्मान किया है और इतिहास इस बात का साक्षी है। इसका सम्मान होना चाहिए। आज प्रश्न इस बात का नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव पास होगा या नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव रखा जा पाएगा या नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी या नहीं, प्रश्न इस बात का है कि -

"रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय ।

टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाय ॥"

विश्वास समाप्त हो चुका है सदन का, यह बड़ा दुःखद प्रश्न है, इस पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो ही मिनट में अपनी बात कह दूंगा। कल लगभग तीन घंटे इस सदन में अव्यवस्था चली और शायद कुछ भी अंकित नहीं हुआ होगा। विपक्ष की मांग यह थी कि 10-15 मिनट के लिए सदन की

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

कार्यवाही स्थगित कर दी जाए और मामले को सुलझा लिया जाए। आप जानते हैं कि यहां माहौल मुकाबले का रहता है। हम वैसे मीटिंग में बैठते हैं तो दोस्ताना वातावरण है। यह अध्यक्ष जी का अधिकार है कि सदन की कार्यवाही कितने समय के लिए या उस दिन अल्पकाल के लिए स्थगित करें, इसके लिए किसी अन्य से आदेश लेने की जरूरत नहीं है लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल उप मुख्य मंत्री जी ने बार-बार आग्रह करके यह कहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं होगी। स्थगित होने से कौन-सा पृथ्वी पर प्रलय हो जाता ? 10 मिनट के अन्दर यह काम समाप्त हो जाता। दूसरा, मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक दिन भागवत चलाते ही मैंने शुरू से ही मना किया था। मैंने कहा किसी महिला का नाम आप यहां लेते हो, उस महिला का क्या पता है सच्ची है, कि झूठी है, दोषी है कि निर्दोष है, उसकी क्या हालत होती है। तो दोनों पक्ष वाले मेरे को अपोज करने लगे कि यह तो सब अखबारों में आया। तो मैंने कहा चर्चा कीजिये। 9 घंटे से भागवत पढ़ी गयी। कोई मतलब नहीं था। स्टेटमैंट दिया।

श्री कालीचरण सराफ : आज क्या मतलब है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आज कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, यह बात होगी। उस दिन गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था, मुख्य मंत्री जी की तबियत अच्छी नहीं थी उन्होंने उसका उत्तर दिया। वे शायद इस स्थिति में नहीं थे कि अगर इधर से और प्रश्न किये जाते तो वे उसका जवाब दे सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि विपक्ष के नेता महोदय खड़े हुए और उस वक्त बगैर इनको सुने सदन की कार्यवाही कल इतने बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। यह एक तरह से विपक्ष का अपमान है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जनतंत्रवाद है इसमें दो पक्ष होते हैं। आपके पास बहुमत है, कोई भी प्रस्ताव पारित होगा कानून पारित होगा तो बहुमत के आधार पर आप उसको ले जायेंगे लेकिन चर्चा करने में सुझाव देने में छूट तो हमें बराबर होनी चाहिए। और वह तभी संभव है जब अध्यक्ष महोदय निष्पक्ष हों। सत्ता पक्ष की बजाय विरोध पक्ष को महत्व देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं, कृपया बिराजें।

श्री नाथू सिंह गुर्जर : मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपने भी कई बार इसी तरह से यहां, मुझे याद है, कोई 10 साल तो इस सदन में था, पास करवायी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बैठ जाइये, पूरा जवाब मिलेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मिनट में मैं जवाब दे देता हूं। बार-बार सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप एक उदाहरण देते हैं कि आपने एक दफा अव्यवस्था में मांगे पास करवायी थीं। कभी जिंदगी में नहीं करवायीं। समय यह था कि साढ़े चार बजे मुख बन्द का प्रयोग करके सब मांगों को पारित करवाना था। विपक्ष के नेता महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हम और चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कार्य सलाहकार समिति ने मुखबंद का समय कर दिया। जब मुख ही बंद हो गया तो कैसे चर्चा होगी। खैर, उनके आग्रह पर मैंने घंटे-डेढ़ घंटे का समय बढ़ा दिया वह समय भी समाप्त हो गया तो कहा कि और समय बढ़ाओ। मैंने कहा कि वित्तीय मामला है, उसके बाद में कानून पेश होगा, एप्रोप्रिएशन बिल, टैक्सेशन बिल वगैरह पेश होंगे इसलिए अब समय नहीं बढ़ाएंगे। तो सब खड़े होकर अव्यवस्था फैलाने लगे। तो जैसे कल पास करवायी थी मांग, उस तरह से एक मांग मैंने रखी। लेकिन जब स्थिति देखी कि स्थिति नियन्त्रण में नहीं आने को है तब मैंने निवेदन किया कि मैं अब व्यवस्था स्थापित करके उसके बाद में मांगें पास करवाऊंगा। मैंने यह कहा कि अब मैं माननीय सदस्यों को नाम से पुकारूंगा और जिनका नाम मैं लूं कृपया वे सदन से बहिर्गमन कर जाएं वरना फिर दूसरे तरीके की स्थिति बनेगी। मैंने इधर का कुछ कठोर रुख देखा तो सारा विपक्ष वाकआउट करके चला गया, उसके बाद में सब मांगें पास करवायीं। उस वक्त विपक्ष नहीं था, स्वेच्छा से वे यहां से उठकर चले गये थे। मेरा विनम्र निवेदन यह है, अगर अध्यक्ष जी मान लीजिये सरकार की तरफ से वो हैं, पहले अध्यक्षों ने इस्तीफे भी दिये थे, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। मैंने कहा कि मैं इस ढोंग में नहीं पड़ना चाहता कि मैं हूं तो कांग्रेस में, उससे चुन कर आया हूं, मन में जो हूं सो हूं और यहां दिखावा करूं कि मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूं। इससे कोई मतलब नहीं है, निष्पक्ष होकर काम करिए। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आसन को सदैव विपक्ष की रक्षा करनी चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिलें इस तरह की तजबीज हमेशा की जानी चाहिए। एक दिन का और किस्सा (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस समय आप अध्यक्ष पद पर आसीन थे उस समय की प्रोसीडिंग है। मैं पढ़ना नहीं चाहता, आप खुद ही पढ़ लें। आप खुद ही पढ़ कर सुना दें, किस प्रकार एक- एक सदस्य को...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वो अपन बैठकर पढ़ लेंगे, मेरी बात मुझे कहने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने बोलने ही नहीं दिया उस समय और विनियोग विधेयक एक, विनियोग विधेयक दो और एक से लेकर 48 तक सारी मांगें...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, नहीं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : फिर आपने व्यवहार क्या किया वह आपको याद है क्या? महावीर जी, सचेतक महोदय, आपका व्यवहार क्या हुआ करता था उस वक्त, याद है क्या आपको ? नहीं, मैं क्या याद करवा रहा हूं आपको, आपका व्यवहार क्या हुआ करता था, याद है क्या आपको ? क्या व्यवहार होता था उस वक्त ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष जी, आप इजाजत दें तो मैं सबको यह प्रोसीडिंग पढ़कर सुना दूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या शिकायत है मुझसे ? मैं अर्ज करता हूं कि आसन को रिमोट कण्ट्रोल से, बैक सीट ड्राइविंग से नहीं

(श्री पूनम चन्द्र विश्नोई)

चलाया जा सकता। जो इस कुर्सी पर विराजमान होता है, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे चेयरमेन हो, जब तक यहां वे आसीन हैं, उनको सब अधिकार है। अगर अध्यक्षजी या उपाध्यक्ष जी यह महसूस करते हैं कि ठीक तरह से सदन की कार्यवाही संचालित नहीं हो रही है तो वे अंदर पधार सकते हैं और पीठासीन हो सकते हैं। लेकिन एक दिन कोई आरोप लगाना था चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य एम.पी. के विरुद्ध, तो अंदर से उपाध्यक्ष जी के पास संदेश आया कि 23 या 25 कितनी तारीख से पार्लियामेंट का सैशन हो रहा है इसलिए इस प्रश्न को वहां उठाएं, यहां आरोप लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, यह नियम विरुद्ध है। हमको विचार रखने की पूर्व स्वतंत्रता , अगर वह विषय राजस्थान सरकार से संबंधित हैं तो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाये जा सकते हैं। उसमें भद्दे हों, आरोपित करने वाले हों, डिफेमेटरी हों, उस वक्त सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो रोका जा सकता है लेकिन पहले नहीं रोका जा सकता कि आपको इस तरह की बातें कहने का, आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं है। यह हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। आम तौर से देखा है कि अध्यक्ष जी उधर से देखते रहते हैं और शक है मुझे और बहुत से माननीय सदस्यों को शक है कि जैसा इशारा होता है उसी हिसाब से करते हैं। आप चर्चा करवाइये खुली। फिर छोटा सा उदाहरण देता हूं यह गलती आप भी करते थे। जब प्रश्न को पुट किया जाता है, जो इसके पक्ष में हो हां कहें जो विपक्ष में हों ना कहें, होना यह चाहिये, प्रोसीजर यह है। हां पक्ष जीता, इसका मतलब यह है कि मेरे विचार में हां पक्ष जीता है। अगर किसी को एतराज है तो मौका देना चाहिए, अल्पविराम करना चाहिए बीच में और जब कोई एतराज नहीं हो तो दो दफा दोहराइए- हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, या ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। मैं पांच साल से देख रहा हूं जो पक्ष में हो हां कहें और विपक्ष में हों ना कहें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, पारित किया गया। और आप जानते हैं कि दो दफा अगर कह दिया, रिपीट कर दिया तो फिर हम सब पूरी कोशिश करें वह प्रस्ताव, वह संकल्प, वह कानून पारित हो गया। आपके हाथ में फिर बहुत लंबी प्रक्रिया है। इस तरह से कुछ उदाहरण हैं उसकी वजह से यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है। तो इसके खिलाफ है। किसी ने कभी 40 साल से इस सभा में, मदेरणा साहब, अपशब्द भी मेरे मुंह से कभी नहीं सुने होंगे किसी ने आवेश में आकर के। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन यह है कि आसन को अपनी गरिमा बनाये रखनी चाहिए और विपक्ष को अधिक से अधिक समय दें। भैरोंसिंह जी कोई करोड़पति के घर जन्मे नहीं हैं। कोई बहुत बड़े लेखक, विद्वान या कवि या फिलोसोफर नहीं हैं कोई बहुत बड़ा, यूं इज्जतदार घर के हैं, लेकिन बहुत बड़े कोई राजा-महाराजाओं का वैसा हैरिटेज नहीं है। इस सदन के माध्यम से वे सर्वोच्च पद पर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तीन बार पहुंचे हैं। उनमें खुद में तो खूबियां हैं ही लेकिन उनके मन से पूछो तो वे भी यह मानेंगे कि हमने भी उनको बहुत बढ़ावा दिया, बहुत इज्जत दी और हर तरह से उनकी मर्जी के खिलाफ करने का सोचा भी नहीं। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। जिनके नाम इसमें थे...

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट की बात कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 306 के अन्तर्गत, सुनिये आप, जिनके नाम आये हैं, जिन्होंने पेश किया है...

श्री शिवनाथ सिंह : आप बैठें तो मैं कहूं, साहब। हम भी इसमें भागीदार हैं लेकिन नाम कांग्रेस पार्टी ने दिये हैं, इसलिए हमारा नाम उन्होंने नहीं दिया। इसलिए हम कहना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब इसमें काफी लंबी चर्चा हो गयी है।

श्री शिवनाथ सिंह : पांच मिनट में मैं खतम कर दूंगा। कहना चाहेंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में कह दें आप अपनी बात।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, घड़ी बंद करें तो एक मिनट भी नहीं लूंगा। उपाध्यक्ष जी, सीमित प्रश्न है कि 306 के अन्दर आप नियमों में शिथिलता दें। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस सब्जैक्ट के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। उपाध्यक्ष जी, मेरे सामने दुविधा है, तीन-चार प्रश्न यहां ऐसे हैं जिन पर न मैं समझ पाया हूं और न सोच पाया हूं। हमारे सामने एक व्यवस्था अध्यक्ष जी की दी हुई है जिसमें उन्होंने सब रूल रिलैक्स करके माननीय धनखड़ साहब को बोलने की इजाजत दी। उसके बाद आपने एक दूसरी रूलिंग दी कि इजाजत नहीं दी गयी और मैं यह रूलिंग देता हूं कि इजाजत नहीं दी गयी। वह भी हमारे सामने हैं।

तीसरी बात आपने एक और कह दी कि माननीय अध्यक्ष जी यहां से जाते-जाते कुछ गये हैं। मैंने उस वक्त भी निवेदन किया था कि माननीय अध्यक्षजी ने जो यहां एक व्यवस्था कायम की, माननीय सदस्य को प्रस्ताव के ऊपर बोलने की इजाजत दी। उसके विपरीत यदि उन्होंने आपको कुछ कहा है तो हम माननीय अध्यक्षजी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने आपसे तो क्या कहा और सदन में क्या कहा। उस बात को आपने रोका कि मैंने व्यवस्था दी। आपकी व्यवस्था को मानते हैं।

उपाध्यक्ष जी, अब इन तीन परिस्थितियों में हम कौनसी परिस्थिति पर चलें ? सवाल इतना उठता है कि आप नियमों में ढिलाई दें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपको देनी चाहिए और इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन और सदन के पीठासीन अधिकारी जिसमें माननीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, सर्वोपरि हैं, सबको उनका सम्मान करना चाहिए। हम सम्मान करने की चेष्टा भी करते

(श्री शिवनाथ सिंह)

हैं लेकिन उस सम्मान को कायम रखना आसन का भी कर्तव्य है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आसन और पीठासीन अधिकारी 2 संस्थाएं हैं, एक नहीं है। आसन पर बैठने वाले माननीय सदस्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आसन मेरे से ऊपर है। बहुत दफे ऐसे मौके आये हैं जब, माननीय सदस्य वकालत के पेशे से हैं, प्रेसाइडिंग आफिसर दोषी माने गये हैं, कण्टेम्प्ट आफ कोर्ट के। इस प्रकार के कई अवसर आते हैं जब आसन पर विराजमान होने वाले माननीय सदस्य भी आसन की अवमानना करने के दोषी भी हो सकते हैं। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आसन की गरिमा बढ़े, प्रेसाइडिंग आफिसर की गरिमा बढ़े, इसमें हम साथ देना चाहते हैं और इस आसन की गरिमा को गिराने में कोई माननीय सदस्य जब अपना अतिक्रमण करेगा, हम उसको बरदाश्त नहीं करेंगे।

यह जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, नियमों में आपसे छूट लेकर चर्चा करना चाहते हैं। उसके बैक ग्राउण्ड में मैं एक मिनट कहना चाहूंगा। आसन निष्पक्ष रहने की चेष्टा करता है, हम सबको अकोमोटेड करने की चेष्टा करता है लेकिन मैं सत्तापक्ष और इस सरकार को दोष देता हूं कि वे आसन को सही रूप से निष्पक्ष रहकर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ रहे हैं, बराबर उन पर प्रैशर डाल रहे हैं।

मैं यह मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव यदि पास होगा तो सबसे दुःखी व्यक्ति मैं होऊंगा। हम माननीय अध्यक्षजी को इस आसन पर बैठे हुए देखना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर इस सरकार का जो लगातार प्रैशर डाला जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव पर हमारा उद्देश्य यह है कि इस के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार को सावधान करना चाहते हैं कि आप इस आसन की गरिमा के रखवाले पहले हो, बाद में हम हैं। अब स्थिति यह आ गयी है कि आप इस आसन की गरिमा को गिराने में लगे हुए हैं, बराबर लगे हुए हैं और प्रतिपक्ष आसन की उस गरिमा को बढ़ाना चाहता है। इस आसन की गरिमा कैसे बढ़ेगी ? जब इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तब लोगों के सामने आएगा कि आसन निष्पक्ष रहना चाहता है लेकिन सत्ताधारी दल और सत्ता के लोग इस आसन की गरिमा को गिराना चाहते हैं।

अन्त में जैसा माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि भावनाओं में आकर हमारे अध्यक्षजी ने यह व्यवस्था दे दी, हो सकता है, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भावना से माननीय अध्यक्षजी ने एक व्यवस्था दी, आसन को छोड़कर चले गये।

Page No.143

(श्री शिवनाथ सिंह)

उन्होंने बहुत बड़ी परम्परा कायम की है। उनकी उस व्यथा को देखते हुए, आत्मा की उस आवाज को देखते हुए आपका यह कर्तव्य हो जाता है, उपाध्यक्षजी, उनकी मंशा थी कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर यहां चर्चा हो और वे निष्कलंक होकर यहां से निकलें इसलिए आप उस सम्बन्ध में बाधक मत बनिये। आपको बाधक नहीं बनना चाहिए, इस प्रस्ताव पर आपको चर्चा करानी चाहिए। उनको निष्कलंक यहां स्थापित होने के लिए आपको अवसर देना चाहिए, उसमें आपको बाधक नहीं बनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। श्री नरपतसिंहजी। (व्यवधान) कृपया बात न करें।

श्रीमती बीना काक : ये + + + बार बार खड़े हो जाते हैं। इस तरफ भी एक + + + बैठे हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : उपाध्यक्ष जी की अनुमति से बोलना चाहें तो बोलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कल की कार्यवाही के कारण कल जिस प्रकार से काफी अव्यवस्था फैली (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान नहीं, आदरणीय डाक्टर साहब, कृपया बिराजें।

श्री नरपतसिंह राजवी : कल सदन में आक्रोश फैला था और यहां जागरूक प्रतिपक्ष अकाल पर चर्चा करना चाह रहा था। वह जागरूक प्रतिपक्ष जो सत्तापक्ष के माननीय सदस्य श्री कालूलालजी द्वारा उठाए गये विषय पर बोलना चाह रहा था, ऐसा जागरूक प्रतिपक्ष। एक तारीख को काम बंद हो गए, वह प्रकरण 15 तारीख को उठाना चाह रहा था, ऐसा जागरूक प्रतिपक्ष।

अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी, मेरे ख्याल से अध्यक्ष जी ने यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं दी जिस पर माननीय सदस्यों को एतराज होता हो। निश्चित रूप से काफी देर यहां पर हंगामा होता रहा पर प्रतिपक्ष एक बात पर जरूर अड़ा रहा कि हाउस को एडजोर्न किया जाए चाहे 10 मिनट के लिए किया जाए। हाउस को एडर्जोन करना और जनता की डिमाण्ड को यहां पर रखना, जनता की भावना को यहां पर रखना, इसमें बहुत अन्तर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय जब यहां से उठकर अंदर कक्ष में पधारे, चैम्बर में पधारे कुछ माननीय सदस्यों को शायद इस बारे में ज्ञान हो सकता है काफी गम्भीर चर्चा होने के बाद मुझे विवश होकर खड़ा होना पड़ा और कहना पड़ा, मैं उस ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के माननीय नेता और चन्दनमल जी बैद साहब का भी कि अध्यक्षजी की माताजी के गम्भीर अस्वस्थ होने के कारण, कल स्थिति काफी क्रिटिकल थी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

जिस समय अध्यक्षजी यहां से कक्ष में पधारे हैं, उस समय घर से कोई टेलीफोन आया था कि उनकी स्थिति चिन्ताजनक है और आप तुरन्त पधारें, आकर बात करें। यहां पर स्लिप में वह सूचना दी और उस सूचना को लेकर माननीय अध्यक्ष जी अंदर पधारे। उसके बाद माननीय उपाध्यक्षजी यहां पर बिराजे। कुछ माननीय सदस्यों को भी जानकारी है, माननीय गुलाबसिंह जी शक्तावत को तो आज सुबह भी इस चीज की जानकारी थी। मन से, भावना से ये कहते हैं कि साहब, बहुत बढ़िया काम किया। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मुझे आज सुबह जानकारी दी थी, कल पता नहीं था। कल तो कैसे चले गये, इसका अंदाजा ही नहीं था।

श्री नरपतसिंह राजवी : I am subjcet to correction. आज सुबह आपको मिली, वही मैंने कहा। जो सेंसेटिविटी दिखानी चाहिए थी, अध्यक्षजी से कम से कम यह तो पूछते कि आपकी माताजी का स्वास्थ्य कैसा है। वह तो किया नहीं और अध्यक्षजी की कोई पुरानी व्यवस्थाओं के बारे में खींचतान कर दुनिया भर की बातें करने के लिए पौने चार घण्टे का इस सदन का समय जाया किया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्षजी ने जो अनुमति दी है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको तो बारबार मौका दे रहे हैं और एक माननीय सदस्य आपसे 10 बार इजाजत मांग चुका है, इजाजत नहीं दे रहे हैं, फिर वही की वही स्थिति खड़ी होगी। मैंने भी बहुत चाहा, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) मैं बारबार सदन में हाथ खड़ा कर रहा हूं कि मेरी भी बात सुनें, मेरी समस्या भी है। मैं कोई इस तरह की बात करना चाहता हूं (व्यवधान) आसन की व्यवस्थाओं से मैं भी कई बार पीड़ित हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरा करने दो।

श्री नरपतसिंह राजवी : अभी माननीय शिवनाथ सिंह जी ने फरमाया, शिवनाथसिंह जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शिवनाथसिंह साहब ने फरमाया कि अध्यक्षजी ने 306 के तहत इजाजत दे दी है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आप प्रतिपक्ष के नेता के साथ पधारकर देख लें, कार्यवाही में, अनुमति नहीं दी गयी है। अनुमति नहीं दी गयी है, फिर उसके ऊपर 3 घण्टे तक चर्चा करने का क्या विषय रह गया है ? जो मोशन प्लेस ही नहीं किया जा सका उसकी अनुमति की आड़ में लेकर करना चाहें तो मेरे ख्याल से मदेरणा साहब तो अपराइट आदमी हैं, अनुमति नहीं दी है, कम से कम उसके बारे में तो नहीं कहेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी दलों के नेता इसमें बोलें। आप बिराजिये, कोई आवश्यक नहीं है।

Page No.145

श्री अमराराम (धोद) : मैं इस मोशन पर.(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मुख्य सचेतक महोदय ने मेरा नाम दिया है, इसमें जो लिस्ट है। आप हमारे साथ न्याय करें। मेरा और (व्यवधान) उसमें मुख्य सचेतक महोदय ने नाम दिया है। आप बोलने की अनुमति दें, न्याय करें, हमारे साथ।

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी, आप बैठिये। बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड का तो बहाना है, कुछ नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद) : मैंने 134...(व्यवधान)..

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य आसन की ओर नहीं सुनते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य सुन नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बिराज जाएं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया, आप बैठें। माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आसन पैरों पर है। बैठिये।

एक माननीय सदस्य : आसन तो हमेशा ही पैरों पर रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, आप शांत रहिये। आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप सुन तो लें।

व्यवस्था

अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति के लिये नियम 134 का निलम्बन

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़ व अन्य माननीय सदस्यों ने प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम 134 के प्रावधानों को निलम्बित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रक्रिया के नियम 134 के अन्तर्गत संकल्प की सूचना संविधान के अनुच्छेद 179 (ग) के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 179 के परन्तुक में यह प्रावधान है कि ऐसे प्रस्ताव के लिये 14 दिन की सूचना अनिवार्य है और इसके साथ ही संकल्प प्रस्तुत किये जाने की मंशा भी बतानी होती है।

प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत अध्यक्ष की सम्मति से किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना, निलम्बित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु संकल्प पर यह लागू नहीं होता, जो संविधान के अन्तर्गत प्रावधानों में सम्मिलित है। प्रक्रिया नियम 306 संविधान के अनुच्छेद 179 (ग) के ऊपर नहीं हो सकते।

अनुच्छेद 179 का सांविधानिक प्रावधान मेंडेटरी है और उसको नजरन्दाज कर किन्हीं

(श्री उपाध्यक्ष)

अन्य प्रक्रिया नियम के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते। ये तथ्य दिनांक 16.10.1951 को लोकसभा में दिये गये एक विनिर्णय में भी स्वीकार किये गये हैं। इस सम्बन्ध में कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक "संसदीय व्यवहार तथा प्रक्रिया ; 1986, " तृतीय संस्करण के...

श्री राजेन्द्र पारीक : कौल एवं शकधर की आड़ में इस तरह ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पृष्ठ संख्या 82-83 को अवलोकन सुसंगत प्रतीत होता है, जिसके मुख्य अंश इस प्रकार हैं : –

"A resolution for removal of the Speaker or the Deputy Speaker received without due notice is not proceeded with."....

"When the House met on 7th March, the Speaker, in a ruling on points of order raised, observed that the no-confidence motions against him, admitted on the previous day, were 'violative of article 179 (c) of the Constitution and should be deemed to have not been moved at all'. This led to a continuous pandemonium and eventually the Speaker adjourned the House for two months, which created a serious as the Budget for 1968-69 had yet to be passed by the Assembly.

"Referring to these incidents Speaker Reddy observed :

The Speaker's action in revising his ruling regarding the removal of a member led to subsequent developments. However, the Speaker was within his rights to change his order in the changed circumstances.

"We have to remember that the office of the Speaker is an august one. He is one who should be shown all respect by every section of the House. In fact, he cannot discharge his onerous responsibilities effectively if he is denied such respect. It follows that motions or resolutions for the removal of the Speaker should not be brought forward in a light hearted manner. There are contitutional provisions, rules and conventions in this regard which should be follwed scrupulously."

ऐसे मामले में सदन में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब नियम 306 के अन्तर्गत नियम 134 की अनिवार्यता को निलम्बित किया गया हो। सदन के माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख ही नहीं किया है।

अतः संविधान के अनुच्छेद 179 (ग) के प्रावधान को सर्वोपरि मानते हुए नियम 306 के अन्तर्गत नियम 134 का निलम्बन किये जाने की मांग असंवैधानिक होने के कारण इसे अग्राह्य करता हूं। (व्यवधान) श्री अरूणसिंह (अनुपस्थित)। श्री परसादी लाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अनेक माननीय सदस्य : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पढ़े हुए मान लिये जाएं।

श्री किशन मोटवानी : सम्बन्धित विभाग के मंत्री यह आश्वासन दें कि वे जवाब देंगे तो पढ़े हुए मान लिये जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पढ़े हुए मान लिये जाएं ?

(स्वीकृत)

पढ़े हुए मान लिये गये।

(विशेष उल्लेख के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

श्री अरूण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 295 नहीं है–

श्री उपाध्यक्ष : आप उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री अरूण सिंह : नहीं, उपस्थित थे।

श्री उपाध्यक्ष :नो-नो। आप बिराजिये। श्री ज्ञानसिंह चौधरी, कृषि राज्य मंत्री राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन 1994-95

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (कृषि राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के नियम 32 (4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मैसर्स अभिनन्दन सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड एवं अन्य द्वारा जनता के साथ धोखाधड़ी

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत श्री भीमराज भाटी, श्री रामस्वरूप, श्री रामनारायण मीणा, श्री जुबेर खान, श्री लक्ष्मणसिंह रावत, श्री किशन मोटवानी, श्री माधवसिंह दीवान, श्री रूपाराम, श्री श्रवण कुमार, श्री राधेश्याम, श्री रघुवीर सिंह, श्री हरिसिंह (महुआ), सदस्य, विधान सभा मैसर्स अभिनन्दन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य द्वारा जनता के साथ की गयी कथित धोखाधड़ी से उत्पन्न स्थिति की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री भीमराज भाटी : माननीय (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : पहले ध्यान आकर्षित कीजिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत पाली में और राजस्थान के विभिन्न इलाकों में जो शेयरों के मार्फत लाखों-करोड़ों रुपयों के...

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित करता हूं, यह कहिये। आगे नहीं बोलेंगे आप। केवल यही कहिये।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपने सिर्फ गृह मंत्री जी का ही कहा है। वित्त मंत्री भी इसमें आते हैं क्योंकि वित्त का भी मामला है, करोड़ों रुपयों का मामला है। माननीय गृह मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में विभिन्न शहरों में शेयरों की धोखाधड़ी, फर्जी हस्ताक्षर कर शेयरों की राशि प्राप्त कर लेना, फर्जी शेयर दे देना, फर्जी हस्ताक्षर कर शेयरों का बेचान इत्यादि के सम्बन्ध में वर्ष 1995 में 25 अभियोग पंजीबद्ध हुए, जिनमें से आठ में चालान तथा 16 में एफ.आर. की गयीं और एक अभियोग अनुसंधानाधीन है। वर्ष 1996 में 20 जून, 1996 तक कुल 51 अभियोग दर्ज होकर एक में चालान, दस में एफ.आर. व 40 अभियोग में अनुसंधानाधीन है।

पाली में थाना कोतवाली में दिनांक 29.6.1996 को श्री नन्दकिशोर ने धारा 154 सी.आर.पी. सी. के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि श्री नन्द किशोर ने अभिनन्दन सिक्योरिटीज के श्री हनुमानजी गादिया एवं शेयर इन्वेस्टमेंट के श्री सुधीर गोयल के द्वारा सहायक दलाल के रूप में कार्य करने का आग्रह करने पर कार्य प्रारम्भ किया। श्री हनुमान गादिया ने मैसर्स साउथ इस्पात कम्पनी व श्री सुधीर गोयल ने रणजीत सिक्योरिटीज, बैरिल सिक्योरिटीज एवं छाबड़ा स्पिनर्स लिमिटेड के शेयरों को बढ़ी हुई दर पर बाई बैंक का लिखित अनुबंध किया था परन्तु शेयरों का अलाटमेंट आने के बाद उक्त दोनों शेयरों को वापस खरीदने से इन्कार कर दिया जिससे उसे व विनियोजकों को लाखों रुपयों की हानि हुई। शेयर ब्रोकर एस. एम. शर्मा भी समान रूप से दोषी है। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 220/96 धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज कर अनुसंधान उप-अधीक्षक, पाली द्वारा किया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान मुस्तगीस के बयान लिये गये हैं व सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया गया है। अनुसंधान जारी है।

जिला पाली की बैंकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि 57 लाख आठ सौ रुपये का विनियोजन उक्त कम्पनियों के शेयरों में किया गया। पाली ही के कुछ विनियोजकों ने अहमदाबाद की बैंकों के माध्यम से 20 लाख 29 हजार रुपये का भी विनियोजन किया है। पुनर्खरीद का कांट्रेक्ट पाली में अभिनन्दन सिक्योरिटीज से किया

(श्री कैलाश मेघवाल)

था। इस प्रकार उक्त कम्पनियों में कुल 77 लाख 29 हजार 800 रुपये का विनियोजन होने की जानकारी प्रकाश में आयी है। अतिरिक्त सूचना एकत्र की जा रही है।

जहां तक इस मामले को प्रकाशित करने वाले पत्रकार श्री किशोर सिंह पर जानलेवा हमला करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में दिनांक 4.6.1996 को प्रातः 9 बजे श्री किशोरसिंह पुत्र गोपाल सिंह, पत्रकार, दैनिक नवज्योति, जिला, पाली ने वृत्ताधिकारी पाली को लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कल रात्रि में जब मैं बस स्टैंड से डाक बंगला आ रहा था तो एक सलेटी रंग की बिना नम्बरी कार ने टक्करी मारी। फिर धोला चबूतरा से हमारे मोहल्ले वाले मोड़ पर सामने से एक बिना नम्बरी सफेद कार ने टक्कर मारी जिस से चोट आयी। यह आक्रमण शायद दिलीप नवलखा व पदम गादिया ने मुझ पर किया क्योंकि मैंने अखबार में इनके द्वारा किये गये शेयर घोटाले का पर्दाफाश किया। इस रिपोर्ट पर अपराध संख्या 182/96 धारा 307, 323 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया। अभियोग का अनुसंधान सी.ओ. पाली द्वारा किया जा रहा है। दौराने अनुसंधान घटना स्थलों का बारीकी से मुआयना किया गया। अभियोगी की मोपेड व मौके का निरीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों से कराया गया। गवाहान के बयान लिये तथा संदिग्ध दिलीप नवलखा व पदम गादिया से भी पूछताछ की गयी। यह उल्लेखनीय है कि मुस्तगीस ने रात्रि के करीब एक बजे की घटना की रिपोर्ट तुरन्त थाने पर नहीं की, टेलीफोन से भी सूचना नहीं दी है। गवाहान श्री घनश्याम व गोपीराम जो सूरजपोल पर पान की दुकान करते हैं, के कथन से यह भी पता चला है कि इन्होंने किशोर सिंह को गली में जाते देखा था व टी. वी. एस. मोपेड खम्भे के पास पड़ी देखी थी। घटनास्थल के आस-पास कोई कार नहीं देखी एवं ये ही गवाहान किशोर सिंह को नशे की हालत में घर जाते हुए देखना बताते हैं। ये ही गवाहान किशोर सिंह की मोपेड उठा कर उसके घर ले गये थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने भी मोपेड पर पीछे से टक्कर मारने बाबत कोई साक्ष्य नहीं पाया है।

अब तक की तफतीश, बयानात गवाहान, मुआयना कार से मोपेड के टक्कर मारने का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है परन्तु फिर भी गहनता से तफतीश की जा रही है।

यह सही नहीं है कि पुलिस ऐसे पूंजीपति एवं राजनीतिक प्रभावशाली तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस इन मामलों में पूर्ण निष्पक्षता एवं गहनता से तफ्तीश कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इसमें करीब 12 सदस्यों के नाम हैं, इसमें दो-चार सवाल आपको पूछने हैं पूछ लें। माननीय गृह मंत्री जी ने अपना वक्तव्य काफी स्पष्ट दे दिया है, एक-दो सवाल आप पूछें।

श्री भीमराज भाटी : नहीं, इसमें उन्होंने अपना वर्शन दिया है_(व्यवधान)_

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको पूरा समय दीजिये और हम सब इनकी बात से ही सहमत हो जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पूछिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, कैसे हो जाएंगे सहमत ? बिलकुल अस्पष्ट वक्तव्य दिया है।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो शेयर घोटाले हुए हैं वे खाली पाली शहर में ही नहीं हुए हैं पूरे राजस्थान में इस तरह के शेयर घोटाले हुए हैं। सरकार में 110 मुकदमें अभी तक दर्ज हुए हैं। इन 110 मुकदमों में ज्यादातर में एफ. आर. लगा दी गयी है। 1994 में 40 मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें 7 में चालान किये बाकी 24 में ऐसे कर दिया है। 51 मुकदमे दर्ज हुए उसमें से एक में चालान किया बाकी सारे उसमें कर दिये हैं। मैं इस मामले में थोड़ा विस्तार से आप का समय लेना चाहूंगा क्योंकि इसमें लाखों-करोड़ों रुपये के –

श्री उपाध्यक्ष : विस्तार से कहने की कोई परम्परा नहीं है, आप सवाल पूछ लें।

श्री भीमराज भाटी : सवाल मैं पूछूंगा।

जो माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया है, उनको पुलिस द्वारा जो वर्शन दिया गया है वह सरासर गलत दिया गया है। एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि सिक्योरिटीज और कांट्रेक्ट एक्ट, 1956 में सीधा-सीदा प्रोवीजन है कि स्टाक एक्सचेंज का ब्रोकर, स्टाक एक्सचेंज का मैम्बर और जो लिस्टेड स्टाक एक्सचेंज हैं, या स्टाक एक्सचेंज के नियत स्थान हैं उनके अलावा किसी भी स्थान पर शेयरों का कारोबार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे पाली में कलैक्शन सेंटर स्थापित कर पैसे कलैक्ट करने की एक नयी परम्परा चालू की गयी है। इस तरह की परम्परा राजस्थान के और शहरों में भी चालू की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटीज एण्ड कांट्रेक्ट एक्ट में 90 परसेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। कम्पनी जो प्रोस्पैक्टस छापती है उस में लिखना पड़ता है कि 90 परसेंट कलैक्ट हो जाएगा, 90 परसेंट पैसा नहीं कलैक्ट होगा तो बाकी का सारा पैसा वापस इंवेस्टर्स को लौटा दिया जाएगा। उस 90 परसेंट को कलैक्ट करने में कुछ पैसा तो हिन्दुस्तान के डिफरेंट सेंटर से कलैक्ट हो जाता है, पर 90 परसेंट के टारगेट को एचीव करने के लिए ऐसे-ऐसे प्रोसपेक्टिव सेंटर होते हैं जहां पर लोगों को फाइनेंस अवेलेबल हो। जहां पर थोड़ी लोभी प्रवृत्ति के लोग दिखें, उन लोगों को उसमें इन्वाल्व किया जाता है। ऐसे सेंटर्स में पाली भी एक है, जोधपुर भी एक है। कुछ मामलों में जोधपुर लिस्ट होता है कुछ मामलों में नहीं होता है। सुजानगढ़ है, ऐसे पैसे वाले राजस्थान के सेंटर हैं, पाली में भी सेंटर डवलप किया। पाली में सेंटर डवलप करके उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली भूल तो यह की, सबसे बड़ी बदमाशी यह की, गलती

(श्री भीमराज भाटी)

यह की, कि जो एप्लीकेशंस इन्वाइट कीं, इंवेस्टर्स को यह लोभ दिया गया कि हम 10 रुपये के शेयर के आपको 13 रुपये दे देंगे, 18 रुपये के शेयर के 22 रुपये दे देंगे। यह लोभ लालच देकर उस एप्लीकेशन को ही कांट्रेक्ट कर लिया। 10 रुपये की एप्लीकेशन जिस दिन भरवायी गयी और जो एप्लीकेशन मनी ली गयी उसी दिन उस एप्लीकेशन को सैल करने का कांट्रेक्ट फार्म दिया गया जो कि फारवर्ड ट्रेडिंग में और स्पैकुलेटिव ट्रेड्स में आता है। वह एक सीरियस ओफेंस है लेकिन पुलिस सीरियस ओफेंस मानती नहीं स्पैकुलेटिव ट्रेड को।

इसके अलावा क्या है कि शेयर का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें मिनिमम रिस्क फैक्टर्स हैं, मैं रिक्स फैक्टर्स में से कुछ चीजें आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। जैसे बैरिल सिक्योरिटीज है, उस बैरिल सिक्योरिटीज में रिस्क फैक्टर्स हैं :-

"The fund requirement and the future projections appearing in this offer Document have not been appraised by any financial institution/bank and the same are company's own estimates. A major portion of the fund requirement is being met through equity. Any delay in raising funds from the capital market would entail delay in implementation."

मतलब न तो हमने जो प्रोजेक्ट है, जिस बात के लिए ...

श्री उपाध्यक्ष : आप सब की तरफ से ही बोल रहे हैं न ? आप अकेले ही बोलेंगे या और भी कोई बोलेगा इसमें ?

श्री भीमराज भाटी : कोई बोलेगा तो जरूर बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो आप बिराजिये फिर। फिर आप बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी।

श्री भीमराज भाटी : हजारों इंवेस्टर्स इन्वाल्व्ड हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो वर्शन दिया है पुलिस का उसमें पुलिस के बहुत...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। काफी माननीय सदस्य हैं जो बोलेंगे।

श्री भीमराज भाटी : मैं दो मिनट लेना चाहता हूं बस। मेरा कहना यह है कि पुलिस इसमें ज्यादातर केस में...

श्री किशन मोटवानी : हम नहीं बोलेंगे, उनको बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अकेला ?

श्री किशन मोटवानी : हां, अकेला, पूरा बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : और किसी को नहीं बोलने दें न ?

श्री किशन मोटवानी : पूरा बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा बोल रहे हैं न? पूरा बोलिये।

श्री भीमराज भाटी : करोड़ों रुपये का मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हजारों इंवेस्टर्स इन्वाल्व्ड हैं।

श्री रामनारायण मीणा : अब ऐसे आसन रोकेगा..(व्यवधान)...

श्री भीमराज भाटी : जो हजारों इंवेस्टर्स इनमें इन्वाल्व्ड हैं..(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, एक मिनट।

श्री रामनारायण मीणा : फिर यह 131 का प्रस्ताव..(व्यवधान)..

श्री भीमराज भाटी : करोड़ों रुपये का मामला है।

श्री रामनारायण मीणा : यह कोई बात नहीं हुई, साहब।..(व्यवधान)...

(16.00)

श्री उपाध्यक्ष : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इसमें समय सीमा है।

श्री रामनारायण मीणा : कितनी है ?

श्री उपाध्यक्ष : आधा घण्टा है। आधे घण्टे से ज्यादा नहीं हुआ करती है। आधा घण्टे है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) हां, आधा घण्टा दूंगा।

श्री रामनारायण मीणा : मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आधा घण्टा ही दूंगा।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। It is the importance of the subject, वह देखा जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा : यह सारे राजस्थान का मामला है, पाली में ही नहीं हो रहा है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह आसन देखेगा, आप नहीं देखेंगे।

श्री भीमराज भाटी : पूरे राजस्थान का मामला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण मीणा : इतनी जल्दबाजी में सदन में लिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समय बर्बाद नहीं करें, बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपन सदन का टाइम खराब नहीं करें। मैं आपको प्रोस्पेक्टस पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"No firm tie-up arrangements have been made for procurement of raw material and marketing of the finished products. The company is yet to place order for plant and machinery. The company is yet to obtain approval

(श्री भीमराज भाटी)

from the competent authorities for the proposed building." मतलब यह जो कम्पनी का प्रोसपैक्टस है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसके लिए न तो हमारे पास फाइनेंशियल अप्रेजल है किसी का, न हमने कोई लैण्ड एण्ड बिल्डिंग की व्यवस्था की है, न प्लांट एण्ड मशीनरी की कोई खरीद की है, न कोई आर्डर प्लेस किये हैं। उसके बावजूद भी कम्पनियां पैसा इकट्ठा करती हैं, पैसे को इकट्ठा करने के लिये इनका शुरू से ही इन्वेस्टर्स को धोखा देने का मकसद रहता है। छोटे-छोटे जो सेण्टर्स हैं, पाली जैसे सेण्टर हैं, सुजानगढ़ जैसे सैण्टर हैं या सरदारशहर जैसे सेण्टर हैं उनमें जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये धोखे में डालकर उनसे पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हुआ क्या ? पुलिस तो इसमें एफ.आर. दे देती है, कम मुकदमे जाते हैं। कई बार एक नम्बर के पैसे लोग लगाते हैं, कई बार शहरों में दो नम्बर के पैसे लगाते हैं। पुलिस इसमें ज्यादातर जो आदमी लुटता है उसकी पैरवी न करके जो लाखों रुपये हड़प जाता है उससे कुछ न कुछ एडजस्टमेंट कर लेती है, ज्यादातर मुकदमों में आपने देखा होगा। माननीय गृह मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि 110 मुकदमों में यह पोजीशन है। ज्यादातर मुकमदों में एफ.आर. लगायी जाती है। ज्यादातर मुकदमों में एफ. आर. लगती है तो जो इन्वेस्टर है, जो लुटने वाला है, जिसका पहले ही पैसा जा चुका है, उसके दिल में यह आता है कि जब पुलिस ने एफ. आर. लगा दी तो अब मेरी सुनवाई कहां होगी। मोस्ट आफ दी कैसेज में जो इन्वेस्टर्स हैं, किसी का पांच हजार गया, किसी का बीस हजार गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत यह है कि इसमें छोटे-छोटे मध्यम वर्ग के लोग अपना पैसा लगाते हैं और एफ. आर. लग जाती है। जो लोग लाखों-करोड़ों रुपये जनता से इस तरह से लूटते हैं, वे लोग पुलिस से मिलकर इसमें एफ.आर. लगवाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो मेरी बात है, वह पुकार तो करने दीजिये। हजारों लोगों के करोड़ों रुपयों का सवाल है। आप समय सीमा में बांधकर मुझे बाध्य कर रहे हैं।

मेरा निवेदन यह है कि इस तरह से जो एफ. आर. लगती है, मैं माननीय गृह मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहूंगा, एफ.आर. के बारे में जिन लोगों ने कोर्ट को आगे अप्रोच किया है वह एफ. आर. वापस रिवर्ट हुई है पुलिस को और वे कैसेज रीओपन हुए हैं। ऐसे मामलों में जो एफ.आर. लगी हैं, मेहरबानी करके उन एफ. आर. का वापस अगर सीरियसली इन्वेस्टीगेशन करायें तो आपको कई नये फैक्ट इसमें सामने आयेंगे, कई नयी बातें सामने आएंगी।

(श्री भीमराज भाटी)

दूसरा मेरा यह कहना है कि जिन मुकदमों में एफ. आर. लग गयी है उनकी आप इन्क्वायरी करा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलता है, जैसे शेयर्स के अलॉटमेंट नहीं मिलते हैं, उनको 70 दिन में रीपेमेंट होना चाहिए। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जयपुर शहर में हजारों ऐसे आदमी हैं जिनको 70 दिन में तो क्या छह-छह महीने हो गये, बारह-बारह महीने हो गये, पैसा नहीं मिलता है। वे लोग पुलिस में जाते हैं तो पुलिस इसको सिविल डिस्प्यूट बता देती है जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला है कि यह कोई सिविल डिस्प्यूट नहीं है। इन्वेस्टर्स कम्पनियों में जो पैसा लगाते हैं वह बेलीज और बेलर का काण्ट्रेक्ट है, उसमें क्रेडिटर और डेबिटर का हिसाब नहीं है। उसने उसको उधार नहीं दिया, बल्कि उसको विश्वास पर पैसा दिया है। यह विश्वास पर पैसा देने वाले को अगर पैसा वापस नहीं मिलता है तो रीपेमेंट के लिये कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन है। लिमिटेड कम्पनी शेयर के अगेंस्ट में पैसा कलेक्ट करती है उसको 70 दिन में और ज्यादा से ज्यादा 71 दिन में 15 परसेंट इंट्रेस्ट के साथ देना चाहिए। वह पैसा भी उन इन्वेस्टर्स को नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि इसमें कोई सिविल डिस्प्यूट का मामला बनता ही नहीं है। सिविल डिस्प्यूट का मामला तो जब बनता है जब क्रेडिटर और डैटर का कोई रिलेशन डवलप हो किसी फाइनेंशल डीलिंग के मामले में। माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इसमें 406 और 409 आपकी जो आई.पी.सी. है, वह कोई कराते नहीं है।

दूसरा, ट्रांसफर डीड्स में फोरजरी होती है। कोरियर सर्विसेज से मिलकर, पोस्ट आफिस से मिलकर नकली शेयर इश्यू होने चालू हो गये। अभी जयपुर में हजारो शेयर्स का मामला पकड़ा गया है। नकली शेयर्स इश्यू होने चालू हो गये और शेयर्स में पोस्ट आफिस से मिलकर और कोरियर सर्विसेज से मिलकर फोरजरी से सिगनेचर कर देते हैं, फोरजरी से सिगनेचर करके उसका रीपेमेंट कलैक्ट कर लेते हैं। ऐसे मामलों में भी पुलिस को गंभीरता से जांच करके कार्यवाही करनी चाहिए। इसमें 406 भी इन्वोक करना चाहिए, 409 भी इन्वोक करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, ये मामले दबाते किस तरह से हैं ? ऐसे छोटे-छोटे सैण्टर्स, छोटी-छोटी जगह हैं वहां हर पार्टी के छोटे-छोटे नेता हैं, मैं मेरे पाली का किस्सा बताता हूं। हमारे यहां पाली में जो अभिनन्दन सिक्योरिटी का मामला किया गया, यह जो सारा गोलमाल किया गया, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री स्वयं इन्वाल्व्ड हैं। उन महामंत्री की कहां तक पहुंच हैं, वे अखबार में सरकार की और इनके बारे में एडवरटाइजमेंट देते रहते हैं। सरकार के जो मंत्री आते हैं, पार्टी के जो मंत्री आते हैं उन लोगों के स्वागत सत्कार में वहां जुटे रहते है और वे इसमें फाउंडर डायरेक्टर हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के और शहर के अच्छे से

(श्री भीमराज भाटी)

अच्छे प्रतिष्ठित लोगों को मिलाकर एक ग्रुप क्रिएट किया जाता है। ये जो आर्थिक अपराध करने वाले लोग हैं उनकी ओर पुलिस की एक एक्सीस डवलप हो रही है। उस एक्सीस में पालिटीशियंस जाने-अन्जाने में, मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महोदय को यह जानकारी होगी लेकिन आपकी पार्टी के आफिस बीयरर हैं। उनका लैटर पैड भी है। वे आफिशियल आपके जनरल सैक्रेटरी अलग हैं और आफिशियल ऐसी कम्पनी के फाइनेंशल डायरेक्टर अलग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : मैं समाप्त कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कब कर रहे हैं ?

श्री भीमराज भाटी : एक ही मिनट में। ऐसे मामलों में पत्रकार, जो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति के प्रहरी हैं, इस लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं, उन पत्रकारों के ऊपर हमला किया जाता है। पत्रकार के ऊपर जान से मारने जैसी दो दफे कार चलायी गयी और उस मामले में भी पुलिस का वर्शन आपको यह दिया गया, माननीय गृह मंत्री जी कि उस पत्रकार के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इस सदन में कि अगर उस पत्रकार पर हमला नहीं किया गया, उसके इतनी भयंकर चोट नहीं आयी - उसके न सिर्फ सिर में चोट आयी बल्कि उसके नाक में भी जबरदस्त लगी, उसके दोनों हाथों में जबरदस्त लगी तो ऐसा कोई बेवकूफ आदमी नहीं है कि हमला नहीं करें और बिना मतलब किसी के खिलाफ कोई एफ. आई. आर. करा दे। इतना बेवकूफ कोई आदमी नहीं है। उसके ऊपर हमला महज इसलिए किया गया कि उसने दैनिक नवज्योति अखबार में पूरी डिटेल में इसकी जानकारी छाप दी थी, नाम सहित छाप दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, माननीय वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा। वित्त मंत्रीजी, राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वयं हैं और उनके स्वयं के पाली जिले के मुख्यालय में यह बात हुई है। आज का अखबार मैंने पढ़ा है, राजस्थान बैंक में करोड़ों रुपये का शेयर का घोटाला हुआ है। आपके अशोक नगर थाने में बहुत भारी मुकदमा चल रहा है। मतलब बीसियों थानों में इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसमें लाखों-करोड़ों रुपयों का मामला इन्वाल्व्ड है, इसमें गाढ़ी कमाई के लाखों-करोड़ों रुपये लोगों ने इन्वेस्ट किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी।

श्री भीमराज भाटी : पैसे उसमें आपने लगा रखे हैं तो इसके बारे में पुलिस खाली सिविल लाइबिलिटी बता कर_

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : एक सैकण्ड, यह सिविल नहीं है _

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार दोहरा रहे हैं। आप केवल दोहरा रहे हैं नयी बात कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री भीमराज भाटी : इसको पूरा ठीक से करें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैसर्स अभिनन्दन सिक्योरिटी लिमिटेड द्वारा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह सब कुछ आ गया। आप क्या कहना चाहते हैं ? कोई नयी बात ?

श्री रामस्वरूप मीणा : दो प्रश्न करने हैं खाली।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ आ चुका है उसके अलावा ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, उसके अलावा ही बोलूंगा। मध्यम वर्ग को लूटा जा रहा है। मेरा तो माननीय गृह मंत्री जी से सीधा सवाल है, माननीय गृह मंत्री जी यह सारी लूट जो हो रही है यह सब आपकी शह से हो रही है। गृह मंत्रीजी से यह निवेदन है कि आपकी शह नहीं, इन शेयर घोटालों में आपका हिस्सा है। अगर आपका हिस्सा नहीं है तो आप स्पष्ट करें, आप इसको क्यों नहीं बन्द कर रहे हैं और जो एफ. आर. लगी उनको आप क्यों नहीं रोक रहे हैं। आप दुबारा कब तक खोल देंगे उन केसों को ?

दूसरा, गृह मंत्रीजी मेरे एक साथी पत्रकार जो नवज्योति का पत्रकार है, उसके साथ जिस प्रकार की घटना की गयी है, जिस प्रकार से उसके साथ मारपीट की गयी है, आप उसमें भी एफ.आर. दिला रहे हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उसमें एफ.आर. नहीं दिलायी जाए। आये दिन पत्रकारों के साथ जो घटनाएं होती हैं, मैंने सदन में भी पहले क्वेश्चन लगाया था। मैंने मेरे क्षेत्र की घटना के बारे में आपको बताया था आप उस पर तुरन्त कार्यवाही करें। दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : और जो लोग लुटे जा रहे हैं उनको लुटने से आप रोकें। इस बात की निष्पक्ष घोषणा करें कि आपका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। आप तो ईमानदार आदमी हैं, यह हमको और सदन को बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, इसके बाद आपने फाइल तो देखी है और किशोर सिंहजी के भी चोटें आयी हैं, गम्भीर प्रकृति की भी हैं तो वे क्या सैल्फ इन्फिलिक्टेड हैं ? आप तो वकील रहे हैं, माननीय गृह मंत्रीजी और आप इस बात को भी जानते हैं कि घटना तो हुई है और सत्ता पक्ष का प्रभावशाली आदमी उसमें इन्वाल्व है। ऐसे तो हर केसेज में होने लग जाएगा। माननीय गृह मंत्रीजी, कृपा करके, हम आश्वास्त होना चाहते हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आपकी आदत पड़

(श्री रामनारायण मीणा)

गयी है। जिस महेन्द्र सिंह के खिलाफ हाउस में बात आयी आपने उसकी फाइल मंगवा ली पकड़ी से। कृपा करके इस तरह के मामलों की आप पुनरावृत्ति नहीं करें। जब सैल्फ इन्फ्लिक्टेड चोटें नहीं हैं और आपने भी फाइल देख ली है तो हमें आश्वासन चाहिए कि उसमें कोई कार्यवाही होगी और दोषी पकड़े जाएंगें और ऐसा नहीं होगा कि फाइल देखकर आप डम्प कर दो।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि क्या "सेबी" भी इसमें परमिशन देती है देखकर के, आपके जो केसेज रजिस्टर्ड हैं ? हम यह चाहेंगे, सदन यह चाहेगा कि इस तरह के मामलों की आइन्दा पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति तभी नहीं होगी, माननीय गृह मंत्रीजी, कि इनको शेयर्स इश्यू करने की परमिशन देती है यदि उसके खिलाफ भी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। कितने बड़े लोग होंगे ? उनके खिलाफ भी आप कार्यवाही करें। 120 (बी) में उनको जोड़ें हवाला काण्ड की तरह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार हमें विश्वास ही नहीं दे, आश्वासन ही नहीं दे बल्कि आप कृपा करके इस तरह के मामलों में ठोस कार्यवाही करें ताकि आइन्दा से इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो। यही बात मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान (अनुपस्थित) । श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात बतायी वह संभवतः पाली तक ही सीमित नहीं है, ऐसा राजस्थान के कई शहरों में हो रहा है और इसलिए चाहे नया लगे, माननीय गृह मंत्रीजी, आपको इसमें काफी कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तो दो-तीन बातें ही निवेदन करना चाहूंगा। पहली तो यह कि काफी एफ. आर. लग चुकी हैं, पचास-साठ परसेंट इश्यूज के अन्दर एफ. आर. लगा दी गयी हैं, उन एफ. आर. को आप रीओपन कराएं। मेरा यह सजेशन है कि आप एक सैल कायम करें पर्टिकुलरली पाली के अन्दर और आपके यहां से निष्पक्ष सी.आई.डी. के आफिसर्स को जिनको आप ठीक समझते हों, यहां पर पदस्थापित करें। वे महीना डेढ़ महीना वहां पर रहकर बात की गम्भीरता को समझें और मामले की गहराई के अन्दर जाएं क्योंकि वहां के लोकल पुलिस वालों की तो मिलीभगत हो गयी है। निवेशकों की और कम्पनी वालों की मिलीभगत से यह घोटाला हुआ है और इसमें अब इन्डायरेक्टली या डायरेक्टली कनाइवेंस और असिसटेंस वहां की पुलिस वालों की हो रही है। इस कारण से 60 परसेंट मामलों में एफ. आर. लग रही है तो कृपया, वहां पर जयपुर से आप निष्पक्ष पुलिस वालों को भेजें।

दूसरा, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामले को आप फाइनेंस विभाग के साथ

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

बैठकर देखें कि कैसे आप भविष्य के लिए प्रिवेंटिव स्टैप्स ले सकते हैं। सिर्फ पाली में ही नहीं, राजस्थान के अन्य नगरों में भी। क्या कानून और नियमों के अन्दर आप ऐसा कोई प्रावधान कर सकते हैं जिससे मध्यम वर्गीय निवेशक जो आजकल शेयर मार्केट में जा रहा है, उसके हाथ में लाखों-करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी नहीं हो और उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा बच सके।

तीसरा, मेरा अन्तिम बिन्दु है कि प्रेस के एक सजग व्यक्ति श्री किशोर सिंहजी ने इस मामले को उजागर किया उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। जिन्होंने ठगी से लाखों-करोड़ों रुपये कमायें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि जिसके पास पैसा आता है वह किसी की भी आवाज बन्द करने में सक्षम होता है। एक जागरूक व्यक्ति ने, प्रेस के एक संवाददाता ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और फ्रीडम आफ एक्प्रैशन , फ्रीडम आफ प्रेस हमारे प्रजातंत्र का एक प्रमुख आधार स्तम्भ है, ऐसे में इस प्रकार की घटना हो जाय तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : किशोर सिंह जी के साथ जो घटना घटी है उस मामले में गम्भीरता से क्या कदम उठाना चाहेंगे, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ एक सवाल माननीय गृह मंत्रीजी से पूछूंगा कि ये जो आज हाई टैक फाइनेंशल आर्फेसेज हैं, क्या आपकी पुलिस इस सारे मामले में सक्षम है इन्वेस्टीगेट करने में ? मैं कहना चाहूंगा कि हर्षद मेहता का मामला, इतने फाइनेंशल विजार्ड, बैंकों के रहे, वे ही नहीं समझ पाये, बहुत देर बाद समझे तो क्या आपकी पुलिस जो आज भी पुरानी लाइन पर अपनी इन्वेस्टीगेशन को चलाती आ रही है, इन्वेस्टीगेशन कर सकती है, इस पर आपको मनन और मंथन करना होगा। आज आपके पास एफ. आर. की झड़ी लग गयी, इससे आप स्वयं समझ सकते हैं, वे इसको सिविल नेचर का मैटर समझकर एफ. आर. देने लग गये। कोर्ट्स ने उन एफ. आर. को एक्सैप्ट नहीं किया, वापस उसमें इन्वेस्टीगेशन करने की बात कही। पुनः जब आपके पास इन्वेस्टीगेशन आएगी और वही एजेंसी करने लगेगी इन्वेस्टीगेशन तो परिणाम वही का वही होगा। इसलिए मैं आपको सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं क्या आप मैन्टली तैयार हैं कि जो पैराफर्नेलिया है पुलिस की उसमें हाई टैक आर्फेस को डिटैक्ट करने के लिए कोई एक्सपर्ट को बुलाकर उनका ज्ञानवर्धन कराकर आप उनसे यह इन्वेस्टीगेशन कराएं। ये लाखों-करोड़ों के घोटाले हैं, यह वुड बी ए स्माल स्कैम, स्टेट लेबल का स्कैम हो सकता है, ऐसा उजागर हो सकता है। इसका श्रेय आप लीजिये, मेरा आपसे आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधव सिंह दीवान (अनुपस्थित)। श्री रूपाराम (अनुपस्थित)। श्री श्रवण कुमार (अनुपस्थित)। श्री राधेश्याम (अनुपस्थित) । श्री रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से इस घोटाले के बारे में आपसे निवेदन किया है, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन किया है। मेरा सिर्फ इसमें यह निवेदन है कि शेयर कारोबार में घपलाबाजी करके करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं हमारी जनता से और पुलिस बिलकुल मूकदर्शक बनकर बैठी है। कई सारी अखबार की कटिंग्स हैं - इसमें ढाई करोड़ का शेयर घोटाला यह इकत्तीस पांच है। इस तरह से शेखावत साहब के क्षेत्र में है, यह पत्रकारों के साथ पिटाई है। इस तरह की वारदातें होती हैं तो पुलिस को सख्ती से काम करना चाहिए। जो पत्रकार समाज के सामने, सरकार के सामने सही तथ्य ईमानदारी से और अपनी निष्ठा से लाना चाहते हैं उनके साथ इस तरह से पिटाई हो, कारों द्वारा टक्कर मारकर मारने का प्रयत्न किया जा रहा हो और ऐसे में पुलिस देखती रहे तो बड़ी अशोभनीय बात है। इसलिए आपके माध्यम से गृह मंत्री जी हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले में सख्ती से जांच करें। और जो भी ज्यादा इनमें एफ.आर. दी गयी हैं इनको रीओपन करके वापस चालान देने की कार्यवाही कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सरकार का इस धन के मामले में जो ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है यह पहला प्रयास है फाइनेंशल मैटर्स का। मैं समझता हूं कि यह शेयर्स वगैरह के जो घोटाले हैं, यह फर्जी कम्पनियों का फारमेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गया। आर्टिकल आफ एसोसिएशन पेश कर दिया, मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन पेश कर दिया दो -तीन कागजों की आड़ में और शेयर्स के लिए एडवरटाइज कर दिया। मेरे जैसे अनाड़ी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास कम पूंजी है, उन लोगों को धोखा देकर लाखों करोड़ों रुपये ये कलैक्ट करते हैं। इस प्रकार के अपराधों की छानबीन करने के लिए सच्चाई तो यह है कि हमारी राजस्थान की पुलिस में न तो वह समझ है, न इस ढंग का सैल वहां बनाया गया है। अपराध तो हुए हैं और यदि प्रभावी ढंग से रोका न गया, उपाध्यक्ष महोदय , तो ये अपराध बढ़ते चले जाएंगे। इनमें एफ. आर. दे रही है, चालीस में एफ. आर.। मैं आपके माध्यम से सीधा-सा एक प्रश्न माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं कि क्राइम की मोडस ओपरेंडी चेंज हो रही है, नये-नये तरीके आ रहे हैं और अब इलेक्ट्रोनिक युग आ गया, इलेक्ट्रोनिक जरिये से अपराध किये जाएंगे और आपकी पुलिस वही सत्रहवीं शताब्दी के मोडस को लेकर तफतीश कर रही है। इस ढंग के अपराधों को कारगर तरीके से रोकने के

(श्री हरिसिंह)

लिए आपकी पुलिस में इस ढंग का सैल बनाकर के या यहां के वित्तीय सलाहकारों की मदद लेकर क्या उनको रोकने का आपका इरादा है ? नम्बर एक।

दूसरी और पीड़ाजनक स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, और वह है इस प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ पर। राजस्थान के एक रैप्युटेड पत्र ने, उसके एक प्रतिनिधि ने, इस पूरे स्कैण्डल का भण्डाफोड़ किया। जिस प्रकार से दो करोड़ के करीब का पाली में फर्जी शेयर्स का मामला अखबारों में छपा अपराधी इसलिए हिम्मत कर गये कि वे भारतीय जनता पार्टी से आफिस बीयरर हैं। उस पत्रकार को मारने की साजिश की गयी, 307 के केस में एफ.आर. रफा-दफा। इसका मतलब यह है कि आपकी पुलिस सोती रहे, सरकार सोती रहे और प्रेस की आवाज को बंद कर दिया जाए, उसकी लेखनी को बन्द कर दिया जाए। इससे बड़ी दुर्गति कोई दूसरी हो नहीं सकती। इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि ये पूरा प्रकरण राजस्थान ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन को सुपुर्द किया जाए और यह पत्रकार के ऊपर जो हमला हुआ है इस पर पुनः 307 का केस दर्ज कर इसकी दुबारा तफतीश खुलवाकर निष्पक्ष जांच करवायी जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आप खुद ही जांच करो इसकी तो।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय विधायक और अन्य माननीय विधायकों ने जिस ढंग से इस प्रश्न को यहां पर रखा है और मेरा ध्यान खींचा है, मैं उनका तो आभार प्रदर्शित करता ही हूं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के मामलों में मैं कई बार भयभीत रहता हूं कि मैं क्या राय दूं क्योंकि गृह मंत्री के रूप में कोई इवेल्युएन मैंने अगर लिया तो मेरिट्स प्रभावित होने की संभावना रहती है।

इसलिए मैं सीधे-सीधे सिम्पल फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बात सीधी सीधी आयी है कि पुलिस इनको सिविल नैचर का मानकर एफ.आर. दे रही है, इनमें चालान नहीं कर रही है। यही मुद्दा है। जब से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया तब से लगातार इस बात का मैं खुद वे कर रहा हूं और हम चाहते हैं कि इसमें हम राय भी लें। मैं चाहता हूं कि क्रिमिनल इंटेंट या मेन्सरिया इसमें क्या है, वह भी सामने आए। हुआ क्या है, उपाध्यक्ष महोदय ? पाली में दो लोग आये, दो में से एक एस. एन. शर्मा, निदेशक कोटेवाला, सिक्योरिटीज बम्बई और दूसरा आया श्री विनोद गोयल, निदेशक कोटेवाला सिक्योरिटी, बम्बई। दोनों पाली आये और पाली के जो शेयर दलाल थे उन शेयर दलालों से उन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित किया। वे थे हनुमान सिंह गादिया और दूसरे सुधीर गोयल, उनसे कहा कि ये-ये कम्पनियां, जो चार कम्पनियां हैं, इनके शेयर फ्लोट होंगे, आप

(श्री कैलाश मेघवाल)

इनको खरीदिये। आप इनको खरीदेंगे तो इन कम्पनियों के शेयर अलाट हो जाने के कुछ समय बाद हम इनको बाई बैक कर लेंगे। बाई बैक का उन्होंने उनको थोड़ा ज्यादा लालच दिया। अब इसमें उनका एग्रीमेंट हुआ। जो ओरिजनल दो दलाल आये थे बम्बई से उन्होंने तो उन दो को अपना दलाल मौखिक बनाया कि हम यह करेंगे और जो दो दलाल पाली के नियुक्त किये गये उन्होंने लिखित में एग्रीमेंट कर दिया जिन जिन ने शेयर खरीदने के लिए पैसा लगाया कि आप ये शेयर खरीदो हमारी कम्पनियों के और हम इनको बाई बैक करेंगे। उन्होंने जो एग्रीमेंट किया वह यह था कि "रणजीत सिक्योरिटीज का दस रुपये का अंश हम 14 रुपये में वापस खरीद लेंगे।" बाई बैक एग्रीमेंट किया इस बात का कि दस रुपये का अंश हम 13.50 रुपये में वापस खरीद लेंगे, बैरल सिक्योरिटीज का अंश हम दस रुपये का 13.50 रुपये में वापस खरीद लेंगे और छाबड़ा स्पिनर्स लिमिटेड का 18 रुपये का अंश 23 रुपये में वापस खरीद लेंगे। ओरिजनल दलाल बम्बई से आये, उन्होंने मौखिक जिन दो जो दलालों को नियुक्त किया उन मौखिक दो दलालों ने जिन लोगों से पैसा इकट्ठा किया उनसे बाई बैक एग्रीमेंट कर लिया।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, इस विषय पर किसी भी स्तर पर राय लेनी पड़े कि यह जो बाई बैक एग्रीमेंट था, यह बाई बैक एग्रीमेंट स्पेसिफिक परफारमेंस में जाना चाहिए, सिविल लिटिगेशन में जाना चाहिए या यह क्रिमिनल लिटिगेशन में जाना चाहिए। यह बहुत बड़ा मुद्दा है जो सभी माननीय विधायकों ने, आपने भी उठाया। कुल मिलाकर...

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : हमारा भी करोड़ों रुपया गया हनुमानगढ़ से...

श्री कैलाश मेघवाल : ऐसा है, खरबों खरब रुपये का इकोनोमिक बिजनेस हो रहा है देश में और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। इसलिये करोड़ों रुपया और अरबों रुपया जो यहां चल रहा है, क्योंकि इकोनोमिक एक्टीविटीज में जो पैसा है वह तो असंख्य है, उसका कोई अन्दाज नहीं लगा सकता।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मन्त्रीजी, अगर यही एटीट्यूड रहा तो राजस्थान में पांच-दस और हर्षद मेहता पैदा हो जाएंगे। आप उनको रोकिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का बड़ा एतराज करता हूं। सवाल एटीट्यूड का नहीं है, मैंने आपके सामने सीधे सीधे फैक्ट्स रख दिये। मुझे अफसोस है, टोडाभीम से आने वाले माननीय विधायक ने जिस तरह से हल्के ढंग से एक बात कह दी कि यह मैं करवा रहा हूं। आज इस सदन को बोलकर के किस सीमा तक आप ले जाना चाहते हो ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आप रोक तो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सकते हैं। आप रोकते क्यों नहीं है इसको ? एफ. आर. कैसे लग रही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : लग रही है। मैं कह रहा हूं आपके सामने, यह सिविल नेचर का है या नहीं, यह भी देखना है।

मैं इसलिये चाहता हूं के जो भी विधायक जो इसमें जितनी जानकारी रखते हों वे सब अपने अपने बिन्दु से इसमें राय दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं राजस्थान के एडवोकेट जनरल से इस बारे में राय लूंगा, यह बाई बैक जो एग्रीमेंट किया गया है। यह पुलिस को बड़ा थिन मार्जिन है, जब इस तरह के मार्जिनल केस होते हैं तो इसमें पुलिस के अधिकारी अपने व्यू से जैसा व्यू ले लेते हैं, या प्रभावित भी होते होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक व्यक्ति इसमें आ गया इसलिये सारी भारतीय जनता पार्टी करा रही और दबा रही है, ऐसा कोई मामला ही नहीं है इसमें।

मुझे कोई एतराज नहीं है, इसीलिये मैं चाहता हूं कि जितने भी माननीय विधायकों ने यहां अपने विचार रखे हैं, अगर उनको वास्तविक जानकारी है, पूरा वरवेटम अपना केस लिखकर मुझ को यह बताएं कि इस तरह का क्रिमिनल लिटिगेशन है। उस लिटिगेशन और उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर माननीय भाटी जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, मैं उस पर राजस्थान के एडवोकेट जनरल की राय लेकर निष्पक्ष कार्यवाही करने का विश्वास दिलाता हूं।

दूसरी एक बात कही गयी। तीन संस्था- विधायिका, न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव, ये तो संवैधानिक संस्थान हैं। पत्रकार तो एक चौथा स्तम्भ स्वयं अपने स्थान के कारण हुआ है। कोई संस्थागत नहीं है, कोई संवैधानिक नहीं हैं, स्वयं ही वह इन्द्र है। ऐसा चौथा स्तम्भ जिसका महत्वपूर्ण स्थान है हमारे समाज में, हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में। जो पत्रकार हैं उन पर कहीं हमला होता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी तरह की चोट जो होती है, वह हमारा लिबर्टी का जो प्रिएंबल में है liberty of thought, expression, relief and worship. उसकी भावना के प्रतिकूल है। ऐसा कहीं पर भी होगा तो राज्य सरकार पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन इस केस में क्या हुआ ? इस केस में हुआ यह कि रात को एक बजे का वाकया कहा जाता है, एक बजे पत्रकार महोदय जाकर सो गये। सोने के बाद सवेरे दो बजे, एफ. आई. आर. में दिया कि मुझे ऐसा शक पड़ता है कि मैंने इनके खिलाफ खबर छापी है तो शायद ये मुझ को, इसीलिये पुलिस ने सतर्कता बरती, उनकी मोपेड को एफ. एस. एल. में भेज दिया। मोपेड के साथ कार की टक्कर होने की कोई है कि नहीं, क्योंकि कोई रंग-वंग छूट जाता है। तो उनसे पूछा कि...

श्री किशन मोटवानी : एफ. एस. एल. में क्यों भेजा, वह तो आपका एम. टी. ओ. है ? आप बेकार की बात करते हैं, एफ.एल.एल, में नहीं जाती वह एम. टी. ओ. को जाती है।

Page No.163

श्री कैलाश मेघवाल : एक आई विटनैस नहीं है और जो आई विटनैस मिले उनका यह कहना है कि हमने रात को जाते हुए देखा है। मोपेड इनकी पड़ी हुई थी खम्भे के पास, हमने मोपेड को ले जाकर इनके घर पर लगाया। एक आई विटनैस नहीं, केवल शक के आधार पर छापा होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वही ठोकने वाले हों, जरूरी नहीं है कि वे भी हों। लेकिन मोपेड को भी इसलिये कि पत्रकार इन्वाल्वड थे, एफ. एस. एल. में भेजा था कि–

श्री किशन मोटवानी : एफ. एस. एल. में नहीं जाती। यह गलत बयानी है। एफ. एस. एल. जो जयपुर में हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : क्या बात कर रहे हैं आप? करोड़ों रुपये का (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं, बीच में नहीं।

एक माननीय सदस्य : आपको पूरी जानकारी है इस मामले में ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पत्रकारों को मारा गया है इस तरह से (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे सवालों का उत्तर दे रहे हैं, कृपया सुनें। (व्यवधान) कृपया पहले सुनें।

श्री रामस्वरूप मीणा : (व्यवधान) वे पिटेंगे इस तरह (व्यवधान) आपके और हमारे लिये कोई क्या लिखेगा ?

श्री किशन मोटवानी : एफ. एस. एल. जयपुर में है, एफ. एस. एल. पाली में नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकारों की स्वतन्त्रता पर हमला हो। और हम मूक दर्शक बनकर यहां बैठे रहें ? जब स्पष्ट बातें सामने ला रहे हैं तो क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें पूरी बात तो कहने दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम कह रहे हैं कि आप राजस्थान ब्यूरो आफ इन्टेलीजेंस से जांच करवा लो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : जब आपके सामने तथ्य आ गये हैं तथ्य उजागर क्यों नहीं करते आप ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कौन है इसके अन्दर (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप लीपापोती कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : विटनेसेज को धमकाया गया है और एफ. एस. एल. के फर्जी बयान दर्ज किए गये। हम कह रहे हैं कि आप आर. बी. आई. से जांच करवा लो।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक तरफ तो आप इतना महत्व दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप अपने स्तर पर ही इन्क्वायरी कीजिये, आपको पता लग जाएगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप पत्रकारों की रक्षा करो, माननीय गृह मन्त्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। श्री रामस्वरूप जी, विराजें आप।

Page No.164

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायक जिस तरह की सुनी सुनाई और अखबारों में छपी हुई बात के आधार पर या प्रामाणिकता के आधार पर यहां कुछ कहना चाहते हैं वह हमारे इस अनुसंधान को प्रभावित करता है। मैं चाहता हूं सत्य के आधार पर प्रभावित हो। मैं यहां आपकी कही हुई, किसी भी तरह की जोर से कही हुई आवाज से कभी प्रभावित होने वाला नहीं हूं। निष्पक्ष अनुसंधान होगा और उस निष्पक्ष अनुसंधान में जो भी अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी। यहां पर इस तरह की...(व्यवधान)...मैंने यह कहा कि निष्पक्ष...

श्री शैलेन्द्र जोशी : शालिनी की गिरफ्तारी कब होगी ? (व्यवधान) मंत्री महोदय, शालिनी की गिरफ्तारी कब होगी, यह बता दो।...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : आप पत्रकारों की रक्षा करो।...(व्यवधान) कब इस पर जांच कर रहे हो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य... (व्यवधान)... माननीय राधेश्याम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकारों का मामला है यह। पत्रकारों को पता है सारी कहानी का उसके बावजूद भी दबा रहे हैं। (व्यवधान)...

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपसे कहां उम्मीद हो सकती है ?... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गृह मन्त्रीजी की सुनिये पहले, पूरी सुनिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, तफतीश में कोई कमी हो तो मैं सु... को तैयार हूं। तफतीश बदली जाने की मां... तो मैं बदलने को तैयार हूं। (व्यवधान) मैं देख लूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थान ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन को दें। (व्यवधान) छोटी सी मांग है आप तफतीश करवा लें, आर. बी. आई. को इसकी जांच दे दें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : एक ही डिमांड है, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अपने आप हो जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : विधायक भी यह कहते हैं कि आर.बी. आई. को मैं इसका इन्वेस्टीगेशन दे दूं जो कि केवल...(व्यवधान)...

श्री हरिसिंह (महुआ) : चूंकि इसमें फाइनेंशल मैटर...(व्यवधान)...है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप किसको ...ना चाहते हैं ? आप कोई तो घोषणा करो। ...आप सुन ही नहीं रहे...(व्यवधान) मंत्री महोदय, आप कोई तो घोषणा करें कि आप क्या करना चाहते हैं ? आपकी मंशा क्या है, आप घोषणा तो करो उसमें।...(व्यवधान)...

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकार वाली घटना में अभी किसी तरह की कोई साक्ष्य नहीं आयी है लेकिन फिर भी मैं सम्बन्धित एस.पी. को स्पष्ट रूप से निर्देश दे

(श्री कैलाश मेघवाल)

दूंगा कि वे स्वयं सारी.(व्यवधान).. तफतीश देखे.(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : पत्रकार की घटना को हिन्दुस्तान के सारे अखबारों ने लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। माननीय राधेश्याम जी, चर्चा समाप्त।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, श्री शैलेन्द्र जोशी, श्रीमती बीना काक, श्री परसराम मोरदिया, श्री भगराज चौधरी, श्री हरिसिंह (महुआ), श्री भरतसिंह, श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा राज्य के निजी डायग्नोसिस क्लिनिकों द्वारा सरकारी चिकित्सकों की मिलीभगत व उन पर सरकारी नियन्त्रण नहीं होने से प्रदेश की जनता को लूटे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। ..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में पहले माननीय मंत्री जी से सन्तोषप्रद जवाब दिलवाइये, एक पत्रकार का मामला है। ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने चर्चा समाप्त कर दी।

श्री रामस्वरूप मीणा : घोटाले का मामला है। शेयर के घोटाले में ..(व्यवधान).. करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। अब आपने गोलमाल जवाब दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी।..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : एस.पी. की जांच से हम संतुष्ट नहीं होंगे। ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप आई. जी. से जांच करवाएं। (व्यवधान) अन्याय हुआ है, मारा पीटा.(व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्रीजी। कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इस महत्वपूर्ण मसले पर आई.जी. लेवल पर जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : आसन पैरों पर है, हम भी पैरों पर हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आपको सामने कुछ दिखाई दे रहा है ? आप बिराजें। श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत।

निजी डायग्नोसिस क्लिनिकों द्वारा जनता की लूट

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, निजी डायग्नोसिस क्लिनिक्स द्वारा सरकारी चिकित्सकों की मिलीभगत व उन पर सरकारी नियन्त्रण नहीं

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

होने से प्रदेश की जनता को लूटे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : जनता को लूट रहे हो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी। मैं किसी भी हालत में इसको रीओपन नहीं करूंगा। मैंने चर्चा समाप्त कर दी है। बिराजें (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके (व्यवधान) मैं एक ही मिनट में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी भी हालत में रीओपन नहीं करूंगा। मैंने चर्चा समाप्त कर दी है, कृपया बिराजें। स्वास्थ्य मंत्रीजी। अंकित नहीं होगा।

श्री भीमराज भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन पर अपनी बात थोप रहे हैं। आप बिराजें। आपको बहुत समय दिया, आपको सबसे ज्यादा समय दिया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, आपको सबसे ज्यादा समय दिया है। अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भीमराज भाटी : XXX

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इस सवाल पर काफी प्रकाश डाल दिया, काफी कुछ कह दिया, काफी कुछ पूछ लिया। अब आप बिराजें। स्वास्थ्य मंत्रीजी। (व्यवधान) राधेश्याम जी, बिराजें। आप कृपया बिराजें। आप बैठ जाइये। मैं इसको रीओपन नहीं कर सकता।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़ी मजबूरी से किसी सदस्य को बाहर भी जाना पड़ता है। अब राधेश्याम जी का आपने नाम पुकारा। आपने व्यवस्था दे दी। इनके कोई इलाके से कागज लेकर आये थे इसी सम्बन्ध में तो वे कागज लेने बाहर गये थे। आपने भाटीजी को और दूसरे सदस्यों को टाइम दे दिया। जैसे ही इनको बाहर पता लगा कि यह सब्जैक्ट आ गया है और शायद इनका नाम पुकारा जाएगा तो ये आ गये तुरन्त। सदस्य कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि करोड़ों का मामला है। करोड़ों का मामला है और इनके खुद के इलाके में हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको भी फ्लैक्सिबिलिटी रखनी चाहिये। उपाध्यक्ष

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

महोदय, ऐसे प्रस्ताव तो तीन-तीन, चार-चार घंटे तक चले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने चर्चा समाप्त कर दी। स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री भीमराज भाटी : XXX

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, गत कुछ वर्षों से राज्य में विशेषकर राज्य के बड़े शहरों यथा जयपुर, [illegible] उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, श्रीगंगानगर आदि में निजी क्षेत्रों में कई नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सुनने में नहीं आ रहा। आप कुछ सुनने दीजिये वरना पूछेंगे क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं। आप दुबारा पढ़ दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गत कुछ वर्षों से राज्य में विशेषकर राज्य के बड़े शहरों यथा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा एवं श्रीगंगानगर आदि में निजी क्षेत्रों में कई नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, चिकित्सालय आदि स्थापित हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप निजी डायग्नोसिस क्लिनिक भी काफी तादाद में स्थापित हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि निजी डायग्नोसिस क्लिनिक्स की स्थापना इनमें उपलब्ध सुविधाओं तथा उनके द्वारा ली जाने वाली दरों (शुल्क) पर अभी तक राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और निजी क्लिनिकों द्वारा मरीजों से विभिन्न दरों पर राशि विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए अलग-अलग ली जा रही है।

जहां तक राजकीय चिकित्सालयों में मशीनों के खराब रहने का प्रश्न है, उसका मुख्य कारण अब तक यह था कि राजकीय चिकित्सालयों में मशीनों/उपकरणों आदि का अभाव था और जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध उपकरणों पर कार्यभार भी अत्यधिक बढ़ जाने के कारण उपकरण खराव हो जाते हैं। विभाग का सदैव यह प्रयास रहा है कि उपकरण खराब होते ही यथा शीघ्र उसकी मरम्मत कराई जाए।

व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक चिकित्सालय एवं बड़े चिकित्सालयों में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटीज का गठन किया गया। उपकरणों की साज-सम्भाल एवं मरम्मत आदि का समस्त कार्य अब इन सोसाइटीज द्वारा किया जा रहा है, जिससे व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है तथा और भी प्रयास किये जा रहे हैं।

निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालन को जनता की सुविधानुसार बनाने व उनके द्वारा प्रदत्त की जा रही चिकित्सा सुविधाओं को

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रेगुलैट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है।

सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी क्लिनिकों से कमीशन प्राप्त करने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में माननीय सदस्य या किसी नागरिक द्वारा लाया जाने पर निश्चित रूप से सम्बन्धित चिकित्सक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया उसका उद्देश्य सदन का समय खराब करना या अखबार में नाम छपवाना मात्र नहीं था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रदेश की मानवता से जुड़ा हुआ तो है ही बल्कि राजस्थान की जनता को लूटा जा रहा है उस पर स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। जो डायग्नोसिस सेन्टर्स हैं, निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रीजी ने खुद ने स्वीकार किया है अपने जवाब में कि आज हालत यह बन गयी प्रदेश में कि इन जांच क्लिनिक्स पर, सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। न उनकी रेट पर सरकार का नियन्त्रण, न इसकी लूट पर सरकार का नियन्त्रण। न सरकार किसी तरह का लाइसेन्स देती है, न सरकार किसी तरह की परमिशन लेने पर बाध्य करती है। यदि कोई खोमचा लगाता है तो नगरपालिका से उसको लाइसेन्स लेना पड़ता है। लेकिन इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली इन संस्थाओं के लिए किसी प्रकार के लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है, न इन क्लिनिक सरकार का कोई कन्ट्रोल है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सवाल पूछ लें। आप भी वक्तव्य दे रहे हैं क्या ?

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सवाल ही पूछ रहा हूं। कन्ट्रोल नहीं है यही तो जवाब मांग रहा हूं।

आज क्लिनिक्स में कौन लोग नौकरी करते हैं, उसकी सरकार को जानकारी नहीं है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज स्थिति यह बनी हुई है कि डाक्टर्स को ये क्लिनिक्स 30 से 40 परसेन्ट तक कमीशन देते हैं। पिछले दिनों इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापे मारे, आप भी यदि छापे मारकर देखेंगे तो रोजाना की लिस्ट बनती है कि किस डाक्टर ने कितने मरीज भेजे, उससे कितनी आय हुई। 30 से 40 परसेन्ट शाम तक जुड़कर लाखों रुपये रोजाना का शहर के डाक्टरों में बंटता है। उपाध्यक्ष महोदय, एस.एम. एस. की मशीनें खराब की जाती हैं जिससे बाहर दूसरे लोगों के पास मजबूर होकर लोग जाएं, टैस्ट कराएं। आप ताज्जुब करेंगे, अस्पतालों में डाक्टरों के पास पर्चियां होती है, उन्हीं डाइग्नोस्टिक सेन्टर्स की खाली जिन पर मरीज का नाम लिखकर दवा लिखकर उसको इंगित किया जाता है कि आप इसी के पास जाएं। एक डाक्टर ने किसी मरीज को पर्ची दी और उसने अगर किसी दूसरी जगह टैस्ट करा भी लिया तो वह डाक्टर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

कहता है कि इसका टैस्ट ठीक नहीं है, आप पर्टिकुलर फलां क्लिनिक पर जाएं उसका ही टैस्ट ठीक आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, छूट इतनी लंबी कि ढाबा वालों ने क्लिनिक चलाना शुरू कर दिया। एस.एम.एस. के सामने किरण रेस्टोरेन्ट चलाता था, आजकल डाइग्नोस्टिक सेन्टर चला रहा है। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके पी[illegible] [illegible] है ? सरकार ने ध्यान नहीं दिया। डाक्टर्स लोग अस्पताल में नौकरी करते हैं, पार्ट टाइम नौकरी करने चले जाते हैं। आज डाइग्नोस्टिक सेंटर्स पर जो रिजल्ट लिखे जाते हैं वे सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के माध्यम से लिखे जाते हैं, वे वहां बैठकर लिखते हैं। वैल क्वालिफाइड परमानेन्ट डाक्टर्स क्लिनिक्स में नहीं है। यह छूट क्यों दे रखी है ? आपने बड़े-बड़े अस्पतालों को जमीनें दी हैं एक रुपये में, परमिशन दी है आपने कि आप जनता की सेवा करिये। राजस्थान की नाक और जयपुर की शान दुर्लभ जी हास्पिटल को आपने एक रुपये में जमीन तो दी, मैं उसका विरोध नहीं करता, सोनी हास्पिटल, दूसरे कुछ हास्पिटल और हैं इस तरह के जिनको कि आपने परमिशन तो दी है, जमीन दी है, सुविधाएं दी हैं, आपने यह भी क्लाज लगाया है, उन्होंने लिखकर दिया है कि 40 परसेन्ट गरीबों को हम फ्री सहायता देंगे। कितने परसेन्ट फ्री सहायता मिलती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों विधान सभा में आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी और आदरणीय रामनारायण जी मीणा के प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि राजस्थान में 60 डाक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिये हैं जो सरकारी नौकरी में होते हुए भी अपने क्लिनिक्स डाइग्नोस्टिक सेन्टर्स चला रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, हिम्मत बढ़ती चली गयी। क्या कारण है कि लोग मजबूर होकर के बड़े अस्पतालों में डाक्टरों को दिखाते हैं अच्छी फेसेलिटीज के लिये लेकिन बाहर जाकर दूसरे प्राइवेट क्लिनिक्स में वे टैस्ट कराते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दो छोटे-छोटे उदाहरण आपको प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं राज की बात नहीं करता, चाहे हमारा राज हो, चाहे आपका राज हो, जनता के साथ जो खिलवाड़ और लूट हो रही है वह बंद होनी चाहिए। पिछले दिनों हमारे राज्य में एक स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना एक आपरेशन प्राइवेट हास्पिटल में करवाया तो राजस्थान के एक बहुत बड़े अखबार राजस्थान पत्रिका में एडिटोरियल छपा था। मैंने पिछली विधान सभा में भी यह बात उनके सामने रखी थी, एक ढाबे के मालिक के एक मित्र ने पूछा वेटर से कि तुम्हारे मालिक से मिलने आया हूं वह कहां है। तो वेटर ने कहा, सामने वाले ढाबे में खाना खाने गये हैं। मित्र ने पूछा कि इस ढाबे में जब खाना मिलता है तो सामने क्यों गये ? वेटर जवाब देता है कि हमारे वाले ढाबे से

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

उसका खाना स्वच्छ और पवित्र है इसलिए हमारे मालिक खाना खाने वहां जाते हैं। राजस्थान के हैल्थ मिनिस्टर ने स्वयं का आपरेशन प्राइवेट में जाकर कराया, यह आपके सरकारी अस्पतालों की रेपुटेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के अभिन्न मित्र, मेरे मित्र हैं, राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्री हैं, अस्पताल में भर्ती थे। स्वास्थ्य मंत्री जी मिलने भी जाते थे, मैं भी गया। पता लगा कि, आई.सी.यू. में मंत्री भर्ती है। आई.सी.यू. में भर्ती मंत्री के ब्लड टैस्ट के लिए सिरिंज लेकर लैबोरेटरी में गया और कुछ देर बाद वापस कम्पाउण्डर कहता है कि दुबारा ब्लड लेना है। कारण कि वह ब्लड जो टैस्ट के लिए गया, खो गया, दुबारा दीजिये। मजबूर होकर मुझे भी राय देनी पड़ी, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी राय देनी पड़ी और मंत्रीजी का दुबारा टैस्ट कराने के लिए लिया ब्लड बाहर के डाइग्नोस्टिक सेन्टर में इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि सवाई मानसिंह अस्पताल की विश्वसनीयता खतम हो गयी। आप बताइये, राजस्थान का भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के होते हुए प्राइवेट क्लिनिक में आपरेशन को जाए, राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्य का ब्लड खो जाए, प्राइवेट डाइग्नोस्टिक सेन्टर में ब्लड टैस्ट कराना पड़े, यह क्या हो रहा है ? आखिर राजस्थान की जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ा कैसे चलेगा ? अब मंत्रीजी ने फरमाया...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक मिनट। मंत्रीजी ने भी फरमाया कि हम कानून बनाएंगे। निश्चित रूप से आप कानून बनाएं। राजस्थान की जनता आपकी आभारी होगी, मैं भी आपका स्वागत करता हूं आपने आश्वासन दिया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन जो कानून बने हुए हैं उनकी ही पालना नहीं हो रही है। आज भी डाक्टर्स लोग प्राइवेट रूप से डकैतियां कर रहे हैं। कानून आप बनाएंगे तो कहीं इनके डिपार्टमेन्ट के इंस्पेक्टरों की लूट का नया रास्ता नहीं खोल दें जो कानून के माध्यम से डाइग्नोस्टिक सेन्टर उनके कमीशन और बढ़ा दें तथा जनता की लूट ज्यादा चल जाए। जिस टैस्ट का चार रुपया लगता है उसका वे 40 रुपये लेते हैं। जिस टैस्ट का 50 रुपया खर्च होता है उस टैस्ट का वे जनता से 500 रुपया वसूल करते हैं। कहीं उनकी रेट बढ़ गयी, केवल आपके कानून से रेट बढ़ गयी, आपके कानून के बाद अगर जनता को राहत नहीं मिली तो उस कानून का लाभ क्या होगा ? इसलिये मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपने ईमानदारी दिखाई है, स्वीकार किया है तो आप कृपया हिम्मत करें। यह वह जमात है जिस पर हाथ डालने से पहले आपको सोच समझ लेना होगा। यह ऐसी जमात है जो आपके चंगुल में नहीं फंस पाएगी। आज डाक्टर्स बाहर डकैती करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी जोशी, बोलिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपके पास यह उपलब्ध है उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाये। इसलिये इस तरह का कानून बनाएं कि राजस्थान की जनता को लाभ मिल सके, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग हो सके और जो डाक्टर्स लूट में लगे हैं उन पर भी अंकुश किया जा सके। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

निजी डाइग्नोसिस क्लिनिकों द्वारा जनता की लूट

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, आज राजस्थान में ऐसी स्थिति है कि सरकारी अस्पतालों के जो डाक्टर्स महोदय हैं उनके पास आप जाते हैं तो वे अपने पैथोलोजिकल टैस्ट के लिए यह कहते हैं कि हमारी डिस्पेंसरी में या हास्पिटल में आप करवाएंगे तो उनकी फाइंडिंग, उनकी विश्वसनीयता सही नहीं होगी। इसलिए आप अमुक क्लिनिक पर जाएं, अमुक जगह कराएं। अमुक क्लिनिक में जाने पर जो पैथोलोजिकल टैस्ट कराये जाते हैं उसके बदले में उनको शाम को एक बंद लिफाफा मिलता है। 15, 25, 35 और 50 रुपये जितने टैस्ट होते हैं उसके परसेंटज के हिसाब से होता है वह एनवलप और या तो उन डाक्टर्स के कोई कम्पाउण्डर महोदय या वे डाक्टर 2-4, 5-7 दिन में कलैक्ट कर लेते हैं। यह एक नंगा सत्य है जो सबकी निगाह में है। मेरा निवेदन करना यह है कि आखिर राजस्थान में यह स्थिति आयी कैसे और नियंत्रित कैसे हो।

राजस्थान के जितने भी डाइग्नोस्टिक सेंटर हैं उन पर न तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल का कन्ट्रोल है और न ही आपके राजस्थान मेडिकल केयर सोसाइटी जो 3-4 महीने पहले की है, उनका कन्ट्रोल है। आज जो पैथोलोजिकल लैब हैं इनमें टैक्निकल स्टाफ ट्रेण्ड है या नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इनमें क्या रेट लिये जाते हैं इनका कोई पता नहीं है। आज यदि राजस्थान का कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है, सवाई मानसिंह अस्पताल में सीटी. स्कैन कराना चाहता है तो एक साल की डेट मिलती है, 365 दिन की। एक बांदीकुई का व्यक्ति था जिसको एक साल और दो महीने की डेट मिली। यदि इंडोर पेशेन्ट है तो उसको सीटी. स्कैन के लिये 25 से 30 दिन की डेट मिलती

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है। यह आज की तारीख की डेट है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास पैसा है, जो व्यक्ति अपने पेशेन्ट को जिन्दा रखता है, और सरकार यदि 1.80 लाख की जो सी.टी. स्कैन की मशीन है उस जगह 2-3-4 मशीनें नहीं करती है तो उस व्यक्ति को डाक्टर बताएगा कि यहां पर तो आपका 27 दिन या 25 दिन में नम्बर आएगा, इंडोर हो फिर भी, तो अब आप बाहर जाइये। और बाहर जाते ही सी.टी. स्कैन होगा आठ हजार में और उस डाक्टर को मिलेगा आठ सौ रुपये। इस तरीके की जो गतिविधियां हैं_

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपने आटो फाइनेन्स स्कीम रख दी लेकिन एस.एम.एस. में सी.टी. स्कैन कराने पर भी आदमी को पैसा देना पड़ता है, चैक नहीं कराने पर भी पैसा देना पड़ता है और थाइराइड के जो टैस्ट हैं टी-3, टी-4, इन सुविधाओं के लिए भी देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या वजह है, सरकार सी. टी. स्कैन की अन्य मशीनें क्यों नहीं खरीद लेती है ? आप देखें कि एस.एम. एस. के ऊपर कितना प्रेशर है। पांच सौ आदमियों के सैम्पल एक पैथोलोजिकल लैब में हैं जहां पांच टैक्निकल टैक्निशिएन्स हों, वहां कैसे संभव है। जब संभव नहीं होगा तो निश्चित रूप से डाक्टर कहेंगे कि आप क्लिनिक में जाएं। आपको जिन्दा रखना है तो जल्दी लैबोरेटरी से लाना है। एक को तीन दिन में रिपोर्ट मिलती है जबकि एक घण्टे में रिपोर्ट चाहिए। एक घण्टे में यदि डाक्टर फाइल चाहता है तो उसके लिए मरीज बिकता है, एक तरफ से डाक्टरों की मंडियों में। उस मंडी में पैसे लगते हैं और कमीशन होता है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि_

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा प्रश्न है, साहब। क्या राजस्थान सरकार भविष्य में डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर जो बड़े-बड़े अस्पताल हैं उन पर पैथोलोजिकल टैस्ट की सुविधा "नो लोस नो प्रोफिट" पर चलाने के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पर कोई नया इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहती है? ताकी उसमें अधिक टैस्ट हो सकें और बाहर नहीं जाना पड़े। दूसरा, मेरा निवेदन करना यह है कि _

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले आपने क्या किया था, इस समय आप सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले क्या किया था आपने ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : इससे पहले मैंने यह बताया कि एक्चुअली-फैक्चुअली क्या पोजीशन है।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा-दीक्षा दे रहे थे। सीधा सवाल करना चाहिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा सीधा सवाल ही है।

दूसरा सवाल, क्या आप राजस्थान के मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1947 को या मेडिकल केयर सोसाइटी जो आपने 4 महीने

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पहले बनायी है उसमें, राजस्थान के डाइग्नोसिस सेंटर, राजस्थान के नर्सिंग होम, इन दोनों के लिए क्या आप कोई एक्ट में प्रोवीजन करने जा रहे हैं ? क्या कोई नियंत्रण रख रहे हैं ताकि उनका नियंत्रण हो और जनता को जो लूटा जा रहा है वे लूटने में नहीं आएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती बीना काक।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे जो पैथोलोजिकल स्पेशल इंवेस्टीगेशन लैब्स हैं इनके बारे में काफी बात हो चुकी है। स्पेशल टैस्ट के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। हास्पिटल में न तो एक्सरे मशीनें हैं, सी. टी. स्कैन कई जगह पर है लेकिन आटो एनेलाइजर इत्यादि नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर ये मशीनें हैं वहां पर जानबूझकर आउट आफ आर्डर लगा दिया जाता है। जितनी मुस्तैदी, जितनी सिंसियरिटी, जितनी सीरियसनेस सरकारी तंत्र इन मशीनों को खरीदने में लगाता है उतनी सिंसियरिटी इन को चालू रखने में क्यों नहीं रहता ? इन्हें मशीनें खरीदने में भी कमीशन मिलता है और उनको चालू नहीं रखने में भी कमीशन मिलता है। क्योंकि बाहर वाले क्लिनिक्स हैं उनसे इन लोगों के कमीशन बंधा हुआ होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि अगर इन लोगों से ये मशीनें नहीं सम्भलती हैं तो इनका अवगत करवा कर, प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट लोगों को दे दें ताकि कम से कम वे मशीनें चालू तो हों। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। कई प्राइवेट लैबोरेटरीज और क्लिनिक्स के अन्दर सैक्स डिटरमिनेशन टैस्ट जिस पर कानूनी रोक लगायी गयी है, धड़ल्ले से किये जा रहे हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है। बहुत सीरियस मामला है, कोई इनके ऊपर चैक नहीं है। सैक्स डिटरमिनेशन में एम्नीओटिक फ्लूड या सीरम लिया जाता है, इनका सैम्पल ले लिया जाता है और सैम्पल को फिर फैंक दिया जाता है। क्योंकि कई लैबोरेटरीज में इनको टैस्ट करने के उपकरण ही नहीं है। फैंक देने के बाद जो रिपोर्ट दी जाती है उस पर फीमेल चाइल्ड लिख दिया जाता है। गलत रिपोर्ट देने का 800 रुपया लेते हैं और उसके बाद उस महिला को या कपल को फीमेल चाइल्ड एबोर्ट करवाने का कहते हैं कि आप इसको एबोर्ट करवा लीजिये तभी सैक्स डिटरमिनेशन के लिए कपल जाता है और फिर ये लोग उनसे पैसा ऐंठते हैं। माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि क्या इस प्रकार के केसेज आपके सामने आये कि इस तरह के केसेज हो रहे हैं ? मेरी जानकारी में एक क्लिनिक है, झोटवाड़ा के अन्दर यह क्लिनिक चल रहा है। वहां के जो डाक्टर हैं वे इस तरह के केसेज में अनाप-शनाप पैसा ले रहे है। फीमेल चाइल्ड कह कर गलत रिपोर्ट्स देते हैं और उसके एबोर्ट में वे पैसा खा रहे हैं। आप इस तरह के केसेज के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अब समाप्त करें।

श्रीमती बीना काक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ही सवाल पूछा है, सबने तो इतने प्रश्न पूछे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट में आपका एक सवाल हो गया।

श्रीमती बीना काक : मेरे को पांच मिनट कहां हो गये ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने ही नहीं देते हो, यह इतना सीरियस पाइंट चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप काफी देर से बोल रही हैं, मैंने कोई व्यवधान नहीं डाला।

श्रीमती बीना काक : आपकी बड़ी मेहरबानी है।

इनके ऊपर आप छापा डलवाइये, चालान कीजिये। मनमाने ढंग से पैसा ऐंठना, गलत रिपोर्ट देना, अनक्वालिफाइड डाक्टरों द्वारा इस तरह के लैब्स खोलना, लैब्स के बोर्ड पर पैथोलोजिकल डाइग्नोस्टिक लैबोरेटरीज और रिसर्च सेंटर लिखना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिसर्च सेंटर लिख देने से जो इम्पोर्टेड मशीनरी वे इम्पोर्ट करते हैं वह ड्यूटी फ्री इन लोगों को मिलती है। सिर्फ रिजर्व सेंटर लगा देने मात्र से इन लोगों को यह फायदा भी होता है कि ड्यूटी इनके ऊपर नहीं लगती है, किसी प्रकार का टैक्स इनके ऊपर नहीं लगता है। तो जो इस तरह से ड्यूटी -फ्री इक्विपमेंट्स लाते हैं लेकिन लैबोरेटरीज में कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर क्या आप एक्शन लेंगे ? जैसा कि ऑटो फाइनेंस स्कीम है इसके द्वारा आटो एनेलाइजर मशीनें अपने अस्पताल के अन्दर मंगवाइये और दरों में एकरूपता लाकर सस्ती दरों पर गरीबों को इलाज मुहैया करिये, यही मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मोरदिया।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। माननीय दीपेन्द्रसिंह जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उसमें मैं भी शामिल हूं और हास्पिटल के डाइग्नोस्टिक के बारे में कहूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हास्पिटल में मशीनें खराब रहती हैं और बाहर से डाइग्नोसिस होता है। एस.एम.एस. की हालत्र के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। आपने फरमाया कि जो मशीनें खराब हो जाती हैं उनको तुरन्त हम ठीक करवाते हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, एक सी.टी. स्कैन मशीन खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए दिल्ली या कहीं भी बाहर भेजना पड़ता है लेकिन छोटी मशीनें हैं, जैसे एक्सरे मशीन खराब हो जाती है या और कोई छोटे-छोटे इक्विपमेंट हैं जो 100-100, 150-150 रुपये में ठीक हो सकते हैं उनको ठीक होने में दो-दो महीने लग जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह हकीकत बात है, इसको स्वास्थ्य मंत्रीजी बहुत गम्भीरता से लें। मानव के साथ जुड़ा हुआ, जिन्दगी और मौत के साथ जुड़ा हुआ आपका स्वास्थ्य

(श्री परसराम मोरदिया)

विभाग है, इसको आप गम्भीरता से लें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर हालत यह है, आप कहीं भी चले जाइये, आप भी जानते हैं कि इस बात के आप भी भुगतभोगी हैं, कि डाक्टर यह प्रयास करता है कि फलां प्राइवेट हास्पिटल में इस मरीज को भेजो। और वहां कमीशन फिक्स है यह ईमानदारी की बात है। जांच के लिए 95 परसेंट डाक्टर्स मजबूर करते हैं मरीज को कि आपको फलां लैबोरेटरीज में डाइग्नोसिस करवाना पड़ेगा। मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया मशीनें ठीक करवाते ही नहीं है, राजस्थान में कोई भी हास्पिटल हो, यह एक ढर्रा बन गया है, कोई अंकुश नहीं रह गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां पर नेग्लीजेंस बरती जा रही है, चाहे वह टेक्नीशियन हो या उसको कोई हैड हो, उनके खिलाफ आपको निश्चित तौर पर कार्यवाही करनी चाहिये। मैं एक-दो हास्पिटल का उदाहरण देना चाहूंगा, एक प्राइवेट हास्पिटल में मैं कल गया था, एक छोटी सी बीमारी थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उसने पूछा, कितने दिन हो गये ? कहा, साहब चार दिन हो गये। उस गरीब को 23 हजार रुपये का खर्चा बता दिया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, 23 हजार रुपये का खर्चा ? एस.एम.एस. के अन्दर उसके जो बीमारी थी उस बीमारी की जांच की मशीन नहीं थी इसलिए उसको प्राइवेट हास्पिटल में जाना पढ़ा। इसको माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी गम्भीरता से लें और विस्तृत सारी जानकारी करें, उसका कोई ऐसा कानून बनाएं। आज गरीबों के साथ लूट हो रही है, लोग बरबाद हो रहे हैं। प्राइवेट हास्पिटल की हालत आप देख लें, एक छोटा-सी बीमारी हो तो 5,10,15,20, 30 हजार रुपये बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। आज आपके सारे डाक्टर्स की हालत यह है कि शाम को या दोपहर को जो भी इनका समय है, सारी की सारी सेवाएं प्राइवेट हास्पिटल में देते हैं। आपके कम्पाउण्डर का भी यही हाल है। गवर्नमेंट के कम्पाउण्डर्स जो आपके हास्पिटल में हैं, उन्होंने प्राइवेट दुकानें खोल रखी हैं, बेधड़क खोल रखी हैं। कोई उन पर अंकुश नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। यह सारी स्थिति मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से आपके सामने रखी है, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा...

(17.00)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री परसराम मोरदिया : मैं तो दो ही बात कहना चाहता हूं। आपने इसको स्वीकार किया कि हमारे बड़े-बड़े अस्पतालों में जितनी मशीनें खराब होती हैं उनको द्रुतगति से ठीक कराएंगे। क्या छह-छह महीने तक डेढ़-डेढ़ सौ रुपयों के लिये मशीनें खराब हों इस नेग्लीजेंस के लिये आपने आज तक कार्यवाही की ? आपने और आपके इन्सपेक्टर्स ने छापे मारे, टाइमबार्ड दवाइयां हास्पिटलों में सप्लाई हुई हैं, एक का भी चालान नहीं हुआ है। क्या आप इस बात के लिये तैयार हैं कि उनके खिलाफ

(श्री परसराम मोरदिया)

आप कोई कार्यवाही करेंगे ? आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। जितनी नेग्लीजेंस आपके डाक्टर्स और टैक्नीशियनों ने बरती है, आज तक चालान हुआ हो तो आप मुझे बताएं। कुछ नहीं होता है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपके समय में ईमानदारी से खुली छूट मिली हुई है, बेखौफ डाक्टर धड़ल्ले से पैसा कमा रहे हैं। टैक्नीशियन प्राइवेट डाइग्नोसिस सेंटर पर जा-जाकर डाइग्नोसिस कर रहे हैं। किसी एक आदमी के खिलाफ आज तक राजस्थान में चालान नहीं हुआ, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं तो निश्चित रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी पर आरोप लगाना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आपने खुली छूट दे रखी है कि आप धड़ल्ले से कमाओ। मैं आपके साथ हूं और मैं क्या कह सकता हूं। आप जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं आपने एक भी उदाहरण पेश नहीं किया, नेग्लीजेंस बरतने वाले के खिलाफ एक भी ऐसी कार्यवाही नहीं कि जिससे राजस्थान में किसी हास्पिटल में अंकुश लग सके।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसको आप बहुत सीरियसली लें, पूरे राजस्थान में हालात बहुत खराब हैं, लोग मारे-मारे फिर रहे है। प्राइवेट हास्पिटलों में लूट है इसलिये आप इस बात को गम्भीरता से लें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी अनुपस्थित। श्री हरिसिंह महुआ (व्यवधान) कोई नयी बात कहना चाहते हैं क्या ? थोड़ा वेट कर लीजिये। धैर्य रखिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, हम जो आज ध्यानाकर्षण लाये हैं वह आज की समस्या नहीं है। यह समस्या लम्बे समय से चली आ रही है। यह समस्या उस दिन भी थी जब हम कांग्रेसी शासन में विधान सभा के सदस्य थे और इस समस्या के निराकरण के लिये कोई कारगर उपाय नहीं किये गये।

एक बार सवाई मानसिंह अस्पताल में पे-क्लिनिक का सिस्टम डवलप किया गया, उस समय थोड़ा-बहुत इस पर कण्ट्रोल हुआ। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि डाइग्नोसिस सेंटर का होना भी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। आज एस.एम.एस. में जिस ढंग से पेशेण्टों का प्रैशर बढ़ रहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो चार-पांच दिन पहले आर्थोपेडिक वार्ड में जहां वहां जगह 37 पेशेण्टों की थी और थे 127 पेशेण्ट। डाक्टर धारकर के वार्ड में यह स्थिति है कि कोई मिलने जाय तो निकलने की स्थिति नहीं है।

बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जिनसे डाइग्नोसिस महंगा पड़ता है। इस प्रस्ताव को लाने का तात्पर्य सिर्फ यह है, कोई गरीब आदमी आए और उससे यह कहा जाए कि बाहर से सी.टी. स्कैन करवा लाओ। वह आदमी किराया ही उधार लेकर आ रहा है और इस भावना से आ रहा है कि जयपुर में अपने परिजन का एस.एम.एस. में ट्रीटमेंट करवाऊंगा, वह नहीं करवा पाता।

एस.एम.एस. अस्पताल राजस्थान का अस्पताल है, कई मायानों में हिन्दुस्तान में

(श्री हरिसिंह)

अपनी जगह बना रहा है, वहां पर जितने भी जांच उपकरण और मशीनें हैं उनको आप व्यवस्थित करें। आपके जितने भी डाइग्नोसिस सेंटर हैं वे सब एस.एम.एस. के इर्दगिर्द हैं। प्राइवेट हास्पिटल वालों के लिखने पर पेशेण्ट प्राइवेट सेंटर पर जाए, कोई बात नहीं। समस्या को कारगर ढंग से कैसे रोकें, यह आपके और आपके अधिकारियों के सोचने का विषय है। आज आपके हैड ऑफ डिपार्टमेंट, रीडर, लैक्चरर घर बैठे सुबह-शाम प्राइवेट तरीके से पेशेण्ट को देखते हैं और सौ रुपये से लेकर डेढ़ सौ रुपये उनकी एक विजिट की फीस है। वहीं से-

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको बहुत लम्बा कर रहे हैं। शार्ट कट करिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लम्बा नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ी समस्या है। वे वहीं से स्लिप बनाकर भेज रहे हैं और इशारा दे रहे हैं कि अमुक प्राइवेट डाइग्नोसिस सेंटर पर आप चले जाइये और अपना डाइग्नोसिस करवा लाइये। उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी छोटा-मोटा डाइग्नोसिस भी करवाएगा तो सात-आठ सौ रुपये लग जाते हैं। मेरी पर्सनल जानकारी न होने से मैं डाक्टर्स पर आरोप नहीं लगाऊंगा। जब कहते हैं कि आप इतनी हाई रेट क्यों रखते हैं तो प्राइवेट डाइग्नोसिस वाले कहते हैं कि हमको डाक्टर को कमीशन देना पड़ता है। इस प्रकार से मरीजों का शोषण हो रहा है। इसको रोकने का कोई कारगर उपाय चाहे आप कानून के माध्यम से बनाएं, चाहे आपके डाक्टर्स को थोड़ा कण्ट्रोल करके करें, लेकिन करें।

उपाध्यक्ष महोदय, पे क्लिनिक का सिस्टम बहुत बढ़िया था। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ने क्यों विथड्रा किया। आपने तो नहीं किया, आपसे पहले हुआ लेकिन आप एक बार और आजमा कर देख लीजिये। कोई दूसरा सिस्टम हो तो वह भी देख लीजिये।

अब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि एस.एम. एस. भी पैसे वाले लोगों के इलाज का केन्द्र बनता चला जा रहा है। वहां गरीब को डाइग्नोसिस करवाना, इलाज करवाना, बहुत महंगा पड़ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्रीजी डाइनामिक है, इसलिये उनसे उम्मीद करते हैं कि वे कुछ नयी तब्दीली लाएंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप एस.एम.एस. में एक्सपांशन कराएं और सारे उपकरणों को मंगवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरतसिंह। श्री रामनाराण मीणा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरे दातों में तकलीफ हो गयी। मैं व्यक्तिगत बात तो कहूं-।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरे दांत में तकलीफ हो गयी- आपके भी हो सकती है, बुढ़ापा आ रहा है, मैं वहां गया। डाक्टर

(श्री हरिसिंह)

साहब ने मुझे कहा कि आप तालु का एक्सरे करवा लाएं। मैंने कहा कि आप यहीं कर लो तो उन्होंने कहा कि यहां तो वह मशीन ही नहीं है जो तालु का एक्सरे करती है। एस.एम.एस. जैसी जगह पर नहीं हैं पर बगल में प्राइवेट वाले के यहां मशीन है, इसलिये आप मेहरबानी करके जितनी मशीनें आवश्यक हों वे एस.एम.एस. में उपलब्ध कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय... (व्यवधान)... श्री राधेश्याम जी, सोरी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, सरकारी हास्पिटल में ब्लड टैस्ट, खून टैस्ट और पेशाब टैस्ट कराने का पहले किसी गरीब आदमी से चार्ज नहीं लिया जाता था, आजकल क्या आपने चार्ज शुरू कर दिया है ?

आपने गंगानगर के लिए बर्न यूनिट की पिछले सत्र में घोषणा की थी लेकिन अभी तक विधिवत चालू नहीं किया है। आई.सी.यू. भी अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यानाकर्षण पढ़ लें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं यह ध्यानाकर्षण करवा रहा हूं कि हास्पिटल में जितने भी टैस्ट होते हैं उसका गरीब आदमी से पैसा चार्ज होता है, उसकी बाकायदा रसीद मिलती है। क्या आपने यह कार्य शुरू किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : कालीचरणजी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब बातें आ गयी है, मैं तो कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। नम्बर एक, क्या यह सही है डाइग्नोसिस सेंटर पर मरीजों की जांच हो इसलिये सरकारी हास्पिटलों में मशीनें जानबूझकर खराब रखी जा रही है, क्योंकि इससे डाक्टर्स को तीस से चालीस प्रतिशत के बीच कमीशन मिलता है ?

नम्बर दो, क्या यह सही है कि डाइग्नोसिस सेंटर को चलाने के लिये कोई क्वालीफिकेशंस निर्धारित है ? यदि नहीं हैं, तो क्यों ?

नम्बर तीन, इन डाइग्नोसिस सेंटर्स को नियमित करने हेतु सरकार कोई कानून बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

नम्बर चार, क्या डाइग्नोसिस सेंटर्स में जांच के लिये राज्य सरकार ने कोई रेटें निर्धारित की हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं और सरकार से कंशेसनल रेट पर जमीन लेकर जयपुर में कई निजी अस्पताल चल रहे हैं उनमें जिस प्रकार से गरीबों को लूटा जा रहा है उसका उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। पिछली 12 तारीख को एक पीलिया रोग का मरीज, बजाजनगर बैरवा कालोनी का श्री रामप्रसाद कुलानिया चौधरी साहब से इलाज करवा रहा था, उसमें उसका इलाज नहीं हुआ...

सूचना

राजस्थान के छात्रों की कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हत्या

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन, सर। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सवाई माधोपुर और दौसा के कुछ छात्र वैष्णोदेवी गये थे उनको कल आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उसमें से 3 छात्रों को मार दिया, मुकेश मीणा, कैलाश मीणा और राजेश मीणा की हत्या कर दी और 2 को उन्होंने छोड़ दिया। राज्य सरकार इसकी जल्दी से जल्दी जानकारी करके अभी इसके बारे में वस्तुस्थिति से अवगत कराए कि किस कारण से, किस स्थिति में और कितने पकड़ रखे हैं। मैं जो सूचना मिली है उसके आधार पर बता रहा हूं। क्या स्थिति है उससे सदन को अवगत कराएं और राजस्थान की जनता को अवगत कराएं कि किस तरह के उनके साथ वारदात हुई, उनके शव कहां पर हैं, उनकी क्या स्थिति है।

श्री कालीचरण सराफ : हां, तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि दुर्लभ जी हास्पिटल में उस मरीज को ले गये तो कहा कि पहले आप 10 हजार रुपये जमा करवाइये उसके बाद हम आपका इलाज करेंगे। 5-6 घंटे वे बेचारे दौड़ते रहे और 10 हजार रुपयों की व्यवस्था की। 10 हजार रुपये वहां पर जमा कराये_

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आप आसन से यह सरकार को निर्देश दें कि वह एक घंटे में इसकी जानकारी करके सदन को बताए।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का ध्यान आकर्षित तो कर दिया है। सरकार सुन रही है।

श्री परसादीलाल मीणा : बहुत ही गम्भीर मामला है। आप भी तो निर्देश दें कि एक घंटे में जानकारी दें। आप भी तो निर्देश दें। बहुत गम्भीर मामला है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह दौसा जिले का भी मामला है। इसमें क्या स्थिति है, जानकारी कराइये। यह मानवता से संबंधित मामला है। It should be the pious duty of the Hon'ble Home Minister to give reply immediately.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसके लिये सुओमोटो इनकी तरफ से भी स्टैटमेंट आना चाहिए।

श्री परसादीलाल मीणा : बहुत गम्भीर मामला है। यह अभी जो सदन में मामला चल रहा है इससे तो कई गुना गम्भीर है। छात्रों की हत्या हुई है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गृह मंत्री महोदय को निर्देश दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने सूचना दी है। अभी गृह मंत्री जी को मैं निवेदन करता हूं वे

(ललित किशोर चतुर्वेदी)

इसकी जानकारी करके देंगे। अब घंटा या 111 घंटा लगेगा, यह तो क्या बताया जाए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

निजी डाइग्नोसिस क्लिनिकों द्वारा जनता की लूट

श्री कालीचरण सराफ : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि उस मरीज से 10 हजार रुपये वसूल किये गये, 5-6 घंटे उसमें लगे और दो घंटे के बाद मरीज की मौत हो गयी। मौत होने के बाद उस मरीज के रिश्तेदारों ने कहा कि हमारे 10 हजार रुपये वापस कर दो तो उन्होंने उनको पैसे वापस नहीं दिये। इस प्रकार से निजी अस्पतालों में गरीबों का शोषण हो रहा है। सरकार इनको रोके और इसके बारे में सरकार क्या सोचती है, आप बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनियां। आप एक दो सवाल पूछें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो अजीब ही है। मेरा सवाल है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित। चिकित्सा के संबंध में मैं इस बात से सहमत हूं कि ये प्राइवेट डिस्पेंसरी वाले मरीजों का शोषण करते हैं। इससे मैं मना नहीं करता, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। शहरों में तो यहां एस.एम.एस. हास्पिटल है, दुर्लभजी हास्पिटल है और बहुत से हास्पिटल है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में ये सेवाएं हम अभी तक उपलब्ध नहीं करवा सके हैं और अभी 20 साल और नहीं करवा पाएंगे। इस हालत में पुराने जो आर.एम.पी. डाक्टर काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मलेरिया बुखार का इलाज है, मरहम पट्टी का काम है, छोटे मोटे इलाज भी हैं यह वह करते हैं और आर.एम.पी. डाक्टर ही बहुत समझदार हैं। सारे ही यह नहीं है कि कोई इन्सान को मारने वाले हैं। उनमें से बहुत-से लोग अच्छी बुद्धि वाले भी हैं और अच्छा काम सीखे हुए हैं। उनको काम करने का ही अनुभव होता है, किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। आपकी भावना आ चुकी है, अब आप बिराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां : एक निवेदन और है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इन लोगों को काम करने पर भी रोक लगा रखी है। आजकल पुलिस इनके पीछे-पीछे फिर रही है और वे अपना थैला लिये आगे आगे भाग रहे हैं। यह भी मंत्री जी ने इसका इलाज कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर भी मंत्री महोदय कुछ न कुछ ध्यान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिस तेजी से राजस्थान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जिस तेजी से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से बीमारियां भी अधिक बढ़ी हैं। जनसंख्या के अनुपात के अन्दर सरकार अपने सीमित संसाधनों से सरकारी चिकित्सालय खोल दे, यह भी संभव प्रतीत नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दशकों में राजस्थान के अंदर निजी क्लिनिक, निजी डाइग्नोस्टिक क्लिनिक और निजी चिकित्सालय बहुत बड़ी तादाद में खुले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इन निजी चिकित्सालयों में काम करने वाले चिकित्सक जो कि राजस्थान के किसी भी मेडिकल कालेज से शिक्षा प्राप्त करके चिकित्सक के रूप में समाज में स्थापित हों, उनकी पूरी शिक्षा में अपने घर वालों के खर्च के अलावा सरकार का 5-7 लाख तक का खर्चा होता है जो कि राजस्थान की गरीब जनता का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं स्वीकार किया है कि वर्तमान के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सरकार इन निजी चिकित्सकों या निजी डाइग्नोस्टिक क्लिनिक्स को किसी तरह से अपने नियंत्रण में ले सके। उपाध्यक्ष महोदय, दो तरह की बात है। अगर सरकार कोई कानून बनाकर इन निजी डाइग्नोस्टिक का किसी तरह का रजिस्ट्रेशन करके अपने नियंत्रण में ले तो माननीय सदस्य एक बात कहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि सरकारी अंकुश और सरकारी इंस्पेक्टर राज जिसको कहते हैं कि वह कम से कम हो और समाप्त हो। और सरकार इसको नहीं ले तो सवाल यह उठता है कि सरकार इनको नियंत्रित ढंग से अपने आप कहीं भी किसी तरह से भी काम करें, कितनी भी फीस वसूल करें इसके लिए इनको क्यों छोड़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि इन निजी डाइग्नोस्टिक क्लिनिक्स के रेट भी अलग अलग हैं और कई स्थानों पर यह भी है कि इनके पास जो पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे लोग हैं वह पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेण्ड नहीं होता, रिक्विजिट क्वालीफिकेशन के नहीं रखते। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल निजी डाइग्नोस्टिक क्लिनिक्स सेवा के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस बनते चले जा रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त कराना चाहूंगा। राज्य सरकार क्लिनिक्स एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट, 1996 लाना चाहती है। आज माननीय सदस्यों ने ध्यान–आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अपने बड़े अच्छे सुझाव भी हमें दिये हैं और मैं समझता हूं कि जिस तरह की सदन की भावना है इसके अनुरूप निश्चित तौर पर 3 माह के अन्दर पूरे प्रदेश में क्लिनिक्स एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट, 1996 लाया जाएगा। इसके तहत, उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी निजी क्लिनिक खुले हैं उनकी एक सुपरवाइजिंग अथारिटी बने,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसमें वे अपना एक बार रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन भी 10 साल का हो। यह सुपरवाइजिंग अथारिटी जाकर जो भी अपना निजी डाइग्नोस्टिक क्लिनिक खोलना चाहे, एक बार उसका इन्स्पेक्शन भी करे, इसके अन्दर जिस तरह के सवाल आते हैं, कई बार कई शिकायतें भी आती हैं। यह सवाल माननीय सुमेरपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने उठाया कि निश्चित तौर पर सैक्स डिटरमिनेशन की बात को लेकर कुछ डाइग्नोस्टिक क्लिनिक अभी काम कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर में अधिकांश डाइग्नोस्टिक क्लिनिक यही काम करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्री-नेटल डाइग्नोस्टिक टैक्नीकल एण्ड रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है जो कि भारत सरकार ने लागू किया और राजस्थान की सरकार ने उसको स्वीकार किया है उसके अन्तर्गत सैक्स डिटरमिनेशन के कार्य को करना एक तरह से कानूनी बाध्यता हमने की है और अगर इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है, अगर इसमें कोई क्लिनिक करना भी चाहता है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया है कि वह जाकर इसकी जांच करे। निश्चित तौर पर मैं आज ही निर्देश दूंगा कि इस पूरे एक्ट को जो हमने लागू किया है इसके ऊपर कड़ाई से पालन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर और भी कई तरह के सवाल उठे इस पूरी चर्चा के दौरान और यहां पर एस.एम.एस. चिकित्सालय के बारे में भी चर्चा हुई। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर कुछ कमियां रह सकती हैं परन्तु मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष के अन्दर इस एस.एम.एस. चिकित्सालय के अन्दर 8, 68, 316 व्यक्तियों ने आकर आउटडोर के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं लीं और एस.एम.एस. चिकित्सालय में 58315 मरीज इनडोर पैशेन्ट्स के रूप में पिछले एक साल में भर्ती हुए। इसी चिकित्सालय के अन्दर जिसकी कि अभी टीका टिप्पणी की गयी, सिर्फ एक वर्ष में 37024 मेजर आपरेशन्स हुए, 59184 माइनर आपरेशन्स हुए, 38 बाईपास सर्जरी हुई, 177 वाल्व रिप्लेसमैन्ट हुए और 242 ओपन हार्ट सर्जरी हुई। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी चिकित्साय के अन्दर गुणात्मक परिवर्तन के लिए हम लोगों ने प्रयास किये हैं। परन्तु कई बार सदन में इस तरह की चर्चा उठती है तो जो लोग अच्छे काम की और बढ़ना चाहते हैं तो वे हतोत्साहित भी होते हैं। कमियां हो सकती हैं पर उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास हमने किया है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां एक तरफ हमने एक कानून बनाकर निजी डाइग्नोस्टिक क्लिनिक्स को 10 साल का लाइसेन्स एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बार मिल जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब सरकारी चिकित्सालयों से मात्र हम सारी सुविधाएं दें सकें इस बढ़ती हुई जनसंख्या में सम्भव नहीं है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह निश्चय किया कि जो निजी चिकित्सालय आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए भी सरकार ने एक स्वास्थ्य नीति बनायी है। उस नीति के अनुसार जो चेरिटेबल इंस्टीट्यूट विथ वैरियर सुपर स्पेशलिटी हैं, उनको भूमि आबंटन की जो आरक्षित दर है उसके 25 प्रतिशत पर भूमि आबंटित करेंगे, ये जो उपकरण लेकर आएंगे उन पर चुंगी नहीं लगेगी और सरकार उन पर सैल्स टैक्स भी नहीं लेगी। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, जो चेरिटेबल इंस्टीट्यूट विथ वन सुपर स्पेशलिटी हैं, उनको हम आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर भूमि उपलब्ध करवाएंगे। आरक्षित दर और बाजार दर में भूमि के मूल्य में बहुत बड़ा अन्तर है। हम चुंगी और वाणिज्यिक शुल्क से इनके भी सारे उपकरणों को मुक्त रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इनमें हमने यह भी शर्त लगायी है कि ये सुबह और शाम आउटडोर के अन्दर एक-एक घंटे निःशुल्क गरीब मरीजों को देखें और 10 प्रतिशत बिस्तर गरीबों के लिए आरक्षित रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ इस तरह के चिकित्सालय भी हैं जिन्होंने कुछ शर्तों के अनुसार सरकार से भूमि भी ली थी, एग्रीमेंट भी हुआ था सरकार और उन चिकित्सालयों को संचालित करने वाले प्रबन्धकों के बीच में। अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा ही मानवीय पहलू को छूता हुआ सवाल उठाया कि एक गरीब व्यक्ति पीलिया से जूझ रहा था, मृत्यु के नजदीक जा रहा था, उसको कहा कि पहले 10 हजार रुपये लाओ उसके बाद इलाज प्रारम्भ करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि मैं उस पुराने एग्रीमेंट को निकालूंगा, उस एग्रीमेंट में सरकार के साथ जो शर्तों का निर्धारण हुआ है उन शर्तों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है उसके बारे में पूरी जांच करूंगा और निश्चित तौर पर जांच करके कोई कारगर कदम उठे, इसके लिए प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह सवाल उठा कि बहुत बड़ी संख्या में उपकरण सरकारी चिकित्सालयों में खराब हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष में सरकारी चिकित्सालयों के अन्दर हमने राज्य भर में 5 करोड़ 60 लाख रुपये मूल्य के उपरकणों को ठीक करवाया है। इस बार भी एक करोड़ का विशेष प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह व्यवस्था की है कि कोई भी उपकरण खराब हो, उस उपकरण की खराब होने की तिथि सहित प्रति माह की एक और 16 तारीख को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष सुपरिंटेंडेंट को पत्र लिखकर बताएगा कि उसके यहां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अमुक उपकरण खराब है। खराब नहीं है तो भी वह कहेगा कि मेरे यहां इतने उपकरण हैं और इतने उपकरणों में इतने वर्किंग आर्डर में हैं और ये खराब हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी व्यवस्था की है कि सरकार के पास हर पांच तारीख को यह सूचना आ जानी चाहिए कि अगर उपकरण पांच लाख रुपये की लागत से ज्यादा का है और वह खराब है तो उसको किस तरह से ठीक कराने के लिए प्रयास किये हैं। इसी तरह से हमने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, रैफरल चिकित्सालय और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटलों में भी ये प्रयास प्रारम्भ किये हैं। एक उपकरण नीति बनायी थी उसी की परिणति है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमने पिछले वर्षों में खराब उपकरणों को ठीक कराया है।

उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी सवाल उठाया है कि हमने किसी भी चिकित्सक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और मनमानी छूट दे रखी है कि कोई भी चिकित्सक आये या नहीं आये या चिकित्सालय समय में वह किसी तरह से लूट-खसोट करे। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा, आंकड़े उठाकर देख लें कि पिछले दो वर्षों में हमने जितनी कार्यवाही की है उतनी कार्यवाही पिछले 10 वर्षों, 1980 से 1990 में हुई हो तो बता दें। जितने चिकित्सकों के विरुद्ध हमने अनुशासनात्मक कार्यवाही की है अगर उनकी आपने 10 फीसदी भी की हो तो आप कहें वह मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। पिछले दो सालों में हमने 102 चिकित्सकों की सेवाएं समाप्त की हैं, सर्विस टर्मिनेट की है, जिनके खिलाफ यह आरोप था कि चिकित्सालय के अन्दर नहीं आकर निजी चिकित्सालयों में जाकर काम करें या कोई ऐसे चिकित्सक भी थे जो सरकारी रिकार्ड के अनुसार काम कर रहे हैं चिकित्सालय में और विदेश जाकर सेवा करें। इस तरह के 102 चिकित्सकों की हमने सेवाएं समाप्त की हैं। 69 चिकित्सकों को निलम्बित किया है, 296 चिकित्सकों को 16 सी.सी.ए. में नोटिस दिया है, आरोप पत्र जारी किया है और 131 को 17 सी. सी.ए. में आरोप पत्र जारी किया है। इस बार जो हमारी स्वास्थ्य सलाहकार समितियां बनी हैं, उनकी बैठक नियमित नहीं हो पा रही हैं। मैंने पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हम प्रयास करेंगे कि बैठक नियमित हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह सवाल उठा कि कई तरह के उपकरण सरकारी चिकित्सालयों में नहीं है। अभी बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि साल-साल भर बाद की तारीख मिलती है एस. एस. एम. में सी. टी. स्कैन की। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपको बताया कि आउटडोर के अन्दर, कितने इन्डोर के अन्दर मरीज आते हैं, कितने आपरेशन हुए हैं, कितना दबाव है इस चिकित्सालय पर, इसलिए हमने मेडिकल केयर सोसायटी गठित की है। उनको हमने पैसा भी दिया है कि वे मार्जिन मनी के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रूप में सरकार से पैसा लेंगे, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से लोन लेंगे और लोन लेकर 'नो लोस नो प्रोफिट' पर ऑटो फाइनेंस से उसको सचांलित करके नये उपकरण खरीदेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एस. एम. एस. की जो मेडिकल रिलीफ सोसायटी है उसने नयी सी. टी. स्कैन क्रय करने के लिए अब कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी है। एक नया प्रयोग हमने प्रारम्भ किया है और मैं समझता हूं कि ये कुछ इस तरह के विषय हैं जिन पर हम सब लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए कि किस तरह से इनमें सुधार हो।

अंत में मैं यही कहूंगा कि राज्य सरकार इन निजी क्लिनिकों को किस तरह से अपने परव्यू में ले इसके लिए जो हमारा राजस्थान क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको तीन माह के अन्दर पूरे प्रदेश में लागू करेंगे।

मैं आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने मार्गदर्शन भी दिया और कई अच्छी बातें भी बतायीं। उनको हम सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय मंत्री महोदय, क्या आप ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। माननीय राधेश्याम जी, चर्चा समाप्त।

श्री सांवरलाल जाट, सहायता राज्य मंत्री, राज्य में अकाल के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप करवा रहे हैं क्या? जानकारी का तो पता तो चले। गवर्नमेंट ने अगर कर दिया तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जवाब नहीं देने दूंगा। अब आप बिराजें। माननीय सदस्य बिराजें। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं निवेदन कर रहा हूं, यह छोटी सी बात है। गरीब आदमी बड़ी दूर से चलकर जाए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह चर्चा समाप्त कर दी। आप बिराजें। राधेश्याम जी समय बर्बाद नहीं करें। आप बिराजें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मंत्री महोदय, हम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राधेश्याम जी। अंकित नहीं हो।

श्री सांवरलाल (राज्य मंत्री, सहायता) : उपाध्यक्ष महोदय, विक्रम सम्वत् 2052 के...

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री सांवरलाल : में अनियमित, असामान्य वर्षा के कारण...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। मंत्री महोदय, आप इसको दुबारा पढ़ें।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में अकाल

श्री सांवरलाल (राज्य मंत्री, सहायता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्वत् 2052 में अनियमित, असामान्य वर्षा के कारण राजस्थान के 25478 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। फसल - खराबी के कारण उक्त गांवों की 71.91 लाख हैक्टेयर फसल में नुकसान हुआ। अनुमानित कीमत 194338.56 लाख आंकी गयी। प्रदेश की लगभग 273.82 लाख जनसंख्या तथा 282.29 लाख पशु संख्या अकाल से प्रभावित हुई। राज्य सरकार ने अकाल की विभिषिका से निपटने के लिए विभिन्न विभागों को योजनागत रोजगारोन्मुख कार्यों में गति लाने के साथ साथ अकाल राहत कार्य भी प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। जनजातीय क्षेत्रों में एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य खोलने के लिए नवम्बर, 1995 में ही जिला कलक्टर्स को निर्देश दे दिये गये। जैसे जैसे अन्य क्षेत्रों में विभागीय कार्यों के अलावा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी वैसे वैसे वहां पर कार्य प्रारम्भ किये गये। जनवरी, 1996 तक राज्य सरकार ने सभी 25478 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर कार्य चालू कर दिये। 30 जून, 1996 तक जिला कलक्टर्स द्वारा 19671 अकाल राहत कार्य लगभग 32212 लाख रुपये की लागत के स्वीकृत किये गये। ज्यों-ज्यों जिला कलक्टर्स के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की गयी, त्यों-त्यों इन अकाल राहत कार्यों पर समय समय पर श्रमिक सीमा बढ़ायी गयी। माह जून में लगभग 7 लाख 28 हजार श्रमिक अकाल राहत कार्यों पर लगाये गये। विभागीय कार्यों में भी गति लायी जाकर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। लगभग 4 लाख 50 हजार श्रमिक इन कार्यों पर लगाये गये। इस प्रकार विभागीय कार्यों एवं अकाल राहत कार्यों में यह संख्या लगभग 11 लाख 78 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की थी। अकाल राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध करवाने के अलावा राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त इलाकों में विशेष रूप से पेयजल व्यवस्था, पशु संरक्षण हेतु भी चारा, पशु आहार अनुदान व्यवस्था हेतु जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये गये। माह जुलाई, 1996 के अंत तक 26785 लाख रुपये अकाल राहत कार्यों पर व्यय होने की सम्भावना है। माह जून में प्रदेश के अधिकांश हिस्से में वर्षा होने के कारण 30 जून के पश्चात राज्य सरकार ने 21 जिलों में राहत कार्य बंद कर केवल उदयपुर डिवीजन, अजमेर, भीलवाड़ा, और टोंक जिले में 15 जुलाई तक व फिर 31 जुलाई तक कार्य प्रारम्भ करने हेतु जिला कलक्टर्स को निर्देश जारी किये।

इन आठ जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी जिला अभिकरणों की योजनाओं के कार्य तथा विभागीय कार्य यथावत चालू हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार

(श्री सांवरलाल)

योजना के अन्तर्गत कार्यों में गति लाने के लिए सम्बन्धित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है और इन विभागीय योजनागत कार्यों पर अभी भी लगभग इन जिलों में 4.43 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनमें 31 जिले भी शामिल हैं जिनमें अकाल राहत कार्य बंद किये गये। इन 31 जिलों में विभागीय कार्यों पर लगभग 3.21 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। माह जून में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा होने के कारण लोग फसल बुवाई कार्य में लगे हुए हैं और प्रदेश में लगभग 77 लाख 5 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल की बुवाई की जा चुकी है जो खरीफ के कुल लक्ष्य का 60 प्रतिशत से अधिक है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ क्लेरिफिकेशन भी चाहूंगा और थोड़ी-सी बात भी कहना चाहूंगा। अभी अकाल राहत मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया। एक तो यह आधा-अधूरा वक्तव्य है। यह ऐसी चीज थी कि अकाल राहत मंत्रीजी प्रदेश में वर्षा की क्या स्थिति है, किन-किन जिलों में कितनी वर्षा हुई है और किन जिलों में वर्षा इंटरमिटेंट हुई है - यानि पहले हो गयी थी और अब हुई है, बीच में किसानों ने बुवाई कर दी थी उसके कारण से उनका बीज खराब हो गया, इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण किया होता, उसकी रिपोर्ट दे देते तो अच्छा रहता। मैं दो-तीन पाइंट्स विशेष रूप से पूछना चाहूंगा। आपने अभी बीच में अकाल राहत कार्य आठ जिलों में चलने वाली बात की। एक तो यह बताएं कि आपकी पेमेंट की क्या स्थिति है ? जहां तक मेरी नालेज में है, अकाल राहत के कार्य उदयपुर संभाग में और उदयपुर जिले में, राजसमंद जिले में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह में हुए हैं, उनमें मैटीरियल कम्पोनेंट का पेमेंट काफी समय से बकाया है और इन्होंने कार्य प्रारम्भ करने की बात कर दी। अब लेबर कम्पोनेंट वहां पर क्या करेगा। जब तक आप मैटीरियल कम्पोनेंट का पैसा नहीं देंगे ? आशा है आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे, मौखिक रूप से भी आपसे आग्रह किया था। राजसमंद में विशेष रूप से पूछा जाए जिला कलक्टर से, मैटीरियल कम्पोनेंट का पैसा आप रिलीज नहीं कर रहे हैं तो आपका लेबर कम्पोनेंट में रिलीज किया हुआ पैसा किसी काम का नहीं है। लेबर वहां बैठी रहती है और इस कारण से लेबर को जो वेजेज मिलनी चाहिए, उसका एक चौथाई या आधा हिस्सा भी उनको नहीं मिल पाता है।

दूसरा बिन्दु मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन दिनों आपने फीडर की क्या व्यवस्था की है ? विशेष रूप से डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिला और कुछ भाग उदयपुर जिले में घास की बड़ी कठिनाई है। वहां के कुछ लोग कल आये थे मेरे पास, रात में मिल रहे थे कि किसान घास खरीदने को तैयार है लेकिन घास

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

की अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है, डूंगरपुर में खास तौर से इससे यह साफ जाहिर होता है कि इस सरकार ने इस अकाल को बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण से लिया है और व्यापक दृष्टिकोण से इसके हर पहलू पर विचार नहीं

(17.33)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

किया है। क्या सरकार ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर घास की कमी है, वहां पर आदिवासी किसान, गरीबों के पशुओं को, उनके बहुमूल्य पशुधन को बचाने के लिए घास का इंतजाम करेगी ? अगर करने का सरकार का इरादा है तो यह सब्सिडी कितनी देना चाहेंगे और किस प्रकार से देना चाहेंगे, इसको मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

मंत्री महोदय ने अभी बताया कि कई योजनाओं में कार्य चल रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि योजनाओं के कार्य का अकाल राहत कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। अकाल राहत का मतलब ही है कि वहां पर विशेष परिस्थितियां हैं और विशेष परिस्थितियों में वहां पर रिलीफ की आवश्यकता है, राहत की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है। यहां जिक्र किया सुनिश्चित रोजगार योजना का, फोर युअर काइंड इनफोर्मेशन, माननीय मंत्रीजी, आपको शायद नालेज में होगा, नहीं होगा तो आप जानकारी प्राप्त कर लें कि सुनिश्चित रोजगार योजना के , ई.ए.एस. के काम चलते हैं वे गवर्नमेंट आफ इण्डिया की गाइड लाइन्स के अनुसार चलते हैं और गवर्नमेंट आफ इण्डिया की जो गाइड लाइन्स है उनके अन्दर मंथ निर्धारित हैं कि कौनसे महीने के अंदर सुनिश्चित रोजगार योजना के काम चलेंगे और कौनसे महीने में नहीं चलेंगे। विशेष रूप से जो रेनी पीरियड है इसके अन्दर उनके कामकाज नहीं चला करते हैं। यह एग्जेक्ट डेट है, कौनसे मंथ की कौनसी डेट से चल रहे हैं, नवम्बर से जून तक। वे कार्य तो जून माह में बन्द हो गये, जुलाई के अन्दर वे कार्य नहीं चलते इसलिए सुनिश्चित रोजगार योजना का आप बहाना नहीं करें। आप इस दृष्टिकोण से सोचें कि हमको तो जो पीड़ित किसान हैं उसको किसी प्रकार से राहत पहुंचानी है।

आपने अकाल राहत की जो गाइड लाइन्स बनायीं, वे गाइड लाइन्स भी कुछ कंफ्यूजिंग हैं। राहत के फैक्टर को आप नहीं देखकर उसमें पक्के कामों में ही लिया सारा काम आप कुछ असैट्स बनाना चाहते हैं अच्छा दृष्टिकोण है, इसमें हम आपसे सहमत हैं। सारी स्कीम के अन्दर आप असैट्स बनाएं, अच्छी चीज है लेकिन एक तरफ तो आप 40 प्रतिशत मैटीरियल कम्पोनेंट देते हैं और 60 प्रतिशत लेबर कम्पोनेंट देते हैं और यह हर व्यक्ति जानता है कि 40 प्रतिशत मैटीरियल कम्पोनेंट से आप असैट्स नहीं बना सकते हैं। वहां पर करना क्या पड़ता है, एडजस्टमेंट

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

करना पड़ता है और रिलीफ का जो कंसेप्ट है, उसकी आपने धज्जियां बिखेर दी। आज व्यक्ति को आवश्यकता है पेट के अन्दर रोटी डालने की, उसको आवश्यकता है रोजगार की, उसको आवश्यकता है कि किसी प्रकार से दो जून का उसको भोजन मिल सके और आप वहां पर पक्के कार्मो के माध्यम से असैट्स क्रिएट करने के पीछे पड़े हुए हैं। आज एक स्कूल में कमरा अगर आप बनाएंगे तो कितने लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे ? 10 या 12 लोगों को रोजगार दे पाएंगे इसलिए आपकी नीति के अन्दर भी कुछ व्यावहारिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस दृष्टिकोण से भी अपने विचार बताएं।

श्री सभापति : श्री भाटीजी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां 30 जून से अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये गये थे। हमारे यहां 30 जून के वक्त में भी, जब बाढ़ आयी थी राजस्थान के दूसरे जिलों में तो एक इम्प्रैशन क्रिएट हो गया था कि वैस्टर्न राजस्थान में बड़ी भारी बाढ़ है। बाड़मेर में बाढ़ है, जैसलमेर में बाढ़ है, जोधपुर में बाढ़ है लेकिन पाली में वर्षा बिलकुल नहीं हुई थी। हमने उस वक्त भी निवेदन किया था, मंत्री महोदय से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला था, हालात ये हैं कि बरसात नहीं होने की वजह से हमारे पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो गयी है। पहले जो पीने के पानी के टैंकर्स सप्लाई किये जाते थे, अकाल राहत कार्यों के तहत वे पानी के टैंकर्स भी बंद कर दिये गये हैं। विशेष रूप से पाली जिले में बरसात की कमी तो है ही, हमारे पाली विधान सभा क्षेत्र में जो विशेषकर रेगिस्तानी हिसाब का है वहां पीने के पानी की भी समस्या है, वहां लोगों को काम छोड़कर जाना पड़ रहा है। गुजरात जाना पड़ रहा है, दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ई.ए.एस की योजना भी 30 जून को बंद हो जाती है और जे. आर.वाई. के नार्म्स कुछ अलग हैं, अकाल राहत के नार्म्स कुछ अलग हैं। अकाल राहत में भी आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि नवम्बर, 1995 में आपने अकाल के गांव घोषित कर दिये थे जबकि मई के लास्ट हफ्ते में सैंक्शन्स की गयीं, और जून के फर्स्ट और सैकण्ड वीक में काम चालू किये गये। सरकार का लाखों रुपयो का इंवेस्टमेंट है, वह इस तरह से फ़ालतू बरबाद हो गया। 10 दिन काम चला, कहीं पांच दिन का काम चला, कहीं 15 दिन काम चला इसलिए। हालांकि यह परम्परा नहीं है कि वापस चालू किए जाएं फिर भी परिस्थितियां बाध्य कर रही हैं, परिस्थितियों को सोचकर वहां के निवासियों को सहायता पहुंचाने के हिसाब से आप काम चालू करें, पानी के टैंकर्स वहां पर चालू करवाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय पल्लीवाल जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदय, सवाई माधोपुर जिले में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और शीतलहर के कारण अभावग्रस्त गांव घोषित गिये गये थे। इसी सन्दर्भ में अकाल राहत कार्य ज्यादातर तालाब के, तलैयों के और गऊ कुण्डों के प्रारम्भ कराये। 30 जून को आपने काम बंद कर दिये हैं और बरसात हमारे यहां हुई नहीं, जिस मकसद से तालाब, तलैयों के लिए मंजूरी दी थी, वे आज की तारीख में सब अधूरे पड़े हैं। फिर आप यह कहते हैं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरे करा दिये जाएंगे। बरसात, वैसे तो अब हुई नहीं है, समय पर कार्य पूरे हो जाते लेकिन अगर इनको आप 30 जुलाई तक बढ़ा देते तो मेरी मान्यता तो यह थी कि जिस पर्पज से तालाब, तलैयों के लिए पैसा दिया था, वे कार्य पूर्ण हो जाते। अब उन तालाब और तलैयों की स्थिति यह है कि न वे इधर के रहे न उधर के रहे। मेरा मंत्रीजी से अब भी अनुरोध है कि जितने भी काम अभी अधूरे पड़े हैं उन कामों को आप चालू करा दीजिये। तालाब जिनमें मिट्टी डालना बाकी है, कुछ पक्के काम होना बाकी है, वे सारे के सारे पूरे हो जाएं।

दूसरा, अभी मैं शनिवार-रविवार को गंगापुर मेरे क्षेत्र में गया था। सरपंचों ने मुझे एकत्र होकर घेर लिया, उन्होंने कहा कि सारे काम तो हमने करवा दिये, उनकी जो मस्टररोल थी, उसको पंचायत समिति वेरीफाई नहीं करती। सामग्री का जो पैसा है, उसके अन्दर, वह पैसा पंचायत समिति देती है, लेकिन उन सरपंचों को आज की तारीख यानि 13 तारीख तक एक भी पैसा नहीं मिला है और सारे सरंपच परेशान हो रहे हैं। जिन मजदूरों को उनको पैसा देना है उन मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अब भी समय है, जो ऐसे काम तालाब और तलैयों के हैं आप उनको पूरा करने दीजिये जिससे कि बारिश का पानी वहां रुक जाए।

श्री सभापति : माननीय जोशीजी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी ने हमारे क्षेत्र में 31 तारीख तक कार्य चालू करने के जो आदेश दिये उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यह निवेदन है कि प्रत्येक परिवार के लोगों को रोजगार पर लगाया नहीं जा सकता और परिवार के एक ही व्यक्ति को अगर रोजगार पर लगाएंगे तो पूरे परिवार का भरण-पोषण वह कर नहीं सकता। हमारे क्षेत्र में अधिकांश जनजाति के लोग रहते हैं उनकी स्थिति यह है कि खाने को तो उनके पास दाना नहीं है। मैंने पूर्व में भी यह बात बतायी थी कि गेहूं के आटे के लिए वहां पर झगड़ा हुआ, रात को चोरी हुई और एक व्यक्ति की हत्या हो गयी, मात्र गेहूं के आटे के लिए। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि उन्हें मुफ्त राशन दिया जाए और पशुओं का चारा। उनके पास में पैसा तो है नहीं कि वे चारा खरीदें। मुफ्त पशुओं का चारा वितरित

(श्री भवानी जोशी)

किया जाए और उनके राशन की व्यवस्था की जाए। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, जिला सवाई माधोपुर में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, बरसात अभी तक हुई नहीं है। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आपने जो भी अकाल राहत कार्य बंद किये हैं उनको आप तुरंत चालू कर दें और तब तक चालू रखें जब कि वर्षा न हो। सभापति महोदय, मुझे इस बात का धोखा है क्योंकि जब से आप मंत्री बने हैं, तब से अकाल-बाढ़, कोई न कोई विपदा हमारे ऊपर पड़ रही है। कहीं ऐसा न हो कि बरसात ही नहीं हो मेरे क्षेत्र में अब की बार, आपके कारण। इसलिए आप इनको तब तक बंद न करें जब तक बरसात न हो।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे यहां मजदूरों की कोई कमी नहीं है। आपके अधिकारी वगैरह यह रिपोर्ट देते हैं कि मजदूरों का अभाव है इसलिए अकाल राहत कार्य चालू नहीं किये जा रहे। मेरे नांदौती क्षेत्र में, जो भी कार्य किये गये हैं सब के लिए पर्याप्त मजदूर मिले हैं। मेरे नांदौती क्षेत्र में जितने भी अकाल राहत कार्य आपने चालू किये और जिनको आपने अधूरा छोड़ दिया, उन कामों में तालाब हैं, तलैया हैं, कुण्ड के काम हैं। उनको कृपया आप बारिश होने से पहले पहले सब को सम्पूर्ण कराएं नहीं तो सारा पैसा बेकार जाएगा जो आपने अब तक हमारे यहां क्षेत्र में लगाया है।

तीसरा मेरा निवेदन है कि इस अकाल राहत के तहत भ्रष्टाचार भी हुआ है। काम नहीं चला एक दिन भी वहां पर और उन्होंने फर्जी अपनी तरफ से मस्टररोल वगैरह भर लिये। आप कृपया इसकी जांच कराएं। इस अकाल में भी लोग खा गये पैसे को, उसकी शिकायत मैंने की है डिपार्टमेंट के अन्दर, आपने उसकी जांच आज तक नहीं करायी। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, आप कृपया इसकी जांच कराएं कि अकाल राहत के तहत जो कार्य हुए हैं वे वास्तव में सही हुए हैं या गलत हुए हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, दौसा और जयपुर जिले में एक तारीख को आपने अकाल राहत के कार्य बंद कर दिये। माननीय मंत्रीजी आपकी मंजूरी दौसा जिले में आप देख लें।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : इधर नहीं देख रहे हैं, साहब।

श्री सभापति : मैंने तो बहुत बार देख लिया , कोई इशारा नहीं हुआ, नहीं तो नाम नोट कर लेता। मैंने तो तीन-चार बार इधर नजर फेरी कि कोई हाथ उठाए तो मैं नाम लिख लूं।

Page No.192

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, इधर भी।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी मंजूरी 12 जून को हुई कुछ कामों की, कुछ कामों की 17 जून को हुई। सभापति महोदय, दौसा जिले में अभी बारिश बिलकुल नहीं हुई है। न के बराबर बारिश है। अभी फसलें नहीं बोयी गई हैं और आपने एक तारीख को काम बंद कर दिये। अकाल राहत परामर्शदात्री समिति की एक बार मीटिंग बुलाई है आपके जिला अधिकारी ने। आपके काम जून में सेंक्शन हुए और काम चालू नहीं हुए उसके पहले तो आपने काम बंद करने के आदेश दे दिये। कौन सी बारिश हो गई अभी ? कौन सी आफत आ रही थी ? आपने अपने जिले में तो बंद नहीं किये और दौसा जिले, जयपुर जिले में, सारे जिलों में बंद कर दिये। मंत्रीजी, आप समानता का व्यवहार करें। आपने जो काम बंद किये हैं, अच्छा नहीं किया है, आपने भेदभाव का तरीका अपनाया है। बारिश नहीं होने के पहले आपने जो काम बंद किये हैं, यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। कल भी आप कह रहे थे कि विभिन्न योजनाओं में काम चल रहा है, कौन-सी योजना में काम चल रहा है ? जवाहर रोजगार योजना के सरपंचों के पास काम चलते हैं, उनके काम जैसे होते हैं आप सब जानते हैं। आपकी जे. आर. वाई का पैसा या दूसरी सुनिश्चित रोजगार योजना का काम 30 जून को बंद हो गया। आपका काम कौन-सा चल रहा है, जरा बताइये। एक भी काम दौसा जिले में नहीं चल रहा है। बरसात हुई नहीं है और आपने काम बंद कर दिये। 15 दिन काम चला नहीं, 10 दिन काम चला नहीं, 5 दिन काम चला नहीं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है, मेहरबानी करके, आप इस मामले को देखते हुए पुनः काम सभी जिलों में शुरू कराएं। आठ जिलों में ही क्यों शुरू करा रहे हैं आप ?

श्री सभापति : माननीय दीपेन्द्र जी। कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : सारे जिलों में क्यों नहीं शुरू कराते ? चारे की परेशानी है किसानों के सामने, पानी की परेशानी है, मजदूरी की परेशानी है। आप मेहरबानी करके चालू कराएं। इसलिए कल हमने आपको बाध्य किया था कि आप दुबारा काम शुरू करें। आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आप कल ही काम चालू करने की हां कर लेते तो। आप मानवीय आधार पर जहां भी आवश्यकता हो, बारिश नहीं हुई है, वहां पर पुनः सभी जिलों में समान स्तर से काम खोलने की मेहरबानी करें। आपके जिले में तो आप काम बंद करेंगे नहीं, आपके जिले की आप देखिये कि क्या हालत कर रखी है।

श्री सभापति : समाप्त करिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारे जयपुर, दौसा में आपने काम बंद कर दिये और आपके जिले में नहीं किये।

श्री सभापति : Parsadi Lalji, now stop it please.

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अकाल राहत मंत्री से दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं। सीकर जिले में, मंत्री महोदय, आपने कृपा करके कुछ अकाल राहत के कार्य सीधे सेंक्शन किये हैं। सीधे का मेरा मतलब कुछ सड़कों की स्वीकृति आपने यहां से डायरेक्ट जारी की। बड़ी खुशी की बात है लेकिन केवल एक पंचायत और उसका केवल एक गांव ? उस पर आपने दो सड़कें सेंक्शन की है, इधर से भी और इधर से भी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यह जसपुरा से कल्याणपुरा और जयरामपुरा का निवेदन कर रहा हूं। दूसरी आपने एक सड़क सेंक्शन की है कोटड़ी से नालोठ तक के लिए। अब ताज्जुब की बात यह है कि सभापति महोदय, कि डायरेक्ट स्वीकृति में इन्होंने एक पंचायत से दूसरी पंचायत के बीच में, स्वीकृति तो दे दी, लेकिन काम एक पंचायत एक्स को ही दिया है, यहां से शुरू होकर दूसरी पंचायत में काम हो रहा है और उस पंचायत के एरिया में भी यही पंचायत काम करेगी। ऐसा विचित्र आदेश राजस्थान के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ कि दो पंचायतों का अधिकार एक ही सरपंच को दे दिया, दूसरी पंचायत में भी जाकर वही काम करेगा।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि जो काम आपने स्वीकृत किये, आखिर में जाकर किये और उस वक्त किये जब कि आप भी यह जानते थे कि ये पूरे नहीं होने वाले हैं। एक सप्ताह भी नहीं बचा, आपने सेंक्शन कर दिये। वे काम पूरे होने वाले नहीं थे (व्यवधान) मैं मेरे यहां की बता रहा हूं। शुरू किये और शुरू भी ऐसे किये कि दिन और रात ट्रेक्टरों से काम करवाया और मस्टररोल फर्जी भरे गये। इस बात की जांच हुई है। 30 तारीख को काम बंद होने चाहिये थे, लेकिन चूंकि आपने स्वीकृति दे रखी थी, इतने पीरियड में पूरे नहीं होने वाले थे, आज तक काम चल रहा है। बंद हुए कामों की ट्रेक्टरों से चालू करके आपके वहां के सरपंच या जिन्होंने काम करवाया, मजदूरों के मस्टररोल आज तक भरे पिछली तारीखों में। इसकी मैंने शिकायत की है, जांच हुई है। कलक्टर को शिकायत हुई है, एस.डी.एम. ने जांच की, जांच में तथ्य पाये। यही हाल पटवारी के बास का रहा। उसके बाद सबूत के बतौर फोटोग्राफर्स ने जाकर फोटो खींचे हैं। उसके फोटो खींचें हैं, जांच की शिकायत होने के बाद। जांच होने के बाद के

(17.48)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

फोटो खींचे हैं, एफिडेविट्स दिये हैं। ये फोटो हैं, ये एफिडेविट्स हैं, कृपया आप जांच कराएं और जब तक सारे मामलों की विस्तृत जांच नहीं हो जाए तब तक सारे पेमेन्ट्स रुकवा दें। जिनको स्वीकृति हुई है, मंत्री महोदय, आप जानते हैं वे काम कराने में कितने सक्षम हैं। काम उन्होंने कराया नहीं है, पेमेन्ट फर्जी उठाया जाएगा और आप उसको रोक पाने में सक्षम

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

नहीं है क्योंकि आपने विशेष मित्रतावश उन पर कृपा की है। कृपा करके इस अपव्यय को रोकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री कन्हैयालाल जी। श्री महावीर जी भगोरा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से कि जयपुर जिले में चाहे विधान सभा क्षेत्र फागी हो, विधान सभा क्षेत्र बस्सी हो, बस्सी में अकाल राहत के जब कार्य चल रहे थे उस समय में मजदूरों की बहुतायत इतनी जबरदस्त थी कि जहां आपने 200 की सीमा तय कर दी कि एक काम पर 200 व्यक्ति लगेंगे, 200 की बजाय वहां पर 500-500 आ गये। आपस में झगड़ा हुआ, एफ. आई. आर. लाज हुई। ए. ईएन. साहब ने घर में जहां पांच मजदूर थे वहां एक-एक मजदूर को काम पर लगाया। सारे मजदूरों को लगाया नहीं गया। ऐसी सूरत में सारे कार्य अधूरे रह गये। 22 जून से लेकर अब तक कोई बरसात नहीं होने की वजह से आज भी मजदूरों की बेरोजगारी है, मजदूर ज्यों के त्यों बैठे हुए हैं।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहाड़ियों के ऊपर जो मैटीरियल पड़ा हुआ है, चाहे वह बांसखों की पहाड़ी में हो, चाहे तुंगा की पहाड़ी में हो, चाहे कूथाड़ा या हर्डिया के घाटा की पहाड़ी में हो, लाखों रुपये खर्च हो गये। सारा मैटीरियल जो साइट पर पड़ा हुआ है। अगर वह समय पर नहीं लगा तो लाखों रुपये सरकार के गये। गयी बार भी ऐसा हुआ था अकाल के तहत। और आज तक मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय को कि आपने पहली बार पुख्ता कार्यों को लिया। वहां पर डब्ल्यू. बी.एम.जी. का एक लेयर डालने का जो आपने निर्णय लिया था उसकी तो मैं बधाई देना चाहूंगा लेकिन जो एक लेयर का काम होना चाहिए था, वहां सामान नहीं डलने की वजह से आज वह खाली मिट्टी ही मिट्टी का कार्य रह गया है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम मैटीरियल पड़ा हुआ है बारिश आने तक वह कार्य चालू किया जाए और जयपुर जिले को भी अकाल राहत में लिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल जी अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उदयपुर जिले की ओर ले जाना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कि अभी माननीय अकाल मंत्री महोदय ने कहा कि वहां अकाल राहत कार्य खोले हैं लेकिन अकाल राहत कार्य खोले हैं उससे हमको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिली आपने सीलिंग हमको दी थी करीब 40 हजार की जबकि वहां ढाई लाख के लगभग मजदूर हैं। काफी लोग गुजरात में गये या जैसे-वैसे करके अपना भरण-पोषण कर रहे हैं। अब आपने निर्णय लिया कि अकाल राहत कार्यों

(श्री शंकरलाल अहारी)

को 31 तारीख तक बढ़ाया जाए परन्तु मेरा अनुरोध है कि जब तक नया धान उगकर खलिहान में नहीं आता है तब तक आप हमारे वहां तो कार्य प्रारम्भ रखने की व्यवस्था करें।

दूसरा, वहां मवेशी मर रहे हैं, घास की कमी है। घास गुजरात में भी नहीं मिल रही है, एम. पी. में भी नहीं मिल रही है और आस-पास कहीं भी नहीं हैं। हम हमारे लिए बड़ी ऐसी परिस्थितियां आयी हैं। गुजरात में श्री उन्होंने पशु कैम्प लगाये हैं और पशु कैम्प लगा करके सामूहिक घास देते हैं। खाली किसान अपने मवेशियों को लेकर वहां चला जाता है और घास सामूहिक मिल जाती है। या तो आप इस प्रकार कैम्पस की कोई व्यवस्था करें या फिर पर्याप्त घास की व्यवस्था करें। हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम सारी घास खरीद सकें, घास के लिए आप हण्ड्रेड परसेंट की अनुदान राशि दीजिये। वहां ट्राइबल एरिया है और ट्राइब्ल के हिसाब से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने 31 तारीख तक तो काम चालू रखवाया है इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता ही हूं परन्तु इसके साथ-साथ जो भी अभी तक मजदूरों को तीन महीने तक का भुगतान भी नहीं हुआ है आप तुरन्त प्रभाव से भुगतान की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के सम्बन्ध में पिछले कई दिनों से कई प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं। राजस्थान में लगभग चार करोड़ जनता अकाल से प्रभावित रही, भीलवाड़ा जिले में 12.71 लाख जनता प्रभावित रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों का यह रिकार्ड है कि ढाई से दो लाख मजदूर भीलवाड़ा जिले में लगा करते थे, इस साल कुल मिलाकर पांच हजार से शुरू किये और 60 हजार मजदूर आखिरी महीने में लग गये। भीलवाड़ा जिले में लगभग दो-ढाई सौ गांव तो ऐसे रहे जिनमें एक भी काम पूरा कभी चला ही नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह कहा गया है कि राजस्थान के प्रत्येक गांव में एक काम खोला जाएगा। इस आधार पर हमने लगातार प्रयत्न किये तो 15 जून के आस-पास कुछ काम स्वीकृत किये गये। कुछ को 18 जून को स्वीकृत करके 21-22 जून को आरम्भ किया गया और 25 जून और 30 जून के बीच में वापस बंद कर दिया गया। आश्चर्य इस बात का है कि भीलवाड़ा जिले की इतनी जनसंख्या होते हुए भी लेबर कम लगा है। कई गांवों में लेबर कम लगने से लोगों ने पलायन किया और उस सबके बावजूद भी यह स्थिति रही कि कोई पंचायत ऐसी है जिसमें 50-60 मजदूर पूरी पंचायत में लगे हैं और कोई पंचायत ऐसी है जिसमें ढाई सौ-दो सौ मजदूर लगे हैं। अकाल जैसे मानवीय कार्य में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जितना भेदभाव हुआ है मैं समझता हूं यह पहला अवसर है। इतनी बड़ी विषमता मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। इस प्रकार की व्यवस्था इन कामों में है। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, 5 और 10 मजदूर एक-एक काम पर स्वीकृत किये गये। मजदूर बढ़ाने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे, मांग करते रहे पर मजदूर नहीं बढ़े। परिणाम यह रहा कि राशि तो पांच लाख रुपये स्वीकृत हुई, पांच लाख में लेबर कम्पोनेंट और मैटीरियल कम्पोनेंट का हिसाब लगाएं तो कागजों में तो भले ही आप करोड़ों की स्वीकृति बता दें पर मेरा ऐसा अनुमान है कि कुल मिलकार 25 और 30 परसेंट स्वीकृती उपयोग होगी और अधिकांश काम अधूरे रह जाएंगे।

बार-बार यह कहा जाता है कि दूसरी योजनाओं के काम के आधार पर कम लगाये गये। उदारहण के तौर पर अजमेर जिले को लेना चाहता हूं। 11.98 वहां की जनसंख्या है और भीलवाड़ा जिले की 12.71 जनसंख्या है। अजमेर जिले में जो लेबर लगी है उसको और भीलवाड़ा जिले की लेबर को देखा जाए तो अजमेर जिले में 96957 और भीलवाड़ा जिले में 63766। इस तरह ये दो जिले जो पास-पास थे उनकी तुलनात्मक स्थिति में आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : अकाल का क्या हो रहा है वहां पर ?

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, अकाल में मैं बताना चाहूंगा। अकाल में 70 हजार की सीलिंग के अगेंस्ट अजमेर में 81, 140 और भीलवाड़ा जिले में सीलिंग 60 हजार थी उसके अगेंस्ट 59850। इतनी विषमता की एक स्थिति मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

पेमेन्ट का जहां सवाल है आज जुलाई का महीना हो गया है, हमारे यहां मार्च, अप्रेल तक के पेमेन्ट अभी तक नहीं हुए, यह स्थिति चल रही है। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत में राजनीतिक दृष्टि से इस बार काफी भेदभाव बरता गया। मेरे इलाके में एक ऐसी पंचायत है जिसमें 5 काम चल रहे थे,5 कामों में कहीं भी शिकायत नहीं। एक काम में जहां पर मंत्रीजी विशेष लगाव रखते थे किसी व्यक्ति से, वह पंचायत चुनाव में हार गया, चौथे नम्बर पर चला गया। उस हारे हुए व्यक्ति की शिकायत पर उस पंचायत के खिलाफ एक समिति बनवायी-

श्री अध्यक्ष : यह तो आप पहले भी कह चुके हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह नहीं कह सका था।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुने हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : जिला कलक्टर ने जांच करवाई। मेरे पास रिकार्ड नहीं था उस दिन, आज मेरे पास रिकार्ड है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं-(व्यवधान)-

श्री चुन्नीलाल मरासिया : यह क्या मतलब हुआ ? _(व्यवधान)_ कितने घंटे खराब कर दिये ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें। श्री महावीर जी भगोरा। बिराजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सब राजनीतिक आधार पर हो रहा है। जिला कलक्टर साहब ने आपके आदेशें की जांच करवाई और यह परसों मुझे प्रश्न के जवाब में मिली है। यह जवाब मुझे परसों मिला।

श्री अध्यक्ष : महावीर जी भगोरा। आप बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह मंत्रीजी ने जवाब परसों भेजा है। इसमें उस पंचायत में कोई अनियमितता, भ्रष्टाचार, घोटला साबित नहीं किया गया है। इनकी जांच की यह रिपोर्ट परसों आने से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार भीलवाड़ा जिले में कुछ क्षेत्रों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया। अन्य समितियां गलत ढंग से बनायी गयीं और राजनीतिक आधार पर उन लोगों की मजदूरी स्वीकृत नहीं हुई। मैटीरियल कम्पार्नेट का पैसा पंचायतों को नहीं दिया जा रहा है इससे सारे के सारे काम अधूरे रहें और मैटीरियल खराब हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैटीरियल कम्पोर्नेट का पैसा पंचायतों को यथासमय देकर ये काम पूरे कराये जाएं और भविष्य में इस प्रकार का भेदभाव करके अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। अभी भी लोगों के पलायन करने की स्थिति बनी हुई है, बरसात नहीं हुई इसलिए काम जो एक जुलाई को बंद किये वे वापस चालू किये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। भगोरा जी।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं सरकार और अकाल राहत मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे उदयपुर में अकाल राहत कार्य 31 जुलाई तक बढ़ा दिये हैं। साथ ही मैं समझता हूं कि उदयपुर जिला संभाग का सबसे बड़ा जिला है, उस जिले में मात्र 65 हजार की लेबर सीलिंग रखी थी। बड़ा जिला होने के नाते जितने मजदूर वहां लगने चाहिये थे वे नहीं लग पाये। अभी एक जुलाई से वह लेबर सीलिंग भी घटाकर 30 कर दी अतः जैसा कि ताम्बी साहब ने कहा , राशि तो पूरी स्वीकृत की गयी परन्तु मजदूरों की संख्या नहीं बढ़ाने से वह अनुपयोगी रही और राशि अनुपयोगी रहने से काम अधूरे रहे। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि राशि का आपके ऊपर कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप मजदूरों की जो संख्या पहले थी उसे यथावत रखें। 15 जून को जो काम स्वीकृत हुए हैं उन कार्यों को तो निश्चित रूप से चालू रखा जाए और कुओं का जो काम हमने हाथ में लिया था_

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम जी परमार।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जो कुओं का काम हमने हाथ में लिया था उन कुओं के कामों को पूर्ण होने तक

(श्री महावीर भगोरा)

या बारिश नहीं आती है तब तक चालू रखा जाए, यह मेरी विनती है। अध्यक्ष महोदय, सब जिलों में भेदभाव की बात करते हैं पर यह निश्चित है कि हमारे उदयपुर जिले में तो कम से कम किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। धन्यवाद।

(18.00)

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : राजस्थान में हर दूसरे साल में अकाल पड़ता है और जब कभी भी अकाल पड़ता है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, सबसे ज्यादा असर ट्राइब्ल एरिया में रहने वाले आदिवासियों पर पड़ता है। हम सरकार से बराबर यह कहते रहते हैं कि जब अकाल पड़ता है तो हमारे वहां पर पर्याप्त कार्य खोले जाएं, लोगों को राहत दी जाएं, पशुओं के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था की जाएं। लेकिन इस साल जो अकाल राहत कार्य खोले गये। माननीय भगोरा जी अभी कह रहे थे कि पूरे जिले में 60 हजार लेबर लगायी। 60 हजार लेबर से हमारे क्या हो सकता था? और वह भी 30 जून को सारे काम बन्द कर दिये। यह तो ऊपर से दिखाने की बात ही है के झूठ-मूठ हजार दो हजार लेबर काम कर रही है और कह रहे हैं कि हमारे काम चालू हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जब कभी हम आदिवासियों की बात इस सदन में कहते हैं तो उसकी उपेक्षा की जाती है कि आदिवासी तो कहते रहेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत मंत्री जी हमारे ट्राइब्ल एरिया की कोई जानकारी ही नहीं रखते हैं और जो आर्थिक स्थिति हमारी है उसकी भी उनको कोई जानकारी नहीं है। हमारी कोई जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए हमारे लिए जो अकाल राहत कार्य चलने चाहिए वे नहीं चल पाये हैं। आज तक जितने भी अकाल राहत कार्य चले हैं 15 अगस्त से पहले कभी बन्द नहीं हुए हैं। लोगों को राहत मिलनी चाहिए इसके लिये हर साल कार्य चलते रहें लेकिन अब की बार मंत्री महोदय आप बड़े जोर से सदन में बोलकर भले ही यह कह दें कि हमने यह कर दिया वह कर दिया लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि हमारे आदमी आज की तारीख में भूखे मर रहे हैं। जानवरों को खिलाने के लिए गेहूं का भूसा 4 रुपये किलो मिल रहा है। आपने कलक्टर को कोई पैसा नहीं दिया कि जिन संस्थाओं को लाने के लाइसेंस दिये थे वे लाकर हमको खिलाते। आज 4 रुपये किलो भूसा लाकर हमारे जानवरों को हम जिन्दा रखें। हमारे पास खुद के खाने के लिए अनाज नहीं, आदमी को काम नहीं तो आखिर हम किस तरह से जिन्दा रहना चाहते हैं। जब चुनाव आता है तब सारी राजनीति पार्टियां ट्राइब्ल एरिया में दौड़ती हैं कि हमको वोट दो, हम यह करेंगे जब आदिवासी मुसीबत में आता है तो उसको कोई नहीं देखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्षजी, अकाल राहत मंत्री तो आप जैसे आदमी को जो ट्राइब्ल एरिया को जानता है और ट्राइब्ल

(श्री दयाराम परमार)

को जानता है उसको बनाना चाहिए। ये तो कुछ जानते ही नहीं ट्राइब्ल के बारे में। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो काम आपने 30 जून के बाद एक जुलाई से बन्द कर दिये हैं उन कामों को पुनः चालू करें और तब तक चालू रखें तब तक कि नया अनाज पक कर नहीं आता है। हम भूख से मरने वाले भी नहीं हैं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि हम भूख से नहीं मरेंगे, हम दूसरे लोगों के लिए परेशानी कर देंगे फिर। हम चाहते हैं कि दूसरों को कोई परेशानी नहीं हो। सरकार भी शांतिपूर्वक चले और ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था भी चलती रहे इसलिए आप हमारे काम शुरू करें। हम मेहनत करके जिन्दा रहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : लेक्चरार साहब। बिराजिये। श्री कालूलाल जी गूजर।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो राहत कार्य चल रहे हैं वे 31 जुलाई तक बढ़ा दिये। लेकिन एक सुझाव मेरा यह है इस पर माननीय मंत्री महोदय से कि जो काम चल रहे हैं लेकिन वहां मजदूर कम हैं तो आप पुराने काम तो वापस शुरू नहीं करें, नये भी नहीं खोलें लेकिन जो काम कर रहे हैं उन पर मजदूर कम लग रहे हैं तो उन पर जरूर मजदूर बढ़ा दें, क्योंकि अभी अकाल है और कहीं बारिश नहीं हुई। दूसरा मेरा और एक निवेदन यह है कि जो काम स्वीकृत किये गये उनके एस्टीमेट रिवाइज नहीं हुए हैं। पंचायतों के सरपंच देखते हैं कि एस्टीमेट्स के मुकाबले में पैसा खर्च हो गया, ज्यादा काम कराएंगे तो एस्टीमेट रिवाइज होंगे कि नहीं होंगे, उनको डर रहता है, हालांकि एस्टीमेट बाद में रिवाइज होते हैं। परन्तु ऐसा निर्देश दे दें कि जो काम आगे बढ़ रहे हैं, 15 जुलाई तक, या पहले 30 जून तक ही थे, तो एस्टीमेट के अनुसार आगे बढ़ोतरी कर दें। तीसरा मेरा सुझाव यह है कि पेमेंट की व्यवस्था जैसा अभी माननीय सभी सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है, पेमेंट जो अभी बकाया है वह भी जल्दी हो जाए और आगामी पेमेंट भी समय पर मिल जाए इसकी समुचित व्यवस्था कर दे तो अकाल के समय में लोगों का काम चलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल के बारे में अपने विचार रखूंगा। अकाल के बारे में-

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, अकसर मैं सदन में बाद में बोलता हूं और अन्त में बोलने में मेरा ड्रा बैक रहता है। वह ड्रा बैक इसलिए रहता है कि यह रिलीफ मिनिस्टर सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। ट्राइब्ल एरिया के लोग इनडाइजेंट हैं, गरीब हैं। मैं 10 साल तक रिलीफ मिनिस्टर रहा हूं,

(श्री परसराम मदेरणा)

उनके काम हमने हमेशा ही अगस्त के एण्ड तक चलाये हैं। कई दफा गया हूं इसलिए ट्राइब्ल एरिया की सिचुएशन मालूम है, छोटे छोटे खेत ऊपर जाकर पहाड़ों में बैठे हुए उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है और न मुझे कोई उससे शिकायत है कि आप अजमेर में चलाना चाहते हैं। बाड़मेर में आप नहीं चलाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। ट्राइब्ल के बराबर डैजर्ट एरिया भी बहुत गरीब एरिया है लेकिन मेरी खास मांग यह है कि अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट अभी आने वाली है, 24 तारीख को साइनेडाई यह हाउस एडजोर्न हो जाएगा। इन्होंने जो कुछ काम खोल रखे हैं वे बरसात के नाम पर। ट्राइब्ल एरिया में बुवाई अगर मान लो श्रावण फसल की है तो उसमें मक्की है और मक्की कम से कम पांच रैंस के बाद में पकती है इसलिए बुवाई और फसल के पकने में अंतराल है तीन महीने का। तीन महीने तक वह क्या खाएगा? इसलिए मेरी यहां पहले तो यह मांग है सरकार से कि ट्राइब्ल एरिया के अन्दर आप काम को चालू रखे। अब ये कितनी व्यवस्था कर सकेंगे, मुझे कुछ व्यावहारिक दिखता है नहीं कि ये मवेशियों को बचाएंगे, इंसानों को बचा लें तो ही बहुत है।

दूसरा मेरा यह है कि आप हमको यह बताने की कृपा करें, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठा था और आपका यहां पर वक्तव्य हो गया, मैंने सुना नहीं। बिन 8 जिलों के अन्दर आप अभी काम चालू रख रहे हैं क्योंकि पहले जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के वहां पर एक कमेटी थी ड्रिंकिंग वाटर में जिसमें मैं सदस्य था, आप भी उसके सदस्य थे, तालाब खोलने की बात आयी तो टिका दिये सब के सब 1500-1600 आधे में लोमड़ी की पूंछ और आधे में दूसरे, राजस्थान के अन्दर 600 तालाब और 1600 तालाब अजमेर में। मैं अजमेर की खिलाफत नहीं करता हूं। अंग्रेजों के वक्त में भी वहां तालाब बराबर, क्योंकि आपके यहां पानी परकोलेट नहीं होता इसलिए रिवर्स वगैरह रिवुलेट चलते हैं। यह भी जरूरी है आपका वाटर टेबल ऊपर उठाने के लिए। आप अजमेर में काम रखिये लेकिन वहां बरासत हो गयी है तो बाड़मेर में तो काम बन्द करें और अजमेर में रखें, मंत्रीजी, यह भारी पक्षपात है। कोगटा जी पीछे बैठे बैठे कल से जापानी खिलौने की तरह कूद रहे हैं। आपको उन्होंने बुलाया है, आपको भी बुलवाया है, उनको भी पास पास में बुला रहे हैं। मुझे मालूम है कि कौन कौन बोल रहा है और बोल कैसे रहा है इस सदन के अन्दर। मुझे उस पर एतराज भी नहीं है, आपके वहां काम रहने चाहिये। (व्यवधान) नहीं, नहीं, अभी भगोरा जी कह रहे थे धन्यवाद, धन्यवाद। काहे का धन्यवाद दे रहे हो ? मर रहे हैं लोग वहां पर। गई दफा जानकारी के अभाव में, अभी बस्ती से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह मैटीरियल खराब

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं है, काम को कम्पलीट करा दें। वे तो जिस दिन बन्द कर देते हैं उसके बाद में रिलीफ डिपार्टमेंट एक लेबर नहीं लगाएगा, एक लेबर चाहे और दूसरी योजनाओं में आप उसको कम्पलीट करो। ये तो अपना पिंड छुड़ा लेंगे कि मैंने तो बन्द कर दिया। चाहे मैटीरियल पड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, चाहे ग्रेवल पड़ी हुई है, चाहे पत्थर पड़े हुए हैं, वे आगे नहीं बढ़ेंगे। यह तो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर की जिम्मेदारी आएगी कभी जरूरत पड़ेगी तो उस मैटीरियल को काम में लेंगे। रिलीफ वाला तो उसी दिन बन्द हो जाता है। पूरे कराएंगे तो बहुत अच्छी बात है। यह काहे की ताली बजी ? पूरे करने की ? ...(interruptions)... Yes. I also congratulate the Leader of this house because after a very sad accident, he has come here without scratch. I congratulate. Providence had been very kind to you.

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इस सदन का मैं आभार प्रकट करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वह बात नहीं है। हमको रात में खेतसिंह जी ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था।

मुझे मालूम है कि कहां खोलने वाले हो, कहां नहीं खोलने वाले हो, क्या जवाब देने वाले हो। मेरा निवेदन है कि आप ट्राइब्ल एरिया को खास तौर से ध्यान रखिए। अगर आप ट्राइब्ल एरिया के अंदर 24 जुलाई के बाद बंद कर देते हो, थोड़े से काम चालू रखे हैं माननीय सदस्य जो आ रहे हैं गोगुन्दा से, जहां से एक दफा कम्युनिस्ट थे, अच्छा, कम्युनिस्ट की जगह आये हैं आप, आप काहे का धन्यवाद दे रहे थे ? 65 हजार लेबर चल रहा था उसको रिड्यूस करके लेबर की सीलिंग 30 हजार कर दी, इसी बात का दे रहे थे आप? तो काहे के लिये + + + बात यह है कि उदयपुर का भी वही ट्राइब्ल है और अब उदयपुर की स्थिति और हो गयी है, यह सदन को जानकारी होनी चाहिए। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 75 या 76 परसेंट ट्राइब्ल है, ट्राइब्ल अलोन। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में 71 परसेंट ट्राइब्ल बैल्ट है, शिड्यूल्ड कास्ट की नहीं कह रहा हूं। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स मिलाकर बांसवाड़ा में 81 परसेंट है, मैं सिर्फ ट्राइब्ल की बात कह रहा हूं। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां 52 परसेंट ट्राइब्ल थी पहले, राजसमंद होने के बाद वह 63 परसेंट हो गयी है रिमेनिंग उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। उस क्षेत्र का खास तौर से सरकार को ध्यान रखना चाहिये। उनका जीवनयापन मुश्किल है, भूख के कगार पर है। अकाल पड़ गया है, फसल पकने में तीन महीने का समय लगेगा। अगर आप इस सदन में कोई आश्वासन देने की स्थिति में हो। इसलिए मैंने पहले यह समझा कि मैं आपको

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री परसराम मदेरणा)

2-3 प्रश्न पहले कर लूं ताकि सोच-समझ लें और अब मुख्य मंत्री जी आ गये। आपने ताली बजा ली। हम ताली जब बजाएंगे जब मुख्य मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे। मुख्य मंत्री जी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कल भगवान की मेहरबानी रही तो मैंने बधाई दे दी है उनको। आपको जवाब देते वक्त इस क्षेत्र की बात करनी चाहिये। कातरा चाट गया है पूरा का पूरा झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट और कम्पलीटली सीकर डिस्ट्रिक्ट। अभी उप मुख्य मंत्री जी बैठे हुए थे, वे कह रहे थे कि हमारे तो वहां आधा ही नुकसान हुआ है। रतनगढ़ के चारों तरफ उन्होंने कोई खाई-वाई दे दी हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन जहां तक मेरी इनफार्मेशन है कि वह आधा डिस्ट्रिक्ट साफ हो गया है। आज वे कहां गये हमारे चीफ-व्हिप ? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में तीन तहसीलों में जबरदस्त कातरा है, फसल बोयी, गयी फालतू। रेगिस्तानी इलाका। एक बात मैं कह दूं , सरकार बहुत खुश हो रही है। रात को बरसात हो गयी है क्योंकि कल अपने हल्ला हो रहा था, रात की बरसात से इनकी बांहे खुशी के मारे उछल रही हैं। मैं एक वार्निग देता हूं, मुख्य मंत्री जी मेरा यह सैड एक्सपीरिएंस रहा है, आप राजस्थान का इतिहास मंगा लीजिए, कि प्री-मनसून जब - जब आयी है, प्री-मानसून आने के बाद आखरी दो मानसून फेल होती है। इसलिए उसका डेंजर भी है। नहीं हो डेंजर, मौसम बदल जाएं तो मैं उसको पसंद करूंगा। लेकिन रहा यह है कि जब-जब मानसून जल्दी आयी है जून में, राजस्थान के अंदर 15-20 हजार गांवों में अकाल पड़ा है। इसमें मानसून नहीं थी। जितना साइक्लोन था साइक्लोन के फलस्वरूप आयी है, उसके बाद मानसून रिसीड हो गयी है। अब थोड़ी सी आयी है, साउथ राजस्थान में आयी है कुछ, कल चित्तौड़ में भी आयी है, अजमेर के अंदर भी बरसात 5-4 जगह अच्छी हुई है, कोटा डिवीजन में भी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि एक तो ट्राइब्ल एरिया और एक जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर यह इलाका जो एक फसली है और लोग ढाणियों में रहते हैं, इनके जीवन यापन का कोई दूसरा साधन नहीं है। ये काम आपने बंद कर दिये, इस पर पुनर्विचार करने का कोई सरकार का विचार है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराज जी अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में और खास करके ट्राइब्ल के बारे में हमारे विपक्ष के नेता ने जो तारीफ की, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। यह निवेदन करता हूं कि बी.जे.पी. की सरकार को अभी जैसे उदयपुर के कुछ साथी कह रहे थे बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन इनको मालूम नहीं है, पिछले इतिहास को यदि आप उठाकर देखें तो तीन चार अकाल बराबर पड़े थे, उन अकालों में डूंगरपुर में एक लाख से ऊपर मजदूर लगाये थे। एक लाख 25 हजार, रिकार्ड उठाकर आप देख लीजिये। 10 साल पहले एक लाख से ऊपर मजदूर लगे थे और आज आप 40 हजार लगा रहे हो। और वह

(श्री नाथूराम अहारी)

भी कैसे लगाये हैं- एक पंचायत में एक तालाब, तालाब पर 60 मजदूर, - 50 मजदूर मतलब। एक पंचायत में 50 मजदूर। किस काम के हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने दौरा किया, आप तो नहीं थे वहां, कुछ नही हैं, लोगों को बड़ी परेशानी है। इस अकाल में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है और काम के बारे में कहूं तो बिलकुल नहीं के बराबर है। अभी और भयंकरता आ गयी है। बरसात आधे एरिये में तो बिलकुल नहीं हुई, बिलकुल बीज नहीं बोया है और आधे एरिये में गत साल के जो परेशान लोग थे उन्होंने बीज बो दिया, वह पूरा खत्म हो गया।

घास के बारे में भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब कांग्रेस के शासन में अकाल पड़ा था आठ आने किलो गन्ना लाकर दिया था, आठ आने किलो और आप अभी अनुदान भी नहीं दे रहे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस घास के बारे में और अकाल राहत के कार्य के बारे में बहुत गंभीरता से सोचें।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर जी।

श्री नाथूराम अहारी : लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से अकाल से नहीं निपटा गया तो आपकी बेइज्जती होगी और लोग सरकार के (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : डिमांड्स पर बोलने के लिये नाम है मेरा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा। श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री जी को कल ही मैंने सर्वप्रथम सदन में खड़े होकर जनजाति क्षेत्र में जो अकाल कार्य 15 तारीख को बंद होने वाले थे वह उनको आगे बढ़ाने के लिये निवेदन किया था। मंत्री महोदय ने सदन की भावना को और सभी माननीय सदस्यों की भवाना को, देखते हुए घोषणा की थी कि अकाल राहत कार्य बढ़ाये जाएं। आज पुनः वक्तव्य देकर सरकार ने अकाल राहत कार्य के प्रति जो गंभीरता दिखायी उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। जनजाति की भौगोलिक दृष्टि एवं आदिवासियों की कैसी माली हालत है, उसके बारे में प्रतिपक्ष के नेता ने अभी यहां सदन में बताया। उन्होंने देखा है, हम तो स्वयं वहां से जन्म लेकर आये हैं उन परिवारों में से। पूर्व मानसून के कारण उसने अपने घर में जो बीज था सारे खेतों में बो दिया है। उसे यह अनुमान नहीं था कि बरसात में इतना इंटरवैल या अंतराल हो जायेगा और जो बोया हुआ बीज है वह भी मुक्त हो जायेगा। जो मक्का बोया था वह सूख गया जो साल बीज के रूप में बोयी थी वह सूख गयी। राहत कार्य आंशिक रूप से चल रहे हैं। रोजगार न होने

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

के कारण स्वयं भुखमरी की हालत में है। जानवर न होने के कारण, पैसा नहीं होने के कारण उनको भी बचा पाना मुश्किल है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है चारे की मुफ्त व्यवस्था जनजाति क्षेत्र में तो कम से कम करें और अकाल राहत कार्य जो चल रहे थे, उनको भी वापस प्रारम्भ करें। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक-एक गांव का क्षेत्रफल 10-15 किलोमीटर के रेडियस में होता है। मजदूर चलकर जाएगा तो दो घण्टे उसको जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक गांव में जहां-जहां कार्य चल रहे थे, या पंचायतों में चल रहे थे, उन कार्यों को पुनः प्रारम्भ करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। अधूरे कार्यों को पूरा करना सैकण्डरी काम है। अभी वहां भुखमरी है, उनको रोजगार कैसे दिया जाए ? सरकार और माननीय मंत्री महोदय, उनको रोजगार दें और काम प्रारंभ करें।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भुगतान का जो समय होता है, वह ज्यादा लगता है। 15 दिन का मस्टररोल होता है और 20-25 दिन या महीना भर बाद पेमेंट होता है। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वह पैसा ला सके। उसके पास पैसा हो तो अनाज खरीद कर डाले। महाजन से उधार लाता है, उधार लाने के चक्कर में आठ-आने की चीज एक रुपये में आती है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके, उसके भुगतान की व्यवस्था करें। चारे की शीघ्र व्यवस्था करें। यही मैं जनजाति क्षेत्र विशेष रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लिए निवेदन करके पुनः सरकार को काम प्रारम्भ करने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय भारत।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान जालौर जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 60 प्रतिशत एस. सी., एस. टी. के लोग वहां रहते हैं। सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि डूंगरपुर में 40 हजार लगे। जालौर जिले के अन्दर जब-जब भी अकाल पड़ा तो लाखों की तादाद में वहां मजदूर लगे और पशुओं को पशु आहार दिया गया था। मगर अब पिछले 2-3 सालों में अकाल की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो काम स्वीकृत करते हैं वे काम ही पूरे नहीं होते और अकाल राहत कार्य बंद कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि अकाल राहत कार्यों के तहत जो भी काम मंजूर हुए हैं, वे काम पूरे कराये जाएं। अकाल राहत के जो पैसे अभी तक नहीं दिये गये हैं, वह पैसा भी उन मजदूरों को दिलाया

(श्री हीरालाल विश्नोई)

जाए ताकि उनके पालन-पोषण का कार्य हो सके।

अध्यक्ष महोदय, जब भी राजस्थान में अकाल पड़ता था तो मंत्री महोदय जिलेवाइज दौरा करते थे, अकाल राहत के काम देखते थे कि वहां वाकई भ्रष्टाचार हो रहा है या क्या काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से मंत्री महोदय ने तो अब तक जालौर जिला ही नहीं देखा होगा कि वहां क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ। अगर माननीय मंत्री महोदय इस तरीके से काम का विस्तार नहीं देखेंगे तो काम क्या होगा, वह आप स्वयं जानते हैं। अब काम स्वीकृत तो क्या करेंगे, मगर जो काम स्वीकृत हुए हैं कम से कम उन स्वीकृत कामों को तत्काल पूरा कराया जाए। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, अब की बार राज्य सरकार ने काफी समय पहले यह तय कर लिया था कि गिरदावरी कराकर अकाल राहत कार्य कराये जाएं। इस प्रकार से कुछ काम शुरू हुए, बीच में चुनावों का व्यवधान आ गया लेकिन पिछले महीने की बात है, एक डेढ़ महीने पहले फिर यह बात आयी कि अकाल के कार्य शुरू करने हैं, लिस्ट बनायी जाए, एस्टीमेट बनाये जाएं।

मेरे इलाके में 13 पंचायतों में से 2 पंचायतें तो ठीक हैं, बाकी 11 में 11 काम स्वीकृत हुए। स्वीकृति के बारे में जब यह बात आयी कि इन कार्यों को पूरा करना चाहिए, दुर्भाग्य की बात यह रही कि कोई एक नया बीडीओ आ गया। उस बीडीओ ने कहा कि जब तक मेरा कमीशन तय नहीं होगा, तब तक मैं एक भी काम की मंजूरी नहीं दूंगा। सरपंच लोग परेशान हो गये। अन्त में 26 जून को एक-आध काम उसने मजबूरी में मंजूर किये। वह काम भी पूरा नहीं हुआ, बाकी काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। मेरे लिए दिक्कत की बात यह है कि वह बीडीओ अभी भी वहां खड़ा है। जब तक शायद उसका पूरा निस्तारण नहीं हो जाएगा, चाहे कोई काम हो, कोई भी काम पूरा नहीं होगा। मैं धन्यवाद देकर कहना चाह रही थी कि जैसे 8 जिलों में आपने काम रखे हैं, ऐसे बाकी जिलों में भी आप चालू रखें। इस स्थिति से जूझने के लिए यहां काम नहीं है और लोग बेकार फिर रहे हैं, उनको कुछ तो रोजगार मिलेगा। हमारे जिले में भी और अन्य जिलों में भी आप चालू रखें, यह कहना है। एक दुर्भाग्य जो मेरी पंचायत समिति जमवारामगढ़ में है, इसको हटाएं जिससे काम चलते रहें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंहजी।

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का अधिकांश भाग अकाल से ग्रस्त है लेकिन मैं उदयपुर जिले तक सीमित रखता हुआ सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले समय में जो अकाल राहत कार्य स्वीकृत हुए, वे अपर्याप्त थे, जो मजदूर लगे वे

(श्री रघुवीरसिंह)

भी अपर्याप्त थे। इसके बावजूद भी कई सारे, बाउण्ड्री वगैरह के जो कार्य चलाए जा रहे थे वे सभी, 15 जून के आसपास ही एक तरह से बंद हो गये थे। बंद इसलिए हो गये थे कि 30 हजार की सिक्योरिटी थी किसी बाउण्ड्री पर , 30 हजार खतम हुए, कलक्टर साहब ने वरवली यह कह दिया कि यह रिवाइज सैंक्शन ही मान लेना, परन्तु वहां के विकास अधिकारी, या सरपंच जो भी थे, उन्होंने इस बात पर इसलिए यकीन नहीं किया कि कल पैसा नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस तरह से बंद कर दिये। उदयपुर जिला इतना लम्बा-चौड़ा जिला होते हुए, इतना ट्राइब्ल एरिया है जहां के लोगों को विरासत में ही श्रम मिला हुआ है, उनको बराबर श्रम नहीं मिले तो यह हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है।

इसके साथ ही, जो कार्य स्वीकृत किये गये थे, वे बिलकुल ही जन-प्रतिनिधियों को एक तरफ रखकर किये गये थे। अधिकारियों ने ही बैठकर यह तय कर दिया कि विभाग अपनी लिस्ट भेज दें। पी.डब्ल्यू. डी. अपनी लिस्ट भेज दे कि कौन-कौन से अधूरे कार्य हैं। पता नहीं कौनसे जमाने की सड़कें थी, 15 सड़कें सलैक्ट करके डी. आर. डी. ए. की बुकलैट में भेज दीं कि ये-ये सड़कें हैं। अब वह डी. आर. डी. ए. कलक्टर कहता है कि जो हमारी किताब के नार्म्स में हैं, हम तो वही स्वीकृत कर सकते हैं। इस तरह से कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुए और जो कार्य बंद कर दिये हैं, लेबर सीलिंग कम कर दी है, उसकी वजह से कहीं भी काम अभी चालू नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री रघुवीरसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। विशेषकर घास के बारे में मेरा निवेदन यह है कि गुजरात में घास नहीं मिल रही है, मध्य प्रदेश में घास नहीं मिल रही है, घास के लिए बहुत भारी प्राब्लम हो रही है। शायद जैसलमेर या बाड़मेर, कहीं पर वन विभाग ने यह कहा है, उधर के वन अधिकारियों ने यह कहा कि हमारे पास इकट्ठी की हुई घास है, कलेक्टर चाहें तो अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन करके ले जा सकते हैं। तो, मंत्री महोदय, वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करके, कहीं उपलब्ध हो, अगर ऐसी व्यवस्था होती हो तो उदयपुर जिले के लिए तुरन्त ऐसी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति पर चर्चा हो रही है, कल भी सबसे पहले इसी बात पर चर्चा हुई। मेरे विचार से अजमेर जिले में, अकाल राहत कार्य जो आपने बंद किये या कम किये और सरकार ने कच्चे काम बंद किये, उनको प्रारम्भ करने की स्थिति है। अजमेर जिले की स्थिति यह है कि बारिश हुई नहीं। उत्तरी भाग, जो किशनगढ़, अजमेर, पुष्कर है, उसमें थोड़ी-सी बारिश हुई और जवाजा और मसूदा जो भीलवाड़ा और

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

उदयपुर से जुड़ता हुआ एरिया है, वहां एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। न तो बारिश हुई, न उगाई हुई और कच्चे काम वगैरह भी बंद हो गये। हमारे अजमेर जिले की स्थिति तो विचित्र है। इस बार राहत मंत्री अजमेर जिले के होने के कारण सब लोग, सब जन-प्रतिनिधि कहते हैं कि अजमेर जिले में ज्यादा काम चल रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इस बार अन्य वर्षों से कम काम चले और वहां के काश्तकारों को बाहर जाकर काम करना पड़ा, यह स्थिति है। मेरा यह आग्रह है कि जो कच्चे काम हैं, उनको प्रारम्भ किया जाए। दूसरा, पशु आहार पर सब्सिडी है, उसके बारे में भी विषम स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : यह पहले आप दो बार बोल चुके हैं, विराजिए आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक और विषय है। मेरे क्षेत्र की मसूदा पंचायत समिति में रामगढ़ में एक विधवा महिला राहत कार्य करते हुए मिट्टी के अन्दर दब गयी। पहले ही विधवा, उसके बाद उसके छोटे-छोटे बच्चे, उसके घर में अब एक भी काम वाला नहीं रहा, 12 साल की एक बच्ची है और एक 8 साल का है। आपके माध्यम से मैं अकाल राहत मंत्री से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि अकाल राहत कार्य करते हुए मिट्टी में दबने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है इसलिए उसके परिवार वालों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शक्तावत साहब।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, राहत मंत्रीजी का स्टेटमेंट मैंने बड़े ध्यान से सुना। वर्षा नहीं होने के कारण जो गांव अभावग्रस्त घोषित किये, उसकी गणना आपने बता दी। लेकिन एक जुलाई से लेकर अब तक वर्षा का और मौसम का क्या रुख रहा, इसके बारे में आपने कुछ भी जानकारी सदन को नहीं दी।

आप बता देंगे, अलग बात है लेकिन स्टेटमेंट नहीं दिया कि किस-किस जिले में कितनी बारिश हुई। प्री-मानसून शावर कब-कब आया, कितनी बुआई हो गयी और प्री-मानसून शावर के बाद में बरसात कितने दिनों के गैप से नहीं हुई, उससे फसलों का कितना नुकसान हुआ, आपने कुछ नहीं बताया, अपने स्टेटमेंट में। केवल पुरानी कहानी कह दी, उस पुरानी कहानी से तो कोई तात्पर्य है नहीं। एक जुलाई के बाद जो राजस्थान की स्थिति पैदा हो गयी, जो फसलों को नुकसान हो गया, जो बोई हुई फसलें बरबाद हो गयीं और नया पानी नहीं आने की वजह से जो परेशानियां पैदा हो गयीं, उसके सम्बन्ध में आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने एक सेंटेंस बोल दिया पशुधन के बारे में कि जिलाधीश को हमने निर्देश दे दिये। क्या निर्देश दे दिये आपने ? जिलाधीश ने कागजों पर चारा डिपो खोल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में जो चारा डिपो है, अब तक कितना चारा सप्लाई हुआ ? कितनी

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

ट्रांसपोर्ट सब्सिडी आपने दी ? आज की तारीख में वहां चारा क्या भाव मिल रहा है ? आप बताने की स्थिति में है क्या ? मुझे कहते हुए लज्जा आती है इतना अनाज हमारे गोदामों में, भण्डारों में पड़ा हुआ है लेकिन दो-दो महीनों से ट्राइब्ल एरिया में अनाज नहीं पहुंचा है। लोगों को मजबूर होकर बाहर के लोगों से, व्यापारियों से अनाज खरीदना पड़ रहा है। आप जानकारी कर लें, कलक्टर से, आपके पास हाट लाइन पड़ी हुई है, कि कितने दिनों से अनाज पहुंचा है। आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उदयपुर डिवीजन में कितने पशुओं के लिये पशु आहार स्वीकृत किया। उसकी धनराशि कब दी गयी ? आपने ट्रांसपोर्ट सब्सिडी कब उपलब्ध करायी ? पीने के पानी के लिये आपने क्या व्यवस्था की ? केवल हमने इतने हजार गांवों को घोषित कर दिया, इतने लोगों को राहत में लगा दिया, इतने लोगों को अन्य योजनाओं में काम पर लगा दिया, इससे सन्तुष्टि नहीं होती। भूखे पेट को अनाज चाहिये और हाथ को जब तक काम नहीं मिले तब तक वह पैसा नहीं लाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 जून के बाद एक जुलाई से लेकर 15 जुलाई में कौनसी ऐसी परिस्थितयां बन गयी थीं ? उदयपुर डिवीजन के चाहे डूंगरपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजसमंद हो या चित्तौड़गढ़ हो, जहां मजदूरों की संख्या अधिक है, 20 जून के बाद कौनसी ऐसी परिस्थितियां बन गयीं, कौनसी पानी-बरसात हो गयी, कौन से लोग खेती के काम में जुट गये, कौनसे पिंदाई और गुनाई के काम में लग गये, जिससे लोगों को काम धन्धा मिल गया कि आपने इन श्रमिकों की संख्या घटा दी ? पहले ही लोगों को एक परिवार में से रोटेशन से 15 दिन में एक आदमी को बड़ी मुश्किल से काम मिलता है। अब आपने 20 हजार कर दिया और जैसा कि अभी सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, वह भी विभाग पर छोड़ दिया। जहां लोगों को काम की जरूरत है, वहां काम नहीं है। विभाग ने अपने काम को पूरा करने की दृष्टि से जिस सड़क को, जिस तालाब को लेना था ले लिया और लोग मजबूर हो रहे हैं, भूखे मरने के लिये। क्या यही स्थिति है ? आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि एक जुलाई के बाद, प्री-मानसून शावर के बाद मानसून कब आया और मानसून की वर्षा कब-कब, किस -किस जिले में कितनी हुई, उसका स्टेटमेंट दीजिये। कितने लोगों को पशु आहार स्वीकार किया गया, उसकी पशु आहार की राशि कब दी गयी ? जिस स्वयं सेवी संस्थाओं को चारा परिवहन के लिये आपने स्वीकृतियां दीं उनका चारा परिवहन का अनुदान कब - कब दिया गया ? मेरी जानकारी के हिसाब से चारा परिवहन लोगों ने इसलिए बन्द कर दिया कि उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का रुपया नहीं मिला। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का रुपया नहीं मिलने की

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

वजह से उन्होंने चारा बन्द कर दिया और हालत यह पैदा हो गयी, मेरे पास सूचना है कि लोग फल के पत्ते, वृक्ष के पत्ते जो भी लाये, वे खत्म हो गये और मवेशी मरने पर उतारू बैठी हुई हैं। आप मुझे बता दीजिये कि आपकी क्या व्यवस्था है ? आप क्या करने जा रहे हैं राजस्थान के इस पशुधन का, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशुधन है ? मेवाड़ में जो गरीब आदमी रहता है, आदिवासी इलाके में जो गरीब आदमी रहता है, उसकी गाय और भैंस मर जाएगी तो मंत्री जी वह अपनी जिंदगी नहीं सुधार सकेगा। कैसे जिन्दा रह सकेगा, आपको अन्दाज नहीं है। आप बड़े शहर के रहने वाले हो सकते हैं लेकिन जो आदिवासी इलाके के रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने आदिवासियों के जनजीवन को देखा है, माननीय महावीरजी भगोरा तो आपको धन्यवाद दे रहे थे लेकिन पूछो, उनके इलाके में कोटड़ा में हालत क्या हो रही है, और कोटड़ा के लोगों को किस तरह से बरबादी में रहना पड़ रहा है। आज हालत बड़ी गम्भीर है। माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारे थे, चले गये, उनसे कहना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य पर जो 30 जून को मजदूरों की संख्या थी उतनी मजदूरों की संख्या बरकरार रखें, केवल 31 जुलाई से काम नहीं चलेगा। मानसून अभी आया नहीं है, बाम्बे के पास मानसून फटका नहीं है, अभी गुजरात में मानसून आया नहीं है। उदयपुर डिवीजन में आते-आते...

श्री नाथू सिंह गुर्जर : करैक्ट कर दूं, बाम्बे में तीन दिन से बारिश हो रही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तो भी दस दिन लगेंगे, नाथू सिंहजी।

श्री अध्यक्ष : वहां तो बारिश आज आ गयी है, बिराजिये आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पानी आते ही खेत में अनाज पैदा नहीं हो जाता...

श्री अध्यक्ष : माननीय फूलचन्दजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं चाहूंगा कि 15 अगस्त तक काम चालू रखे जाएं, मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए, चारा अनुदान शीघ्रातिशीघ्र दिया जाए और चारे की व्यवस्था की जाए। पशुधन जो मर रहा है, उसको बचाया जाए। अगर ये काम नहीं किये गये तो हमें मजबूर होकर सरकार के खिलाफ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : फूलचन्द जी।

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले में अकाल राहत की जो लेबर कम की है, वह यथावत रखी जाए क्योंकि रिवाइज्ड एस्टीमेट नहीं बनने से मजदूर स्वतः ही कम हो गये हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट के चक्कर में नहीं रहकर जो 30 हजार की है, वह 65 हजार की जाए। मैं सरकार का धन्यवाद तो इस बात का करूंगा कि इस बार जो काम किये गये वे पक्के काम किये हैं। धूला नहीं डाला है, उसका उपयोग होगा। निश्चित रूप से सड़क का काम अच्छा हुआ,

(श्री फूलचन्द)

स्कूल बनाये, अच्छा हुआ, बाउण्ड्री बनायी, अच्छा किया पर रिवाइज्ड एस्टीमेट के चक्कर में 65 की जगह 30 कर दिया। वास्तव में लेबर की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि भूखमरी ज्यादा है। घास के चक्कर में मेरे क्षेत्र में कल ही एक आदमी पाइजन खाकर मर गया। उसने कहा कि मेरे 25-30 लेबर नहीं होने से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धीरे-धीरे।

श्री फूलचन्द : ऐसी स्थिति में वहां के प्रशासन को हिदायत दी जाए कि घास की पूरी व्यवस्था करे। जिन-जिन लोगों को नियुक्त किया गया था, चारा लाने के लिये, उन लोगों को अब तक पैसा नहीं मिलने से, वे लोग घबरा कर नहीं लाये, अन्यथा चारा पहले आ जाता। वे लोग स्टाक कर लेते और आज न उनको पत्ते लाने पड़ते, न घास की चिन्ता रहती।

एक निवेदन और है मेरा कि काम सरकार ने 31 जुलाई तक कर दिये हैं, लेकिन आज की तारीख में सूचना नहीं जाने से वहां के प्रशासन वाले इसको 20 तारीख से चालू करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि बीस-इक्कीस से पांच तक का पखवाड़ा करें और पन्द्रह दिन पूरा कराया जाए ताकि इन मजदूरों को पूरा रोजगार मिल सके। यूं नहीं कि दस दिन काम करके बन्द कर दिया जाए, जिससे उनको रोजगार भी नहीं मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, धन्यवाद। श्री हीरालाल (बामनवास)

श्री हीरालाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान सवाईमाधोपुर जिले के सम्बन्ध में दिलाना चाहूंगा। अकाल राहत कार्य हमारे जिले में नाम मात्र के खोले गये हैं क्योंकि फर्स्ट अप्रेल, 15 अप्रेल और 15 मई तक स्वीकृतियां जारी की गयीं। इस बीच दो लाख का निर्माण कार्य व 20 की या 50 की सीलिंग सीमा तय कर दी गयी। 20 की सीलिंग सीमा में डेढ़ बीघा के अन्दर क्या एक लाख 20 हजार रुपये की मजदूरी की भरपाई हो जाएगी ? बार बार जिला अकाल राहत कमेटी द्वारा प्रस्ताव भिजवाने पर, निवेदन करने पर भी हमारी सीलिंग की सीमा नहीं बढ़ायी गयी जो कि पूरे जिले में पहले दस हजार और बाद में 15 हजार थी। अब उस हिसाब से वे सभी अकाल राहत कार्य अपूर्ण रह गये और तीन तारीख को बन्द भी कर दिये गये। अभी तक हमारे जिले में आंशिक रूप से कोई मामूली बरसात हुई थी, फसल बोई थी, वह जल गयी। बाकी बूली, सवाईमाधोपुर, खण्डार इन तीनों तहसीलों की सौ एकड़ की बुआई नहीं हुई, आज की तारीख में और न बरसात हुई है। मैं तो बार बार यही निवेदन करता हूं, कि जो अकाल राहत के कार्य पहले स्वीकृत थे, उनको चालू किया जाए और 15 अगस्त तक चालू रखा जाए। इसके अन्दर हमको दस हजार मिले (व्यवधान) अपूर्ण कार्य पूरे हों...

श्री अध्यक्ष : श्री अमर चन्दजी मिड्ढा।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : माननीय

(श्री अमर चन्द मिश्रा)

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को लोग बड़ा डिस्ट्रिक्ट मानते हैं परन्तु मेरे क्षेत्र के अन्दर पन्द्रह-बीस गांव अकाल के अन्दर हैं। जो काम बीच में अधूरे रह गये हैं, अगर वे पूरे नहीं करवाये तो लाखों-करोड़ों रुपये का सरकार का नुकसान होगा। मेरी अकाल राहत मंत्रीजी से यही प्रार्थना है कि कृपया, उन कामों को पूरा करवाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी। एक मिनट।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के नाम पर दौसा जिले में सरकार ने जो नाटक किया (व्यवधान) नाटक, बिलकुल। मेरी समझ में नहीं आता, मंत्रीजी कि ये नाटक करने की जरूरत क्या थी। पहले तो आपका एक आदेश गया कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में जो काम किये गये उनको अकाल के ही काम मान लिया जाए। आप सही मानें, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां 30 मई को अकाल राहत का पहला काम स्वीकार हुआ और 17 जून को आखिर। कहीं पर काम चार दिन हुआ, लेवल लगा और किसी पर पांच दिन और किसी पर छह दिन। 22 तक वर्षा हो गयी और उसके बाद में यों की यों ही बंद हो गयी। स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, कि पिछली बार दौसा जिले में भयंकर बाढ़ आयी थी तो छोटे-छोटे गांव में तालाब और बंध टूट गये थे। उसके बाद ओलावृष्टि हुई, कहीं पाला पड़ गया और किसी भी तरह से दोनों फसलें किसान के हाथ में नहीं आयी। वहां का मजदूर पूरा का पूरा दिल्ली पलायन कर गया क्योंकि सरकार उसके लिये रोजीरोटी की व्यवस्था न कर सकी। सरकार को अगर चिंता थी तो सिर्फ, हमें कोई एतराज नहीं है, आप को अजमेर की विशेष चिंता थी। होनी चाहिए क्योंकि आप के जिले का मामला है और अगर काम नहीं करोगे विधान सभा क्षेत्र में तो आप चुनाव हार जाओगे। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों में मजदूर भूखा मरे, किसान भूखा मरे, मवेशी तरसती रहें और आप न चारे की व्यवस्था करें न और कोई रोजगार की व्यवस्था करें। सरकार इस मामले में नितान्त विफल रही है। दौसा जिले के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। इसका एकमात्र कारण, अध्यक्ष महोदय, यह दिखाई देता है कि वहां पांच में से चार विधायक कांग्रेस के हैं और एम.पी. भी कांग्रेस का है इसलिए सरकार जानबूझकर हमेशा हर कार्य में दौसा जिले की अवहेलना करती रही है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार की इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं, निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरजी भानूदा।...(व्यवधान)...

श्री परसादीलाल मीणा : पांच के पांच आएंगे, अगली बार, एक भी कम नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : साढ़े चार हैं साढ़े चार, एक फूल कांग्रेस है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें, बिराजें।

डा. शंकरलाल भानूदा (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कपासन विधान सभा क्षेत्र एवं उसके समकक्ष कुछ क्षेत्र हैं, उनके साथ जो प्लाण्ड इन्जस्टिस हो रहा है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में प्लाण्ड इन्जस्टिस मैंने क्यों कहा ? क्योंकि हमारे क्षेत्र में जे. आर. वाई. I के अलावा कोई भी सेंट्रली स्पोंसर्ड प्रोग्राम चालू नहीं है। जे. आर. वाई. II हमारे यहां लागू नहीं होता, आश्वासित रोजगार योजना हमारे यहां लागू नहीं होती, आई.सी.डी. एस. स्कीम हमारे यहां नहीं है क्योंकि सब बच्चे तंदुरूस्त हैं, बार्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम हो नहीं सकता। गंगानगर जैसे एरिये में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जहां सब-कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पानी और धन-धान्य उपलब्ध है। लेकिन हम वहां कैसे जाएं ? बार्डर तो हो नहीं सकता, डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहां चल नहीं सकता। पहाड़ियां हैं, सब-कुछ है लेकिन फिर भी। अब रेत तो कैसे पैदा करें ? ट्राइब्ल एरिया डवलपमेंट हमारे यहां हो नहीं सका जबकि 15 परसेंट पापुलेशन हमारे यहां भील जाति की है जो कि मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा भोली और सब से ज्यादा अच्छी और एक तरह से देशभक्त जाति कही जा सकती है। ऐसे हमारे एरिये में लोग बसते हैं। इसके अलावा हमारे यहां पर सांसी, कंजर, बावरिया, बागरिया, कालबेलिया, बंजारा मीणा कई इस तरह की जातियां हैं कि उनको मजबूरन क्राइम करना पड़ता है, मजबूरी से। They are taken to the crimes.

इसके अलावा इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां भेदभाव हुआ है, प्लांड इनजस्टिस मैं फिर स्ट्रेस करूंगा। इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने, आपके एरिये भी उसके अन्दर सम्मिलित हैं, अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर ने हमारे एरिये को सोंख लिया। पूरा मेवाड़ का पानी वहां जाता है, वह जयपुर आएगा, किशनगढ़ आएगा, अजमेर जायेगा, ब्यावर जायेगा लेकिन हमारे कपासन में नहीं आएगा, वहां नहीं रह सकता। हम बांध नहीं बना सकते, पानी वहां नहीं रोक सकते। जितनी पेयजल की समस्या कपासन या आपके क्षेत्र में है, और कही नहीं हो सकती है। माननीय भाभड़ा साहब की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी और जिन्होंने उस वक्त दौरा किया था, उन्होंने बाकायदा राइटिंग में इसका आब्जर्वेशन उस रिपोर्ट में किया था इससे ज्यादा समस्याग्रस्त पेयजल की दृष्टि से कोई एरिया नहीं हो सकता।

इस तरह का प्लांड इनजस्टिस हमारे यहां हो रहा है उसका परिणाम यह है कि हमारे जो पंचायत हैं उनके पास कोई काम नहीं है। They are starved of funds, कोई फंड उनके पास उपलब्ध नहीं है। सिर्फ जे. आर. वाई. I की किश्त आने की बाट जोतते हैं कि आये तो थोड़ी बहुत कहीं मिट्टी डलवाएं।

(डा. शंकरलाल धानूदा)

इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग हैं, स्कूल बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग, आपके एरिया में भी पता नहीं किस तरह की स्थिति होगी, लेकिन अधिकांश बिल्डिंग जर्जर अवस्था में हैं। मेंटीनेंस या नयी बिल्डिंग बनाने का कोई किसी तरह का फंड किसी भी माध्यम से नहीं आता। सिर्फ अकाल राहत का ही एक ऐसा समय आता है जब लोगों पर उलटी मार बढ़ती है लेकिन फिर भी सरकारी बिल्डिंग थोड़ी-बहुत उन दिनों में तंदुरूस्त हो जाती हैं। अकाल राहत कार्यों की जो स्थिति है, हमारे यहां पर चित्तौड़ जिले में पहले जितनी लेबर सैंक्शंड थी उसको रिड्यूस कर के बहुत कम कर दिया उसकी वजह से सारी बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालत में थीं और नयी बनीं वे भी अधूरी। इससे लोगों पर बहुत ही खराब रिफ्लैक्शन होता है, लोग समझते हैं कि सरकार की बिल्डिंग टूटती हुई है, आधी बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्रजी।

डा. शंकरलाल धानूदा : यह स्थिति लोगों के दिमाग में सरकारी बिल्डिंग्स की बन रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अकाल राहत मंत्रीजी से कि जब तक इस तरह के उपेक्षित एरियाज के लिये कोई स्पेशल स्टेट प्लान नहीं बनाए तब तक कम से कम हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, या जो काम चल रहे हैं उनके पूर्ण होने तक उनको जारी रखा जाए। जैसा कि ट्राइब्ल एरिया के लिये विशेष प्रावधान का माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कहा था, अगस्त तक कम से कम काम चालू रखें तभी हमारे एरिये के सभी काम पूर्ण हो सकेंगे।

इसके साथ ही, चारे की वजह से पशु बहुत ज्यादा पलायन कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था की जाए। पेयजल की जो समस्या है उसके बारे में भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत समिति बांदीकुई में 137 कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी लेकिन इसके बाद मात्र 33 कार्य स्वीकृत हुए और उन 33 कार्यों को भी 30 जून को बंद कर दिया गया। जहां तक दौसा जिले का प्रश्न है, वहां पांच में से चार कांग्रेस के विधायक हैं और सांसद भी कांग्रेस के जीते हैं इसलिये राजीनतिक दृष्टि भेद करते हुए हर बार इस तरह का पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है हमारा। विकास के कार्य हैं उनमें कटौती की जाती है। अकाल राहत के 137 कार्यों में से मात्र 33 कार्य जारी किये गये और वे भी 30 तारीख को बंद कर दिये गये। आज स्थिति यह है कि चाहे कुंओं को गहरा कराने के कार्य थे, नाली निर्माण के कार्य थे, तालाब की खुदाई के कार्य थे, वे सब अपूर्ण पड़े हैं। उनका जो मस्टररोल है उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ। मैंने माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिगत भी कहा तो यह हुआ कि दौसा जिला, जिसमें कि कम

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

बारिश हुई है, जिसमें कि अकाल राहत के कार्य जारी रखने चाहिये थे, उसको सूची में नहीं लिया गया। परिणाम यह रहा कि आज सारे तालाब अपूर्ण रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि प्रशासनिक स्वीकृति जितनी कार्यों की हुई थी वे सारे कार्य दौसा जिले में करवाये जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अभी भी वर्षा नहीं हुई है और कार्य अपूर्ण होने से जितना भी पैसा अभी तक लगा हुआ है वह सब का सब नष्ट होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमलाजी।

सूचना

राजस्थान के छात्रों की कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हत्या

श्री रामस्वरूप मीणा : पाइंट आफ इन्फार्मेशन, अध्यक्ष महोदय। गृह मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, यह मुकेश, कैलाश और राजेश की आतंकवादियों ने श्रीनगर में हत्या की है उसके बारे में आपने कहा कि एक घंटे के बाद मैं बता दूंगा। मेरा विनम्र निवेदन है, तीन हमारे मीणाओं के व्यक्ति थे, उनको मार दिया आतंकवादियों ने, दो वहां से भाग कर चले आये। माननीय गृह मंत्रीजी क्या कर रहे हैं इसमें ?

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : यह बहुत ही दुखद प्रसंग है। हमारे राजस्थान के पांच व्यक्ति एक ही परिवार के, और भी ज्यादा दुखद इसलिये हो जाता है कि यह हमारे सचिवालय में कार्यरत एक असिस्टेंट सैक्रेटरी का परिवार था, ये यात्रा पर गये थे। वहां से एक ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से एक हाउसिंग बोट किराया कर के नगीना लैक में ये गये थे। वहां पर इलाहाबाद के सात-आठ आदमियों की पार्टी और थी, कुल मिलाकर ये 13-14 आदमी उस बोट में थे। उस बोट का आतंकवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया श्रीनगर में। इस अपरहण के बाद कुछ महिलाएं जो इलाहाबाद पार्टी की थीं और कुछ दूसरों को छोड़ दिया और 6 व्यक्ति आतंकवादियों ने अपने अधिकार में रख लिये। उसके बाद उनकी लाशें मिलीं। उसमें दो व्यक्ति, हमारे असिस्टेंट सैक्रेटरी के पुत्र, और इनके दामाद हैं। उसका एक पुत्र और एक दूसरा रिश्तेदार दोनों बच गये।

श्री रामस्वरूप मीणा : असिस्टेंट सैक्रेटरी का नाम क्या है ?

श्री कैलाश मेघवाल : असिस्टेंट सैक्रेटरी के और सारे नाम भी आ जाएंगे। मैं डिटेल रिपोर्ट दूंगा। जो घटना घटी है, बड़ी दुखद है। मैंने एडिशनल चीफ सैक्रेटरी, राजस्थान को इस बारे में पूरा निर्देशित किया है, श्रीनगर से लाशें आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगी, दिल्ली से यहां पहुंच जाएं और दुखद हादसे में जो कुछ भी किया जा सकता है राज्य सरकार के स्तर पर, वे करेंगे। इसमें एडिशनल चीफ सैक्रेटरी, राजस्थान को निर्देशित कर दिया गया है। बड़ा दुखद प्रसंग है, यह स्थिति है जो मैंने

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपके सामने प्रिलिमिनरी रखी। विस्तार से अगर आप सारी सूचना चाहेंगे तो कल तक विस्तार से सारी घटना की जानकारी आपको दे सकूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : सदन में उनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिये, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर मामला है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने उसके लिये निर्देशित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती कमला जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाएं। साथ ही मैं एक निवेदन और करता हूं कि अभी डिमाण्ड पर भी चर्चा होनी है तो संक्षेप में काम की बात करें तो ज्यादा ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बस अब लास्ट है।

क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए ?

कार्यसूची पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री परसादी लाल मीणा : अनुमति नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : सबने हां कहा है। आपने सुना था हां, मैंने हां सुना है। चलो अब सही।

प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में अकाल

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर सरकारी क्षेत्रों में और सदन में एक भ्रान्ति रहती है कि पूर्वी राजस्थान में अकाल का नाम लेने का तात्पर्य वास्तविकता नहीं होती और शायद पूर्वी राजस्थान के लोग सिर्फ वापस कार्य कराने के लिये ही अकाल का नाम लेते हैं। लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों में जिस तरह की स्थिति जयपुर जिले और दौसा जिले के अंदर गुजर रही है वह आपको सदन के अंदर हुई अनेक बार चर्चाओं से ज्ञात होगी। पिछली बरसात के मौसम में अतिवृष्टि से जयपुर जिले के अनेक भागों में और मेरे क्षेत्र में भी अनेकों गांवों में सारी फसलें नष्ट हो गयीं। उसके बाद में आपको मालूम हैं ओलावृष्टि हुई थीं। बीसियों गांवों के अंदर खड़ी फसलें बिलकुल जमीन पर लेट गयीं और कुछ भी किसान को हाथ नहीं लगा। इस बार जब गिरदावरी हुई तो दो पंचायत समितियां, मेरे क्षेत्र की हैं, उन दोनों

(श्रीमती कमला)

पंचायत समितियों के तमाम गांव सिवाय पांच-छह गांवों के, सारे के सारे अकालग्रस्त घोषित थे। वास्तव में वहां पर स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि कन्टीन्युअस दो-तीन साल से इस तरह के हादसे होते चले आ रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले सिर्फ सात-आठ छोटे-छोटे पंचायत स्तर पर कोई काम स्वीकृत हुए बाकी कोई भी काम दोनों पंचायत समितियों में इन तमाम गांवों के अंदर स्वीकृत नहीं हुआ। पार्लियामेंट चुनाव खत्म होने के बाद 14-15 जून के आस-पास कुछ काम स्वीकृत हुए। जब 14 तारीख या 15 तारीख को अकाल राहत की मीटिंग थी तब मैंने पूछा कि कब स्वीकृत हुए, उसमें कितना काम शुरू हुआ, कितनी लेबर लग रही है तो पता लगा कि सम्बन्धित विभाग जिनको कि वह काम टेक-अप करना चाहिये था, वह अभी तक क्षेत्र में काम शुरू करने के लिये गये ही नहीं। बहुत तकाजा करने के बाद में थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने में ही अकाल राहत के कार्य बन्द कर दिये गये और बात यह आयी कि अब बुवाई हो गयी है इसलिये अब यहां पर काम चलाने की जरूरत नहीं है। बुवाई हुई थोड़ी-बहुत हमारे इलाके के अंदर लेकिन बारिश न तो इस तरह की हुई कि बाढ़ आयी हो, न इस तरह कि हुई कि घनघोर बारिश हो गयी हो और कई दिन तक उसका लाभ उठा लिया जाए। सिर्फ इतनी बारिश हुई कि बुवाई अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बुवाई हो चुकी उसके लम्बे समय बाद तक वह बारिश वापस नहीं आयी।

बिजली की जो हालत है सरकार की, वह तो सारे क्षेत्र के लोग जान रहे हैं, राजस्थान जान रहा है। न बिजली पूरी तरह मिल रही थी और न बारिश आयी। थोड़ी-थोड़ी जो फसलें खड़ी हुई थीं वे गर्मी के कारण नष्ट हो गयीं। तमाम खेतों में ऐसी हालत हो गयी जैसे कोई जिन्दा आदमी खड़ा-खड़ा देखते -देखते खत्म हो जाए। इसलिए कल-परसों जिस तरह से अकाल राहत कार्यों को चालू रखने के लिये तकाजा किया गया वह सिर्फ दिखावे के लिये नहीं किया गया, वह सिर्फ कोई हंगामा करने के लिये नहीं किया गया, वास्तव में ऐसी स्थितियां हो रही हैं। कल जब बहस के बाद बाहर निकले तो सत्ता पक्ष के कई लोगों ने मुझे कहा, कमला जी, आप लोग बिना मतलब इतनी जोर से हल्ला कर रहे थे। देखिये, बारिश हो गयी। अब बारिश होते ही फसल भी हो गयी, उसमें सिट्टे भी आ गये, उसमें बाजरी और मक्का भी हो गयी और हमने कूट-पीटकर रोटी बनाकर खा भी ली।

हालत यह है कि मैंने कल रात को टेलीफोन से पूछा था कि, मुश्किल से कुछेक गांवों के अंदर थोड़ी-थोड़ी बारिश हुई है, बाकी गांव अभी भी ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये थे और जहां पर अकाल के काम चालू थे उनको आप वापस

(श्रीमती कमला)

चालू करें जिससे कि लोगों को रोजागर मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम जी बुरडक। आपको भी बोलनें दें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बिन्दु मैं माननीय मंत्रीजी के खास तौर से ध्यान में लाना चाहती हूं, जिन्होंने बार-बार यह कहा कि जो काम अधूरे रह गये हैं, वे हम पूरे करा देंगे। हम तो चाहते हैं आप अकाल के कामों को जारी रखें लेकिन आप जो पूरा कराने की बात कह रहे हैं उसके बारे में मैं पूछना चाहती हूं उन्होंने क्या इंतजाम किया। मैंने मेरे जिला कलक्टर महोदय से [illegible] की कि आपने अकाल राहत के जो ए. डी. एम. हैं उनको और विकास के जो ए. डी. एम. हैं उनको क्या बैठाकर बात की है कि कौन-कौनसे काम स्वीकृत हुए थे, कौन से अधूरे पड़े हैं, कौनसे काम किस तरह से चलाये जाएंगे, उनके लिये राशि कहां से आयेगी। उन्होंने कहा, हमारे पास अतिरिक्त कोई राशि नहीं है और जो काम आज हमारे डी.आर.डी.ए. के हैं विभिन्न योजनाओं के, उनमें भी सीमित राशि है, उससे भी हम इन कामों को चला नहीं सकते। इसलिए न तो अकाल राहत कार्यों को आप चालू रख रहे हैं और न कार्यों को आप पूरा कराने के लिये कुछ इंतजाम कर रहे हैं। अगर अकाल राहत कार्यों को पूरा कराने का भी इंतजाम करेंगे तो उसमें मजदूर लगेंगे, हमारे को राहत मिलेगी। लेकिन आप दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हम इंतजाम कर रहे हैं। आप जबरदस्ती ऐसी बात पैदा कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : हंगामा तो छोड़ो अब, जो हो गया सो हो गया। बुरडक साहब।

श्रीमती कमला : मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन कर रही हूं कि मेहरबानी करके दया खाइये, सोच-समझकर करिये। या तो आप अकाल राहत कार्य जो एक तारीख से बंद कर दिये हैं, उनको वापस शुरू करिये या उन कामों को पूरा कराने के लिये पूरी लेबर जो आती है, उनको लगने दीजिये और उनको कराइये। ये मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बुरडक साहब।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नागौर जिले के अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। मंत्री महोदय ने अकाल राहत कार्य शुरू करने से पहले दिशा-निर्देश जारी किये थे और यह सारा काम मंत्रीजी ने कलक्टरों पर छोड़ दिया। कलक्टर ने किस तरह से दिशा-निर्देशों की पालना की है, यह मैं मंत्री महोदय की जानकारी में नहीं हो तो, ध्यान में लाना चाहता हूं। पहला तो आपने उसमें सब डिवीजन लेवल पर और जिला लेवल पर कमेटियों का गठन किया था। उन कमेटियों की कहां मीटिंग हुई ? हमारे जिले में तो कोई मीटिंग न जिला स्तर पर हुई न सब-डिवीजन स्तर पर हुई। इन्होंने जो सर्कुलर

(श्री हरजीराम बुरडक)

निकाला उसमें बना रखी है, जो दिशा-निर्देश जारी कर रखे है, उसमें बना रखी है।

दूसरी बात आपने दिशा-निर्देश में यह कही थी कि हर 15 दिन में मजदूरों को भुगतान हो जाएगा। नागौर जिले में आपने कहीं देखा कि अब तक कितना भुगतान हुआ? 15 दिन की बात तो दूर रही, जो निर्माण कार्य आपके शुरू हुए उसमें से अधिकतर कार्यों का आज तक भुगतान नहीं हुआ।

तीसरा मेरा आपसे निवेदन यह था कि 30 जून को कार्य बंद होने थे और अधिकतर स्वीकृतियां 22-23 जून को जारी की हैं। उन स्वीकृतियों की कॉपी आपके पास आयी है ? उसमें यह लिखा है कि 30 जून तक कार्यों को पूरा करना है। किस तरह से कार्य पूर्ण करेंगे। जैसे अभी महुआ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे वहां नाटक कर रहे हैं, लेकिन आपके वहां जो कर रहे हैं यह तो उससे ज्यादा नाटक है। यह 23 तारीख का निकला हुआ आदेश है। कब तो वहां काम कराना था, कब चालू हुआ और 30 तारीख को पूर्ण करना था उसमें पक्के निर्माण कार्य कैसे पूरे होंगे ? इसके बारे में मंत्री महोदय, आप बताएं।

(19.00)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनारामजी।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिला सी-क्लास जिला है और मेरे जिले में एक काश्त होती है इसलिये 30 तारीख को जो कार्य बन्द किये हैं उन्हें चालू करवाओ। यदि कोई कानूनी डिफिकल्टी हो तो हमारे आगे करवा दो ताकि जो काम अधूरे हैं वे पूरे हो जाएं। जहां भी लोगों के पेमेन्ट किसी कारण से बकाया रहे हैं वह दे दें। एक मेरी अकाल राहत मंत्री से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जितने भी काम चूरू जिले में अकाल राहत में हुए हैं इन सात पंचायतों में, वे जरूर चैक करवा लो कोई टैक्नीकल कमेटी बनाकर ताकि काम में मिसयूज कोई करे तो उसका भी तो पता पड़ सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि 11 जून को तो हमारे यहां अकाल राहत मंत्री की मीटिंग हुई और 21 तारीख को हमारे यहां बाढ़ आ गयी। बाढ़ से किसानों को नुकसान हुआ है, उनके कुएं पूरी तरह से नष्ट हो गये, उनके ट्यूबवैल्स हैं एक तरह से पैक हो गये हैं। माननीय मंत्री जी से चाहूंगा, उसकी थोड़ी जांच करके उन किसानों को राहत दिलाएं। डी.आर.डी.ए. में एक स्कीम है जीवन धारा की जो चालीस-चालीस हजार रुपये देती है अनुदान, उन किसानों को अनुदान दिलाएं और उनके जो कुएं हैं उनको ठीक कराएं।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकचन्दजी कान्त।

श्री टीकचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक वाक्य कहूंगा, बाड़मेर जिले का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रेगिस्तानी जिला है, बार्डर का जिला है। बरसाती खेती पर आधारित वहां का समाज, उसकी पेयजल की भी समस्या है। पिछले वर्ष तो नहीं इस वर्ष चारे की समस्या भी खड़ी हो सकती है। ऐसे समाज को रोजगार की आवश्यकता है और अधूरे कार्य पूरे होने चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बाड़मेर जिले का पूरा ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेनजी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में सरकार ने आदेश तो दिया था कि पशुधन की रक्षा का काम किया जाए अकाल राहत में लेकिन मैं, माननीय अध्यक्षजी, निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी पशु शिविर नहीं खोला, पशुओं के चारे के लिए अनुदान की कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी। अगर स्वीकृत की गयी हो तो माननीय मंत्रीजी वह बताएं। दूसरा, अकाल राहत समिति का न कोई गठन हुआ और न कोई मीटिंग बुलायी गयी। प्री-मानसून से कुछ वर्षा हुई, लोगों ने थोड़ी खेती की लेकिन कांकडे के कारण से हमारी फसलें बरबाद हो गयीं। अब बरसात नहीं है और आपने काम सारे बन्द कर दिये 30 जून को। जो काम आपने किये, महीने से उनका पेमेन्ट नहीं हो रहा है, उनका पेमेन्ट कराएं, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरलाल चौधरी।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार नागौर जिले में पूरी तरह से अकाल था। नागौर जिले की बात तो माननीय बुरडक साहब और माननीय हबीबुर्रहमान साहब ने बता दी लेकिन मेरी तहसील की एक अलग ही हालत है। 55 पंचायत हैं और 55 पंचायतों के अन्दर मेरे ख्याल से 38 या 40 लाख की सैंक्शन हुई फेमिन के काम की, जिसमें से 28 लाख के काम जेईएन के कहने से यह कहकर बन्द कर दिये गये कि ये काम ही शुरू नहीं हुए। तो मैं वहां पर कलक्टर साहब से मिला। मैंने कहा कि आपने यह कैसे किया जबकि काम शुरू हो गये। तो उन्होंने कोई चार-पांच काम तो शुरू कर दिये और बाकी काम खोले ही नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक पैसा नहीं लगा है। पंचायत समिति ने नाम भेजे थे अपने हिसाब से कि यह पंचायत हमारे खिलाफ है, यह हमारे पक्ष में है और उसी हिसाब से काम शुरू हुए हैं। जबकि माननीय अकाल राहत मंत्रीजी हमारे जिले के प्रभारी हैं, एक दिन भी इन्होंने दौरा नहीं किया, एक दिन भी पधारे नहीं वहां पर। हमने एकाध सड़क के लिए लिखा था कि सड़कें मंजूर कर दें, फेमिन के अन्दर अमूमन यही होता है। जनरल गरीब को काम देने के लिए हर आदमी के लिए काम शुरू हों, छोटी-मोटी सड़कें बनें। सड़कों के हिसाब से जो झगड़े होते हैं रास्ते के लिए वे झगड़े खत्म हो जाएं। एक भी तो सड़क सैंक्शन नहीं है। बड़े-बड़े पक्के काम जैसे

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

पंचायत घर हैं, पटवार घर हैं या कोई दीवार है या कोई बाउण्ड्री, इस हिसाब से काम शुरू करवाएं तो मैं समझता हूं कि किसी पंचायत में दस आदमी और किसी पंचायत में बीस आदमी, कोई ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। आदमियों का वहां फेमिन के हिसाब से काम हुआ नहीं, फेमिन-फेमिन नाम जरूर था। मैंने कलेक्टर साहब से बात की, कहा, फेमिन के काम शुरू करवाओ। उन्होंने कहा कि यही काम है। मैंने कहा, ये तो डी.आर.डी.ए. के काम हैं सारे। तो उन्होंने कहा बस यही है...

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : इसके अलावा और कोई काम ही नही है। पहले फेमिन के अन्दर गांवों के गंवाई सांडों को पैसा मिलता था, इस बार एक भी पैसा नहीं दिया गया है, गांव के जो सांड हैं उनका भी कोई धनी-धोरी नहीं है। सरकार देती है तो वह एक भी पैसा आज तक भी सांडों को नहीं मिला। बूढ़े आदमियों को फेमिन के अन्दर पैसा मिलता था वह पैसा आज तक किसी को भी नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : इस तरह से करते हैं। अब यह आज डिबेट करवाकर स्टेटमेंट दे दिया। (व्यवधान) पेट तो भरने का नहीं है मेरे ख्याल से, आइन्दा तो ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। पूरे 32 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है।

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल जैसे गम्भीर विषय पर प्रतिपक्ष के माननीय नेता तथा सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी वेदना, अपने सुझाव दिये हैं। अकाल हो, बाढ़ हो, आग लग जाए, किसानों को नुकसान होता है और आज से नहीं वर्षों से होता है। कोई भी सरकार उसको कम्पनसेंट करने की व्यवस्था आज तक नहीं कर पायी। आग लग जाए, किसान के खलिहानों में लाखों रुपयों का नुकसान हो जाए, किसी भी देश और प्रदेश के अन्दर यह व्यवस्था नहीं है कि उसको कम्पनसेट किया जाए। यह संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल के कारण राजस्थान सरकार ने जहां जहां आवश्यकता थी, राहत कार्य खोलने में कोई कमी नहीं रखी। जहां जिस समय आवश्यकता थी उस समय राहत कार्य खोले। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने चिन्ता प्रकट की ट्राइब्ल एरिया की। ट्राइबल एरिया में सबसे पहले अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये। नवम्बर महीने के अन्दर जब विधान सभा चल रही थी, मैंने यह घोषणा की थी कि इसी महीने के अन्दर राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएंगे, उसी महीने के अन्दर आदेश जारी कर दिये। राहत कार्य भी प्रारम्भ हो गये। अभी बात आयी कि साहब, जून के अन्त में शुरू किये गये। आप सब जानते हैं फेमिन का मतलब है लोगों को काम की आवश्यकता हो जब काम दिया जाए। जनवरी, फरवरी और मार्च में कई जगह काम की आवश्यकता नहीं होती। अगर आदमी फ्री हुए

(श्री सांवरलाल जाट)

जून के अन्दर तो जून में काम खोले जाएंगे। अब वे काम इनकम्पलीट रह जाएं तो इस डर से हम लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाएं इस पक्ष में मैं कतई नहीं हूं। हमने शुरू में यह व्यवस्था की थी, कोई भी काम लिये जाएं वे इस प्रकार के होने चाहिए कि हमारे ग्रामीण विकास अभिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत आ जाएं। ताकि अगर काम अधूरा रह जाए तो उस कार्य को हम उन योजनाओं के माध्यम से पूरा करवा सकें। अभी एक बात आयी थी कि सुनिश्चित रोजगार योजना 30 जून को बन्द हो गयी है। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि एक जुलाई से वह योजना चालू है, 31 जुलाई तक उस पर कार्य जारी रखने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और आज की तारीख में विभिन्न ग्रामीण विकास अभिकरणों के पास में 17203.55 लाख रुपये काम करवाने के लिए उपलब्ध हैं। अब एक ही बात रही, चर्चा हम करें कि अकालग्रस्त घोषित हो गया इसलिए अकाल के काम चलने चाहिए योजनाओं के काम नहीं चलने चाहिए तो आप फैसला कर लीजिये, लोगों को काम चाहिए चाहे योजनाओं के माध्यम से, चाहे अकाल राहत के माध्यम से। इसलिए जहां-जहां आवश्यकता है, इन ग्रामीण विकास अभिकरणों के पैसों के माध्यम से काम चालू कर दिये गये हैं और कहीं पर आवश्यकता होगी तो कर दिये जाएंगे।

एक चारे की मुख्य समस्या आयी है कई जगह पर उदयपुर डिवीजन में। मेरे पास भी शिकायतें आयी थीं। माननीय शक्तावत साहब ने भी कहा, माननीय नाथूलाल अहारी ने भी कहा था। मैंने तत्काल हमारे सैक्रेटरी को निर्देश दिये कि मैं यह शिकायत कभी नहीं सुनना चाहूंगा, तत्काल वहां पर किसी भी तरह व्यवस्था हो। चाहे कितने ही पैसे की आवश्यकता हो, परिवहन सब्सिडी के आधार पर चारा उपलब्ध करवा दिया जाना चाहिए। यह व्यवस्था की जा रही है और मैं यह कह सकता हूं, हो सकता है आपके पास सूचनाएं दो-पांच दिन पहले की हों, आज की तारीख में, जब भी चिन्ता प्रकट की, कई माननीय सदस्यों ने उसके बाद में चारा खरीदकर पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को हमने अधिकार दे दिये हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिपो में आप चारा उपलब्ध करवाइये।

भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने एक चिन्ता प्रकट की कि पैसा? भीम के अन्दर यह स्थिति हो सकती है, आपने कहा कि अकाल राहत के लिए नौर्म्स हैं उसमें पक्के कामों को प्राथमिकता दी। सभी माननीय सदस्य भी यही चाहते हैं कि काम पुख्ता हों, स्थायी प्रकृति के हों। इसके साथ-साथ प्रभावित लोगों को रोजगार मिलना भी जरूरी है। आपके राजसमन्द जिले में सामग्री के पैसे की कमी हो सकती है। गत वर्ष भी 60 और 40 के रेशो के लिए हमने पाबन्द किया था और आपके कलक्टर ने जन प्रतिनिधियों ने ही कुछ जोर लगाया होगा कि ये काम हमारे पक्के होने चाहिए, मैटीरियल के पैसे ज्यादा खर्च किये थे, हमने ज्यादा दिये। इस बार भी

(श्री सांवरलाल जाट)

यह स्थिति हो सकती है कि इस वजह से आपके वहां पर कुछ दिक्कत आ रही हो। मैंने अभी सहायता सचिव को निर्देश दिये कि ऐसी कोई स्थिति हो तो भी काम अगर पक्के हों, चालू कर दिये गये हों और 60 और 40 दिन का रेशो नहीं बैठता हो फिर भी सामग्री के मद में केवल पैसे की जरूरत हो तो तत्काल जारी कर दिये जायं जिससे 31 जुलाई तक उन कार्यों को पूरा करवाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर बात आयी राजनीति की। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि राजनीति हमने कहीं पर भी नहीं रखी। काम की कहीं शिकायत आती है कि कहीं सरपंच काम नहीं करवाता है, सिंचाई विभाग वाला काम नहीं करवाता है। एनीकट सिंचाई विभाग नहीं करवाएगा। यह भी समस्या कई जगहों पर आयी है तो हमने ये आदेश जारी किये कि अगर एक अभिकरण काम नहीं करवाता है तो दूसरे अभिकरण को दे दिया जाए। ताकि अकाल राहत के लिए लोगों को काम करने के लिए इन्तजार नहीं करना पड़े। सरपंचों की कई जगह शिकायत आयी कि जिस गांव में उनको वोट नहीं दिये उस गांव में काम चालू नहीं करवाना चाहता, जो काम करवाता है वह ठीक नहीं करवाता है, लोगों की उपेक्षा करता है या काम पर लोग आना चाहते हैं तो नहीं आने देता है। तो हमने एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की है। किसी कमेटी के गठन का प्रावधान नहीं किया है, हमने कहा उससे ऊपर की चुनी हुई संस्था पंचायत समिति, अगर कोई सरपंच काम नहीं करता है तो पंचायत समिति के माध्यम से सीधे काम हो। इसलिये राजनीतिक आधार पर किसी प्रकार के पक्षपात का आरोप लगाया जाता है तो मैं इसका विरोध करता हूं। कमेटी के गठन के अन्दर पुराने जमाने को याद करिये। आपके जमाने में सीधा होता था, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष कमेटी का मैम्बर होगा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमेटी का मैम्बर होगा। आज तक किसी आदेश में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का मैम्बर होगा ? एक तो बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ...(व्यवधान)... एम.एल.ए., मैम्बर आफ असेम्बली... (व्यवधान)... कभी नहीं लिखा...

श्री सांवरलाल जाट : मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आफ दी रिकार्ड...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मंत्री महोदय, इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मत दीजिये...(व्यवधान)...क्या बेकार की बात करते हैं + + + आपको इस तरह से ...(व्यवधान)...अक्ल से बात करो आप, अक्ल से बात करो...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो ?...(व्यवधान)...

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक तो आप काम न करें और उसके ऊपर एलीगेशन और लगाये जा रहे हैं।(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप अपने शब्दों को वापस लीजिये।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आप एक्सपंज कर दें + + + की बात को।

श्री सांवरलाल जाट : आपने जो कुछ भी बोला उसको मैंने सुना(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप खुद जान बूझकर भेदभाव करते हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते हैं आप।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह आपकी भारतीय जनता पार्टी की शैली होगी, हमारी नहीं है।(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : ये सत्य बोलते ही नहीं है। यह सरासर असत्य है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हम आपकी गलतबयानी को बदनाम कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप क्यों कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने राजनीतिक आधार पर कमेटियां बनायीं, निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ कमेटियां बनायीं(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अगर आप इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करोगे(व्यवधान) गलतबयानी सुन सकते हैं, मूर्खतापूर्ण बात नहीं सुन सकते।(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी शालिनी शर्मा तो युवा मोर्चे की है। ऐसे हमारे नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपका तो आर. एस. एस. के दफ्तर में काम होता है (व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : बिराजें, समाप्त होने दें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आपको इस तरह राजनीतिकरण नहीं करना चाहिये, बहुत ही अहम मसला है।(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने राजनीतिकरण कर लिया।(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं अकाल राहत मंत्री जी से कहना चाहता हूं, भीलवाड़ा जिले की जिला स्तर की कमेटी है, तहसील स्तर की कमेटी है उसमें सब एक ही पार्टी के मैम्बर हैं। राजनीतिक आधार पर मैम्बर बनाये गये एक ही पार्टी के।(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके अध्यापकों की सूची है वह भारतीय भवन के अन्दर(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं चुनौती देना चाहता हूं अकाल राहत मंत्री जी को कि भीलवाड़ा जिला कमेटी में(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी की बात पूरी कर लेने दें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रतनलाल ताम्बी : (व्यवधान) पहली बार इसमें राजनीति चलायी गयी। चारों ओर कमेटियां बनाने लग गये (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपके जो हारे हुए सरपंच थे उनको हरेक पंचायत समिति के अन्दर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : हारे हुए सरपंचों को नोमिनेट कर दिया (व्यवधान) कमेटी में। मैं चुनौती देना चाहता हूं, मैं गलत होऊं तो मैं त्यागपत्र दूंगा या अकाल राहत मंत्री त्यागपत्र दे दें। यह चुनौती की बात है (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कांग्रेस की कार्यों की तो + + + की बराबरी नहीं कर सकते हो, + + + की बराबरी नहीं कर सकते हो...

श्री परसादीलाल मीणा : (व्यवधान) आपकी पार्टी के मैम्बर बनाये (व्यवधान)...

श्री रतनलाल ताम्बी : राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पर और तहसील स्तर की कमेटियों में (व्यवधान) हारे हुए सरपंचों को लगा दिया। मैं चुनौती देना चाहता हूं अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, आप बिराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक बात बताइये, नंद कुमार जी कौनसी पार्टी के हैं ? (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो बिना काम के ही। बिराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : राजनीतिक आधार पर (व्यवधान)... हारे हुए लोगों को कमेटी में बिठाया (व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक आधार पर काम करते हैं। कोई काम नहीं किया (व्यवधान) जानबूझकर राजनीतिक भेदभाव किया गया (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं चुनौती स्वीकार करता हूं आपकी। या तो आप इस्तीफा दें या मैं देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कम्पलीट करने दें, अभी बहुत लम्बी डिमांड पड़ी है।

एक माननीय सदस्य : नैना साहनी कौनसी पार्टी की थी ? (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आपको क्या हो गया ? कृपया बिराज जाएं। माननीय मन्त्री जी को पूरा करने दें। दूसरी डिमांड बहुत लम्बी चौड़ी है, काफी लम्बी लिस्ट है।

श्री सांवरलाल जाट : बहुत सारे माननीय सदस्यगणों ने एक बात रखी कि हमारे ज्यादा एम.एल.ए. कांग्रेस के हैं इसलिये हमारे यहां पर काम नहीं खोलें, एम.पी. भी हमारा कांग्रेस का। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी आपका, सबसे ज्यादा काम और सबसे पहले काम हमने वहां शुरु किये। इसलिये मेरा निवेदन है कि

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

ाट)

में राजनीति का कोई मतलब ही ान)_ जहां पर लोगों को काम की जरूरत है वहां पर काम खोले हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, अब महुआ से करेंगे।

श्री सांवरलाल जाट : अब समय बदला है, पुराने जमाने में और अब में बहुत फर्क आ गया। पहले योजनाओं के काम बहुत कम हुआ करते थे। लोगों का मुख्य धंधा खरीफ की फसल था, रबी की फसल उस जमाने में होती नहीं थी। ट्रैक्टर नहीं थे, मोटर गाड़ियां नहीं थी इसलिये आज बत्तीस रुपये के अन्दर, मैं आपको विश्वास दिलाकर कह रहा हूं, मैं भी भरतपुर जिले में गया, कई जिलों में मैं गया_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, टोकाटोकी नहीं करें। बहुत देर हो गयी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : _(व्यवधान)_कांग्रेस को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। बैरवा साहब।

श्री सांवरलाल जाट :_(व्यवधान) उतने + + + बन रहे हो आप। जब अकाल निकल गया तब + + + अकाल तो खतम हो गया, बरसात हो गयी कल और रात को सब जगह पर। मेरा निवेदन यह है कि अकाल के काम_(व्यवधान)_

श्री हरिसिंह (महुआ) : बरसात होने से अकाल कहां खतम हो गया ?

श्री परसादीलाल मीणा : कहां हो गयी बरसात ?_(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह गलतबयानी कर रहे हैं।_(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह गलतबयानी नहीं करें।_(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इतना भेदभाव किया। कम जनसंख्या में ज्यादा मजदूर लगाये_(व्यवधान)_ भेदभाव किया, अन्याय किया_

श्री अध्यक्ष : इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ताम्बी साहब, आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ऐसे + + + से जवाब नहीं सुनना है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह गलतबयानी नहीं करें।_(व्यवधान)_

श्री शैलेन्द्र जोशी : जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं_(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के शब्द यहां नहीं चलेंगे_(व्यवधान)_ अगर ये अपशब्द बोलेंगे, असंसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे_(व्यवधान)_

श्री शैलेन्द्र जोशी : कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है_(व्यवधान)_

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

Page No.226

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय सदस्य शैलेन्द्र जी जोशी ने जो बात यहां पर बोली है वे अपशब्द है, असंसदीय भाषा है.(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो भी असंसदी भाषा है उसको एक्सपंज कर दिया जाए। (व्यवधान) मन्त्री जी, कम्पलीट करें इसको। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या बोला, यह तो बताओ।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : आप ही बोलना जानते हैं क्या ? हम आपसे ज्यादा बोलना जानते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या बोला यह तो बताओ, मैं पूछ रहा हूं इनसे। (व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : लक्ष्मण सिंह जी ने बोला है, लक्ष्मण सिंह जी ने बोला, बहुत सीजन्ड आदमी हैं। + + + लक्ष्मण सिंह जी ने बोला है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : क्या बोला, यह तो बताओ आप।

श्री परसराम मदेरणा : अगर गरमा-गरमी में, उत्तेजना में कोई असंसदीय शब्द का या वाक्य का प्रयोग हो गया है तो आपको सर्वोच्च अधिकार है एक्सपंज करने का।

श्री अध्यक्ष : वह एक्सपंज कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा, एक्सपंज कर दिया, मामला ही खतम हो गया।

श्री अध्यक्ष : पहले बोल [illegible]

श्री परसराम मदेरणा : [illegible] प्रारम्भ हुआ है वह है रिलीफ मि[illegible] रिलीफ आपरेशन का राजनैतिकरण का। यह असंसदीय शब्द नहीं है। बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इतना पक्षपात कभी भी किसी रिलीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। एडवाइजरी कमेटी के कान्स्टीट्यूशन में ही नहीं, लोगों को राहत देने के अन्दर भी किया, काम खोलने के अन्दर भी किया। आप इसका जवाब दीजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, थोड़ी शीघ्रता करें आप और थोड़ा सा छेड़ छाड़ की बातों से बचें। (व्यवधान) कृपयां सुनें।

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी बातें मैंने आपके सामने स्पष्ट की है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिये। एक जुलाई से लेकर पन्द्रह जुलाई तक किस किस जिले में कितनी बारिश हुई ? प्री-मानसून शावर कब हुए, उसमें कितना गैप था ? दूसरा, चारा परिवहन का अनुदान किस-किस जिले में कितना रुपया देना था, कितना दे दिया और कब दे दिया ?

श्री सांवरलाल जाट : आपको केवल आंकड़े ही लेने हैं तो मैं सुना दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पशु आहार कितने व्यक्तियों को कितने पशुओं के लिये स्वीकृत किया गया, वह उत्तर दीजिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय शक्तावत साहब, बिराजें आप।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, आप बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आपकी जानकारी में भी है कि बरसात कहां-कहां पर हुई है, कितनी हुई है...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मै तो आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी जानकारी तो दुनियाभर की है आप बताइये।

श्री सांवरलाल जाट : मेरे से पूछना चाहते हैं। मेरे पास भी रखा हुआ है, मैं पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने कहा, अकाल समाप्त हो गया। आपने कह दिया और अकाल समाप्त हो गया ?

श्री सांवरलाल जाट : मैं तो यह समझ रहा था...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : कृपया टोका-टोकी नहीं करें। माननीय मंत्रीजी, कम्पलीट करें जल्दी।

श्री सांवरलाल जाट : औसत बरसात बाड़मेर में 1 जून से 15 जुलाई तक 65 मिलीमीटर होती है, उसकी जगह पर 139, जैसलमेर में 47 की 106, जालौर में 75 की 155, जोधपुर में 73 की...(व्यवधान)...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जालौर, अलवर और भरतपुर छोड़ो, दूसरी बात करो।

श्री परसराम मदेरणा : I am sorry, I am intervening. रेगिस्तान की भूमि और अजमेर की सायल स्ट्रक्चर में फर्क है, राठौड़ साहब जा
फलौदी व
वाले हैं
का डेजट
एरिया है, इसमें बरसात चाह
जाओ पर बुवाई होती है, सात दिन तक। रोज हवा चलती है दो या ढाई अंगुल, जमीन सूखती चली जाती है। वहां पर बरसात पहले हो गयी। पहले वाली 65 मिलीमीटर होती है, 65 के अन्दर 100 और कुछ हो गयी। वहां पर फसल जल रही है। मुझे मालूम है, बाड़मेर में आप काम खोलने वाले नहीं है। राठौड़ साहब से मैंने कहा कि शेरगढ़ में कातरा-वातरा तो क्या वहां पर जो जरक होती है पकड़ लेती है, बिलकुल छोड़ती नहीं है। यह राजस्थान का रिलीफ मिनिस्टर है इसने कुछ बात पकड़ रखी है, छोड़ने वाला नहीं है, दांत में दाड़ी है इनके। इसलिये मैंने कहा कि जो लोग भूख की कगार पर है, वे सबसे ज्यादा गरीब हैं। इस एरिये में आपको 30 अगस्त तक काम प्रारम्भ रखने चाहिए। राहत की आप पूछ रहे थे, आपको पता नहीं है। आप वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री को खबर नहीं होती है। खबर होती है डिप्टी डायरेक्टर, हाइड्रालोजी जिसको बुलेटिन भेजता है शाम को। मेरे पास कल का बुलेटिन है। आपके कन्ट्रोल रूप में, एक-एक जगह लाल लिखा हुआ है रात को 8-9 बजे तक कहां-कहां बरसात हुई है। रात को बरसात अजमेर में भी हो गयी, केकड़ी में हुई है, थोड़ी बहुत...(व्यवधान)...मेरे पास दो की ही है। कल

म मदेरणा)

यी, आज भी हुई है। परसों हो गयी जो सुबह आठ बजे तक खबर आयी। आज 8 बजे तक आयी वह केकड़ी में हुई है। दोनों मिलकार अच्छी बरसात हुई है। छोड़िये उसको, मुझे यह बताइये, बाड़मेर के अन्दर बरसात हो गयी, पिछली बरसात हुई है 20 जून को, 20 जून के बाद में आज तारीख क्या है, 16 जुलाई तक एक बूंद बरसात नहीं पड़ी। रात को बरसात हुई है 11 मिलीमीटर और वह बाड़मेर के 3 किलोमीटर एरिया में शहर में हुई है, रूरल एरिया में नहीं हुई है। न बायतू में हुई है, न गुढ़ामलानी में हुई है, न शिव में हुई है, न बालोतरा में हुई है, न धोरीमन्ना में हुई है और न सिवाणा में हुई है। शहर के ऊपर पानी पड़ गया। कई दफा, मंत्री महोदय, मेरे साथी जो शहर के रहने वाले हैं कहते हैं कि यहां खूब बरसात हो गयी, सांहब आज मैं सड़क पर आ रहा था तो सड़क के पास खड्डे भरे हुए थे। डामर की सड़क पर तो अगर 2 मिलीमीटर बरसात होगी तो खड्डे भर जाएंगें, वह कोई मायने नहीं रखता। बरसात का मतलब यह है, हमारे यहां आम कहावत है कि चार अंगुल और चार अंगुल आठ अंगुल, दो इसके ऊपर देखिये दस अंगुल। दस अंगुल का मतलब है एक इंच, एक इंच का मतलब है 25 मिलमीटर और 25 मिलीमीटर का मतलब है 10 सेन्टीमीटर-(व्यवधान)-एक फसल खड़ी है उसमें अगर चार सेन्टीमीटर बरसात होती है, दो सेन्टीमीटर भी होती है-

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 25 मिलीमीटर का मतलब ढाई सेन्टीमीटर।

श्री परसराम मदेरणा : 10 मिलीमीटर का एक सेन्टीमीटर। मैं कुछ गलत बात कह गया। पण्डित है, पण्डित तो गल्तियां निकालता ही है। बेताल और विक्रम वाली बात मैंने अभी कही थी कि बेताल कहे विक्रम सुना 'चतुर पण्डित अति बुरा'।

इसलिये मैं निवेदन यह कर रहा था कि पूरे आंकड़े बताने से नहीं है, मैंने एक वार्निंग दी थी आपको 32 दिन पहले बरसात हुई है, रेगिस्तानी इलाका है, हवाएं चल रही हैं। एक बात और है, न मालूम किस तरह से ऐस होता है कि घास भी होता है और बाजरी भी अच्छी होती है। इस वक्त जो बरसात आयी है उसमें मैं नागौर की तो नहीं कह सकता माननीय सदस्य जानते हैं, लेकिन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, बाड़मेर, जालौर में, जैसलमेर की मुझे मालूम नहीं, बिलकुल यह लूणिया पानी था, जिसको गांव में लूणिया पानी कहते हैं। पीली-पीली इतनी -इतनी सी फसल खड़ी है। यह वैसी पीली नहीं है, जैसे मैं कमजोर आदमी हूं, आपकी तरह, वैसी फसल नहीं है, हरी-हरी फसल है। इसलिये आप यह बताइये, यह आंकड़े आप इसलिये पूछ रहे थे कि ईवन स्पैल पर फसल जब पकती है, ईवन स्पैल में रेन बराबर होती रहे समय समय पर। बाजरी पकती है करीबन चार बारिश में, ज्वार पकती है करीबन पांच बारिश में, और मक्का ईवन स्पैल में है तो पांच से पकती है नहीं है तो

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारे वहां बाली छह में पकती है। ये सब लोग मक्का वाले हैं। मक्का का भुट्टा-वुट्टा वाले कुछ नहीं है, भुट्टा पकड़ा दो तो अभी है नहीं। इनको आप यह एश्योरेंस दीजिये कि आप 30 अगस्त तक काम रखेंगे। जब तक इनके हाथ में भुट्टा नहीं आ जाये, जब तक भुट्टा इनका पक नहीं जाये। अगर आप ऐसा एश्योरेंस नहीं देंगे तो फिर_(व्यवधान)_ हमारे सामने कुएं में पड़ने के अलावा कुछ नहीं है। हाउस का वैल, हाउस का वैल।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में 60 किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ में 90 मिलीमीटर_(व्यवधान)_अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने सारी बातें बतायीं। यह आप सभी जानते है, मैं भी जानता हूं कि फसल बोने के बाद फसल पकने में कितना समय लगता है। मक्का बोते हैं, हमारे यहां भी बोते हैं, दो महीने के अन्दर फसल आती है_(व्यवधान)_

अभी यहां पर यह भी बात हुई कि दिशा निर्देशों के अनुसार कामकाज चालू नहीं किये गये, नागौर की एक शिकायत आयी है। इसी प्रकार दौसा से आने वाले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर काम लेट शुरू किये गये, शुरू करने के बाद प्रारम्भ नहीं किये गये। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि इसकी मैं मेरे स्पेशल सैक्रेटरी से जांच करवाऊंगा। अगर जानबूझकर किसी ने अवहेलना की, आवश्यकता होते हुए भी लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया, काम शुरू करने चाहिये थे, नहीं करवाये गये, सैंक्शन करनी चाहिये थी, नहीं हुई तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर वास्तव में स्थिति चिन्ताजनक है। आज राजस्थान के अन्दर अकाल-अकाल सब करते हैं। हर जिले के लोग चाहते हैं, हर माननीय सदस्य चाहता है कि मेरे क्षेत्र में विकास हो। स्कूल खुल गये हैं तो कमरा बनना चाहिये, एनीकट बनना चाहिये, यह होना चाहिये, वह होना चाहिये। चारदीवारी किसी योजना में नहीं आयी तो अकाल राहत में होनी चाहिए। कई जगह आवश्यकता नहीं होते हुए भी काम की आवश्यकता है। काम करवाएंगे तो, "काम प्यारा कि चाम प्यारा", लोग एम.एल.ए. को कहते हैं कि इतना काम आपने करवा दिया। इसलिये हम यह करते हैं और काम करवाने के लिये जागरूक भी रहने चाहिये। पर आदिवासी क्षेत्र के अन्दर निश्चित रूप से रोजगार की आवश्यकता है। इस परपज के लिये सी. आर. एफ. बना हुआ है, कैलेमिटी रिलीफ फण्ड, उसके काम वहां पर चलने चाहिये। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को आश्वस्त करता हूं कि अगर वहां पर स्थिति चिन्ताजनक रही और काम की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से सरकार काम खोलेगी और जरूरत होगी तो और भी खोलेगी।

श्री अध्यक्ष : आय व्ययक बजट 1996-97, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान । माननीय ललितकिशोर चतुर्वेदी जी।

अनुदानों की मांग

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,59,50,60,000/- (दो अरब उनसठ करोड़ पचास लाख साठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे कि

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

1. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में बच्चों के पीने के पानी के लिए टांकों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरतसिंह (खानपुर)

2. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में 30 जिले 30 काम तथा निर्बन्ध राशि के तहत आबंटन कार्य को विभाग द्वारा समय पर पूर्ण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

3. डाक बंगला सवाई माधोपुर की मरम्मत कराने व खण्डार में नया डाक बंगला बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

4. तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय तथा अलवर- दिल्ली हाईवे पर स्थित रामगढ़ में विश्राम गृह बनाने जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

5. झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी तहसील हैड क्वार्टर पर निर्मित निरीक्षण बंगले में दो कमरे और बनाने तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)

6. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

7. रींगस-श्रीमाधोपुर सड़क पर महरोली मोड़ के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

8. रूपावास से केरला मार्ग पर सीडी.

(श्री भीमराज भाटी)

वर्क करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. निम्बड़ा खेड़ा से पड़ासला खुर्द, राजकीयवास मार्ग पर सीडी. वर्क करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. बस्सी से पाली मार्ग पर उपागमन मार्ग बनवाकर यहां के ग्रामवासियों को राहत दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

11. रेलमगरा तहसील मुख्यालय पर, डाक बंगला भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिए।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

12. भीलवाड़ा तहसील के पांसल, दरीबा, महेन्द्रगढ़ रोड़ पर सालमपुरा व मण्डपीया के मध्य पड़ी हुई विभाग की गिट्टी (रोडी) को सरपंच कोचरीया द्वारा बिना स्वीकृति के ले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

13. माण्डल तहसील जिला भीलवाड़ा के ग्राम पीथास एवं घोड़ास के मध्य काजबे नहीं बनने के कारण जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

14. मेडीकल कॉलेज कोटा के भवन के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

15. कोटा संभाग के समस्त खण्डों में 50,000/- से कम की अल्पकालीन निविदाओं के कार्यों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

16. डूंगरपुर जिले में लोक निर्माण कार्य समुचित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कमल (हिण्डौन)

17. हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में चांदौर नदी पर वेन्टेड कॉजवे को शामिल नहीं किये जाने से जनता में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिए।

18. हिण्डौन बयाना मार्ग पर जगर नदी पर वेन्टेट कॉजवे निर्माण नहीं कराने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

19. जहाजपुर में अधूरे डाक बंगले पर पांच लाख की राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राम रिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)

20. भीलवाड़ा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में नये बनाये जा रहे वार्डस का कार्य धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. जनवरी, 1995 में श्री जमनालाल काबरा व श्री राम स्टोन क्रसिंग कम्पनी को वर्क आर्डर देने के बाद कुछ कार्य कराने के पश्चात् दूसरे ठेकेदार को वही कार्य ज्यादा रेट पर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

22. बिलाड़ा कस्बे (जोधपुर) में डाक

(श्री राजेन्द्र चौधरी))

बंगले के निर्माण के संबंध में सरकार को प्राप्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द (नगर)

23. नगर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा निर्माण कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने के कारण से बजट लैप्स हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

24. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

25. विभाग द्वारा सम्पादित निर्माण कार्य घटिया स्तर का होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. अपूर्ण उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन तिसाणा (बारां), संगावदा, जाबरा, खजूरी, नाहरगंज (बून्दी) को पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. पुलिस थाना गेन्डोली (बून्दी) के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. पुलिस चौकी खटकड़ (बून्दी) के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण सिंह (डीग)

29. ब्रिज कार्पोरेशन द्वारा डीग नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

30. सार्वजनिक निर्माण विभाग डिवीजन संख्या - 2 का हैडक्वार्टर डीग में बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

31. ठेकेदारों द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेका रद्द करने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां)

32. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय में भेदभाव बरते जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)

33. जोधपुर जिले में लवणीय एवं क्षारीय भूमि में प्लान्टेशन हेतु दर्शाये गये गड्ढों की खुदाई की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

34. टोंक में आबादी भूमि के अन्तर्गत नेशनल हाइवे 12 के पास पानी के निकासी हेतु नाले के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

35. विभाग में ठेकों की प्रतिस्पर्धाओं में काम बहुत नीची रेट पर जाने से निर्माण कार्यों का स्तर बहुत नीचा होने तथा प्रत्येक स्तर पर अवैध कमीशन लेने से अधिकांश कार्य समय सीमा में पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

36. लोक निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों

(श्री गोंविन्द सिंह गुर्जर)

से भारी धनराशि वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

37. राज्य सरकार द्वारा आवास विकास संस्थान को बिना टेण्डर के निर्माण कार्य कराये जाने से निर्माण कार्य में लगे विभिन्न वर्गों में असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

38. तहसील मुख्यालय लूणकरणसर पर स्थित राजकीय आवास गृहों व राजकीय सीनियर सैकण्डरी शाला भवन आदि की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

39. जोधपुर शहर में पुराने डाक बंगले का जीर्णोद्धार या नया डाक बंगला निर्मित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 21- सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या -21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,19,68,74,000/- (तीन अरब उन्नीस करोड़ अडसठ लाख चोहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या -21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

1. महाराणा प्याऊ से छतरगढ़ स्टेट हाइवे की मिसिंग लिंक शुभलाई से अजीवमाता पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

2. पंचायत समिति बालोतरा के पंचायत मुख्यालयों को शीघ्र ही डामर की सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. बालोतरा शहर के समीप लूनी नदी पर पुल के अधूरे कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. बालोतरा से कीटनोद, बालोतरा से समदड़ी और पचपदरा से पाटोदी की सड़कें टूटी हुई होने के कारण इन सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)

5. भीम-देवगढ़ (राजसमन्द) की सड़कों पर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. भीम-देवगढ़ (राजसमन्द) में बन रही सड़कों की गुणवत्ता बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

7. तख्तपुरा, रामबाग, रानेर, भीखनेरा, रावासंर, खोखराना, मकडासर आदि पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

8. सिरोही विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोल से मांडवा (मिसिंग लिंक टू सिरोही) तक वर्षों पूर्व की गई पत्थर कुटाई उखड़ जाने से उत्पन्न भारी जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

9. सिरोही एवं शिवगंज नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दोनों नगरों में सड़कों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. सिरोही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जावाल से पालड़ी एम वाया नया खेड़ा, मोरली मार्ग की मरम्मत नहीं होने से जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

11. सिरोही विधान सभा क्षेत्र में जावाल से जालौर मार्ग वाया मणादर, जुबली गंज मार्ग पर नाले पर पुलिया का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

12. नानक पुरिया, रघुवीरपुरा, सांकरदा गांव में सड़कें बनवाने एवं टूटी हुयी सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

13. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या -11 पर सामोता का बास से चौमू पुरोहितान वाया शाहपुरा तक की सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. खण्डेला विधानसभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11 पर ढाणी का जलान से धीरजपुरा सड़क का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

16. धौलपुर जिले में सड़कों की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. धौलपुर जिले में डामर उपलब्ध नहीं होने के कारण सड़कों का कार्य अधूरा रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर मनियां - वसईनवाब रोड़ पर ग्राम सरपवारा के पास नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा)

19. मण्डावा विधानसभा क्षेत्र के गांवों यथा कालेरा के बॉस से गांव लूणा, रामपुरा से हरिपुरा, पीथूसर से बाडेर वाया कातियासर, लिंक रोड हेतमसर, बहादुरवास से मुकन्दगढ़

(श्री रामनारायण चौधरी)

तक नई सड़क का निर्माण, मण्डावा रोड़ से बाजीसर गांव तक सड़क एवं मंडावा से खालासी गांव तक नई सड़क एवं डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)

20. सहाड़ा रायपुर क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

21. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की अधूरी सड़कों एवं पुलियाओं को पूरा करवाने एवं 750 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

22. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम कनबई के करावाडा वाया सरेरा सड़क का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव कल्याणपुर से होकर वाया पंडियावाडा पहाड़ा सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. खैरवाड़ा बस स्टेण्ड की सड़क की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव बावलवाडा के पास सोम नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

26. नादोती एवं टोडाभीम में सड़कों की दयनीय हालत को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अधूरी सड़कों को पूरा कराने एवं ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर)

28. आहोर तहसील में - बाला से भोरंडा, किशनगढ़ से मूलेवा, चूडा से किशनगढ़, नोरवा से मालगढ़, थाणा से बांकली आदि स्थानों पर सड़कें बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जालोर जिले की आहोर तहसील की मेटल सड़कों का शीघ्र डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा)

30. मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. झुंझुनूं मलसीसर टमकोर सड़क की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. मण्डावा से झुंझुनूं सड़क को चौड़ा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)

33. राष्ट्रीय राज मार्गों के दोनों तरफ नियम विरुद्ध बन रहे अवैध निर्माणों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ-साथ कुल चौडाई (मिट्टी के किनारों सहित) बढ़ाकर दुर्घटनाएं कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. उदयपुर से कोटड़ा की घुमावदार सड़क की दूरी कम करने के लिये इसके स्थान पर पहाड़ी मार्ग में गुफा बनाकर कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. सड़कों पर पुलियाओं की अपर्याप्तता एवं वर्षा ऋतु के पानी से कटाव व टूट फूट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़)

37. मांगटला से बिजोलियां एवं बिजोलियां से गुढ़ा सड़क को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में तेजाजी के चौक से मन्दाकिनी के मन्दिर (बिजोलिया), जोजवा से छाकड़खेड़ी, सिगोली से चारभुजा, सवाईपुर से बडलियास आदि क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बिगोद से जालियां एवं विकरण व सुरास पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने हेतु चर्चा के लिए।

40. माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की कल्याणपुरा पंचायत मुख्यालय गेन्दलिया (कोटड़ी) पंचायत मुख्यालय, सवाईपुर से सोपुरा (कोटड़ी) काछोला से राजगढ़ की अधूरी सड़क का डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में काछोला से थलकला वाया चमारों का झुण्डा जिसकी आबादी 1000 से अधिक है, तथा गेंगा का खेडा पंचायत मुख्यालय में सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

42. धार्मिक स्थान पालेश्वर महादेव मन्दिर, फूसोद माताजी व गुणदी महादेय मन्दिर को रोड़ से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)

43. सड़क निर्माण कार्य में तकनीकी खामियां होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. सड़क निर्माण कार्य सही नहीं होने के कारण इनके रख-रखाव पर अत्यधिक व्यय होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. क्षतिग्रस्त सड़कों की लम्बे समय तक मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. सड़क निर्माण कार्यों में दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों पर मुकम्मल

(श्री विष्णु मोदी)

कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

47. बारां-झालावाड़ एस. एच. 19 पर परवन नदी पर बनी रपट को ऊंचा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. राष्ट्रीय राज मार्ग 12 में कोटा व झालरापाटन के बीच खनिज मलवा तथा कोटा स्टोन का पाउडर डाल कर मार्ग सकड़ा हो जाने की स्थिति में विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. उप खण्ड अकलेरा से तहसील मुख्यालय मनोहर थाना तथा उपखण्ड छबड़ा के बीच आने वाली नदियों पर रियासत काल की रपटों के स्थान पर नई पुलियों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत तथा पेच वर्क कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

51. बांसवाड़ा जिले में पुरानी टूटी फूटी सड़कों को दुबारा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. कुशलगढ़ क्षेत्र में डूंगरा से सरनसेरा, कुशलगढ़ से थादला, कुशलगढ़ से मामदा, कुशलगढ़ से वाजना आदि जीर्ण शीर्ण पुरानी सड़कों को नये सिरे से बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

53. खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में अधिक सड़क निर्माण व पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

54. शिवाड़ से बहड़, जामडोली तक सड़क को ऊंचा करने व शिवाड़ से नटवाड़ा तक सड़क कार्य पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. भगतवगढ़ को चौथ का बरवाड़ा से पक्की सड़क द्वारा जोड़ने एवं सूरवाल से भगवतगढ़ तक पुनः डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. चौथ का बरवाड़ा से चोरू तक व बहरावण्डा खुर्द से खण्डार तक सड़कों को चौड़ा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. सड़क से एक किलोमीटर दूर के गांवों को सम्पर्क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

58. निमेडा-पारली मोड़ पर 13 किलोमीटर मासी नदी पर काजवे (उपागमग मार्ग) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. फागी से चाकसू रोड़ को चौड़ा करके डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र फागी की सड़कों

Page No.238

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

पर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान क्षेत्र फागी के सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

62. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की अपूर्ण एवं बाढ़ग्रस्त सम्पर्क सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की दिल्ली रोड से गोहा बेरेबास सम्पर्क सड़क का कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवरायपाटन) एवं

2. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी)

64. केशवरायपाटन (बून्दी) नगर में वर्ष 1994-95 में आयोजित कार्तिक मेले के समय माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गयी सड़क बनवाने की घोषणा के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से सड़क निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. केशवरायपाटन (बून्दी) एवं इन्द्रगढ़ क्षेत्र में डांग क्षेत्र विकास के मद से बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. केशवरायपाटन (बून्दी) क्षेत्र में बीरज चौथमाताजी के धार्मिक स्थान पर आगमन हेतु सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. केशवरायपाटन (बून्दी) के ग्राम कापरेन रोटेदा सड़क से कोटा जिले को जोड़ने के लिये मण्डावरी सुलतानपुर सड़क से न जोड़ने, चम्बल नदी पर पुलिया न बनाने से जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. अधिशासी अभियन्ता, बून्दी की उदासीनता एवं लापरवाही से केशवरायपाटन क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों का कार्य पूरा नहीं होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

69. राष्ट्रीय राज मार्ग 11 के ग्राम-वासी से खेड़ली गडामिया (जिला भरतपुर) तक सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यक[illegible]र चर्चा के लिये।

70. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में ग्रा. जहांगीरपुर के पास सड़क पर पुलिया निर्माण नहीं कराये जाने से सड़क पर पानी भरने की स्थिति में यातायात अवरुद्ध होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

71. बाढ़ के कारण जहां सड़क कट गई है वहां आवश्यकतानुसार पुलिया बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हरिसिंह)

72. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में भरतपुर-गोवरधन, कुम्हेर-ओरस, कुम्हेर-पपरेरा, लिंक रोड़, अमोरी लिंक रोड़, महुआ-सिनपिन्दी, सेवर-हेलक, हेलक-अशोक नगर, हेलक-आंजम, आजरू-नगला, सैल-करठआ आदि सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़)

73. भोपालगढ़ क्षेत्र में सड़कों की स्वीकृति नहीं होने से वहां की जनता में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी)

74. मण्डाना से सुकेत तक की सड़कें अपूर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

75. झुंझुनूं जिले में गुढ़ागोड़ जी/ चंवरा किशोरपुरा - पोख-गुढा ग्रामों में काश्तकारों की कृषि भूमि में से निर्मित सड़कों के कारण काश्तकारों को जमीन का मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. सीकर जिले में पड़ने वाली कोटडी नदी पर स्वीकृत पुलिया का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. झुंझुनूं तथा सीकर जिलों में आने वाली सराय से नयाबास सड़क पर डामरीकरण का कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में पड़ने वाली विभिन्न सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

79. डामर के अभाव में अधूरी पड़ी सड़कों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

80. हर्ष मोड से देवगढ़ / लोसल से जाना/ फतेहपुर से गुनाठु/ मोरडुगा से लक्ष्मणगढ़/ मूण्डवाड़ा से मुकन्दपुरा तक सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. सीकर जिले की विभिन्न मिसिंग लिंक रोड़ों के निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. रींगस रेल्वे क्रोसिंग पर ओवर ब्रिज नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. फागलवा से भठोठ/सीकर से दुगोली वाया पालवास/ सेवद बड़ी से शाहपुरा/सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. धोद रोड 55 किलोमीटर से पूरा छोटी सड़क स्वीकृति के बाद निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर)

85. तहसील राजगढ़ (चूरू) की राजगढ़ - दिगारला, नेशल सुलखनिया-नोरगपुरा एवं चूरू-राजगढ़ सड़कों पर लगा ओवर साईज ब्लास्ट व घटिया सामग्री से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. राजगढ़ से ददरेवा, ददोवा से तारानगर, राजगढ़ से पिलानी सड़कों के साईड में डाली गई क्वारी रबीस सामग्री उचित मापदण्ड से नहीं डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. चूरू जिले की टूटी-फूटी व दयनीय स्थिति में पड़ी सड़कों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर)

88. डामर खरीद कर हुये गम्भीर घोटालों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़)

89. निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर की सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. निर्वाचन क्षेत्र. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की प्रस्तावित नई सड़कों की स्वीकृति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)

92. श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

93. आबेली गांव जाने के लिये पुलिया का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. हाउसिंग बोर्ड के सामने काजरी से कानावास, ढाबर, अरटिया गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)

95. विधान सभा क्षेत्र निवाई की विभिन्न सड़कों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दली चन्द (दानपुर)

96. बांसवाड़ा जिला अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में लोक महत्व की सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र दानपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सड़कें नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)

98. बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राज मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

99. माण्डल तहसील जिला भीलवाड़ा की घोड़ास से बागौर वाया माजकीबास, करणबास सड़क पर गिट्टी की एक लहर कुटा

(श्री कालूलाल गूजर)

के बाद भी डामरीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

100. भीलवाड़ा तहसील के ग्राम जवासीया एवं दुड़िया के मध्य बनास नदी पर पुलिया नहीं बनाने के कारण लोगों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. मांडल तहसील जिला भीलवाड़ा के ग्राम सेहनून्दा बावड़ी, टहुका एवं सांगवा जो कि पंचायत मुख्यालय है और सन 1971 की जनगणना में 1000 से अधिक की आबादी के गांव हैं परन्तु अब तक सड़क से जोड़ने के आदेश नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

102. राज्य में 1971 के 1000 की जनसंख्या के गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

103. स्टेट हाइवे नं. 22 का निर्माण कार्य संविदा शर्तों के अनुरूप नहीं होने एवं निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग करने तथा निर्माण कार्य निर्धारित समय तक पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र महुआ में बाढ़ से टूटी सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

105. जिला विकास अभिकरण दौसा द्वारा स्वीकृत ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिये ठेकेदारों को डामर खरीदने के लिये अधिकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

107. मसूदा विधान सभा क्षेत्र में नवीन सड़कों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. मसूदा विधान सभा क्षेत्र में कच्ची सड़कों को पक्का बनाने एवं डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के पंचायत मुख्यालय दौलतपुरा 1 को डामर की सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कमल (हिण्डौन)

110. हिण्डौन क्षेत्र में कराये जा रहे घटिया सड़क निर्माण को रोककर सरकार के धन के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. भाडौती से मथुरा उच्च मार्ग की चौड़ाई हिण्डौन क्षेत्र में नहीं बढ़ाये जाने के कारण उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

112. अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत निश्चित समय में कराने में

Page No.242

(श्री कमल)

राज्य सरकार की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (डूंगरपुर)

113. डूंगरपुर जिले में सड़कों की मरम्मत एवं पुलियाओं के निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)

114. भीलवाड़ा शहर के चारों मार्ग पर डिवाईडर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सांगानेर, मंगरोप, हजेड़, भोजी गांव में सड़कों की हालत खराब होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

116. भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कोठारी नदी व बनास नदी की पुलिया चौड़ी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

117. गंगरार कस्बे की सड़क पूर्ण रूप से टूट गई है तथा पूरी सड़क पर पानी भरा रहता है अतः 4 किलोमीटर सड़क को ऊंचा करने तथा आवश्कतानुसार नाली बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. गंगरार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हरनाथपुरा, राशमी, मुरोली, रूड व खारखन्दा के गांवों के बीच की सड़कों को ऊंचा उठाकर बनाया जाये तथा सड़क के दोनों ओर नालियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. जवासिया से मण्डपिया सम्पर्क सड़क एवं सादी पंचायत मुख्यालय रूड से बावलास, मातृगकुण्डिया गांव में सड़क निर्माण एवं पुलिया एक मीटर ऊंची करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. स्वीकृत सड़क बस्सी सोनगर (चित्तौड़) को बस्सी गांव के बीच होकर अविलम्ब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. गंगरार विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को डामरीकृत सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

122. नागौर से लाडनूं सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं किये जाने व बनी हुई सड़क की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग)

123. डग विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने अनियमितता करने एवम सड़कों की मरम्म. नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मदन मोहन (खैरथल)

124. 1981 की जनसंख्या के स्थान पर 1991 की जनसंख्या को आधार मानकर पंचायत मुख्यालयों के अलावा बड़े गांवों को भी सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. खैरथल विधान सभा क्षेत्र की टूटी

(श्री मदन मोहन)

हुई सड़कों के पुनः निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. किशनगढ़-बास से कोटकासिम मुख्य मार्ग को डबल लेन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. राज्य में स्वीकृत सड़कों का अभी तक कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. थाना घोड़ा से सरपुर पंचायत समिति किशनगढ़-बांस तक सड़क निर्माण न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जीतराम (मालपुरा)

129. मालपुरा क्षेत्र में सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही से व्याप्त जनआक्रोश पर चर्चा के लिए।

130. मालपुरा क्षेत्र में नवीन सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. टोंक जिले की सड़कें टूटी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

132. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की खेड़ी सालवा से रेल्वे स्टेशन से जोड़ने के लिए पीपाड़ रोड़ तक, हरिभाड़ा से चौपाड़ा (पाली जिला सीमा तक), रामड़ावाड़ा कंला से रामड़ावास खुर्द, बाड़ा कंला से पीपाड़ रोड़, पालड़ी, सिवा से खवासपुरा की अधूरी सड़कों को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. जोधपुर शहर एवं जोधपुर जिले में स्वीकृत सड़कों के निर्माण शुरू नहीं कर समय पर पूर्ण नहीं करने के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. बिलाड़ा शहर, पीपाड़ शहर, जोधपुर शहर की सड़कों की मरम्मत एवं नगरपालिका सीमा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, विभाग द्वारा शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द (नगर)

135. नगर विधान सभा क्षेत्र की जीर्ण सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. भरतपुर जिले में विभाग द्वारा निर्मित सड़कों पर पुल मोदी व सलेब के निर्माण के अभाव में बाढ़ के समय सड़क कट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

137. रामगढ़-तूंगा सड़क पर बीच्छा के पास नाले पर पुलिया का वाटिया कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

138. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्कां सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

Page No.244

(श्री परसादी लाल मीणा)

139. लालसोट-गंगापुर सड़क पर चौड़ाईकरण का कार्य घटिया स्तर का करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

140. गंगानगर शहर की सड़कों का मास्टर प्लान बनाकर पेवर रोड बनाने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिए।

141. गंगानगर शहर की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. गंगानगर एवं हनुमानगढ़ की सड़कों की दयनीय स्थिति, रख-रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)

143. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में विभिन्न योजनाओं में करायी गयी पंचायत मुख्यालय की अपूर्ण सड़कों को विभाग के अधीन लेकर पूर्ण कराये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के हरनावदा कोटड़ा, ढाबला भोज, दांता, गोविंदपुरा, शेरपुर, सरखेड़ी, मगीसपुर, फतेहगढ़, ओसाव पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के धार्मिक स्थानों रायपुर से झरनेश्वर महादेव, ठन्हेल से नगलंग महादेव को सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के अंतरराज्यीय सड़क पिड़ावा-पटवड़ा 12 किलोमीटर, कोटड़ी-सिलेगढ़ 15 किलोमीटर को सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में विभाग द्वारा सुनेल-पाटन, सुनेल रायपुर कड़ोदिया, कोटड़ी-आलवर, सुनेल बस स्टैण्ड, स्वीकृत सड़कों को शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़)

148. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में मुख्य सड़क से एक डेढ़ किलोमीटर दूर रहने वाले गांवों को सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के पाकिस्तान की सीमा से लगे हुये सभी गांवों को सड़को से जोड़े जाने की योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

150. निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ (... में सड़कों की हो रही दुर्दशा से जनता ... वाली समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री अरुण सिंह (डीग)

151. मेवात विकास बोर्ड के अन्तर्गत डीग विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. डीग पंचायत समिति की पांच नई पंचायतों के लिए सड़कों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री अरुण सिंह)

153. विश्व बैंक के सहयोग से जनूथर से दांतलोठी तथा दांतलोठी से जाटौली तक रोड निर्माण में विलम्ब होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

154. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में सन् 1987 से स्वीकृत अधूरी सड़कों के निर्माण कार्य को सम्पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. सम्बल योजना एवं डांग विकास क्षेत्र के अन्तर्गत गंगापुर विधान सभा में सड़कों के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के 1500 एवं 1000 की जनसंख्या वाले समस्त ग्रामों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. सवाई माधोपुर जिले के डाकू उन्मूलन क्षेत्र में वर्ष 1986-87 में सड़कों के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

158. टोंक जिले में सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं, आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. टोंक जिले में एम.एन.पी. में पूर्व स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य से ग्रामों को जोड़ने के लिए पर्याप्त स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा)

160. टोंक जिले में पंचायत मुख्यालय को मेवल से जोड़ने के कार्य को किसी भी योजना में जोड़ने की स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161. टोंक जिले में डामर की अनुपलब्धता के कारण सड़कों के निर्माण में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

162. अजमेर-चित्तौड़ स्टेट हाइवे का सुदृढ़ीकरण व चौड़ा करने के कार्य में, जो दक्षिण की एक फर्म कर रही है। भ्रष्टाचार, काम की खराब क्वालिटी होने पर भी उस फर्म को दी गई अनुचित सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

163. लोक निर्माण कार्यों में काम की गुणवत्ता व उसकी अवधि व स्तर आदि की पिन-पाइंट जिम्मेदारी के अभाव में, खास तौर से सड़कों पर जो प्रतिवर्ष पहली वर्षा में ही टूट जाती है, गुणवत्ता व स्तर का मापदंड गिर जाने पर नियंत्रण नहीं होने पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां)

164. पर्यटन महत्व के स्थलों तक सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. राज्य सरकार की सड़कें बनाने की नीति के उल्लंघन में सड़कें बनाने के मामले की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर)

166. जिला सिरोही में करेली पुल की लागत मय ब्याज वसूल हो जाने के बाद भी इस वर्ष पुनः टोल टैक्स का ठेका दिए जाने पर चर्चा के लिए।

167. पैकेज रोड 1993 में स्वीकृत हुए थे। उनका कार्य अभी तक पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

168. रेवदर एवं जीरावल के बीच स्थित नदी पर पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

169. आकोली नदी एवं सोनपुरा में जवाई नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. मडगांव से मोदरा तक (मिसिंग लिंक) सड़क का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. सियाणा से लोटीवाड़ा (सिरोही जिला सीमा) तक मिसिंग लिंक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. लेटा से नारणावास तक डामर रोड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. जालौर शहर से जालौर किले तक सम्पर्क सड़क का निर्माण किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

174. ग्राम साऊ पंचायत समिति, जमवारामगढ़ पंचायत पापड़ की सड़क शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

175. राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 15 के किलोमीटर 63 से 70 व 70 से 72, 73 से 76, 77 से 82 व 83 से 105 तक विशेष मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. पंचायत मुख्यालय, अजीतनामा, रामबाग, खोखराना, भीखनेरा, मकडासर, रावांसर, तख्तपुरा, राजासर उर्फ करणीसर, रानर मय दामोलाई, ढाणी पांडूसर तहसील लूणकरणसर बेरियावाली, गुल्लुवाली तहसील बीकानेर में निश्चित समयावधि में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

177. जोधपुर बाई पास का निर्मा वर्तमान में स्टेट हाइवे 5 (बर-बिला जोधपुर-पोकरण रोड) जो कि वर्तमान जोधपुर शहर में निकलता है को छोड़कर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. मेड़ती गेट से हाथीराम का ओडा से जालोरीयों के बॉस तक सड़क की मरम्मत व नई बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. जोधपुर शहर में कदोई बाजार से आड़ा बाजार तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

180. रिन्यूवल बाई पेवर 13 एम. एम. एस. डी.बी.सी. जस्सा खेड़ा से बरारवन एवं ब्यावर कोटड़ा-काबरा-जवाजा लिंक रोड दोनों सड़कों का कार्य पूर्ण कराने के सम्बंध में चर्चा के लिये।

181. ए.आर. कानपुरा से सुरड़िया सड़क के 12 लाख मंजूर किए गए इसको जेतगढ़ बामनीया गांव से कानपुरा चौराया तक सड़क पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

182. राजीयावास बाई पास सड़क एवं पुलिया का कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. कोटड़ा सिलेबेरी दर्जी की फाटक एवं जोधपुर लिंक रोड कार्य पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. जवाजा के अन्तर्गत बराखन से कण्टालिया सड़क का कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (मकराना)

185. मकराना शहर में अपूर्ण सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

186. नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में पंचायत मुख्यालयों को व एक हजार की जनसंख्या वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

187. रायपुर पाटन से घासीपुरा की सड़क निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र को हरियाणा व जयपुर डिस्ट्रिक्ट से सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में हसामपुर से लादी का वास तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

190. नागौर-लाडनूं सड़क को पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

191. लाडनूं से बावड़ी सड़क के बीच के टुकड़े (मीसिंग लिंक) को पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. लाडनूं मीठड़ी वाया कसुम्बी सड़क के बीच के छोटे से मीसिंग - लिंक को पूर्ण नही किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

193. ग्राम निम्बीजोधा से बाकलीया सड़क निर्माण करके नागौर सीकर के सीधे रास्ते को जोड़ने के कार्य को नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा)

194. अलवर जिले की तहसील तिजारा के गांव भिण्डूसी हाईवे से गहनकर रास्ते पर पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

195. अलवर जिले की पंचायत समिति कोटकासिम के गांव जोड़िया से बीबीरानी बाया लाड़पुर, रोनीजा, निमलाका, भोजराजका होकर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

196. अलवर जिले की तिजारा तहसील के गांव भूडली से कारण्डी होती हुई हरियाणा सीमा तक ताबडू रोड में मिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

197. अलवर जिले की पंचायत समिति कोटकासिम के गांव जखोपुर से गुजरीवास करीब 4 किलोमीटर हरियाणा सीमा तक बनी सड़क में मिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

198. रेवाड़ी कोटकासिम रोड पर साहिबी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (बामनवास)

199. मेवल रोड के नाम प्रदेश में किए जा रहे करोड़ो के घोटाले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

200. बामनवास विधान सभा क्षेत्र में बनाई जा रही सम्पर्क सड़कों पर पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. बामनवास विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कार्य सलाहकार समिति का 18वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर उपस्थापन एवं विचार। श्री महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय के वैश्म में दिनांक 16 जुलाई, 1996 को मध्यान्ह पश्चात् 5.00 बजे हुई। समिति दिनांक 23 और 24 जुलाई, 1996 को सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार-विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :–

मंगलवार, 23 जुलाई, 1996

1. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण

2. मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण

3. राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण

4. राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण

बुधवार, 24 जुलाई, 1996

1. राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण

2. राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण

3. राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। नियमों में भी प्रावधान है और परंपरा भी रही है कि फ्राइडे को प्राइवेट मेम्बर्स डे होना चाहिए। पिछले बजट सैशन में जो संकल्प यहां पर माननीय सदस्यों ने प्राइवेट मेम्बर्स डे में तैयार किये थे, वे संकल्प अभी पेंडिंग हैं। पिछला सैशन छः दिन का हुआ था और इस बजट सैशन में इस बात की अपेक्षा थी। इसकी मांग भी थी कि प्राइवेट मैम्बर्स डे रखा जाए। हिसाब से प्रति शुक्रवार प्राइवेट मेम्बर्स डे रखा जाना चाहिए। आज चार हफ्तों के अन्दर आपने एक भी प्राइवेट मेम्बर्स डे नहीं रखा है। और आप इसे भी शुक्रवार से पहले 24 तारीख को समाप्त कर रहे है तो मेरे ख्याल से यह नियमों की अवहेलना है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि There shall be a Private Member's Day. शैल शब्द का प्रयोग किया हुआ है। या तो कहीं इस मामले में चर्चा नहीं हुई या कहीं यह ओवरलुक कर दिया गया है। एक हफ्ते में नहीं कर सकते तो कम से कम बजट सैशन में एक दिन तो प्राइवेट मैम्बर्स डे होना चाहिए। अफ्टर आल इतनी मेहनत करके सदस्यों ने अपने संकल्प प्रस्तुत किये हैं, वे संकल्प साल भर से पेंडिंग है। आपने इस बजट सैशन में भी उन संकल्पों को नहीं लिया है। अब अगला सैशन अक्टूबर में 5 दिन का आएगा, फिर बजट सैशन। दो-दो साल तक अगर इस तरह संकल्प पेंडिंग रहेंगे तो मेरे ख्याल से यह गलत परंपरा होगा और हम आगे के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में प्राइवेट मैम्बर्स बिल के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी। आपकी तरह ही मेरी भी यह डिमांड थी कि एक दिन इसके लिए निर्धारित किया जाए और 19 तारीख, फ्राइडे को किया जाए। निर्णय यह हुआ था कि एप्रोप्रिएशन बिल के अन्दर समय दिया जाएगा और प्राइवेट मैम्बर्स के लिए भी उस दिन समय निर्धारित किया जाएगा। आपने प्रतिवेदन में उसका उल्लेख नहीं किया है इसलिए इस प्रतिवेदन में अध्यक्ष महोदय की चेयरमैनशिप में जो निर्णय हुआ है उसके अनुरूप संशोधन करते हुए इसको पारित किया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

संशोधन किया है, मीटिंग में चर्चा हुई थी प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर। उसमें यह हुआ था कि उस दिन एप्रोप्रिएशन बिल पर कितना समय, ढाई घंटे उसके लिए रखा जाता है, इतना समय उस पर होगा और उसके बाद इतना समय नहीं बचेगा कि जिससे माननीय सदस्य उस पर बोल सकें। लेकिन फिर भी यदि सदन की राय है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती कमला : निर्णय हुआ था।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह हुआ था कि यहां कोई शकधर की किताब थोड़े ही पढ़नी है। हमारी पढ़ी हुई है, पढ़ लो लेकर आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 19 तारीख को शुक्रवार को...

श्री परसराम मदेरणा : मैं चर्चा होने के बारे में पूरे दिन की बात कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : वह ढाई घंटे की बात ...

श्री परसराम मदेरणा : एप्रोप्रिएशन बिल पर कम टाइम मिलेगा। उन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएशन बिल पर 22 तारीख पूरी मिल जाएगी। आधा दिन यह मिल जाएगा, प्राइवेट मैम्बर्स डे में आधा उसमें समय दिया जाएगा, आधा एप्रोप्रिएशन बिल पर दिया जाएगा। यह बात तय हुई थी। नोइंगली और इंटेशनली, मैंने सोचा कि पूरा दिन नहीं रख रहे है तो आधा दिन तो रखना ही चाहिये। निर्णय तो यह हुआ था। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, उसके बाद यह हो गया, वह हो गया। यह बरसात में बिल्ली पर हाथ फेरते हैं उस से हाथ मत फेरो, जो सही बात हुई है वह बात रखें। अध्यक्ष महोदय खुद बैठे हुए थे, मैं अध्यक्ष महोदय के पास बैठा हुआ था। क्योंकि मैं कल थोड़ा-सा दूर हो गया, आज मैं बहुत नजदीक जाकर बैठा। इसलिए आप जो निर्णय हुआ है... नहीं-नहीं, वह तो इसमें अमेन्ड हो जाएगा नये सिरे से क्या करना है।

श्री किशन मोटवानी : संशोधन मत कराएं, नये सिरे से कराएं।

श्री परसराम मदेरणा : संशोधन नहीं, संशोधन कुछ नहीं। वहां तो निर्णय तो यह हुआ है...

श्री अध्यक्ष : हां, तो उसी की तो...

श्री परसराम मदेरणा : मैं संशोधन नहीं कर रहा हूं। यह तो आपने...

श्री महावीर प्रसाद जैन : 19 तारीख को शुक्रवार को प्राइवेट मेम्बर्स को ले लिया जाएगा । ढाई घण्टे की चर्चा का प्रावधान है, उन प्रावधान के अनुसार शुक्रवार को प्राइवेट मैम्बर्स बिल को भी रखा जाएगा।

श्री किशन मोटवानी : आधा दिन नहीं चलेगा। नहीं, इसको वापस लें और नये सिरे से लें...(व्यवधान) संशोधन करते हैं तो परंपरा गलत बनती है, इसलिए मैं कहता हूं कि वापस ले लीजिये और इसे नये सिरे से कीजिये।... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : प्रस्ताव ले आए, आधे घण्टे (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : यह तो फिर परंपरा हो जाएगी। उसमें फिर संशोधन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, बिराजें आप। अभी तो मंजूर कर लें और 19 तारीख के लिए अलग से प्रस्ताव दे देंगे कि उस दिन आधा दिन प्राइवेट मैम्बर्स के लिए रख लेंगे।

श्रीमती कमला : कमेटियों में जो फैसला हुआ है। यह तो सही नहीं है, इन्होंने गलत दर्ज कर रखा है।

श्री किशन मोटवानी : निर्णय होता है तो उसके अनुसार आना चाहिये। यह तो बीट्रेयल आफ कान्फिडेन्स है। अब हमें यह कहा जाता है कि हाउस में आप सलाहकार कमेटी के किसी भी निर्णय को अमेंड नहीं करेंगे, As it is we shall have to accept it आप इसको पूरे ढंग से नहीं रखना चाहते।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप आधे घण्टे के बाद वापस –

श्री किशन मोटवानी : इसको वापस लेकर के नये सिरे से दीजिये। 15 मिनट में, आधे घण्टे में क्या फर्क पड़ता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसमें दिक्कत है चीफ व्हिप साहब को।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : काहे को संशोधन की प्रक्रिया बदलते हो ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री परसराम मदेरणा : आप एक मिनट के बाद में इसको रख दीजिये। नहीं तो स्पीकर को तो डिस्क्रीशन है इसमें चेंज करने का। हमसे कौनसा पूछा था कि इर्रिगेशन और पंचायत की डिमान्ड बदली है। अध्यक्ष महोदय का तो अधिकार है। इसलिए आप एक मिनट में लाकर रख दीजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप तो वह री-टाइप कराकर ला दीजिये। संशोधन की परंपरा गलत मत डालिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपके लिये मुसीबत हो जाएगी, हम तो फिर संशोधन रोज लेंगे इसलिए उसको दुबारा से करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा शुरू कराओ।

श्री अध्यक्ष : डिमान्ड पर चर्चा। श्री जोगेश्वर जी।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, 1979 याद आ रहा है मुझे। मैं उस समय चौहटन में था, भारत -पाकिस्तान बार्डर पर। एक दिन शाम को खाली समय में बैठे हुए अपने ट्रांजिस्टर की ट्यूनिंग ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक रेडियो मुलतान पकड़ लिया। रेडियो मुलतान से उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का भाषण आ रहा था। मुलतान में कोई सड़क बनी थी, उस सड़क का

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उद्घाटन था। उद्घाटन करते समय उन्होंने भाषण में जो कुछ कहा , उसमें से एक वाक्य मुझे आज भी याद है, गूंजता है मेरे दिमाग में। अध्यक्ष महोदय, वह वाक्य था कि तरक्की सड़कों पर चल कर आती है। अध्यक्ष महोदय, किसने कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, कब कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि बात में कितना सार है। किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की तरक्की करनी है, विकास करना है तो वहां पहले सड़क पहुंचानी होगी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : किसने कहा था ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : जुल्फिकार अली भुट्टो ने।

श्री टीकमचन्द कांत : पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, दो-तीन दिन में या शायद कल या परसों में, ऊपर जो थोट आती है अखबार में, शायद राजस्थान के किसी अखबार में या नवज्योति में होगा या उसमें नहीं होगा तो हन्दू में होगा, दोनों में से एक में ऊपर आता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू का सड़कों के बारे में से एक में ऊपर आता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू का सड़कों के बारे में एक उद्धरण है, अब मुझे एक्चुअल लैंग्वेज याद नहीं है लेकिन उन्होंने प्रकृति की लाइफ लाइन या ऐसा कुछ वर्ड यूज किया है। जुल्फिकार कहां उसको कोट कर रहे हो, पंडितजी को कोट करो, जनाब।

श्री टीकमचन्द कान्त : उसने पंडितजी की नकल की होगी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन किया कि बात किसने कहीं, कब कही यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस बात में कितना सार है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो सबसे पहले उस क्षेत्र में सड़कें पहुंचे। जैसे मेरे जालौर जिले का सांचौर क्षेत्र है, उसमें 25-30 गांव हैं जो नहरी क्षेत्र में आते हैं। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, दो-दो महीनों तक पानी पड़ा रहता है और अन्दर आदमी पानी के बीच में बैठे रहते हैं। किस हालत में हैं, किस हालत में नहीं हैं, खाने को है या नहीं है, पीने को है या नहीं है, दवा है कि नहीं है, कोई बीमार हो गया तो कैसे इलाज हो, क्योंकि वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते तो इलाज कैसे करेंगे, उनकी सुख-सुविधा का ख्याल कैसे करें, उनकी हालत कैसे देख पाएं, कैसे सुधार पाएं। महत्वपूर्ण बात यह है किसी भी क्षेत्र में कोई भी साधन , कोई भी विकास की बात पहुंचानी है, पानी पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है, चिकित्सा सुविधा पहुंचानी है या और कोई भी सुविधा पहुंचानी है तो वहां पर पहुंचने के लिये अप्रोचेबल रोड, वहां पर पहुंचने लायक सड़क होना अत्यंत आवश्यक है। यह एक नीतिगत विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखकर 1990 में जब से राजस्थान में माननीय भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी उस

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सरकार ने विशेष तौर पर ध्यान देना शुरू किया। सड़कें पहले भी बनी होंगी, मैं यह नहीं कहता कि पहले बिलकुल नहीं बनीं और सारी की सारी इन सात साल में बनीं हैं। सड़कें पहले भी बनी हैं, पर कितनी बनीं, कैसी बनीं, कहां बनी, यह एक सोच का विषय हो सकता है। सड़कें कम मात्रा में बनी, कम लम्बाई में बनी, सड़कें अच्छी नहीं बनी, क्वालिटी गड़बड़ रही, भ्रष्टाचार बहुत अधिक हुआ, जितना पैसा लगा उससे बहुत कम मात्रा में काम हुआ और उसी प्रकार से बनी कहां। अभी एक मुद्दा आया था अकाल राहत को लेकर कि राजनैतिक दृष्टि से कहां बनाना, कहां नहीं बनाना यह न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर तय नहीं होता, कहां जरूरत है यह सोच कर तय नहीं किया, यह सोच कर तय किया कि हमारे राजनीतिक दल को लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से कहां आवश्यक है, उपयोग है वहीं काम किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह नजरिया बदला। एक बार चुनाव हो गये बात खतम, एक बार एम.एल.ए. जीत गया और डेढ़-दो लाख जनता के 50 हजार या 40 हजार वोट मिले उनकी बात खतम। हमने यह निर्णय लिया कि पूरे के पूरे 200 एम.एल.ए. इस राजस्थान की धरती के प्रतिनिधि हैं। सभी क्षेत्रों में, सभी जिलों में, सभी तहसीलों में, सभी गांवों में समान रूप से विकास की गंगा पहुंचे, यह विचार करके सड़क के बारे में एक नीतिगत निर्णय हमारी सरकार ने किया। उसके कारण यह दृश्य आज राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि जहां-जहां आवश्यकता थी वहां-वहां पहले रोड पहुंच रही है, राजनैतिक दृष्टि से किसी क्षेत्र या गांव को फायदा पहुंचाने की बात की बिलकुल चिन्ता किये बिना। जहां आवश्यकता है, जहां उपयोग है, जहां जरूरत है वहां पहले सड़क पहुंचे, जहां कम जरूरत है, वहां बाद में पहुंचे। इस प्रकार का राजस्थान सरकार ने नीतिगत निर्णय किया। उसमें यह था कि जनसंख्या के आधार पर निर्णय किया जाए और जनसंख्या जहां ज्यादा है पहले उनको सड़क से जोड़ा जाए, उसके बाद थोड़ी कम जनसंख्या वालों को जोड़ा जाए, उसके बाद और थोड़ी कम जनसंख्या वालों को जोड़ा जाए। इस प्रकार से समयबद्ध, चरणबद्ध कार्यक्रम हाथ में लिया, उसका नतीजा यह निकला है कि पिछले सात साल में करीब 15 हजार किलोमीटर रोड बनी है और उस 15 हजार किलोमीटर से कुल 1400 के आसपास गांव जोड़े हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : जालौर में कितना किलोमीटर रोड है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : किताब आपके पास पड़ी है, पढ़ना जानते हो तो पढ़ लीजिये नहीं तो मैं बता दूंगा शाम को। अभी मेरा समय खराब नहीं करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में लगभग 1300 किलोमीटर जालौर के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आसपास सड़क बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि पिछले वर्षों में पूरे राजस्थान की जो स्थिति बनी है वह 1949 से लेकर 1989 तक 40 वर्ष की है। यदि 40 वर्ष का औसत निकालें तो प्रति वर्ष लगभग 1056 किलोमीटर राजस्थान की धरती पर सड़क बनी है। बाद के सात वर्षों का देखें, 1990 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आयी तब से लेकर आज तक प्रति वर्ष 2061 किलोमीटर सड़क बनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1056 की तुलना में 2061 किलोमीटर प्रति वर्ष का औसत इन सात सालों में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस कारण से आज राजस्थान में जितने गांव हैं उनमें आधे से ज्यादा गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं और बाकी गांव वालों को जोड़ने के लिए चरणबद्ध प्रयास हो रहा है, योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है। मैं इसके लिए इस सदन की ओर से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

यह तो जनसंख्या का आधार हुआ, इसके अलावा भी आधार राजस्थान सरकार ने लिया है, जैसे देवस्थान। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान जन-जन की आस्था के केन्द्र होते हैं, साल में कई मौके ऐसे हैं जब वहां पर लोग हजारों की संख्या में जाते हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और वहां तक जाने के लिए सड़कें नहीं होती थीं। जैसे मेरे जालौर में सुण्डामाता मंदिर है, अच्छी शक्तिपीठ है, प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, वहां पर गुजरात और राजस्थान के लोग लाखों की संख्या में हर साल पहुंचते हैं। छह साल पहले तक वहां तक पहुंचने के लिए एक भी दिशा से पक्की रोड नहीं थी। वर्षा के मौसम में जब यात्रियों को पहुंचना होता था, श्रद्धालुओं को वहां पहुंचना होता था तब बड़ी कष्टदायक स्थिति उनकी बनती थी। वाहन जाने को तैयार नहीं होते। दुगुना, तिगुना पैसा देने के बाद बड़ी मुश्किल से फोर-व्हील ड्राइव गाड़ियां मिलती थी तब जाकर लोग पहुंच पाते थे। इन छह सालों में जो प्रगति हुई है, उस सुण्डामाता मन्दिर को तीन दिशाओं से हमने जोड़ा। जसवंतपुरा की तरफ से आदमी जाना चाहे तो रोड है, रानीवाड़ा-मालवाड़ा की तरफ से आना चाहे तो रोड है, भीनमाल से जाना चाहे तो रोड है। इस प्रकार के जन-संवेदनाओं से जुडे हुए, जन भावनाओं से जुड़े हुए स्थानों को ढूंढ-ढूंढ कर हमारी सरकार ने पिछले सात साल में जोड़ने का प्रयास किया है और अधिकांश जगह पर सफल हुए हैं। कुछ स्थान बचे हैं, उनके लिए भी कार्यवाही चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्ष निश्चित रूप से वे स्थान भी जुड़ेंगे। माननीय मंत्री महोदय को मैं याद दिलाना चाहूंगा, पाली जिले में एक स्थान है सोनाड़ा खेतलादी। आप कई बार जा चुके हैं, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आयुर्वेद मंत्रीजी भी उसी क्षेत्र से आते हैं, वह

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

स्थान आपकी नजरों से कैसे बच गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्ष की योजना में उस स्थान को जरूर आप डामर से जोड़ दें।

श्री अचलाराम मेघवाल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : स्वीकृत हो गयी है ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : स्वीकृत हो गयी तो बड़ी खुशी की बात है। मैं गया था तब तक तो नहीं हुई थी। बहुत धन्यवाद। होना ही चाहिये था, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। यह तो उनके क्षेत्र की बात कर रहा था, मंत्री महोदय, लेकिन और भी ऐसे कई स्थान हैं जहां जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे स्थान बहुत इंटीरियर में हैं, इनमें अधिकांश हमारे हिन्दू समाज के तीर्थ स्थान हैं जो बहुत दूरदराज में पहाड़ों या जंगलों में है। वहां तक पहुंचने के लिये आपके एक हजार या पन्द्रह सौ की आबादी के ये सारे नार्म्स लागू नहीं होने चाहिए। हल्देश्वर जहां गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की, बहुत प्राचीन तीर्थ स्थान है। इसको मैंने अकाल राहत में सड़क से जोड़ने के लिये बात की तो कहा गया कि कवर नहीं होता। वह इसलिये कवर नहीं होता कि वहां पन्द्रह सौ की आबादी नहीं है। इस तरह के नार्म्स लगाये और मैं वह काम नहीं करवा पाया। इस तरह के स्थानों को ढूंढ-ढूंढ कर जन सुविधाओं की दृष्टि से जोड़ सकें तो बहुत उपयोगी रहेगा।

इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग में कार्य सम्भालने के पूर्व सड़कों की क्वालिटी बहुत गिरी हुई थी, उनका निर्माण स्तर अच्छा नहीं था इसलिए एक तरफ सड़क बनती थी और दूसरी तरफ टूटती थी। इस साल बनी तो अगले साल मरम्मत की व्यवस्था करनी पड़ती थी। पिछले सात वर्षों में स्थिति में परिवर्तन हुआ है और वह यह हुआ है कि आज अधिकांश सड़कें पेवर से बन रही है, मुझे यह उल्लेख करते हुए बहुत खुशी है। सात साल पहले पूरे राजस्थान में मेरे ख्याल से दो-तीन पेवर मशीनें हुआ करती थीं, इसके अतिरिक्त यदि कोई काम पड़ता था तो गुजरात से कांट्रेक्ट पर बुलाना पड़ती थीं। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ जालौर में ही चार पेवर मशीनें काम कर रही है और पूरे राजस्थान का हिसाब लगाएं तो सैकड़ों में पहुंच जाएंगी। जगह-जगह पेवर सड़कें बनने लगीं। जो नयी स्वीकृतियां हो रही हैं उनमें तो एक तरह से राइडर लग गया, प्रतिबन्ध लग गया कि सड़कें पेवर से ही बनेंगी। इसके कारण सड़कों की क्वालिटी में सुधार आया है। पेवर से बनी हुई सड़कें कई साल तक टूटेगी नहीं और न मरम्मत मांगेंगी तो समस्या का स्थायी तौर पर समाधान हो सकेगा और हम नयी सड़कें बनाने पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

इसी प्रकार से पहले के इंजीनियरिंग तरीकों को देखकर अचम्भा होता था। किसी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

भी गांव को सड़क से जोड़ना होता था तो पहले सड़क बना ली फिर बरसात होने दी, उससे पता लगाते थे कि सड़क कहां-कहां से टूटी। फिर जहां कॉज वे बनाना है, रपट बनाना है, पुलिया बनाना है, यह सारी प्लानिंग उसके बाद होती थी।

मुझे खुशी है, माननीय मंत्री महोदय, आपके कार्यकाल में जो सड़कें बनीं उसके लिये मैं साण्डेराव से लेकर चाण्देड़ तक की रोड का उदाहरण दूंगा। यह रोड पिछले साल बनी है लेकिन उसमें रपट का काम दो-तीन साल पहले हो गया। जहां-जहां से सड़क टूटने की सम्भावना थी, उसका पता लगाकर पहले रपट का काम किया, पुलिया का काम किया और उसके बाद सड़क बनी। काम करने का विभाग का यह बहुत अच्छा तरीका बना है, इसके कारण सड़कों की स्थिति में बहुत सुधार आ रहा है।

अभी अकाल राहत की चर्चा चल रही थी। अकाल राहत में पहले बहुत सड़कें बनीं। ईश्वर की ऐसी विडम्बना रही कि कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत अकाल पड़े। हर साल पड़ते थे तो हर साल अकाल राहत के काम भी होते थे। अब काम कैसे होते थे उसका राम मालिक है, जैसे होते थे वैसे होते थे। उस समय कोई पक्के काम नहीं होते थे। इधर की मिट्टी उठाकर उधर डाल दी, रेगिस्तान में हवा चलती है, हवा चली और मिट्टी उड़ गयी। सड़क कागजों में बन गयी, हकीकत में ढूंढने जाओ तो बरसात के बाद वह सड़क गायब। लेकिन उसके बाद भी जो थोड़ी-थोड़ी बहुत बचीं उन सड़कों की मरम्मत कौन करे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सारी सड़कें आपने और चतुर्वेदीजी ने ही बनायीं, बाकी किसी ने बनायीं ही नहीं। हमारे वक्त की सब सड़कें उड़ गयीं, आपकी बनायी हुई सब सड़कें हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : राठौड़ साहब ने सत्य तो बोला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : आप वाली उड़ गयी, हमने पेवर बनायीं, वे अभी हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : यह डामर कौन खा गया? कहां गयी सारी डामर ?

श्री परसराम मदेरणा : एक भी नहीं बनायी लेकिन एक बात को चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य निश्चित तौर पर एण्डोर्स करेंगे कि 8, सिविल लाइन से जो सड़क निकलती है —

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसका रास्ता मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तक तो ज्ञात नहीं हुआ, भूल-भूलैया है। सुभद्रा के पेट में अभिमन्यू था तो उसको नींद आ गयी इसलिये वह चक्रव्यूह में फंस गया। 8, सिविल लाइन से जो सीधी रोड निकलती है और वहां से जोधपुर और जोधपुर से जैसलमेर-पोकरण होकर रामगढ़ और तनोट तक जो डबल रोड है, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, उस रोड

(श्री परसराम मदेरणा)

को बनाने में एक इंच का भी कन्ट्रीब्यूशन आपका है ? अगर हमने नहीं बनायी तो किसने बनायी। यहां से उसकी डिस्टेंस एक हजार किलोमीटर है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : यह तो डिफेंस कारणों से सन् 1965 में बनायी थी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि सड़कें आपने भी बनायीं लेकिन एक साल में एक हजार किलोमीटर के औसत से बनायीं और हमने दो हजार किलोमीटर के औसत से बनायीं, डबल बनायी हैं। दूसरा निवेदन मैं अकाल राहत में बनी सड़कों के बारे में कह रहा था कि आधी सड़कें हवा में बह गयीं, बाकी आधी बरसात में बह गयी और बीच-बीच में सड़कों के जो टुकड़े बच गये उनको आपस में जोड़ने की व्यवस्था नहीं। अकाल राहत विभाग से कहा तो वे कहते हैं कि हम तो बना नहीं सकते, अकाल पड़ेगा तब बनाएंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़े दिन पहले रात को रास्ते में सांचौर ठहरा। वहां मुझे बताया गया कि सिरोही पहुंचने के लिये आप रानीवाड़ा मत जाइये। करड़ा से एक सीधी रोड भीनमाल आती है, डामर की इस सड़क पर तीन नदियां आती हैं उसमें कोई रपट नहीं है जगह-जगह गढ्ढे पड़े हुए हैं। उस दिन मैं पछताया कि आधा घंटा ज्यादा लगता रानीवाड़ा होकर जाता तो मेरे टायर तो नहीं घिसते।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय की जानकारी के लिये बता दूं कि वह रोड भी हमारे कार्यकाल में बनी। मिसिंग लिंक थे, टुकड़ों-टुकड़ों में बनी हुई थी जिसको हमने पूरा किया है। सांचौर से अरना तक बनी थी, इधर से करड़ा तक बनी थी। दो नदियां आती हैं, उसकी रपट भी बनायी।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें जगह-जगह गड्ढे थे, पिट होल्स थे, वे भी आपने तैयार किये ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : वे ठीक हो गये।

श्री परसराम मदेरणा : कब हो गये ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे गढ्ढे आपके टाइम के थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं दो ढाई महीने पहले आया, तब ही की तो बात है। वे गड्ढे किसने भर दिये ? गड्ढे खोदे किसने थे ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मुझे 1976 याद आ गया। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जैतपुरा गांव है, माननीय पशु पालन मंत्रीजी वहां से आते हैं। नवाब लुहारू आपके कोई पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर हुआ करते थे, मेरे गांव भी एक बार आये थे, मैंने देखा था। 1976 से वहां एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर लिखा है पुलिया का शिलान्यास किया जाता है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, 20 साल बाद, 1996 में वह पुलिया अब बन रही है। इस तरह का काम हमने तो नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : आपके पीडब्ल्यूडी. मंत्रीजी गये थे वहां पर, जैसलमेर सर्किट हाउस में मैं गया। वहां पर कूलर इतना ऊपर लगा हुआ है। एक दिन तो मैं बिस्तर नीचे रख कर सोया। फिर मैंने कहा कि अपने को डाग बंगले में चलना चाहिये, मैं सर्किट हाउस में नहीं जाता। यह मंत्रीजी के नोटिस में आया कि आपके टैक्नोक्रेट्स जो वहां गये हैं, घोटाला किया है, हालांकि इन्होंने He took the XEN left and right. इनके लैफ्ट हैण्ड राइड और ट्रेसिंग डाउन करने के बाद उसको अवार्ड मिला, उसको सस्पेण्ड होना चाहिये था। वहां पर क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है? रेवेन्यू मिनिस्टर साहब वहां पधारे और पत्थर लगा दिया और उसे कम्पलीट आपने कर दिया। उसमें जो टैक्नीकल डिफैक्ट रख दी, who is responsible for that ? उनको तो मालूम नहीं था वे तो अपना एक पत्थर रखना चाहते थे। पी. डब्ल्यू. डी. वालों ने उसके बाद कुछ ऐसी रिपेयर की कि मैं कहता हूं कि वह उसके बाद में गिर गयी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतला देना चाहूंगा कि जैतपुरा का पुलिया बन रहा है। उसके अलावा बड़गांव से पहले..।

श्री हीरालाल विश्नोई : एक जगह कहां बना, वह बताइये। मंत्रीजी के एरिया में बना वह है तो हम कह रहे हैं ...।

श्री जोगेश्वर गर्ग : राजस्थान में ही बन रहा है, गुजरात में थोड़े ही बन रहा है।

श्री हीरालाल विश्नोई : पक्षपात जो आप कर रहे हैं, वह तो हम कह ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, विश्नोई साहब।

(20.00)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, बड़गांव से पहले एक नदी और है। उस पर बहुत बड़ी पुलिया है, पुराने जमाने की बनी हुई है। गये साल की बरसात में ढह गयी। तत्काल सरकार ने उसके लिए स्वीकृति जारी की और आने वाले वर्ष में वह पुलिया बनकर तैयार होगी लेकिन माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में मैं यह भी लाना चाहूंगा कि जालौर शहर के दोनों तरफ नदी है। 7-8 किलोमीटर पर जवाई नदी है उत्तरी दिशा में और दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर पर सूकड़ी नदी पड़ती है जो कि आकोली नदी के नाम से भी जानी जाती है। इन दोनों नदियों में जब जब पानी आता है, जब भी बरसात होती है विशेषकर बाढ़ की स्थिति में उस समय जिला प्रशासन ऐसा पैक हो जाता है चारों तरफ से कि वायरलैस से मैसेज आ रहा है कि फलां गांव डूब रहा है मदद चाहिए लेकिन जिला प्रशासन वहां पहुंच नहीं सकता, चाहते हुए भी मदद नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से रास्ते बन्द हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि इधर

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जो जवाई नदी है उसमें दो भाग हैं वहां पर। दो भाग में से एक भाग की पुलिया बन गयी और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह पुलिया भी कांग्रेस के राज्य में बनी और कहां बनी ? दो भाग में से जिस भाग में पानी आता है वहां पुलिया बनी है और जिस भाग में साल में कम से कम चार महीने चलती है वहां पुलिया नहीं है, रपट बनी हुई है। उस रपट में कोई जम जाती है हर साल एक्सीडेन्ट होते हैं। हर साल वहां बोर्ड लगाना पड़ता है कि सावधानी से चलिये, हर साल काई की सफाई करवानी पड़ती है। माननीय मंत्री महोदय, सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस पुलिया को आप बनवाएं। आकोली नदी पर भी पुलिया बनवाएं ताकि जिला प्रशासन आपातकाल में तुरन्त पहुंचकर मदद पहुंचा सके, जनता तक राहत पहुंच सके। यह बहुत आवश्यक कार्य है।

एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहूंगा कि जालौर में एक किला है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का बना हुआ है। बीरमदेव सोनगरा और उनके पिताजी कानाडे सोनगरा ने मिलकर वह किला बनवाया था। ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से, पर्यटन दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उस तक जाने के लिए रास्ता अब भी केवल पैदल जाने का है। सड़क से जाने का कोई रास्ता नहीं है और वाहन से जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कई बुजुर्ग लोग चाहते हुए भी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। उसका नक्शा बन गया है, प्लान बन गया है, एस्टीमेट बन गया है, माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि उस एप्रोच रोड को भी बनाने का काम हाथ में लें। चरणबद्ध कर लें, थोड़ा थोड़ा करके कर लें लेकिन उसको करें जरूर। एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके शासनकाल में, आपके कार्यकाल में जालौर को मिलेगी।

इसके अलावा मिसिंग लिंक जालौर में बहुत ज्यादा हैं, तीन-तीन और चार-चार किलोमीटर के बचे हैं। बड़गांव से मोदरा 311 किलोमीटर मुश्किल से मिसिंग लिंक बनी हुई है। इसी प्रकार सियाना से लोटीवाड़ा सिरोही बार्डर बहुत छोटा-सा बचा है। इसी प्रकार से और भी मिसिंग लिंक है उनको यदि जोड़ दें तो पूरी रोड तैयार हो जाए। इसी प्रकार के छोटे मोटे काम हैं, समय समय पर बहुत मुस्तैदी से आप कर रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि इस स्पीड को और बढ़ाया जाये। सबसे बड़ी मुसीबत इसमें यह हो रही है कि डामर पिछले 6 महीने से उपलब्ध बिलकुल नहीं हो पा रहा है। कहीं भी एक भी ड्रम उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसके कारण से सारा काम अटका पड़ा है। स्वीकृतियां ढेर सारी हैं, तैयारी पूरी है, बजट बहुत है लेकिन डामर के कारण काम नहीं हो रहा है। मैटल वर्क हो गया, लेकिन डामर नहीं हो रहा है तो वह मैटर भी बिखर रहा है। इस स्थिति से आप कैसे निपटेंगे यह तो आप ज्यादा बैटर जानते हैं या आप अच्छी तरह से बता पाएंगे लेकिन मेरा

श्री जोगेश्वर गर्ग)

निवेदन है कि इस स्थिति से जितना जल्दी निपटा जाए उतना ही अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा। ये पहले पहले स्पीकर हैं इसलिए पूरी बात कह रहे हैं। उसके बाद दस-दस मिनट।

अनेक माननीय सदस्य : आज तो 5-5 मिनट।

श्री अध्यक्ष : 5-5 या 7-7 मिनट।

श्री परसराम मदेरणा : दस-दस मिनट का समय काफी है। लेट बहुत हो गए। 10 मिनट में भी कमी करने की इच्छा है तो आप चैम्बर में पधार जाओ और डिप्टी स्पीकर साहब को भेजें। कल उन्होंने किया था वैसा कर देंगे, और तो क्या।

श्री कैलाश मेघवाल : 5-5 मिनट आप देंगे तो 10 मिनट में खतम करेंगे और अगर दस-दस मिनट देंगे तो 15 तक जाएंगे।

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 21 पर मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के बारे में विचार रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्षजी, राज्य सरकार ने 1993 से पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली रोडों की स्वीकृति दी लेकिन बड़े दुख की बात तो यह है कि 1993 से जो दो किलोमीटर ग्रेवल रोड बनाने के लिए सैंक्शन जारी की आज दिन तक वह 2 किलोमीटर की ग्रेवल रोड नहीं बना पाये हैं। अगर सरकार तीन साल के अन्दर एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमी रोड को भी पूरा नहीं कर पाएगी तो कित सालों में पूरा करेगी ? एक तरफ तो सरकार वाहवाही लूट रही है कि हम इतनी रोड बना रहे हैं, दूसरी तरफ योजनागत कार्यों के लिए धन मिलता है तो 3-3 साल तक भी दो-दो किलोमीटर ग्रेवल रोड नहीं बन पाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आगे इनको कब बनाना चाहेंगे ?

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों के लिए 1993 और 1994 में स्वीकृति जारी हुई। उसमें आज गूजर बड़ौदा पंचायत मुख्याल नहीं जुड़ा, मीणा कौलाठा पंचायत मुख्यालय नहीं जुड़ा, अधूरी पड़ी हुई है। रामलान नहीं जुड़ा, रामसिंहपुरा सायोल नहीं जुड़ा, बिनजाड़ी नहीं जुड़ा, फुलवाड़ा नहीं जुड़ा, राणीला नहीं जुड़ा, गोताड़ नहीं जुड़ा। पहले स्वीकृति जारी की गयी, जब अनुमानित स्वीकृति जारी की गयी तो 2 किलोमीटर मानकर स्वीकृति जारी कर दी, वास्तव में वह 3 किलोमीटर थी। अब उस 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर भी तैयार नहीं की उन्होंने। फिर बाद में रिवाइज्ड, एस्टीमेट उन्होंने दिया कि इतना पैसा और चाहिए तब यह ग्रेवल रोड तैयार होगी। सवाई-माधोपुर में 9 सड़कों का तो रिवाइज्ड एस्टीमेट पड़ा है और वे धन के अभाव में अधूरी पड़ी हुई है। 9 सड़कों का पड़ा है

(श्री हीरालाल मीणा)

डब्ल्यू. बी.एम. के वास्ते। जिला सवाई माधोपुर के लिए कहते हैं तो पैसा नहीं है। सरकार कहती है कि 1997 तक ग्रेवल रोड बना देंगे, सब पंचायत मुख्यालयों पर या मेटल रोड बना देंगे पर उसमें धन का अभाव है।

दूसरा यह है कि जो पंचायत मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को निर्माण करवा रहे हैं वे काश्तकारों के खेतों में से होकर निकली हैं। उन काश्तकारों की खेती बरबाद हो गयी। उसके अन्दर एक या दो पानी के नाले निकलते हैं उस पर पुलिया नहीं बनवा रहे हैं। वहां पर रोज लड़ाई होती है। अब कहते हैं कि हमारे पास प्रोवीजन नहीं है पुलिया बनाने के लिए। यानी इसमें पैसा ही नहीं है तो क्या वहां से काश्तकार निकलने देंगे ? क्या वह जनोपयोगी हो जाएगी ? 10-15 लाख रुपया खर्च कर देंगे और खर्च करने के बाद में भी अगर उसके साधन नहीं होंगे तो क्या उसको पंचायत मुख्याल से जुड़ा हुआ मान लिया जाएगा ? मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो पंचायत मुख्याल से जोड़ने वाली सड़कें स्वीकृत की गयी हैं उनका निर्माण करवाएंगे ? जो उसके ऊपर पड़ने वाली नालियां हैं उनके ऊपर पुलिया बनवाने का आपका विचार है या नहीं ?

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सवाई माधोपुर जिले में पी.डब्ल्यू.डी. का ऐसा हाल है कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर दो नदियां पड़ती हैं- एक तो जीनद और दूसरी मोरल नदी, 2 साल हो गए दो साल में रपट नहीं बना सका यह पी.डब्ल्यू. डी. तो कब बनाना चाहेगा ? मेरे यहां तीन साल के अन्दर 3 किलोमीटर सड़क डामर की स्वीकृति जारी की थी 24-6-95 को आज वह ग्रेवल रोड नहीं है। कितने दिनों में यह कार्य पूरा होगा ? मैं तो यह कहता हूं कि जो ये थोथी घोषणा करते हैं और दुनिया को + + + बनाकर अपना मतलब सिद्ध करते हैं_

श्री अध्यक्ष : यह शब्द एक्सपन्द किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रथम बार बोल रहे हैं सदन में। उनका इससे अभिप्राय नहीं है। प्रयोजन उनका कुछ और था कि they are befooling.

श्री अध्यक्ष : हां, वह सामान्य भाषा में है।

श्री हीरालाल मीणा : अब तो हमारी देशी भाषा है। _(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप।

श्री हीरालाल मीणा : _मंत्री जी ने कोटा में 6 जून को यह घोषणा की है कि 31 मार्च, 1997 तक सन् 1071 की जनसंख्या वाले गांवों को डामर की सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली प्रत्येक सड़क को 31 मार्च, 1997 तक मैटल रोड बनाने का आदेश दे दिया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या 31 मार्च 1997 तक सब को मैटल रोड बना

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हीरालाल मीणा)

दिया जाएगा ? अगर आप ना करते हो तो यह अखबार की फोटो कापी है, इसमें लिखा है कि 31 मार्च, 1997 तक सब पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़क को मैटल रोड बना दिया जाएगा और अधिकारियों को आदेश दे दिया है। मेरा तो एक ही निवेदन करना है कि जो भी काम करना है वह काम करें, ऐसे ही हां न भरें, वास्तव में ऐसी व्यवस्था करें। मेरे क्षेत्र में जो काम हुए हैं उनकी जांच करवायी जाए कि पी डब्ल्यू. डी. ने क्या क्या किया है । तीन साल में तीन किलोमीटर ग्रेवल रोड नहीं बना सकें तो सरकार के सामने इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आप एक तरफ कहते हो किसी भी जवाब में कि सरकार के पास संसाधन उपलब्ध नहीं है और संसाधन उलब्ध होने पर कार्य होगा, लेकिन संसाधन उपलब्ध होने में तीन साल के अन्दर पांच लाख रुपये पी. डब्ल्यू. डी. खर्च नहीं कर पायी और कार्य भी पूर्ण नहीं कर पाती, इसके अलावा और क्या होगी।

दूसरी, पुलिया की समस्या बताता हूं। बौंली और निवाई के बीच में 37 किलोमीटर रोड का टुकड़ा है।

श्री अध्यक्ष : Let him complete please.

श्री हीरालाल मीणा : 37 किलोमीटर की दूरी है, उसके बीच में भील नदी पड़ती है। भील नदी के अन्दर चार महीने तक बौंली से निवाई जाएं तो सवाई माधोपुर होकर के आएं और दो दिन खराब करने पड़ते हैं। 250 किलोमीटर का रन करना पड़ता है इक तरफा। सरकार से बार-बार निवेदन करने पर भी आज दिन तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिया नहीं बनाओ तो और ही कोई विचार करके रपट बना दो। लेकिन मंत्रीजी कहते हैं कि कोई विकल्प मैं सोच रहा हूं। मेरे पास चिट्ठी आयी है। 6 महीने तो हो गये सोचते हुए, अब पता नहीं कब बनाएंगे।

दूसरा, बौंली से लाखनपुर, हमारी तहसील का एक तिहाई हिस्सा पहाड़ के पीछे रहता है। तीन चार किलोमीटर का टुकड़ा है, घाटी की खातिर हमारे क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को 40-40 किलोमीटर का चक्कर खाकर आना पड़ता है। बौंली चार किलोमीटर है, अगर वह जुड़ जाए तो घाटी में होकर के सीधा रास्ता हमारा हो जाएगा और एक तिहाई लोगों को लाभ होगा। इससे वे एक घंटे के अंदर जाकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे बौंली जाना हो तो एक दिन जाने में और एक पूरा दिन आने में लगता है। और फिर साधन नहीं है, रोड नहीं है, पैदल जाओ या ऊंटगाड़ी से जाओ। सभी पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों के बीच में नाले और नालों पर पुलिया बननी चाहिए तब तो वह जनता के उपयोग में आएगी नहीं तो बेकार पैसे लगा रहे हो। बरसात में वह पैसा बह जाएगा और फिर पी.डब्ल्यू.डी. कहेगी कि हम क्यों करें, यह तो पूर्ण नहीं हुआ। एक करोड़ 88 लाख रुपये का एस्टीमेट विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर

(श्री हीरालाल मीणा)

के पास विचाराधीन है। उन्होंने प्रस्ताव मांगे, पी. डब्ल्यू. डी. ने प्रस्ताव दिया, यह रोड बन जाए। लाइन कम थी, पांच किलोमीटर की सैंक्शन थी और वह 7 किलोमीटर है। दो किलोमीटर की सैंक्शन है और वह तीन किलोमीटर है। उसका और बाकी जो ग्रेवल रोड तैयार हैं उनका डामरीकरण करने का प्रस्ताव पड़ा हुआ है। अब वहां कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। मंत्रीजी कहते हैं कि 31 मार्च तक सब को ही कर देंगे। कैसे होगी ? यह कोई जादू से होगी या कोई मंत्र से होगी ? मंत्रीजी जवाब दें इसका कि 31 मार्च, 1997 तक हम इनको पूरा कर देंगे।

इसी के साथ मैं बार-बार निवेदन करता हूं कि पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों को आप अपनी घोषणा के अनुसार पूर्ण करें। बौंली-निवाई में जो भील नदी पड़ती है उसके अन्दर पुलिया बनावें। हमारे पहाड़ के पीछे से एकमात्र रास्ता मित्रपुरा का है जयपुर आने का। उसमें सतवाद के अन्दर ऐसे पड़ा हुआ है, कोई सरकार ध्यान नहीं देती। 100 किलोमीटर का रोड जयपुर से निवाई जाने के लिए, उस साइड के निवाई आने के लिए या लालसोट जाने के लिए है। वह एक किलोमीटर की रोड साल में 6 महीने बन्द रहती है , 6 महीने तक सारा ट्रैफिक बन्द हो जाता है। आदमियों को पैदल जाना पड़ता है, सतवाद को पार करने के बाद साधन मिलता है। इस एक किलोमीटर के वास्ते मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि एक किलोमीटर रोड और एक नाले पर पुलिया बना दी जाए। मैं इतनी सी बात कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसादजी जैन।

श्री परसराम मदेरणा : मंत्री महोदय, तीन किलोमीटर, एक किलोमीटर में पूरा दिन बचेगा। आदिवासी माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं, अपको इस बारे में पी डब्ल्यू डी आफिसर्स से कंसल्टेशन के बाद में कुछ प्रावधान रखना चाहिए। वह बहुत डिफिकल्ट एरिया है। मैं बौंली गया हूं, लाखनपुर की घाटी वाला मैं जानता हूं। डिटेल में आपको ध्यान देना चाहिए।

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्रीजी खुद भी जाकर आये हैं।

श्री हीरालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जामडोली, सतवाद की तीनों जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीनों समस्याऐं बहुत तगड़ी हैं, यह तीन समस्याऐं हल नहीं हुई। मंत्रीजी, अगर आप सुधारोगे तो जनता कभी नहीं भूलेगी।

कार्य सलाहकार समिति का 18वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसाद जी जैन, मुख्य सचेतक कार्य, सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के वैश्म में दिनांक 16 जुलाई, 1996 को मध्याह्न पश्चात 5.00 बजे हुई। समिति अपने 17वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 19 जुलाई से 24 जुलाई, 1996 को सदन में लिये जाने वाले कार्य के बारे में विचार विमर्श कर सिफारिश करती है कि समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

शुक्रवार, 19 जुलाई, 1996

1. विनियोग विधेयक पर विचार एवं
2. गैर सरकारी कार्य दिवस (समय 2.30 घंटे)

शनिवार, 20 जुलाई, 1996

रविवार, 21 जुलाई, 1996

बैठक नहीं होगी।

सोमवार, 22 जुलाई, 1996

विनियोग विधेयक पर अग्रेत्तर विचार एवं पारण

मंगलवार, 23 जुलाई, 1996

1. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण
2. मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण।
3. राजस्थान भू राजस्व विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण।
4. राजस्थान अभिधृति विधेयक 1996 पर विचार एवं पारण।

बुधवार, 24 जुलाई, 1996

1. राजस्थान रज्जु मार्ग विधेयक 1996 पर विचार एवं पारण।
2. राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996 पर विचार एवं पारण
3. राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने तो दो बिल के लिए कहा था, ये चार बिल कहां से ले आये ?

श्री अध्यक्ष : वह तो आपको खुद को पता है। बिराजिये। श्री शांतिलाल खोईवाल। 8 बजकर 18 मिनट पर बोल रहे हैं।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों के बारे में चर्चा हो रही है। मैं इस विभाग का विशेष तौर से इस बात के लिए आभारी हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया गया है। वैसे तो ये काफी लम्बी योजनाएं थीं, सन् 2000 तक पूरी सड़कों को जोड़ने का था लेकिन इसके पहले ही यह आब्जेक्ट पूरा हो गया है तो यह वास्तव में सराहनीय बात है। मैं विभाग का और विशेष तौर से माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

दूसरा प्रशंसनीय कार्य जो हुआ है वह यह है कि राजसमन्द जिले के लिए एक और डिवीजन का क्रीएशन हुआ है। यह इस बात का द्योतक है कि वहां पर वर्क लोड बढ़ा है, वहां पर सड़कों का निर्माण अधिक हो रहा है, वहां पर भवनों का निर्माण अधिक हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्क लोड जस्टिफिकेशन पाइंट ऑफ व्यू से मंत्रीजी ने उपयुक्त समझा कि एक डिवीजन से कार्य संचालित होना सम्भव नहीं है इसलिए एक डिवीजन अभी पिछले महीने क्रीएट हुआ है। इसके लिये भी मैं विभाग का और विशेष तौर से मंत्रीजी का आभर व्यक्त करना चाहूंगा।

जहां तक विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कामकाज का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुरज गांव में एक पुलिया बनी हुई है, लगभग पौन किलोमीटर है। मंत्री महोदय, आपका विभाग जिस ढंग से निर्माण करता है पुलिया का, हर वर्ष ज्योंही एक बार बाढ़ आती है, पूरी की पूरी पुलिया खिसक जाती है और हर बार उसकी मरम्मत करानी पड़ती है। मुझे जानकारी मिली है कि विभाग द्वारा आपको दो करोड़ पच्चीस लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। यदि इसका स्थायी तौर पर निर्माण करा दिया जाए क्योंकि जिला मुख्यालय से रेलमगरा पुलिया समाप्त हो जाने के कारण प्राय: कट-सा जाता है, ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी हो जाती है। मेरा अनुरोध है कि इसके प्रस्ताव आपके विभाग में आये हुए हैं, उसको तत्काल स्वीकार करावें ताकि वहां के लोगों की उस समस्या का निराकरण हो सके और आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो।

इसी तरह, मंत्री महोदय, कांकरोली बाई पास के निर्माण के लिए एक वर्ष पूर्व चार करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृति तो हो गयी लेकिन जमीन के एक्विजिशन के मुआवजे वाला मुद्दा है, उसमें बहुत शिथिलता बरती जा रही है। जमीन बहुत महंगी है। वहां पर एक बीघा की कीमत लगभग 3-4 लाख रुपये आती है और इसी रेट से वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब यदि विभाग सिर्फ 24,000 रुपये का मुआवजा दे तो मैं समझता हूं, यह किसानों के अधिकारों पर, उनके हकों पर कुठाराघात होगा। मेरा अनुरोध है कि कुछ ऐसी राशि दें कि किसानों को ऐसा महसूस नहीं हो कि

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

विभाग द्वारा उनके खिलाफ कोई ऐसा कृत्य किया जा रहा है जिससे उनके हितों पर कुठाराघात हो।

मैं 2-3 बातें सड़को के निर्माण के बारे में निवेदन करूंगा। चित्तौड़गढ जिले में चित्तौड़गढ़ तहसील में घोसुण्डा चित्तौड़गढ़ के बीच में एक डामर सड़क बनी हुई है। उसको 17 साल हो चुके हैं, मंत्री महोदय, 17 साल के बाद भी सैकण्ड लेयर अभी तक नहीं पड़ी है जबकि आपके विभाग के नोर्म्स के हिसाब से मैं समझता हूं, इतना लम्बा समय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उनकी जो साइड है उस पर भी समय-समय पर मिट्टी डाली जाती है, वह भी नहीं डाली जा रही है क्योंकि यह सड़क बहुत संकरी है, 10-12 फीट ही है। मैं समझता हूं, यदि गाड़ियों का आपस में क्रास हो तो दुर्घटनाओं का भय रहता है या फिर सड़क से नीचे उन चौकड़ियों में गिरने का भय रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस सड़क पर एक लेयर और डालें और साइड में मिट्टी डालने का काम भी पूरा करवाएं। घोसुण्डा से उदयपुर के लिए जब जाते हैं तो तुमड़िया तक तो पक्की सड़क बनी हुई है लेकिन तुमड़िया से सिंहपुर मात्र तीन किलोमीटर है। यदि इस मिसिंग लिंक का निर्माण हो जाता है तो घोसुण्डा से उदयपुर जाने के लिए जो रास्ता है उसमें 25 किलोमीटर की बचत होगी। इस आवागमन के साथ-साथ वहां के किसानों को अपनी उपज को मंडियों में ले जाने में भी सुविधा मिलेगी और इसका लाभ यातायात विभाग को भी मिलेगा निश्चित रूप से। इसलिए मेरा अनुरोध है, इसके बारे में मंत्री महोदय अपना उपयुक्त निर्णय लेकर इस क्षेत्र के लोगों को लाभ पंहुचाने की कृपा करें।

मैं एक निवेदन और करूंगा कि विभाग द्वारा जिन भवनों का राजसमंद जिला मुख्यालय पर निर्माण कराया जा रहा है, उनमें मार्बल की क्वालिटी बहुत घटिया स्तर की उपयोग की जा रही है। अब जैसे राजसमंद जिला मार्बल के लिए जाना-माना है, वहां पर दो रुपये, तीन रुपये, पांच रुपये वर्ग फीट की कीमत का मार्बल उपयोग करें तो उस मार्बल क्षेत्र की तौहीन है। जहां अब आप कलक्ट्रेट को देख लीजिये। उस कलक्ट्रेट में प्रवेश करने वाला व्यक्ति पहले तो यह सोचता होगा कि मैं कलैक्ट्रेट में प्रवेश कर रहा हूं और वह मार्बल क्षेत्र है, अच्छा मार्बल लगा होगा लेकिन वह मार्बल एकदम घटिया, थर्ड क्लास का है। इतना घटिया है कि लोग बाग इसको पसन्द नहीं करते। मेरा अनुरोध है कि जो लग गया वह तो लग गया लेकिन अब जो भवन निर्माण हो, उन भवनों में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखें तो उपयुक्त रहेगा। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। बिराजिये। समय पर समाप्त कर दिया, उसके लिए आभार आपका। श्री हरिश्चन्द्र जी

(श्री अध्यक्ष)

पल्लीवाल। 8.25 बजे। कृपा होगी यदि थोड़ा-सा संक्षेप में कहें सभी तो।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामवासी सरकार से और जन प्रतिनिधियों से एक ही अपेक्षा करते हैं कि उनके गांव के अन्दर आवागमन के साधन हों, सिंचाई की व्यवस्था हो, शिक्षा व चिकित्सा की सुविधा हो। आवागमन के साधन के ऊपर बाकी के दोनों और सारा विकास निर्भर है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वैसे तो वे सवाई माधोपुर जिले में काफी जाते हैं लेकिन सवाई माधोपुर जिले की भौगोलिक स्थिति का यदि आप सही ढंग से अवलोकन करें तो आपको और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सवाई माधोपुर जिला एक तरफ तो चम्बल का बीहड़, एक तरफ बनास नदी का बीहड़, दूसरी तरफ पथरीला इलाका है और एक तरफ डांग का क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो सड़क नीति बनायी है, उसमें 1500 की आबादी के पंचायत मुख्यालय और 1000 की आबादी को जोड़ने का प्रावधान रखा है। मैं आपको याद दिलाऊं, सन् 1987 के अन्दर भारत सरकार ने डाकूग्रस्त क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक एंटी-डेकोइट प्रोजैक्ट बनाया था और इसी सन्दर्भ में करौली में एक डिवीजन भी खोला। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो करोड़ों रुपया उस प्रोजैक्ट पर खर्च किया, आज क्या वे सड़कें बन चुकी हैं? आज की तारीख में उनमें से 70 प्रतिशत सड़कें नहीं बनी हैं जबकि करोड़ों रुपयों का भुगतान ठेकेदारों को किया जा चुका है। वह क्यों किया ? जो उनकी मलाई खाने का काम था या अर्थवर्क का मिट्टी का कार्य था और जो उसके ऊपर एक लेयर है उसका तो काम उन्होंने कर दिया और उसके बाद फोरेस्ट विभाग से मिलकर उस जमीन को, उस क्षेत्र को फोरेस्ट विभाग का बताकर उसके ऊपर स्टे ले लिया। मजबूरन ठेकेदार को आपके आरबीट्रेटर बैठकर या जो कोर्ट में चले गये, उन्हें भुगतान तो करना ही पड़ा लेकिन असली काम सड़क बनाने का था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, आपने वहां पर डिवीजन खोला वह डिवीजन एंटी-डेकोइट का था और गंगापुर में जो डिवीजन खोला था वह जनरल था। उसमें मेंटीनेंस, रिपेयर वगैरह सारा काम था, आपने उसको क्यों बंद कर दिया ? अगर आपको बंद करना ही था तो आपको करौली का वह डिवीजन बंद करना चाहिए था गंगापुर का नहीं करना चाहिए था। अब आप एक प्ली यह ले रहे हैं कि गंगापुर में हमने एग्रीकल्चरल डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो वर्ल्ड बैंक का है, डिवीजन खोल दिया। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, गंगापुर क्षेत्र के अन्दर कौनसे काम हैं एग्रीकल्चरल डवलपमेंट के ? एक भी काम गंगापुर क्षेत्र में नहीं हैं, गंगापुर में डिवीजन खोलने से कोई फायदा नहीं है। गंगापुर में अफसरान बैठकर कोई

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

हिण्डौन भागता है, कोई सवाई माधोपुर भागता है, कोई करौली भागता है, कोई कहीं भागता है। जहां पर प्रोग्राम है उनको जाना, चाहिए। जहां उनका काम है उनको काम करना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि एक तो गंगापुर में जो डिवीजन बंद किया है उसको पुन : गंगापुर में रखवाने की कृपा करें।

दूसरा निवेदन है, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य जोगेश्वर जी गर्ग कह रहे थे, सात साल में 14,000 किलोमीटर की लम्बाई की सड़क बना दी है। मैं यह नहीं कहता कि आपने नहीं बनायी है, बनायी है लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप ग्रेवल रोड बनाना छोड़ दीजिये। जितना भ्रष्टाचार इस ग्रेवल रोड के अन्दर होता है, किसी सड़क के अन्दर नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, मेरे गंगापुर क्षेत्र के अन्दर एक ऐसा एरिया है जो रेतीला इलाका है, आपने वहां ग्रेवल रोड बना दी। आपने भूड़े को इकट्ठा करके अथवा करा दिया। अर्थवर्क के बाद में आपने क्वेरी रोड बना दी, क्वेरी रोड उसके ऊपर बिछा दी, और हुआ तो उसके ऊपर रोलर भी आपने फिरा दिया। एक साल क्या, छह महीने के भीतर जो मिट्टी है वह तो ऊपर आ जाएगी और जो आपने ग्रेवल रोड बनाई है वह नीचे चली जाएगी। अब बताइये उसका क्या फायदा हुआ। दो-एक इलाके ऐसे हैं जो काली मिट्टी के हैं, आपने उस पर ग्रेवल रोड बिछा दी। उसके ऊपर आदमी तो खैर, चल ही नहीं सकता, जो ऊंट लड्डी है वह भी नहीं चल सकती, ट्रेक्टर है वह भी नहीं सकता। नतीजा क्या निकलता है ? अ ट्रेक्टर उसके ऊपर होकर चलता है तो उसके टायर पंचर होने का डर रहता है। अगर ऊंट लड्डी चलती है या बैलगाड़ी चलती है तो नतीजा क्या निकलता है, उनके खुरों के अन्दर चोट लगती है। इसलिए वे कृषक जो अपना सामान लेकर आते हैं बगल से एक पगडंडी बना लेते हैं और पगडंडी के ऊपर चलते हैं, आपकी ग्रेवल रोड के ऊपर वे कभी नहीं चलते। इसलिए मेहरबानी करके आप चाहे लम्बाई कम बनाओ लेकिन ग्रेवल रोड कम से कम राजस्थान के अन्दर तो मत बनाओ। अगर आपको बनानी है, डब्ल्यू.बी.एम. रोड बनाओ, बी.टी. रोड बनाओ। इसलिए मेहरबानी करके इस पर भी आप विचार करें।

तीसरा मेरा पाइंट है, अध्यक्ष महोदय, कि विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से हमारे सवाई माधोपुर जिले के अन्दर सड़कों का निर्माण कराया जाता है, चाहे वह जवाहर रोजगार योजना हो या कोई भी हो। अब हमारे यहां पर सवाई माधोपुर जिले के अन्दर जो एक डांग विकास क्षेत्र का प्रावधान रखा है कि डांगों का विकास करेंगे, डांगों के अन्तर्गत जो आते हैं उनका विकास करेंगे। तो क्या डांग विकास क्षेत्र के नाम के ऊपर आप स्कूल खोल देंगे, स्कूल की बिल्डिंग बना दोगे, दो कमरे आप बना दोगे, एनीकट आप बना दोगे ? विशिष्ट योजना मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं,

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

इनको भी इन्स्ट्रक्शंस कलेक्टर को या डी. आर.ए. को देने चाहिए कि आप डांग

(20.31)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विकास क्षेत्र के अन्दर अगर वास्तव में गांवों का विकास चाहते है तो मेहरबानी करके आप सड़कों से उन गांवों को जोड़िये। कारण, वे गांव न तो आपके पन्द्रह सौ की आबादी में आते हैं, न आपके हजार की आबादी में आते हैं। जब उसके अन्दर आवागमन का साधन नहीं है, वहां सामान ही जब नहीं पहुंच सकता तो वहां का विकास कैसे होगा। आप इस तरह का नियम बना दो, डांग विकास क्षेत्र के अन्दर जितने भी विकास के कार्य हैं उनमें प्रथम वरीयता आप कम से कम सड़कों के लिये दीजिये। मेरे गंगापुर क्षेत्र के अन्दर ही छह पंचायत डांग विकास क्षेत्र में आती है। छह पंचातयों के अन्दर सिर्फ दो गांवों को छोड़कर और किसी भी गांव के अन्दर, थोड़ी-थोड़ी दूरी के ऊपर चार-चार पांच - पांच सौ घर की ढाणी है, हजार की आबादी में तो आते नहीं, पन्द्रह सौ की आबादी में आते नहीं, लेकिन एक साथ अगर छह-सात ग्राम जुड़ जाएं चाहे कितना ही पैसा दो, एक बार में कम से कम पूरी की पूरी लिंक जुड़ जाए।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के बारे में मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। खैर, मंत्रीजी को तो मैं धन्यवाद भी दूंगा कि मेरी बहुत ही वर्षों की जो एक तमन्ना थी बाई पास की वह आपने मंजूर कर ली और उसका काम भी युद्ध स्तर के ऊपर चल रहा है। लेकिन साथ में, मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा। यह सही है कि काम करवाने का आपका प्रयास है, आप चिंतित है, आप संवेदनशील हैं, आप सवाई माधोपुर जिले को विशेष रूप से चाहते हैं इसमे भी दो राय नहीं है-

श्री परसादीलाल मीणा : सवाई माधोपुर को गोद ले रखा है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अब गोद ले रखा है सवाई माधोपुर जिले को, तो उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है और विशेष प्रेम भी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज यह दावे के साथ कह सकता हूं, सन 75-76 के अन्दर जब मैं भी सदस्य था इस सदन का, कृषि मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से मैंने उस समय 11 सड़कें बनाई थीं जो आज की तारीख में सारी की सारी डामर रोड हैं। यही स्थिति, 1985-86 में जब मैं यहां का सदस्य था, तब मैंने सरकार के माध्यम से इतनी रोड्स सैंक्शन कराई लेकिन आज तक उन सड़कों का निष्पादन नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं - खण्डीप से लेकर फुलवाड़ा तक तो है आपके मार्केटिंग बोर्ड की, फुलवाड़ा, मोहचा और रेडार, ये दो सड़कें तो हो गई हैं लेकिन आज का फुलवाड़ा से लेकर मोहचा तक सड़क नहीं बनी है। यह मैंने 1986 के अन्दर मंजूर करवाई थी। इसी प्रकार 1987 के अन्दर बीनापाड़ा से लेकर

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

नारायणपुर टटवाड़ा सड़क का मैंने वह कराया था विभिन्न योजनाओं में। विधान सभा में हर वर्ष मेरे क्वेश्चन आते हैं, एक ही जवाब आता है। सात योजनाओं में तो यह सड़क मंजूर हुई है, बीनावाड़ा से लेकर जो नारायणपुर टटवाड़ा की सड़क है, इन्होंने दो पुलियाओं का दिया है इसके अन्दर की दो पुलियाओं का तो निर्माण हो रहा है। जो सड़के पड़ी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करूं, जो सवाई माधोपुर हमारा मुख्यालय है वह सीधा का सीधा लिंक सपोटरा को जाता है। मेहरबानी करके इन सड़कों को आप पूरा कीजिये। समस्या आती है हमारे सामने कि इन पन्द्रह सौ और हजार की आबादी वाली सड़कों में आप जमीन का कम्पनसेशन नहीं देते और किसान अपने खेत में होकर सड़क नहीं निकलने देते। इसके साथ साथ ऐसी सिवाय चक जमीन भी है जिस पर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। दो-तीन ऐसे मामले हैं। गंगापुर से नौगांव की, सात किलोमीटर की एक सड़क है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो छठी मिनट चल रही है मेरी। मैं भी घड़ी देख रहा हूं। कम से कम दस मिनट तो दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो गंगापुर से नौगांव की सड़क है, नौगांव से उलटी सड़क डामर की हमने बना दी है, सिर्फ सौ मीटर का टुकड़ा रह गया है। प्रशासन में मैं कई बार निवेदन कर चुका, एक्स. ईएन. भी प्रशासन से बात कर चुके। और है क्या ? कोई झगड़ा नहीं है ? एक मन्दिर माफी की जमीन है, उस जमीन के दोनों साइड के बीच के अन्दर डोली है, बाठड़ी है कच्ची, उसके ऊपर होकर निकलवा दीजिये। आप अगर गंगापुर क्षेत्र में या कहीं भी सड़क बनाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके जो प्रशासन है, तहसील स्तर हो या एस. डी. ओ. स्तर हो उनको भी इस बात के लिए पाबंद कीजिये। अगर आपका डिपार्टमेंट उनसे यह कहता है कि हमारी इसके अन्दर मदद कीजिये, अगर पुलिस प्रशासन की भी आवश्यकता पड़े तो उसका भी सहयोग लेकर उन सड़कों का निर्माण कराइये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आपके यहीं से दिया हुआ उदाहरण बताऊं। गंगापुर क्षेत्र में एक गांव है बामन बलोदा और उससे लगता हुआ गांव है गूजर बलोदा। अभी नया ग्राम पंचायत मुख्यालय वह बना है। आपके विभाग ने उस सड़क के लिए मंजूरी दे दी। मंजूरी यह दे दी कि बामन बलोदा जो सम्पर्क सड़क है उससे गूजर बलोदा को जोड़ दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जो गूजर बलोदा गांव है वह शिड्यूल्ड कास्ट की ढाणी है और पांच किलोमीटर का एरिया है। उधर से जयपुर रोड से जोड़ने के ऊपर गांव के लिए पांच किलोमीटर का एरिया है और इधर गांव बामनबलोदा जो कि उनके समीप है और गंगापुर की लिंक रोड है उससे जोड़ने में उनके

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

लिए अड़चन पैदा की गई है, थी नहीं। आपके विभाग ने पचास प्रतिशत काम तो करा दिया, अर्थ वर्क का करा दिया, लेकिन न जाने क्यों, मैं तो जानता हूं क्यों, लेकिन एक ऊपर के दबाव के कारण से आपको एस. ई. ने, कलेक्टर ने और हो सकता है आपने भी रोक दिया हो। आप कहो तो ग्राम की जनसंख्या आपको पढ़ कर सुना दूं। मेहरबानी करके ग्राम गूजर बलोदा जो बामखास पंचायत में है, उसको जो मुख्यालय है उस सड़क से आप जुड़वा दीजिये, अर्थ वर्क में आपका पचास प्रतिशत पैसा तो खर्च हो ही चुका है। ढाणियों से मुख्यालय तक पहुंचने की है, ग्राम पंचायत मुख्यालय है, पंचायत भवन है, प्राइमरी स्कूल है और शिड्यूल्ड कास्ट की आबादी है, तो इन सब बातों के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि आप ग्रेवल रोड के ऊपर कम ध्यान दीजिये। दूसरी तरफ जो गंगापुर क्षेत्र के अन्दर ग्राम पंचायत मुख्यालय बूचोलाई है, सलमपुर है, यानि दो-चार-पांच ग्राम पंचायत मुख्यालय बचे हुए हैं उन सब को आप सम्पर्क सड़क से जुड़वा दीजिये। माननीय कृषि मंत्री जी ने गंगापुर के अन्दर अतिवृष्टि के नाम पर दो-तीन सड़कों का अभी निर्माण करवाया है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और आपको भी पुन : धन्यवाद देता हूं कि बाई पास बनाया। गंगापुर क्षेत्र की ओर आप मेहरबानी करके विशेष ध्यान दीजिये और जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं 1986 से लेकर अब तक अधूरी पड़ी हैं, उनका आप तुरन्त निष्पादन कराइये, यही मेरा आपसे कहना है। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा मांग संख्या 21 के बारे में। पंचायत समिति बालोतरा में जहां पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ने का प्रश्न है, इस ढाई साल के अन्दर जो सड़कें दो-दो किलोमीटर स्वीकृत हुई थी उन पर आज दिन तक बार-बार निवेदन करने के बावजूद डामर नहीं की गयी जिसके कारण से ढाई किलोमीटर सड़क सराणा की नहीं बनी, एक किलोमीटर सड़क डोली का डामरीकरण नहीं हुआ और चांदेसरा की जो दस किलोमीटर सड़क है उसमें से सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क का डामर किया गया। स्टेशन की सड़क है, पंचायत मुख्यालय भी है तीन किलोमीटर, उसका भी डामरीकरण नहीं किया गया। ढाई साल के अन्दर जो इन पंचायत मुख्यालयों को जोड़ना था, सिर्फ तीन किलोमीटर डामर हुआ है। पंचायत मुख्यालय अभी जुड़ा नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां मैटल आपने बना रखी हैं लेकिन उसका मैटल बिलकुल बिखर रहा है उसमें डामरीकरण नहीं हुआ है। पंचायत मुख्यालय भी है लेकिन उसका डामरीकरण नहीं हुआ है। जो कार्य हमारे यहां खुलता है, स्टेट हाईवे पर उसको छोड़ा करो। या हर साल उसको दुबारा बनाओ

(श्री अमराराम चौधरी)

सारा पैसा लगाकर। आज आप जोधपुर से हमारे एरिया में बाड़मेर में प्रवेश करते हैं, आगे बायतू और बाड़मेर पहुंचते हैं इस हाईवे को ही चौड़ा करने में सारा पैसा लगता है। जहां लोगों को तकलीफ है, घोरे हैं वहां की सड़कें बहुत पुरानी बनी हुई हैं जैसे कीटनोद की सड़क है, आसोतरा की सड़क है। बालोतरा से समदड़ी सड़क है जहां 17 बसें आती हैं और 17 जाती हैं। उसकी साइड के अन्दर पटरियों पर आज दिन तक ग्रेवल नहीं डाला गया। उसके किनारे टूट गये और टूटने के कारण आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। जो एक बस चलती है उसके पास से कोई व्हीकल पास नहीं हो सकता। तो अब इसके चारों ओर जो पटरियां हैं ग्रेवल से बांध दें। डामर तो करना दूर रहा लेकिन ग्रेवल जो टूटा हुआ, डामर ठीक नहीं किया और ग्रेवल नहीं डाला गया। यही हाल कीटनोद का है वहां भी सैकड़ों ट्रेक्टर्स हैं, बसें चलती हैं, आसोतरा हैं वहां डेयरी वगैरह की गाड़ियां चलती है, पूरे शहर को दूध सप्लाई होता है, लेकिन सड़क जो बनी हुई थी उसमें भी जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं, उसकी भी रिपेयरिंग नहीं है।

एक निवेदन माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा कि बालोतरा में लूणी नदी पर पुल की आवश्यकता है। अभी हमारे से आप यह समर्थन कराएंगे लेकिन जोधपुर के अन्दर जो आपकी पुलिया भांडू के पास बनी है, कितना फुट पानी आया ? एक इंच पानी नहीं आया और आपने पुलिया बना दी। आवश्यकता नहीं थी कि भांडू के [illegible] पुलिया बने। हमारे से 6 रुपये टैक्स लिया हर गाड़ी का। आप देखिये वहां बन्धा बना हुआ है लाखों रुपये लगा करके और एक बांध के नाले के अन्दर पानी नहीं आता। लूणावास के पास बनाया। पहले आपने जहां रपट बनायी, एक साल के बाद रपट हटाकर पाइप लगाकर पैसा खर्च किया। दो फुट या ढाई फुट पानी आता है लेकिन कोई उसमें रास्ता रुकता नहीं। इस साल आपके चार फुट पानी आया है। फिर भी मान लो कि पुलिया एक दिन काम आ गया। एक दिन पानी चार फुट चला और आपने 10-15 फुट ऊंची पुलिया बनायी है। आपने एक करोड़ और समथिंग रुपये खर्च किये हैं इन दोनों पुलियाओं पर और हमारे से टैक्स वसूल किये जा रहे हैं। आवश्यकता किस बात की थी ? जोजिम पर बनाया एक पुलिया वह तो ठीक है लेकिन भांडू पर बनाने की आवश्यकता क्या थी, जब आलरेडी आपने बांध ऊपर बना दिया, पानी एक बूंदी नहीं आ रहा है ?और लूणी नदी पर दो-दो महीने, चार-चार महीने हमारा रास्ता बंद रहता है। जितनी बार नदी आती है लोग मरते हैं, पार करने के लिए उधर से पानी देखते हैं कि अब कम हो गया , चलते हैं। सारा दूध हमारा वहां से आता है, बड़े-बड़े नाकोड़ा जैसे तीर्थ हैं, ब्रह्मा जी का टेम्पल है। उसके अलावा सिवाणा है, सिणदरी है, आपके गुढ़ामालानी सांचौर और ईवरन गुजरात और कांडला तक

(श्री अमराराम चौधरी)

के लिए जो उपयोगी पुल है उसको आप बना नहीं रहे। शिवचरणजी माथुर के समय में उसका शिलान्यास किया गया, उस बात को आज कम से कम 11-12 साल हो गये। 12 साल के बाद में भी, मैंने प्रश्न पूछा तो बताया कि हमने 10 लाख रुपये इस पर खर्च कर दिये। मैंने कहा कि आपने खर्चा किस जगह किया ? क्या है कि कभी मेंटीनेंस का थोड़ा-सा सर्वे करवा दिया, कंकरी बिछा दी और थोड़ा-सा रास्ता साफ कर दिया, बाकी पुलिया बनाने की स्थिति नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि बढ़ते-बढ़ते कोस्ट इतनी बढ़ गयी। पहले आपने कहा 5 करोड़ रुपये में होगा, फिर आपने कहा यह 11 करोड़ रुपये का होगा, फिर कहा 16 करोड़ रुपये का होगा, फिर कहा इसमें 11 करोड़ रुपये लगेगा। फिर कहा कि हम यह छोटा कैसा बनाएं, सबमर्सिबल बनाएं या कैसा बनाएं। मतलब अभी आपके अलग-अलग आइडिया हैं और इंजीनियर्स लोग आपको इस प्रकार की सलाह देते रहते हैं कि यह बनाना है। आखिर तो आपको पुल बड़ा बनाना पड़ेगा। बालोतरा के अन्दर जो यातायात बढ़ रहा है उसके लिए बाई पास होना बहुत जरूरी है और वह पुलिये से ही बाई पास होगा, यह बहुत जरूरी है। फिर वहां पर आप टोल टैक्स लगाएं, उसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन आप पुल का निर्माण करें।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपने हमारे यहां पर ई.ए.एस. में काम किये। सड़कें जो चौड़ी हैं यह पचपदरा और बालोतरा की, सारा पैसा गांवों का इसमें लगाया। कोई बात नहीं, आपने लगा दिया लेकिन फर्जी मस्टररोल क्यों कर रहे हैं? आप या तो कानून में संशोधन करें। यह एक्सईएन. के घर बैठकर और जेईएनों पर दबाव देकर फर्जी मस्टररोल बढ़ गये हैं। मैंने खुद देखा है कि ट्रेक्टरों से काम हुआ है। 33 प्रतिशत रिश्वत जो लोगों ने खायी है आप जांच कराइये सी.आई.डी. से, आप काग्नीजेंस लीजिये। अभी मैं कह रहा हूं कि आप जांच कीजिये वे फर्जी मस्टररोल हैं। चार मजदूर हैं जिनको 50-50 रुपये मिलते थे और वे उस क्षेत्र के ही रहने वाले नहीं थे। इस प्रकार का घपला हो रहा है। एईएन. और एक्स. ईएन. दोनों आपस में लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं ? उसके लिए दौड़ते हैं आप तक। एक कार्यकर्ता दौड़ता है कि मैं एईएन. को हटवाऊंगा, दूसरा कार्यकर्ता दौड़ता है कि मैं एक्स. ईएन. को हटवाऊंगा। हम किसी को हटाने की नहीं कहते, आप मर्जी आए उसको लगाओ। नहीं लगाओ यह आपके कार्यकर्ता जानें लेकिन इस प्रकार के ये घपले हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है। सारे मस्टररोल फर्जी बने हैं। एक दिन मैंने कहा, आज देखते हैं कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। टैक्टर लेकर चला रहे थे, पहले कल्टी खड़ रहे हैं उसके बाद कराली खड़ रहे हैं। चार मजदूर 50-50 रुपये लेने वाले एक तो करीब 14 साल का था, एक 16 साल का था और दो बड़े थे।

(श्री अमराराम चौधरी)

सारा मस्टररोल फर्जी बन रहा है। यह 40 और 60 का रेशो है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, इस प्रकार अपन खुद सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट खुद सिखा रही है। आप क्यों नहीं इसमें संशोधन कर देते ? अगर 40-60 का है तो आप करो। वह तो फर्जी है, यह शिकायत मैं नहीं करूंगा, पब्लिक कर देगी। मस्टररोल पर लगा हुआ आदमी मौके पर है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं, गैरों के अंगूठे, दूसरों के अंगूठे, दूसरों के नाम, यह क्या मतलब है ? इससे समाज के अन्दर जो मैसेज जाता है वह बहुत ही गलत जाता है कि देखो, यह कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप बिलकुल काम कराना चाहते हैं कि यह काम हो जाए पूरा, ऐसा करके हो जाए तो उसमें संशोधन क्यों नही कर देते ? मेरा निवेदन यही है कि आप बालोतरा पुल बनाएं। आपका बालोतरा के साथ में यह भेदभाव है कि डामर नहीं दी जा रही है, आप नहीं दे रहे हैं। जहां भी हमारे एक्सईएन. लगे हुए हैं हमारे बाड़मेर में वे तो कैसे हंचा-डुंचा मिलाकर अपना काम कर देते हैं। भोला एक्सईएन. होता है उसको तो कोई देता ही नहीं है और वह एक्सईएन. जिसके पहरा होता है, किसको देता है डामर यह कोई पता नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन डामर का बालोतरा में सही नहीं है इस कारण आज ढाई-ढाई साल से लोग कंकरों पर चल रहे हैं। ट्रेक्टरों के टायर फूट गये, साइकिलें, मोटरसाइकलें सारी पंचर हो रही है, हमेशा एक्सीडेंट होते हैं। तो आपको कंकर बिछाना ही नहीं चाहिये अगर बिछाया है तो कम से कम यह काम भी करें। पाटौदी की सड़क 12 -13 साल से बनी हुई है कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। यह सड़कों की रिपेयरिंग करें, मेरा माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है। आपने बालोतरा कई बार देखा है इस पुलिया की आवश्यकता है और जहां जरूरत नहीं है। वहां भांडू पर हमारे से टोल टैक्स आप ले रहे हैं। आप इसकी जांच कराइये कि भांडू में कितने फीट पानी आया। अगर एक इंच भी पानी आया हो तो मैं सदन के सामने यह बात कर रहा हूं उसके ऊपर जो भी जुर्माना करना हो कर सकते हो। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयन्तिलाल।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर आज चर्चा हो रही है, मैं भी आपको इसमें शरीक करते हुए राजस्थान सरकार को सिरोही जिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि एस. सी. एस., टी. पापुलेशन के जो गांव हैं उनको रोड से जोड़ने की कार्यवाही की गयी है। उदाहरण के लिए रामपुरा, बाड़का, थानेरा, उलाकड़ा, भैरूंगढ़, आवाश, माडासन, गुण्डवाड़ा आदि गांवों को जो रोड से जोड़ा है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक करोटी पुल जो गुजरात और राजस्थान को आवागमन में जोड़ता था उसको माननीय मंत्री महोदय ने पूरा

(श्री जयन्तिलाल कोली)

करवा दिया, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहां आवागमन की समस्या का समाधान नहीं था, करोटी पुल को अभी इसी साल चालू करवाकर जो इस बजट में रखा है, जो 295 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बन रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगा। उसी के साथ जिस तरह से पंचायत हैड क्वार्टर जोड़ने की कार्यवाही की है उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच ऐसी पंचायतें हैं जो रोड से नहीं जोड़ी गयी हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पीथापुरा, रोहुआ, पादर, धाण, रायपुर, और भैंरूगढ़ इन पंचायत हैडक्वार्टर को रोड से जुड़वाने का कष्ट करें। रायपुर के लिए बड़गांव से सूण्डामाताजी वाला रास्ता हमारे लिए एकदम शार्ट पड़ता है, उसको भी जोड़ने के लिए कष्ट कराएं। पैकेज के जो हमारे 8 रोड बन रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री महोदय वहां पधारे थे तब भी हमने उनसे निवेदन किया था कि हमारे पुल का जिस ठेकेदार के पास में कार्य है 8 पैकेज वाला रोड भी उन्हें के पास में हैं और पुल का काम चालू करने की वजह से हमारे पैकेज के रोड बंद हैं। अभी माननीय जोगेश्वर जी फरमा रहे थे कि मंदिर को जोड़ने के लिए सवाणा खेतलाजी के लिए रोड आपने सैंक्शन किया उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सूण्डामाताजी जाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से लोग आते हैं। वहां से जाते समय बीच में ही रेवदर से पहले ही नदी आती है जो बांध की वजह से अन्दर डीप में चली गयी है। उसके ऊपर दूसरा पुल बनाने के लिए या रपट बनाने के लिये मंत्री महोदय से पहले भी आग्रह किया था और आज भी करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि उसको बनाने का कष्ट करें। दांतराई से जोगेश्वर मंदिर जो पहाड़ी में आया हुआ तीर्थ स्थल है, बहुत ही शोभनीय है, वह तीन या साढ़े तीन किलोमीटर दूरी पर है उस मन्दिर को जोड़ने का कष्ट करें।

दूसरा मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि माउण्ट आबू जो देश-विदेशों में पर्यटन का एक स्थल है उसके ऊपर जाने के लिए एक ही रोड बना हुआ है। 7-8 किलोमीटर का दूसरा रोड गुलाबगंज से बना हुआ तो है जिससे सिरोही से जाने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी कम होती है और बाड़मेर-जैसलमेर से जो पर्यटक आते हैं. उनके लिए भी जाते समय या आते समय दोनों के लिए सुविधा होती है। एक रोड होने की वजह से एक्सीडेंट की संभावना भी खूब रहती है। अत : मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि गुलाबगंज से माउण्ट आबू जो 7-8 किलोमीटर तो रोड बना हुआ है और 5-7 किलोमीटर जो बनना बाकी है वह भी बनाने का कष्ट करावें।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक और निवेदन है कि रेवदर से आबू रोड तक एक

(श्री जयन्तिलाल कोली)

औद्योगिक क्षेत्र है, 35 किलोमीटर की दूरी है उसके बीच में छोटी-छोटी डीपें हैं। मार्बल और ग्रेनाइट की फैक्ट्रियों के अन्दर सामान वहां से जाता है और बाकी ट्रेफिक भी खूब है, मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ तो डीपें हैं और कुछ रोड को चौड़ा कर दिया जाए तो जनता के लिए सुविधाजनक रहेगा। माननीय मंत्री महोदय से एक मेरा निवेदन है कि पंचायत हैडक्वार्टर और उससे ज्यादा की पापुलेशन वाले हमारे गांव जहां एस.सी.एस.टी. की पापुलेशन ज्यादा है, उनको जल्दी से जल्दी जुड़वाने का कष्ट कराएं। यही मुझे कहना था, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज पी.डब्ल्यू.डी. डिमाण्ड 19 और 21 पर राजस्थान और अपने जिले की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। राजस्थान की सड़कों की क्या हालत है, इसको पूरा हाउस अच्छी तरह जानता है कि किस तरह का रखरखाव है, कैसी मेंटीनेंस हैं और सड़कें जब बनायी जाती हैं तो किस तरीके से उनकी नापतौल आप करते हैं। सड़क बनती है, बनने के बाद मेरे ख्याल में 4-6 महीनें में ही उसके अन्दर खड्डे हो जाते हैं और कहीं वह बैठ जाती है और दो साल, तीन साल के बाद उस सड़क का नामोनिशान भी नहीं रहता। इस तरह की सड़क की दोषपूर्ण नीति जो है उसके लिये केवल पी.डब्ल्यू.डी. जिम्मेदार नहीं, इसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार पूरा नियंत्रण नहीं है मेरे ख्याल से इस डिपार्टमेंट पर। ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार का पूरा नियंत्रण हो तो इस तरह की दोषपूर्ण नीति रहे। पिछले सत्र में भी अजमेर के लिए क्या कुछ यहां लोगों ने कहा कि क्या घपले हुए, डामर में किस तरह की डिपार्टमेंट की बातें यहां सुनने को मिलीं। हमारे प्रांत के सभी लोगों ने जो बातें सुनीं वे बहुत शर्मनाक बातें थीं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि मंत्री महोदय इसमें पूरी रुचि लें। जिस ढंग से आप हाउस में बोलते हो वास्तव में इस तरह के रिजेल्ट नहीं आते । अगर आपकी जो पीढ़ा है वह उसी तरह वास्तव में आप बोलते हो। आप एक मिनट में ही किसी की बात मान लेते हैं लेकिन वह होता नहीं सालों साल ही। ऐसा जादू करते हैं, कोई भी बोले, आपका जवाब और ठीक हो गया । अगले कहते हैं लगाओ ताली, लेकिन होने जाने को? पंचायत सिर माथे पर नाला वहीं का वहीं।

मेरा निवेदन है कि गंगानगर जिला और हनुमागढ़ जिला दोनों आपने इसके अन्दर अंकित किया है, सब जिलों की लम्बाई दी है। गंगानगर की क्या है, जरा आप बताएं तो सही पेज नम्बर 81 पर ? थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया मेरे को ज्ञानवर्धन हो जाए कि क्या चीज दे दी आपने, इससे मैं थोड़ा लाभान्वित

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हो सकूं। इसके अलावा, गंगानगर, जयपुर और हनुमानगढ़ को एक ही सड़क मिलती है। उस सड़क की दयनीय हालत है। कोई 25-30 साल पहले वह बनी थी, चौधरी रामचन्द्र जी पीडब्ल्यू. डी. मिनिस्टर हुआ करते थे। मेरे ख्याल में उसके बाद में उसका कोई खड्डा तक नहीं भरा गया है। हम आते-जाते हैं, जगह-जगह खड्डे, जो तीन घंटे का रास्ता होना चाहिए वह 5-6-7 घंटे में पूरा होता है। तो कृपया इस बात का पूरा ध्यान दें।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि जो नेशनल हाईवे रोड है जैसे जोधपुर से कांडला का और गुजरात का ट्रेफिक पंजाब और हरियाणा को जाने के लिए वाया बीकानेर, गंगानगर बहुत नजदीक पड़ता है, दिल्ली से दूर पड़ता है। यह नया रास्ता उन्होंने चयनित किया है, यह आपकी नजर में जरूर आया होगा। सैकड़ों की, हजारों की तादाद में ट्रक वहां से गुजरते हैं और रोड्स की हालत देखो तो रोना आता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यु देने वाला गंगानगर जिला आज रोड के हिसाब से सबसे पीछे है। माननीय मंत्री महोदय, शायद आपको कोई ऐसी नाराजगी है, इसमें जब सब जिलों की तो लिखी, किसी की लम्बाई 190, किसी की 340, किसी की 278, गंगानगर का नाम लिखा तो जरूर है लेकिन 000 है। यह तो खैर, पता चल जाएगा। हो सकता है छपने की गलती रह गयी हो, यह तो मंत्री जी बताएंगे लेकिन निवेदन यह है कि आपका गंगानगर की तरफ, हनुमानगढ़ की तरफ पूरा ध्यान नहीं है। हमेशा घोषणा होती है, अब के सारी पंचायतों के हैडक्वार्टस हम जोड़ देंगे। फिर एक हजार की आबादी तक के गांवों को जोड़ देंगे। कितने आपने जोड़े ? यह किताब तो आपकी बड़ी सुन्दर छपी है और इसमें प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया दिये हैं लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह खर्चा करने का अपने को लाभ नहीं है जब तक कि वास्तव में हमें कोई लाभ न मिले। आपके डिपार्टमेंट में, यह मैं पढ़ रहा था अखबारों में लिखा है ।

(21.00)

राजस्थान पत्रिका 7.6.96 का है - भ्रष्टाचार के मामले में अभियंताओं को 16 वर्ष का कारावास, डामर मंगवाने में विभाग द्वारा गड़बड़, नालियों के निर्माण में नकली सीमेंट और राख का प्रयोग, अधिशासी अभियंता व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज, पुल निर्माण में नियमों का उल्लघंन, सरकार को नोटिस। बातें पब्लिक के सामने जाती है पत्र के माध्यम से, टी. वी. के माध्यम से रेडियो के माध्यम से। इतनी बड़ी पंचायत में हम लोग बैठते हैं, अगर हर साल बजट और अनुदान की मांगें इस तरह पास करके और कुछ इधर के कुछ उधर के लोग बोलकर केवल मात्र इस बात के अगर प्रसन्न हो जाएं कि हमने कुछ कह दिया, तो मेरे ख्याल से इससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप पूरी तरह मुस्तैदी से सुचारू रूप से इस कार्य

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

को नहीं देखेंगे। हो सकता है कि हमारे पास साधन सीमित हो लेकिन सीमित साधन में भी हम उस पैसे का बंटवारा करें। बंटवारा किस आधार पर करें ? गंगानगर में आपने कोई पांच साल में सबसे कम पैसा सड़क पर खर्च किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं । मैंने कोई आपके आंकड़े नहीं देखे लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हुआ है तो वह गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है। मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप कृपा करके यह पक्षपात न कीजिए। न्याय आपको देना चाहिये । अभी हमारे उधर के एक साथी बोल रहे थे कि कोई एम. एल.ए. जब बन जाता है तो वह किसी एक व्यक्ति के लिऐ एम. एल. ए. नहीं होता और जब मंत्री बन जाता है तो किसी एक कांस्टीट्यूएंसी का या किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होता, वह सारे प्रांत का मंत्री होता है। इसलिए आपको प्रापर गंगानगर- हनुमानगढ़ जिले को न्याय दिलाना चाहिये । आपने स्वयं देखा कि हनुमानगढ़ जिले में कितनी बाढ़ आयी। सड़कों की क्या हालत रही । सड़क नाम की कोई चीज है गंगानगर और हनुमानगढ़ शहर में ? सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। 30-40 साल पूर्व कोई सड़क बनी थी तो वह सड़क ही नहीं और ऐसा लगता है कि हम किसी 2000 के गांव में फिर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में नहीं फिर रहे हैं। यह आपके लिये और हमारे लिये भी सोचने का विषय है। मेरी आपसे प्रार्थना है, गंगानगर जिले के पूरे पंचायत क्वार्टर और 1000 की आबादी की जो आपने यहां कई बार कही है, यह केवल कह देने से कभी पूरी नहीं होगी। पिछली बार आपने कहा था कि जर्मन के माध्यम से बड़ा भारी पैसा आएगा और मंत्री जी यहां सड़कों का जाल बिछा देंगे। कहा गया वह पैसा ? कहा गये मंत्री जी ? मंत्री जी तो यहाँ मौजूद हैं लेकिन पैसे का पता नहीं और उस योजना का पता नहीं । इतनी बड़ी बात हम हाउस में बैठकर अपने मुंह से, मुखारबिंद से आप कह देते हैं। सज्जन पुरुष है, विद्वान भी हैं और जिस जाति से आप आते हैं, ब्राह्मण उच्च कोटि के, फिर आप हाउस के अंदर इस तरह के गलत उदाहरण देकर लोगें को प्रभावित करना चाहते हैं, बड़े दुःख की बात है। आप चूंकि बहुत सज्जन हैं, मैं आपसे मिलता हूं बड़े प्रेम से, स्नेह से काम तो खैर, आप करते ही नहीं हो, आपकी आदत में नहीं है। काम करना आपकी आदत में नहीं है, व्यवहार कुशल जरूर है। यह भी एक बहुत बड़ी क्वालिटि है। व्यवहार कुशल होना भी एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ-साथ आप अगर काम करें तो आपका भी नंबर उधर हो जाए थोड़ा सा पल्ली तरफ। यहां बैठे हैं ना शायद सरक कर और आगे चले जाएं अगर आप कार्य करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, समाप्त ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अभी तो शुरू

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

ही नहीं किया, कमाल कर रहे करे हो, साहब। अभी हुआ क्या है, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट और बोल सकते हैं आप ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरे से कोई आपको नाराजगी है क्या ? जब भी मैं खड़ा होता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं सबको दस मिनट दे रहे हैं आपको भी दस मिनट दे रहा हूं ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपकी वास्तव में कोई नाराजगी है, तो यह लो बैठ जाता हूं। बैठ गया, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सबके साथ न्याय कर रहा हूं । ठीक है, कुछ बोल सकते हो थोड़ा सा आप ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपका हुक्म है, हम तो आपका आदेश मानते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए, बोलिए ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, आपका आदेश मान लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल वर्मा ।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर वार्ता चल रही है...

श्री राधेश्याम गंगानगर : कुछ बातें कहनी इतनी जरूरी होती है जिसके लिये मंत्री जी को भी पता चले, आपको भी पता चले। कोई दो-तीन मिनट में ऐसा प्रलय नहीं आ जाएगा बाकी तो जैसा आप हुक्म करेंगे। मेरे को कोई आपका आदेश ...

श्री उपाध्यक्ष : आपने सड़कों पर बोलना बंद कर दिया था ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं सड़कों पर ही बोल रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं, साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : आप आगे-पीछे की बात कर रहे हैं ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपके मंत्री जी की तारीफ कर रहा हूं, क्या बुरी बात है ? मुझे कुछ काम कराने हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपना सब्जेक्ट ही छोड़ दिया था ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैंने कुछ काम कराने हैं। आगे की बात यह है कि पिछली बार 1980 में जब मैं एम. एल. ए. था तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो ओवर ब्रिज हैं रेलवे के, एक तो तीन नंबर प्रायोरिटी में था, एक एक नंबर प्रायोरिटी में था । अब वो कहां चले गये। आज कितना अर्सा हो गया। आप यह कह दो कि उस वक्त तो सरकार कांग्रेस की थी, इससे कोई मतलब नहीं है । जो आज है वही जिम्मेदार है इस बात का जवाबदेह वहीं है जो आप उस कुर्सी पर बैठा है। मैं मंत्री महोदय से यह बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक नंबर प्रायोरिटी और तीन नंबर प्रायोरिटी, आज वह कहां चली गयी ? 1980 से 1996 आ गया, 18 साल हो गये।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आज 6-6 घंटे तक फाटक बंद रहता है, क्या हालत हो गयी है । फिर पाकिस्तान का बार्डर, तीन बिग्रेड मिलिट्री वहां रहती है, कितनी उन लोगो को परेशानी होती है किसानों को और जो बाहर से माल लाते हैं उनको । हनुमानगढ़ शहर के बीचों बीच दो फाटक हैं और गंगानगर शहर में दो फाटक हैं, पहले एक जगह रुको फिर दूसरी जगह रुको। आप भी एक दफा पधारे थे, मंत्री महोदय, तो 20 मिनट तक आपकी गाड़ी खड़ी रही थी और जब भंवरलाल जी शर्मा पधारे थे तो पौन घंटे तक गाड़ी फाटक के बाहर खड़ी रही थी। ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह सोच-समझ कर देखना चाहिये, कि जनता की क्या तकलीफ हैं। यह नहीं कि वहां गंगानगर से राधेश्याम जी आये हैं इसलिए यह तो नहीं होगा । अगर यह बात है तो आप मालिक हैं, बड़े भाई हैं, बाकी मेरी आपसे प्रार्थना है। गंगानगर से रेवेन्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा इनकम आपके खजाने में आती है।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : माननीय सदस्य, इस मामले में तो मंत्री जी बहुत उदार हैं ।

श्री राधेश्याम गंगानागर : इसलिए आपको यह बात यहां माननी चाहिये और गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के नंबर आपको घोषणा करनी चाहिये । मास्टर प्लान बनाकर पेवर रोड्स की और खास कर रेलवे के दोनों पुल, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की। तब मैं मानुंगा कि वाकई आप सच्चे आदमी है, नहीं तो यह मानूंगा कि + + + + धन्यवाद, जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल वर्मा ।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : ये एक बार हिण्डौन से आ रहे थे_ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें । माननीय सदस्य, समय बरबाद नहीं करें । बोलिए, बाबूलाल जी ।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह + + + जो कहा गया है, उसको एक्सपंज किया जाए।

श्री बाबूलाल वर्मा : 9.10 पर बोल रहा हूं, साहब। सड़कों के मामले में राजस्थान प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता हो गयी थी। कहीं तो सड़कें बन गयीं, कहीं नहीं बनीं, उसको देखते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मंत्रीजी ने जो एक सड़क नीति बनायी निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा काम किया, इससे राजस्थान प्रदेश को सड़कों के निर्माण में राहत मिली।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क नीति के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने की बात कही गयी है और सब ग्राम पंचायत मुख्यालय मार्च, 1997 तक ग्रेवल रोड़ से जोड दिये जाएंगे, ऐसा इसमें निर्धारित किया गया है। मैं डग विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि डग

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

विधान सभा क्षेत्र में सन् 1993 के पहले स्टेट हाईवे के अलावा कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं था जो कि सड़कों से जुड़ा हुआ हो, लेकिन सन् 1993, 1994 और 1995 में लगभग सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने की स्वीकृति जारी की गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन-चार ग्राम पंचायत मुख्यालय बचे उनको भी जोड़ने की स्वीकृति 1995-96 में कर दी गयी। आज की तारीख में लगभग 24-25 पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर सड़कों का काम चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही कागजों में कितनी भी सड़क बन जाए लेकिन अभी लगभग आधी से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जिन पर यदि नौ किलोमीटर की स्वीकृति है तो एक किलोमीटर बनी है या तीन किलोमीटर बनी है। मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में ये सड़कें 1997 तक पूरी हो सकती हैं। लगभग 23-24 मेरे ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने का काम चल रहा है, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें अपने अधिकारियों को कम से कम ऐसे निर्देश जारी करें कि जिससे उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 1997 तक ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं मंत्रीजी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक ही स्टेट हाईवे 19 नम्बर का बना, वह माननीय मंत्रीजी के प्रथम कार्यकाल में सन् 1977 में बना। सन् 1977 में पहली बार भवानी मण्डी से लेकर डग-चौमेला की सड़क का निर्माण हुआ जब माननीय मंत्रीजी पहली बार सार्वजनिक निर्माण मंत्री बने। लेकिन उसके बाद सन् 1977 से सन् 1994 तक उस सड़क पर किसी भी तरह की रिपेयरिंग पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। 17 साल तक उस सड़क पर किसी तरह का पैसा खर्च नहीं हुआ, किसी तरह की मरम्मत का काम नहीं हुआ। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके लिए जब मैंने निवेदन किया तो उन्होंने लगभग 23-24 किलोमीटर का रिन्यूअल या जैसा भी था, काम स्वीकृत किया। काफी पैसा उस सड़क की रिपेयर के लिए खर्च किया, बड़े से बड़े अधिकारी की ड्यूटी वहां लगायी। एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब का, चीफ इंजीनियर साहब का मेरे साथ दौरा हुआ। लेकिन उस सड़क की जो मरम्मत हो रही है, यदि उस सड़क की मरम्मत की मंत्रीजी जांच करवाएं, मैं कहना चाहता हूं कि उस सड़क पर मरम्मत का नाम गलत होगा। एक -डेढ़ महीने पहले जब उस सड़क से मैं गुजरा तो रिन्यूअल का काम स्वीकृत हुआ, चीफ सैक्रेटरी साहब का भी उस क्षेत्र में दौरा हुआ। लेकिन जो स्वीकृति हुई उसके हिसाब से किसी भी प्रकार का काम वहां नहीं हो रहा है। सिर्फ कुटाई करके डामर से उसकी मरम्मत करनी थी लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि

(श्री बाबूलाल वर्मा)

गिट्टियों को डामर में गीला करके उसको सिर्फ ऐसे के ऐसे चिपकाया जा रहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक बार ऐसा ही होता है, डामर उसके बाद होता है।

श्री बाबूलाल वर्मा : एक मिनट, मेरी बात सुन लें।

मेरी चर्चा हुई, जो ठेकेदार काम कर रहा था मैंने उसको बोला कि पहले सफाई करके इसकी कुटाई होनी थी, इसकी गिट्टी लगनी थी। गिट्टी की कुटाई होकर उसके बाद डामर होना था। स्वीकृति इसी प्रकार की है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं, जो मैं बता रहा हूं लेकिन उस स्वीकृति के अनुसार काम नहीं होकर के वहां का ठेकेदार बोलता है कि एक्स. ईएन. और ए. ईएन. साहब से बात हो गयी है। वे बोलते हैं कि बारिश आने वाली है, ऐसी स्थिति में जैसा हो वैसा काम कर जाइये। मंत्रीजी के पास पैसा ज्यादा है, मंत्रीजी की मंशा है और मंत्रीजी जब-जब सार्वजनिक निर्माण मंत्री बने तब तब हमारे विधान सभा क्षेत्र में काम हुआ लेकिन ऐसी स्थिति में इनके ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी, ए. ईएन., जेईएन. भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति के अनुसार काम करने में सफल नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय कम से कम ऐसे अधिकारियों के ऊपर, ऐसे चीफ इंजीनियर, ऐसे एक्स. ईएन. के ऊपर कार्यवाही करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वार्षिक प्रतिवेदन आज हमने देखा। इसमें ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने की बात आयी। इसमें झालावाड़ जिले के बारे में जब मैंने देखा तो झालावाड़ जिले में अभी तक लगभग 21 प्रतिशत ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ना बाकी है। यदि हम पूरे राजस्थान का एवरेज लेते हैं तो राजस्थान में 9194 गांव हैं, इसमें से 913 गांव में मंत्रीजी ने काम होना शेष बताया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान के एवरेज 10 प्रतिशत ग्राम पंचायत मुख्यालय जुड़ने से बाकी रह गये हैं तो झालावाड़ जिले में ऐसी कौनसी विषमता आ गयी कि इतने सारे गांवों को जोड़ना बाकी है ? हमारे टोटल 251 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जिसमें से लगभग 53 गांव बाकी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक साल में कम से कम 15-16 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जाता है तो 53 गांवों को ये किस प्रकार से जोड़ेंगे, मंत्री महोदय कम से कम इस चीज की स्पष्ट नीति बनाएं, निर्देश जारी करें। झालावाड़ जिले में जो 53 ग्राम पंचायत मुख्यालय बाकी रह गये हैं, उनको जोड़ने के लिए कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे कि 31 मार्च, 97 तक इन सब ग्राम पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल से जोड़ दिया जाए।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली 15 तारीख को सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक स्पेशल मीटिंग जिला परिषद में बुलायी गयी थी। सिर्फ सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करने के लिए मीटिंग बुलायी गयी थी। जब इस मीटिंग को जिला परिषद में जिला प्रमुख साहब और कलेक्टर साहब की उपस्थिति में चालू किया गया तो एक्स. ईएन. अपने सब एईएन. और जेईएन. को लेकर वाकआउट कर गया। मैंने मंत्रीजी को पूरी घटना से अवगत करा दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इनके अधिकारी, एक्स. ईएन., ए. ईएन. नहीं सुनते हैं और जन-प्रतिनिधियों का अपमान होता है तो जांच करानी चाहिये। इसके अलावा झालावाड़ जिले में पिछले एक वर्ष के अन्दर कितना डामर आया है और वह डामर कहां-कहां खर्च हुआ है, इसकी जांच मंत्री महोदय करा लें। झालावाड़ जिले में जो भी डामर आया उस डामर का दुरुपयोग किया गया। कृषि उपज मण्डी द्वारा जो सड़कें बनायी जा रही हैं, उसमें पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी उस डामर को देते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा जो सड़कें बनायी जा रही हैं उनमें डामर कहां से आ रहा है। उसमें डामर कहीं से भी नहीं आ रहा है, पी. डब्ल्यू. डी. के अन्दर जो डामर आता है, वह डामर वहां जाता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अपने यहां कृषि उपज मण्डी की सड़क नहीं बन रही है, वह पी. डब्ल्यू. डी. ही पैकेज की सड़कें बना रहा है। थोड़ा अन्तर करिये, गड़बड़ नहीं हो जाए।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, इस बात की जांच करा लें कि वह डामर एक साल के अन्दर जो आया कहां से आया, कहां गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अभी तीन मिनट बाकी हैं। टाइम देखकर ही मैं बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक द्वारा कुछ रोड्स स्वीकृत हुई। हमारी सांसद महोदया माननीय वसुंधराजी और हम लोगों ने कई बार क्षेत्र का दौरा किया। हमने कई बार लिखित में भी दिया, सैक्रेटरी साहब, शर्माजी बैठे हैं, शर्मा साहब से भी 1-2 बार माननीय वसुंधराजी ने टेलीफोन से कहा हम लोगों ने निवेदन किया कि यहां के अधिकारी जो मैटीरियल काम में लेते हैं वह बढ़िया स्तर का नहीं है। कुएं का जो मलबा निकलता है उसको वे ग्रेवल के रूप में काम लेते हैं। इतने-इतने बड़े तीरे लाकर वहां डाल देते हैं कि वह फट गयी। या तो फिर एम. एल. ए., एम.पी. की ड्यूटी रह गयी कि जाकर उनको चैक करें। मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व है, हम माननीय मंत्री महोदय को को आपरेट करना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी की पूरी नीति इस चीज को दिखाती है कि वे ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं लेकिन आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी, एईएन., जेईएन. और एक्स. ईएन. हैं सैक्रेटरी

(श्री बाबूलाल वर्मा)

लेबल या चीफ इंजीनियर लेवल की बात नहीं करता लेकिन जो अधिकारी लोग हैं वे उस नीयत से काम नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मंत्रीजी, कि आपकी नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, हमारी नीतियां बहुत अच्छी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आज जो सड़कें जा रही हैं वे आपकी देन हैं, इस चीज को कोई नहीं भुला सकता कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार सड़कें बनवाने का काम आपने किया लेकिन आपके एक्स. ईएन., एईएन. ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बना रहे हैं, उन सड़कों को पूरा कर रहे हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम शत-प्रतिशत सही नहीं हो रहा है।

मुझे पिछले साल का एक वाकया याद आ रहा है और यह वाकया कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पिछले साल कम से कम 17-18 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने का काम चल रहा था। मैं जब वहां सर्किट हाउस में रहता तो गांव वाले आकर मुझे कहते कि हमारे वहां सड़कों का काम नहीं चल रहा है, कई लोग बोलते कि हमारी सड़कों का काम नहीं चल रहा है। मैंने कलेक्टर साहब से बात की कि सड़कों का काम क्यों नहीं चल रहा है तो वे बोले कि सड़कों का पैसा तो हम दे चुके हैं। डी. आर. डी. ए. सड़कों का पैसा पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ को दे चुकी है और आज की तारीख में कम से कम चालीस-पचास लाख रुपया पी. डब्ल्यू. डी. के पास झालावाड़ जिले में है लेकिन झालावाड़ जिले में जितना पिछड़ा काम इनके अधिकारियों ने किया, उतना कि[illegible] अधिकारियों ने नहीं किया। स्टेट हाईवे 19[illegible] मैंने लगभग एक रोज के अन्दर पौने सात सौ..............

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूलाल वर्मा : एक निवेदन करूं, आखरी बात है।

स्टेट हाईवे पर पिछले साल लगभग पौने सात सौ मजदूर जो कि ग्रामीण सड़कों पर काम कर रहे थे, उनकी मस्टररोल ग्रामीण डी.आर.डी.ए. की थी और वे स्टेट हाईवे पर काम कर रहे थे। इस मामले में मैंने लिखित में शिकायत की अपने कलेक्टर को, तो उसकी भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि डग विधानसभा क्षेत्र में आपके आने के बाद सबसे ज्यादा काम हुए हैं और बहुत अच्छे काम हुए हैं लेकिन अधिकारियों की नीयत जो है और जो अत्याचार वे वहां कर रहे हैं, उनके ऊपर आप थोड़ी निगरानी रखें। आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग संख्या 19 और 21 पर जो चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको उसमें सम्मिलित करते हुए सबसे पहले कहना चाहता हूं कि पिछली साल

(श्री अमराराम)

मंत्रीजी ने, जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी रिपेयर के लिये एक तारीख तय की थी, मंत्रीजी ने हम सबको एक पत्र भी दिया था कि आपके विधान सभा क्षेत्र में अगर किसी सड़क की मरम्मत नहीं हो तो आप पत्र दें। वह तारीख निकल गयी। फागलवा से भटोत और सीकर से दूगली की जो सड़क थी उस सड़क पर कोई वाहन नहीं चल सकता और पैदल व्यक्ति भी नहीं चल सकता। जब विभाग से उस तारीख के बाद मिला गया तो विभाग के अधिकारी एक्स. ईएन. ने कहा कि उसकी फुल रिपेयर होगी, पैच वर्क जैसी कोई चीज बची नहीं है। हमने पत्र दिया मंत्रीजी को, लेकिन आज तक उसका कोई उत्तर_

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : पत्र नहीं भेजा, क्षमा कीजिये, मैं हर पत्र का जवाब देता हूं ।

श्री अमराराम (धोद) : अब नहीं पहुंचा तो यह तो डाक विभाग की गलती है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं हर पत्र का जवाब देता हूं, राजस्थान के सारे एम. एल. ए. से पूछ लीजिये। ऐसा मत कहिये । गलत बात है ।

श्री अमराराम (धोद) : हो सकता है, मंत्री महोदय, डाक विभाग की गलती हो लेकिन मैंने पत्र लिखा है। उन सड़कों की रिपेयर आज तक नहीं हुई है और वे चलने लायक नहीं हैं। बनने के छह महीने बाद कई जगह एक-एक किलोमीटर तक यह पता नहीं लगे कि कभी यहां डामर की सड़क बनायी थी क्या। अब जहां तक सड़कें स्वीकृत की हैं, निश्चित रूप से आपने क्राइटेरिया के अनुसार की हैं, इसके लिये तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन दो हजार की पापुलेशन, एक हजार की पापुलेशन के दो गांव बच गये हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, एक देवगढ़ है और गुनाटू । जो स्वीकृति की गयी है, उसमें एक तो पुराछोटी एक गांव है, जिसको लिंक रोड के लिये आपने स्वीकृति निकाली है । लेकिन छह महीने से उसको रोका जा रहा है आपने कहा कि मैं देख करके उसको ठीक ढंग से करूंगा। जिस गांव को आप फायदा दे रहे हैं पुराछोटी, जिसके लिये आपने स्वीकृति निकाली है, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस गांव का एक भी परिवार यह कह दे कि इसको कासली से जोड़ दें तो आप कासली से जोड़ दें, मुझे कोई एतराज नहीं है । पूरा गांव पचास साल, सौ साल से जिस रास्ते से आ रहा है, सीकर से जोड़ने की बात है, क्योंकि पंचायत समिति धोद का पंचायत समिति मुख्यालय वहां है। तहसील वहां है, जिला वहां है, सब कुछ कार्यालय वहां है उसको वापस धोद ले जाना चाहते हैं जिधर से एक व्यक्ति भी नहीं आता, केवल मात्र इसलिये कि आपकी पार्टी के एक कार्यकर्ता की ढाणी उधर पड़ती है । इसलिए उसको ले जाएंगे तो सबसे भ्रष्ट काम होगा। जिस तरह दूसरे गांवों के लोगों ने आब्जेक्शन दिया है इस कासली गांव की सड़क के लिये,

(श्री अमराराम)

सीकर गांव में छह किलोमीटर, सात किलोमीटर आप सड़क बनाएंगे तो उनको सात किलोमीटर का चक्कर देकर आना पड़ेगा । किसी सूरत में नहीं। सीकर-धोद रोड़ के 5.5 किलोमीटर का प्रपोजल था, रामपुरा के साथ जुड़ना था अगर वहां से जोड़ते हैं तो संतोषपुरा, रामपुरा, पुराबड़ी पंचायत हैडक्वार्टर और छोटी, सबाको फायदा होगा और अगर आप वहां ले जाते हैं तो इस गांव का तो एक भी व्यक्ति उस सड़क से नहीं जाएगा । उस गांव के साथ ज्यादती यह होगी कि फिर वह सड़क भी नहीं बनेगी और उस गांव का उपयोग भी नहीं होगा। गांव की पूरी पंचायत, मैं, सब इस बात में हैं और आपने आश्वासन भी दिया है कि मैं देख करके करुंगा, लेकिन छह महीने में आज तक आपने नहीं देखा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी विधान सभा के समय में आपने कहा है, इससे पहले तो आपने नहीं कहा ।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, पहले तो मैं आपके घर मिला हूं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, तो विधान सभा के दो दिन पहले ।

श्री अमराराम (धोद) : पहले भी मैंने लोक सभा के चुनावों से पहले आपको टेलीफोन से सम्पर्क किया है, जिस गांव को आप ले रहे हैं उस गांव का एक घर यह कह दे कि इधर से कासली से जोड़ दो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी पार्टी का भी कोई कह दे तो मैं मान लूं या जिस गांव को बेनिफिट दे रहे हैं, उसके अलावा कोई आब्जेक्शन करे, उस पर आप छह महीने रोक दें, मैं समझता हूं कि इस तरह से आपको नहीं रोकना चाहिये । जहां तक लिंक रोड का सवाल है, एक सड़क जो 52 से चली थी, अभी तक नहीं पहंची, धोद में जाकर रुक गयी। अभी आपने उसको वोसाना तक तो बना दिया, लोसल तक सात किलोमीटर, आठ किलोमीटर और बची है, अगर उसको जोड़ देते हैं तो डीडवाना, मकराना, नावां, जोधपुर से आने वाले वाहन, यात्री वाहन हों, चाहे भार-वाहन हों, दस किलोमीटर वह शार्ट रास्ता हो जाएगा, जिससे मैं समझता हूं जितना खर्चा आप करेंगे, एक साल में उतनी राष्ट्रीय बचत और डीजल की हो जाएगी ।

दूसरी सड़कें, क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र नागौर से जुडा हुआ है, नागौर की सड़क बन जाए। हमारे यहां से उस बार्डर को लिंक करने वाली पांच किलोमीटर की सड़क रह गयी, पूरी सड़क का उपयोग नहीं होता । चाहे वह छोटी लोसल से डीडवाना, नागौर की बार्डर तक हो, चाहे आपका यह सीकर से शाहपुरा जो जोड़ दिया है, चाहे यह सांगलिया से अड़कसर को जोड़ने का सवाल हो, तो यह मिस्सिंग लिंक है। यह निश्चित रूप से उन गांवों को सीधा जोड़ने में और जो दो जिलों को जोड़ रहे हैं, उनको जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण होगा । दूसरा, इसके अन्दर हमारा एस. ई. आफिस आपने लगा रखा है, झुन्झुनूं

(श्री अमराराम)

सीकर और नेशनल हाईवे का आफिस कर रखा है। मैं समझता हूं कि इस एस. ई. आफिस को अगर आप सीकर में कर देंगे तो सीकर, झुन्झुनूं को भी लाभ होगा और नेशनल हाईवे का भी एक ए. ईएन. आफिस वहीं सीकर में है, इन लोगों को भी नहीं आना पड़ेगा और देरी से बचा जा सकेगा।

दूसरी एक चीज रींगस का रेलवे फाटक है, जिस पर पिछले मार्च से रेलवे ओवरब्रिज बनाना चाहते थे। पिछली विधान सभा में आपने हमें यह आश्वासन दिया था कि इस साल यह पूर्ण होकर चालू हो जाएगा। रींगस ब्राडगेज होने के बाद जयपुर से दिल्ली के बीच में सबसे ज्यादा ट्रैफिक हो गया और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और सीकर से तमाम लोग जब राजधानी आते हैं तो वह फाटक 24 घंटे में से 13 घंटे बन्द रहता है। पूरी आपकी उस पर स्वीकृति है, काफी कुछ काम हो भी गया लेकिन एक साल से उसका काम वहां का वहां पड़ा हुआ है। अब कब तक वह चालू हो जाएगा ? दूसरा, नवलगढ़ रोड पर आपको ओवरब्रिज बनाना चाहिये, जो सबसे ज्यादा बंद रहता है। सीकर का बहुत बड़ा हिस्सा उस साइड है, बाकी इस साइड है, आशा है, इन दोनों ब्रिजों को आप बनाने का कष्ट करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने जो ग्रेवल रोड बनाने के लिये काम शुरू किया है, निश्चित रूप से इस पर आपको बढ़ना चाहिये, स्टैप बाई स्टैप जितना आप ग्रेवल रोड बना सकते हैं। पहले जिस स्कीम से आप बनाते हैं, एक साल के बाद वापस रिपेयर मांग लेती है, इसलिये भले ही उसमें खर्चा ज्यादा हो लेकिन ग्रेवल रोड बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि दस-पन्द्रह साल के लिये उसमें मरम्मत की आवश्यकता नहीं आएगी, सही रूप से बनेगी। जहां सड़कों पर पानी ठहरता है, निश्चित रूप से अब जो नयी बना रहे हैं उनमें तो आपने पानी निकलने के रास्ते बनाये हैं लेकिन जो पहले के बने हुए हैं, जहां पानी रुकता है, रास्ता खराब होता है, निश्चित रूप से ऐसी पहले की बनी हुई सड़कों के अन्दर भी आप पानी की निकासी का रास्ता बनाएं ताकि बाढ़ या अतिवृष्टि जैसी स्थिति में रास्ता बन्द न हो। जैसे खूड के पास है, ऐसे रास्तों के लिये आप निश्चित रूप से प्रयास करें जो पहले बने हुए हैं और कम से कम प्लान बनाकर करें। यह नहीं कि एक दफे उधर से बना दी और चार साल बाद उसको सीधा करने के लिये फिर बना दी।

एक निवेदन यह है कि जो भी आपके हाईवे हैं, उनके किसानों के जो मुआवजे बकाया हैं उनका आप निपटारा करें। सीकर का जो बाईपास बनाया गया है, मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें किसानों से जमीन अवाप्त की जा रही है। निश्चित रूप से बाईपास के लिये की जाए

(श्री अमराराम)

लेकिन जो बाईपास पर कुछ जमीन डवलप करने के लिये पी.डब्ल्यू.डी. इनके एक्स्ट्रा ले रही है। किसान का खेत गया है, उसको मुआवजा मिल रहा है, उसकी एक्स्ट्रा जमीन लेकर पी. डब्ल्यू. डी. डवलप करके दें, इससे बढ़िया उस किसान की ऐसी एक्स्ट्रा जमीन ली नहीं जाए, बाई पास के अलावा, यही मेरा निवेदन करना है। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप का नाम नहीं है आज।

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष जी ने लिखा है अभी।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जिला जालौर, तहसील सांचोर एकदम बार्डर का इलाका है, वहां पर पिछले दो-तीन सालों में थोड़ी बहुत स्वीकृतियां तो जरूर हुई...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हाड़ेचा का धन्यवाद तो दो।

श्री हीरालाल विश्नोई : हाड़ेचा तो बहुत पहले हो गया था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी हुआ है।

श्री हीरालाल विश्नोई : सांचौर सरवाड़ा जो आप शिलान्यास करके आये थे, वह काम अभी तक अधूरा पड़ा है। मंत्री महोदय, आप पधार रहे हो, हम किस को सुनाएंगे हमारी कथा ?

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : मुझे सुनाओ आप, मैं नोट कर रहा हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप तो सुनने वाले हो, करने वाले नहीं।

श्री महावीर भगोरा : रिकार्ड है।

श्री हीरालाल विश्नोई : रिकार्ड से क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे टाइम में ही यह हुआ।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के अन्दर लिखा हुआ है कि जालौर जिले के अन्दर पंचायत मुख्यालय सब के सब जोड़ दिये गये हैं, एक भी पी.एच.क्यू. बाकी नहीं है। मैं आप को जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे यहां सात से आठ पंचायत हैडक्वार्टर हैं अब तक वहां ग्रेवल भी नहीं हुआ है और ये यहां पर कह रहे हैं कि सड़कों से जोड़ दिया। अब यह अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितना सत्य है और कितना है। मैं आपके मार्फत्...

श्री उपाध्यक्ष : असत्य और झूठ में क्या फर्क है ?

श्री हीरालाल विश्नोई : कितना सच है और कितना असत्य।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा।

श्री हीरालाल विश्नोई : असत्य और झूठ तो एक ही बात है।

श्री उपाध्यक्ष : सत्य -असत्य कह दीजिये न।

श्री हीरालाल विश्नोई : हां, कितना सत्य है और कितना असत्य।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के मार्फत मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि ईटादा पंचायत हैडक्वार्टर, टापी पंचायत हैडक्वार्टर, वेडिया पंचायत हैडक्वार्टर, खेजड़ियाली-पाकिस्तान से लगता हुआ बार्डर का हैडक्वार्टर, गोमी पंचायत हैडक्वार्टर, भवातड़ा हैडक्वार्टर, रतोड़ा हैडक्वार्टर, जोरादर हैडक्वार्टर, ये सात-आठ पंचायत हैडक्वार्टर हैं जहां ग्रेवल तक नहीं पहुंचा। और ये टेपी वगैरह इतने नदी के बाहर के इलाके हैं, जैसा जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, सांचौर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, वहां से एम.पी. का चुनाव लड़ा हुआ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वह नहर इलाका है। आप इलाके में दौरा कर आओगे तो आप के पेट के अन्दर कम से कम दो -तीन किलो मिट्टी जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा इलाका है कि बरसात के समय में वहां पर कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। आवागमन के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, आने-जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं रहता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के लोग कहां जाएंगे कैसे करेंगे ? कैसे दवाई लेने जाएंगे, कैसे तहसील हैडक्वार्टर पर आएंगे, पंचायत हैडक्वार्टर पर आएंगे ? अपने काम के लिये कैसे आ सकते हैं और राशन का सामान भी वहां कैसे ले जा सकते हैं जब सड़क नहीं है तो ?

उपाध्यक्ष महोदय, 1971 के अनुसार हजार की आबादी वाले गांव लगभग सभी जोड़ दिये गये, यह इसमें बताया गया है। मैं यह कहना चाह रहा था कि वहां पर ऐसे - ऐसे गांव हैं कि अभी तक वहां कोई सड़क तो क्या, जीप नहीं जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, फोर बाई फोर की जीप वहां जा नहीं सकती, ऐसे-ऐसे गांव हैं, मारूति तो क्या जाएगी। होती गांव की जो अधूरी सड़क है, पिछले चार साल से अधूरी पड़ी है, अभी तक पूरी नहीं की है। दूसरी सड़क 1971 में 1500 की आबादी वाली है, सभी गांवों की सड़कें अधूरी पड़ी हैं। एक वाकसर रोड से सूराचन्द पी. एच. क्यू. है, मेरा सुझाव है कि वाकसर रोड से सूराचन्द पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ा जाए क्योंकि वह नदी के बाहर का इलाका है। वाकसर रोड से ऊपर से जाएंगे तो इस नदी के अन्दर से बाहर निकल कर जब लोग आएंगे तो आवागमन का उसके सिवाय साधन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कितनी समस्या है अब जो पिछले सालों में ये स्वीकृतियां बतायी गयी हैं, यह मैं आप को गिनाना चाहता हूं। एक-एक डेढ़-डेढ़ किलोमीटर की सड़कें पिछले दो-तीन साल से स्वीकृत हो गयी हैं लेकिन डामर नाम की कोई चीज वहां तक नहीं पहुंची

Page No.290

(श्री हीरालाल विश्नोई)

है। वीरावा पी. एच. क्यू. दो किलोमीटर, यह विधायक कोटे में सेंक्शंड हैं, पिछले ढाई साल से स्वीकृत पड़ी है। जिस वर्ष मैं चुनकर आया हूं पहला बजट मैंने वहां दिया था और अभी तक उस सड़क का कार्य नहीं हुआ। सीसावा बार्डर का इलाका डेढ़ किलोमीटर, गांधव से केरिया पांच किलोमीटर, सम्पर्क सड़क आकोली ढाई किलोमीटर, भड़वल चार किलोमीटर, कोड़ एक किलोमीटर, अचलपुरा पंचायत हैडक्वार्टर चार किलोमीटर, वांक तीन किलोमीटर और बीछावाड़ी दो किलोमीटर, सम्पर्क सड़क डावल चार किलोमीटर, जांड़वी से केसूरी सात किलोमीटर, इस तरह पिछले 1994-95 में जो स्वीकृतियां निकली थीं, उपाध्यक्ष महोदय, वो यों की यों हैं। मैटल रोड बन गयी, मैटल रोड बन कर टूट भी गयी और डामर वहां बिलकुल नहीं पहुंचा।

इसी तरह से डामर सड़क झाब से देवड़ा और चौरा से खेड़ा, यह भी 1994-95 की जो स्वीकृतियां थीं उनमें थी। मेरी तहसील में 170 किलोमीटर की ये छोटी-छोटी स्वीकृतियां जरूर हुईं मगर वहां पिछले दो-ढाई साल से कोई एक भी किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह पक्षपात नहीं है तो क्या है ? भीनमाल से सांचौर की मुख्य सड़क, जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा था, दो नदियां बीच में आती हैं। आधा-आधा किलोमीटर लम्बी नदी है, वहां आने-जाने का रास्ता पूरा बंद हो जाता है जालौर जिले में बारिश के समय। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी नदियां हैं कि हम हमारे एरिया में दो-दो महिने तक नहीं जा सकते, हमारा कोई विकास का काम देखने नहीं जा सकते, पूरा का पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। उधर से गुढ़ामालानी हो कर जाते हैं तो वहां भी नदी है और जालौर से हो कर जाते हैं तो यहां करीब 50-60 नदियां आती हैं। जालौर से रवाना होकर सांचौर पहुंचते हैं तब तक इतनी नदियां आती हैं कि, अगर सड़क का निर्माण नहीं होगा और इस भेदभावपूर्ण तरीके से, पक्षपातपूर्ण तरीके से अगर काम करेंगे तो हम लोग वहां कैसे जा सकते हैं, कैसे काम हो सकता है, वहां की जनता को कैसे राहत मिल सकती है ? इतना मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन मोहन (अनुपस्थित)। श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा की जा रही है। मैं भी सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में भी मेरे क्षेत्र में सड़कों की बाढ़ सी आ गयी है। परन्तु एक क्षेत्र अब भी अकाल की तरह अछूता रह गया है। मेरे क्षेत्र में दो तहसीलें हैं राश्मी और गंगरार। राश्मी के अंदर इतनी मात्रा में सड़कें बन चुकी हैं कि मैं मानता हूं कि वे पर्याप्त हैं लेकिन

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

गंगरार तहसील की पूरी की पूरी सड़क डामरीकरण या काली-काली देखने के लिये तरसते हैं। काली सड़क ही नजर नहीं आती, एक हाईवे नजर आयेगा गंगरार के अंदर। सड़क नीति बनने के बाद यह निश्चित हो चुका है कि अमुक जनसंख्या के गांवों में अमुक समय में डामरीकरण कर दिया जाएगा परन्तु मैं चाहता हूं कि यह कार्य जल्दी हो जाए।

मेरे क्षेत्र में भी अनेक पंचायत मुख्यालय डामरीकरण से नहीं जुड़े हैं, यदि उनको जल्दी जोड़ दें। उनके नाम हैं सादी ग्राम पंचायत, मंडूपिया, सोमरवालों का खेड़ा, सोनगर, बावलास, कुवालिया आदि पंचायत मुख्यालय हैं जो आज भी न तो गिट्टी से जुड़े हैं और न ही डामरीकरण से जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी यहां डामरीकरण हो जाए। मेरे क्षेत्र के पांच-सात गांव ऐसे हैं जिन गांवों के बीच से सड़क मार्ग गुजरता है लेकिन सड़कें इतनी टूट चुकी हैं कि आप उन गांवों के अंदर बरसात के मौसम में पैदल भी नहीं चल सकते, एक -एक फीट, डेढ़ फीट तक पानी भरा रहता है। इनमें हैं हरनाथपुरा, राश्मी, मुरेली, खारकंदा, रूद, गंगरार। ये सड़कें इतनी टूट चुकी हैं कि इन पर वर्षा ऋतु में एक बार पानी भर जाए तो पूरी बरसात के मौसम में पानी भरा रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान इस ओर विशेष दिलाना चाहूंगा कि यह कार्य अतिशीघ्र करें। और वहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था भी करें।

अन्त में, एक खास मांग है, मेरे क्षेत्र में एक धार्मिक और पर्यटक स्थल है मातृकुण्डिया, वहां पर प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। चित्तौड़-गंगापुर मार्ग के बीच मातृकुण्डिया जो स्थान है। वहां पर पुलिया बनी हुई और उस पुलिया के जस्ट एक किलोमीटर मातृकुण्डिया बांध बना हुआ है जिसका सारा का सारा पानी भीलवाड़ा में जाता है। जब यह बांध पूरा भर जाता है तो वह सारा पानी इस पुलिया पर से होकर जाता है। वह पुलिया इतनी नीचे है कि वाहनों को जब तक पानी नहीं उतरता है उसका इंतजार करना पड़ता है। कभी-कभी तो ऐसी समस्या आ जाती है कि कई सप्ताहों तक पानी ऊपर बहता रहता है और मातृकुण्डिया डैम की पुलिया के ऊपर भी होकर नहीं जा सकते। यदि कोई डिलीवरी हो या कोई बीमार हो गया हो तो सड़क बिलकुल कट जाती है। ऐसी स्थिति में मैं सिंचाई मंत्रीजी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि बरसात के अंदर यदि पुलिया के ऊपर से पानी जाए तो आपके डैम की जो पुलिया है, उसके फाटक खुले रखें। (व्यवधान) आपके डैम का फाटक वहां के एईएन. और जे. ईएन. बन्द कर देते हैं। वे यह कहते हैं कि यदि भारी वाहन निकले तो यह पुलिया टूट सकती है। ...(व्यवधान)

एक और निवेदन है, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी पधार चुके हैं। मातृकुण्डिया के अंदर जो पुलिया है वह एक मीटर ऊंची हो जाए।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

मैंने बार-बार लिखा है कम से कम 20 पत्र लिखे हैं। वह एनीकट भी हैं और काजवे भी है.(व्यवधान) यदि वह एनीकट कम काजवे के रूप में पुनः एक मीटर ऊंची हो जाए तो वहां पर जो पर्यटक आते हैं उनके लिये दर्शनीय स्थल भी बन जाएगा और वहां पर पानी भी अधिक भरा रहेगा।

अन्त में मैं एक गंभीर समस्या के ऊपर अपना प्रश्न करना चाहूंगा और मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा। यह समस्या है (व्यवधान) मैं कह दूं तो बढ़िया रहेगा। पुराने समय से पहले जो भी शासन में थे उस समय से एक कुप्रथा चली आ रही है कमीशनखोरी की, यदि आप बन्द कर सकें तो देश और राज्य के हित में होगा। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल जी अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 सार्वजनिक निर्माण पर चर्चा हो रही है जिसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करता हुआ सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान डूंगरपुर जिले की ओर दिलाना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद में राजस्थान की धरती पर जो लम्बी-लम्बी सड़कें, बड़ी-बड़ी पुलियाएं निर्माणाधीन हैं, वे सिर्फ कांग्रेस की देन हैं, यह आपको स्वीकार करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक नीतिगत सड़क निर्माण का कार्यक्रम हाथ में लिया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आपने सड़कों के निर्माण के लिये नीति बनायी है 1500 और 1000 की आबादी को गांवों से जोड़ना, पंचायत हैडक्वार्टर मुख्यालय से जोड़ना। ये जो छोटी-छोटी सड़कें हैं सिर्फ आपके हवाले हैं, यह आपको करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप दिल खोलकर काम करें। आप दिल खोलकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो सड़क के अभाव को महसूस करती है, उसकी पूर्ति करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे मोटी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने डूंगरपुर जिले में जो सड़कें बनायी थीं, डामरीकरण से जुड़ी हुई थीं। उन सड़कों की हालत बहुत खराब है, वे सड़कें बिलकुल टूट गयी हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो वे सड़कें जिन पर पूर्व में डामरीकरण हो चुका है, उनका ही रख रखाव ठीक रखें तो हमारे लिये यह बहुत बड़ी बात होगी। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, डूंगरपुर से मेवाड़ा नया थाना जो रोड है उसकी हालत इतनी खराब है कि आज जो भी साधन चलते हैं, जितने भी वाहन चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, आये दिन वहां यह घटना घटती रहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों से सड़कें जोड़ने का एक निर्णय लिया है शहर में नगर

(श्री शंकरलाल अहारी)

पालिका क्षेत्रों में जोड़ने का निर्णय लिया है, गांवों को सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया है, पंचायत मुख्यालयों से जोड़ने का निर्णय लिया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपने शहरों पर ध्यान दिया। शहरों की सड़कों को ठीक किया, जहां सड़क नहीं थी वहां बनवायी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु आपने जितना शहरों पर ध्यान दिया उतना ही आपको गांवों पर भी ध्यान देना चाहिये था। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ यही कहना चाहता हूं कि शहरों में आपके वोटर निवास करते थे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर निवास करते थे इसलिए आपने प्राथमिकता शहरों को दी और गांवों में कांग्रेस के वोटर निवास करते हैं इसलिए आपने वहां तो बहुत स्लो गति से, धीमी गति से प्रारम्भ करवाये। काम आपने प्रारम्भ करवाये पर बहुत धीमी गति में करवाये हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आपका प्रवास डूंगरपुर जिले में हुआ था। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस एक साल में एक हजार पुलिया बनीं कि नहीं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आपके यहां जितना काम विधान सभा क्षेत्र में और जिले में हुआ है उतना राजस्थान में कहीं नहीं हुआ।

श्री शंकरलाल अहारी : मैं कहीं छिपाऊंगा नहीं, मैं आपको बिलकुल सही बात कहूंगा। माननीय मंत्रीजी, आप पधारें डूंगरपुर जिले में तो हम यह आशा करते हैं कि हमारे राजस्थान का मंत्री वहां आये। और कम से कम आपके साथ में बैठकर अपनी समस्या तो आपके सामने रखें। (व्यवधान) वह भी आपने नजरअन्दाज किया। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में पंचायत मुख्यालय को जोड़ा, आपने मैटल के काफी रोड्स से हमको जोड़ा है उसमें हम न नहीं कहते हैं, नजरअन्दाज नहीं करते हैं परन्तु मेरा सुझाव है कि जो मैटल से आप जोड़ रहे हो तो साथ ही साथ डामरीकरण भी हो जाना चाहिए क्योंकि मैटल बनाने के बाद वह रोड दो-तीन साल तक तो रहती है उसके बाद में ऊबड़-खाबड़ हो जाती है और उस पर चलने फिरने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भी मैटल रोड बने उस पर डामरीकरण हो जाना चाहिए, नम्बर एक। जो आपके रोड बन रहे हैं उनमें जितनी चौड़ाई आप ले रहे हैं वह बहुत कम है जैसे बारह फीट के बजाय दस फीट ले रहे हैं। आठ फीट ले रहे हैं। ग्रामीण की जो सड़कें हैं आप ग्रामीण के हिसाब से ही ले रहे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका जो मापदण्ड है वह गांवों और शहरों में बराबर लेना चाहिए। गांवों में आठ फीट का रोड बनाकर हम गाड़ियां चलाते हैं, ऐसा नहीं है, वहां भी वही गाड़ियां चलती हैं। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में जो सड़कें डामरीकरण की टूटी हुई हैं उनको आप ठीक करवाइये। रहा आपके पुलियाओं का, माननीय मंत्रीजी, मैं आपकी तारीफ करता हूं

(श्री शंकरलाल अहारी)

और मैं आपको धन्यवाद देता हूं (व्यवधान) वास्तव में आपने ट्राइबल एरिया के हिसाब से जनजातीय क्षेत्र को देखा।

(21.52)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

देखने के बाद में आपने वास्तव में जहां पुलियांए नहीं थीं वहां बनवायीं, यह हकीकत है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे कि एक हजार पुलियाओं का निर्माण किया या नहीं किया। किया है, इसमें कोई शक नहीं है परन्तु मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) परन्तु, मैंने परन्तु लगाया है उन पुलियाओं में जो मैटीरियल काम में लिया गया है वह थोड़ा घटिया किस्म का है और जिन सड़कों पर आपने गिट्टी बिछाई है वह गिट्टी बिलकुल कच्ची है जबकि पक्की गिट्टी बिछानी चाहिए थी।

आपको मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि फेमिन में, डूंगरपुर जिले की एक परिपाटी रही है, मैं अन्य की बात नहीं करता, कि जब-जब भी अकाल पड़ता है, मीटिंगें बराबर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होती हैं। उसमें हम सबकी एक दिलचस्पी रहती है कि हम अच्छे काम करें और अच्छे कामों के साथ हम जुड़ें। यह हकीकत है कि फेमिन में अबकी बार हमने बहुत बड़ी पुलियाओं को हाथ में लिया है जो वास्तव में सराहनीय और प्रशंसनीय है। (व्यवधान) इसमें कोई शक नहीं है, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो खामियां हैं उन पर आप थोड़ा-सा ध्यान दें। पीठ से पुनावाड़ा जाने वाली जो रोड है उसमें एक नदी आती है, उसका ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, रास्ता से माण्डली हम जाते हैं तो एक मोरल नदी आती है उसमें भी एक ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। हमारे वहां डूंगरपुर से अफीडरोड पर हम जाते हैं तो एक भण्डारा घाटा है, एक गेंदी घाटा है, गोरादा घाटा है और मेवाड़ा घाटा है, वहां कटिंग की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन कामों पर आप ध्यान दें। जिस ढंग से आपने इस वर्ष काम हमको दिया उससे भी ज्यादा हम आशा करते हैं कामों की। आपसे तो कम से कम आशा रखते ही हैं आप हमारी बात को रखते हो, मानते हो। माननीय अध्यक्षजी, जो हमारे अभाव-अभियोग हैं और जो मैंने सदन के सामने रखा है, वह हमारी समस्या का समाधान करें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गूजर।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है और मैं कुछ मेरे विचार रखना चाहता हूं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा समय नहीं लूंगा, मैं कुछ सुझाव ही देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पांच ही मिनट में समाप्त कर दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सड़क नीति बनायी, उससे एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान में हो रहा है। गांवों में सड़कें बनाने का जो कार्य चल रहा है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी इस नीति में कुछ कमियां हैं और मौके पर जो कुछ असुविधाएं देखी गयी हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने यह नीति बनायी कि पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ना है और 1971 की एक हजार की आबादी के गांवों को सबसे पहले डामर की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मौके पर जो आपके अधिकारी हैं वे जहां से छोटी सड़क होती है, छोटी जगह होती है वहां से उस गांव को जोड़ते हैं जबकि वास्तव में गांव के लिए उपयोगिता दूसरा जो थोड़ा लम्बा रूट पडता है उसकी है। इस हेतु माननीय मंत्री महोदय ने एक बार भीलवाड़ा में मीटिंग ली थी तब भी मैं आपके ध्यान में लाया था और आपने उस समय अधिकारियों को कहा भी था कि गांव के व्यक्तियों के लिए, जनता के लिए जहां उपयोग की ज्यादा जरूरत हो, सुविधाजनक जिधर से रास्ता हो, उसको डामर से जोड़ा जाए न कि शार्ट रूट से। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसकी पालना नहीं हुई। मैं मेरे क्षेत्र की दो सड़कें आपके ध्यान में भी लाया था, उस समय मैंने निवेदन किया था कि आमदला और बड्डू की जो सड़क बन रही है, एक चावण्डिया की बन रही है उसको विभाग द्वारा शॉर्ट रूट देखकर जोड़ा जा रहा है जबकि आधा किलोमीटर लम्बा पड़ने पर गांव में आने जाने वालों को सुविधाजनक वह सड़क रहेगी। आपने उस समय निर्देश भी दिया परन्तु उसकी पालना नहीं हुई। उस सड़क का काम चल रहा है थोड़ा काम भी हो गया है वह तो ठीक है लेकिन कम से कम आगे तो आप निर्देश दे दें कि अधिकारी लोग इस बात को मानकर आपके आदेश की पालना करें।

दूसरा मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि दो मुख्यालय पंचायत के जोड़े जाते हैं लेकिन बीच में दोनों अलग-अलग सड़कों से जुड़ गये, बीच में एक लिंक रोड रह गयी। इसका जैसाकि आपने बताया, सड़क नीति में प्रावधान भी है परन्तु उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा है। भीलवाड़ा जिले में मेरे क्षेत्र में जैसे इधर आसीन्द से एक सड़क आयी और वह लाचूड़ा तक आ गयी। और इधर केरिया पंचायत हैडक्वार्टर को हमारे इधर से जोड़ दिया। बीच में तीन किलोमीटर का, चार किलोमीटर का टुकड़ा है उसको कई बार निवेदन करने पर भी नहीं जोड़ा जा रहा है जबकि वहां पर कम से कम 20-25 बसें डेली आती-जाती हैं। इस तरह के जो मामले हैं उनमें ज्यादा ध्यान देने के लिए आप निर्देश फर्माएं। यह तो मेरा मामला है लेकिन और ऐसे मामले हो सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

आपने जो नीति बनायी उसमें एक ऐसा प्रावधान रखा जाए कि एक पंचायत है, पंचायत

(श्री कालूलाल गूजर)

का एक गांव नदी के इस किनारे पर और एक गांव उस किनारे पर है। इस तरह के मेरे यहां दो उदाहरण हैं। एक तो है दूड़िया पंचायत का जवासिया गांव जो बनास नदी के पूर्वी के किनारे पर है और दूड़िया पंचायत हैडक्वार्टर है वह पश्चिमी किनारे पर है और बीच में बनास नदी है। इसी तरह से एक पितास गांव है, पंचायत हैडक्वार्टर कोठारी नदी के पूर्वी किनारे पर है और पश्चिमी किनारे पर एक दूसरा गांव है उसी पंचायत का। जब एक पंचायत के बीच में नदी पड़ती है वहां पर अगर पुलियाएं बन जाती हैं तो उस गांव से पंचायत हैडक्वार्टर पर जाने के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी। दूसरा, दोनों ओर डामर की सड़कें आ गयीं लेकिन बीच में पुलिया है जिसको वर्षों हो गये। दोनों तरफ डामर की सड़कें हैं, आने-जाने के लिए दोनों नदियों तक सुविधा है लेकिन बीच में नदी आ जाने की वजह से आना-जाना संभव नहीं होता, चौमासा में पूरी बन्द हो जाती है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि ऐसी सड़कों पर पुलिया तत्काल बनाने हेतु नीति का निर्धारण करें। (व्यवधान) हां, नीति में जोड़ दें और उसका निर्देश दिलाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, कई साल हो गये, दस साल, पांच साल पहले एक गिट्टी की लहर कुटाई कर दी लेकिन अब उसके ऊपर डामरीकरण नहीं हो रहा है, जबकि आपने ऐसा फरमाया था कि एक कुटाई भी हो जायेगी तो उसके ऊपर डामरीकरण कर दिया जाएगा। दुबारा एक और कुटाई करके लेकिन ऐसी कई सड़कें पड़ी हुई हैं। उन पर यह कहते हैं कि हमारे तो अब सड़क नीति बन गयी, उस सड़क नीति के कारण चूंकि पंचायत हैडक्वार्टर नहीं जुड़ता इसलिए हम उसके ऊपर डामर नहीं करेंगे। गिट्टी बिछाई, सड़क बनायी मिट्टी डाली, सब कम्पलीट हो गया लेकिन हर बरसात में वह गिट्टी कट रही है। जो कुछ बची हुई है वह भी खराब हो जाएगी। दो साल पहले अकाल राहत कार्य चले थे उस समय आपके यहां से एडिशनल चीफ इंजीनियर भीलवाड़ा आये थे और उन्होंने कहा था कि एक लेयर कुटाई हो जाएगी गिट्टी की, उन सबका हम डामरीकरण कर देंगे। लेकिन ऐसी सड़कों का अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है, उनको डामरीकरण द्वारा जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक-आध और उदाहरण देना चाहूंगा..

(22.00)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। अब तो कोई बाकी रही नहीं है आपकी ।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग की जो सड़कें हैं वे भी आप पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा बनाते हैं। कुछ सड़कें अधूरी हैं, आपके विभाग को यह पता है

(श्री कालूलाल गूजर)

कि किसी में दो किलोमीटर, किसी में तीन किलोमीटर की अधूरी है। उनके लिये आप बराबर प्रस्ताव पी. डब्ल्यू. डी. में भेजते नहीं हैं, एस्टीमेट बनाकर, इस वजह से वहां से पैसा आता नहीं है। आप इसका बराबर भिजवाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सड़क है ज्ञानगढ़ से कटहार। उस सड़क का कार्य अभी अधूरा है, उसमें चालीस किलोमीटर डामरीकरण बाकी है। उसमें बजट पूरा हो गया तो आप रिवाइज बजट के लिये एस्टीमेट बनाकर आगे भिजवाएं। इस तरह से और भी है जहां पर सड़कें पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से बनानी हैं। माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में मेरे क्षेत्र की छोटी-सी समस्या और लाना चाहता हूं। एक महेन्द्रगढ़ और पान्सल रोड है उस रोड के ऊपर विभाग की साठ हजार रुपये की गिट्टी पड़ी हुई है। उस गिट्टी को वहां के सरपंच ने बिना विभाग की स्वीकृति के ले लिया। उस गिट्टी को लेने के बाद हमने विभाग को कहा कि यह गिट्टी कैसे ले ली। ए. ईएन. ने उनको नोटिस दिया कि जे. ईएन. ने मुझे सूचित किया है कि साठ हजार की गिट्टी बिना स्वीकृति के ले ली जैसे ही नोटिस दिया उसके बाद जेईएन. ने चुपचाप सरपंच साहब से मिलकर उनको एक रसीद दे दी कि यह गिट्टी मैंने आपको सुपुर्द की। एक तरफ तो एईएन. ने एक्स. ई.एन. को लिखा कि साठ हजार रुपये की गिट्टी उठा ली। इसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और जेई.एन. ने मुझे सूचित किया यह भी उसमें दर्ज है और दूसरी तरफ जेईएन. कहता है कि मैंने इनको गिट्टी सुपुर्द कर दी। इस तरह साठ हजार रुपये का घपला वहां हुआ है, आप उसको दिखवाएं और जो दोषी जेईएन. है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल जी ताम्बी। दस बजकर तीन मिनट पर बोल रहे हैं आप।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के मानव जीवन के विकास के लिये सड़क गमनीय स्थिति के रूप में मानी जा सकती है। मेरा इस सम्बन्ध में यह अनुरोध है कि राजस्थान सरकार ने एक सड़क नीति बनायी और इस नीति के माध्यम से काम काज करने का एक तरीका निकाला। मैं समझता हूं इस लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

मैं इस मौके पर लम्बी बात नहीं करना चाहूंगा। हमारा प्रदेश जब बना था उसके बाद करीब 47 हजार किलोमीटर सड़कें इन वर्षों में बनी हैं। जहां एक ओर हम सड़कों का विकास कर रहे हैं, उसके साथ-साथ वर्तमान सड़कों की जो हालत है, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सड़कों के संधारण और मेंटीनेंस के नाम पर या पुलियाओं के नाम पर हालात बहुत खराब हैं। आप भी राजस्थान में घूमते हैं, हम लोग भी अपने इलाकों में और दूसरी जगह जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि विस्तार के साथ साथ

(श्री रतनलाल ताम्बी)

वर्तमान सड़कों की जो दयनीय हालत है उस ओर भी आपका ध्यान जाए।

मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। बनास नदी हमारे इलाके में निकलती है, वह मेरी कान्स्टीट्यूएंसी में करीब करीब पचास-पचपन किलोमीटर चलती है। पूरी बनास में एक पुलिया बनी हुई है, काछोला-पावड़ी सड़क पर एक पुलिया और बनती है तो जो 75 किलोमीटर का लोगों को चक्कर खाकर आना पड़ता है, वह समस्या मिट जाए और हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा जैन तीर्थ चंवलेश्वर पार्श्वनाथ है उसके आवागमन का स्थायी समाधान हो जाए।

दूसरा, सापरा रोड से अजमेर सीमा की जो रोड है वह 1989-90 में आपके प्लान में स्वीकृत हुई। उस पर काफी काम होने के बाद एक मीसिंग लिंक है करीब तीन-चार किलोमीटर का अजमेर जिला सीमा से भीलवाड़ा जिला सीमा के बीच में। बिहाडा हतौडिया के नाम से। वह पूरा होता है तो अजमेर जिले की सीमा से जुड़ा हुआ सारा इलाका, केकड़ी की मण्डी में हमारी इलाके से काश्तकार बड़ी तादाद में जाते हैं, उन सबके लिये काफी चक्कर लगाने की स्थिति समाप्त हो जाती है।

मैं मंत्री महोदय, आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप चार-छह महीने पहले जहाजपुर तहसील की सीमा पर एक सम्मेलन में गये थे। आपको लोगों ने याद दिलाया था कि जहाजपुर से हिण्डौली सड़क बीस साल पहले जहाजपुर क्षेत्र की सीमा में कम्पलीट है। उसके बाद हिण्डौली तहसील में वह सड़क आगे अधूरी पड़ी है। मिसिंग लिंक है। लोगों ने जोर शोर से मांग की। यह सड़क बनने से बूंदी जिले का सीधा सम्बंध हो जाता है और पचास-साठ गांवों को इससे लाभ मिलता है।

एक सैण्ट्रल सी.आर. एफ. के माध्यम से बिजौलिया गुढ़ा से शकरगढ़ सड़क स्वीकृत हुई थी, उस सड़क को बने हुए करीब तीन-चार वर्ष हो गये। उसके बाद मांगथला से शकरगढ़ का मिसिंग लिंक है। जहाजपुर से शकरगढ़ और उधर आपका गुढ़ा बिजौलिया तक का इलाका जुड़ जाता है। यह सैण्ट्रल रोड बनने के बाद शायद इसे स्टेटफण्ड से बनाना होगा। बाकी कुछ पैसा लगाना है तो मैं समझता हूं इस रोड को भी आप जानते हैं, इस तरफ भी आपका ध्यान जाएगा।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली से जबलपुर भोपाल तक नेशनल हाइवे निकला हुआ है कोटा-देवली होकर रोज जाते हैं आप। देवली से भीलवाड़ा तक, उसका पार्ट मानते हुए उस सड़क का विकास किये जाने से बड़ी मात्रा में जो ट्रैफिक निकलता है, बड़ी सुविधा होगी। गृह मंत्री जी को ध्यान होगा, सापरा होकर निकलती है।

पंचायत हैडक्वार्टर्स के मामले में आपने एक अच्छी नीति निर्धारित की। उसके अन्तर्गत अभी हमारे क्षेत्र में करीब 14 पंचायतें ऐसी हैं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जो खैरवेदर रोड से जुड़ी हुई हैं या कृषि मण्डी से अधूरी जुड़ी हुई हैं। डामर की स्थिति इनकी बनने में अभी काफी दिक्कत महसूस होती है और जो बनी है उनमें पुलियांए नहीं है। उन पंचायतों के नाम मैं आपको अलग से दे दूंगा। चार कोटड़ी तहसील में हैं और करीब दस जहाजपुर तहसील में हैं। वे सड़कें पंचायत हैडक्वार्टर के हिसाब से जोड़ी जाए, यह मेरी मांग है आपसे।

जहाजपुर से घाटरानी एक सड़क बनी, पन्द्रह साल हो गये। घाटरानी माताजी का स्थान उस इलाके का बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान है, साल में दो बार मेला भी लगता है और काफी यात्री वहां आते-जाते हैं। उस सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं, हालत बहुत खराब है। बन्डेर से सावड़ सड़क बनने के बाद बीस साल में मामूली रिपेयर एक आध दफे हुआ होगा, खड्डे पड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : खतम ही कर रहा हूं। दस मिनट की बात थी। मैंने आज भाषण दिया ही नहीं, मांग ही मांग कर रहा हूं।

मैं समझता हूं उसकी स्थिति को भी आप देखें। आपने यह कहा था पत्र भी लिखा था कि ये सब सड़कें जिनकी मेन्टीनेंस आवश्यक हो, की जाएगी। मैं समझता हूं इस बारे में आपका ध्यान जाएगा। जहाजपुर एईएन. आफिस में तीन वर्ष से कार्य नहीं है, आपकी सुदृष्टि हो तो इस इलाके की सड़कों की हालत बहुत खराब है, मिसिंग लिंक बहुत हैं, उन सड़कों की दृष्टि से आप कुछ काम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल शर्मा। दस बज कर साढ़े नौ मिनट हुए हैं।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर विचार- विमर्श हो रहा है। मैं संक्षेप में अपनी बात कह कर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धौलपुर जिले में मनिया से बसीनवाब एक सड़क मंजूर हुई थी बीस साल पहले, खेड़ागढ़, यू.पी. को कनैक्ट करती हुई, वहां की जनता लाभ उठाती है। उसके बीच में पार्वती नदी आती है। बीस साल से मांग हो रही है कि उस नदी पर पुलिया का निर्माण करवाया जाए। बरसात में 15-15 दिन तक रास्ता जाम रहता है, बंधो का पानी खोल दिया जाता है, 15-15, 20-20 फीट पानी भरा रहता है। खास तौर से बात यह है कि आये दिन डकैत लोग रस्तागिरों को लूटते रहते हैं और 5-6 महीने पहले भी एक जवान लड़के की मौत कर दी गयी। वहां पर एक्स. ईएन. ने, एस. ई. ने दो साल पहले से इसका एस्टीमेट भेजा हुआ है, मेहरबानी करके इसको मंजूर करवाइये ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके।

डामर की कमी तो हालांकि पूरे राजस्थान में ही है लेकिन धौलपुर में 1100 एम. टी. की मांग थी और आपने सिर्फ साढ़े तीन सौ

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

एमटी. दिया है। उससे 35 किलोमीटर की हमारी सड़क का निर्माण कार्य तो अवरुद्ध हो ही गया लेकिन इसके साथ साथ वहां पर डंडोली का हॉट प्लांट भी बंद पड़ा हुआ है। मेहरबानी करके जो हॉट मिक्स्ड प्लांट है उसको तो चालू करवाइये जिससे कि डामर से काम हो। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वह यह हुआ कि इस साल 1996-97 में हमें रिपेयर में पैसा नहीं मिला क्योंकि वह पैसा खर्च नहीं हुआ। खर्च नहीं हुआ इसका मतलब ट्रान्सफर हो गया। इसलिए आपसे निवेदन है कि डामर की उपलब्धता करवाएं। वहीं पर वसीनीम एक गांव है जो पंचायत हैडक्वार्टर है। माइन्स डिपार्टमेंट ने इस सड़क को बनाया था। मुश्किल यह है कि यह चम्बल नदी के किनारे पर है और चम्बल की रेवाइन्स में होकर वह सड़क निकली है। माइन्स डिपार्टमेंट तो इस पर खर्चा करता नहीं है और आपके रिकार्ड में पंचायत हैडक्वार्टर जुड़ा हुआ है, अब उसकी रिपेयर के लिये बड़ी मुश्किल आ रही है कि उसकी रिपेयर कौन करें। पी.डब्ल्यू. डी. कहता है कि हमारी रोड नहीं है और माइन्स डिपार्टमेंट उसमें खर्च नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उस सड़क की हालत बहुत खस्ता हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके उस सड़क को तो आप टेक-अप कीजिये हालांकि पालिसी की बात है। चाहे वह कृषि उपज मण्डी की सड़क हो, चाहे माइन्स की सड़क हो आप उस पर पैसा खर्च नहीं करते हैं। बहुत-सी सड़कें ऐसी हैं जो कुछ किलोमीटर तो कृषि उपज मण्डी ने बना दीं और उसके बाद में पी. डब्लयू. डी. ने बनायी है, पी. डब्ल्यू. डी. उन पर आगे तो खर्चा कर देती है लेकिन वह बीच का टुकड़ा जो कृषि उपज मण्डी के द्वारा बनाया गया है उस पर खर्चा होता नहीं है और उसकी मेन्टीनेंस नहीं हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी सड़क को टेकअप करके उसको अपने अधीन रखें।

ए. डी. एफ. रोड्स के बारे में कहूं कि उस समय फण्ड्स आये सेन्टर से और आपने ए.डी. एफ. की रोड बना दी लेकिन उनकी मरम्मत की तरफ कोई गौर नहीं किया जाता है। काफी लम्बी-लम्बी, ऊंची-ऊंची रेवाइन्स हैं सड़क कट जाती है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है लेकिन उनकी तरफ गौर नहीं किया जाता है। खास तौर से ए. डी. एफ. की रोड्स पर आप रिपेयर के लिये ज्यादा फण्ड दें जिससे कि वहां के लोगों को दिक्कत नहीं आए और जिस उद्देश्य से उन सड़कों का निर्माण किया गया है उसका लाभ मिल सके।

मेरा आपसे निवेदन है कि वर्ल्ड बैंक में जो सड़कें मंजूर हुई, जमीन एक्वायर करते हैं। सड़क तो स्टार्ट पहले कर देते हैं और एक्वीजिशन का पैसा देते नहीं है। लोग अदालतों में चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं और काम रूक जाता है। मेरा गांव मानपुर है, वहां कई साल से मंजूर है लेकिन सड़क रुकी हुई पड़ी है। मानपुर की सड़क का पैसा जब

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

सैंक्शन हो गया है तो पैसा उनको दे दिया जाए ताकि सड़क का काम शुरू हो सके। आप विभाग को कहें कि मानपुर की सड़क मंजूर हुई है, पंचायत हैडक्वार्टर है, इस वर्ल्ड बैंक में मंजूर हुई है उसको पूरा करवाएं।

इसी प्रकार से एक गांव है आरी। आरी की सड़क गयी हुई है, जहां पर मेला लगता है छीपों के महादेव का, वह सड़क से जुड़ती है, लेकिन सड़क का निर्माण पूरा हो नहीं पाया है, एक लाख आदमी सड़क पर होकर गुजरता है हर साल मेला होता है, मेहरबानी करके उस सड़क को भी पूरा कराएं।

इसके साथ साथ आपकी पी. डब्ल्यू. डी. की सड़कें जो घनी आबादी के बीच में से होकर गयी हैं वहां पर नालियों का निर्माण नहीं होता है। कम से कम नालियों का निर्माण तो करवा दें। पंचायत नाली बनाती नहीं है सड़कों पर पानी भरा रहता है और सड़कें टूट जाती हैं। कम से कम घनी आबादी में से होकर के जहां आपकी सड़कें आयी हुई हैं वहां पर तो नाली का निर्माण करवाएं।

इसके साथ-साथ पंचायत हैडक्वार्टर को या एक हजार की पापुलेशन को तो आप डामर रोड कर देते हैं। लेकिन एमएलए. कोटा में या एम. पी. कोटा में, जो पॉलिसी में नहीं आती है ऐसी सड़कों का डब्ल्यू. बी. एम. या ग्रेवल सड़क बना दी है फिगर्स तो आपके आ गये कि हमने इतनी लम्बी सड़क बना दी। लेकिन उनका कुछ उपयोग होता नहीं है। डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से मिट्टी उखड़ जाती है और सड़कों का पैसा वेस्ट जाता है। मेरा यह निवेदन है कि कम से कम जो ऐसी सड़कें हैं उनको भी आप सम्मिलित करें, उन पर भी डामर करने की कृपा करें। यही मेरा आपसे निवेदन है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण जी बैरवा। सवा दस से चलिये आप। पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, [illegible] मांग संख्या 21 पर जो चर्चा हो रही है उस पर मेरे क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी दो पंचायत समिति पड़ती हैं चाकसू और फागी। चाकसू में तो मनालामैदा और फागी में किशोरपुरा दो ही पी.एच.क्यू. ऐसे हैं जो ग्रेवल रोड से जुड़े हुए नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों पंचायत हैडक्वार्टर रोड से जुड़वा दीजिये। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है वह यह है कि स्टेट हाई-वे नम्बर दो चाकसू से दूदू जाता है, इस पर मथुरा रिफाइनरी बनी है या सांगानेर रोड पर इण्डियन हाई-वे का टर्मिनल नया बना है पैट्रोल-डीजल का। फागी होते हुए दूदू, चाकसू जो रोड बनी है, सारे टैंकर्स आ रहे हैं, कम से कम दो सौ टैंकर्स रोजाना इस रोड पर आते जाते हैं। यह रोड खाली तीन मीटर चौड़ी है और इस पर इतना ट्रैफिक आता है कि दो सौ टैंकर आते-जाते हैं जिनका वजन कम से कम

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

15 और 20 टन के बीच में होता है लेकिन सड़क जो बनाते हैं वह 10 टन के हिसाब से बनाते हैं। यह सड़क पूरी खराब हो चुकी है। इसको जितने भी ट्रान्सपोर्टर्स है वे बाइपास के काम में ले रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस सड़क का सर्वे करके इसको पांच-साढ़े पांच मीटर चौड़ी बनायी जाए जिससे आवागमन के साधन यहां उपलब्ध हो सकें। टूट-फूट हो गयी है, ट्रकों को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक टायर 10-11 हजार का आता है, टूट जाता है। इस सड़क की हालत इतनी खराब हो रही है कि दो-दो फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। सारी रोड कट कट करके और भी सकड़ी हो गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाकसू से लेकर दूदू तक इस रोड को चौड़ी करवाया जाए। दूसरी जो रोड है स्टेट हाई-वे नम्बर 12, यह है सांगानेर से मालपुरा तक। जयपुर से लेकर अजमेर रोड पर ज्यादा रश होने की वजह से बाइपास इसी को काम में लेते हैं जो डाइरेक्ट अजमेर भी जाती है, भीलवाड़ा भी जाती है, सभी जगह जाती है। इस रोड पर ट्रैफिक ज्यादा रहने लग गया इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको चौड़ी करके इसका डामरीकरण किया जाए जिससे कि आवागमन के साधन आराम से आ-जा सकें, यातायात का सरलीकरण हो सके।

आपने लास्ट टाइम विंधान सभा में घोषणा की थी कि बांडी नदी पर और मासी नदी पर पुलिया बना दी जाएगी। काजवे की जगह क्योंकि डिग्गी जाने वाले श्रद्धालु होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं उनको आने-जानें मे बड़ी दिक्कत होती है। लास्ट ईयर नदी भी आ गयी थी इसलिये वे नहीं जा सके थे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बांडी नदी पर पुल स्वीकृत कर दिया, 80 लाख रुपये उसके लिये मन्जूर भी कर दिये और उसका टेण्डर भी हो चुका है। मैं इसी में निवेदन करना चाहूंगा कि मासी नदी पर एक पुलिया बना दी जाए तो हमेशा के लिये आने-जाने वाले यात्रियों के लिये और यातायात के लिये, दोनों के लिये सुविधाजनक रहेगी।

दूसरा यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाकसू से दूदू तक, सांगानेर से मालपुरा रोड तक, माली रोड तक, असूल्या से पीपला रोड तक लदाना रोड तक तीन-तीन साल हो गये इन रोड्स के लिये डामरीकरण की कोशिश किये हुए, बजट आये हुए, किन्तु पेवर के लिये कोई ठेकेदार टेण्डर डालता नहीं है इसलिये पेवर हो नहीं रहा और उनका डामरीकरण हो नहीं रहा है। कैसे भी करके आप डिपार्टमेंट से इसका डामरीकरण करवाइये, तीन-तीन साल हो गये उनका पैसा लैप्स होता जा रहा है, डामरीकरण भी नहीं हो रहा है और सड़कों की हालत बड़ी खराब है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप डिपार्टमेंट से या किसी भी जगह से इनका डामरीकरण कराने की कृपा करें।

इसी के साथ मैं एक निवेदन और करना

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

चाहूंगा कि मेरे चौराहे बांडाच, फागी रोड पर नवीनीकरण हो रहा है। उस चौराहे पर पी. डबल्यू. डी. की जमीन पर थाने वालों ने कब्जा कर रखा है और थाने वाले छोड़ नहीं रहे हैं। सड़क ठीक करने के लिये ट्रैक्टर चलाया था, उस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और उस ड्राइवर को मार-पीट करके थाने में बन्द कर दिया। वह जमीन पी. डबल्यू. डी. के जूरिस्डिक्शन में है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस जमीन का अतिक्रमण हटाया जाए जिससे यातायात की सुविधा अच्छी तरह से हो सके। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, सड़कें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी प्रायः मेरे क्षेत्र में से गुजरते हैं, एक कमी तो वे स्वयं भी महसूस करते होंगे कि निवाई में डाक बंगला नहीं है। एक सहायक अभियन्ता नहीं है, सहायक अभियन्ता के अभाव में वहां जितनी सड़कें हैं उनका रख-रखाव ठीक नहीं हो पाता। वे खराब हो गयी हैं और जगह-जगह से टूट गयी हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : निवाई में डाक बंगले की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में कुल मिलाकर 1256 किलोमीटर सड़कें हैं जो कि राजस्थान के सब जिलों में से एक-दो को छोड़कर शायद सबसे कम हैं। मेरे निवाई क्षेत्र में तो और भी ज्यादा कम सड़कें हैं, कुल मिलाकर एक दर्जन सड़कें मुश्किल से होंगी। उन सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, उनकी मेंटीनेंस ठीक नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं। कुछ सड़कें हैं जैसे बनस्थली से माशी डैल, छोरया से चतुर्भुजपुरा, मुंडया से बीडोली, ये सड़कें मंजूर हो गयीं। इन पर मिट्टी डल गयी, इनका कंकरीट आ कर पड़ गया लेकिन वहां पर अभी तक कुटाई नहीं हो पायी है कुटाई करवा करके उनका डामरीकरण करवाने की कृपा करें, ताकि उन लोगों को सुविधा मिल सके।

जहां तक पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने का सवाल है कुछ सड़कें इस साल 1994-95 में और कुछ 1993-94 में मिट्टी की बनाई गयी हैं, उनमें से मुख्य है भरधला से करीटिया, झिलाय से सींदरा, नोहटा से बायड़ा होते हुए बस्सी, सिरस से खेड़ा होते हुए बस्सी तक। जब तक इनकी कुटाई होकर इनके ऊपर ग्रेवल न डाल दी जाए। मिट्टी न डाल दी जाए इनका कोई उपयोग नहीं होता। मेरा वह क्षेत्र ऐसा है जिसमें काली मिट्टी है, काली मिट्टी के जो गडार हैं वे भी खराब हो जाएंगे और रास्ते भी काम नहीं दे पाएंगे। लिहाजा आप ग्रेवल रोड बनवाएं, उन पर मिट्टी कुटवाएं ताकि उनका उपयोग उचित रूप से हो सके।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

अध्यक्ष महोदय, कौथून से लालसोट तक रोड मेरे एरिये में से निकलती है मोरेल नदी तक। वह जयपुर डिवीजन के अंदर है जबकि पूरी सड़क सिवाय एक किलोमीटर के मेरे क्षेत्र में से गुजरती है। मेरे यहां के एक्स. ईएन. से कोई बात करें कि फलां जगह सड़क खराब हुई है, उसकी मरम्मत कीजिये तो वे यह बात कह देते हैं कि हम तो जयपुर वालों के अंडर में है और अपनी असमर्थता बता देते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके इलाके की बहुत अच्छी हालत है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं-नहीं, खराब है।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं जाता हूं वहां से।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैं भी उधर से ही जाता हूं। कौथून से मोरेल तक का चार्ज टौंक वाले एक्स. ईएन. के पास रखा जाना चाहिये ताकि रख-रखाव ठीक ढंग से हो। इसी सन्दर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, हमारे साथ एक अन्याय तो आपने यह किया कि हमारे चिरांज-हनोला, पराला-नटवाड़ा, झिलाय-सिरोही, निवाई-डांगस्थल, यह 4 सड़कों का पैकेज डील मार्केटिंग बोर्ड को दे दिया और मार्केटिंग बोर्ड ने वह ठेकेदार को कान्ट्रेक्ट पर दे दिया। मुझे यह कहा गया कि बहुत बड़ा यू. पी. का ठेकेदार है, वह इस काम को संपन्न करेगा। भई, कौन ठेकेदार है ? हम उससे कहेंगे कि जरा जल्दी करो। एक दिन पता यह लगा कि वह अपने सब ताम-झाम उठाकर गायब हो गया। रात को, उसका पता नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मार्केटिंग बोर्ड में हैं। वह मेरा नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय मंत्री जी, वे सड़कें आपको बनानी थीं, आपने अपनी बर्डन उधर शिफ्ट कर दी। तकलीफ तो कुल मिलाकर मुझे रही और वह पी. डबल्यू. डी. का काम था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह कृषि उपज मण्डी से है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हां, कृषि उपज मण्डी का है, सड़कों का काम है। हम तो आपको ओलमा देंगे। लोग मेरे ऊपर आते हैं, लिहाजा उस बात को देखें। वह ठेकेदार सरकार के 20 लाख रुपये लेकर भाग गया जिसका आज तक कोई पता नहीं है। उसके सब काम फर्जी, नाम फर्जी, फर्म फर्जी, पैसा फर्जी, बैंक का ड्राफ्ट फर्जी। सब चीजें उसकी फर्जी।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराजें। श्री मांगीलाल जी मेघवाल।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि वह ठेका दे कैसे दिया। माननीय अध्यक्ष, एक मिनट ठहरिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : कुछ पुलिया है जिनके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। एक

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

तो दतवास के रास्ते में पुलिया है जिसका हमारे बौंली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, नितांत आवश्यक है। उसकी वजह से हमारा रास्ता रुक जाता है। एक डील नदी के ऊपर, यह तो 100 गज का ज्यादा से ज्यादा फासला होगा। जामडोली से बौंली जो रास्ता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, उसकी वजह से हम सीधे सवाई माधोपुर से जुड़ जाते हैं, कम से कम 50-60 किलोमीटर का जो लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है उसमें कमी हो जाती है।

एक बात और रह गयी है। छान से टोडारायसिंह, अगर बनास पर एक पुलिया बांध दी जाए तो वह रास्ता कम हो जाएगा और एक बड़ी भारी सुविधा हो जाएगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां तो आपके नाम से काम होता था।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा हो रही है, उसमें अपने आप को सम्मिलित करते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : काम पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि (व्यवधान) इसके बारे में अगर कोई व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक है। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिनारायण : सिवाड़ से जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है, किन्तु सीधी सड़क न होने के कारण टौंक और बौंली होते हुए सवाई माधोपुर तक आना पड़ता है, 100 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। अतः सिवाड, सारथोह, एचर, भील, जंगबोधा, काबड़ और गुड़िचा होते हुए यदि सवाई माधोपुर को सिवाड़ और ईसरदा से जोड़ दिया जाता है तो समय और डीज़ल और पैट्रोल की काफी बचत होगी। 40 गांव सीधे जिला मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वहां पुलिया बना दी, धन्यवाद तो दे दें।

श्री हरिनारायण : इसी प्रकार कमलेश्वर महादेव तक कोटा और बूंदी से आने वाली सड़क जुड़ी हुई है, किन्तु टोडा से कमलेश्वर महादेव तक 15 किलोमीटर का जो टुकड़ा है वह बचा हुआ है। यदि यह टुकड़ा जुड़ जाता है और खानपुर से चितारा तक तीन किलोमीटर का टुकड़ा जुड़ जाता है तो खण्डार, करनपुर, धौलपुर और मध्य प्रदेश सीधा कोटा और बूंदी से जुड़ जाएगा। इसलिए कमलेश्वर महादेव से टोडा तक का जो सड़क का टुकड़ा है उसको बनवाया जाए।

श्री परसादीलाल मीणा : सवाई माधोपुर में हवाई अड्डे की मांग करें।

श्री हरिनारायण : वह बना हुआ है मेरे घर के पास में। आप हवाई जहाज लेकर

(श्री हरिनारायण)

आजाना, हैलीकाप्टर लेकर आना, उतरवा दूंगा मैं वहां पर।

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री हरिनारायण : माननीय मंत्री महोदय, भगवतगढ़ से आदिलवाड़ा तक आपकी पी.एच. क्यू. सड़क बनी हुई है। इसी प्रकार चौथ का बरवाड़ा से भेडोला तक पी. एच. क्यू. सड़क बनी हुई है। अब सिर्फ आदिलवाड़ा और भेडोला को मिलाने से भगवतगढ़ सीधा चौथ का बरवाड़ा से जुड़ जाएगा, अतः इस सड़क का निर्माण करवाया जाए। चौथ का बरवाड़ा से चौरू तक क्योंकि चौथ का बरवाड़ा में चौथमाता का एक मंदिर है जहां पर हजारों दर्शनार्थी रोजाना आते-जाते हैं, चौथ के बरवाड़ा में रेलवे स्टेशन भी है जहां पर यात्रीगण आते-जाते रहते हैं, चौथ का बरवाड़ा एडीशनल तहसील है, रोजाना काफी भीड़ पड़ती है इसलिए इस सड़क को चौड़ा करवाया जाए। इसी प्रकार धनोड़ा खुर्द से खण्डार तक की सड़क को भी चौड़ा करवाया जाए और जो भी जे.आर. वाई. की सड़कें अधूरी हैं उनको पूरा करवाया जाए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चौथ का बरवाड़ा तक पहुंची उसका धन्यवाद तो देवें।

श्री हरिनारायण : इसी प्रकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब मैं विधायक नहीं था, वहां पर सड़कों की भारी कमी थी। इस तीन साल के पीरियड में माननीय मंत्री जी ने जो सड़कों का जाल डलवाया है, बनास नदी पर जो खण्डार से बालेर होते हुए करनपुर रोड जा रहा है उसके ऊपर पुलिया का जो निर्माण चल रहा है इसके लिये माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मध्यप्रदेश पूरा जुड़ गया है उसके लिए माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी प्रकार जितने भी सड़कों से एक किलोमीटर तक के गांव हैं, जिनकी 800 या 1000 की आबादी इस वक्त है उन गांवों को जोड़ा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्रीजी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र में सड़कें बनायी हैं जो तैयार हो गयीं। जो अधूरी हैं उनको पूरा करवाया जाए, यह निवेदन भी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपज़ी, 10.30 बजे हैं, आप बोलें।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर तीन महान धार्मिक स्थान हैं। आपकी भी धार्मिक भावना है, गोवर्धनजी की परिक्रमा में जब मैं जाता हूं, वहां पर लोग आपकी तारीफ करते हैं और वे सड़कें जो भगवान के चरणों में वहां पर मौजूद है वे इस बात को साबित करती है। मेरे क्षेत्र में एक गडमोरा पर्यटक स्थान है, राजा मोरधज की नगरी है जिसको आदर्श गांव भी घोषित किया गया है पर उस स्थान के लिए आपकी सड़क अधूरी है। नेशनल हाई वे नम्बर -11 जो आपका

(श्री रामस्वरूप मीणा)

घारेड़ा से मुड़ता है और लालसर तक जाता है, लालसर से दो किलोमीटर तक इसको बना दिया जाए तो सीधा मिलाएगा सिरवाड़ा तक। सिरवाड़ा से गडमोरा तक दो किलोमीटर है, यह अगर दो किलोमीटर रोड आपकी बन जाती है तो लालसर से सिरवाडा तक का गडमोरा तक नेशनल हाईवे से जुड़ जाता है। दूसरा मेरा निवेदन इसी से सम्बन्धित है...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 1996-97 में सैंक्शन कर दिया है।

अनेक माननीय सदस्य : धन्यवाद तो दे दो।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक साथ दूंगा, साहब। एक साथ ही धन्यवाद दे दूंगा आपको।

श्री अध्यक्ष : कृपया इन्हें बात करने दें नहीं तो मेरा समय यूं ही चला जाएगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा ही अमूल्य समय निकल जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही गडमोरा नांदौती से जुड़ता है, लेकिन मात्र आधा किलोमीटर की सड़क के कारण नांदोती से जो सड़क सीधी गयी है गडमोरा के लिए, यह आधा किलोमीटर आडूदा के पास बन्द पड़ी है, 4 साल से। उसका कार्य चालू भी करवा दिया था लेकिन एईएन. रमेश चन्द्र मीणा, वहीं का है उस रमेश चन्द्र मीणा को आपने सस्पैंड किया जबकि उसने बहुत अच्छा काम किया। एक झगड़ा था सड़क के ऊपर, उस झगड़े को मेटा और तीसरे व्यक्ति ने जमीन दे दी उसमें होकर सड़क को निकलवा दिया, वह नियम से था नहीं। आपने उसको सस्पैंड कर दिया, क्योंकि वह नियम से नहीं था, समझौते के अन्दर आपने तय कराया था। सड़क जरूर उसमें से निकली लेकिन तुरन्त ही आपने उसको सस्पैंड कर दिया। इसलिए आधा किलोमीटर की सड़क मेरी अधूरी रह गयी है आडूदा के पास, इसको आप बना दें तो सीधा नांदौती से जुड़ जाएगा नेशनल हाईवे नम्बर - 11 एक बात तो यह है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नाम क्या बताया ?

श्री रामस्वरूप मीणा : रमेश मीणा है उसका नाम, सर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : शिकायत थी उसकी ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, वह गलत शिकायत की गयी थी।

दूसरा मेरा निवेदन है श्री महावीरजी के बारे में। श्रीमहावीरजी एक धार्मिक स्थान है उसके लिए नेशनल हाईवे मिलाकर टोडाभीम एक रोड गयी, डूंगरपुर तक रोड गयी, नांगल तक भी। माननीय मंत्री जी एक सड़क आपकी श्रीमहावीरजी को मिलाती है, मेहन्दीपुर बालाजी से आगे हमारे यहां टोडाभीम और टोडाभीम से आगे नागल तक। नागल तक बढ़ा दिया आपने उसको, आपने पालड़ी तक बढ़ा दिया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अब उधर महावीरजी से एक रोड आ रही है जो शेखपुरा तक आ गयी और आज यह सीधा जुड़ने में मात्र दो किलोमीटर रह गयी है। अगर दो किलोमीटर तक सड़क को जोड़ देते है शेखपुरा से पालड़ी तक, तो आपका सीधा नेशनल हाईवे बन जाएगा और हिंडौन होकर जो 40 किलोमीटर का चक्कर लगता है श्रीमहावीरजी जाने का वह चक्कर आपका मिट जाएगा। लाखों यात्री जो महावीरजी को जाते हैं, 40 किलोमीटर का फायदा उनको हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो मात्र दो किलोमीटर की वजह से पड़ी हुई है, शेखपुरा से खाली पालड़ी तक। इसको आप जोड़ दें तो सीधी यह सड़क आपकी जुड़ जाएगी।

तीसरा मेरा निवेदन है, माननीय मंत्रीजी, मेहन्दीपुर बालाजी आप हमेशा पधारते रहते हैं। वहां पर आये दिन आरती के टाइम पर बस नहीं जाती है और चक्का जाम हो जाता है। तीन-तीन घंटे लेट हो जाते हैं।...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सड़क को चौड़ा कर दिया न।

श्री रामस्वरूप मीणा : चौड़ी करने से हल नहीं हुआ। आरती के टाइम पर तो वह रास्ता बन्द हो जाता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इसका बाइपास बनवाएं और वह बाइपास बनना चाहिये बालाजी मोड़ से आगे जाकर नेशनल हाईवे पाटौली के उरली तरफ से। आधा किलोमीटर सड़क वहां भी अधूरी पड़ी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह भी इस साल के बजट में सैंक्शन हो गयी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह लो, साहब यह भी सैंकशन। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठो आप। आपने बहुत सारे काम करवा लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा चौथा निवेदन है और ओनली एक मिनट चाहता हूं। मेरे टोडाभीम मे सहायक अभियंता आपने पहले तो बैठा रखा था पर अब आपने हिण्डौन में बैठा दिया। उसके पास काम बहुत है। आफिस आपका बना हुआ है, सारा का[म] है, आप उस सहायक अभियन्ता को टोडाभीम में बैठाये रखें। क्यों हटाते हो वहां से उसको? उसको वहीं रखें टोडाभीम के अन्दर। अंत में यह कहूंगा कि मेरी 40 सड़कें अभी अधूरी पड़ी हैं। उनको पूरी करवा दें। आपने जो कार्यों की घोषणा यहां पर की उसके लिए बहुत-बहुत मंत्री जी को धन्यवाद, इसी प्र[कार] की भावना आपकी बनी रही। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : 10.35 धन्यवाद। मै आपका आभारी हूं आज पहली बार समय पर आपने अपना भाषण खतम कर दिया। माननीय श्री महावीर भगोरा।

श्री विजेयन्द्रपाल सिंह : इतनी मीठी-मीठी बातें भी आपको करनी आती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष

(श्री महावीर भगोरा)

महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर आज सदन में चर्चा हो रही है उस पर मैं भी विचार रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो यह कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राज मार्ग, राज्य मार्ग और डिस्ट्रिक्ट मार्ग के लिए नीति बनायी कि सड़क के मध्य से 50 फीट, 75 फीट और 150 फीट जगह छोड़ी जाए। पर आज इस नीति के तहत इन सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को रोका जाए। न तो आपके विभाग के अधिकारी इस चीज को देख रहे हैं और अगर शहर के नजदीक हो तो न यू. आई. टी. न नगर परिषद ...ात को देख रहे हैं। मेहरबानी करके आप इन बातों को देखने की कृपा करें।

दूसरा, हमारा सम्पूर्ण क्षेत्र आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र है जो वन विभाग से घिरा हुआ है। वन विभाग वाले आपकी सड़कों को निकलने से रोक रहे हैं। दोनों विभागों के बीच में कोई समन्वय बैठा कर कोई भी नीति तय करें ताकि कम से कम हमारे जो मार्ग बनने चाहिए, पंचायतें जुड़नी चाहिये, तहसील मुख्यालय जुड़ने चाहिए उसमें वन विभाग जो बाधा उपस्थित कर रहा है उसमें कोई सुधार हो सके।

तीसरा, आपने डामरीकरण के लिए अभी नयी नीति में पेवर पद्धति के लिए निर्देश दिए हैं। मेरा यह निवेदन है, जैसा अभी माननीय सदस्य ने भी कहा कि कम से कम 10 या 25 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण हो तो पेवर प्लांट के लिए ठेकेदार तैयार होता है। आज उसमें शिथिलता बरतते हुए 3-4 किलोमीटर तक की जो सड़कें हैं उन सड़कों को आपकी विभागीय प्रणाली से जोड़ने की व्यवस्था करें, उसमें कोई परिवर्तन करे, ऐसा मेरा निवेदन है।

इसी तरह से विभाग में रोड रोलरों की बहुत कमी है। रोड रोलर की वजह से मैटीरियल साइट पर पड़ा हुआ है पर गिट्टी का काम नहीं हो रहा है। हमारे यहां एक सड़क है टी. एस. पी. एरिया में, नालबा से डैया तक का टी. ए. डी. से पैसा मंजूर हुआ था पर वहां के कमिश्नर साहब ने वन विभाग का क्षेत्र बताकर उस काम को रुकवा दिया है। आजादी के 48 साल के बाद पहली बार यह सड़क स्वीकृत हुई थी और उसको भी रुकवा दिया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इस सड़क को शुरू करवाने की व्यवस्था करें। पंचायत हैडक्वार्टर जालौर है उससे एस. डी.एम. और तहसील हैडक्वार्टर पर आने के लिए डैया और अम्बाली पंचायतों के लोगों को 150 किलोमीटर का राउण्ड करना पड़ता है, उसमें कमी आए।

इसी तरह से डामर की उपलब्धि विभाग में पिछले एक वर्ष से नहीं हो रही है, इसी वजह से जो काम डामरीकरण के सैंक्शन हैं वे कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाये हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप कैसे भी करके डामर की व्यवस्था कराएं ताकि जो सड़कें स्वीकृत हैं वे पूर्ण हो सकें।

(श्री महावीर भगोरा)

इसी तरह से सड़कों का मास्टर प्लान है। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि आवागमन के साधनों में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन मास्टर प्लान के अभाव में न तो सड़कें चौड़ी हो रही हैं जिस कारण से जगह-जगह पर नेशनल हाई वे हैं उन नेशनल हाई वे पर जाम लग जाता है और 2-2, 3-3 घंटे तक हमें रुकना पड़ता है। इसमें भी ऐसी कोई व्यवस्था की जाए।

इसी तरह से आपने पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने की बात कही है और नीति में तय किया है। मेरा यह निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति गोगुन्दा में आज भी गुन्दाली, चितरावास, रावस, पाटिया, मारेबल और छाली पंचायतें ऐसी हैं जहां गिट्टी की सड़कें भी नहीं बनी हैं तो आप 1997 तक कैसे उनको पक्की सड़क से जोड़ेंगे, यह आप निर्णय करें। इसी तरह से ग्रेवल से जोड़ना है तो कब तक जोड़ेंगे ? इसी तरह से कोटड़ा पंचायत समिति में सामोली, तेजाकावास, डान, मेवाड़ाकामठ, उखलियान, समीजा और बास हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र से एक सड़क तो जाती है आबू पर्वत को ओर दूसरी जाती है रणकपुरजी को, दोनों सड़कों को आपने स्टेट हाई वे घोषित किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरजी।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट_

श्री अध्यक्ष : आप पहले ही डामर नहीं, वह नहीं, बता देते।

श्री महावीर भगोरा : यह आवश्यक है 12 सड़कें डामरीकरण की मंजूर की है पर डामर के अभाव में एक किलोमीटर की सड़क नहीं बने तो फायदा क्या होगा।

मैं चाहता हूं मंत्री महोदय, कि स्टेट हाई वे को आप अपनी नीति के अनुसार सुधरवाने की कृपा करें। इसी तरह से सी. डी. वर्क की बात कर रहे हैं। पांच-पांच, सात-सात पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों पर सी.डी. वर्क नहीं होने से बारिश में चार महीने आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और लोगों को पन्द्रह से बीस किलोमीटर तक पैदल आ[illegible] जाना पड़ता है। इसी तरह से एक बिन्[illegible] है।

श्री अध्यक्ष : इसी तरह से आपको याद थोड़े ही रहना है, आप लिख कर दे दें। आपने ध्यानाकर्षण कर दिया है।

श्री महावीर भगोरा : मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि ये सड़कें बनें। तहसील मुख्यालय कोटड़ा में आपने एईएन. हैडक्वार्ट खोला है उसका भवन निर्माण कराएं। हमारे यहां डाक बंगले में मात्र दो-दो कमरे हैं उन कमरों की बढ़ोतरी की जाएं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के किसी इलाके में यदि सड़कों की कमी है तो वह मेरा इलाका है। कुछ किरण जगी थी कि अबकी सड़कें सही होंगी लेकिन माननीय मंत्री महोदय का मैं

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

बहुत ही अहसानमन्द हूं कि वे एक बहुत अच्छे अफसर को जो हमारे यहां था, अपने यहां ले गये, हम तो जहां थे वहीं रह गये। हालांकि अधिकारी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं लेकिन जो अधिकारी हमारे यहां से गया है उससे हमें कोई तकलीफ नहीं थी, वह अपना काम अच्छे हिसाब से करता था, उस अधिकारी को आप मेहरबानी करके हमारे यहां वापस लगा दो तो मैं समझता हूं कि मेरे इलाके की कहां क्या जरूरत है, कहां क्या जरूरत नहीं है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह से एक ठेकेदार जो आई. टी. आई. का काम कर रहा है, घटिया मैटीरियल लगा रहा था, उस ठेकेदार ने आपसे कम्पलेंट करके उस जेईएन. को बांसवाड़ा लगवा दिया। आप करप्शन करवाना चाहे हैं या घटिया काम करवाना चाहते हैं ? आप इसकी जांच करवाते कि कौन दोषी है। इमीजिएटली उसको स्थानांतरित करना मैं समझता हूं, यह अच्छी बात नहीं है। फिर आपकी मर्जी है। दूसरा अधिकारी आएगा, वह देखेगा कि इस ठेकेदार ने जेईएन. को भगा दिया, तो वह जैसा काम करेगा वैसा ही उसी को पास करना पड़ेगा। आपने घटिया काम रोकने वाले जेईएन. को स्थानांतरित करवा दिया जो अच्छा जेईएन. था उसको आप ले गये तो हम तो जहां थे वहीं रह गये। आपके पास तो बहुत से अधिकारी हैं। वह गरीब 24 घण्टे में से 18 घण्टे फिरता था। एक्स. ईएन. राव जो शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी था, हमारे यहां डेढ़ साल तक लगा रहा और इलाके के काम को लेवल पर लाने की उसने कोशिश की। उसको आपने ले लिया, उसका ट्रांसफर हुआ। उसने मेरे से बात की तो मैंने कहा कि भैया (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : किसी रोड के बारे में बात कहनी हो तो कह दें।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : रोड की क्या बात है (व्यवधान) जो अच्छा अफसर था जो उसको तो आप भगा कर ले गये, रोड तो बनने का सवाल ही नहीं है। हम तो जहां थे वहीं रह गये।

अब मेरा आपसे निवेदन है कि कुचामन जिले से आपका भी कुछ लगाव है। मेरा प्रीडिसीसर जो बीजेपी. का आदमी है, वह आपका चेला है, कभी मैं और कभी वह। उस हिसाब से भी आप मेहरबानी करके कुछ करें। मेरे यहां से पंजाब का रूट हो गया। करीब हजार बसें, ट्रक, ट्रैक्टर, जीपें उस रोड पर कुचामन सिटी से निकलती है इसलिये मेहरबानी करके उस पर बाइपास बनवा दें। इस रोड पर कभी कोई छकड़ी टूटती है, कभी कोई ट्रैक्टर के टक्कर लगती है, कभी जीप के टक्कर लगती है, कभी किसी आदमी के लगती है। इतना प्रदूषण हो गया है जितना आपके जयपुर में नहीं है, इससे इस इलाके की हालत खराब है। एक्स. ईएन. नहीं दिया तो कोई बात नहीं।

पंचायत हैडक्वार्टर के बारे में आपने

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

सड़क नीति बनायी है, मेरी तीन पंचायतें ऐसी हैं जिनमें आपने मिट्टी तक नहीं डाली है। इनमें खाकड़दी गांव जो पंचायत हैडक्वार्टर है, करीब 2200 की आबादी है, झील के पास है। इसमें बीमारी क्या है कि कृषि मण्डी से दो किलोमीटर सड़क बनायी बाद में यह इलाका अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है इस वजह से हमारी वह सड़क सैंक्शन नहीं होती है। पिछले साल भी पांच लाख रुपये सैंक्शन करवाये थे मगर वह इलाका किशनगढ़ में आ गया और वहां फेमिन नहीं है इस कारण वह काम नहीं हुआ। इसलिए आप मेहरबानी करके स्टैट लेवल से चाहे जयपुर का हो, अजमेर का हो या नागौर का हो, इस खाकड़दी गांव को सड़क से जुड़वाएं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजलाजी (अनुपस्थित) । श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : इसी प्रकार चार-पांच हैडक्वार्टर हैं जैसे मूड़घसोई, महाराजपुरा, नारायणपुरा इनमें कहीं मिट्टी का (व्यवधान) थोड़ा दो मिनट तो रुक जाओ, ऐसी क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी ही बात है। मैं सदन चार बजे तक नहीं चलाऊंगा।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : आप जल्दी कर रहे हैं। हम इतनी देर से बैठे हैं, बात कह रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे ही आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इतनी देर तक इंजीनियर साहब की बात करते रहे अन्यथा तो हो जाता।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : पांच मिनट ही नहीं हुए, ऐसी क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी वैसी बात नहीं है, आप बैठिये।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : बैठ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ? मैं अपनी बात तो कहूंगा ही।

श्री अध्यक्ष : मैं एक घण्टा अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : एक घण्टा हो गया ?

श्री अध्यक्ष : मैंने सबको पांच मिनट ही दिये हैं, पांच मिनट से छठी मिनट नहीं दूंगा।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : नहीं, साहब, मत दो। एक ही मत दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। माननीय मंत्री जी, एक रिक्वेस्ट मैं आपके फायदे के लिये करूंगा। आप साइट पर डामर के ड्रम डलवाते हैं कृपा करके उनको सही तरह से खड़ा करवाइये। अन्यथा गांव वाले छोरे जाते हैं और डामर को फोड़ देते हैं, इस तरह हजारों रुपये का डामर मिट्टी में मिल जाता है। मेहरबानी करके उनको खड़ा रखकर वैस्टेज को रोकिये। यदि आप बाइपास बनवाना जरूरी समझते हैं तो बनवाइये, आपकी मेहरबानी है। धन्यवाद।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं विधायक बना मेरे विधान सभा क्षेत्र के 60 पंचायत मुख्यालयों में से 16 किसी भी रोड़ से जुड़े हुए नहीं थे। इन ढाई वर्षों में 9 पंचायत मुख्यालय गिट्टी रोड़ से जुड़ गये हैं -गेन्दिया, गेगाखेड़ा, सुरास, कल्याणपुरा, बड़ला, कल्याणपुरा, बीकरन, झाल्या राजगढ़। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पर अभी तक डामर नहीं कराया गया है और साल दो साल तक डामर नहीं कराया गया तो राशि खर्च कर गिट्टी रोड हुई है वह राशि भी बेकार चली जाएगी और वे रोड भी खराब हो जाएगी। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो पंचायत मुख्यालय गिट्टी रोड़ से जुड़ गये हैं उन पर आप डामर करवा दें। थलकला और बड़ला दो ऐसे पंचायत मुख्यालय हैं जो 1971 की जनगणना के अनुसार एक हजार की आबादी के गांव हैं। बड़ला के लिये आपने डामर की सड़क सैंक्शन कर दी, वह करीब-करीब बनने को भी आयी पर काछोला सा थलकला तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। कृपा करे इस पंचायत मुख्यालय को भी डामर की सड़क से जोड़िये। शकरगढ़ से बिजौलिया और गुढ़ा रोड के लिये माननीय ताम्बीजी ने जिक्र किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मांगटल्या से बिजौलिया और बिजौलिया से गुढा होकर सड़क बननी है जिससे बनने से बिजौलिया से जयपुर की दूरी 60-70 किलोमीटर कम हो जाती है। इस पर कोई 100 ट्रक, ट्रेक्टर पट्टियों के रोज निकलते हैं। आपने इस वर्ष सड़क को कम्पलीट करने के लिये 65 लाख रुपये सैंक्शन किये हैं। इसके बावजूद इस सड़क का काम अधूरा रह जाएगा तो इसको भी पूर्ण कराने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जोजवा से दाकड़ खेड़ी, सिंगोली चार बाजार बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। त्रिवेणी चौराहा से जोजवा तक अभी सात किलोमीटर ग्रेवल बना दी पर बाकी रोड बहुत खराब है, इसको आप कम्प्लीट करें। बीच में मेनाली नदी पर जो पुलिया बनी हुई है वह हर बरसात में टूट जाती है, नीची बनी हुई है। उसे ऊंचा बनाने के एस्टीमेट लगातार पिछले दो साल से भेजे जा रहे हैं, इस पर भी पुलिया बनायी जाए। अन्य रोड जो खराब हैं वे भी ठीक कराये जाएं। गत वर्ष जून में मेरी बच्ची की शादी में आप बिजौलिया पधारे थे, आपने आशीर्वाद स्वरूप प्रसिद्ध धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल तेजाजी के चौक से मंदाकिनी तक डामर की सड़क बनाने की घोषणा की थी। आपकी कृपा से वह गिट्टी रोड तो हो गया, उसको डामर कराने की जल्दी कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी चौधरी। 10.50 हुए हैं। बस पांच मिनट।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने जो नयी सड़क नीति बनाई है उसके अनुसार मार्च, 1997 तक पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल रोड

Page No.314

(श्री भीमसेन चौधरी)

से जोड़ने का प्रोग्राम रखा हुआ है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक 12 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो मेवल रोड से जुड़ी हुई नहीं है।

इसके अलावा एक स्टेट हाइवे है मेरे क्षेत्र में सरदारशहर से छतरगढ़ उसकी मिसिंग लिंक है चुगलाई से अजीतमाना। यह 9 किलोमीटर का मिसिंग लिंक है, इस मिसिंग लिंक की वजह से लूणकरणसर छतरगढ़ का जो सौ किलोमीटर का टुकड़ा है वह अनुपयुक्त रह गया है। अजीतमाना इसमें पंचायत मुख्यालय भी पड़ता है, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान, माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण टुकड़ा है, मिसिंग लिंक है इसको इस साल में आप मंजूरी करा दें तो यह सड़क काम में आ सकती है। यही दो बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी मेहता (अनुपस्थित) । श्री गोपीचन्द गूजर (अनुपस्थित)। श्री कन्हैयालाल पाटीदार - 10 बजकर 52 मिनट हैं। चलिये आप।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : जितना आप आदेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लगभग 18 वर्ष पूर्व जनता पार्टी के शासन में जो सड़कें स्वीकृत हुई थीं और जनता पार्टी के शासन के जाने के साथ जो सारी सड़कों के निर्माण का कार्य रोक दिया गया था उन्हें अब 18 वर्ष बाद माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकृत किया और उनके ऊपर कार्य चल रहा है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 31 जिलों में से 3 जिले ऐसे हैं- झालावाड़, बारां, बून्दी तथा चूरू जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक पंचायत मुख्यालय अभी भी सड़कों से जुड़ने शेष रहे हैं- झालावाड़ में 21 प्रतिशत पंचायत मुख्यालय, बूंदी और बारां में 21 और 20 प्रतिशत। हमारे कोटा डिवीजन में 4 जिले हैं जिनमें 20 और 21 प्रतिशत पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़ने शेष है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा डिवीजन और विशेषकर झालावाड़ जिले की तरफ ध्यान दें और वहां के शेष पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का कष्ट करें। झालावाड़ जिले में सबसे अधिक पंचायत मुख्यालय शेष हैं पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में। इस विधान सभा क्षेत्र में कोई भी प्रभावी योजना नहीं है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना नहीं है, डी.पी.ए.पी. नहीं है, डांग नहीं है। किसी भी प्रभावी योजना के अभाव की वजह से इस विधान सभा क्षेत्र के 7 पंचायत मुख्यालयों पर तो एक मिट्टी का ढेला भी नहीं पड़ा और 20

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जिनको हमने विभिन्न योजनाओं के तहत एक-एक और दो-दो लाख रुपये देकर मिट्टी के कार्य कराये हैं। इन शेष पंचायत मुख्यालयों की तरफ भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 12 किलोमीटर रोड देने से हमें एक इन्टर स्टेट रोड मिलती है पिड़ावा-पटपड़ा। इसके लिए पूर्व में भी मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था और आपने उसको स्वीकार भी किया है कि बजट के बाद उसकी मंजूरी दे देंगे। उसके लिऐ मैं अग्रिम रूप से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तिम निवेदन मेरा है झालावाड़ में जो एटीपी. के एक्स. ईएन. हैं वे निरन्तर अनियमितताएं बरतते जा रहे हैं। जब मंत्री जी ने सारे अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी उसमें यह निर्देश दिया था कि कोई भी रोड गांव से दूर नहीं रहेगी। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं कि मेरे खुद का गांव सिरकोठ, 500 मीटर पहले ही ए.टी. पी. की रोड को उन्होंने बंद कर दिया। मेरे बार-बार कहने के बावजूद मेरे सामने तो हां कर लेते हैं लेकिन ठेकेदार को मना कर देते हैं, इस तरह से 500 मीटर दूर ही रोड रोक दी है। इसी तरह से और अनियमितताएं हैं, घटिया मैटीरियल वापरने की बार बार शिकायत करते हैं_

श्री अध्यक्ष : बाद में और शिकायत कर लेना। अभी बिराजें। श्री परसादीलाल मीणा, 10.55 हुए हैं बोलें आप

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : _माननीय मंत्री महोदय, एटीपी. के एक्सईएन. को हमारे झालावाड़ जिसे से हटाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। मैं पुनः आपको एक बार और धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ बिन्दुओं पर दिलाना चाहूंगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय अभी आपके 1551 शेष हैं, आप जवाब दें कि इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को आप कब तक सड़कों से जोड़ देंगे ? मैटल रोड और ग्रेवल रोड के जो ग्राम मुख्यालय हैं उनकी आप बीटी कब तक करा देंगे ? मंत्री महोदय, आप मैटल करा देते हैं, ग्रेवल करते हैं, ग्रेवल सड़कें बनाने का कोई अर्थ ही नहीं है। उसके बजाय तो आप चाहे कम सड़कें बनाइये लेकिन मैटल रोड बनाइये। इसके बाद जो दूसरे विभाग हैं - कृषि उपज मण्डी है, डी. आर. डी. ए. है उनसे आप उनकी बीटी कराइये। आप इन विभागों से समन्वय करेंगे, मण्डी समिति या दूसरे विभागों से एकजाई करके आप काम करेंगे तो आपके विभाग को ज्यादा बीटी बनाने का मौका मिलेगा। कई ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर नक्शे में कटा हुआ रास्ता नहीं होता है, मंत्री

(श्री परसादीलाल मीणा)

महोदय, वहां पर जाने के लिए सड़क इसलिए रुकी हुई रहती है कि सीट में नक्शा नहीं है। आपको ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालयों के लिए जमीन एक्वायर करनी चाहिए। ग्राम पंचायतों से जोड़ने के लिए जो कई बरसों से विवादग्रस्त पड़े हैं, आपका विभाग कहता है कि पैसा मंजूर पड़ा है। लेकिन नक्शे में रास्ता नहीं होने के कारण उसको विवादास्पद बताकर विभाग काम रोक देता है। आप मेहरबानी करके ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालयों के लिये जहां जमीन के कारण सड़क नहीं पहुंच रही है आप जमीन एक्वायर कराएं।

दूसरी बात यह है, लालसोट -कौथून सड़क पर मोरेल नदी है- मंत्री महोदय, अभी मैंने एक सवाल पूछा था, आपने कहा था कि इसका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण रास्ता नहीं है। आप उस इलाके से आने वाले एम.एल.ए. से पूछ लें, कोटा से कोई सीधा रास्ता लालसोट - दौसा और इधर अलवर जाएगा तो वह किधर से जाएगा ? वह इधर से कौथून होकर जाता है। इतना बिज़ी रोड है, बरसात में वहां सैंकड़ों वाहन दोनों तरफ से खड़े रहते हैं, लोग बरसात में पानी में उतरकर इधर-उधर आते हैं। आपको पायलट साहब ने आफर भी किया है और राजस्थान सरकार को लिखा भी है कि आधा पैसा आप लगा दो तो आधा पैसा भारत सरकार लगाने को तैयार है। आपको कहां परेशानी आ रही है ? प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं आप। प्रस्ताव भेजने में भी आपका क्या लगता है ? राजनैतिक कारण आप मन में मत रखिये, ईमानदारी से उसका प्रस्ताव भेजिये। हमारे सांसद महोदय ने आपको लिखा उसका जवाब बताया जाए कि प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। प्रधान मंत्री जी उस पुलिया का शिलान्यास करने के लिए तैयार हैं। आप और कोई पुलिया बना लेना आपको इतना पैसा दे रही है भारत सरकार। आप जल्दी से जल्दी इसका प्रस्ताव भेजें तो एक महीने में इसकी स्वीकृति भारत सरकार से आ सकती है। अगर आपके दिल में जगह हो तो आप इमीजिएट अपने अधिकारियों को कहिये कि प्रस्ताव भिजवाएं। एक महीने में स्वीकृति आजाएगी और दूसरे महीने में प्रधान मंत्री जी को बुलाकर हम इसका शिलान्यास करा देंगे।

दूसरी बात यह है, मंत्री महोदय कि सवाई माधोपुर- लालसोट सड़क पर मोरेल नदी पर जो पुल बन रहा है उसको बनाते बनाते उस समय जो आपका एस्टीमेट था उससे तिगुना हो गया। क्यों नहीं उसको बना रहे हैं ? 7 साल हो गए उसका काम चलते चलते, आज आधी पुलिया भी आप नहीं बना पाये हैं। जमीन एक्वायर कर ली, सड़क इधर बना ली, सड़क उधर बना ली, पुलिया आपकी बनी नहीं। इतना खर्च करने के बाद 6 साल में भी आप उस पुलिया को चालू नहीं कर सकें। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस पुलिया को बनाइये।

(श्री परसादीलाल मीणा)

दूसरी एक बात और है, माननीय मंत्री महोदय, आपको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि आपके विभाग के अधिकारी 30 परसेंट कमीशन खाते हैं। चाहे आपकी जानकारी में होगा या नहीं होगा - मैं इसमें नहीं जाता पर 30 परसेंट कमीशन एक्सईएन. ,एईएन. जेईएन. और एस. ई. तक वर्क आर्डर तब देता है ठेकेदार को जब एडवान्स कमीशन आ जाता है। बकाया नहीं रखते हैं। आपका वर्क आर्डर पड़ा रहेगा, जब वह कमीशन देगा तभी उस ठेकेदार को वर्क आर्डर मिलेगा जब 30 परसेंट आपके अधिकारी ले लेंगे उसमें से। एस. ई. तक पहुंचता है। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, मंत्री महोदय। आप दो काम नोट कर लीजिये। रामगढ़-तूंगा सड़क पर मोरेल पर जो आप एक पुलिया बना रहे हैं उसमें सीमेन्ट लगाया ही नहीं ठेकेदार ने, सारा कमीशन आपके अधिकारी खा गये बीछा नाले पर। पहली ही बरसात में आपका नाला ढह जाएगा। लालसोट से गंगापुर सड़क पर जो चौड़ाई का काम कर रहे हैं, एक हल्की -सी बारिश हुई थी, आगे से वे बी.टी. करते जा रहे थे और पीछे से गड्ढे होते जा रहे थे। ऐसे घटिया काम जो आपके विभाग के अधिकारी करा रहे हैं...

(23.00)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। राजेन्द्र जी गहलोत।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और लूंगा। ऐसे घटिया काम जो आपके अधिकारी करा रहे हैं, मेहरबानी करके आप इन अधिकारियों पर लगाम लगाइये, वे ठेकेदारों से कमीशन कम लें तो ठेकेदार ठीक काम करेगा। जो आपके काम की क्वालिटी आ रही है वह बहुत हल्की आ रही है, इस क्वालिटी को ठीक करिये। हमने विधान सभा में सवाल लगाया था, मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया था। दौसा डी.आर. डी. ए. की जो सड़कें बनी हैं, आप उनकी हालत देखिये। मंत्री महोदय, हम पूछना चाह रहें हैं, एडीशनल चीफ इंजीनियर ने जांच की है, सड़कों की चौड़ाई का एस्टीमेट क्या दे रखा है, उसकी एम बी क्या भरवा ली और वहां पर सड़क क्या है। हमको रोना आता है जब इस सरकारी धन का दुरूपयोग होता है। ठेकेदार और अधिकारी मिलकर खा रहे हैं इसकी हमको बहुत बड़ी तकलीफ है। डी.आर.डी. ए. के पैसे का सत्यानाश किया जा रहा है। आप उस पैसे को अपने अण्डर में लेकर अच्छी तरह से लगाएंगे तो आपकी सड़कें और ज्यादा बनेंगी। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। पहली बार आप और रामस्वरूपजी मान गये उसके लिये भी धन्यवाद।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं तो मानता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वह लगाम का नाप तो आप दो, आपने कहा कि लगाम लगानी होगी।

श्री अध्यक्ष : वह दे देंगे सब नाप। आप मांग लेना, सब दे देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी के हाथ में हैं। मंत्रीजी कह देंगे कि कमीशन खाना बन्द करो तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं। आपके जो सैक्रेटरी हैं, वास्तव में वे ईमानदार हैं। आप लगाम उन सैक्रेटरी के हाथ में दे दीजिये। उनको आप थोड़ा-सा एक्टिव करिये तो सब लगाम लग जाएगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें। मेरे पास समय लिमिटेड है।

श्री रामप्रताप कासनियां : आपके समय में जो व्यवस्थाएं थी उससे ...

श्री अध्यक्ष : कृपया समय जाया नहीं करें।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारे समय की और आपके समय की बात नहीं है। हमारे समय में तो मंत्री ही रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप यह कह करके क्या कहना चाह रहे हो ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अगर बात करेंगे तो (व्यवधान) आपने कभी किसी के लिए लिखकर दिया ? (व्यवधान) आपने कभी किसी के लिए लिखकर नहीं दिया (व्यवधान) आपकी समस्या हो तो लिखकर दो वरना आप एक ही बात करते हो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उजला जी, आपको तो मंत्रीजी से पर्सनल पीड़ा है। आप तो खुद पीड़ित हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 के सम्बन्ध में सदन में चर्चा चल रही है, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को राजस्थान में जो आपने सड़कों के विकास में कार्य किया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। दो निवेदन भी मैं माननीय मंत्रीजी से करता हूं कि जोधपुर से जैसलमेर वाया मथानिया जो सड़क जाती है, मथानियां गांव बीच में होने के कारण उसका बाइपास रामपुरा में, उम्मेदनगर तक आप बनाने की मेहरबानी करें। दूसरा, जोधपुर बाइपास जो आपके विचाराधीन है, जिसकी भूमि का भी कम्पनसेशन विभाग ने दे दिया है उसको भी आप जल्दी से स्वीकृत करें।

एक और निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी आपकी छवि बहुत अच्छी है, विभाग में भी पकड़ है लेकिन काम की क्वालिटी के बारे में अधिकारियों की खिंचाई करें जिससे काम विभाग में क्वालिटी से होने लगे और मजबूती के हों।

श्री अध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भीमराज जी भाटी। श्री हरिसिंह जी महुआ।

Page No.319

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष के व्यक्ति को थोड़ा-सा ज्यादा कहना पड़ता है...

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दो, आप तो पाइंटेड बात करो। आप नखरे करोगे तो...

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष जी, नखरे वाली बात नहीं है। सरकार बड़ा ढिंढोरा पीटती है कि हमने पंचवर्षीय योजना का आकार इतना बढ़ा दिया, साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना बनायी। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आपने 6600 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है और बनायीं। इस योजना में 6 प्रतिशत आपको मिला है, आप कैबिनेट में क्या कर रहे हैं ? इतने कमजोर साबित हुए ? आपसे पहले की जो पंचवर्षीय योजना है सातवीं उसमें 9 प्रतिशत दिया और 8145 किलोमीटर सड़कें बनायीं। 8145 किलोमीटर सड़कें बनायीं और टोटल पंचवर्षीय योजना का 9 प्रतिशत उन्होंने लिया। आप इस मामले में बिलकुल कमजोर साबित हुए...

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बीच में नहीं बोलें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पैसे का तो आप इतना वेट कर रहे हो और मनी का इतना डिवेल्युएशन हो गया, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है ? कई बार सदन में यह बात हुई, डामर उपलब्ध करवाने का काम आपने ठेकेदारों पर छोड़ दिया, विभाग नहीं कर रहा है। पांच प्रतिशत एक्स्ट्रा पैसा हम उनको दे रहे हैं, किस बात के लिए ? तो फिर उनको क्यों...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पांच प्रतिशत एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अगर आप यह व्यवस्था नहीं करते तो ये 22-25 मुकदमे डामर की चोरी के आपको नहीं करने पड़ते। आपकी यह नीति बिलकुल गलत है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम चाहे कितना ही पैसा लगाएं, कितना ही पैसा यहां विधान सभा से मंजूर कर दें, हकीकत यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में 50 प्रतिशत काम हो रहा है। आपने ढाई सौ करोड़ रुपये मांगे, सवा सौ करोड़ रुपये का काम नहीं होना है यह बात निश्चित है। निर्धारित साढ़े 18 प्रतिशत इनका कमीशन है, 20 से 25 प्रतिशत ठेकेदारों के पास चला जाता है और उसके अलावा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में जो घपला होता है वह अलग है।

एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम आप मंजूर करते हैं वे समयावधि में पूरे नहीं होते। उसके कारण उनकी कास्ट बढ़ती हुई चली जाती है और आप किसी भी अपने अधिकारी की लाइबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते। आप चार रोड की हालत देख लीजिये, आपकी ही किताब से मैं निवेदन कर रहा हूं। आप घड़ी देखकर मुझे डरा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मेरे

(श्री हरिसिंह)

पर मैंटली प्रेशर डाल रहे हैं। आपकी भिवाड़ी-करौली की सड़क की 72 करोड़ की योजना थी वह 121 करोड़ तक पहुंच गयी। अगर यह समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जाती तो यह नहीं होता। ऐसे ही अजमेर से चित्तौड़ की तीन गुनी हो गयी। आपकी चारों जो वर्ल्ड बैंक की स्टेट हाईवे आपने बनायी हैं उन पर पूरा पैसा तीन गुना पहुंच गया है। यह समयबद्ध कार्यक्रम के तहत नहीं पहुंचते। इसमें सबसे बड़ा लॉस यह होता है कि राजस्थान की जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। पैसा आ रहा है, लेकिन ठेकेदारों से समय पर कार्य पूरा नहीं करने का हर्जाना नहीं लेकर के उनको एस्केलेशन का पैसा और दिया जा रहा है और इसमें आपके अधिकारी वर्ग की ठेकेदारों से खुली मिलीभगत है। यह कितना स्टेट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ?

मैं आपसे निवेदन करूं, मैं कई बार यह स्टेट हाई-वे का मामला उठा चुका हूं, स्टेट हाईवे नम्बर 22 भिवाड़ी से करौली। अभी लेटेस्ट मुझे जानकारी मिली है, मंत्री महोदय, कि आपके टैण्डर डाकुमेंट्स में मिट्टी के काम की कोई लीड सैंक्शन नहीं है और ठेकेदार ने डेढ़ करोड़ रुपये के आपके पास बिल पेश कर दिये। मुझे आशंका है, अगर आपने इस काम को समय पर नहीं देखा तो यह बिल पास होकर चला जाएगा वैसे ही जैसे पहले 24 करोड़ रुपये के बिल फर्जी पेश किये थे। इसी सदन में मैंने यह मामला उठाकर वे 24 करोड़ रुपये के बिल रूकवाये थे इसलिए मैं आपको समय रहते आगाह कर रहा हूं। आपकी सड़कों पर इतना घटिया किस्म का काम हुआ है, आप नोट कर लें, मुझे किलोमीटर तो एग्जैक्ट याद नहीं है, महुआ से 16 किलोमीटर आगे चलने के बाद में 20 किलोमीटर तक सड़क बनी नहीं उसके पहले खुद गयी। आप खुश होंगे कि हमने डेढ़ साल का उसको दे रखा है, उसकी जिम्मेदारी होगी लेकिन टूटे पीछे गांठ गठीली होती है। मंत्री महोदय, एक बार पैच वर्क तो हो जाएगा लेकिन पैच वर्क होने के बाद में उसमें वही दरारें पड़ेंगी इसलिए आप उस सड़क पर विशेष रूप से ध्यान दीजिये।

इसके साथ साथ मैं आपसे और अनुरोध करना चाह रहा हूं कि मेरे यहां पिछली बाढ़ में जो सड़क टूटी हुई थी बयाना से खेड़ला, टोडाभीम, उस सड़क पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। बड़ी-बड़ी जगहों पर सड़क एकदम बरबाद हो गयी। 12 महीने निकल गये। आप यहां घोषणा करते हैं कि मुझे पोस्टकार्ड डाल दें तो मैं पैचवर्क करवा देता हूं। अक्टूबर के बाद में, बरसात के बाद में अगर पैचवर्क नहीं हुआ तो अधिकारियों को लाइबिलिटी फिक्स कर देते हैं। छाती में फफोले पड़ जाते हैं, देवली मोड़ से बालघाट तक की सड़क पिछले साल चार जगह से टूटी, पुलियाओं को निर्माण नहीं हुआ। आपने टेम्परेरी काम भी नहीं करवाया। पूरी सड़क उखड़कर बरबाद हो चुकी है और उसके बाद में कोई पैचवर्क नहीं हुआ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। वैसे रोज बोलते ही हैं आप। आप बिराजें। समाप्त करें, माननीय।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आप अपने अधिकारियों को सम्भालिये। मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मंत्रीजी, आप अपने विभाग के अधिकारियों को सम्भालिये, इस कमीशन पर लगाम लगाइये। दौसा जिले में प्रश्नों पर आपने दो जवाब दिये। मेरा प्रश्न था कि डी.आर.डी.ए. से निर्मित सड़कों की क्या कोई जांच हुई हैं ? आप पचा गये कि जांच हुई है, कलक्टर के पास है, हमारे पास नहीं आयी। मेरे पास कैसे आ गयी ? यही प्रश्न जब मैंने वहां लगाया डी.आर.डी.ए. मंत्रीजी के पास तो मेरे पास जांच रिपोर्ट भिजवा दी। आप पचा गये, आपने नहीं दी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्षमा करिये, उसकी जांच कमेटी डी.आर.डी. ए. के कलक्टर ने बनायी है। आपकी ही सहमति से बनी है, आपकी बैठक में तय हुआ है। उनको जांच रिपोर्ट को कलक्टर को देना है। उन्होंने दे दी है, वे एक्शन ले रहे हैं। वे हमारे पास भिजवाएंगे तो हम कर लेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, नहीं। बात यह नहीं थी। पिछले बार जब यह मामला उठाया था तो मुख्यमंत्रीजी ने यह कहा। हमने कहा कि आप एडिशनल चीफ से जांच करवाइये। यह कहा था कि हम डी.आर.डी.ए. की सैम्पल जांच करवा रहे हैं, सैम्पल सर्वे करवा रहे हैं। अगर इसमें दोषी पाये गये-

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने मीटिंग में ही खुद ने तय किया था जिस कमेटी को, उसी कमेटी ने जांच की है और जांच रिपोर्ट कलक्टर को भिजवायी है। वह हमारे पास भिजवाएगा तब बात करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, सी.एम. साहब का वादा था, आप प्रोसीडिंग्स को मंगवाकर देख लें। सी.एम. साहब ने यह वादा किया कि अगर डी.आर.डी. ए. की जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया गया -

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्रीमती तारा जी। (अनुपस्थित) श्री कमल जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तो एडिशनल चीफ से जांच करवाएंगे, आप यह प्रोसीडिंग्स मंगाकर देख लें। इसमें सरेआम दोषी पाये गये हैं। मैं इसके साथ एक अनुरोध और करूंगा, आपके डिवीजन दौसा में जितने भी ठेके सरदार एक्सईएन. ने दिये, वे तमाम 17 प्रतिशत और 18 प्रतिशत एबव है क्योंकि टेण्डर की पवित्रता उसने समाप्त कर दी। उस व्यक्ति ने बैठकर ठेकेदारों से मिलकर पूल बना रखा है और पूल बनाकर हर ठेका 18 प्रतिशत से ऊपर दिया है। उनके द्वारा निर्मित एक भी सड़क पूरी नहीं हुई है इसलिए आप इसकी खुले में जांच करवाएं यही मैं आपसे मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। नम्बर सबका है। समय कम है इसलिए जल्दी-जल्दी करवा रहा हूं।

श्री कमल (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर सदन में विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित करूंगा। हिण्डौन चर्चा हो रही है, उसके सम्बन्ध में मैं हिण्डौन क्षेत्र में हिण्डौन से बयाना व गंगापुर की जो सड़क है, उसकी चौड़ाई बहुत कम है तथा वाहनों की संख्या उस पर बहुत ज्यादा है, अतः इसको चौड़ा कराया जाए। पहला सुझाव मेरा यह है।

दूसरा, हिण्डौन से गंगापुर, हिण्डौन से बयाना और हिण्डौन से खेरड़ा रोड पर जो नाले-नदी पड़ते हैं उनमें वेन्टेड काज-वे बनाए जाएं। मुझे पता लगा है कि इसमें से एक काज-वे हिण्डौन-गंगापुर रोड पर शायद इस साल के प्रोग्राम में लिया गया है, परन्तु दो छोड़ दिये गये उनको भी इस साल के प्रोग्राम में शामिल किया जाए और उनको इसी साल बनवाया जाए।

तीसरा, हिण्डौन में जो रेलवे क्रासिंग हैं वे इतने ज्यादा बिजी हैं कि उससे ज्यादा बिजी क्रासिंग राजस्थान में शायद आज की तारीख में नहीं है। मतलब घंटे हो जाते हैं वहां वाहन निकल नहीं पाते हैं इसलिए इस रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाया जाए। हिण्डौन से जो स्टेट हाई-वे गुजरते हैं उनको पेवर रोड कराया जाये। सड़कों पर असामाजिक तत्व अवरोध बना देते हैं उनको तुरन्त हटवाया जाए। जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और उसके आलावा कोई व्यवस्था की जाए कि विभाग में आदमी जिम्मेदार हो। सड़कों पर भूमि की सीमा है, उसका डिमार्केशन होना चाहिए। बहुत-सी जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसको हटाया जाए। एक सबसे बड़ी अनियमितता ऐसे नेशनल हाई-वे पर क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसमें ब्रोकन मैटिरियल होना चाहिए उसकी जगह सकेला हुआ मैटेरियल यूज रहे हैं। उसकी वजह से उस रोड की क्वालिटी इतनी गिर गयी है, यह बात मैंने पहले अधिकारियों के ध्यान में लायी है पर रोका नहीं गया है। वे लगातार इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, उसको रोका जाना चाहिए। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : हो गया। श्री शैलेन्द्र जी जोशी। टाइम 11.15 बजे हैं, 11.20 पर खतम कर दूंगा। ज्यादा लम्बा भाषण नहीं सुनूंगा आपका मैं। कृपया बोलने दें। (व्यवधान) आप बीच में डिस्टर्बेन्स नहीं करें। (व्यवधान) हां, सोरी तो माननी ही पड़ेगी। नहीं, आपके साथी हैं पर यहां विधायक है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (वांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले तो यह कि राजस्थान के अन्दर आपने जितनी भी योजनाएं बनायी हैं सड़क निर्माण की, उसमें आपको ढाई लाख टन डामर चाहिए प्रतिवर्ष

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

और आपको इस समय मथुरा की रिफाइनरी से और गुजरात में कोलरी की रिफाइनरी से ज्यादा से ज्यादा एक -सवा लाख टन डामर मिल रहा है। ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि आपकी सड़कें आधी भी नहीं बन पाएंगी और प्रति वर्ष आपको करीब 15 प्रतिशत एबव रेट पर सड़कें बनानी पड़ेगी जो कि भारी घाटा होगा। ऐसी स्थित में मेरा यह निवेदन है कि भले ही आप खाड़ी देशों से डामर खरीदें जिसमें कि 25 और 30 प्रतिशत अभिवृद्धि होगी किन्तु जो प्राइस इन्डैक्स बढ़ेगा उसके मुकाबले खाड़ी देशों से डामर खरीदकर राजस्थान में सड़कों का निर्माण कराना राजस्थान के हित में रहेगा। यह बात सही है और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक एईएन. गुजरात में और एक एईएन. मथुरा की रिफाइनरी में भेजा। उसके बावजूद भी आपको मालूम है कि हर डम्पर आता है डामर का उसमें 500 से 1500 रुपये रिश्वत के देते हैं तब वह डामर राजस्थान में आता है, नहीं तो वह डामर और प्रदेशों में चला जाता है और ठेकेदार लोगों को भी अतिरिक्त देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह अपने नियंत्रण के बाहर की बात है। राजस्थान में जो सड़कें हैं, चाहे नयी सड़कों के लिए हो चाहे रख-रखाव के लिए डामर की जरूरत हो, डामर के बगैर आपके सारे निर्माण के कार्य अपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में डामर के बारे में आप निश्चित रूप से बताएं कि कब आप विदेशों से डामर खरीद रहे हैं या इण्डिया की किसी और रिफाइनरी से मंगवा रहे हैं ताकि समस्या का निदान हो। यह पूरे राजस्थान की बात थी। मैं आपके सहयोग की सराहना इसलिए नहीं करूंगा कि हमारे माननीय सांसद राजेश जी पायलट और आपके सहयोग से मेरे यहां करीब दो करोड़ 48 लाख के दो पुल बने हैं जिसमें से 50 प्रतिशत ग्रांट राजस्थान सरकार की है और 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार की रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बांदीकुई क्योंकि उपजिला है और उप जिले में डाक बंगला नहीं है, तो माननीय मंत्री महोदय, डाक बंगला का निर्माण कराने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त मेरा यह निवेदन है कि बीजूपाड़ा टोल टैक्स से और राजगढ़ से मिलती हुई जो 27 किलोमीटर की सड़क है, इसके दोहरीकरण के लिए अकाल राहत में आठ लाख रुपये दिये गये थे, उसका कोई पता नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त करीब 27 लाख रुपये और भी जमा हैं किन्तु जान-बूझकर आपके विभाग के द्वारा इसकी चौड़ाईकरण का काम नहीं किया जा रहा है और आज डेढ-साल से भी ज्यादा समय से यह काम अटका पड़ा है। मंत्री महोदय साल में करीब एक-दो बार बांदीकुई वाली पेसेज है उससे राजगढ़ की तरफ जाते हैं, आप देखते हैं, सड़क की विट्थ बहुत कम है, इसकी चौड़ाई का काम पड़ा हुआ है किन्तु ठीक नहीं हो पा रही

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

है। मैं सोचता हूं, शायद आप इसकी ओर ध्यान देंगे।

इसके अलावा हमारे रेलवे के दो क्रासिंग हैं, उनको भी हटाया जा सकता है यदि वस्वा से सीधे गुलानाथ को जोड़ दिया जाए, जिसके लिए मैं आपको कई बार निवेदन कर चुका हूं।

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि नारायणी माता से गुढ़ा कटला सड़क जोड़ने के लिए आपने कहा था कि निश्चित रूप से यह एक महत्व की सड़क है क्योंकि हजारों-लाखों धर्मावलम्बी नारायणी माता जाते हैं इस रूट से आपने कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे किन्तु आज तक गुढ़ा कटला से नारायणी माता को जोड़ने के लिए कोई भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया। न उसकी घोषणा की गयी, न ही उसका क्रियान्वयन हुआ। मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहां पर है वहां पर तो आप कर रहे हैं, वहां पर तो लोग ढेर सारा धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन हम आंशिक रूप से भी आपके सहयोग की सराहना करेंगे। राजस्थान की सरकार का जो बजट है, उसका हमारे क्षेत्र में, दौसा जिले में खास तौर से जो कि उपेक्षित है, जिसमें कि आपके विभाग के द्वारा निर्माण कार्यों में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है उस क्षेत्रीय असुंतलन को आप न्यायप्रियता से कम करें और विकास कार्यों में सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री भवानी जी जोशी बिराजिये, हो गया आपका। आप तो वैसे ही बोल लेते हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बांदीकुई नगरपालिका ने तीन लाख रुपये आपके विभाग में गये डेढ़ साल से जमा करा रखे हैं केवल डामर के लिए। हमारी कांग्रेस की नगरपालिका है जिसकी सारी सड़क बेकार पड़ी है। आपके विभाग में एडवांस में पैसा भी जमा करा रखा है एक्सईएन. दौसा के यहां किन्तु अभी तक डामर नहीं पहुंचा है। यदि डामर नहीं पहुंचेगा तो नगरपालिका बांदीकुई में सड़कें पानी में बह जाएंगी। आपके विभाग से डामर डिलीवर करें और हमको डामर पहुंचाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप मिलकर बात कर लें। बैठिये आप। माननीय जोशीजी को बोलने दें। बिराजिये आप। (व्यवधान) एक जोशीजी दूसरे जोशीजी को मदद करें। बैठिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक जोशी के लिए मैं दूसरा जोशी बैठता हूं।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19 और 21 में अपने आपको सम्मिलित करते हुए सबसे पहले माननीय मंत्रीजी को बहुत वहुत धन्यवाद दूंगा, बांसवाड़ा एक जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र को वे हमेशा अपना क्षेत्र समझ कर वहां पर कार्य करवाते हैं और वहां की अधिकांश सड़कें पेवर से बना दीं। माही पर और मेरे विधान

(श्री भवानी जोशी)

सभा क्षेत्र देवलिया और बेणेश्वर ग्राम जो आदिवासी एरिया है वहां 60 लाख की लागत से जो पुल का निर्माण करवा रहे हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मात्र दो ही बातों के लिए मैं अपने सुझाव दूंगा कि बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र है, उसमें सड़क नीति न लागू कर सभी गांवों को सड़क से जोड़ा जाए। बांसवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो रेलवे से भी कटा हुआ है, हवाई मार्ग, प्लेन भी आने-जाने का रास्ता नहीं है और बांसवाड़ा आना-जाना बहुत दुविधापूर्ण स्थिति में बना रहता है इसलिए बांसवाड़ा को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़े। यही बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री परसादीलाल मीणा : अब जवाब कराईये साहब, हो गया।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब जवाब कराइये न, साहब।

श्री अध्यक्ष : ये लास्ट हैं। (व्यवधान) बोलने दें एक मिनट। बोलिये आप।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 पर चर्चा हो रही है। किसी देश और प्रदेश की सड़कों, पुल और भवनों का निर्माण उस प्रदेश या देश की प्रगति का द्योतक होता है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश मे सडकों की बहुत कमी रही है। पिछले पांच वर्षों में सड़कों के विस्तार के लिए विशेष ध्यान दिया गया। अभी महुआ से आने वाले विधायक महोदय ने बताया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की बड़ी चर्चा हो रही है लेकिन सड़कें बनने में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, मैं पिछले साल के डेटॉज बता रहा हूं। 1985 से 90 में 2320 नये गांवों को सड़कों से जोड़ा गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कितने किलोमीटर बनीं बन्धु, यह बताओ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। इनको पता नहीं है अभी। आप आगे चलें। मिनिस्टर का काम है यह।

श्री किशनगोपाल कोगटा : हां, वही बता रहा हूं। जहां 1990 से 95 में 4141 नये गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, जहां 85 से 90 में 192 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण के लिए खर्च किये, वहीं 90 से 95 तक 561 करोड़ रुपये खर्च किये। यही नहीं, नई सड़क नीति के अनुसार अगले चार-पांच वर्षों के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये इस मद के लिए रखे गये हैं। नई नीति के अनुसार 1991 के एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने का काम तीन-चार सालों में पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नई सड़क नीति के अनुसार एक हजार की जनसंख्या के गांव को, पंचायत मुख्यालय को जोड़ने का कार्य चल रहा है। 1995-96 में जहां 1800 किलोमीटर नई सड़क निर्माण व 727 गांवों को सड़क से जोड़ने का प्रयास चल रहा है, उसके साथ साथ 845 पंचायत मुख्यालयों को

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

सड़क से जोड़ने का कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। यही नहीं, 1996-97 में 454 करोड़ रुपये का इस मद में प्रावधान रखा गया है। जहां 3500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है, 900 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है, यह इस बजट की है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि जिस प्रकार से सड़कों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब एक मिनट सुझाव और।

श्री किशनगोपाल कोगटा : मैं जयपुर और अजमेर की सड़क के ऊपर विशेष ध्यान दूंगा। अजमेर और जयपुर की सड़क के बीच में 14 जिलों के लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी आते हैं, मिनिस्टर्स लोग आते हैं। पिछले दो साल में बारिश की वजह से यह सड़क बहुत डैमेज हुई। लेकिन दो साल में भी, आज भी वह सड़क जैसी की तैसी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहूंगा कि उस सड़क का जल्दी डामरीकरण हो, ठीक ढंग से हो जिससे रास्ता हो। मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि किशनगढ़ से..

श्री अध्यक्ष : ओमप्रकाश जी शर्मा। आ गये क्या आप ?

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय, मेरे क्षेत्र की भी समस्या है। किशनगढ़ से चित्तौड़ तक की जो सड़क बनाई, जिस ढंग से उसका कार्य हुआ और जैसी व्यवस्था हुई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। अब पर्याप्त चर्चा हो गयी है इसलिए मैं क्लोजर का प्रस्ताव आपके समक्ष रखता हूं और कोई यह टाइम है..

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड। एक-एक, दो-दो मिनट की कोई बात कहनी है तो कह दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 13 घंटे हो गये, एक-एक सड़क का, हरेक कांस्टीट्यूएंसी में दस-दस सड़कें हैं, मंत्री महोदय पांच दिन में जवाब नहीं दे सकेंगे सब का।

श्री अध्यक्ष : ओमप्रकाश जी, बोलें फटाफट।

श्री किशनगोपाल कोगटा : साहब, मेरा पूरा बोल दूं। मेरा पूरा ही नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : हां, हां हो गया। बैठें। (व्यवधान) कृपया आप बोलें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पहली बार बूंदी जिले में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को, एक हजार की आबादी के गांवों को जोड़ा, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। कई पुलियाओं का, कई सड़कों का काम लिया उसके लिये भी मैं उनका आभारी हूँ । मैं दो-तीन बातों के लिए विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करूंगा कि

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

सीएडी, मण्डी कमेटी या अन्य विभागों से भी जो सड़कें बनी थीं, बीस वर्ष पूर्व बनी थी, वे सड़कें आज भी वैसी की वैसी हैं, खराब हो रही है। उनको पीडब्ल्यूडी. में लिया जाए तभी उनका विकास हो पाएगा, वे सड़कें बन पाएंगी। दूसरा, मेरा निवेदन है, बूंदी जिला एक माइंस का एरिया भी है, खनिज विभाग का एरिया भी है, खनिज मंत्रीजी भी यहां बिराजमान हैं, माताजी के नले से लेकर बुधपुरा, डाबी, सूंथड़ा और बूंदी, ये जो सड़कें बनी हैं, सारे गड्ढे पड़े हुए हैं। 18 साल पहले वे सड़कें बनी थीं, आज वहां पर चार-चार फीट के गड्ढे हैं ट्रक तक नहीं निकल सकते। चार सौ से पांच सौ ट्रक रोजाना वहां निकलते हैं। इसी प्रकार डाबी से गेड़दा रोड है, वह भी चार किलोमीटर शेष बची है उसको लाने से जिला मुख्यालय जुड़ता है। एक मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि बूंदी जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय की सड़कों से जोड़ा जाए न कि अन्य जिलों से। जब तक आप जिला मुख्यालय से नहीं जोड़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। एक भैरूंनला चौराहे से सूंथड़ा और बूंदी से गरड़दा बाया डाबी, इन सड़कों को स्टेट हाई-वे में लिया जाए जिससे कि विकास का काम हो सके। मैं कुछ सड़कें हैं उनके बारे में एक लिस्ट दे देता हूं मिनिस्टर महोदय को और पुनः मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बूंदी जिले में सड़कें बनवाई है।

श्री अध्यक्ष : हां, आप लिस्ट दे दें। श्री रामरिछपाल जी नुवाल। (व्यवधान) सब को बुलवाऊंगा मैं, बैठें आप। संतोष रखें आप। बस पांच मिनट का। कृपया संक्षेप में। शहर में तो आपके कुछ करना नहीं है, भीलवाड़ा शहर है और एकाध रोड हो तो बता दें आप।

श्री रामरिछपाल नुवाल : बस , साहब केवल दो मिनट में मेरी बात समाप्त कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : मैं, माननीय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि पिछले एक वर्ष में जितने कार्य हुए पी. डब्ल्यू. डी. के उसने पिछले चालीस साल के रिकार्ड तोड़ दिये। हमारे क्षेत्र से दो-दो बार मुख्यमंत्री बने, इसके बाद भी जब मेरा जनता में जाने का काम पड़ा तो उन्होंने कहा कि चालीस साल के अन्दर जो सड़कें नहीं बन सकीं, जो पुल नहीं वन सके, वे आज की तारीख में मेरे क्षेत्र में आपके कार्यकाल में बने, मैं इसको धन्यवाद देता हूं। जैसे एक छोटा सा काम था पालड़ी का, भीलवाड़ा से काजवे का काम, दस लाख का काम डेढ़ महीने के अन्दर हो गया। इसी प्रकार से 25 किलोमीटर की सड़क मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनी। ये वाकई में बधाई के पात्र हैं।

मैं विशेष ज्यादा निवेदन नहीं करता हुआ दो सुझाव आपसे निवेदन कर रहा हूं। भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है, वहां पर चारों

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

तरफ सड़कें बनी हुई हैं, चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र बने हुए हैं, डिवाइडर बनाने के लिए मेरा आपसे निवेदन है। मैंने एक बार पहले भी आपसे निवेदन किया था, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था हरदे के पास में। सात लोग वहां मर गये थे, दो लोगों को भरती कराया गया था। मेरा आपसे निवेदन है कि छोटा-सा काम है, इधर हमीरगढ़ तक है, इधर माण्डल तक है। अगर ये डिवाइडर बना दिये जाएं तो मजदूरों को आने-जाने के अन्दर और हजारों ट्रक निकलते हैं, काफी बड़ा जान-माल का नुकसान बच जाएगा। इतनी ही बात कह कर मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ताजी (अनुपस्थित)। श्री प्रताप सिंहजी सिंघवी (अनुपस्थित)।

(व्यवधान) बैठें, बैठें आप। आप टाइम खराब मत करें। श्री अमरचन्द मिड्ढा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, अब सूर्यकान्ता जी हैं नहीं, उनका नाम ले रहे हैं।

श्री अध्याक्ष : अमरचन्द जी मिड्ढा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं बोलूंगी कि नहीं, मुझे इतना-सा बता दें। फिर मैं चली जाऊंगी ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, दो मिनट बिराजें। इतनी देर में तो सब गाड़ी छूट जाएगी। मेरे पास जो लिस्ट आती है वह पूरी एग्जास्ट करता हूं।

श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ कुछ ध्यान दिलाऊंगा। श्रीमान जी, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : उस समय नहीं थी, जब तक मैं आयी तब तक मेरा नाम पुकार लिया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें न। आप क्यों समय खराब कर रही है दूसरों का ? आप बिराजिये दो मिनट, इतनी देर में खत जाएगा मामला।

श्री अमरचन्द मिड्ढा : यह भारत पाक सीमा पर स्थित है, इसके कई आपकी सीमा में तो नहीं आते हैं परन्तु गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना जरूरी है। पाकिस्तान के अन्दर हमेशा वारदात होती रहती है उसकी सूचना देने के लिए भी छह-छह घंटे, आठ-आठ घंटे लगते हैं तो उन गांवों को जोड़ा जाए। एक जो डेढ़ किलोमीटर से या एक किलोमीटर से गांव रह जाते हैं उन गांवों को सड़क से जरूर जोड़ा जाए ताकि उन लोगों को काफी लाभ हो।

तीसरा यह है कि अनूपगढ़ में पहले डिवीजनल हैडक्वार्टर था पर अब वह सूरतगढ़ ला दिया है। यह तीन सौ किलोमीटर क्षेत्र लम्बा पड़ता है इस वास्ते अनूपगढ़ में भी डिवीजनल हैडक्वार्टर बनाया जाए और मेरे नये पंचायत मुख्यालय काफी जुड़ चुके हैं पर

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

दो-तीन पंचायत मुख्यालय रहते हैं उनको भी जोड़ा जाए। एक सड़क जो सताइस-ए से लेकर 40 गांव की बनायी है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक हनुमानगढ़ जंक्शन के वाइपास को नाथांवाली ढाणी होते हुए जयपुर से मिलाया जाए, इससे लोड कम हो जाएगा। आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : भंवरसिंह जी डांगावास।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अन्तिम वक्ता हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, लास्ट बैट्समैन।

श्री अध्यक्ष : आप बोले लास्ट हैं या नहीं है, समय खराब नहीं करें आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि अजमेर से नागौर की सड़क की वाइडनिंग के आदेश दिये और ऐसे ही कई कार्य हुए। मेरे क्षेत्र में आज की तारीख में एक भी पंचायत मुख्यालय बिना सड़क के नहीं है, सड़क से मतलब ग्रेवल रोड नहीं डब्ल्यू. बी.एम. से नीचे कोई कनेक्शन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ चाहिये ही नहीं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि गत वर्ष बिटुमेन की कमी होने के कारण जितना डब्ल्यू. बी.एम. काम हुआ उस पर डामरीकरण नहीं होने से कंकर बिखर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हां, साहब दो मिनट। ऐसा नहीं करें। दो मिनट सिर्फ, धार्मिक बात है। सर, मैंने एक भी नहीं लगाया, दो मिनट लगाता हूं सिर्फ। सड़क नीति के पृष्ठ -12 पैरा -5(3) के भाग-ड में धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात की, भवान माता का स्थान जसनगर से जोड़ने की कृपा करें सिर्फ 3-4 किलोमीटर है। नागौर जिले के एस.ई. का आफिस अजमेर है, नागौर जिला बहुत बड़ा है उसका आफिस कृपया नागौर शिफ्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मेड़ता तो नहीं करना उसको ?

श्री भंवरसिंह डांगावास : एक, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। ये सब बातें सुन लो आप। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, खींवसर से नागड़ी तक यह सड़क कालू में भी है, चौड़ी करने की कृपा करें। अजमेर को मेड़ता से 12 किलोमीटर कम करने के लिए डांगावास से चावण्डिया, चावण्डिया से जड़ाऊ, जड़ाऊ से रियां सीधा जोबनेर का है। इसमें 4 किलोमीटर तो मिसिंग लिंक है और बाकी का डामरीकरण बाकी है, कृपया यह करने की कृपा करें। आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का अभिनन्दन करना चाहूंगी, उनके बहुत अच्छे।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कार्य के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने जब से काम सम्भालना है, बहुत अच्छे ढंग से अपने विभाग को निभाया ही नहीं बल्कि प्रशंसनीय रूप से कार्य किया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे नेशनल हाई-वे जितने हैं-3 नम्बर, 8 नम्बर, 11 नम्बर, 11 ए, 12, 14 और 15 इनकी लम्बाई को देखते हुए जो हमें पैसा मिलता है उस पैसे का अन्य राज्यों के मुकाबले नार्म्स कम हैं। यह एक विषय चिन्तनीय है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस सम्बन्ध में अन्य मुख्य मंत्रियों की बैठक केन्द्र में प्रधानमंत्री जी से कहकर बुलाएं और जो अन्याय हो रहा है राज्य के साथ उस अन्याय को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। बल्कि यहां के 25 के 25 जितने भी हमारे सांसद है उनको ब्रीफ करना चाहिये जिससे कि इस सम्बन्ध में वे भी इस केन्द्र में चर्चा उठा सकें। हमारे हिस्से का पैसा, जो नार्म्स में कमी है, 75% से घटाकर हमको 45% मिलता है, काम कैसे होगा ? हमारे नार्म्स को बढ़ाने के लिए आप कार्य करें। मैं यह निवेदन आपसे करना चाहूंगी, दसवें फाइनेंस कमीशन के माध्यम से जो हमको पैसा मिलता है 192 करोड़ वह पूरा का पूरा सड़कों पर लगे इसकी आप चिन्ता करें। आज 110 करोड़ रुपया लगा है बाकी पैसा कहां गया ? 3 वर्षों से पूरा पैसा अपने सड़कों के निमित्त नहीं मिला। मिला है, कहीं और लगा है आप इसकी चिन्ता करें। इस चिन्ता से आपके कार्य में और चार चांद लग जाएंगे। (व्यवधान) क्या कहना चाहते हो ? मैं कोई जमवारामगढ़ की सड़क की बात नहीं कर रही हूं, मैं पूरे राज्य की बात कर रही हूं और अगर आपको इसमें बेचैनी है तो मुझे बहुत खेद है। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगी कि नेशनल हाई-वेज और अन्य सड़कों के माध्यम से आप इस कार्य को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष जी, ए मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, ... लम्बी-चौड़ी बातें की गयीं लेकिन राजस्थान आर-पार स्टेट हाई-वे हो या नेशनल हाई-वे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हाई-वे हो, 500 से 700 मील तक लम्बी जो सड़कें बनायी हैं हमने 50 मील का एक टुकड़ा कंटीनुअस बनाया हो-कोई दो मील, मील आधे मील की रेजगारी आपने बना दी होगी, 50 मील का कोई टुकड़ा आपने बनाया हो तो बता देना।

श्री अध्यक्ष : वह उत्तर दे देंगे। उगम राज जी।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैंनें कटमोशंस दिये हैं 6 सड़कों के, वे 6 सड़कें बनवा दें इस साल। साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि नेशनल हाई-वे से जोधपुर जाने वाले, पाली जाने वाले, आबू जाने वाले, ब्यावर स्टोपेज लेते हैं। डाग बंगला छोटा पड़ता है उस डाग बंगले को बड़ा किया

(श्री उगमराज मेहता)

जाए या और बनाया जाए। आपने आई. टी. आई. भवन इसी साल बनवा दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उसका शुभारम्भ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। कुल 38 लोगों ने भाग लिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों को कि जिन्होंने इन दो बड़ी इम्पोर्टेंट मांगों की दृष्टि से जहां मेरा मार्गदर्शन किया है वहां आपने अच्छे सुझावों के माध्यम से सड़क नीति में सड़क के कार्य में कैसे और गुणवत्ता आये, इस दृष्टि से उन्होंने प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 38 माननीय विधायकों ने आज की चर्चा में भाग लिया है और 240 कटमोशंस मुझको प्राप्त हुए हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 240 कटमोशंस का जवाब यह विधान सभा सत्र समाप्ति के पहले-पहले सभी सदस्यों के पास निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। इसी प्रकार एक बात के लिए मैं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज की चर्चा के सन्दर्भ में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने जो-जो बातें कहीं हैं मैं विभाग से कह रहा हूं कि वरबेटम इस सारी चर्चा को वे अपने पास नोट करें और जिस-जिस माननीय सदस्य ने जिस जिस बात की चर्चा की है उनको उस विषय में से निकालें और जो-जो कार्य करना सम्भव है वह लिखें माननीय सदस्यों को उत्तर के रूप में। जो-जो करना सम्भव नहीं है, क्यों नहीं है इस बात की जानकारी भी निश्चित रूप से सारे माननीय सदस्यों को दें।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको इन्टरफियर तो नहीं करना चाहता पर मेरे जैसे आदमी कोई बोले ही नहीं होंगे उनका क्या होगा ?

श्री किशनगोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, आपको तो ऐसा लगता है कि जिन सदस्यों ने जो रूड़कें मांगी हैं वे शायद मंत्री महोदय देने ही वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप कह रहे हैं सब। कृपया सुनें। जो आपने नोट कराया है वह सब नोट होगा वरबेटम, इसलिए पूछा मैंने।

श्री पराक्रम सिंह : अगर मंत्री जी अध्यक्ष महोदय का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह कैसे चलेगा ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हम बोलेंगे आपकी तरफ से, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं?

श्री पराक्रम सिंह : आपकी मांग तो मुखबन्द पास है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से राजस्थान पर एक बदनुमा दाग लगा हुआ है कि राजस्थान प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश है। वर्तमान सरकार आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में इस बात का लगातार प्रयास किया जाता रहा है, राजस्थान को जो

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पिछड़ेपन की दृष्टि से घोषित किया जाता है और जिसकी चर्चा आज देश के संदर्भ में और प्रदेशों के संदर्भ में की जाती है, हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम पर लगे हुए इस आरोप को हम दूर कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, उद्योग और ऊर्जा ये 6 बातें ऐसी हैं कि जिन बातों की दृष्टि से हमने योजनापरक कार्य करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से राजस्थान पर पड़ा हुआ यह आरोप है कि हम पिछड़े हैं, हम दूर कर सकेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी अभी देश के प्रधानमंत्री श्रीमान् देवेगौड़ा जी ने एक भाषण दिया, उन्होंने इन 6 में से तीन प्रायोरिटीज रखी हैं - शिक्षा, पेयजल और सड़क। उन्होंने कहा कि देश की सरकार भी इन तीनों बातों को पूरा करने की बहुत कोशिश करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जब दुबारा सरकार, सरकार के नाते आयी, हमने पहले वर्ष को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया, दूसरे वर्ष को चिकित्सा वर्ष के रूप में मनाने का तय किया और इस वर्ष को हम पेयजल के नाते कर रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि आने वाले वर्ष को सड़क के रूप में मनाने का निश्चय किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता अब यहां नहीं है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की चर्चा वे कर रहे थे। वे तो उनके शब्द नहीं दोहरा पाये, मैं उनके शब्दों को दोहराना चाहता हूं जो पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने कहे थे। उन्होंने कहा था सड़कें विकास की धमनियां हैं और सारा विकास इन धमनियों के माध्यम से ही प्रवाहित होता है। इसी की चर्चा शायद भुट्टोजी के संदर्भ में जालौर से आने वाले माननीय सदस्य, जोगेश्वर जी अपनी तरफ से कर रहे थे। इसीलिए राज्य सर[illegible] की मंशा है और उसी मंशा के अनुरूप [illegible] इस प्रकार का विचार किया है। नीतिगत[illegible] से, नीयत के नाते और नीति को क्रियान्वि[illegible] करने की दृष्टि से सड़कों के विकास के बारे में वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। मैं यह जानता हूं हैण्डीकैप्स कई हैं, मैं जानता हूं कि पैसे की न्यूनता भी बहुत अधिक रहती है। आज जिस परिमाण में सड़कों का जाल चाहिए उस परिमाण में उपलब्ध कराना कठिन होता है उसी के साथ साथ कई तात्कालिक कठिनाइ[illegible] वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। जैसे पिछले वर्ष से डामर की उपलब्धि की चर्चा हुई है, इसकी बहुत माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दोनों बातें हमारी ओर हैं। सड़कों का विकास करेंगे, सड़कों के विकास के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने कहा है कि गांवों की सड़कों की चिन्ता करें,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सड़कें तो शहरों की बना रहे हो। वर्तमान सरकार के आने के पश्चात् कनैक्टिविटी के नाते हमने ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की प्रथम प्राथमिकता दी है। सड़कों की चिन्ता हमने शहरों की नहीं की, न उसकी ओर हमारा ध्यान है। जहां हम सड़कों का विकास करना चाहते हैं उसी के साथ साथ जब कनैक्टिविटी बढ़ाएंगे, गांवों के लोगों का आवागमन होगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कों पर भी दबाव आएगा इसलिए साइमल्टेनियसली इनका विकास भी निश्चित रूप से आवश्यक है। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वर्तमान सरकार पिछले 6 वर्षों से क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नाते से महुआ से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा की गांवों की, उन्होंने चर्चा की किलोमीटर्स की। मैं आपके माध्यम से सदन को इन दोनों दृष्टियों से सूचित करना चाहता हूं। राजस्थान में 37,889 गांव है, 18500 गांव इसमें सड़कों से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से, नियरली आधे। 1990 में जब वर्तमान सरकार पदासीन हुई थी उस समय केवल मात्र 13,065 गांव विभिन्न सड़कों से जुड़े हुए थे। इन 6 वर्षों में हम सड़कों से 5,000 और जोड़ पाये है। In comparison to 13,000 since last 100 years. और अगर आप देखेंगे दो सालों का, यानी 1984-85 से लेकर 1989-90 तक का जोड़ेंगे तो इन पांच वर्षों की अवधि में 2320 गांव सड़कों से जुड़े।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में किन्तु इन दो वर्षों में 1994-95 और 1995-96 में उसी के बराबर 2,220 गांवों को सड़कों से हमने जोड़ दिया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने लम्बाई की चर्चा की है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह लम्बाई भी बता रहा हूं। आपके ध्यान में वह भी लाना चाहूंगा, फिक्र नहीं करता इस बात की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1984-85 से 1989-90 तक पांच वर्षों में 8145 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ और 1990-91 से 1995-96 तक 13,273 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। 7,151 किलोमीटर, इक्विवेलौट टू सातवीं पंचवर्षीय योजना। आफ दी तत्कालीन सरकार। इसलिए ऐसी बात नहीं है। एक कोशिश है। मैं जानता हूं हैण्डीकैप्स बहुत हैं, कठिनाइयां बहुत हैं, बाधांए बहुत हैं किन्तु एक नीति है, नीयत और नीति के अनुसार क्रियान्वित करने की मन में प्रबलतम इच्छा है। इसी नाते से इस प्रकार का प्रयास वर्तमान सरकार अब कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अगर आपके

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माध्यम से निवेदन करना चाहूं, तो यह कहना चाहता हूं कि जो हमने स्पीड कायम रखी है उसी के अनुसार 1996-97 में हम 1250 गांवों को सड़कों से और जोड़ देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, आपके कि ग्रामीण क्षेत्रों में _

श्री परसादीलाल मीणा : फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, बहुत बचेगी अभी तो। 18,500 में 1,250 जोड़ेंगे तो वे तो होंगे केवल 20,000 और हैं। 37,889। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। हमने प्लान कर लिया है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक निश्चित तौर पर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1990 में हम सरकार में आये। जो राष्ट्रीय योजना बनी थी उस राष्ट्रीय योजना के अनुसार 1985 तक 1971 की 1500 की आबादी के प्रत्येक गांव को जुड़ जाना था। 1990 में जब सरकार में आये, हम तो मंत्री मुनीम हैं, खातेबही देखते हैं प्रदेश की जनता के। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को भी हैड मुनीम समझता हूं, और हमने जब खातेबही देखे तो 1985 में जो 1971 की 1,500 की आबादी के गांवों को जुड़ जाना था, 1990 में 500 गांव बाकी थे 1971 की 1,500 की आबादी के। इतना बैकलॉग, पांच साल का बैकलॉग प्लस 500 गांव हमको विरासत में मिले। माननीय अध्यक्ष महो[illegible] वर्तमान सरकार के प्रयास से 15[illegible] आबादी के तो सारे गांव हमने जोड़[illegible] अब तो 1971 की 1,200 की आबादी के गांवों को जोड़ने की योजना चली है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस प्रकार 1500 की आबादी और 1,000 की आबादी के बीच में 2,487 गांव हैं। इसमें से 1,546 गांवों को डामर की सड़क से 250 को मैटल सड़क से और 380 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ दिये गये हैं। शेष 231 गांवों को जोड़ने की तथा जो मैटल और ग्रेवल से जुड़े हैं उनके 711 गांवों के डामरीकरण के की प्रक्रिया अभी चल रही है, ओन गोइंग काम है। शेष बच रहे हैं 150 गांव। इन 150 गांवों को इस वर्ष 1996-97 की योजना में हम स्वीकृत कर रहे हैं। मैं यह जानता हूं कि इस वर्ष स्वीकृत करने के बाद ये 150 गांव नहीं जुड़ेंगे थोड़ा बैकलॉग होगा किन्तु मेरा विश्वास है, एक नीति है, एक लक्ष्य हमने तय किया, उसके पीछे चलें। तो उसका परिणाम होगा। आज सैंक्शन होने के पश्चात् जो शंका प्रकट की जा रही थी यहां कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कि 1971 के एक हजार की आबादी के गांवों को जोड़ने की जो व्यवस्था की है आपने वह कैसे होगा। हां, होगा नहीं। सैंक्शन सारे हो जायेंगे, रहेंगे, इतने गांवों जो करते-करते शायद उसके 6-7-8 महीने के बाद हम निश्चित रूप से जोड़ देंगे।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चाहता हूं कि उसी प्रकार उसके बाद 1981 और 1991 की जनसंख्या को आधार मानकर 1991 की एक हजार की आबादी का प्रत्येक गांव और सारे पंचायत केन्द्र को डामर की सड़क से हम नवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जोड़ देंगे। अभी सवाल आया कि मैंने घोषणा की है राजस्थान में 9,194 पंचायत मुख्यालयों की जिसमें 7,350 तो पुराने हैं, 1,808 नये हैं। जब घोषणा की थी मैंने तब ध्यान में थी कि केवल 7,350 पुराने गांव हैं किन्तु जुड़ गये 1,808। इसीलिए जो इतने गांव 9,194 हैं इसमें से 6,184 गांव डामर की सड़कों से जुड़ गये हैं, 683 मैटल से और 1,414 ग्रेवल सड़क से। इस प्रकार 8281 पंचायत मुख्यालयों सड़कों से जुड़ चुके हैं। 663 पंचायत मुख्यालय के सड़कों से जुड़ने के काम चल रहे हैं। और 250 पंचायत मुख्यालय जो नहीं जुड़ पाये हैं, उन सबकी सैंक्शन 1996-97 में निकाल दी जायेगी। यह बात सच है कि जुड़ नहीं जायेंगे वे क्योंकि नये गांव बढ़ गये हैं, किन्तु मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि इंटेंशन देख लीजिये। 1996-97 में कोई गांव नहीं रहेगा जिसकी सैंक्शन निकल जाए और जमने की प्रक्रिया नहीं हो जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं और कहना चाहता हूं, चर्चा कर रहे थे संबल गांव की, एक माननीय सदस्य। संबल गांव वहां होते हैं जहां शिड्यूल्ड कास्ट के लोग ज्यादा रहते हैं। इस प्रकार के संबल गांव 489 हैं कुल, जिसमें से 236 गांव सड़क से जोड़ दिये गये हैं। 124 गांव को जोड़ने की प्रक्रिया चालू है और 129 जो संबल गांव बच रहे हैं वे भी 1996-97 की योजना में मंजूर कर दिये जायेगे। इन तीनों दृष्टि से लगातार पिछले तीन साल से हम हैमर करते चले आ रहे हैं, राज्य सरकार की उस नाते से बढ़ने की दृष्टि से हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी चर्चा है यहां पुलों की...

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्री जी की पिछली 4 तारीख को जो अजमेर में मीटिंग हुई थी उसमें यह सूचना थी कि संबल गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना नहीं है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि संबल से जोड़ने की योजना है। संबल योजना में...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, मुझे पता नहीं, मैंने तो जो कहा है रिकार्ड पर ही बताया है। आप उनसे पूछ लीजिये बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अब आप जोड़े तो बहुत अच्छी बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज बहुत बड़ी आवश्यकता है पुलों की, पुलियाओं की, रेलवे ओवर ब्रिजेज की, जिसकी बहुत अधिक चर्चा माननीय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सदस्यों ने की। राजस्थान सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है, उस मास्टर प्लान के आधार पर जो हमारे पास फिगर है उसमें हमको 557 करोड़ रुपये नये पुल और पुलियाओं के निर्माण के लिये चाहिये और 527 करोड़ रुपये रेल-सड़क पुल निर्माण के लिए हमारे पास चाहिये। इस प्रकार 1,084 करोड़ रुपये की धनराशि चाहिये, जिसके माध्यम से राजस्थान में जो उपयुक्त पुल-पुलियाएं और आर. ओ. बी. है, उनको बनाने की व्यवस्था होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि हमारे प्लान में इतना बड़ा करने की कैपेसिटी नहीं है किन्तु राज्य सरकार ने नई सड़क नीति बनायी। मैं भी इसका भागी हो सकता हूं, किन्तु मैं आज कहना चाहता हूं और तो नहीं लेकिन हमको पी. डब्ल्यू. डी. सैक्रेटरी के नाते से एक रत्न मिले जिन्होंने इस वर्तमान सड़क नीति को बनाया है। हमने तीन बार एक्सटेंशन दिया उनको because he has done a miraculous work इस सड़क नीति के निर्माण की दृष्टि से, पूरा करने की दृष्टि से। इस प्रकार की योजना बनाने की दृष्टि से उनकी इंटिग्रिटी, उनकी आनेस्टी, उनका वर्क, उनकी जिस प्रकार की योजना है उसके कारण यह परिणाम आज उपस्थित हुआ है। बी. ओ. टी. बिल्ड आपरेट ट्रांसफर, इस योजना पर शुरू हो गया, संस्थागत वित्त हुडको से, राजधानी परियोजना से, बैंकों से उधार लेकर और सीड मनी अपने यहां से लगाकर राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि इसको बनाने की दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे।

बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी लूनी नदी के पुल की। आज मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि प्रायोरिटी मेरी आज कनेक्टिविटी की है उन विलेजेज की। कई बार माननीय सदस्यों ने चर्चा की, मिसिंग लिंक भी मेरी प्रायोरिटी है। किन्तु अगर एक गांव, एक पंचायत केन्द्र इधर से जुड़ गया और दूसरा उधर से जुड़ गया और बीच में 4 किलोमीटर रह गया, कहते हैं कि इसको जोड़ दो। अभी जोड़ने की स्थिति में नहीं है। एक किलोमीटर में 7 लाख रुपये लगता है, 4 किलोमीटर जोडूंगा 28 लाख रुपये लगता है। इस 28 लाख रुपये का उपयोग मैं और पंचायत केन्द्रों को और 1971 की एक हजार की आबादी को जोड़ने के लिये करूं या उसमें लगाऊं ? इसलिए इन दोनों के बीच में बैलेंस करना आवश्यक है।

मैं इस विषय में लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य का जरा जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने जिक्र किया एक रोड का-लालसोट से कैथून के बीच में आने वाली नदी का। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव कर दीजिये, आधा पैसा मिलेगा। कहना बिलकुल ठीक है आपका, किन्तु हम तो दूध के जले हुए हैं। तीन योजनाएं, श्रीमान् मैंने और आपके एम.पी. साहब ने मिलकर प्रारम्भ की हैं जिसमें 2 बांदीकुई क्षेत्र की हैं। बस्सी-तूंगा एक करोड़ की (व्यवधान) एक मिनट, मैंने बोल दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बांदीकुई-बड़ियारा 1.10 करोड़ की, बांदीकुई गुड़ाकटला 1.25 करोड़ की। 50 परसेंट तो हमको देना था, बस्सी-तूंगा का हमने पैसा लगा दिया किन्तु एक कौड़ी नहीं आयी वहां से। बांदीकुई-बड़ियारा का एक करोड़ 10 लाख हमने लगा दिया, 10 लाख - 20 लाख आया है वहां से। बांदीकुई-गुड़ाकटला का 1.5 का आधा देना चाहिये, 5 लाख आया है उनका। अभी तो दूध के जले हुए हैं। जिस दिन ये तीनों का आ जायेगा, राजस्थान सरकार इस चौथे को भी तुरन्त प्रस्ताव भेजकर मंजूर करवा लेगी।

श्री परसादीलाल मीणा : भेज रहे हैं न प्रस्ताव, धन्यवाद आपको। दिला देंगे, ब्याज सहित पैसा दिलायेंगे आपको।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : करेंगे क्या? आखिर दूध तो निकलेगा उसी में से जब गऊ देगी तो। वैसे तो माननीय एम. पी. साहब पूर्व मंत्री रहे हैं। वे आये थे, हम दोनों गये थे क्षेत्र में। तीन पुलों का शिलान्यास किया, काम शुरू है। हमने अपना पैसा दे दिया किन्तु अब जरा मुश्किल और आ रही है। सरकार ऐसी हो गयी है, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार हमारे रिमोट से चलती है वहां पर, आप चिंता मत करें। ब्याज सहित देंगे हम।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जो प्राथमिकता है वह छोटे-छोटे गांवों को जोड़ने की है और उसी नाते से कोशिश हमारी चल रही है। मैं आपके माध्यम से बताऊं तो 1984-85 से लेकर 1989-90 तक सड़क निर्माण की कुल योजना 8,992 लाख की थी और गांवों को जोड़ने का जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है उस पंचवर्षीय योजना में वह योजना 4,892 लाख थी। उसके मुकाबले में केवल 1995-96 पिछले वर्ष में 21,500 लाख रुपये का प्रावधान सड़क के लिये रखा गया। यानि उस पंचवर्षीय योजना में तो केवल 8,992 थी पूरी पंचवर्षीय योजना में और इन ए सिंगल ईयर, लास्ट ईयर, जो चला गया है, उसमें 21,500 लाख थी। और जहां उस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये 4,892 लाख थी वहां 1995-96 में अकेले में 9,547 लाख रुपये की योजना गांवों की सड़कों को जोड़ने की एक वर्ष में है। मैं महुआ से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं, तीनों बातें बता दी मैंने-सड़क की लंबाई नंबर एक, गांव नंबर दो और योजना में प्रावधान नंबर तीन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक नीति है एक नीयत है और उस नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से कुछ योजना है।

(24.00)

श्री परसादीलाल मीणा : कमीशन कम करो इन अधिकारियों का।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह भी चर्चा में करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अब इस वर्ष में इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में 105.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमने आगे बढ़ने के लिए फिर लम्बी छलांग लगायी है। किन्तु मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूं, मैं समझता हूं कि इतने पैसे से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने अपनी कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में उन प्राथमिकताओं का जिक्र करना चाहता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : आपकी छलांग में कुछ हर्डल्स हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (1) वर्ष 1971 की जनसंख्या के अनुसार एक हजार से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को मार्च, 97 के अन्त तक डामर की सड़क से जोड़ने की व्यवस्था है। (2) इसके लिए जितने सड़कें मैटल होंगी उनका डामरीकरण और जितनी ग्रेवल सड़कें बनी होंगी उनका मैटलीकरण और डामरीकरण होगा, इस आने वाली योजना में। (3) पंचायत मुख्यालयों को मार्च, 97 तक किसी न किसी प्रकार की सड़क से जोड़ने की व्यवस्था करनी है। इसमें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जितनी मैटल सड़कें बन गयी हैं, उनका डामरीकरण और जो ग्रेवल सड़क बन गयी है, उनके मैटलीकरण और डामरीकरण की व्यवस्था की जानी है। (4) राज्य मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों में जो मिसिंग लिंक हैं, उनका निर्माण किया जाना है। (5) सड़क से 3 किलोमीटर दूरी तक जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं- मंदिर हों, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उन सबको सड़कों से जोड़ना। (6) विद्यमान सड़कों पर अवशिष्ट सी.डी. वर्क्स बनाना। (7) वर्षा की समाप्ति पर, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, पिछली बार बाढ़ आयी थी, रामगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या कह रहीं थीं 110 करोड़ र[illegible] सचमुच हमारी आवश्यकता 180 करो[illegible] की है, संधारण के लिये, मेंटिनेंस के [illegible] किन्तु आप जानते हैं कि राजस्थान ऐसा प्र[illegible] है कि जिसके कारण हमको 110 करोड़ रुपये मिल पावे हैं। 110 करोड़ रुपये मिलने के कारण और पिछले वर्ष बाढ़ आने के कारण हम सड़कों का संधारण नहीं कर सके। उसके लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, जिसकी यहां बहुत चर्चा की गयी है। इस बार मैंने विभाग को कहा है कि प्लान में से कमी करनी पड़े, कमी कराओ किन्तु जो रिपेयर का काम है, वह वर्षा के बाद 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक सड़कों का पैच रिपेयर कार्य हो जाना चाहिए। मैं इस सन्दर्भ में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे मेरा सहयोग करें।

जो भयंकर बाढ़ अलवर, भरतपुर और यहां आयी है, उसकी तो चर्चा नहीं कर रहा हूं, उनकी चर्चा तो सातवें बिन्दु पर करूंगा किन्तु किसी भी सड़क की चर्चा आती है तो आप

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मुझे पत्र दें और अपने एक्सईएन. को भी दें, एक्स. ईएन. से पूछें। मैं आज ही आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमने विभाग में यह व्यवस्था बनायी है कि जिन-जिन सड़कों की सैंक्सन हो जाती है, उसके बारे में किसी भी जन-प्रतिनिधि को उसके एक्सईएन. से पूछने का अधिकार है कि मिस्टर एक्सईएन. हमको यह लिखकर दो कि इसकी डेट आफ सैंक्सन क्या है, यह काम कब शुरू करोगे और यह काम कब पूरा होगा। प्रत्येक जन-प्रतिनिधि इस बात के लिए अधिकारी है कि वह हमारे एक्सईएन. महोदय से, जो सड़क सैंक्शन हो जाती है, उसके लिए पूछे। पुरानी हुई, लेट होती है, मैं जानता हूं। उसका कारण है कि पुराना पड़ा हुआ स्वभाव बहुत खराब होता है। शनैः-शनैः परिवर्तन आ रहा है। महुवा से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, हम समयबद्धता चाहते हैं, कोशिश भी की है और कई काम तो समय से पूरे हुए किन्तु पुरानी आदत इतनी जल्दी दूर नहीं होती। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, आपसे ही नहीं, सांसद महोदयों से, प्रधान महोदयों से, जिला प्रमुख महोदयों से भी कि वे अपने क्षेत्र में सैंक्शन हुई प्रत्येक सड़क के बारे में वहां के एक्स. ईएन. से ब्लैक एण्ड व्हाइट में लिखकर पूछ सकते हैं कि हमको यह बता दो, हम अधिकारी हैं, कि इसकी डेट आफ सैंक्शन क्या है, प्रारम्भ करने की तिथि क्या है, डेट आफ कम्प्लीशन क्या है। ताकि थोड़ा बहुत कण्ट्रोल हमारे और आपके माध्यम से समयबद्धता की दृष्टि से बढ़े।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने खुद करौली के एक्स. ईएन. से पूछा है। तो उसने यह जवाब दिया कि हमारे पास डामर नहीं है। वह भी समय नहीं बता सकते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, वह भी मैं चर्चा करूंगा।

यानि, या तो वह जवाब देगा। यह बात ठीक है। डामर की कमी की चर्चा तो आगे करने वाला हूं। किन्तु इस बारे में आपको पूछने का अधिकार है। उसको लिखकर अपनी बात कहनी पड़ेगी। डामर की कमी है तो लिखकर देना पड़ेगा कि डामर की कमी के कारण काम नहीं हुआ यह बात सच है।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयीं, उनके पुनर्निर्माण के सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि सामान्य रूप से तो हमने इनको चालू कर दिया है। कुछ-कुछ सड़कें चालू नहीं हुई हैं, जहां कुछ क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है, 10-15 दिनों में उनको चालू कर दिया जायेगा लेकिन शेष काम 30 जून, 1997 तक पूरा होगा। इतनी भयंकर डैमेजेज आ गयी हैं। 46 करोड़ रुपये हमको चाहिये। राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने 300 करोड़ रुपये की मांग केन्द्र सरकार से की है, उसमें से 46 करोड़ रुपये, इस पहली बाढ़ में हैं। अभी तो बरसात आनी बाकी है, कोई और डेमेजेज होंगे तो ज्यादा होगा लेकिन इस 46 करोड़

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रुपये की प्राप्ति होने के पश्चात ही इसी प्रकार की स्थिति होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और जानकारी सदन को देना चाहता हूं। महुआ से आने वालो माननीय सदस्य ने चर्चा की थी। आपको बताना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क पर केवल 2.9 प्रतिशत बजट था। किन्तु हमारी सरकार आयी 1990-91 में हमने इसको बढ़ाकर 3.69 प्रतिशत कर दिया, 1991-92 में 4.37 प्रतिशत कर दिया और आठवीं पंचवर्षीय योजना में वह राशि 6 प्रतिशत हो गयी। 11500 करोड़ रुपये की आठवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क निर्माण के लिए 697.50 करोड़ रुपये रखे गये हैं। यही नहीं, जो सड़क नीति हमने बनायी है...

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर की सड़कों के लिए आप कुछ कहो।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप तो एक बात बताओ कि राजस्थान में सड़क का मास्टर-प्लान कब बना ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी पूरा कर लूं। आप बिराजिये।

श्री कालीचरण सराफ : कई बातें हैं, अभी तो केवल सातवां ही हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया टोकाटाकी न करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 697.50 करोड़ रुपयों से मुझे संतोष नहीं है, इससे विभाग को भी संतो- नहीं है। जो सड़क नीति बनी है, उसके बड़े-बड़े आस्पैक्टस हैं। डोवटेलिंग, कार्यक्रमों से, तीस जिला तीस काम, निर्ब- योजना आश्वासित रोजगार योजना, एम.एल.ए, एम. पी. की फिक्स-डिपोजिट योजना। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह राशि पिछले वर्ष बढ़कर 1050 करोड़ रुपये, 10 प्रतिशत हो गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 10 प्रतिशत राशि हम सड़क पर खर्च करने का प्रावधान कर रहे हैं डोवलेटिंग से दूसरी संस्थागत ऋण लेकर। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसको हुडको ने, राजधानी परियोजना क्षेत्र में, बैंकों ने पैसा उधार दिया है, सड़कों को बनाने के लिए, हिन्दुस्तान में किसी भी दूसरे प्रदेश को नहीं दिया है। तीसरी बात, बीओटी, बिल्ड आपरेट एण्ड ट्रांसफर चर्चा बहुत प्रदेशों हुई है किन्तु राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जिसमें 65 करोड़ रुपये की 5 योजनाएं हमने स्वीकृत कर दी है, दी मैक्सिमम इन व्हील ऑफ राजस्थान। तीन बातों में हम प्रथम श्रेणी में हैं सड़कों की दृष्टि से नम्बर 1, नम्बर दो - संस्थागत वित्त उधार लेना और नम्बर 3-बी.ओ.टी. में इस बड़े परिमाण तक करने की।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मन की इच्छा यह है, नवीं पंचवर्षीय योजना तक 1991 की एक हजार की आबादी का प्रत्येक गांव और प्रत्येक पंचायत केन्द्र जुड़ जाएगा तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सड़क विकास नीति के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आधार पर राजस्थान का प्रत्येक गांव जोड़ने की व्यवस्था की गयी है। _(व्यवधान)_ फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे, पैसा होगा तो होगा। और यह करने लगे। किन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर_

श्री हरिसिंह (महुआ) : केन्द्रीय सरकार की घोषणा से भी पीछे चल रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है कि 98 तक_

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अब उन्होंने की होगी, मुझे पता नहीं। वे बना देंगे तो मुझे कुछ कहना नहीं_

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप पीछे चल रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हालात आज बने हैं, जिस प्रकार की स्थिति बनी है, दसवीं पंचवर्षीय योजना में नहीं, नवीं पंचवर्षीय योजना के दो साल उपरान्त ही राजस्थान का प्रत्येक गांव जुड़ जाएगा, इस योजना के आधार पर। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : केकड़ी में क्या हुआ ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो संस्थागत_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन सड़कों पर तब तक काम करो जब तक काम पूरा नहीं हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब तक सरकार भी अपनी ही रहेगी। इसीलिए योजना है, और क्या बात है ? _(व्यवधान)_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिलकुल सन्तुष्ट कर देंगे इनको।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वैल प्लाण्ड। _(व्यवधान)_ माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, संस्थागत वित्त मिलने से 25 नयीं योजनाएं 150 करोड़ रुपये की लागत से दो वर्षों में स्वीकृत हुई। यह एडीशन है, जिसके कारण चम्बल, कालीसिंध, मोरेल, पार्वती इत्यादि नदियां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। चम्बल का पाली घाट, पार्वती नदी का बारां-शिवपुरी मार्ग ये दोनों काम पूरे हो चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बी.ओ.टी. की मैं चर्चा कर रहा था, पांच उप मार्ग हैं उसमें, 65 करोड़ की राशि है। पाली, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा उप मार्ग हैं और करौती पुल का निर्माण है, जिसके लिये रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे धन्यवाद दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके एक शुभ सूचना देना चाहता हूं कि हमने बी.ओ.टी. का जो आधार हमने माना उसका कारण यह हुआ कि नेशनल हाईवे की जो आथोरिटी है उसने राजस्थान की शर्तों को हूबहू स्वीकार कर लिया और कहा कि यह बेस्ट योजना है राजस्थान की। हम भी नेशनल हाईवे में बी.ओ.टी. की इसी पद्धति को चालू करेंगे। और सबसे पहली सैंक्शन उन्होंने इस नाते से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उदयपुर के बाईपास के लिये हमको प्रेषित की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको निवेदन किया था, जहां एक ओर कनैक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, इसके साथ आवश्यक है कि मुख्य मार्गों पर जो दबाव आएगा, उस दबाव को वहन करने के लिये अच्छी रोड्स का निर्माण किया जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1992 में राज्य सरकार ने पांच राज्य मार्गों के सुधार के लिये विश्व बैंक की वित्तीय सहायता ली। अजमेर- भीलवाड़ा- चित्तौड़गढ़; चित्तौड़गढ़- डबोक- उदयपुर; सिरोही-आबू रोड- आबू पर्वत ; भिवाड़ी- अलवर- महुआ- हिण्डौन-करौली, सीकर-झुन्झुनूं-पिलानी-लोहारू यह पांचवीं योजना तो, संवेदक भाग गया, समाप्त करनी पड़ी किन्तु इसके बजाय किशनगढ़ नसीराबाद हमने ले ली। मैं महुआ से आने वाले माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, उन्होंने इस सड़क के बीच में भिवाड़ी-अलवर-महुआ के बारे में जो चर्चा की है, एक-एक बात की जांच होगी और कोई भी अधिकारी दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप अधिकारियों को दोषी नहीं मानते। मैनुअल में लिखा है कि सबलैटिंग नहीं होगा, सबलैटिंग हुआ। आपके पूरे अधिकारियों को पता है। अगर एक भी बिटुमेन का बिल हो, सिमको के नाम..। सबलैटिंग वाले ठेकेदार को बने। सरक... इस निर्धारित नीति के विरुद्ध कि दि... तक ठेकेदार पेश नहीं करें, आप पे... करेंगे उस ठेकेदार ने आपको एक भी ... डामर का पेश किया नहीं और आपके विभाग ने पूरा ठेकेदार को पेमेंट कर दिया। यह नितान्त इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं आरोप लगा रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चर्चा की है, एक एक अक्षर के हिसाब से उस बात की जांच करके मैं आपको भी अवगत कराऊंगा। मैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट का हिमायती हूं इसलिए कोई बात छिपायी नहीं जाएगी। किंतु आज जो फैक्ट्स सामने आते हैं, एक जानकारी आपने मुझे पत्र के द्वारा दी थी, आपको ध्यान होगा और जिसकी चर्चा आपने अपने भाषण में की थी..

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुझे ध्यान है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तुरन्त वा... रोक दिया गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरी जागरूकता से बहुत कुछ सही हुआ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी, हां।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने आपको शिकायत की। वहां पर चार रात वे पैट्रोमैक्स जले और फिर उसमें काम करवा कर आपको कहा गया। आपने जो एस. ई. भेजा था न, उसने खड़ा रहकर उस काम के बैकलॉग को पूरा करवाया और आपको और मुझे दोनों को टोका भी नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : देखेंगे इस बात को भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सब कार्य पूर्ण हो गये हैं, केवल थोड़ा-सा काम बाकी है। 30 जून तक वर्ल्ड बैंक ने हमको अवधि दी थी इसलिये बाकी का जो बचा हुआ काम है करौली तक, वह हमको अपनी योजना से करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, 1500 किलोमीटर राज्य मार्गों के विकास के लिए अन्य बाह्य सहायता विश्व बैंक के आधार पर राजस्थान में स्वीकृत हो गयी है। पन्द्रह सौ किलोमीटर राज्य मार्ग, इसी प्रकार की वैस्ट रोड्स बनें, जिस पर हम फिसलते जाएं, इस प्रकार की योजना बन गयी है। उस योजना में सुधार और विकास के कार्यक्रम हाथ में लेने की प्रारम्भिक व्यवस्था इस जुलाई माह में कर दी जाएगी। कंसल्टेंट लग गया है, जो इसकी सारी योजना बनाएगा और इसमें 750 करोड़ रुपये व्यय होंगे। नवीं पंचवर्षीय योजना तक 1500 किलोमीटर में जो भी गांव सैक्शन करेगा वर्ल्ड बैंक, उन सबका सुधार होकर जो प्रेशर इन सड़कों पर आएगा, उसके नाते से अच्छा किया जाएगा, सड़कें बनायी जाएंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जयपुर से दिल्ली का जो राष्ट्रीय मार्ग नम्बर आठ है, उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। सारे माननीय सदस्यों को पता है कि चार लेन बनाने की व्यवस्था हो रही है। अचरोल से जयपुर का कार्य पूर्ण हो गया है। उसी पर पावटा से मनोहरपुर का कार्य पूरा हो गया है। इस वर्ष दिसम्बर तक सारी चार लेन बन जाएगी। कोटपूतली से आगे गुडगांवा तक नेशनल आथोरिटी ने बनाने का तय किया है और जुलाई अगस्त में ही उसके सारे अनुबन्ध होकर उस पर काम शुरू हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात की चर्चा और करना चाहता हूं, जो दर्द है मेरा, दर्द, निश्चित रूप से राजस्थान के प्रत्येक विधायक का, वह है जयपुर से किशनगढ़ के बीच की सड़क का। दो लेन की क्षमता के लिये दस हजार पी.सी.यू. चाहिये। दस हजार अगर ट्रैफिक हो, पी.सी.यू. तो दो लेन काम करते हैं किन्तु आजकल इस पर 42 हजार पी.सी.यू. ट्रैफिक है, 4.2 टाइम्स फोर लेन के सिवाय चारा नहीं। राजस्थान सरकार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, पी.डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर तीनों कहते-कहते थक गये, पत्र देते-देते थक गये, मीटिंग करते-करते थक गये, अभी तक केन्द्र सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगी है। ऐसी कठिनाई उपस्थित हो रही है।

श्री अमराराम चौधरी : आप सब सड़कों की बात कर रहे हो, मगर मेरे यहां मेहरबानी नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : होगी, होगी। (व्यवधान) और हमने यहां तक कहा कि चार लेन मत बनाओ, पेव शोल्डर की तो हमको परमीशन दे दो, उसके लिये तो पैसा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मुहैया करवा दो। अभी तक कहते हैं, 1996-97 का जो वर्ष है, इस पर सोचेंगे। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, आज की चर्चा के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। किसी का लड़का मर रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, एक दर्दनाक दृश्य है, इस दृश्य को देखते हुए भी केन्द्रीय सरकार के कान तक जूं नहीं रेंगती, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह राजस्थान के साथ वैमनस्यता का व्यवहार लगातार किया जा रहा है। इसीलिए मन में एक योजना आयी है। बी. ओ. टी. में पांच जो हमने तय किये हैं, 65 करोड़ के अगर इसमें कुछ ठीक दिशा मिली तो राज्य सरकार की यह चाहेगी, दिल्ली की सरकार से निवेदन करेगी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बी. ओ. टी. में कम से कम जयपुर से किशनगढ़ तक फोर लेन की व्यवस्था करने के लिये किसी निजी निवेशक को बुलाने की आज्ञा हमको दें, ताकि उस आधार पर उस काम को बनाया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, केन्द्रीय सरकार का जो हमारे साथ वैमनस्य का व्यवहार है इसकी और चर्चा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। पांच वर्षों में जो नेशनल हाई-वे हैं, सारे इनके रख-रखाव के लिए ...

श्री परसादीलाल मीणा : देवेगौड़ा साहब से मिलिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 11973 लाख रुपये की आवश्यकता हमको थी। सिद्धान्त रूप से केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार की कि 11973 लाख रुपये रख-रखाव के लिये राजस्थान सरकार को पांच साल में मिलने चाहिये। किन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख है कि उसके आधे से भी कम, केवल 5434.92 लाख रुपये हमको रख-रखाव के लिये स्वीकृत हुए। इतना ही नहीं, अगर मूल कार्य का विचार करें तो मूल निर्माण कार्य में नेशनल हाई-वेज के 18925 लाख के विपरीत हमको 11556 लाख रुपये उन्होंने दिये। वैमनस्य कैसे हैं, यदि आप देखेंगे तो राजस्थान की राशि नेशनल हाई-वेज के रख-रखाव के लिये केवल 45 हजार रुपये प्रति किलोमीटर है। जहां हरियाणा की 63 हजार है, गुजरात की 70 हजार है, उत्तर प्रदेश की 71 हजार है, केन्द्रीय सरकार इतना पैसा दे रही है पर किलोमीटर वहां राजस्थान को केवल मात्र 45 हजार देकर अपने काम की इतिश्री कर रही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जहां राज्य मार्गों की योजना बनायी, राष्ट्रीय मार्गों की योजना इस दृष्टि से भी आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारे सवाल किये गये जिन सवालों का जवाब भी मैं आप के माध्यम से देना आवश्यक समझता हूं। गुणवत्ता की दृष्टि से चर्चा की गयी। यह बात निश्चित रूप से है कि कम्प्यूटराइज्ड पेवर प्लांट, पेवर फिनिशर, जे.सी.बी. टिपर, ट्रक्स नवीन उपकरणों का इस्तेमाल करना हमने तय कर दिया है। अगर इस बात को आप देखने की कोशिश करें तो जहां शायद पांच-सात

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पेवर हुआ करते थे, आज राजस्थान में 65 पेवर लग गये हैं। 50 करोड़ रुपये का निवेश निश्चित रूप से ठेकेदारों ने किया है राजस्थान के कार्य करने की दृष्टि से। मैं यह जानता हूं कि गुणवत्ता की दृष्टि से अभी और कमी है इसलिए प्री क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन हमने लागू कर दी है। हम ने लागू कर दिया है कि अब 25 लाख से दो करोड़ के बीच में जो ठेकेदार काम करेगा उसको एक साल तक उस सड़क के संधारण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी ताकि इस प्रकार की व्यवस्था उस नाते से हो जाए कि संधारण की ठीक व्यवस्था हम कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, डामर की कमी की यहां चर्चा की गयी। सचमुच बहुत बड़ी कठिनाई है।

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर के रिंग रोड की तो घोषणा करो, साहब।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी चर्चा है न, आ रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य : आ रहे हैं, आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो आप को क्या पहले जाना है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, 1995-96 में तेल मंत्रालय ने हम को। लाख 30 हजार मैट्रिक टन डामर का आबंटन किया, आवश्यकता थी 2 करोड़ लाख टन की। और तो छोड़िये, दिया कितना ? 75 हजार मैट्रिक टन। यहां पर चर्चा हो रही थी कि हमारी तो मैटल रोड बन गयी, डामर की बनाइये। मैं भी चाहता हूं योजना में है और कोशिश है किन्तु सब स्तर पर, अगर मैं पत्रों को पढ़ूं तो मुख्य सचिव ने पत्र दिया 27.6.1995 को, मैंने पत्र दिया 18.11.1995 को, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पत्र दिया 1.2.1992 को, फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पत्र दिया 6.12.1992 को, सतीश शर्मा यहां आये थे, उन से चर्चा की गयी, उस चर्चा का परिणाम भी क्या निकला, ढाक के तीन पात। यह हालत है। इतना ही नहीं, 65 परसेंट डामर उपलब्ध होती है। हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे बांदीकुई से आने वाले, हम ने एईएन. नहीं एक्सईएन. लगा रखा है, एक कोइली पर बैठाया हुआ है। एक मथुरा पर बैठाया हुआ है। झपट मची है वहां। ऐसी कठिनाई है जिसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। राज्य सरकार ने डामर को विदेशों से आयात करने का तय किया है। हम ने यह तय किया और उस नाते से हम टेंडर फ्लोट कर दिये हैं। टेंडर आ भी गये किन्तु आप को आश्चर्य होगा, भारत सरकार की आई.ओ.सी. आ गयी टेंडर में सब से लोएस्ट। हम ने कहा, तुम तो वैसे देते नहीं हो, वे कहने लगे, चतुर्वेदी जी, चिंता मत करो, हम ले आयेंगे उन रिफाइनरी से जो दक्षिण में हैं, उनके पास ज्यादा है, आशा ही कर सकता हूं विश्वास नहीं करता अभी तक मुझे भरोसा नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है। टेंडर हो गये, फाइनेंस के पास स्वीकृति के

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लिये पड़े हैं। अभी तो बरसात का मौसम है, ज्यादा आवश्यकता नहीं होती किन्तु बरसात के तुरन्त बाद हम उनको वर्क आर्डर दे देंगे कि जिसके आधार पर लाने की व्यवस्था वे निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा मुझे कहना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां अभी कुछ माननीय सदस्य नहीं हैं, धौलपुर जिले में डामर की सप्लाई की चर्चा करने वाले माननीय सदस्य यहां से चले गये...

श्री परसादीलाल मीणा : यहां हैं उनका ही जवाब दे दो। ...(व्यवधान)...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : झालावाड़ जिले के जो माननीय सदस्य बैठे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि 1993-94 में 2152 मैट्रिक टन हम ने अलाट किया, 1994-95 में 1357 मैट्रिक टन झालवाड़ को अलाट किया, 1995-96 में 913 किया, बहुत कम, यह बात सच है क्योंकि डामर ही नहीं आया।

एक माननीय सदस्य : कोटा में 3 करोड़ की।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आप को सुन कर आश्चर्य होगा, मैं कोटा का रहने वाला हूं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ऐसे क्षेत्र हैं, यहां माननीय सदस्य ने जो चर्चा की थी कि हालत क्या है आज की। 21-21 परसेंट पंचायत केन्द्र अभी बचे हुए हैं। यह तो कहा जा सकता है कि, मंत्रीजी, आप इस क्षेत्र के हो, सारा काम उधर ले जाते होंगे किन्तु हालत देख लीजिये। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि पिछले राज्यों के समय एक भेदभाव बरता गया विकास के कार्य की दृष्टि से, उसका परिणाम है कि जिस की चर्चा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां वाले कर रहे हैं। किन्तु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अब राजनीतिक भेदभाव नहीं चलेगा, बराबर वितरण होगा। विकास में कोई बी. जे.पी. का जीता है, कांग्रेस का जीता है, यह भाव नहीं रखा जाएगा सड़क नीति इसलिये निर्मित की है और उसी के आधार पर करने की पूरी कोशिश की जायेगी। इस प्रकार का हमारा प्रयास है।

श्री परसादीलाल मीणा : सड़कों के अतिक्रमण के बारे में बताओ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आरोप क्या लगा है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आप हमारे जिले के लिये क्या कर रहे हो, साहब ? आप दोगे कि नहीं डामर हमारे लिये ? हमारी डामर के बिना अधूरी पड़ी हैं, हमारे डामर दोगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : रिफाइनरी से आ रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, मैं मौजूद हूं इसलिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की है मैं कहना चाहता हूं इन सारे के प्लान बन गये...

श्रीमती उजला अरोड़ा : और दिल्ली बाई-पास ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रिंग रोड में सी जोन, डी जोन थे चारों जोन के बन गये हैं, बी. ओ. टी. में इसकी कोशिश की जा रही है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से बी. ओ. टी. में करने के लिये लोग आएंगे और जयपुर की रिंग रोड जल्दी ही निर्मित होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं...

श्रीमती उजला अरोड़ा : दिल्ली-आगरा रोड के बाई-पास का क्या होगा ? मैंने तो पूछा नहीं तो आप खुद ही बता दो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान में अगर सबसे अधिक बजट किसी एक जिले को है, सबसे अधिक गावं किसी एक जिले में जुड़ेगे, सब से अधिक किलोमीटर सड़क अगर किसी एक जिले में होगी तो वह सवाईमाधोपुर जिला होगा, यह चतुर्वेदी आप के सामने कह रहा है, आश्वासन कर रहा है इन शब्दों में। क्योंकि बहुत पीछे रहे हैं आप उस नाते से।

अंत में एक बात कह कर मेरी बात को समाप्त करूंगा, अध्यक्ष महोदय।...(व्यवधान)...

श्री रतनलाल ताम्बी : यह पक्षपात है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जोधपुर बाई-पास।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, जोधपुर बाई-पास भी, क्योंकि केन्द्र का मामला है, उनसे स्वीकृति ली जा रही है, आधा काम हो गया और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति मिलने वाली है। पूरी कोशिश की जा रही है इसके नाते।

श्री परसादीलाल मीणा : बीकानेर बाई-पास।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, वह भी चर्चा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। एम.एन.पी. जिसकी हम ने प्रायोरिटी ली, 1993-94 में 18.26 करोड़ रुपये थी, 1994-95 में 29.42 करोड़ थी, 1995-96 में 73.73 करोड़ थी और इस 1996-97 में 89.58 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने रखा है।

श्री हरिनारायण बैरवा : खंडार में जो कमलेश्वर महादेव की रोड है वह भी कह दो।

श्री अध्यक्ष : हां, वह हो जायेगा, खंडार में भी हो जाएगा। बैठो आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसी प्रकार से जो टी.ए.डी. है, ट्रायबल एरिया है, 1993-94 में 3.51 करोड़ था, 1994-95 में 5.11, 1995-96 में 11.62 और इस बार 1996-97 में 16 करोड़ रुपये का प्रावधान टी.ए.डी. की सड़कों के लिये रखा गया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : माडा एरिया।

श्री अध्यक्ष : वे सब आ गये, अब अलग-अलग बाइफरकेशन नहीं किया जा सकता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : शहरी सड़कों के लिये 1.69 करोड़ 1993 में था, 2.75 करोड़ 1994-95 में था और 5.12 1995-96 में था, 1996-97 का इस बजट पास होने के बाद निश्चय करना बाकी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्षजी के लिये बताओ कुछ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आप तो सर्वोपरि हैं, वहां बैठे हैं। आपकी तो दया, प्रेम वैसे ही होता रहता है, जो आप कहते हैं वह स्वीकृत होता है मेरी ओर से कोई देर नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है। (व्यवधान) आजकल नहीं होता है आज के 10 साल पहले तो फिर भी हो जाता था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांगे प्रस्तुत की हैं उनको स्वीकार किया जाए। धन्यवाद।

मांग संख्या 19 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,59,50,69,000/- (दो अरब उनसठ करोड़ पचास लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

पैसे भी लेना चाहते हो और नो-नो कर रहे हो।

मांग संख्या 21 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,19,68,74,000/- (तीन अरब उन्नीस करोड़ अड़सठ लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 1996 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 00.31 बजे बुधवार, 17 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट - 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 553 का ब्यौरा)

परिशिष्ट 'ब'

क्र.सं.	नाम योजना शैक्षणिक केन्द्र	वित्तीय प्रावधान (लाख रु.)	भौतिक लक्ष्य (छात्र/छात्रा)
1.	छात्रगृह किराया योजना	15.85	3170
2.	स्वयंपाठी जनजाति छात्र/छात्राओं की फीस पुनर्भरण योजना	2.32	1930
3.	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना	1.73	115
4.	मुफ्त स्टेशनरी वितरण योजना (कक्षा 1 से 5 तक)	74.75	103639
5.	जनजाति छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना	1.00	100
6.	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना	2.50	100
7.	10 कन्या छात्रावासों का संचालन योजना	67.70	1000
8.	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक के कमजोर छात्र/छात्राओं को उपचारात्मक शिक्षण योजना	1.80	38 विद्यालय
9.	जनजाति प्रतिभावान छात्रों के छात्रावास में प्रवेश परीक्षा योजना	0.70	150
10.	ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर एवं छात्रवृत्ति योजना	1.985	150
11.	नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु शिविर योजना	0.45	150
12.	प्रतियोगी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना	7.09	595
13.	प्रतिभावान छात्रों के छात्रावासों का संचालन	15.18	150
14.	58 आश्रम छात्रावासों का संचालन	336.96	4600

क्र.सं.	नाम योजना शैक्षणिक केन्द्र	वित्तीय प्रावधान (लाख रु.)	भौतिक लक्ष्य (छात्र/छात्रा)
15.	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (बी.एड. कोर्स)	13.71	180
16.	शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स (सी.पी.एड)	2.71	60
17.	आश्रम छात्रावासों में आवासीय छात्र/छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण कोचिंग उपलब्ध कराना	5.22	58 छात्रावास
18.	आश्रम छात्रावासों के आवासीय छात्र/छात्रों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराना	4.73	4730
19.	बी.एस.टी. सी. प्रशिक्षण कोर्स	21.10	900
20.	आश्रम छात्रावासों में लाइब्रेरी की स्थापना	2.84	71 छात्रावास
21.	53 समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों का संचालन	85.00	1325

परिशिष्ट - 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

प्रश्न संख्या 554

(स्थगित)

ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्य

555. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य पंचायत राज संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त निर्माण कार्यों, वन विभाग एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा सम्पन्न कराये गये कार्यों को गुणवत्ता के संबंध में साधारणतया जनता द्वारा समय-समय पर प्रशासन की शिकायतें की जाती हैं तथा क्या उन कार्यों की गुणवत्ता की जांच उन्हीं संस्थाओं द्वारा ही करायी जाती है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रत्येक जिले में कोई निष्पक्ष एजेन्सी कायम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ठ योजना संगठन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य पंचायती राज संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं।

(2) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वन विभाग व अन्य राजकीय विभागों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस की जांच शिकायत की प्रकृति, गम्भीरता एवं महत्ता के आधार पर उच्चाधिकारियों द्वारा कराई जाती है।

(3) जी नहीं। गुणवत्ता की जांच की सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक जिले में कोई पृथक से एजेन्सी कायम करने की आवश्यकता नहीं रहती।

उप जिला कलक्टर कार्यालय डीडवाना एवं तहसील कार्यालय लाडनूं (नागौर) का निरीक्षण प्रकरण

556. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल, अजमेर के सदस्य द्वारा दिनांक 5 और 6 फरवरी, 1996 को उप जिलाधीश कार्यालय, डीडवाना और तहसील कार्यालय, लाडनूं का निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उक्त कार्यालय में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि निरीक्षणकर्ता ने निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति भेजकर संबंधित अधिकारियों से दो माह में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लिखा था? यदि हां, तो अनुपालना रिपोर्ट कब भेजी गई? अनुपालना रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि समय पर अनुपालना रिपोर्ट नहीं भेजी गई ? यदि हां, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर व सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(4) उपरोक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो अनियमितताएं हुई हैं उस सम्बन्ध में किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जानी है जो किस प्रकार से किस स्तर से कब तक करदी जाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 5 व 6 फरवरी, 1996 को राजस्व मण्डल के सदस्य श्री गणपतसिंह भण्डारी द्वारा उप जिलाधीश कार्यालय डीडवाना एवं तहसील कार्यालय लाडनूं का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में तहसील कार्यालय में मुख्य रूप से

(राजस्व मंत्री)

जो अनियमितताएं पाई गई हैं, उनमें निर्धारित प्रपत्रों में कार्यालय रिकार्ड तैयार न करना, धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के तरीकों एवं निर्णय की पालना में विधि अनुकूल कार्यवाही नहीं करना, सम्मन व प्रोसेस का तामीली रजिस्टर निर्धारित पेशानी में संधारित नहीं करना, राजस्व मण्डल से प्राप्त सम्मन व तामील रजिस्टर अलग से निर्धारित पेशानी में संधारित नहीं करना, नामान्तरकरण के विवादित मामलों में अलग से रजिस्टर निर्धारित पेशानी में नहीं खोलना तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 1.4.95 से 31.1.96 तक स्वयं के कार्यालय का निरीक्षण नहीं करना, तहसील स्तर पर पत्रावली संख्या 14/94, 7/94 में दिनांक 15.7.94 के पश्चात् तथा पत्रावली संख्या 8/92 में दिनांक 18.8.94 के पश्चात् कोई तारीख पेशी नहीं दी गई।

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के न्यायालय में एवं कैम्पकोर्ट लाडनूं न्यायालय में काफी पुराने मामले लम्बित पाये गये, जिनमे प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा रही थी, धारा 212 राजस्थान काश्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये एक पक्षीय आदेशों को बाद में काफी समय से दोनों पक्षों को सुनकर न तो कन्फर्म किया और ना ही वेकेंट किया गया। राजस्व मण्डल का राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय द्वारा फाइल तलब किये जाने पर उनका रिकार्ड मेन्टेन नहीं किया गया, जिससे यह पता नहीं लगता है कि पत्रावली कब भेजी गई तथा कब प्राप्त की गई, कोर्ट फीस रजिस्टर नहीं खोला गया, पेशी रजिस्टर निर्धारित पेशानी में तथा अन्य रजिस्टर रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूवल के अनुसार खुले हुये नहीं पाये गये।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट की दो माह में अनुपालना रिपोर्ट चाही थी। निरीक्षणकर्ता द्वारा रिपोर्ट दिनांक 8.3.96 को प्रेषित की गई, जिसकी पालना रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा दिनांक 22.6.96 तथा तहसीलदार, लाडनूं द्वारा दिनांक 15.5.96 को प्रेषित की गई है। अनुपालना रिपोर्ट की पृथक-पृथक प्रतियां संलग्न प्रेषित हैं।

(3) तहसील लाडनूं ने पालना रिपोर्ट तकरीबन समय पर प्रेषित की, परन्तु उपखण्ड कार्यालय डीडवाना से दो माह में चाही गई पालना रिपोर्ट तीन माह में प्रेषित की गई है। लोकसभा चुनाव एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण देरी हुई है।

(4) निरीक्षण प्रतिवेदनानुसार ऐसी कोई अनियमितता प्रतीत नहीं हुई, जिसके लिए किसी कर्मचारी/अधिकारी विशेष को जिम्मेदार ठहराया जा सके। निरीक्षण रिपोर्ट की पालना संबंधित अधिकारियों (कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना एवं तहसीलदार लाडनूं) द्वारा की जा रही है।

(रिपोर्ट की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विशेषाधिकारी, आयुर्वेद विभाग द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं

557. **श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में विशेषाधिकारी का नया पद सृजित किया गया है ? यदि हां तो कब से तथा क्यों ?

(2) पद सृजित करते समय किस स्तर के अधिकारी को इस पद के उपयुक्त माना गया था ? वर्तमान में इस पद पर कार्यरत अधिकारी किस स्तर का है ?

(3) क्या यह सही है कि विशेषाधिकारी के पद पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी के विरूद्ध समय-समय पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति तथा सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा सं. पं. 4(7) कार्मिक/क-1/94 दिनांक 30-4-94 के द्वारा विशेषाधिकारी, आयुर्वेद का पद सृजित किया गया है।

आयुर्वेद के विकास हेतु परियोजनाऐं तैयार करने एवं सचिवालय स्तर पर तत्कालिक रूप से तकनीकी परामर्श के उद्देश्य से उक्त पद सृजित किया गया है।

(2) उप निदेशक स्तर के अधिकारी को उक्त पद के लिए उपयुक्त माना है। वर्तमान में इस पद पर जिला आयुर्वेद अधिकारी स्तर का अधिकारी पदस्थापित किया हुआ है।

(3) जी हां। वर्तमान में विशेषाधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी श्री जगदीशराम शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है। इस खण्ड से सम्बन्धित एक जनहित याचिका सं. 4038/95 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जो इन्हीं शिकायतों से सम्बन्धित है। अत: मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण चर्चा योग्य नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

हरिबक्ष कांवटिया चिकित्सालय जयपुर में संचालित मदिरा की दुकान

558. **श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :** क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शास्त्री नगर, जयपुर स्थित हरिबक्ष कटारिया चिकित्सालय परिसर में दुकान नम्बर 10 में जून, 1995 से मदिरा की दुकान संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो किस के द्वारा ?

(2) क्या यह सही है कि विद्यमान नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल एवं चिकित्सालय आदि

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

की 100 मीटर की परिधि में कोई शराब की दुकान संचालित नहीं की जा सकती है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय परिसर में शराब की दुकान संचालित किये जाने के क्या कारण है ? सरकार उक्त दुकान को कब तक हटाने का विचार रखती है ? यह नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। यह प्रावधान है कि चिकित्सालय सहित अन्य प्रतिबंधित स्थलों से 200 मीटर की परिधि में मदिरा की दुकान का लोकेशन नहीं होना चाहिए किन्तु पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त उक्त प्रतिबंधों में शिथिलता दे सकते हैं। उक्त चिकित्सालय परिसर में शराब की दुकान संचालित नहीं की जा रही है।

उदयपुर में उच्च न्यायालय बैंच की स्थापना

559. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग काफी समय से की जा रही है ?

(2) क्या सरकार भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं राजसमन्द तथा उदयपुर जिले के गरीबी के लाभार्थ उदयपुर में उक्त बैंच स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्योंकि राज्य में उच्च न्यायालय के नवीन बैंच स्थापित करने का कार्य भारत सरकार का है तथा माननीय उच्च न्यायालय से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला पाली का वृक्षारोपण कार्यक्रम

560. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन-कौन से जिले अरावली सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में लिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में वृक्षरोपण कार्यक्रम के तहत किस-किस जगह कहां-कहां पौधे लगाये गये ? वर्ष 1990 से मई 1996 तक लगाए गए पौधों में से कितने पौधे जीवित रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पौधे के प्लान्टेशन की रखवाली 5 साल तक रखी जाती है ? क्या रखवाली करते हुए भी पौधे व तारबंदी को बरबाद कर दिया जाता है ? क्या सरकार इस समस्या के समाधान का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत लिए गए जिलों की

(वन मंत्री)

सूची परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) वृक्षारोपण वर्ष के उपरान्त 3 वर्ष तक वृक्षारोपण का संधारण किया जाता है, परन्तु यदा कदा प्राकृतिक कारणों से एवम् जनसंख्या व पशुओं के बढ़ते दबाव के कारण लगाए गए पौधों व फैसिंग को नुकसान पहुंचता है। वन विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधनों से वृक्षारोपण की सुरक्षा का भरसक प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त जन साधारण का वृक्षारोपण की सुरक्षा में सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन भी किया जा रहा है।

(सूची एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

कृषि उपज मण्डी समिति अलवर में दुकानों का आबंटन

561.**श्री मदनमोहन** (खैरथल) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष में कृषि उपज मण्डी की कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया, कितनी राशि खर्च की गई व कितना कार्य अभी अधूरा है ? अधूरा कार्य कब तक पूरा करा दिया जाएगा ?

(2) अलवर जिले की खैरथल व अलवर शहर की मण्डी की पिछले छः माह में क्या प्रगति हुई ?

(3) क्या यह सही है कि अलवर में मण्डी की दुकानों के आंबटन में भ्रष्टाचार हुआ है ? यदि हां, तो क्या - क्या ? क्या सरकार इस मामले की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस अधिकारी से एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर व खैरथल के अन्तर्गत गत वर्ष में किये गये सड़क निर्माण कार्य उन पर किया गया व्यय अधूरी सड़कों की सूचना परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल व अलवर की पिछले 6 माह की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ग" के अनुसार है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर के फल एवं सब्जी मण्डी प्रांगण में सण्डरी शाप्स (छोटी दुकानों) के आबंटन के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायतों की जांच निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर द्वारा कराई गई है।

परिशिष्ट "क"

कृषि उपज मण्डी समिति अलवर के अधीन सं. सड़कों का विवरण

क्रम सं.	सं. सड़कों नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण	अधूरा	निर्माण पर व्यय	अधूरे कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बाम्बोली से मीनापुरा	पूर्ण	-	2.15	-
2.	चोरोटी पहाड़ से केसरोली	पूर्ण	-	1.26	-
3.	अलवर देहली रोड से पिपरोली	पूर्ण	-	8.93	-
4.	अलवर बादौली रोड से खिलौरा	पूर्ण	-	8.81	-
5.	अलवर देहली रोड से नंगल बंजीरका	पूर्ण	-	12.45	-
6.	मालाखेड़ा हल्दीना रोड से लीली	पूर्ण	-	4.50	-
7.	भजीट से केरवाजाट	पूर्ण	-	7.21	-
8.	मुबारिकपुर नीकप रोड से खोहरा करमाली	पूर्ण	-	17.29	-
9.	सं. सड़क नौगांवा शेरपुर रोड से रसगन	-	अधूरा	15.13	2.1 कि.मी. में डामरीकरण किया जाना है, जो डामर उपलब्ध होने प कराया जाना संभावित है।
10.	मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ रोड से करवाताल	-	अधूरा	10.96	2.0 कि.मी -""-
11.	मालाखेड़ा राजगढ़ रोड से खेरली पिचनो	-	अधूरा	7.32	3.25 कि.मी. -""-
12.	अलवर देहली रोड से चोरोटी पहाड़	-	अधूरा	10.05	3.9 कि.मी.-""-
13.	प्रतापगढ़ दौसा रोड से समरा	-	अधूरा	9.45	2.10 कि.मी. -""-
14.	नारायणपुर घाटा बांधरोल से बसई जोगियान	-	अधूरा	6.00	2.0 कि.मी. -""-
15.	झिरी से हमीरपुर	-	अधूरा	1.90	1.0 कि.मी. -""-
16.	मुबारिकपुर नीमच रोड से रघुनागढ़	-	अधूरा	-	1.5 कि.मी. -""-

परिशिष्ट "ख"

कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के अधीन सं. सड़कों का विवरण

क्रम सं.	सं. सड़कों नाम	कार्य की स्थिति पूर्ण	अधूरा	निर्माण पर व्यय	अधूरे कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	हमीरपुर से जयसिंहपुरा	कार्यपूर्ण		6.45	-
2.	बाबरिया से माजरा वाया ढाकोला	""		4.70	-
3.	गुंता बबेड़ी वाया मांची मीरापुर	""		4.74	-
4.	अलवर बहरोड़ रोड से किशोरपुरा	""		11.19	-
5.	जाट बहरोड़ से जालावास	""		7.40	-
6.	मुण्डावर से सरायकला	""		10.68	
7.	मातौर बस स्टैण्ड से सुखपन हेड़ी	""		25.26	-
8.	किशनगढ़ से कांकरा	""		5.26	-
9.	कोटांकासिम से मेवली	""		6.31	-
10.	कोटकासिम से जोड़िया	""		5.35	-
11.	कमीलपुर से नसोपुर	""		6.80	-
12.	किशनगढ़ से मौठूका (विस्तार)	""		4.93	-
13.	नूरनगर से जटियाना	""		9.62	-
14.	फतेहपुर से मौठूका (विस्तार)	""		1.15	-
15.	बुठीवावल टपूकड़ा सड़क से कमालपुर (विस्तार)	""		6.96	–
16.	उलाहेड़ी बस स्टेण्ड से जसई ग्राम	-	अधूरा	11.95	1.5 कि.मी. में डामरीकरण किया जाना है। जो डामर उपलब्ध होने पर कराया जाना संभावित है।

1	2	3	4	5	6
17.	मुण्डावर से सरायकला (शेष कार्य)	-	अधूरा	10.68	1.10 किमी. ""
18.	सिहालीकला से अजरका क्या सिंहाली खुर्द-		अधूरा	11.83	2.3 किमी.""
19.	अलवर बहरोड़ रोड से किशोरपुरा (विस्तार)-		अधूरा	1.24	1.10 किमी. ""
20.	धीधाका से गंगापुरी	-	अधूरा	5.80	0.5 किमी.""
21.	जटियाना से भगेरा	-	अधूरा	6.99	2.05 कि. मी. ""
22.	मैलपुर से पपटन	-	अधूरा	4.33	1.5 कि. मी. ""
23.	टेहर की नर्सरी से लाड़पुर	-	अधूरा	5.18	2.8""
24.	भिवाना जोड़िया से हरियाणा बोर्डर	-	अधूरा	2.53	5.0 ""
25.	सिहालीकला से कुमपूर	-	अधूरा	1.19	2.5 ""
26.	मोरोड़ी से बबेड़ी वकया भुतपुरी	-	अधूरा	1.45	3.0 एसीएम न्यायालय में वाद के कारण
27.	भगाना से कासमपुर	-	अधूरा	0.20	1.5 निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल व अलवर की पिछले 6 माह की प्रगति का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल	कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर
1.	मण्डी शुल्क से आय	पिछले 6 माह की मण्डी शुल्क से 60,77,380/-रुपये प्राप्त हुये।	मण्डी शुल्क से 1,56,61,000/- रुपये प्राप्त
2.	नवीन मण्डी प्रांगण में कार्य	मण्डी समिति की नवीन मण्डी प्रांगण हेतु अधिग्रहीत भूमि के चारों ओर चार दीवारी का निर्माण करा लिया गया है जो विवादित स्थल को छोड़कर पूर्ण है	इस अवधि में कुल 11.50 कि. मी. सड़कें लागत 62.60 लाख रुपये का कार्य करवाया तथा अधूरे कार्य प्रगति पर है।

1	2	3
3. गौण मण्डी के नवीन मण्डी प्रांगण में कार्य	गत वर्षों से निर्माणाधीन तिजारा गौण मंडी प्रांगण का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है एवम् व्यापारियों को नियमानुसार दुकानें आबंटित कर दिनांक- 29.3.96 को यहां व्यापार स्थानान्तरित कर दिया गया है एवं वर्तमान में सुचारू रूप से वहां विपणन कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।	नवीन फल सब्जी गौण मण्डी का निर्माण पूर्ण हुआ तथा व्यापार स्थानान्तरण की प्रक्रियाधीन है।
4. मण्डी शुल्क अपवंचन	—	गत 6 माह में 1,14,489/- रुपये की मण्डी शुल्क चोरी पकड़ी गयी है।

राज्य में गठित राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान

562. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में "राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान -(राइसेम)"का गठन किया हुआ है ? यदि हां, तो इसके गठन के क्या उद्देश्य हैं ? क्या यह संस्थान" रजिस्टर्ड हैं ? इसके पदाधिकारी कौन-कौन हैं एवं इसके क्या उद्देश्य है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में "राजस्थान राज्य सहकारी संघ" भी कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या इस संस्था का उद्देश्य भी सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण/प्रचार-प्रसार आदि है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि हैं ? यदि हां, तो इस नई संस्था का गठन कर दोहरी व्यवस्था क्यों की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सहकारी संघ का बजट प्रवृतियां आदि घटाकर निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है ? क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा "राजस्थान राज्य सहकारी संघ" की गतिविधियों के मूल्यांकन के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक उक्त संघ की किस-किस गतिविधि का मूल्यांकन किया जा चुका है ? शेष गतिविधियों का

(श्री रामपाल उपाध्याय)

मूल्यांकन कब तक हो जायेगा? मूल्यांकन रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई है ? मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) के गठन का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीनतम प्रबंधकीय विधाओं में प्रशिक्षित करना, अनुसंधान एवं सहकारी संस्थाओं के नियोजन तथा प्रबन्ध में परामर्शदात्री सेवायें उपलब्ध कराना है। यह संस्था राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958 के अन्तर्गत क्रमांक 467/जयपुर 1989-90 पर रजिस्टर्ड हैं। संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निम्न पदाधिकारी सम्मिलित हैं :–

क्र. सं.	व्यवसाय	पद
1.	सचिव, सहकारिता, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर	उपाध्यक्ष
3.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जयपुर	सदस्य
4.	अध्यक्ष, अरबन कोऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर	सदस्य
5.	प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर	सदस्य
6.	प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर	सदस्य
7.	प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य सहकारी आवासन संघ, जयपुर	सदस्य
8.	महानिदेशक, एनसीसीटी और उनके प्रतिनिधि, नई दिल्ली	सदस्य
9.	मुख्य कार्यकारी, राज. राज्य सहकारी संघ, जयपुर	सदस्य
10.	अध्यक्ष, सहकारी प्रशिक्षण कॉलेज कमेटी, जयपुर	सदस्य

राइसेम के विधान के अनुसार इसके उद्देश्य निम्न हैं :-

1. सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध पर कार्यक्रम आयोजित करना।
2. सहकारिता के माध्यम से उत्थान के लिए अनुसंधान करना।
3. सहकारी आंदोलन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनलाइजेशन को बढ़ावा देना।
4. सहकारी संस्थानों के नियोजन एवं प्रबंध में व्यावसायिक सहयोग हेतु परामर्श हेतु प्रदान करना।

(सहकारिता मंत्री)

5. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु कोई अन्य कार्य करना एवं किसी अन्य ढांचे, संस्थान एवं संगठनों को बनाना।

(2) प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी संघ कार्यरत हैं। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य सहकारिता प्रचार, प्रसार, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण हैं। वर्तमान में इस संस्था में निर्वाचित संचालक मण्डल पदासीन हैं। सहकारिता क्षेत्र की प्रशिक्षित गतिविधियों को समेकित कर उनके विकास के उद्देश्य से राईसेम का गठन किया है। संघ एवं राईसेम के सभी उद्देश्य समान नहीं है। राईसेम के गठन से कोई दोहरी व्यवस्था कायम नहीं हुई बल्कि प्रशिक्षण गति-विधियों का विस्तार और विकास हुआ है।

(3) निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को समाप्त करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। भरतपुर एवं कोटा प्रशिक्षण केन्द्रों के बन्द कर दिये जाने से संघ का बजट घटाया गया है।

(4) राजस्थान राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षण केन्द्र की गतिविधियों का मूल्यांकन राज्य सरकार के मूल्यांकन संगठन ने किया है। मूल्यांकन रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं बताया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। शेष गतिविधियों के मूल्यांकन का अभी कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र दूदू के पशु चिकित्सालय

563.**श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में कितने पशु चिकित्सालय संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दूदू के ग्राम आसलपुर, नांगल, लापोड़िया, हबसपुर आदि स्थानों पर मानदण्डों के अनुसार पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1996-97 में कहां-कहां पर पशु चिकित्सालय खोला जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र दूदू में 5 पशु चिकित्सालय क्रमशः दूदू, मोजमाबाद, बिचून, नरेना, बोराज एवं दो पशु औषधालय क्रमशः ममाणा एवं सांखून में कार्यरत है।

(2) वर्तमान में राज्य में नये पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) वर्तमान में वर्ष 1996-97 में नये पशु चिकित्सालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

राज्य की नयी पर्यटन नीति

564.श्री **किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने राजस्थान में राजघरानों, जागीरदारों एवं ठिकानेदारों की पुरानी हवेलियों, महलों आदि को पर्यटन की दृष्टि से महत्व देने हेतु पर्यटन की नयी नीति के तहत कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो अब तक उक्त योजना के तहत ऐसे कितने स्थलों का चयन किया गया है ?

(2) उक्त स्थलों को आकर्षित बनाने के लिए किस-किस तरह के वित्तीय साधन पर्यटन विभाग की तरफ से दिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्थलों के आकर्षण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय पर निगरानी की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) राज्य की नयी पर्यटन नीति का प्रारूप विचाराधीन है। राज्य में स्थित प्राचीन गढ़, किले, हवेलियों जो कि 75 वर्ष से अधिक पुराने है, को हेरीटेज होटल में परिवर्तित किये जाने को प्रोत्साहित करने के लिये निम्न अनुदान योजनाएं प्रारम्भ की है :-

(i) पर्यटन विकास हेतु राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना - 1993, इस योजना के तहत हेरिटेज होटल के निर्माण के लिये मान्य विनियोजन का 20% तक अथवा रुपये 20.00 लाख जो भी कम हो अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

(ii) पर्यटन इकाइयों हेतु डीजल जेनरेटिंग क्रय अनुदान योजना 1994, इस योजना के तहत होटल इकाइयों को जनरेटिंग सैट क्रय करने के लिये मान्य विनियोजन का 25% तक अथवा रुपये 50.00 हजार जो भी कम हो अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

(2) राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान 1993 के तहत अब तक तीन हेरिटेज होटलों को अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा दो प्रकरण विचाराधीन है।

(3) राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1993 जिसे लागू करने की प्रक्रिया अधिसूचना दिनांक 6 जून 1994 से निश्चित हुई है, के तहत अब तक हेरिटेज होटल्स के निम्न तीन आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये हैं :-

		(राशि लाखों रुपये में)
1.	होटल खींवसर फोर्ट, खींवसर, जिला नागौर	15.25
2.	होटल बीजापुर कैसल, बीजापुर, चित्तौड़गढ़	01.15
3.	शिवदीप होटल, भरतपुर	03.32

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

अनुदान के भुगतान पर निगरानी की निम्न व्यवस्थाएं हैं :-

1. अनुदान वास्तविक व्यय के बिल प्रस्तुत करने एवं उनके सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत किया जाता है।

2. दस हजार से अधिक राशि का भुगतान चैक से किये जाने पर ही उसे अनुदान योग्य माना जाता है।

3. अनुदान अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही वितरित किया जाता है।

4. स्वीकृत अनुदान की महालेखाकार/निदेशक, कोष एवं लेखा से अंकेक्षण की व्यवस्था है।

जिला दौसा के आश्रम छात्रावास

565. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय निकाय द्वारा सरकार की दौसा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में माडा में योजना के अन्तर्गत आश्रम छात्रावास खोलने के प्रस्ताव भिजवाये गये थे ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां। प्राप्त प्रस्तावों में से ग्राम "नांदरी" में आश्रम छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

लक्ष्मण मन्दिर, भरतपुर का जीर्णोद्धार

566. **श्री आर. पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा लक्ष्मण मन्दिर, भरतपुर के जीर्णोद्धार के लिये कितनी राशि कब-कब आबंटित की गई ? उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(2) लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर के जीर्णोद्धार का कार्य किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जीर्णोद्धार के कार्य में विभाग के धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या जीर्णोद्धार की राशि में से काफी रकम विभाग के कार्यालय के सौन्दर्यकरण में व्यय की गई है ? क्या इस की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर कार्यालय के जीर्णोद्धार पर राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री लक्ष्मण जी, भरतपुर के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 1994-95 में 13.54 लाख रुपये स्वीकृत किये। इस राशि में से 6/96 तक लगभग 5.60 लाख् रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री लक्ष्मण जी, भरतपुर के जीर्णोद्धार एवं सर्वांगीण

(देवस्थान मंत्री)

विकास का कार्य आवास विकास संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नही। सहायक आयुक्त, देवस्थान, भरतपुर का कार्यालय मंदिर श्री लक्ष्मणजी के परिसर में ही है। कार्यालय के दो कमरों की छत लकड़ी होने तथा गिरने जैसी स्थिति में होने के कारण उन्हें हटाकर पट्टियां डलाई गयी है। आवास विकास संस्थान द्वारा तैयार की गयी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस कार्य के लिये 2.50 लाख रुपये का प्रावधान है।

प्रश्न संख्या 567

(स्थगित)

पटवार सर्किल लंगोड (नागौर) का भूमि नामान्तरण प्रकरण

568. **श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूमि नामान्तरण के क्या नियम है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील डेगाना जिला नागौर के पटवार सर्किल लंगोड के अधीन ग्राम पंचायत गोरेडीचाचा, लंगोड, झगडवास में 7 फरवरी, 1995 से 31 मार्च, 1996 तक कितने भूमि नामान्तरण के मामले आये ? नाम सहित ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नामान्तरण के मामलों को ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में पटवारी द्वारा पेश करना आवश्यक है ? यदि हां, तो पटवार सर्किल लंगोड के कितने नामान्तरण के मामले पटवारी द्वारा ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में पेश किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पटवारी लंगोड द्वारा बिना ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में पेश किये भी, कई भूमि नामान्तरण किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (भू - अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 119 से 148 के अन्तर्गत नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाती है।

(2) 7 फरवरी, 1995 से 31 मार्च 1996 तक तहसील डेगाना जिला नागौर के पटवार सर्किल लंगोडा के अधीन ग्राम पंचायत गोरेडीचाचा, झगडवास लंगोडा के क्रमशः 12, 33 व 28 कुल 73 भूमि नामान्तरकरण के मामले आये। ब्यौरा परिशिष्ट - 1 व 2 में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 एवं राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 4.9.82 के अनुसार निर्विवाद मामले पटवारी द्वारा पंचायत की

(राजस्व मंत्री)

साधारण बैठक में पेश किए जाते हैं। जो पटवारी द्वारा कुल 64 नामान्तरकरण के मामले पेश किए गये हैं। जो परिशिष्ट -1 में सदन के पटल पर रख दिये गये है।

(4) जी, नहीं। पटवारी लंगोडा द्वारा नामान्तरकरण ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में पेश किए ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के दिनांक 13.6.95 से प्रस्तुत योग्य नामान्तरकरण 0 से 213 तक ग्राम पंचायत गोरेडीचाचा समक्ष रखे। ग्राम गोरेडीचाचा को ग्राम द्वारा नामान्तरकरण संख्या 210 व दिनांक 13.6.95 को स्वीकृत किये किन्तु नामान्तरकरण सं. 211 व 212 यत से संबंधित होने पर भी पंचायत द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने पर तहसीलदार डेगाना द्वारा दिनांक 26.7.95 को फैसला किए गए। 9 नामान्तरकरण ऐसे थे जिनमें पंचायत के क्षेत्राधिकार नहीं होने से पंचायत में पेश नहीं किये गये। इन्हें तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। अतः पटवारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत कर देने से पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

(ब्यौरा परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला झुन्झुनूं के मदिरा विक्रय केन्द्र

569. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या मुख्य (आबकरी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये झुन्झुनूं जिले में किस-किस स्थान पर देशी व विदेशी शराब की बिक्री हेतु दुकानें, उप दुकानें स्वीकृत की गई ?

(2) दुकान तथा उप दुकान के लिये कितनी-कितनी लाइसेंस फीस ली जाती है ?

(3) क्या इन स्वीकृत दुकानों के अलावा भी ठेकेदार कोई और स्थान पर शराब बेच सकता है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये अतिरिक्त लाइसेंस फीस वसूल की जाती है ?

(4) इन स्वीकृत दुकानों के अलावा अन्य किसी स्थान पर ठेकेदार शराब की बिक्री नहीं कर सकें इसके लिये क्या सरकार कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 में झुन्झुनूं जिले में देशी मदिरा की 122 तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 28 दुकानें स्वीकृत हुई हैं, इन दुकानों के स्थानों की सूची संलग्न है।

(2) देशी मदिरा की प्रत्येक दुकान का लाइसेंस फीस रु. 5,000/- ली जाती है तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की प्रत्येक दुकान की लाइसेंस फीस क्रमशः दस-दस हजार रुपये ली जाती है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत आबकारी निरीक्षक/सहायक आबकारी अधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी समय-समय पर इसकी जांच करते हैं एवं समय पर आबकारी धावे भी किया जाते हैं।

Page No.366

जिला झुन्झुनूं में देशी/भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर दुकानात की सूची जिनका लोकेशन स्वीकृत है।

क्र.स.	नाम समूह	देशी मदिरा की दुकान	कुल	भा. नि. वि. म. बीयर दुकानात
1	2	3	4	5
1.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं शहर	1	झुन्झुनूं नंबर 1
2.	"	गुडागोड	2	झुन्झुनूं नंबर 2
3.	"	बस स्टैंड झुन्झुनूं	3	झुन्झुनूं नंबर 3
4.	"	रेल्वेस्टेशन झुन्झुनूं	4	मण्डावा
5.	"	पीपलीचौक झुन्झुनू	5	बिसाउ
6.	"	बिसाउ शहर	6	-
7.	"	बगीची बिसाउ	-	-
8.	"	हमीरवास	-	-
9.	"	बगड	-	-
10.	"	मण्डावा	-	-
11.	"	महलशहर	-	-
12.	"	मलसीसर	-	-
13.	"	सलामपुर	-	-
14.	"	गांगीयासर	-	-
15.	"	नुआ	-	-
16.	"	अलसीसर	-	-
17.	"	बबरी	-	-
18.	"	बिरमी	-	-
19.	"	निराधनु	-	-
20.	"	मलसीसर नं. 2	-	-
21.	"	पारितपुरा	-	-
22.	"	पातुसरी	-	-
23.	"	भूरासरवास	-	-

क्र.स.	नाम समूह	देशी मदिरा की दुकान	कुल	भा. नि. वि. म. व बी. दुकानात
24.	चिड़ावा	कबूतरखाना चिड़ावा	7	चिड़ावा नम्बर 1
25.	"	पुरानी बत्सी चिड़ावा	8	चिड़ावा नम्बर 2
26.	"	रे. स्टेशन चिड़ावा	9	पिलानी नंबर 1
27.	"	सूरजगढ़ शहर	10	सूरजगढ़
28.	चिड़ावा	बस स्टैंड सूरजगढ़	11	मण्डला
29.	"	राजगढ़रोड पिलानी	12	सुलताना
30.	"	गोलचक्कर पिलानी	13	पिलाद
31.	"	बावसड़ी	14	पीपली
32.	"	मण्डेला	-	-
33.	"	सुल्ताना	-	-
34.	"	बस स्टैंड चिड़ावा	-	-
[illegible]	"	चनाना	-	-
[illegible]	"	बुडानिया	-	-
37.	"	जोधा का वास	-	-
38.	"	चिड़ावारोड सुल्ताना	-	-
39.	"	उरीका	-	-
40.	"	कुलोठ कला	-	-
41.	"	लाडुण्दा	-	-
42.	"	सरदारपुरा	-	-
43.	"	किठाना	-	-
44.	"	केहरपुरा	-	-
45.	"	मालीगांव	-	-
46.	"	मालियों की ढाणी तनखुडाना	-	-
47.	"	लाम्बागोठड़ा	-	-
48.	खेतड़ी	खेतड़ी कस्बा	15	खेतड़ी
49.	"	कोलिहान नगर खेतड़ी	16	खेतड़ी नगर नंबर 1

Page No.368

क्र.स.	नाम समूह	देशी मदिरा की दुकान	कुल	भा. नि. वि. म. व बी. दुकानात
50.	"	जगदम्बा मार्केट खेतड़ी नगर	17	खेतड़ी नगर नंबर 2
51.	"	आजाद मार्केट खेतड़ी नगर	18	खेतड़ी नगर नंबर 3
52.	"	बनवास खेतड़ी नगर	19	सिंघाना
53.	"	गोठ्डा खेतड़ी नगर	20	बुहाना
54.	"	जसरापुर	21	कुहाडवास
55.	"	टोबरबसई	22	पचेरी बड़ी
56.	"	भालोद	-	-
57.	"	सिहोड	-	-
58.	"	बबाई	-	-
59.	"	सेफरागवार	-	-
60.	"	सिंघाना	-	-
61.	"	सोहली	-	-
62.	"	कुहाडवास	-	-
63.	"	पचौरी	-	-
64.	खेतड़ी	गोरीर	-	-
65.	खेतड़ी	लोयल	-	-
66.	"	ढोसी	-	-
67.	"	ढाणा	-	-
68.	"	बुहाना	-	-
69.	"	शिमला	-	-
70.	"	नारनोल मोड सिंघाना	-	-
71.	"	ढाणी नदपाल सिंह	-	-
72.	"	जैतपुरा	-	-
73.	"	काकड़ा	-	-
74.	"	देवीसिंह की ढाणी	-	-
75.	"	रायला की ढाणी	-	-

Page No.369

क्र.स.	नाम समूह	देशी मदिरा की दुकान	कुल	भा. नि. वि. म. व बी. दुकानात
76.	"	ढाणी मालोठ	-	-
77.	उदयपुरवाटी	बस स्टेण्ड उदयपुरवाटी	23	बस स्टेण्ड उदयपुरवाटी
78.	"	घूमचक्कर उदयपुरवाटी	24	घूमचक्कर उदयपुरवाटी
79.	"	छावसरी	-	-
80.	"	टीटनवाड	-	-
81.	"	गुढ़ा गोडजी	-	-
82.	"	बड़ा गांव	-	-
83.	"	केड	-	-
84.	"	चवरा	-	-
85.	"	गुढ़ा पौख	-	-
86.	"	पापड़ा	-	-
87.	"	बागोली	-	-
88.	"	मणकवास	-	-
89.	उदयपुरवाटी	छापोली	-	-
90.	"	चवराकेन्द्र	-	-
91.	"	चन्दपुरा	-	-
92.	"	दीपपुरा	-	-
93.	"	पोंख	-	-
94.	"	पंचलगी	-	-
95.	"	किशोरपुरा	-	-
96.	"	मण्डावरा	-	-
97.	"	सीथल	-	-
98.	"	नवरा	-	-
99.	"	कोट	-	—
100.	नवलगढ़	घूमचक्कर नवलगढ़	25	नवलगढ़ नं. 1
101.	"	गणेशपुरा नवलगढ़	26	नवलगढ़ नं 2
102.	"	गुगामंडी नवलगढ़	27	मुकन्दगढ़

क्र.स.	नाम समूह	देशी मदिरा की दुकान	कुल	भा. नि. वि. म. व बी. दुकानात
103.	"	नीटलगा चेजाराम नवलगढ़	28	बिसावा-
104.	"	मुकन्दगढ़	-	-
105.	"	डूण्डलोद	-	-
106.	"	जाखल	-	-
107.	"	गोठड़ा	-	-
108.	"	परसरामपुरा	-	-
109.	"	डूमरा	-	-
110.	"	बड़वासी	-	-
111.	"	बसावा	-	-
112.	"	चिराना	-	-
113.	"	झाझड़	-	-
114.	"	भोजनगर	-	-
115.	"	जाटवाली	-	-
116.	"	दीगाल	-	-
117.	"	बलवंतपुरा	-	-
118.	"	बिरोल	-	-
119.	"	कोलसिया	-	-
120.	"	खिरोड़	-	-
121.	"	बुगाला	-	-
122.	"	गाल्याणा	-	-

योग :- दे. मदिरा 122 कुल भा. नि. वि. म. 28

जिला डूंगरपुर का उपभोक्ता फोरम

570. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला डूंगरपुर में उपभोक्ता फोरम के कुल कितने सदस्य हैं ? इसमें कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जिला डूंगरपुर में उपभोक्ता फोरम में एक

(राज्य मंत्री, विधि)

अध्यक्ष एवं दो सदस्य हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य का कोई पद रिक्त नहीं है।

पंचायत समिति भिण्डर (उदयपुर) का विद्युतीकरण

571. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति भिण्डर जिला उदयपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण की कितनी योजनाएं स्वीकृत हैं ? ये योजनाएं कब स्वीकृत की गई एवं प्रत्येक योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कितना कार्य हो चुका है एवं कितना शेष है ? शेष कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(3) न्यूनतम आवश्यकता कार्य के अन्तर्गत स्वीकृत योजना कोड संख्या 179303 के अन्तर्गत भटेवर से बल्लभनगर 33/11 के.वी. लाइन एवं 325 पम्पसैट के कार्य की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति भिण्डर, जिला उदयपुर में वर्तमान में ग्रामीण विद्युतीकरण की तीन योजनाएं स्वीकृत हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	श्रेणी	कोड संख्या	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत ऋण राशि (लाखों में)
1.	एस.एन.पी.	179269	30.3.92	60.730
2.	एम.एन.पी.	179303	21.3.94	123.560
3.	एम.एन.पी.	179336	25.3.95	52.720

(2) उपरोक्त योजनाओं में मार्च, 96 तक का कार्य प्रगति विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	श्रेणी	कोड संख्या	ग्राम			कुंये		
			प्रावधान	कार्य हो चुका	शेष	प्रावधान	उर्जीकृत किये गये	शेष
1.	एम.एन.पी.	179269	49	15	34	60	60	-
2.	एम.एन.पी.	179303	-	-	–	300	300	-
3.	एम.एन.पी.	179336	14	-	14	60	60	–

(3) शेष रहे ग्रामों का विद्युतीकरण की नीति, आबंटित वित्त एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आगामी वर्षों में किया जाना संभव हो सकेगा।

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का ऋण प्रकरण

572. **श्री बनवारीलाल भिण्डा** (फतेहपुर) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से बैंक को फर्जी गारण्टी देकर वाहनों के फर्जी दस्तावेज पेश कर बोर्ड से 20 लाख रुपये उठाने का मामला वित्तीय वर्ष 1994-95 के सामने आया था ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभियोग भी थाना अशोक नगर जयपुर में दर्ज हुआ था ?

(3) उक्त प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी एवं फर्जी ठेकेदार दोषी पाये गये और उनके विरूद्ध क्या जिम्मेदारी आयद की गई ? इस सम्बन्ध में अब तक की गई जांच के क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जांच करने पर कृषि विपणन बोर्ड के खण्ड टोंक में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता श्री लक्ष्मीनारायण सिंघल फर्म मै. शिव बिल्डर्स इलाहाबाद के प्रबन्धक श्री एस.एन. अग्रवाल एवं परिवार के समस्त सदस्य तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया सिविल लाइन्स, इलाहाबाद को प्रथम दृष्टा दोषी पाया गया है। श्री सिंघल के पैत्रक विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। फर्म के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.1.96 को दर्ज करा दी गई है तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के विरुद्ध पूरक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.4.96 को थाना अशोक नगर, जयपुर में दर्ज कराई गई है। पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर द्वारा स्प्रिंकलर इर्रिगेशन सिस्टम हेतु अनुदान

573. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर ने स्प्रिंकलर इर्रिगेशन सिस्टम की अनुदान राशि बाबत माह अप्रेल, 1996 की कोई परिपत्र जारी किया है ? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र के अनुसार काश्तकारों को किस प्रक्रिया के अनुसार अनुदान राशि व ऋण प्रदान किये जायेंगे ?

(श्री भीमराज भाटी)

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं होने पर भी काश्तकारों को स्वीकृत ऋण प्रदान किया जाता था एवं अनुदान राशि प्राप्त होने पर काश्तकार के खाते में अनुदान की राशि जमा कर ली जाती थी ? यदि हां, तो किन कारणों से इस प्रक्रिया को बंद किया गया ?

(4) काश्तकारों को समय पर ऋण प्राप्त हो सके इस हेतु क्या सरकार राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की पूर्व निर्धारित ऋण प्रक्रिया को लागू कर उपरोक्त परिपत्र को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वांछित प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (संलग्न परिशिष्ट-1)

(2) उपरोक्त परिपत्र के अनुसार कृषक को ऋण एवं अनुदान राशि अलग-अलग दर्शाते हुए ऋण स्वीकृत किया जायेगा, जिसकी सूचना ऋणी कृषक एवं जिला स्तर पर कृषि विभाग को अनुदान आवेदन पत्र के साथ भेज दी जायेगी। जब अनुदान राशि प्राप्त हो जावेगी, तब अनुदान एवं ऋण राशि दोनों के सम्मिलित करते हुए कृषक या डीलर जहां जैसी व्यवस्था प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में हैं, वहां ऋणी सदस्य या डीलर को बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) जी हां, इसका मुख्य कारण यह हे कि कृषि विभाग से फव्वारा संयंत्रों हेतु, जाने वाली अनुदान राशि समय पर उपलब्ध न होने के कारण बैंकों के फण्ड्स अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि नाबार्ड द्वारा केवल ऋण राशि का ही पुनर्भरण किया जाता है। नाबार्ड द्वारा भी मार्च, 96 में इस प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति की। इसके साथ ही कृषक को पूर्ण राशि पर ही ब्याज देना पड़ता था। इसलिए इस प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के पश्चात् कृषक को अनुदान राशि कम करके ऋण राशि पर ब्याज देना होगा जो कि कृषक के हित में है। इसी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये ही पूर्व प्रक्रिया को बंद किया गया है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया को किसान एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के हित में निरस्त करने का विचार नहीं है। इस परिपत्र को निरस्त करने से कृषकों को अधिक राशि पर अधिक ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्वयं के फण्ड्स की भी कमी रहती है।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर

क्रमांक : फा. 24/प्र(हाईड्रो)/अनु/96-97/2181-215 दिनांक : 22.4.96

सचिव,

सहकारी भूमि विकास बैंक, लि.

विषय : ड्रिप एवं फव्वारा सैट्स पर ऋण वितरण एवं अनुदान देने के सम्बन्ध में।,

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कृषि विभाग के आदेश क्रमांक: 3825-3930 दिनांक 4.12.95 द्वारा अनुदान राशि बढ़ा दिये जाने के कारण कृषकों से फव्वारा सैट्स की मांग बढ़ गई है जबकि कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान राशि 2 से 3 माह तक प्राप्त नहीं हो पाती है।

अतः आपको, यह आदेश दिये जाते हैं कि अन्य अनुदानित ऋण वितरण योजनाओं की भांति ही ड्रिप एवं फव्वारा सैट्स में जब तक अनुदान राशि प्राप्त नहीं हो जाती है जब तक ऋण वितरण नहीं किया जावें।

इस विषय में बैंक के परिपत्र संख्या 266 दिनांक 22.2.96 के माध्यम से विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये थे ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय विसंगति न हों।

इस संबंध में लेख है कि नियमानुसार सम्बन्धित कृषक का ऋण एवं अनुदान राशि अलग-अलग दर्शाते हुए ऋण स्वीकृत किया जाएं एवं उसकी प्रति ऋणी कृषक एवं कृषि विभाग को भेज दी जावें। उसके साथ में कृषक द्वारा अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन पत्र भी संलग्न करके भेजा जावें। जब अनुदान राशि प्राप्त हो जावें तब अनुदान एवं ऋण की राशि दोनों को सम्मिलित करते हुए कृषक ऋणी या डीलर जहां जैसी व्यवस्था हो वहाँ ऋणी सदस्य या डीलर को चेक द्वारा भुगतान कर दिया जावे कृपया देख लें कि अनुदान का फार्म कृषि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण हो। भविष्य में इस प्रक्रिया के अनुसार ही फव्वारा सैट्स हेतु ऋण वितरण किया जावे। साथ ही अनुदान स्वीकृति हेतु लम्बित फव्वारा संयंत्र पत्रावलियों की सूचना भी अविलम्ब निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय

प्रबन्ध निदेशक

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में पशु चिकित्सालय

574. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशु चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या सरकार आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के ग्राम ओगणा, पानखा में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार

Page No.375

(श्री कुबेर सिंह)

रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार 7500 पशु इकाई तथा 10 किलोमीटर के दायरे में एक पशु चिकित्सा संस्था स्थापित करने के प्रयास किये जावें। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, भवन, आवागमन के साधन, डाक सुविधा आदि साधनों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(2) वर्तमान वर्ष में नये पशु सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं

जिला जालौर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

575. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की देबावास उच्च प्राथमिक स्कूल से 20 कि.मी. की परिधि में एवं रामा, रायथल, बाला, नोरवा, उच्च प्राथमिक स्कूलों से 10 कि.मी. की परिधि में कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्णित सभी उच्च प्राथमिक स्कूल बहुत ही पुराने हैं और बड़ी आबादी के ग्रामों में स्थित हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या इन उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं उक्त वर्णित तथ्यों को देखते हुए सरकार इन्हें शीघ्र सैकेण्डरी स्कूल के रूप में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल देबावास में 14 कि.मी., रामा से 9 कि.मी., रायथल से 8 कि.मी. बाला से 7 कि.मी. तथा नोरवा से 10 कि.मी. की दूरी पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय भवरानी स्थित है।

(2) देबावास सन् 1977 से, रामा सन् 1968 से रायथल सन् 1978 से बाला सन् 1986 से, तथा नोरवा सन् 1957-58 से उच्च प्राथमिक स्तर पर संचालित है तथा देबावास की जनसंख्या 2805 है, रामा की जनसंख्या 3556 है, रायथल की जनसंख्या 3661 है, बाला की जनसंख्या 3062 है तथा नोरवा की जनसंख्या 2029 है।

(3) राज्य सरकार विद्यालयों की क्रमोन्नति के समय निर्धारित मापदंड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत गुणावगुण के आधार पर विचार करती है। विद्यालय क्रमोन्नति के समय राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रस्तावों पर भी मानदंडों की पूर्ति करने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर गुणावगुण के आधार पर समग्र रूप से विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर द्वारा सड़कों का निर्माण

576. श्री अमराराम (धोद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमराराम)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सीकर द्वारा वित्तीय वर्ष 1994-95, 95-96 एवं 1996-97 में विभिन्न योजनाओं में सड़क निर्माण की वर्षवार कितनी स्वीकृतियां पंचायत समितिवार दी गई ? मई, 1996 तक उन पर कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रु. 1504.47 लाख लागत राशि के क्रमशः 187, 102 तथा शून्य सड़क निर्माण कार्य विभिन्न पंचायत समितियों में स्वीकृत किए गए थे, जिन पर योजनावार एवं वर्षवार मई 1996 तक क्रमशः 167.12 लाख, 571.52 लाख तथा 69.42 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 808.06 लाख रुपये राशि व्यय की गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट - "अ" पर उपलब्ध है।

पंचायत समितिवार व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 से 6 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम ललावंडी (अलवर) की भूमि खसरा नम्बर 660 पर अतिक्रमण

577. **श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम ललावंडी तहसील रामगढ़ (अलवर) में वर्तमान खसरा नं. 660 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, सम्वत् 2000 से अब तक किस-किस व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम दर्ज रहा है ? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त भूमि पर कभी कब्रिस्तान रहा है ? यदि हां, तो कब से कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त भूमि वर्तमान में किस नाम से दर्ज है एवं वर्तमान में इस खसरा नम्बर 660 पर किसका कब्जा है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करके निर्माण कार्य करने की कोशिश की गई है ? यदि हां, तो जिला प्रशासन ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) भविष्य में सरकार उक्त कब्रिस्तान की भूमि को किस उपयोग में लेने का विचार रखती है ?

(6) क्या कब्रिस्तान की भूमि की किस्म परिवर्तित की जा सकती है ? यदि हां, तो उसके क्या मानदण्ड है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम ललावंडी तहसील रामगढ़

(राजस्व मंत्री)

(अलवर) वर्तमान ख.नं. 660 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा साबिक ख. नं. 626 रकबा 14 बिस्वा, 627 रकबा 9 बिस्वा एवं 628 रकबा 4 बिस्वा थे। संवत् 2000 में ख. नं. 626 व 628 परिबक्श पुत्र हुसैनशाह की खातेदारी में दर्ज थे। एवं ख.नं. 627 मकबूजा अहले इस्लाम के नाम दर्ज था। ख.नं. 626 एवं 627 की किस्म गै.मु. कब्रिस्तान दर्ज थी तथा ख. नं. 628 को किस्म गै. मु. चाह दर्ज थी। सन 1947 में भारत-पाक विभाजन के समय ग्राम ललावंडी के समस्त मुसलमान गांव छोड़कर चले जाने पर (मफरूर होने पर) संवत 2009 की जमाबंदी में इंतकाल नं. 1638 के अमलोपरान्त ख.नं. 626, 627 एवं 628 महकमा कस्टोडियन राजस्थान सरकार दर्ज कर दिया गया। लेकिन भूमि की किस्म परिवर्तन होने से रह गई एवं संवत् 2017 तक गै. मु. कब्रिस्तान एवं गै. मु. चाह पूर्वानुसार ही दर्ज रही। भू-प्रबन्ध के समय संवत 2000 में वर्तमान ख. नं. 660 कि किस्म गै. मु. लाटा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज कर दी गई। शरणार्थियों के द्वारा इस गांव में 1947 के बाद आकर इस भूमि का उपयोग खलिहान के रूप में किया जाता रहा है। जमाबन्दी तैयारी संवत 2035 के समय पटवारी द्वारा ख. नं. 660 की किस्म गैमु. कब्रिस्तान बिना किसी आदेश आदि का अंकन कर कर दी गई। लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 166 के तहत शुद्धि पत्र द्वारा इस ख. नं. 660 की किस्म पुनः गै. मु. लाटा इस वर्ष दर्ज की गई है। वर्तमान में यह आराजी ख. नं. 660 कस्टोडियन सरकार के खाते में दर्ज है।

(2) जी नहीं। सन 1947 के बाद इस गांव के सभी मुसलमानों के गांव छोड़कर चले जाने के उपरान्त भूमि का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में नहीं किया गया। अपितु भूमि का उपयोग खलिहान के रूप में किया गया है। वर्ष 1947 से पूर्व मौके पर कब्रिस्तान के रूप में वास्तव में प्रयोग होने की जानकारी नहीं है।

(3) उपरोक्त भूमि वर्तमान में सरकार कस्टोडियन "गैमु. लाटा" के नाम से दर्ज है एवं वर्तमान में ख. नं. 660 पर थानाधिकारी, रामगढ़ रिसीवर मुकर्रर है।

(4) जी हां। ख. नं. 660 पर गांव में आकर बसे शरणार्थी सिख समुदाय द्वारा जोत लगा कर उसमें पक्की चबुतरी बनाकर निशान सहाब का झण्डा लगाया गया था, जो बगैर स्वीकृति के लगाया गया। जिसमें दस व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान धार्मिक स्थल अधिनियम की धारा 11 का उल्लंघन होने पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अलवर के यहां दिनांक 22.2.96 को इस्तगासा पेश किया गया। जो अभी विचाराधीन है। उप जिला मजिस्ट्रेट, अलवर के यहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत इस्तगासा पेश किये जाने पर उप जिला मजिस्ट्रेट, अलवर न्यायालय ने पत्रांक 394 दिनांक 29.2.96 द्वारा भारसाधक अधिकारी, थाना रामगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया गया।

(राजस्व मंत्री)

(5) भूमि का प्रकरण न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अलवर के यहां विचाराधीन है। निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) जी नहीं। कब्रिस्तान की भूमि की किस्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि भूमि का उपयोग उसके उद्देश्यों के विपरीत लम्बे समय तक होता रहे तो भू-प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान तरतीब कार्य (भूमि वर्गीकरण) के समय मौके के अनुसार भूमि की किस्म को निर्धारण कर लिया जाता है।

भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि का आबंटन

578. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं)** : क्या मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को भारत-पाक सीमा पर खेती करने हेतु प्रेरित करने के लिए कृषि भूमि का आबंटन किया गया है ? यदि हां तो कितने पूर्व सैनिकों को उक्त क्षेत्रांतर्गत कुल कितनी भूमि का आबंटन किया गया ?

(2) क्या उक्त आबंटित भूमि में नहरी पानी वितरित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व सैनिकों को आबंटित भूमि कृषि के लिये विकसित हो तथा आवंटी को लाभ देने वाली हो, इस हेतु पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विशेष प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

उपनिवेशन विभाग द्वारा भारत पाक सीमावर्ती जिलों में भूतपूर्व सैनिकों को निम्नानुसार आबंटन किया गया है :

प्रथम चरण :

श्रेणी	आवंटिती सं.	कमांड	अनकमांड	योग
भूतपूर्व सैनिक	705	3356	76	3432
द्वितीय चरण				
भूतपूर्व सैनिक	2690	11601	3372	14973
सी.सु. बल के भू.पू. कर्मी	402	1834	299	21331

(मुख्य (सैनिक कल्याण) मंत्री)

(2) आबंटित अनकमाण्ड भूमि पर पानी ...ा ही नहीं जाता है, आवंटित कमाण्ड भूमि पर नहरी पानी वितरित किया जाता है। जिन वितरिकाओं एवं खालों का निर्माण हो चुका है, वहां नहरी पानी वितरण किया जा रहा है, कुछ क्षेत्रों में खालें एवं वितरिकाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसके पूर्ण होने पर पानी का वितरण किया जायेगा।

(3) विभाग द्वारा सिंचित क्षेत्र में सामान्य रूप से सभी सामान्य श्रेणी के आबंटियों हेतु मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिनका उपयोग पूर्व सैनिक आबंटियों द्वारा भी किया जाता है। सामान्य आबंटियों हेतु विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दो वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न एवं ब्याजमुक्त ऋण दिया जाता है। इसके साथ ही अधिकतम दो हैक्टेयर भूमि समतल करने हेतु आबंटियों को अनुदान भी दिया जाता है। विभाग द्वारा सिंचित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल एवं जल संचय हेतु डिग्गियों का निर्माण करवाया जाता है। विभाग द्वारा वन विकास के कार्य भी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्नत कृषि के विस्तार हेतु कृषि विस्तार के कई कार्यक्रम सिंचित क्षेत्र विकास में चलाये जाते हैं। विभाग की उपनगर नियोजन इकाई द्वारा आबादी प्लानिंग एवं मण्डी विकास के कार्य भी किये जाते हैं।

ग्राम उद्धट (जोधपुर) का विद्युतीकरण

579. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम उद्धट पंचायत समिति बाप, जिला जोधपुर को लगभग दो वर्ष पूर्व विद्युतीकरण घोषित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम के लगभग 50 परिवारों ने विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र नियमानुसार भर रखे हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त में से किसी भी परिवार को अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार इन व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन देने का विचार रखते है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति बाप जिला जोधपुर के ग्राम उद्धट को दिनांक 31.3.94 को विद्युतीकृत घोषित किया गया था।

(2) जी हां। ग्राम उद्धट में दिनांक 31.3.96 तक विभिन्न मोहल्लों में बसे परिवारों के घरेलू संबंध हेतु 105 आवेदन प्राप्त हुये, लेकिन अभी तक किसी को भी कनेक्शन नहीं दिया गया क्योंकि एलटी. लाइन अधिक लम्बी खींचने के कारण आवेदकों को अधिक वित्तीय भार वहन करना पड़ता था। इसलिए कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(3) वर्तमान में आवेदकों को विद्युत संबंध देने हेतु तकनीकी दृष्टि से अलग-अलग ग्रुप स्कीम बनाकर नियमानुसार मांग पत्र जारी

(ऊर्जा मंत्री)

कर दिये गये हैं। आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराये जाने तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने पर विद्युत संबंध दे दिये जायेंगे।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन का जल ग्रहण विकास कार्यक्रम

580. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में जल ग्रहण विकास कार्यक्रम कब से प्रारम्भ किया गया है तथा अब तक इस योजना पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों में ग्रामीणों का सहयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं तो क्यों ?

(3) इस कार्यक्रम में व्यय की गई राशि की क्या उपयोगिता है ? तथा क्षेत्र की जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक जलग्रहण क्षेत्र चिनायता में वर्ष 1991-92 से प्रारम्भ किया गया है। अब तक इस कार्य पर रु. 65,83,377/- व्यय किये गये।

(2) जी हां। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों का सहयोग लिया जा रहा है। योजना की क्रियान्विति ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम सभा में ग्रामवासियों द्वारा चयनित यूजर्स स[illegible] माध्यम से की जा रही हैं। योजना तैय[illegible] समय ग्रामवासियों एवं यूजर्स समिति [illegible] की जरूरत एवं इस हेतु उपलब्ध प्रावधानों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाती हैं तथा उसी अनुरूप कार्य योजना तैयार की जाती है। ग्रामवासियों के सहयोग के कारण ही निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि में कार्य कराया जाना संभव हो पाया है। योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु भी विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अंशदान ग्रामवासियों द्वारा श्रमदान के रूप में वहन किया जा रहा है। यूजर्स समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विभाग द्वारा नियमानुसार आंकलन कर भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से यूजर्स समितियों को किया जाता है। श्रमिकों को भुगतान एवं विभिन्न गतिविधियों पर व्यय राशि के विवरण का संधारण भी यूजर्स समिति द्वारा ही किया जाता है। योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण, फलदार पौधे लगाने, फसल, चारा प्रदर्शन लगाने, कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु प्रशिक्षण, कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामवासियों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित किया जाता हैं।

ग्रामवासियों के दूसरे जलग्रहण क्षेत्रों के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं जिससे कि उन जलग्रहण क्षेत्रों में अपनायी गयी तकनीक के संबंध में वहां के कृषकों से चर्चा कर सके एवं वहीं तकनीक उनके क्षेत्र एवं जलवायु के अनुरूप उपयुक्त हो तो कृषकों द्वारा अपनायी जा सके।

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) इस कार्यक्रम में व्यय की गयी राशि क्षेत्र में उपयोगी रही है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत कराये गये कार्यों में कृषि योग्य भूमि में वर्षा के पानी को संरक्षित करने हेतु समोच्च वानस्पतिक अवरोध स्थापित कर एवं उपयुक्त फसल प्रणाली अपनाने हेतु प्रदर्शन लगाकर कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु नवीनतम तकनीक अपनाने हेतु प्रेरित किया गया हैं। जलग्रहण विकास नालियों का उपचार कर वर्षा जल को संरक्षित किया गया है। कृषि अयोग्य भूमि में मिट्टी की गहरायी तथा संरक्षित नमी के अनुरूप घास, झाड़ी और वृक्ष प्रजातियां जो कि चारे, ईंधन, लकड़ी तथा फलों के लिये उपयुक्त हो विकसित की गयी है। जिससे की भविष्य में स्थायी तौर पर इस क्षेत्र की मांग की पूर्ति स्थानीय स्तर पर हो सके। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

तिलम संघ में नियुक्तियों में अनियमितताएं

581. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तिलम संघ में की गई भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रोस्टर में अनियमितताएं पाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त भर्तियों के लिए क्या कोई जांच प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के विरुद्ध ?

(3) क्या उक्त प्रकरण में कोई अधिकारी जिम्मेदार है ? यदि हां, तो कौन ?

उत्तर

(1) तिलम संघ में की गई भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रोस्टर में क्या कोई अनियमितता हुई है इस बात की जांच धारा 70 के अन्तर्गत सहकारी विभाग द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही यह ज्ञात हो सकेगा कि क्या कोई अनियमितता हुई है।

(2) हां, राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के तहत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक फा. 1 (12) सविरा/प्रोसे/93 दिनांक 15.6.96 के द्वारा जांच प्रारम्भ कर दी गई है। भर्ती संबंधी सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कार्यवाही जारी है।

(3) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही जिम्मेदारी का निर्धारण हो सकेगा।

जिला सवाईमाधोपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र

582. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? एवं उनमें से कितनी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बन्द हैं तथा कितने चालू हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों को दिया जाने वाला पोषाहार कहां पर तैयार किया जाता है, इसके वितरण की क्या व्यवस्था है तथा कौन-कौन सा पोषाहार वितरित किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में कुल 1411 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। उनमें से 316 केन्द्र अभी प्रारम्भ नहीं हुए एवं 1095 केन्द्र चालू है। चालू केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखी दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों को दिया जाने वाला पोषाहार भारत सरकार के उपक्रम मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर द्वारा तैयार किया जाता है। परियोजना तक वितरण की व्यवस्था मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज द्वारा तथा परियोजना से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक परिवहनकर्ताओं के माध्यम से वितरण की जाती है। पोषाहार में मुरमुरे 2 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को एवं पंजीरी 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों को वितरण किया जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति कोटपूतली (जयपुर) के उच्च प्राथमिक विद्यालय

583. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सरकारी की नीति है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा और तद्विषयक घोषणा विगत बजट भाषण में की गई थी ? यदि हां, तो पंचायत समिति, कोटपूतली के पंचायत मुख्यालय मालपुरा कल्याणपुरा खुर्द, मोलाहेड़ा चतुर्भुज में विद्यालय क्यों नहीं, खोला गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जावेंगे ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पंचायत मुख्यालयों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की नीति है तथा तद्विषयक घोषणा वर्ष 1995-96 के बजट भाषण में भी की गई थी। पंचायत समिति कोटपूतली के ग्राम मालपुरा जो ग्राम पंचायत क्षेत्र केशवाना राजपूत का ग्राम है। इस पंचायत के ग्राम मोरदा, ग्राम पचांयत कल्याणपुर खुर्द के ग्राम रोहेड़ा एवं पूतला में ग्राम मोल्याहेड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय सांगटेडा में तथा ग्राम पंचायत चतुर्भुज के ग्राम बड़ावास में उच्च प्राथमिक स्कूल की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

(2) इस वर्ष 600 प्राथमिक विद्यालयों

(शिक्षा मंत्री)

को उच्च प्राथमिक स्तर में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है। किन्तु प्राथमिकता उच्च प्राथमिक विद्यालय विहीन पंचायत क्षेत्रों को दी जायेगी। उपरोक्त पंचायत क्षेत्र में उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा पहले से उपलब्ध है।

बनास बेसीन, राजसमंद पर एनीकट्स का निर्माण

584. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, राजसमन्द में भूमिगत जल स्तर तीव्रगति से नीचे जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र का जल स्तर बढ़ाने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण राजसमन्द बनास बेसीन पर एनीकट्स बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भूजल विभाग के वर्ष 1984 से अब तक विस्तृत भूजल सर्वेक्षण के अनुसार राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति राजसमन्द क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर में वर्ष 1995-96 में 0.31 मीटर एवं पंचायत समिति रेलमगरा क्षेत्र में औसतन 6.42 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है।

(2) बनास बेसीन पर एनीकटों के निर्माण के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण राजसमन्द के कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में राजस्व मण्डल की बैंचों की स्थापना

585. **श्री राधेश्याम गंगानगर** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राजस्व के हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के सर्वाधिक प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजस्व मुकदमों/प्रकरणों के निपटाने हेतु राजस्व मण्डल की बैंचें लगाये जाने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों पर ?

(3) राजस्व मण्डल, अजमेर की अतिरिक्त बैंच स्थापित किये जाने के आधार क्या हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों के सर्वाधिक प्रकरण को दृष्टिगत रखकर राजस्व मण्डल की माह में एक बार नियमित तौर पर सुनवाई हेतु श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में बैंचें स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्व मण्डल में विभिन्न अधिनियमों के तहत कुल 14,165 प्रकरण विचाराधीन हैं, जिसमें से श्री गंगानगर जिले के 1419 एवं हनुमानगढ़ जिले के 243 प्रकरण विचाराधीन है।

(राजस्व मंत्री)

(2) राजस्व मुकदमों/प्रकरणों के निपटाने हेतु राजस्व मण्डल की बैंचे अजमेर मुख्यालय के अतिरिक्त जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर व उदयपुर पर लगाये जाने की व्यवस्था की गई है।

(3) राज्य स्तर एवं राजस्व मण्डल स्तर से निर्देश जारी कर राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच स्थापित की जा सकती है।

(4) श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के राजस्व वादों का निस्तारण अजमेर मुख्यालय के अतिरिक्त बीकानेर मुख्यालय पर स्थापित सर्किट बैंच द्वारा किया जाता है। 1.4.95 से 30.6.96 तक अवधि में राजस्व मण्डल द्वारा श्रीगंगानगर के 804 मामलों का तथा हनुमानगढ़ के 87 मामलों का निस्तारण किया गया है। शेष लम्बित मामलों का निस्तारण शीघ्र होने की सम्भावना है। श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच स्थापित किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शीघ्रलिपि संयुक्त परीक्षा, 1995

586. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11, 12 व 13 मई, 1996 को शीघ्रलिपि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1995 आयोजित की गई ? यदि हां, तो तिथिवार कितने परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परीक्षा में निर्धारित समय से कम या अधिक समय दिये जाने, निश्चित गति से डिक्टेशन न देकर कम या अधिक गति से डिक्टेशन दिये जाने, अनुभवहीन परीक्षकों द्वारा डिक्टेशन दिये जाने एवं संबंधित विद्यालय स्टाफ द्वारा वार्ता कर परीक्षार्थियों को विघ्न पहुंचाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि परीक्षार्थियों को लिप्यांतरण हेतु दिये गये निर्धारित समय के दौरान ही विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण करने को बाध्य किया गया एवं लिप्यांतरण प्रारम्भ करने की सूचना न देकर निर्धारित समय से कम समय दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

(4) आयोग एवं संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही एवं अनियमितताओं के कारण जो छात्र प्रश्न-पत्र पूरा नहीं कर सके, उनके विषय में आयोग क्या निर्णय लेने जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज. लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11, 12 व 13 मई, 1996 को शीघ्रलिपि

(मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री)

संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1995 आयोजित की गई थी। दिनांक वार उपस्थित हुए अभ्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है :-

दिनांक	उपस्थित हुए अभ्यार्थियों की संख्या
11.5.96	2786
12.5.96	1782
13.5.96	1402

(2) केवल गति से कम या अधिक गति से डिक्टेशन दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में संबंधित केन्द्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक एवं सतर्कता दल से जानकारी किये जाने पर कोई अनियमितता होना नहीं पाया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र

587. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किन-किन उद्योगों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरण नहीं लगाए हुए हैं।

(2) उद्योगों द्वारा उक्त डिफाल्ट कब से किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे उद्योगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(4) राज्य में प्रदूषण नियंत्रण में कोताही बरतने के कारण किन-किन उद्योगों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही पिछले तीन वर्षों से की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले एवं वर्तमान में कार्यरत 7 उद्योगों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपकरण नहीं लगा रखे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उद्योगों द्वारा कब से डिफाल्ट किया जा रहा है, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उल्लेखित है।

(3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा ऐसे उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल दिनांक 1.4.93 से 31.3.96 को अविध के बीच जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों के समक्ष कुल 83 मुकदमें दायर किये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त राज्य मण्डल द्वारा कोताही बरतने वाली 13 उद्योगों को बंद करवाने, जल एवं विद्युत आपूर्ति विच्छेद करवाने को भी कार्यवाही की है, जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डी माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा) द्वारा सड़कों का निर्माण

588. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) :** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की कृषि उपज मण्डी, माण्डलगढ़ द्वारा खंगार जी का खेड़ा, गोविन्दपुरा, पदमपुरा सड़क के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) यह राशि कब स्वीकृत की गई तथा क्या राशि स्वीकृत होने के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब यह निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9.2.96 के द्वारा 27.75 लाख रुपये की विशेष अनुदान कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़ की अधूरी सड़क खंगार जी का खेड़ा से चित्तौड़िया हेतु स्वीकृत किया गया है।

(2) उक्त स्वीकृति की अनुपालना में वर्ष 95-96 हेतु 0.75 लाख रुपये मण्डी समिति को दिनांक 2.3.96 को भिजवाये गये तथा उक्त कार्य हेतु निविदाएं प्राप्त की जा रही है। निविदाएं प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी

वृहत बहुधन्धी सहकारी समिति, बिलाड़ा (जोधपुर)

589. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वृहत बहुधन्धी सहकारी समिति, बिलाड़ा के निर्वाचित संचालक मण्डल को भंग कर प्रशासक नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा क्यों ?

(2) क्या इस सहकारी समिति में भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। बिलाड़ा वृहत बहुद्देशीय सहकारी समिति लि. बिलाड़ा में संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर के आदेश क्रमांक 6261 दिनांक 4.8.94 के द्वारा निर्वाचित संचालक मण्डल भंग कर प्रशासक लगाया गया है। निर्वाचित संचालक मण्डल की निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के कारण संचालक मण्डल को भंग कर प्रशासक लगाया गया।

(2) जी, हां। जांच कराये जाने पर शिकायतें सही नहीं पाई गई।

परिशिष्ट - 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 454 की सूची)

वर्ष 1981-82, 1982-83 एवं 83-84 में निजी सहायक के पद पर वरिष्ठता एवं प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति हुए कर्मचारियों की सूची ।

वर्ष 1981-82

1.	श्री बुद्धि प्रकाश वर्मा	वरिष्ठता के आधार पर
2.	श्री भोलाराम पारीक	वरिष्ठता के आधार पर

वर्ष 1982-83

1.	श्री सियाशरण आमेरया	वरिष्ठता के आधार पर
2.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर
3.	श्री मनोहर लाल असाड़ा	"-"
4.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	"-"
5.	श्री किशन चन्द	"-"
6.	श्री भगवान दास ईसरानी	"-"
7.	श्री किरण बाबू माथुर	"-"
8.	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	"-"
9.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	"-"
10.	श्री गोवर्धनलाल महाजन	"-"
11.	श्री भंवरलाल सैनी	"-"
12.	श्री अब्दुल जब्बीर अंसारी	"-"
13.	श्री रमेश चन्द	"-"
14.	श्री भगवती प्रसाद शर्मा	"-"
15.	श्री अबल सिंह	"-"

वर्ष 1983-84

1.	श्री कंवर किशोर माथुर	वरिष्ठता के आधार पर
2.	श्रीमती शुभलक्ष्मी अय्यर	"-"
3.	श्री टीकमचन्द जैन	"-"

3.	श्री टीकमचन्द जैन	"-"
4.	श्री विनोद कुमार शर्मा	प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर
5.	श्री मुख्त्यार अहमद	"-"
6.	श्री हरिहरन नायर	"-"
7.	श्री नारायणदास तीर्थानी	"-"
8.	श्री नृसिंह लाल टिंकर	"-"
9.	श्री रामनारायण	"-"
10.	श्री कृपाशंकर शर्मा	"-"
11.	श्री सुमन कुमार जोशी	"-"
12.	श्री सियाराम गुर्जर	"-"
13.	श्री गोविन्द राम आईलानी	"-"
14.	श्री राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया	"-"
15.	श्री चन्द्रभान सिंह नरूका	"-"
16.	श्री चन्द्रप्रकाश अगनानी	"-"
17.	श्री शंकरलाल बालोटिया (अ.ज़ा.)	"-"

परिशिष्ट - "अ"

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न सं. 456 की सूचना)

बीयर खरीद विवरण वर्ष 1994-95

(दर प्रति दर्जन चुंगी, आबकारी शुल्क रहित)

क्र. सं.	फर्म का नाम	बीयर ब्रान्ड्स	दर प्रति दर्जन	अप्रैल 94	मई 94	जून 94	जुलाई 94	अगस्त 94	सित. 94	अक्टू. 94	नव. 94	दिस. 94	जन. 95	फर. 95	मार्च 95	कुल प्राप्त मात्रा दर्जन में
1.	मैं. दीवान मोर्डन ब्रेवरीज लि.	गौड फादर	162.00	3750	11250	7500	–	3750	11250	7500	–	7500	15000	–	17250	84750
2.	मोहन मिकिन्स लि.	गोल्डन ईगल	152.00	6750	750	1500	–	3750	–	–	3750	–	2250	1500	7500	27750
3.	हरियाण बैव लि.	रोजी पैलिकन	135.00	2100	1400	–	–	–	–	–	–	3750	–	5250	7500	20000
4.	मोहन गील्ड वाटर बैवरीज	गुरु	181.00	4500	3750	750	3000	6000	1500	–	7500	–	3750	3750	3000	37500
5.	इन्डो सेवन बैवरीज लि.	बुलैट	166.00	–	15000	15000	19500	3750	15000	7500	–	15000	–	7500	17250	115500
		किंगफिशार	148.00	–	15000	11250	7500	3750	7500	7500	–	7500	7500	3750	15000	86250
6.	शावेलेस एंड कम्पनी	हैवर्ड 5000	184.00	–	3500	–	3000	5150	4350	12750	–	3750	7500	3750	22500	66250
7.	मै. शिवालिक ब्रेवररज लि.	थण्डर बोल्ट	166.00	–	–	4000	–	5250	–	3750	–	–	5000	5250	20250	44500
8.	मै. पंजाब ब्रेवरीज लि.	कल्याणी(माइन)	154.00	–	–	1500	3750	–	3750	3750	–	–	–	–	5250	14250
9.	मै. इनीशिया इ. लि.	टबौ	166.00	–	–	–	3750	3750	7500	–	–	7500	–	–	6750	29250

क्र. सं.	फर्म का नाम	बीयर ब्रान्ड्स	दर प्रति दर्जन	अप्रेल 94	मई 94	जून 94	जुलाई 94	अगस्त 94	सित. 94	अक्टू. 94	नव. 94	दिस. 94	जन. 95	फर. 95	मार्च 95	कुल प्राप्त मात्रा दर्जन में
10.	मै. जार्रलिम बैवरिज लि.	न्यूकैनन	175.00	–	–	–	–	3750	–	–	–	–	2250	1500	1500	9000
11.	मै. नारंग बैवरीज लि.	यूबी एक्सपोर्ट	144.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750	–	1500	2250
	कल्याणी (स्ट्रॉंग)		156.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1500	–	1500	3000
12.	मै. शावेलेस	रोयल चैलेन्ज	160.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2250	5250	7500
13.	मै. राजस्थान ब्रेवरीज लि.	स्टोज (स्ट्रॉंग)	254.62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2880	4320	7200
		स्ट्रोज (माइल्ड)	236.08	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2880	4320	7200
14.	मै. मैसूर ब्रेवरीज लि.	नाक आउट	175.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	750	2050	2800
	कुल योग			17100	50650	41500	40500	38900	47100	42750	11250	45000	46500	41010	142690	564950

परिशिष्ट "ब"

बीयर खरीद विवरण वर्ष 1995-96

(प्राप्त मात्रा दर्जनों में)

क्र. सं.	फर्म का नाम	बीयर ब्रान्ड्स	दर प्रति दर्जन	अप्रैल 95	मई 95	जून 95	जुलाई 95	अगस्त 95	सित. 95	अक्टू. 95	नव. 95	दिस. 95	जन. 96	फर. 96	मार्च 96	कुल प्राप्त मात्रा दर्जन में
1.	मै. यूनाइटेड ब्रेवरीज	बुलट स्ट्रॉंग	168.00	–	–	4500	3750	10500	3800	3750	–	–	–	–	–	30000
		किंग फिशर मा.	148.00	–	–	3000	4500	12000	15000	12000	–	–	–	15000	38500	100000
2.	मै. बरलिन ब्रेवरीज	न्यूकैनन स्ट्रॉंग	155.00	–	–	–	3000	–	–	–	–	–	–	–	7000	10000
3.	मै. दीवान मोडर्न ब्रेवरीज लि.	गौड फादर	155.00	–	6000	10500	24750	9000	7500	7500	7500	11250	11250	18750	31500	145500
4.	मै. मा. शिवालिक ब्रेवरीज	थण्डर बोल्ट	155.00	–	–	11250	15000	3750	5250	–	6000	–	–	22600	17500	81350
5.	मै. इनरसीया इंण्ड लि.	टर्बो स्ट्रोंग	155.00	–	6750	750	6750	8250	–	–	3750	–	3000	4500	8250	42000
		सैन्ड पाईपर	138.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1500	6000	7500
6.	मै. शॉवलेस एण्ड कम्पनी	हैवर्ड 5000	155.00	–	–	–	–	7500	6750	750	9000	4500	4500	10500	6500	50000
		रोयल चैलेन्ज	149.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5250	2250	7500
7.	मै. मोहन मिकिन्स लि.	गोल्डन ईगल	138.00	–	3000	4500	4500	–	1400	1400	–	–	2100	–	18200	35100
8.	मै. हरियाणा ब्रेवरीज लि.	रोजी	137.00	–	3750	–	7500	2250	750	1500	–	–	–	–	–	15750
9.	मै. नारंग ब्रेवरीज प्रा.लि.	ब्लेकले. कल्या.	155.00	–	1500	–	2250	–	750	1500	750	–	2100	2800	2100	13750
		यूबी (एक्सपोर्ट)	144.00	–	750	–	1500	–	750	1500	–	–	–	3550	–	8050
	कुल योग			–	21750	34500	73500	53250	45650	29900	27000	15750	28950	84450	137500	546500

परिशिष्ट - 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 457 की सूची)

क्र.सं भवन का नाम

1. तहसील भवन तीन चौक, आमेर।
2. पुराना तहसील भवन दो चौक, आमेर।
3. पुलिस स्टेशन, आमेर।
4. सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल आमेर।
5. राजकीय अस्पताल आमेर।
6. राधारी भवन आमेर।
7. होटीकल्चरिष्ट कार्यालय, रामनिवास बाग जयपुर।
8. एन.सी.सी. कार्यालय रामनिवास बाग, जयपुर।

क्र.सं.	भवन का नाम	वर्तमान में भवन पर स्वामित्व	किराये/कब्जे करने वाले व्यक्ति/संस्था का विवरण
1.	तहसील भवन तीन चौक, आमेर	अ- प्रथम चौक हाथी स्टैण्ड पर्यटन विभाग।	-
		ब- दूसरा चौक तहसील कार्यालय, आमेर।	-
		स- तीसरा चौक पंचायत समिति, कार्यालय, आमेर	-
2.	पुराना तहसील भवन दो चौक, आमेर	अ-प्रथम चौक पटवार घर	-
		ब- द्वितीय एवं प्रथम चौक का दक्षिण पश्चिम भाग प्राइवेट हैंडीक्राफ्ट शोरूम	सुश्री विमला श्रीवास्तव किराये पर/कब्जे में
		स- ऊपर की मंजिल तहसील एवं पंचायत समिति के कर्मचारी/अधिकारियों के रहने के प्रयोग में	-
3.	पुलिस थाना, आमेर	पुलिस विभाग, थाना आमेर	-

1	2	3	4
4.	सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, आमेर	शिक्षा विभाग के आधीन	-
5.	राजकीय अस्पताल आमेर	स्वास्थ्य विभाग के आधीन	-
6.	राधारी भवन गांधी चौक	अ-कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता सानिवि. आमेर (भूतल)	
		ब- कांग्रेस कार्यालय प्रथम तल	कांग्रेस (आई)
7.	होटीकल्चरिष्ट कार्यालय रामनिवास बाग जयपुर	होटीकल्चरिष्ट विभाग	-
8.	एन.सी.सी. कार्यालय रामनिवास बाग, जयपुर	एन.सी.सी. विभाग	-

परिशिष्ट - 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 458 की सूची)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की सूची

क्र.स.	नाम ग्राम	क्र.स.	नाम ग्राम
1.	देवता	2.	छारदड़ा
3.	बनार	4.	पानेड़ा
5.	बनेटी	6.	रामगढ़
7.	रामनगर	8.	कल्यापुरा कलां
9.	कुहाडा	10.	चुरी
11.	पवाला राजपूत	12.	पदमा की ढाणी
13.	नारेहडा	14.	नवल कुशालपुरा
15.	चिमनपुरा	16.	कायमपुरा वास
17.	भौपतपुरा	18.	खेंडानिहालपुर
19.	सरूण्ड	20.	भोजावास
21.	जगदीशपुरा	22.	श्यामनगर

क्र.स.	नाम ग्राम	क्र.स.	नाम ग्राम
23.	खडब	24.	पिचानी
25.	कांसली	26.	किरतपुरा
27.	फतेहपुरा कलां	28.	शुक्लावास
29.	पथाना अहीर	30.	रायकरणपुरा
31.	अमरपुरा	32.	नृसिंहपुरा
33.	धवाली	34.	हसनपुरा
35.	बसराना	36.	जयसिंहपुरा
37.	करवास	38.	अजीतपुरा खुर्द
39.	पूरणनगर	40.	गोनेड़ा
41.	केशवानागूजर	42.	चेची का नांगल
43.	पनियाला	44.	कालूहेड़ा
45.	खेडकी मुकड़	46.	मलपुरा
47.	मोश्था	48.	केशवाना राजपूत
49.	सांगटेडा	50.	शेखपुर
51.	मोलाहेड़ा	52.	वींजाहेडा
53.	गोपालपुरा	54.	बनका
55.	रामसिंहपुरा	56.	नोरंगपुरा
57.	चानचकी	58.	खरकडी
59.	खेडकी वीरभान	60.	बासड़ी
61.	बडावास	62.	बूचाहेड़ा
63.	बालाबास	64.	नांगल पंडितपुरा
65.	नांगडीवास	66.	टमोरीवास
67.	हांसियावास	68.	जाहिदपुरा
69.	चतुर्भुज	70.	गोपीपुरा
71.	बामनवास	72.	टापरी

Page No.395

क्र.स. नाम ग्राम	क्र.स. नाम ग्राम
73. कल्याणपुरा खुर्द	74. पूतली
75. राहेड़ा	76. सुन्दरपुरा
77. खुर्को	78. अमाई
79. गोरधनपुरा	80. महरमपुर नवाब
81. कंवरपुरा	82. पाथरेड़ी
83. पेजूक	84. दादूका
85. रघुनाथपुरा	86. भालोजी
87. बसई	88. प्रागपुरा
89. पावटा	90. ललाना
91. बडनगर	92. तुलसीपुरा
93. राजनौता	94. कारोली
95. मंढा	96. पंचपहाड़ी
97. भांकली	98. जोधपुरा
99. किराडोद	100. कल्याणपुरा
101. आसपुरा	102. पाछोडाला
103. ठीकरीया	104. टोरडा ब्राह्मण
105. खेलना	106. लाडाकावास
107. कूनेड	108. मोनावास
109. पुरुषोत्तमपुरा	110. बेरी
111. सुदरपुरा	112. ढाढा
113. दांतिल	114. गुलाबढ
115. तालवा	116. बूचारा
117. मोहनपुरा	118. कूजोता
119. महरमपुर राजपूत	120. अजीतपुरा कलां
121. पण्डितपुरा	122. रामपुरा

क्र.स. नाम ग्राम	क्र.स. नाम ग्राम
123. मांजूकोट	124. काकराना
125. भैंसलाना	126. भूरीभड़ाज
127. द्वारिकापुरी	128. बीणगोर
129. मीरापुरा	130. बीडलौदा
131. सुजातनगर	132. टसकोला
133. फतेहपुरा खुर्द	134. रामपुरा
135. टोरड़ा	136. चान्दोली
137. दूदावास	138. जोधपुरा

ह.
जिला कलेक्टर,
जयपुर

परिशिष्ट - 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 460 का प्रतिवेदन)

कार्यालय अपर कलक्टर, नागौर के पत्र क्रमांक एडीएम/जांच/95/914 दिनांक 28.11.95 की प्रतिलिपि ।

जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर।

विषय : — दिनांक 29.9.95 को ग्राम मणु, तहसील लाडनूं में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अतिक्रमी एवं पुलिस के बीच घटित घटना के संबंध में जांच बाबत।

सन्दर्भ : — श्रीमान् के पत्र क्रमांक - 2037/38/पीए/दिनांक 30.9.95 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देशानुसार उक्त घटना की जांच गवाहों के बयानों व मौका अवलोकन करके की गयी है। जांच के दौरान ग्राम के सरपंच, अतिक्रमी, राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा अतिक्रमी के निकटतम पड़ौसी केसाराम मेघवाल के बयान दर्ज किये गये। जिनके बयानात के आधार पर यह पाया गया कि तहसीलदार, लाडनूं श्री पोकरमल दिनांक 28.9.95 को ही सायंकाल ग्राम मणु में अतिक्रमी श्री गुमानसिंह द्वारा अतिक्रमित क्षेत्र की फसल को नष्ट करने के लिये मौके पर मय पुलिस जाब्ते एवं राजस्व कर्मचारियों के पहुंचे थे। परन्तु उस दिन अतिक्रमी श्री गुमानसिंह उन्हें मौके पर नहीं मिले एवं अंधेरा होने के कारण उस दिन केवल 1-2 बिस्वा भूमि से ही अतिक्रमण हटाया जा सका। दिं. 28.9.95 को अतिक्रमित क्षेत्र से लौटते वक्त तहसीलदार, लाडनूं द्वारा मणु के ग्रामवासियों को कहा कि दिनांक 29.9.95 को ग्रामवासी को अपने पशुओं से अतिक्रमी गुमानसिंह की फसल नष्ट करवायें व यह कार्यवाही के स्वयं तहसीलदार, पुलिस जाब्ता व राजस्व कर्मचारियों की उपस्थिति में करें। परन्तु ग्रामवासियों ने अपने पशु उपलब्ध कराने से

इन्कार कर दिया। यह बात सरपंच खेताराम के अपने बयान में स्पष्ट होती है। सरपंच खेताराम ने अपने बयान में इसका कारण अतिक्रमी गुमानसिंह का झगड़ालू प्रवृत्ति का होना बताया।

दिनांक 28.9.95 को तहसीलदार, लाडनूं के साथ में गये प्रहलाद चंद साईकिल सवार, द्वारका प्रसाद राजस्व निरीक्षक, संतोषकुमार, मुकनाराम, सुमेरसिंह कानि व श्री लादूसिंह वाहन चालक ने एवं स्वंय तहसीलदार, लाडनूं ने यह अनुभव किया कि अतिक्रमी गुमानसिंह का लड़का शम्भूसिंह खतरनाक प्रवृति का व्यक्ति है एवं वह आक्रमण कर सकता है। तहसीलदार, लाडनूं श्री पोकरमल ने अपने बयानों में भी बताया कि अतिक्रमी श्री गुमानसिंह एवं उसका लड़का शम्भूसिंह आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। दिनांक 29.9.95 को तहसीलदार, लाडनूं ग्राम मणु में अतिक्रमी गुमानसिंह की फसल को नष्ट करने के लिये मय जाब्ते एवं राजस्व कर्मचारियों के पुनः प्रातः लगभग 8 बजे रवाना हुए। इससे पूर्व तहसीलदार, लाडनूं पुलिस थाना लाडनूं गये जहां से उन्होंने पुलिस जाब्ते को अपने साथ लिया। अतिक्रमी की अपराधिक प्रवृति को देखते हुए तहसीलदार, लाडनूं द्वारा ज्यादा रायफल गार्ड की मांग की गयी। जिस पर ए.एस. आई. लाडनूं श्री लतीफ खां द्वारा एक अतिरिक्त रायफल गार्ड दिनांक 29.9.95 को तहसीलदार के साथ भेजा गया। दिनांक 29.9.95 को कानि. श्री गोपालसिंह 279 को बट नं. 118, कानि. पुसाराम 393 को बट नं. 218 व कानि. सुमेरसिंह 735 को बट नं. 7 की रायफले व प्रत्येक को 50-50 कारतूस जारी किये गये थे। इसके अतिरिक्त कानि. शंकरलाल 181 व नाथूराम 81 भी थाना लाडनूं से रवाना हुए। ए.एस.आई. को मणु ग्राम के अतिक्रमण को हटानें के लिये साथ चलने के लिये तहसीलदार द्वारा नहीं कहा गया यह ए.एस. आई. श्री लतीफ खां ने अपने बयान में बताया। उक्त जोब्त के अतिरिक्त निम्बी जोधा चौको से कानि. संतोष कुमार 724 व मुकनाराम 944 व हैड कानि. बेगाराम भी तहसीलदार, लाडनूं के साथ अतिक्रमण हटाने के लिये ग्राम मणु गये थे।

तहसीलदार, लाडनूं मय जाब्ते व राजस्व दल के लगभग 10 बजे ग्राम मणु में अतिक्रमित क्षेत्र पर पहुंचे, वहां पहुंचने पर तहसीलदार, लाडनूं द्वारा अतिक्रमी श्री गुमानसिंह को आवाज लगायी गयी थी कि वे "नाजायज फसल को नष्ट करने के लिये आये हैं" अतिक्रमित क्षेत्र ही में ही अतिक्रमी द्वारा बनाये गये एक झोपड़े में से अतिक्रमी गुमानसिंह द्वारा इसके जवाब में अधिकांश गवाहों के बयानों के अनुसार गाली गलोच किया गया। परन्तु अतिक्रमी के निकटतम पड़ौसी केसाराम मेघवाल के अनुसार गुमानसिंह तहसीलदार को कह रहा था कि आप इधर झोपड़े पर आ जावो, केसाराम मेघवाल का खेत अतिक्रमित क्षेत्र से बिलकुल सटा हुआ है व केसाराम के द्वारा पूर्व में अतिक्रमी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट दो वर्ष तक की गयी थी। इससे उसे स्वतंत्र गवाह माना जा सकता है। अतिक्रमी गुमानसिंह का

लड़का शम्भूसिंह उसी वक्त ऊंट पर सवार होकर एक हाथ में तलवार व दूसरे हाथ में भाला लेकर तहसीलदार पर आक्रमण के लिये दौड़ा। यह बात मौके पर उपस्थित लगभग सभी गवाहानों ने अपने बयानों में स्वीकार की एवं शम्भू सिंह द्वारा तहसीलदार पर भाला फैंक कर आक्रमण किया गया बात भी मौके पर उपस्थित लगभग सभी गवाहों ने अपने बयान में बतायी। केसाराम मेघवाल ने अपने बयान में बताया कि शम्भूसिंह ऊंट पर सवार था एवं उसके पास तलवार एवं भाला थे। परन्तु तहसीलदार के ऊपर आक्रमण के बारे में उसने कहा कि वह नहीं जानता कि शम्भूसिंह ने ऊंट पर से तहसीलदार पर भाला फैंका या नहीं। उधर झोपड़ी में से अतिक्रमी गुमानसिंह द्वारा तहसीलदार एवं जाब्ते पर बन्दूक से फायर करने के बारे में मौके पर उपस्थित अधिकांश गवाहों ने बताया कि अतिक्रमी गुमानसिंह द्वारा फायर किया गया परन्तु हल्का पटवारी मणु श्री ललित किशोर, अतिक्रमी शम्भूसिंह एवं ग्रामीण केसाराम मेघवाल द्वारा बयान किये गये कि गुमानसिंह द्वारा फायर नहीं किया गया। श्री इन्द्रसिंह पटवारी, याकुब साईकिल सवार एवं कानि. संतोषकुमार, मुकनाराम, शंकरलाल व सुमेरसिंह के अनुसार अतिक्रमी की झोपड़ी में से कुछ लोगों द्वारा तहसीलदार के दल पर पथराव भी किया गया जिससे किसी जवान के चोट भी लगी। इस बारे में पटवारी ललित किशोर, कानि. गोपालसिंह व वाहन चालक लादूसिंह के बयान दिये कि पथराव में किसी कानि. के चोट नहीं आयी। अन्य गवाहान पथराव के बारे में चुप रहे। तहसीलदार, लाडनूं पर अतिक्रमी शम्भूसिंह द्वारा भाले से किये गये आक्रमण के कारण तहसीलदार लाडनूं जीप से जमीन पर गिर गये यह श्री इन्द्रसिंह पटवारी, कैलाशचन्द्र सा. सावर, नाथूराम कानि., प्रहलाद सा. सवार, गोपालसिंह कानि., द्वारका प्रसाद राजस्व निरीक्षक, याकुब सा. सवार, मुकनाराम व शंकरलाल कानि. ने अपने बयान में बताया परन्तु पटवारी ललित किशोर एवं ट्रेक्टर चालक के बयानों के अनुसार तहसीलदार जीप से नीचे नहीं गिरे।

उक्त बयानात के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अतिक्रमी गुमानसिंह व उसका लडका शम्भूसिंह के अपराधिक प्रवृति एवं अतिक्रमी शम्भू सिंह द्वारा तहसीलदार, लाडनूं पर किये गये हमल आत्मरक्षा के लिये तहसीलादार द्वारा हवाई फायर का आदेश दिया गया ताकि शम्भूसिंह को डराया जा सके। अतिक्रमी शम्भूसिंह को डराने के लिये दो हवाई फायर किय गये। एक हवाई फायर शम्भूसिंह द्वारा जीप पर सवार तहसीलदार पर किये गये आक्रमण के समय किया गया व हवाई फायर के बावजूद भी जब शम्भूसिंह द्वारा तहसीलदार पर आक्रमण जारी रखा गया तब दूसरा हवाई फायर किया गया जो ऊंट पर सवार शम्भूसिंह के दायें पैर की पिण्डली पर लगा। दोनों फायर कानि. शंकरलाल सं. 181 द्वारा किये गये। शम्भूसिंह के दायें पैर की पिण्डली में गोली लगने से वह गिर गया व उसके पैर में घाव हो गया। तब तहसीलदार द्वारा तुरन्त प्राथमिक उपचार हेतु उसे लाडनू के राजकीय अस्पताल में ले जाया गया जहां के बाद में उसे अजमेर रैफर कर दिया गया।

गवाहों के बयानों, मौका अवलोकन एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अतिक्रमी शम्भूसिंह को डराने के लिये

तहसीलदार, लाडनूं द्वारा जो हवाई फायर के आदेश दिये गये थे उचित थे। परन्तु दोनों फायर कानि शंकर लाल द्वारा किये गये जिसे कि रायफल थाना लाडनूं से इश्यू नहीं की गयी थी एवं जिस राईफल से कानि. शंकरलाल ने फायर किया वह वस्तुतः कानि. पुनाराम 393 को जारी की गयी थी। कानि. शंकरलाल एवं अन्य कानि. द्वारा इसके बयान में बताया कि पूनाराम लोडेड राईफल को जीप के अन्दर पकड़े हुये जीप के पायदान पर खड़ा था लेकिन जीप के अचानक चल देने से वह गिर पड़ा व उसकी राईफल को शंकरलाल ने पकड़ लिया जिसने बाद में फायर किया। परन्तु इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता इसलिये उक्त दोनों कानि. शंकरलाल 181 व पुनाराम 393 दोषी पाये जाते हैं। दूसरा तहसीलदार, लाडनूं द्वारा टारगेट लगाकर फायर करने के आदेश नहीं दिये गये जबकि कानि. शंकरलाल द्वारा टारगेट लगाकर के फायर किये गये इसलिये भी वह दोषी पाया जाता है।

जहां तक तहसीलदार लाडनूं के उत्तरदायित्व का प्रश्न है कि जब उन्हें दिनांक 28.9.95 को ही अतिक्रमी गुमानसिंह के अपराधिक प्रवृति व उसके लड़के शम्भूसिंह से खतरे की जानकारी दल के अनेक सदस्यों द्वारा व ग्रामीणों द्वारा दी गयी थी तो उनका यह कर्तव्य था कि वे अपने उच्चाधिकारियों को इस तथ्य की जानकारी कराने के पश्चात ही आवश्यक कदम उठाते परन्तु उनके द्वारा न ही उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना न ही जिला कलक्टर महोदय को इस बारे में कोई जानकारी देकर कोई मार्गदर्शन लिया गया एवं लाडनूं थाने के ए.एस. आई. के बयानों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिये उन्हें मणु गांव में साथ चलने के लिये तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.9.95 को नहीं कहा गया, परन्तु खतरे की आशंका को देखते हुए स्वयं तहसीलदार के साथ जाना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

उक्त रिपोर्ट श्रीमान् के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

भवदीय
ह.

अपर कलैक्टर, नागौर

परिशिष्ट - 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 462 की सूचना)

क्र.सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	मौका स्थिति	वि.वि.
1	2	3	4	5	6
1.	बस्ती सीतारामपुरा	138/278	3-16	फैक्ट्री एन.बी.सी. का कब्जा = 2-16 श्मशान = 1-00	
		138/279	1-16	फैक्ट्री एन.बी.सी. का कब्जा	
		138/281	0-01	चाह गैर मुमकिन	

1	2	3	4	5	6
		138/282	15-07	फैक्ट्री एन.बी.सी. का कब्जा	
2.	सहणपुरा	74	5-00	फैक्ट्री एन.बी.सी. का कब्जा = 3-00	

एस. डी/-

तहसीलदार (भू.अ.)

तहसील जयपुर (जयपुर)

परिशिष्ट -9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 466 की अधिसूचना)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप - 4) विभाग

क्रमांक : प. 6 (16) राज. 4/88/43 जयपुर, दिनांक 5.12.88

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, 15, 1956) की धारा 102 सहपठित धारा 260 एवं धारा 261 की उपधारा (2) के खण्ड के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा स्कूल, कालेज, औषधालय, धर्मशाला और सार्वजनिक प्रयोजन के अन्य भवन हेतु राजकीय अनाधिवासित कृषि भूमि के आबंटन की राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 5 (109) राज/ख/60 दिनांक 20 जुलाई, 1963 द्वारा निर्धारित शर्तों में निम्न प्रकार और संशोधन करती है अर्थात : –

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना के वर्तमान पैरा संख्या 4 की निम्न प्रकार प्रतिस्थापित करती है, अर्थात : –

-" 4 आबंटन करने वाला प्राधिकारी - इन शर्तों के अधीन किये जाने वाले आबंटन के लिये सक्षम अधिकारी कलक्टर होगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

(आशकरण अग्रवाल)

उप शासन सचिव

दिसम्बर 1991 तक संस्थाओं को निःशुल्क भूमि आबंटन की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	ग्राम	ख.नं.	रकबा	आदेश संख्या	राज्य सरकार की अनुमति है या नहीं
1.	सरस्वती शिक्षा समिति, पाली	पाली	931	8 बीघा	5352/20.12.88	नहीं
2.	सोनाणा खेतलाजी ट्रस्ट, सारंगवास, देसुरी	आना	991	5/16 एकड़	5389/28.6.89	नहीं
3.	सोनाण खेतलाजी, ट्रस्ट सारंवास, देसूरी	सारंगवास	96	5/16 एकड़	5394/28.6.89	नहीं
4.	अध्यक्ष कुमावत शिक्षा ट्रस्ट, निमाज तह. जैतारण		55	2 बीघा	5429/29.6.89	हां
5.	भारतीय विद्या मंदिर, पाली (खातेदारी भूमि सरेन्डर करने पर आबंटन दिया)	पाली	19/1	10 बीघा	4721/30.11.89	हां
6.	संत श्री आशाराम जी , ट्रस्ट सुमेरपुर	नागौर	249	1.57 है.	3514/7.6.90	हां
7.	अध्यक्ष दाधिच समाज, जैतारण	जैतारण	487	2 बीघा	4816/27.8.90	नहीं
8.	अनुभव स्मारक ट्रस्ट पाली (खातेदारी भूमि सरेन्डर करने पर आबंटन किया)	पाली	1857 1328	3.07 बीघा	624/15.1.91	हां
9.	अध्यक्ष गो रक्षा- समिति, पाली	पाली	1301	4.15 बीघा	921/25.1.91	नहीं

ह.

जिला कलक्टर, पाली

परिशिष्ट - 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 467 की सूची)

परिशिष्ट "अ" भूमि-रूपान्तरण के बकाया मामलों की सूची

क्र.सं.	आवेदनकर्ता का पूर्ण विवरण	आवेदन का दिनांक	नाम, ग्राम एवं तहसील जहां भूमि विस्थित है	प्रयोजन जिसके लिए भूमि रूपान्तरण चाहा गया है	सक्षम प्राधिकारी	शुल्क जमा कराने की तिथि	रूपान्तरण न लिये जाने के कारणों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राज. इलेक्ट्रिक एण्ड मोटर स्टोर जयें पार्टनर रामकिशन रामकुमार नोसाल्या व रामावतार शर्मा निवासी बून्दी	24-5-96	ग्राम सोला की झोपड़िया, तहसील हिण्डौली	पैट्रोल पम्प लगाने हेतु	जिला कलक्टर	22.5.96	आवेदक द्वारा नियमान्तर्गत वांछित पूर्तियां नहीं किये जाने से विचाराधीन है।
2.	मैसर्स नवदीप ट्रेडर्स, गायत्री नगर, बूंदी	17.6.96	ग्राम पलका तहसील-बून्दी	मैगजीन निर्माण हेतु	उपखण्ड अभि.	17.6.96	तहसील से रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

ह.

जिला कलक्टर, बून्दी

परिशिष्ट - 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 470 का विवरण)

झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में जनवरी, 1995 से मई, 1996 तक कराए गए कार्यों का विवरण।

क्र.सं.	नाम कार्य	करवाया गया वन विकास कार्य	
		विभागीय तौर पर	गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से (एन.जी.ओ.)
1.	खड्डे खुदाई	9,75,221	निल
2.	पौधे लगाना	7,33,464	निल
3.	पारा बांधना (लूज स्टोन बाल फैंसिंग)	35,369 रनिंग मीटर	निल
4.	पौधों को पानी पिलाना	9,68,529	निल

उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में गठित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां

क्र.सं.	नाम ग्राम
1.	कोट
2.	मणकसास
3.	खोह
4.	बागोली
5.	भोडकी
6.	सिंगनोर
7.	मण्डावरा
8.	कांकरिया
9.	मेवरी
10.	धनावता
11.	भोजगढ़
12.	छापोली
13.	पचलंगी

परिशिष्ट - 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 472 का विवरण)

पंचायत समिति पीपलखूंट के हुडा बावजी कूप नंबर 1 में हितग्राही योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों का विवरण ।

क्र.सं.	नाम व पता		निवासी
1.	श्री राम : प्यारा	आदिवासी	जैथलिया
2.	श्री कचरिया : प्यारा	"-"	"-"
3.	श्री परुव : गोवरिया	"-"	"-"
4.	श्री पेमाः दीतिया	"-"	"-"
5.	श्री हगजी : लसिया	"-"	"-"
6.	श्री धरमा : पूनिया	"-"	"-"
7.	श्री नारायण : केसीया	"-"	"-"
8.	श्री रकमा : नाथु	"-"	"-"
9.	श्री धारजी : दूका	"-"	"-"
10.	श्री शांति : बागजी	"-"	"-"

हितग्राही योजना का संविदा का विवरण

1. अनुबन्ध

हितग्राही परिवार को वन विभाग के अनुवन्ध में यह कार्य करना होगा। समय पर आवश्यकतानुसार कार्य नहीं करने पर विभाग स्वयं अथवा अन्य श्रमिकों से कार्य करवा सकता हैं। हितग्राही परिवार द्वारा कार्य न करने अथवा छोड़कर चले जाने पर श्रमिक किसी राशि अथवा वन उपज का हकदार नहीं रहेगा।

2. मोटीवेटर

प्रेरक भी वन विभाग के साथ अनुबन्ध में कार्यों की देख रेख करेगा। इसके द्वारा समय पर निर्धारित कार्य नहीं करवा सकने पर अथवा छोड़कर चले जाने पर कार्यों की देखरेख किसी अन्य से करवाई जायेगी। पूर्ण किये कार्य मार्च के अन्त में रोपित में से जीवित पौध एवं नर्सरी से तैयार पौध अनुसार ही मोटिवेशन राशि देय होगी।

परिशिष्ट - 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 474 का विवरण)

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1995-96 से 1996-97 (मई, 96 तक) सम्पर्क सड़कों का किया गया निर्माण तथा किये गये व्यय का जिलेवार विवरण।

क्र. सं.	जिला	व्यय 1995-96 व 1996-97 (मई' 96 तक) (लाख रुपये में)	निर्मित लंबाई (डामरीकरण) (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	जयपुर	558.77	42.80
2.	सीकर	117.88	18.95
3.	झुन्झुनूं	75.75	9.50
4.	टौंक	58.22	6.20
5.	अलवर	300.38	58.20
6.	भरतपुर	264.50	15.75
7.	धौलपुर	11.94	-
8.	सवाईमाधोपुर	146.02	12.50
9.	दौसा	80.67	19.90
10.	अजमेर	89.11	28.40
11.	श्रीगंगानगर	852.86	96.76
12.	हनुमानगढ़	547.13	50.24
13.	उदयपुर	27.64	17.06
14.	चित्तौड़गढ़	15.61	5.91
15.	भीलवाड़ा	31.04	11.50
16.	राजसमन्द	0.80	-
17.	बांसवाड़ा	-	-
18.	डूंगरपुर	-	-
19.	कोटा	53.88	2.72

1 2	3	4
20. बारां	142.81	15.96
21. बूंदी	80.98	19.75
22. झालावाड़	14.62	2.00
23. नागौर	263.00	105.10
24. जोधपुर	294.35	100.05
25. बाड़मेर	52.24	8.45
26. जैसलमेर	-	-
27. चूरू	31.71	4.50
28. पाली	323.04	54.71
29. सिरोही	5.97	-
30. जालौर	6.43	0.90
31. बीकानेर	310.01	27.66
योग :–	4757.36	735.47

कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क सड़कें

1. अलवर	369.31	49.00
2. चित्तौड़गढ़	203.31	38.00
3. जोधपुर	36.73	18.00
4. जयपुर	890.68	107.70
5. टौंक	535.56	80.50
6. दौसा	286.43	26.00
योग :–	2282.02	319.20
महायोग :–	6779.38	1054.67

परिशिष्ट - 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 476 की प्रति)

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक पं. 9 (22) कृषि/ग्रुप-2/94 दिनांक 7.10.95 द्वारा उप शासन सचिव कृषि ग्रुप -2 (विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर निदेशक कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित है।

आदेश

राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों/गौण मण्डी प्रांगणों में निर्मित दुकानों के आबंटन में विभिन्न वर्गों को आरक्षण करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्र. प. 10 (6) कृषि/ग्रुप - 2बी/83 दि. 6.8.83, आदेश क्रमांक प. 10 (6) कृषि/ग्रुप-2 बी/83 दिनांक 29.1.85, आदेश क्रमांक प. 10 (4) कृषि/ग्रुप-2/88 दि. 22.2.94 एवं आदेश क्रमांक पं. 9 (22) कृषि/ग्रुप-2/94 दि. 27.3.95 एवं समय समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अतिक्रमण में मण्डी समितियों में निर्मित अब केवल फुटकर दुकानों (सण्डरी शाप्स) के आबंटन में ही कृषक वर्ग हेतु 10 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग के लिये छोटी एवं बड़ी दुकानों में आरक्षण नहीं रहेगा।

राज्य सरकार द्वारा स्वविवेक से आबंटन का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। कृषक वर्ग हेतु आरक्षित 10% फुटकर दुकानों का आबंटन अब व्यापार स्थानान्तरण के प्रथम चरण में प्रचलित निर्देशों के अन्तर्गत आबंटन द्वारा तथा इसके बाद के चरणों में कृषकों के बीच ही, आबंटन शुल्क निर्धारण हेतु खुली नीलामी से किया जायेगा।

परिशिष्ट - 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 478 की सूची)

कार्यरत अध्यापकों की सूची

रा. मा. वि. रामनगर	उ.प्रा.वि. बख्तपुरा
1. ओमप्रकाश, व.अ.	1. श्री मोहनराम
2. श्री रामसिंह, व. अ.	2. श्री हनुमान शर्मा
3. श्रीमती ऋतुराज कौर, व. अ.	3. श्री अशोक कुमार
4. श्री देवीसिंह, पुस्त.	4. बनवारी लाल
5. श्री रण विजय सिंह, शा. शि.	5. महेन्द्र सिंह
6. व. अ. रिक्त (7/95 को लगाया	6. श्री प्रकाश चन्द्र

7. गया था किन्तु कार्यग्रहण नहीं किया)	7. श्री खानूराम
8. अध्यापक III ग्रेड रिक्त (19.1.96 से नवसृजित)	8. प्रधानाध्यापक पद रिक्त
उ. प्रा. विद्यालय दंतोर	**उ.प्रा. विद्यालय, जोधासर डैली**
1. श्री मदनसिंह शेखावत, प्रधानाध्यापक	1. श्री शक्ति नन्दन भनोत, प्र. अ.
2. श्री जयसिंह	2. श्री टीकम दास
3. श्री सीताराम	3. श्री राजेश कुमार

परिशिष्ट - 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 481 की प्रति)

राजस्थान-सरकार

वित्त (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक- पं. 1 (14) (वित्त) (ग्रुप-2)/92 दिनांक : 21.8.93

ज्ञापन

समस्त सचिव राज्य सरकार,

समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर

विषय : — पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण (विशेष अभियान दिनांक - 1.9.93 से 30.10.93 तक)

वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या - एफ. 1 (26) एफ.डी/ग्रुप-2/76 दिनांक 30.6.76 के द्वारा पेंशन एवं उपदान के भुगतान में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने हेतु नियमों एवं प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया था। उसके उपरान्त समय समय पर पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये थे। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रपत्र - एफ. 1 (14) एफ. डी/92 दिनांक - 23.12.92 द्वारा जारी किया गया था।

इस सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को पेंशन भुगतान आदेश, रूपान्तरित पेंशन भुगतान आदेश एवं मृत्यु एवं सह सेवा निवृत्ति उपवान भुगतान आदेश सेवानिवृति के दिन ही उपलब्ध करवाना था एवं कुछ हद तक इस उद्देश्य की पूर्ति भी हुई है किन्तु कुछ विभागों में पेंशन प्रकरण पेंशन निदेशालय में भिजवाने में अभी भी विलम्ब होता है जिससे पेंशन, उपवान एवं रूपान्तरित आदेश के भुगतान में विलम्ब होता है।

इस विलम्ब के फलस्वरूप अदालतों में बहुत से मामले पेश किये जा रहे हैं जिससे एक ओर कर्मचारियों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है और दूसरी ओर राज्य सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ता है।

विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह आशा की जाती है कि ये कर्मचारियों की सेवा निवृति से 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण पेंशन निदेशालय को समस्त पूर्तियां कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे और यदि इसमें कोई विलम्ब होगा तो राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेगी।

यह देखने में आया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या- एफ. 1 (26) एफ. डी/(ग्रुप-2) 76 दिनांक- 30.6.76 द्वारा प्रसारित किये गये आदेशों की पालना नहीं की जा रही है और वर्तमान में भी पेंशन प्रकरण अनावश्यक रूप से विभागाध्यक्षों प्रशासनिक विभागों को भिजवाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है :–

(1) समस्त कार्यालयध्यक्ष पेंशन प्रकरणों को निदेशालय, पेंशन विभाग को सीधे ही भिजवाने में सक्षम है चाहे वह उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के ही हो और पेंशन प्रकरण विभागाध्यक्षों/प्रशासनिक विभागों को पेंशन निदेशालय में भिजवाने हेतु नहीं भेजा जाना चाहिए।

(2) कार्यालयाध्यक्ष किसी कर्मचारी/अधिकारी के सेवानिवृति से 6 माह पूर्व नियुक्ति अधिकारी से राजस्थान सेवा नियम-248 की पालना सुनिश्चित कर लेंगे। नियुक्ति अधिकारी का यह कर्तव्य है कि यदि किसी कर्मचारी की पेंशन राजस्थान सेवा नियमों के नियम - 248 के अन्तर्गत कम की जानी है तो सेवानिवृति की तिथि से 6 माह पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को वे सूचित कर देंगे। यदि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ऐसी कोई सूचना नियुक्ति अधिकारी से 6 माह पूर्व प्राप्त नहीं होगी तो यह मानते हुए कि सम्बन्धित सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी/अधिकारी को पूर्ण पेंशन देय है वह पेंशन प्रकरण पेंशन निदेशालय को भेज देंगे।

(3) यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध "वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील" के नियम 16 के तहत कार्यवाही चल रही हो अथवा कोई न्यायिक प्रकरण बकाया हो तो अधिकारी सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृति के दिन से 6 माह पूर्व इस सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष को सूचित कर देंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि पेंशन निदेशालय को पेंशन प्रकरण भेजने के उपरान्त "वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील" के नियम-16 के तहत कोई जांच प्रारम्भ की जाती है अथवा कोई न्यायिक प्रकरण दायर किया जाता है या कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिससे पेंशन प्रकरण प्रभावित होता है तो पेंशन निदेशालय को अ.शा. पत्र से सेवानिवृति के दिन से पूर्व सूचित किया जाना चाहिए। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि नियुक्ति अधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष को इस सम्बन्ध में सूचित नहीं किया जाता है तो वह यह मानेगा कि

कोई विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण उस कर्मचारी के विरुद्ध बकाया नहीं है और यह मानते हुए पेंशन प्रकरण पेंशन निदेशालय को भेज देगा।

(4) राजस्थान सेवा नियमों के नियम - 295 (2)(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में मांगा जावेगा, यदि सेवानिवृत होने वाला कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत होने के समय अथवा उसके एक वर्ष पूर्व तक किसी राजकीय भवन में निवास कर रहा था और अन्य मामलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया जावेगा। किंतु ऐसा देखने में आया है कि अन्य प्रकरणों में सार्वजनिक निर्माण विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है जो नियमानुकूल नहीं है और इससे पेंशन प्रकरण में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है।

(5) राजस्थान सेवा नियम - 295 (2)(11) के अनुसार मोटर गैराज से अदेयता प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं अधिकारियों के बारे में प्राप्त किया जाना आवश्यक है जो मोटर गैराज से राजकीय वाहन प्राप्त करने के अधिकारी है एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के लिय अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(6) दीर्घकालीन ऋण का कार्य महालेखाकार से निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा ले लिया गया है अतः नियम - 295 (2) 0 के अनुसार भवन निर्माण अग्रिम एवं वाहन क्रय अग्रिम का अदेयता प्रमाण पत्र संबंधित कोषाधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि आगामी एक वर्ष में सेवानिवृति होने वाले कर्मचारियों की सूची सम्बन्धित कोषाधिकारी को भेज दी जावें एंव समय समय पर अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पूर्व अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

(7) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 295 (3) के उपनियम - 3 के अनुसार अदेयता प्रमाण पत्र के अभाव में पेंशन/डी.सी.आर.जी. का भुगतान रोका नहीं जा सकता। यह उपरोक्त आदेश के अनुच्छेद 7 में भी स्पष्ट कर दिया गया था। पेंशन प्रकरण भिजवाते समय कार्यालयाध्यक्ष अदेयता प्रमाण पत्र पेंशन निदेशालय को भेजे और यही अदेयता प्रमाण पत्र अंतिम अदेयता प्रमाण पत्र मान लिया जावे। यदि पेंशन प्रकरण भेजने के उपरान्त कोई राजकीय बकाया कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वसूल करनी पायी जाती है तो वह उसका उल्लेख अन्तिम भुगतान पत्र में करेगा एवं साथ ही इन तथ्यों के बारे में अविलम्ब पेशन निदेशालय को भी सूचित कर देगा।

(8) उपरोक्त परिपत्र दिनांक-30.6.76 के अनुच्छेद 6 के अनुसार सेवाभिलेख हमेशा पूर्ण होना चाहिए और यदि इसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो उसका लाभ राजकीय कर्मचारी को दिया जावेगा। पेंशन प्रकरण पेंशन निदेशालय में भेजने से पूर्व उस समय तक की समस्त सेवाओं का प्रमाणीकरण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पूर्ण कर पेंशन प्रकरण भिजवाना चाहिये यहां भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि पेंशन प्रकरण भेजते समय कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पेंशन योग्य 33 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली जाती है तो पेंशन प्रकरण भेजने के उपरान्त सेवानिवृति तक की सेवाओं का प्रमाणीकरण हेतु पेंशन विभाग द्वारा आवश्यकता नहीं मानी जावेगी किन्तु यदि पेंशन प्रकरण भेजने के उपरान्त ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण सम्बन्धित कर्मचारी को पेंशन देय नहीं रहती तो इसकी सूचना अविलम्ब पेंशन निदेशालय को भेजी जावे। यदि पेंशन प्रकरण भिजवाते समय किसी कर्मचारी/अधिकारी की 33 वर्ष की पेंशन योग्य सेवाएं पूर्ण नहीं होती है तो पेंशन प्रकरण भेजने की तिथि से सेवानिवृति की तिथि तक का प्रमाणीकरण जी.ए. 141 में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी की सेवानिवृति के दिन अवस्यक उपलब्ध करवा दिया जावे।

(9) पेंशन प्रकरण पेंशन निदेशालय में भेजने से पूर्व सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी का बकाया अवकाश का प्रमाण पत्र कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में रख लिया जावे जिससे सेवानिवृत पर देय बकाया अवकाश का नगद भुगतान आदेश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किया जा सके। पेंशन निदेशालय से सेवापुस्तिका वापस प्राप्त होने पर इन आदेशों का उल्लेख सेवा पुस्तिका में कर दिया जावे।

(10) राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है दिनांक 1.1.79 के पश्चात बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के सेवा पुस्तिका में अंकित कर्मचारी की जन्मतिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे किन्तु यह देखने में आया है कि इन आदेशों की अवहेलना की जाकर जन्मतिथि में परिवर्तन किया जाता है जिससे पेंशन प्रकरण निपटाने में विलम्ब होता है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि का किसी भी स्थिति में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के परिवर्तन नहीं किया जावे एवं यदि किसी अधिकारी द्वारा इसकी अवहेलना की जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। पूर्व में सेवानिवृत कर्मचारियों के मामलों में निदेशक पेंशन को यह अधिकार दिये जाते हैं कि यदि अब तक सेवानिवृत कर्मचारियों के किसी मामले में जन्मतिथि में संशोधन इस प्रकार किया

गया है जिससे सेवानिवृत की तिथि पूर्व मे हो जाती है तो वे ऐसे पेंशन प्रकरणों को बिना राज्य सरकार की अनुमति लिये निस्तारित कर सकते हैं किन्तु यदि जन्मतिथि आगे खिसकाई जाती है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

(11) कोषागार नियमावली के नियम 178 एवं 187 के अनुसार आहरण अधिकारी को पेंशनर की निशानदेही के निर्देश दिये गये हैं किन्तु यह देखने में आया है कि कुछ कोषाधिकारी निशानदेही हेतु 2 गवाहों के लिए जोर डालते हैं जो नियमानुकूल नहीं है। पेंशनर की निशानदेही उसकी फोटो, हस्ताक्षर एवं पहचान चिन्ह से की जानी चाहिए जो वर्णात्मक नामावली में दिये गये हैं। उपदान एवं रूपान्तिरत राशि के भुगतान हेतु पेंशनर को व्यक्तिगत उपस्थित होने की आवश्यकता नियमों में लुप्त कर दी गई है। इसी प्रकार यदि पेंशनर अपनी पेंशन का प्रथम भुगतान भी बैंक द्वारा लेना चाहें तो उसमें भी पेंशनर को व्यक्तिगत उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में यदि पेंशनर बैंक के मार्फत भुगतान लेना चाहे तो सम्बन्धित कोषाधिकारी/पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भाग बैंक की उस शाखा को भेज दी जावे जिसके लिए निदेशालय पेंशन द्वारा पेंशन भुगतान आदेशों में आदेश दिया गया है।

समस्त सचिव/ विभागाध्यक्ष/ जिला कलक्टर पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु व्यक्तिगत ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन प्रकरण समय पर निदेशालय को पूर्ण किये जाकर भेज दिये जावें और वे स्वयं अपने स्तर पर इसका मूल्यांकन करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि समस्त बकाया पेंशन प्रकरणों को जो पेंशन निदेशालय द्वारा वापस किये गये हैं एवं ऐसे कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण जो 30.6.93 तक सेवानिवृत हो गये हैं, कि पेंशन प्रकरण दिनांक 1 सितम्बर 93 से 30 अक्टूबर, 93 तक विशेष अभियान चलाकर अन्तिम निपटारा कर दिया जावे।

ह.

(टी.वी. रमणन)

मुख्य सचिव

परिशिष्ट - 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 487 की प्रतियां)

उर्जा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 31 मार्च, 1994

एस.ओ. 335- भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46 के उप-नियम 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व अधिसूचना संख्या एफ 5665/591 एफ

6 (132) पी. डबल्यू. ईएण्डएम 154 दिनांक 25 अगस्त, 1959 को प्रतिष्ठित करते हुए (राज्य सरकार इसके द्वारा आदेश देती है कि) प्रदायकर्ता की प्रदाय प्रणाली से सम्पृक्त विद्युत संस्थापनों का निरीक्षण अब नीचे विनिर्दिष्ट रूप में विद्युत निरीक्षणालय के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक के सामने उपदर्शित कालावधिषता के सम्बन्धित मानदण्डों का अनुसरण करते हुए किया जायेगा : -

क्रमांक	विद्युत संस्थापन की क्षमता	निरीक्षण के लिये समक्ष अधिकारी	निरीक्षण की समयावधि
1	2	3	4
1.	33 के.वी. एवं उससे अधिक क्षमता के अतिरिक्त उच्च दबाव/उच्च दबाव संस्थापन	उप विद्युत निरीक्षक	वर्ष में एक बार
2.	11 के.वी. एवं उससे अधिक क्षमता के उच्च दवाब संस्थापन	उप विद्युत निरीक्षक	तीन वर्ष में एक बार
3.	60 हार्स पावर के मध्यम दबाव व उससे अधिक क्षमता के संस्थापन परन्तु 11 के.वी; दबाव से कम (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थापन)	सहायक विद्युत निरीक्षक	तीन वर्ष में एक बार
4.	60 हार्स पावर से कम मध्यम दबाव के तीन फेस संस्थापन (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक)	निरीक्षण सहायक	पांच वर्ष में एक बार
5.	लघु उद्योग के विद्युत संस्थापन म्यूनिसिपल एरिया से 25 हार्स पावर तक	निरीक्षण सहायक	पांच वर्ष में एक बार

[संख्या पं. 22 (20) ऊर्जा/94]

आज्ञा से,

मधुकर गुप्ता,

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

ऊर्जा विभाग

विद्युत निरीक्षक,

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : पं. 22 (9) ऊर्जा/94 जयपुर, दिनांक 23.9.95

विषय : सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालय चौमूं, भरतपुर तथा सीकर को क्रमशः सिरोही, बहरोड़ तथा राजसमंद में स्थानान्तरित करने के संबंध में।

महोयद,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके अशासकीय टीप क्रमांक ई.आई. /95/287 दिनांक 22.7.95 तथा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक : संस्था 2 विनि/95/302 दिनांक 5.9.95 के संदर्भ में निर्देशानुसार सहायक विद्युत निरीक्षक, कार्यालय चौमूं, भरतपुर तथा सीकर को क्रमशः सिरोही, बहरोड़ तथा राजसमंद में स्थानांतरित करने की राज्य सरकार की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,

ह.

शासन विशिष्ट सचिव

परिशिष्ट - 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 491 की सूचना)

	योग्यता के आधार पर चयनित अधिकारियों की संख्या	योग्यता के आधार पर सुपरसीड किये गये अधिकारियों की संख्या
1	2	3
1. 87-88	1	5
2. 88-89	2	4
3. 89-90	3	2
4. 90-91	रिक्तियां नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं की गई	–
5. 91-92	4	8
6. 92-93	4	7
7. 93-94	1	5
8. 94-95	निल	निल

परिशिष्ट - 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 493 की प्रति)

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

क्रमांक : प. 18 (130) सह/95
जयपुर, दिनांक : 28.6.95

आदेश

राजस्थान सहकारी सेवा एवं राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :–

1. सामान्यतया कोई भी अधिकारी/कर्मचारी विभाग के अधीन अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जावेगा।
2. सामान्यतया किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को एक खण्ड में 10 वर्ष एवं एक जिले में 5 वर्ष से अधिक समय के लिए लगातार पदस्थापित नहीं रखा जावेगा।
3. सेवानिवृति अवधि एक वर्ष में कम होने पर कोई अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के पद पर स्थानान्तरण द्वारा पदस्थापित नहीं किया जावेगा।
4. सामान्यतया पदस्थापन काल न्यूनतम 2 वर्ष का रहेगा। 2 वर्ष पूर्व से पूर्व निम्न परिस्थितियों में स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकेगा।

अ. किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी गंभीर शिकायत होने पर जिसकी निष्पक्ष जांच के लिए उसका वहां से स्थानान्तरण आवश्यक है।

ब. किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत जांच के बाद सही पाई गई हो।

स. किसी अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति/पदावनति हुई हों।

द. किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा धारित पद समाप्त हो गया हो।

5. यदि पति एवं पत्नी दोनों ही सहकारिता विभाग के अधीन सेवारत हो तो उनको यथा संभव एक ही स्थान पर रखा जावेगा।
6. सहायक पर्यवेक्षक संवर्ग के पद पर पदस्थापन पर प्रत्येक अधिकारी को कम से कम दो वर्ष अंकेक्षण एवं दो वर्ष कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) विंग से संबंधित पद पर पदस्थापित किया जावेगा।
7. प्रतिवर्ष फरवरी/मार्च में अधिकारी/कर्मचारी को, जो नीतिगत व्यवस्था के अधीन स्थानान्तरण की पात्रता रखते हो, द्वारा पंजीयक, सहकारी समितियों को 3 प्राथमिकताएं दी जानी होंगी। प्राथमिकताएं एवं अधिकारी/कर्मचारी के तत्समय पदस्थापन पद पर उसके द्वारा कार्य उपलब्धि मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण द्वारा पदस्थापन का प्रयास किया जावेगा।

8. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को स्थानान्तरित आदेश जारी होने पर कार्यभार ग्रहण हेतु निर्धारित समयावधि में नये पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं होने पर पश्चातवर्ती अवकाश स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं स्वेच्छा से अनुपस्थित मानते हुए अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

विशेष परिस्थितियों के प्रकरणों में उपरोक्त नीति के अधीन किसी भी प्रकार की छूट राज्य सरकार स्तर से ही दी जा सकेगी।

ह.

शासन सचिव

परिशिष्ट – 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 496 की प्रति)

उदयपुर जिले की बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत व भरे हुए पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम परियोजना	पदों का विवरण																				
		बा. दि. प. अधिकारी		स.बा.वि. प. अधि.		क. लेखाकार		व. लिपिक		क. लिपिक		म. पर्यवेक्षक		वा. चालक		चौकीदार दै. वे. भो.		च. श्रे. क.		आ.का. आ.सा. के स्वी.	भरे पद आ. का./आ. त.	
		स्वी.	भरे	स्वी.	भरे	स्वी.	भरे	स्वी.	भरे	स्वी.	भरे	स्वी.	भरे	स्वी.	भरे	स्वी.	भरे	स्वी.	भरे	पद		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	गोगुन्दा	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	5	5	1	1	1	1	1	1	114	114	114
2.	कोटड़ा	1	1	1	-	1	-	1	1	2	-	7	5	1	-	1	1	2	2	135	135	132
3.	झाडोल	1	1	1	1	1	-	1	1	2	1	7	7	1	1	1	1	2	2	138	138	138
4.	खैरवाड़ा	1	1	1	-	1	-	1	1	2	1	7	6	1	1	1	1	2	2	138	138	137
5.	सलूम्बर	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	8	8	1	1	1	1	2	1	158	158	158
6.	सराड़ा	1	1	1	-	1	-	1	1	2	-	7	7	1	1	1	1	2	2	138	138	133
7.	धरियावद	1	1	3	2	1	1	1	1	4	1	12	10	2	1	1	1	4	4	221	219	219
8.	बड़गाँव	1	1	-	–	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	110	110	110
9.	गिर्वा	1	1	-	–	1	1	1	1	1	-	4	4	1	1	1	1	1	1	96	91	90
10.	मावली	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	107	107	107
11.	उदयपुर शहर	1	1	-	–	1	1	1	1	1	-	4	4	1	1	1	1	1	1	130	130	130

नोट 1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु मानदेय पर रखी जाती है ।

2. कॉलम सं. 21 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के समान पद स्वीकृत है ।

3. कॉलम सं. 23 में आंगनबाड़ी सहायिका के भरे हुए पदों की सूचना अंकित है ।

मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष

यह मूल्यांकन अध्ययन तीन बाल विकास परियोजनाओं में किया गया, जिसमें उदयपुर जिले की सराड़ा परियोजना की सम्मिलित थी। प्रत्येक परियोजना से 6 आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन अध्ययन हेतु किया गया। अध्ययन के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बैठने के लिए पर्याप्त स्थान एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था पायी गयी। केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यक सामान एवं उपकरण भी केन्द्रों पर पाये गये। अलग-अलग परियोजनाओं में केन्द्रों पर पृथक-पृथक खाद्य सामग्री वितरित की जा रही थी। पोषाहार सामग्री की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं पायी गयी। लाभान्वित पोषाहार सामग्री से सन्तुष्ट पाये गये। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जानी पायी गयी। उत्तरदाताओं ने केन्द्रों पर स्वास्थ्य जांच होना भी स्वीकार किया। महिलाओं को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य पोषाहार शिक्षा का वास्तविक जीवन में उपयोग किया जाना नहीं पाया गया। सर्वेक्षण के दिन केन्द्रों पर औसतन 45 बच्चों की उपस्थिति पायी गयी। केन्द्रों पर मेडिकल किट एवं औषधियां भी पायी गयी। कार्यक्रम में सुधार हेतु निम्न सुझाव प्रेषित किये गये हैं :-

1. निर्धारित समय के पश्चात आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अकार्यशील उपरकण एवं सामग्री बदली जावे।
2. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर पर्याप्त एवं नियमित रूप से पोषाहार सामग्री सप्लाई की जावे एवं खाद्य सामग्री का भण्डारन उपयुक्त स्थल एवं लोहे/प्लास्टिक के ड्रमों में किया जावे।
3. केन्द्रों पर पोषाहार सामग्री बदल-बदल कर दी जावे।
4. प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवाओं से लोगों को लाभान्वित करने के लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. एवं अन्य चिकित्सा स्टाफ को मिलकर कार्य करना चाहिए।
5. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष जानकारी किशोर बालिकाओं एवं महिलाओं को उपलब्ध करवायी जावे।
6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्लास्टिक के अंक, अक्षर, चित्र एवं प्रारंभिक पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवायी जावे।
7. केन्द्रों पर उपस्थित होने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जावे एवं अन्तरविभागीय सेवाओं में व्यापक समन्वय स्थापित किया जावे

परिशिष्ट - 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 498 का विवरण)

कार्यालय पंचायत समिति झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.) जीवनधारा कूप वर्ष 95-96 में स्वीकृत लाभार्थियों की सूची

क्रमांक	नाम लाभार्थी मय जाति	ग्राम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	आबंटित राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	नका/काना भील	सु. खेरवाड़ा	0.28	16800	अपूर्ण
2.	हीरका/नानका मीणा	पीपलबारा	0.28	5600	अपूर्ण
3.	भीमा/नानीया मीणा	पीपलबारा	0.28	5600	अपूर्ण
4.	बंदा/बेसात भील	क्वादर	0.28	5600	अपूर्ण
5.	मरता/धन्ना मीणा	क्वादर	0.28	-	अपूर्ण
6.	कड़वा/धन्ना भील	क्वादर	0.28	-	अपूर्ण
7.	कसनीराम/रामचन्द्र	बिछीवाड़	0.28	-	अपूर्ण
8.	होमा/उन्दरा मीणा	क्वादर	0.28	5600	अपूर्ण
9.	हगरामा/कोईया मीणा	क्वादर	0.28	5600	अपूर्ण
10.	अमरा/रामजी मीणा	क्वादर	0.28	-	अपूर्ण
11.	शकर/सवजी मीणा	क्वादर	0.28	5600	अपूर्ण
12.	दीता/गोबरा मीणा	क्वादर	0.28	5600	अपूर्ण
13.	कालू/दला भील	जामुन	0.28	-	अपूर्ण
14.	शान्ता/खातू भील	जामुन	0.28	5600	अपूर्ण
15.	देवा/जीवा तीरगर	बिरोठी	0.28	16800	अपूर्ण
16.	पूंजा/जालमा	नयागांव	0.28	16800	अपूर्ण
17.	काना/जीवा	बिरोठी	0.28	16800	अपूर्ण
18.	भैरूलाल/मदनलाल गमेती	बडोलिया	0.28	16800	अपूर्ण
19.	तेजा/सवजी मीणा	मादडी	0.28	16800	अपूर्ण

क्रमांक	नाम लाभार्थी मय जाति	ग्राम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6
20.	रघुनाथ,प्रेमा/कालू गूर्जर	मादडी	0.28	16800	अपूर्ण
21.	वीरमा/पूना भील	वेलनिया	0.28	-	अपूर्ण
22.	मदनमोहन/मगनलाल सोनी	वाडद	0.28	5600	अपूर्ण
23.	रोडा/दयाला भील	नला	0.28	5600	अपूर्ण
24.	कालू/वेसा भील	अदकालिया	0.28	16800	अपूर्ण
25.	नाना/नगा कुमावत	अदकालिया	0.28	-	अपूर्ण
26.	नाना/काला कुमावत	अदकालिया	0.28	16800	अपूर्ण
27.	चतरा/केसा कुमावत	अदकालिया	0.28	16800	अपूर्ण
28.	भंवरलाल/गोविन्दा पटेल	बिछावाड़ा	0.28	5600	अपूर्ण
29.	भेरा/भूरा सुथार	बिछावड़ा	0.28	16800	अपूर्ण
30.	डूंगरसिंह/कोदरसिंह	आमोड	0.28	5600	अपूर्ण
31.	चुन्नीलाल/कसना भील	श्यामपुरा	0.28	5600	अपूर्ण
32.	उदा/हीरा डांगी	बिछीवाडा	0.28	5600	अपूर्ण
33.	कालू/रूपा तेली	बिछीवाडा	0.28	16800	अपूर्ण
34.	सुखलाल/नाथू तेली	बिछीवाडा	0.28	16800	अपूर्ण
35.	बागा/धूला पटेल	बिछीवाडा	0.28	16800	अपूर्ण
36.	हीरालाल/कालू डगोचा	बिछीवाड़ा	0.28	16800	अपूर्ण
37.	भेरा/गूजा मीणा	बिछीवाडा	0.28	16800	अपूर्ण
38.	मन्ना/मन्नी भील	बिछीवाडा	0.28	5600	अपूर्ण
39.	नारायण/रामा मीणा	बिछीवाडा	0.28	5600	अपूर्ण
40.	हवा/रूपा भील	बिछीवाडा	0.28	5600	अपूर्ण
41.	कसना/जीवा मीणा	बिछीवाडा	0.28	5600	अपूर्ण
42.	खेमा/नाथू गायरी	वेलनिया	0.28	5600	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6
43.	महेन्द्र कुवर/रामसिंह	वेलनिया	0.28	16800	अपूर्ण
44.	भारता/भेरा भील	डैया	0.28	-	अपूर्ण
45.	लालू/बदा भील	छालीबोकड़ा	0.28	17000	अपूर्ण
46.	हलू/वेसात भील	डैया	0.28	-	अपूर्ण
47.	कमला/काला भील	देवडावास	0.28	5600	अपूर्ण
48.	लाला/नौला भील	भैसाणा	0.28	-	अपूर्ण
49.	नाथू/ अमरा भील	पानरवा	0.28	-	अपूर्ण
50.	लालूराम/नाथू भील	पानरवा	0.28	16800	अपूर्ण
51.	काला/हका भील	अदकालिया	0.28	16800	अपूर्ण
52.	हरलाल/भैरूंलाल ब्राह्मण	बा. खेरवाडा	0.28	16800	अपूर्ण
53.	नारायण/कालू लोहार	जेतावाडा	0.28	-	अपूर्ण
54.	विजयसिंह/गोपालसिंह	नयागांव	0.28	16800	अपूर्ण
55.	वीरजी, लालू/भेरा भील	खाखड	0.28	-	अपूर्ण
56.	धूला/किशनी गाडरी	चोहानवास	0.28	16800	अपूर्ण
57.	वेणीराम/मोडा तेली	गोराणा	0.28	-	अपूर्ण
58.	डालचंद/अमृत तेली	गोराणा	0.28	28000	पूर्ण
59.	रामदास/खेमदास वेरागी	नामली	0.28	5600	अपूर्ण
60.	हदा/धना भील	नामली	0.28	-	अपूर्ण
61.	सुखलाल/कालू भील	माणस	0.28	-	अपूर्ण
62.	धन्ना/खूमा मेघवाल	खाखरारोड	0.28	16800	अपूर्ण
63.	मगिया/भेरा तेली	फलासिया	0.28	16800	अपूर्ण
64.	लखमा/भेरा भील	सूरीमाला	0.28	-	अपूर्ण
65.	पूना/लखमा भील	भगोरवास	0.28	-	अपूर्ण

1	2	3	4	5	6
66.	वीरजी/थावरा मीणा	मादला	0.28	5600	अपूर्ण
67.	रामलाल/हूरा मीणा	मादला	0.28	16800	अपूर्ण
68.	मिनका/वजा मीणा	मादला	0.28	5600	अपूर्ण
69.	धूला/सोमा मीणा	मादला	0.28	16800	अपूर्ण
70.	हकरा/भेरा मीणा	पालियाखेड़ा	0.28	16800	अपूर्ण
71.	गूलाराम/चीला मीणा	गजवी	0.28	16800	अपूर्ण
72.	मेघसिंह/पेमसिंह राजपूत	आमोड	0.28	16800	अपूर्ण
73.	थावरा/दीता मीणा	सेमला	0.28	5600	अपूर्ण
74.	वाला/गलबा	आमोड	0.28	5600	अपूर्ण
75.	परथा/जीवा भील	दमाना	0.28	-	अपूर्ण
76.	कनिया/गोबरा भील	मगवास	0.28	5600	अपूर्ण
77.	खेता/गला भील	दमाना	0.28	-	अपूर्ण
78.	पन्ना/रोडा कुमावत	अदकालिया	0.32	–	अपूर्ण
79.	मगनलाल/केसूलाल दर्जी	बदराना	0.32	6400	अपूर्ण
80.	शंकर/हंसरज ब्राह्मण	ओडा	0.32	19200	अपूर्ण
81.	शंकरसिंह/पुनसिंह राजपूत	कालीघाटी	0.32	19200	अपूर्ण
82.	लखनसिंह/विजयसिंह	रोहीमाला	0.32	-	अपूर्ण
83.	नन्दलाल/किशनलाल ब्राह्मण	गोगला	0.32	6400	अपूर्ण
84.	निरन्जन प्रसाद/भीमशंकर	झाडोल	0.32	19200	अपूर्ण
85.	नवला/लाला भील	अदकालिया	0.32	6400	अपूर्ण
86.	काला/कला भील	जांजरकीपाल	0.32	19200	अपूर्ण
87.	पन्ना/रोडा भील	उपरेटा	0.32	19200	अपूर्ण
88.	कीकला/सोमा भील	लाखागुडा	0.32	19200	अपूर्ण

क्रमांक	नाम लाभार्थी मय जाति	ग्राम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	आवंटित राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
89.	पूना/भेरा भील	खाखड़	0.32	19200	अपूर्ण
90.	सामा/थावरा भील	खाखड	0.32	-	अपूर्ण
91.	लालू/बदा भील	छालीबोकडा	0.32	-	अपूर्ण
92.	धनजी/काला भील	चोकडी	0.32	6400	अपूर्ण
93.	लिम्बा/कोला भील	नलाबड़ा	0.32	19200	अपूर्ण
94.	नाथू/भेरा भील	नला बडा	0.32	19200	अपूर्ण
95.	हकरा/नाना भील	ओडा	0.32	19200	अपूर्ण
96.	हीरा/हकरा भील	सेलाना	0.32	-	अपूर्ण
97.	वाला/काना मेघवाल	साहीवाडा	0.32	19200	अपूर्ण
98.	कला/हूका गरासिया	परमेर	0.32	-	अपूर्ण
99.	गोबरा/नाना मीणा	सरादीत	0.32	6400	अपूर्ण
100.	अम्बावा/धना भील	मो. फलासिया	0.32	6400	अपूर्ण
101.	सरदारमल/भीमा	आमडा	0.32	19200	अपूर्ण
102.	राममा/वरदा भील	तलाई	0.32	19200	अपूर्ण
103.	राजीया/वरदा भील	तलाई	0.32	19200	अपूर्ण
104.	नारिया, भेरा/खेमामीणा	गोराणा	0.32	19200	अपूर्ण
105.	वेसा, दीता/पूंजा भील	गोराणा	0.32	19200	अपूर्ण
106.	कालिया/कमिया	चांगला	0.32	6400	अपूर्ण
107.	कालू/मोता भील	आमडा	0.32	19200	अपूर्ण
108.	भीमराज/देवा गरासिया	आमडा	0.32	19200	अपूर्ण
109.	बदनसिंह/उंकारसिंह	गोरण	0.32	6400	अपूर्ण
110.	भीमसिंह/गुलाबसिंह	बांसीवाडा	0.32	-	अपूर्ण
111.	सवा/उदा डांगी	बिछीवाडा	0.32	6400	अपूर्ण

क्रमांक	नाम लाभार्थी मय जाति	ग्राम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	आवंटित राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
112.	तेजा/भीमा डांगी	बिछीवाडा	0.32	12800	अपूर्ण
113.	रतनसिंह/वजेसिंह	आमोड	0.32	19200	अपूर्ण
114.	प्रतापसिंह/दलेसिंह	कोचला	0.32	6400	अपूर्ण
115.	भीखा/धना लोहार	कंथारिया	0.32	-	अपूर्ण
116.	दीतेसिंह/भेरूसिंह हरिसिंह/भेरूसिंह	जेतावाडा	0.32	-	अपूर्ण
117.	बशीरमोहम्मद/लालमोहम्मद	डैया	0.32	6400	अपूर्ण
118.	भेरूसिंह/रामसिंह राजपूत	आमोड	0.32	-	अपूर्ण
119.	नीला/होमा डांगी	बिछीवाडा	0.32	6400	अपूर्ण
120.	मूलसिंह/लालसिंह राजपूत	बिराठी	0.32	19200	अपूर्ण
121.	रूपा, नाना, सरवीरा/नाथू	अदकालिया	0.32	-	अपूर्ण
122.	अंबावा/बेसात भील	नला छोटा	0.32	6400	अपूर्ण
123.	काना/हवजी	सड़ा	0.32	19200	अपूर्ण
124.	कालू/धूला भील	लू. का खेडा	0.32	6400	अपूर्ण
125.	अम्बावा/ढालिया भील	आमोड	0.32	19200	अपूर्ण
126.	वकता, देवीलाल पिता नवला	आमीवाडा	0.32	6400	अपूर्ण
127.	कालिया/हकरा भील	मगवास	0.32	-	अपूर्ण
128.	हीरा/देवा गरासिया	आ. धूलजी	0.32	-	अपूर्ण
129.	वीरा/थावरा भील	खाखड	0.32	6400	अपूर्ण
130.	नेमीचंद/जीवा भील	आमलिया	0.32	6400	अपूर्ण
131.	वाला/सरदारा भील	आमलिया	0.32	6400	अपूर्ण
132.	अम्बावा/बदा मीणा	अमालिया	0.32	6400	अपूर्ण
133.	कालू/अमरा भील	आमलिया	0.32	6400	अपूर्ण
134.	होजा/नाना भील	खेराड	0.32	-	अपूर्ण

क्रमांक	नाम लाभार्थी मय जाति	ग्राम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	आवंटित राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
135.	खीमराज/चीना गरासिया	आमडा	0.32	6400	अपूर्ण
136.	जाला/सिंगरा भील	तूरगढ़	0.32	6400	अपूर्ण
137.	फूला/काला भील	सोम	0.32	6400	अपूर्ण
138.	नानिया/सवजी मीणा	आमलिया	0.32	6400	अपूर्ण
139.	वेला/कीका भील	आमलिया	0.32	6400	अपूर्ण
140.	हूका/सवा	तूरगढ़	0.32	6400	अपूर्ण
141.	भीमा/धूला	तूरगढ़	0.32	6400	अपूर्ण
142.	नानिया/खातू गमार	आमलिया	0.32	-	अपूर्ण
143.	हकरा/नाना भील	टिण्डोरी	0.32	6400	अपूर्ण

लाभार्थियों को ब्लास्टिंग की सुविधा समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के प्रयास जारी हैं। ह.

विकास अधिकारी

पंचायत समिति झाडोल

"जीवनधारा" योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में स्वीकृत कूपों की सूची : –

क्र.सं.	नाम मय पिता	गांव	पंचायत	स्वी. राशि	आवंटित राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण रहने का कारण
1.	श्री पन्ना/भेरा	पावटीखुर्द	गोगरूद	32000/	6400/-	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर है।
2.	श्री हुरमा/राजा	घाटा	"	32000/	6400/-	"	"
3.	श्री होमा/वगता	गोगरूद	"	32000/	6400/	"	"
4.	श्री रूपा/रामा	छीपरमाल	"	32000/	6400/	"	"
5.	श्री उदा/धर्मा	राजपुर	गुरा	32000/	-	"	"

क्र.सं.	नाम मय पिता	गांव	पंचायत	स्वी. राशि	आवंटित राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण रहने का कारण
6.	श्री अरजना/वेला	राजपुर	गुरा	32000/	6400/	-	"
7.	श्री करणा/नोपा	झेर	महाद	32000/	6400/	-	"
8.	श्री मोती/राजा	आशावाड़ा	"	32000/	-	-	"
9.	श्री पदमा/साजा	मणासी	"	32000/	-	-	"
10.	श्री काला/भूरा	झेर	"	32000/	6400	-	"
11.	श्री दयाल/वालसिंह गोड		जोगीबड़	32000/	12800/	-	"
12.	श्री रामा/रोडा	मालदर	"	32000/	12800/	-	"
13.	श्री तारा/होती	मे. का मठ	मे. का मठ	32000/	6400/	-	"
14.	श्री नाथा/देवा	मोरझरा	"	32000/	6400/	-	"
15.	श्री हामीरा/भेरा	""	"	32000/	6400	-	"
16.	श्री काना/चीना	मे. का मठ	"	32000/	6400/	-	"
			योग	512000/	89600/		

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, कोटड़ा

जिला-उदयपुर

परिशिष्ट - 22

(अतारांकित स्थगित प्रश्न में 84 की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या की सूची

क्र.सं.	अतिक्रमी का नाम	ख.नं.	अतिक्रमित भूमि का रकबा	अतिक्रमी को बेदखल की तिथि	अतिक्रमण कब कब किया गया
1.	श्री सरमन पुत्र तेजा जाटव, किशनपुरा	1	0.50	25.1.96	2048, 2050 2051 2052
2.	श्री विजय सिंह पुत्र भुरजी ठा., किशनपुरा	1	0.60	25.1.96	"" ""

क्र.सं.	अतिक्रमी का नाम	ख.नं.	अतिक्रमित भूमि का रक़बा	अतिक्रमी को बेदखल की तिथि	अतिक्रमण कब कब किया गया	
3.	श्री रामरतन पुत्र भौजी जाटव, किशनपुरा	1	0.40	25.1-96	2048 2051	2050 2052
4.	श्री बत्तू, चेतुदास, पिसरान माती ठा. किशनपुरा	1	0.60	""	""	""
5.	श्री गनपत पुत्र नन्दराम ठा., किशनपुरा	1	0.60	""	""	""
6.	श्री गंगाराम पुत्र किशन ठाकुर, किशनपुरा	1	0.50	""	""	""
7.	श्री मानसिंह पुत्र नानगा ठा., किशनपुरा	1	0.50	""	""	""
8.	श्री शिवलाल पुत्र पल्टू, किशनपुरा	1	0.60	""	""	""
9.	श्री बोदन पुत्र पूरना कोली सा. कुम्हेर	133	1.00	""	""	""
10.	श्री आशा पुत्र टुण्डा जाटव सा. जरहरा	245	0.20	""	""	""
11.	श्री रामखिलाड़ी पुत्र छोटेलाल जाटव सा. जरहरा	245	0.10	""	""	""
12.	श्री झंसी पुत्र परभाती कोली सा. जरहरा	245	0.10	""	""	""
13.	श्री छीतरिया पुत्र रामहेत जाटव सा. विजयनगर	245	0.20	""	""	""
14.	श्री गिर्राज पुत्र मूली जाटव सा. विजयनगर	68	0.20	""	2052	
	योग		6.10 हैक्टर			

उपरोक्त सभी अतिक्रमियों को मौके से वास्तविक रूप से दिनांक 18.3.96 को बेदखल किया जा चुका है।

परिशिष्ट - 23

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की प्राप्त सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयी)

विषय : अकाल राहत में भेदभाव और श्रमिक कम करने से उत्पन्न स्थिति

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

महोदय, भीलवाड़ा जिले के अधिकांश हिस्सों में वर्षा नहीं होने से बुवाई के बिना ही राज्य सरकार ने कच्चे कार्य बंद कर श्रमिक संख्या जहां पहले ही दो लाख की आवश्यकता की जगह 50-60 हजार मात्र दी गई जिससे भेदभाव, पक्षपात पूर्ण ढंग से श्रमिक संख्या अलग-अलग क्षेत्रों में जिस ढंग से आबंटन किया गया वह अन्याय की पराकाष्ठा भी कही जा सकती है। और अब वर्षा का अभाव होने के बावजूद श्रमिक संख्या मात्र रखकर पीड़ित जनता को राहत से और भी वंचित कर दिया गया है।

जिले के सैकड़ों गांवों में अकाल राहत के कार्य गत 4-5 माह में भेदभाव और पक्षपात से स्वीकृत ही नहीं किये गये। क्योंकि अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों के बजाय पंचायत समितियों द्वारा प्रस्ताव देने की प्रक्रिया के नाम पर न तो पंचायत समिति की मीटिंग में और न अकाल राहत पर्यवेक्षण की समितियों की बैठक में नियमित रूप से आयोजित होकर प्रस्ताव देने के स्थान पर जिस प्रकार राजनैतिक आधार पर अकाल जैसे गंभीर मामले में भी एक गांव में जहां 5-7 कार्य स्वीकृत करने और उसी पंचायत के दूसरे गांव में और यहां तक कि जब -जब भी मांग की गई तब-तब श्रमिक संख्या स्वीकृत कम होने के नाम पर अनेक क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। और ज्यादा बार-बार मांग करने के बाद जून के आखिरी दिनों में जहां पर कार्य स्वीकृत किये गये और अन्य ग्रामों में कार्य स्वीकृत जून के दूसरे पखवाड़े में और कुछ जगह तो 21 जून को स्वीकृत किये और 24-25 जून को वापस बंद कर दिए। इस तरह अभागे अनेक ग्रामवासी 6 माह तक अकाल राहत से वंचित रखे गए। कई परिवार' रोटी रोजी के अभाव में पलायन कर गये। अकाल राहत विभाग को अव्यवस्था, पर्यवेक्षण और समीक्षा की बैठकें मात्र कभी-कभी औपचारिक होकर हजारों लोगों के लिए रोजी रोटी जैसी आवश्यकताओं से वंचित रखने में ही ज्यादा भूमिका निर्वाह करने वाली रही।

सरकार द्वारा पंचायत समितियों को अग्रिम राशि समय पर नहीं दी गई और पंचायत समितियों द्वारा देने में भेदभाव और अन्याय करने से अनेक कार्य गति न पकड़ पाए, यहां तक कि किसी पंचायत को एक , किसी को दो या तीन किश्तें बार-बार टालमटोल करने, भेदभाव व पक्षपात का शिकार बनाया गया, जिससे जिले में हजारों कार्य राहत विभाग की अदूरदर्शिता और प्रशासनिक अदूरदर्शिता से अधूरे रह जायेंगे। जिन्हें पता नहीं कब कहां, पूरा किया जावेगा।

और काफी सामग्री धन के अभाव में खराब होना संभावित है।

अब सरकार ने भीलवाड़ा जिले में मात्र 30,000 की श्रमिक सीमा रखकर वर्षा व बुवाई न होने पर भी कच्चे कार्य बंद कर जनता व अकाल पीड़ितों के साथ क्रूर मजाक की है जिससे जिले के अनेक क्षेत्रों की जनता में व्यापक असंतोष पैदा हो रहा है।

अतः राज्य सरकार भीलवाड़ा जिले में राहत कार्यों में श्रमिक कम न करे और जहां वर्षा और फसल की बुवाई नहीं हुई है वहां पर कच्चे कार्य भी बंद नहीं करें ताकि जिन क्षेत्रों के निवासी भेदभाव अन्याय के शिकार रहे हैं उन्हें राहत मिल सके। सधन्यवाद।

विषय : सांगानेर में बिजली की समस्या

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) :

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में बिजली की विकट समस्या है। ग्राम ऊंतीरामपुरा में जो बिजली की लाइन जा रही है वह बहुत ही लम्बी है जिसके कारण रास्ते में छीजत तो होती ही है किन्तु इसके साथ-साथ बिजली भी बहुत ही कम सप्लाई हो पाती है। अतः ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त स्थान पर 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना अतिशीघ्र किया जाना अत्यावश्यक है ताकि यहां के आसपास के गांवों में बिजली की सप्लाई नियमित रूप से की जाकर इस समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये कृपया माननीय विद्युत मंत्रीजी को एक बार पुनः निवेदन करती हूं कि इस विकट समस्या की ओर शीघ्र ध्यान दिया जावे। सधन्यवाद।

विषय : सुजानगढ़ के दुलियां में पम्प हाउस का निर्माण

श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) :

महोदय, दुलियां, सुजानगढ़ (चुरू) में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से बचाव हेतु दुलियां बास में समाज कल्याण भवन के पास 11 के.वी. विद्युत लाइन का पोल होने तथा पानी को भी इसी दिशा में फैंकने के कारण सरकारी भूमि पर पम्प हाऊस निर्माण करने की जिला प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वीकृति प्रदान की।

अब नगरपालिका सुजानगढ़ उक्त स्वीकृत स्थल पर पम्प हाऊस का निर्माण नहीं करवा रहा है बल्कि राजकीय प्राथमिक शाला, दुलियां सुजानगढ़ (चुरू) को खेल मैदान हेतु जिला कलक्टर, चुरू ने खसरा संख्या 165 में बीघा 3 भूमि दिनांक 23.3.79 को आबंटित भूमि पर नगरपालिका सुजानगढ़ भू-माफिया व गिरोह को राजनैतिक प्रश्रय देकर पम्प हाऊस निर्माण की ओट में अवैध निर्माण कार्य कराते हुए अतिक्रमित को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि उक्त शाला के खेल मैदान में अवैधानिक रूप से पम्प हाउस का निर्माण करवाया जाता है तो 11 के.वी. लाइन के लिए अतिरिक्त पोल लगवाना पड़ेगा तथा पाइप लाइन भी लम्बी डालनी होगी फलस्वरूप राजकीय कोष का अपव्यय होगा एवं शाला की भूमि का

दुरूपयोग भी होगा तथा जनआक्रोश भी उग्र रूप ले सकता है।

अतः मेरा राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि कृपया उक्त अवैध निर्माण को रुकवायें और स्वीकृत स्थान पर बनावे एंव इस क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा किये गये एवं किये जा रहे अतिक्रमणों से अविलम्ब जनहित में मुक्त करवायें।

विषय : राजस्थान शिक्षा विभाग 1989-90 की प्रधानाचार्य के पद भरने के लिये गंभीर अनियमित पदोन्नति।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) :

महोदय, शिक्षा विभाग में सत्र 1989-90 में प्रधानाचाय के 621 पदों के लिये की गयी डी.पी.सी. के सम्बन्ध में अनेक अनियमिततायें, नियम विरुद्ध पदोन्नति के सम्बन्ध मे निम्न निवेदन है :-

1. इस डी.पी.सी. को आयोजित करने की दिनांक के सम्बन्ध में विभाग ने उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. संख्या 693/93 में पृष्ठ संख्या 7 पर डी.पी.सी. की आयोजन दिनांक 15 व 18 जुलाई, 1988 बताई है व रिक्तियां 621 हैं जबकि विधान सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 57/शिक्षा मंत्री/शिविवि 22.9.94 क्रमांक एफ-17/108/प्र एवं सं/वि. सं/94-95 181431-52 के उत्तर में पदोन्नति समिति की बैठक 11.12/4/92 को होना बताया तथा रिक्तियां 612 बताई। इसी प्रकार शिक्षा ग्रुप-2 ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रश्न के उत्तर दिनांक 9.3.94 को शासन उप-सचिव ने डी.पी.सी. की दिनांक 24.2.90, 11.4.90, 12.4.90 बताई। ये गम्भीर अनियमिततायें हैं। आपका विभाग तो समस्त संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुका है। विभाग के अधिकारी उच्चतम न्यायालय विधान सभा मर्यादा नष्ट कर रहे हैं। संबंधित दोषी अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही प्रस्तावित है तथा सही एवं वास्तविक स्थिति क्या है ?

2. इन पदोन्नतियों के संबंध में शिक्षा ग्रुप-2 के शासन उप सचिव ने दिनांक 9.3.94 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में यह बताया है कि विभाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 2553/90 में प्रस्तुत शपथ पत्र के साथ जवाब दावे में योग्यता कोटे में चयन के लिए उस समय के नियमों की स्थिति प्रस्तुत की थी। विभाग ने उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे के बिन्दु संख्या 16 में निम्न तथ्य दिए : -

Acoording to the rules the service record of the officer/ annual work assessment report on being outstanding/very good consisfently for seven years without any linderence only then they are entitled for selection on the basis of merit.

जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि विभाग ने योग्यता कोटे में जानबूझ कर इस

नियम का उल्लंघन किया और अधिकांश ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों को योग्यता कोटे में चयन किया गया। जिसको सात वर्षों की सेवा रेकार्ड उत्कृष्ट/बहुत अच्छे नहीं थे या जिनकी सेवाएं ही सात वर्ष की नहीं थी। इस प्रकार न्यायालय में नियम तो बताया गया लेकिन स्पष्ट नियमों का उल्लंघन करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को चयन से वंचित किया गया। योग्यता कोटे में चयनित अधिकारी व तत्कालीन नियमों के अनुरूप योग्यता में चयन के योग्य नहीं थे तो उन्हें पदोन्नत क्यों किया गया। सेवा नियमों के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि योग्यता कोटे में नियमानुसार अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो वरिष्ठता से चयन किया जाए फिर वरिष्ठता से चयन किन कारणों से नहीं किया गया कारण स्पष्ट करें।

3. विभाग ने इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत एस.एल.पी. में अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र डी.पी.सी. में योग्यता कोटे में चयन संशोधित नियम 30.11.91 के अनुसार 7 वर्षों में से कोई 5 वर्षों का रिकार्ड उत्कृष्ट या बहुत अच्छे होने पर चयन करने के आधार पर दिए। सत्र 1989 में भी प्रधानाचार्य की डी.पी.सी. तत्कालीन नियमों के अनुसार होनी चाहिए। जो 7 वर्षों की उत्कृष्ट ए.सी. आर. को देखकर योग्यता में चयन का है। विभाग ने डी.पी.सी. 11 व 12 अप्रेल, 1990 को की थी। उस समय योग्यता कोटे में चयन करने हेतु राज्य सरकार ने कोई संशोधन का हवाला देकर उच्चतम न्यायालय ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। उच्च न्यायायल में बताया गया कि तत्कालीन नियमों के अनुसार चयन करने में क्या कठिनाई थी। स्पष्ट करें।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय ने शम्भूसिंह मीना व अन्य बनाम राज्य सरकार की एस.एल.पी. संख्या 10090-92/92 एस.एल.पी. नं. 10671, 10329, 12693-94, 17048–49, 1993 एवं 10316-21/1994 में दिनांक 19.4.95 को निर्णय देकर यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समस्त 56 राज्य सेवाओं में 30.11.91 का संशोधन लागू नहीं हो सकता। योग्यता से चयन के लिए 7 वर्षों का लगातार रिकार्ड बहुत अच्छा होना आवश्यक है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना के क्रम में राज्य प्रशासनिक सेवा राज्य सेवा सिंचाई विभाग आदि में डी.पी.सी. संशोधित कर दी गई लेकिन शिक्षा विभाग इस निर्णय की पालना अभी तक नहीं कर रहा है। जबकि पीड़ित अधिकारी अनेक बार मांग कर चुके हैं। कृपया स्पष्ट करें कि पालना नहीं करने वाले अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की गई, की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

5. सत्र 1989-90 को डी.पी.सी. के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 57/शिक्षा मंत्री/शिविवि 22.9.94 क्रमांक एफ-7/108 प्र. एवं संख्या /वि.स/94-95 81437-52 में प्रश्न सं. 4 में दिए गए उत्तर में बताया गया है

कि डी.पी.सी. में सत्र 1982-83 से 1980-89 तक का रिकार्ड देखकर पदोन्नति की गई।

राज्य सरकार शिक्षा ग्रुप-2 के सहायक शासन सचिव अपने क्रमांक प्र-3/15 शि-2/95 दिनांक 12.7.95 से निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर को लिखा है कि वर्ष 1988-89 को डी.पी.सी. के लिए वर्ष 1989-90 की एसी. आर. नहीं देखी जाती। इससे स्पष्ट है कि पदोन्नति की समिति के सम्मुख गलत वर्षों का रिकार्ड रखकर यह चयन कराये गये हैं। यही स्थिति यह है कि डी.पी.सी. में सत्र 1981-82 से 1987-88 तक का रिकार्ड देखकर चयन किये जाने चाहिये। जबकि रिकार्ड 1982-83 से 1988-89 तक रखा गया। यह गलत वर्षों का रिकार्ड कनिष्ठ अधिकारियों को जानबूझकर लाभ पहुंचाने के लिये रखा गया जिसके लिये सन् 1982 में लोक सेवा आयोग से चयनित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के 7 वर्ष पूर्ण कर उन्हें प्रधानाचार्य बनाया जा सके। ऐसे लगभग 161 व्यक्तियों को गलत चयन करके वरिष्ठतम अधिकारियों को वंचित किया गया यदि 1981-82 से 1987-88 तक का रिकार्ड देखा जाता तो यह वरिष्ठ अधिकारी चयनित होते। यह स्पष्ट है कि यह पदोन्नतियां नियम विरुद्ध विशेष कनिष्ठ अधिकारियों को लाभ पहुंचाने हेतु की गई। इससे कई संदेह उत्पन्न होते हैं। सही वर्षों का रिकार्ड देखकर उन्हें न्यायोचित पदोन्नतियां करने की कार्यवाही से सदन को अवगत करावें। तथा दोषी व्यक्तियों के प्रति की गई कार्यवाही बतावें।

माननीय मंत्री महोदय मुझे आपका तथा पूर्ण सदन को यह प्रतीत हो रहा है कि उक्त पदोन्नति प्रकरण में भारी अनियमितता भ्रष्टाचार हुए हैं। आप तत्काल न्यायपूर्ण कार्यवाही करायें दोषी को दण्ड देंवे तथा सही व न्यायोचित जिन वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति मिलनी चाहिये थी उन्हें नियमानुसार उचित वरिष्ठता देते हुए पदोन्नतियां संशोधन की जावें। जिन्हें गलत पदोन्नतियां दी गयी हैं अब उन्हें ही जिला शिक्षा अधिकारी बनाया जा रहा है इस पर रोक लगायी जाए। धन्यवाद।

विषय : राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को बंद करने के विषय पर सरकार द्वारा पुनर्विचार।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को, दिनांक 21.2.1995 को बंद करने का निर्णय लिया था। 169 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा 55 कर्मचारियों को अन्य निगमों और मण्डलों में समायोजित किया गया है।

निगम में 1994-95 में 31.42 लाख रुपये का लाभ हुआ है यदि इसमें राज्य सरकार को देय ब्याज नहीं करने पर निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये जिसके पेटे केन्द्र एवं राज्य सरकार ने निगम को 6 करोड़ रुपये की अंश पूंजी दे रखी है। निगम के पास 6 करोड़ रुपये की स्थाई सम्पत्तियां हैं और मशीनें हैं जिसका वर्तमान में मूल्य

50-60 करोड़ रुपया है यदि राज्य सरकार इन चल-अचल सम्पत्तियों को बेच देती हैं तो निगम हानि से बच सकता था। निगम ने अपने स्रोत से 6 करोड़ रुपये की राशि सेवा निवृत कर्मचारियों को दी है। तथा अब भी उसके पास 5 करोड़ रुपये नगद राशि बैंक बैलेंस में हैं। इसके अतिरिक्त 6 करोड़ रुपये का स्टॉक एवं 4 करोड़ के देनदार है निगम के ऊपर राज्य सरकार के अलावा किसी का भी ऋण बकाया नहीं है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अन्य राज्यों में यह निगम कार्यरत है जबकि राजस्थान सरकार ने इसको बंद करने का निर्णय ले लिया है उक्त निर्णय के फलस्वरूप कृषक वर्ग तथा समाज के अन्य वर्गों के हितों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। निगम के द्वारा हरित क्रान्ति के अन्तर्गत उन्नत किस्म के ट्रैक्टर एवं बैल चालित यंत्रों, जीवाणु खाद आदि का उत्पादन किया जाता रहा है।

राजस्थान नहर निर्माण के दुर्लभ कार्य को पूर्ण करने में भी निगम का योगदान रहा है राज्य के विभिन्न स्थानों पर पीने के लिये हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ये सब निगम द्वारा ही निर्मित है। इसके अतिरिक्त निगम कृषकों को विभिन्न प्रकार के पम्प सैट कीटनाशक दवाइयां रासायनिक खाद भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु जिप्सम, ट्रैक्टर्स, टूल, किट्स कीट नाशक यंत्र आदि उपलब्ध कराये में निगम द्वारा बिशल बुलडोजर से भूमि समतलीकरण का कार्य भी किया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा जो सेवायें कृषकों को प्रदान की जा रही है उनको पूर्ण रूप से वाणिज्यिक नहीं माना जाना चाहिये। निगम जो यंत्र और सेवायें प्रदान कर रहा है उसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं बल्कि कृषकों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र तथा अन्य सेवायें उपलब्ध करवाना है। मान्यवर में उक्त प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम को जो सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार कर कृषकों एवं जनता को राहत प्रदान करें।

विषय : श्रीकरणपुर में विद्युत समस्या

श्री जगतार सिंह कंग (श्रीकरणपुर) :

महोदय, श्रीकरणपुर निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई की समस्या बहुत ही गम्भीर है। इस क्षेत्र का करीब 80-90 किलोमीटर एरिया पाकिस्तान बार्डर के साथ लगता है वहां तार बन्दी के साथ-साथ लाइट्स भी लगी है।

वोल्टेज डाउन रहने के कारण बार्डर पर सही रखवाली करने में दिक्कत आती है व उमस भरे दिनों व भयंकर गर्मी के दिन के समय 2 से 4 घंटे बिजली गुल रहती है। रात के समय में भी नागरिकों की बिजली 2 से 3 घंटे कट लगाकर बंद कर दी जाती है जिससे बड़ी असुविधा होती है।

विद्युत सप्लाई कमजोर होने के कारण वोल्टेज कम रहने तथा बार्डर एरिया की वजह

से सरकार व विभाग द्वारा टेक्नीकल रिपोर्ट के आधार पर पदमपुर से श्रीकरणपुर तक 132 के.वी. की लाइन खींचने को सही पाया गया। मगर अभी तक इस लाइन को प्रोग्राम में लेने के लिए किसी प्रकार प्रयत्न नहीं किया गया। इससे लोगों में बड़ा आक्रोश है तथा जनता आन्दोलनरत है। इस पर विचार कर समस्या का समाधान किया जाके निर्देश सरकार को देवें। धन्यवाद।

विषय : चाकसू तहसील, बस्सी में 12 ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

महोदय, आपके माध्यम से मैं श्रीमान् सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के तहत तहसील चाकसू जिला जयपुर की 12 ग्राम पंचायतें जिनके कुल 77 गांव है यह एरिया 55 किलोमीटर लम्बाई से लेकर 42 किलोमीटर की चौड़ाई में बसा हुआ है यह क्षेत्र पथरीली भूमि के अलावा उबड़ खाबड़ नालों के एरिये में बसा हुआ है। इतने बड़े भू-भाग को देश की आजादी से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है। चाकसू की 12 पंचायतों की ही नहीं वैसे तो पूरा चाकसू तहसील का यदि सर्वे करवाया जावे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पिछड़े अनुसूचित जाति व जनजाति के बाहुल्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा मात्र कोट खावदा व चाकसू के अलावा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्षा के सीजन में तो यहां वाहन जैसे जीप, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी ट्रैक्टर भी इस चिकनी मिट्टी में चलने में असमर्थ होने के कारण अनेक बार डिलीवरी के वक्त अनेक महिलाओं को मृत्यु तक हो गयी है। इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय भी आज तक नहीं जोड़े गये हैं 77 गांवों में कोई भी गांव सड़क नीति में नहीं आने के कारण यहां अकाल के तहत एक एक सड़क पर अनेक बार कार्य होने के उपरान्त कुछ नही हुआ जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एग्रीमेन्ट भी किया था कि अकाल के तहत जिन सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा उन्हें पूर्ण करवायी जायेगी लेकिन मिट्टी के कार्य के अलावा कुछ भी कार्य नहीं हुआ, इस क्षेत्र में निम्न पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की आज तक कार्यवाही नहीं की जो इस प्रकार है :-

1. गरूड़वासी 2. ठीकरिया मीणान 3. ढीकरिया गूजराम 4. देहलाला 5. झांपदा कला 6. रामनगर 7. खेडा रानिवास 8. हरिनारायणपुरा 9. राडौली

जिन सड़कों पर मिट्टी का कार्य हुआ है वे भी अनेक जगहों से टूट गयी है। ऐसी हालत में मैं आपके माध्यम से श्रीमान् सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि निम्न सड़कों को प्राथमिकता देकर स्वीकृत कराने की कृपा करें।

1. सामरिया से झांपदा कला वाया रामनगर कोटखावदा।

2. चाकसू से दौलतपुरा वाया गरुड़वासी ढीकरिया मीणान।

3. गरूड़वासी से दौलतपुरा वाया ढीकरिया गूजरान।

4. काशीपुरा से महेशपुरा वाया राडोली, कोहल्या।

5. कोट खावदा से गोड का वास वाया रामनगर।

6. कोट खावदा से खेडा रानिवास।

7. मूण्डली से मापा हेडी वाया काशीपुरा।

यदि इन सात सड़कों का निर्माण भी करा दिया जावे तो इस क्षेत्र का काफी विकास हो सकता है यहां एक कृषि उपजमण्डी है वह भी नाम मात्र सरकार का खर्चा करने के अलावा कोई कार्य नहीं करती है। जब से यह मंडी बनी है तब से आज तक एक भी सड़क नहीं बनाई है। साथ ही माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पंचायतों व पंचायत समितियों या अन्य किसी भी स्कीम में डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें बना दी है तो उनका डामरीकरण कर विभाग अपने पास ले ले तो जो लाखों रुपया सरकार का खर्च हो चुका है उसका सदउपयोग हो सकता है अन्यथा वह वर्षा के अन्दर व आवागमन के कारण खुदबुर्द हो जायेगी।

विषय : सोमकागदर बांध की उंचाई में 5 मीटर की वृद्धि

श्री नाथूलाल अहारी (डूंगरपुर) :

महोदय, डूंगरपुर में पंचायत समिति डूंगरपुर सिंचाई की दृष्टि से बिल्कुल ही नगण्य है इस पंचायत समिति में कोई भी बड़ा बांध नहीं है। फलस्वरूप क्षेत्र सूखा ही सूखा है इस पंचायत समिति में सिंचाई विभाग के जो तालाब हैं उनकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 260 से 230 मीटर है इन तालाबों को भरने के लिए उदयपुर की खैरवाड पंचायत समिति में सोम कागदर बांध है जिसकी ऊंचाई करीब 320 मीटर समुद्र तल है। इस बांध का पानी डूंगरपुर पंचायत समिति को दिया जावे।

मेरा आपके माध्यम से सरकार और सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि सोमकागदर बांध 5 मीटर ऊंचा उठाकर डूंगरपुर पंचायत समिति को पानी दिलाने की कृपा करायें । सधन्यवाद ।

विषय : कृषि विभाग के निदेशक पद पर तकनीकी वर्ग के अधिकारी का पदस्थापन।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

मान्यवर, कृषि वर्तमान परिपेक्ष में तकनीकी रूप से बहुत तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रही है जिसमें विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत काफी कुछ तकनीकी पहलू हैं जिन्हें किसानों तक पहुंचाने में एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने में विभाग के तकनीकी वर्ग के अधिकारी को निदेशक बनाया जाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि कृषि विकास न केवल राजस्थान प्रान्त बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिये सबसे प्राथमिकता का विषय है।

राजस्थान में गत 14-15 वर्षों से कृषि विभाग के पद पर जुलाई 1995 से जून

1996 एवं इससे पूर्व कुछ चंद दिनों के लिये विभाग के तकनीकी अधिकारियों को निदेशक के पद पर स्थापित किया गया और इस अवधि में विशेष रूप से वर्ष 1995-96 में तकनीकी वर्ग के निदेशक के नेतृत्व में राज्य योजना के तहत विभाग ने करीब 117 प्रतिशत वित्तीय उपलब्धियां अर्जित की इसी सन्दर्भ में अगर तुलनात्मक अध्ययन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के निदेशक पद पर कार्यरत अवधि की समीक्षा की जाये तो इनकी उपलब्धियां तकनीकी वर्ग के निदेशक की तुलना में राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में उपलब्धियों का प्रतिशत कम है।

राजस्थान कृषि सेवा नियम 1960 एवं संशोधित सेवा नियम 1991 के अन्तर्गत निदेशक के पद पर वांछित योग्यता रखने वाले तकनीकी अधिकारियों को लगाने का प्रावधान है किन्तु इस पद के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारियों के सदस्य होने से वित्तीय वर्ष 1996-97 की विभागीय पदोन्नति समिति में तकनीकी वर्ग के अधिकारियों को योग्य नहीं मानते हुये पुनः भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है जबकि कृषि के तकनीकी पहलुओं को मध्येनजर रखते हुए इस विभाग के तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति किया जाना नितान्त आवश्यक है।

यह अत्यन्त ही लोक महत्व का गम्भीर मामला है क्योंकि इससे राजस्थान प्रान्त के कृषकों का हित व भविष्य जुड़ा हुआ है इस बारे में माननीय कृषि राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

विषय : राजस्थान के कृषकों के उत्पादन घटाने से राष्ट्रीय हितों में व्यवधान।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण):

कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षकों व सहायक कृषि अधिकारियों के पदों के निजी संस्थाओं को दिया जा रहा है जिन्होंने कृषि विभाग मे रहकर वर्षों से सेवा कर अपने अनुभव तथा सेवा केन्द्रों के माध्यम से कृषि तकनीकी ज्ञान शुद्ध उन्नत बीज, प्रचार, भूमि, सुधार, जल बजट उपयोग द्वारा अधिक सिंचाई कर व अन्य कृषक हितार्थ योजनाओं द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाकर व किसानों के माली हालत सुधार कर भारत में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। जैसे सरसों, जीरा, धनिया, ज्वार, मोठ आदि फसलों का उत्पादन बढ़ाकर कीर्तिमान स्थापित कर पहला स्थान प्राप्त किया है। व बाजरा, मक्का, जौ, चना, सोयाबीन, तिल, मिर्च, गेंहू, कपास, लहसुन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तथा इसके अलावा निम्न नये कार्यक्रम जैसे कृषि प्रसार प्रशिक्षण प्रबन्ध किसान सेवा केन्द्र चलाकर कृषकों को तकनीकी जानकारी देना कृषक महिला प्रशिक्षण को प्रोत्साहन, फव्वारा सिंचाई व पक्की नाली निर्माण कुआं सुधार जिप्सम द्वारा

क्षारीय भूमि सुधार, तिलहन फसलों में अधिक उत्पादन नवाचार योजना में बढ़ोतरी की है तथा उक्तानुसार कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक व सहायक अधिकारी अपने वर्षों से निरन्तर कृषक हितार्थ कार्यों द्वारा प्रदेश के अशिक्षित कृषकों के बीच समन्वय व विश्वास कायम कर उत्पादन बढ़ाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। आज उक्त विकास के अनदेखी करते हुए सरकार ऐसी निजी संस्थाओं को जिनकी पूर्व में कृषक हितार्थ कोई पहचान नहीं होने व अनुभव अभाव वाली संस्थाओं से विश्व बैंक द्वारा संचालित कार्यक्रम को छिन्न-भिन्न कर कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र को हर पंचायत समिति एक-एक को हटाकर व्यक्तिगत लाभ देने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। जिसमें से 17 सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र गत एक साल से दिये जा चुके हैं। शेष का देना जारी है विडम्बना इस बात की है कि एक सहायक कृषि अधिकारी व छः कृषि पर्यवेक्षक का एक साल का कुल खर्चा वेतन व्यय भत्ता चिकित्सा बिल जोड़कर चार लाख रुपया खर्च होता है जबकि वही कार्य निजी संस्थओं के द्वारा करवाने का खर्चा दस लाख रुपये है जो भी 80 % अग्रिम दिया जाता है। जो सोचनीय बिन्दु है राजस्थान प्रदेश के धन राशि का खुला दुरूपयोग है।

इसी प्रकार बीज प्रमाणीकरण भी निजी संस्थाओं को दिया जा रहा है जिनकी इस विषय में अनुभवहीनता से बीज की शुद्धता संदिग्ध है। जिसके परिणाम घातक होंगे क्योंकि यह भी विभागीय कर्मचारियों द्वारा वितरण किया जाता है परिणाम खराब होने पर कृषकों का रोष व समाचार पत्रों की मार विभागीय कर्मचारियों को ही सहनी पड़ेगी व विभाग की बदनामी होगी।

विषय : जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जिला वृत जोधपुर में अनियमितता

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

मान्यवर, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जिला वृत, जोधपुर में पेयजल व्यवस्था के लिए सब-मर्सिबल पम्प सेट की मरम्मत के सम्बन्ध में भारी अनियमिताएं होने के साथ लेबर रेट बी.एस. आर. भी जारी कर दी गई जिसकी तकनीकी एवं प्रशासनिक जांच अत्यावश्यक है।

1. मैं इस सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहूंगी कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला वृत जोधपुर ने अपने आदेश क्रमांक 4890-4926 दिनांक- 18.06.96 के द्वारा लेबर रेट बी.एस. आर. जारी कर दी गई जो बाजार दर से बहुत अधिक है और यह भी अपूर्ण जारी कर दी गई। प्रसंगवश निवेदन यह है कि पम्प मशीनरी ठीक करने का कार्य विभाग का नियमित कार्य है और बी.एस. आर. आपात स्थिति में ही जारी की जा सकती है। इसमें भी जगदम्बा इलेक्ट्रिक एण्ड मोटर रिवाइन्डिग वर्क्स, जोधपुर की फर्म ने अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर को 6.07.96 को एक पत्र

लिखकर सब-मर्सिबल पम्प सेट्स की मरम्मत 20% की कम दर पर करने की सहमति दी। इसके बावजूद भी लेबर रेट बी.एस. आर. के हिसाब से जारी है जिससे राज्य हानि हो रही है इसके साथ ही सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प सेट ठीक करने की निविदाएं भी आमंत्रित नहीं की गई और जैसलमेर एवं जोधपुर जिले के वास्ते एक ही लेबर रेट जारी की गई जो तथ्यहीन है।

2. मैं यह भी अवगत करवाना चाहूंगी पेयजल परिवहन के निमित भी ऊंची दरों पर आदेश देकर बीस लाख रुपये व्यय किये गये। इसमें भी अनियमितताएं हुई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल राहत के टेंकरों के अलावा जलदाय विभाग के टेंकर या तो चले ही नहीं और यदि उनके पेयजल परिवहन हुआ है तो वास्तविक भुगतान कम हुआ है और गलत प्रमाण पत्र से ऊंची दरों पर बिल बनवाये गये हैं। इसकी भी जांच करवायी जानी चाहिए।

3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सरकारी नियमों की अवहेलना करके सब-मर्सिबल पम्प के लिए निविदाओं सम्बन्धी मामले में भी जांच होना आवश्यक है। वर्ष 1996-97 के लिए सब-मर्सिबल पम्पिग सेट्स की मरम्मत के लिए वार्षिक संविदा प्राप्त की निविदाएं नवम्बर 1995 में प्रकाशित करवा कर इस सम्बन्ध में अनियमितताएं हुई। इस निविदा को बार-बार आगे खिसकाया गया। इसी तरह मई 1996 में जब इन निविदाओं को प्राप्त किया गया तब पिछली तिथि (बैक डेट) में अनुबंधकों ने उसका बहिष्कार किया अधीक्षण अभियन्ता जिला वृत जोधपुर से बाहर की फर्में श्री विश्वकर्मा, बाड़मेर एवं हरि उद्योग, जैसलमेर से सीधी बात करके गुप-चुप निविदाएं मंगवा ली गई और उनको उंची दरों पर पुल करके अनुमोदित किया जा रहा है। यह सर्वथा अनियमित है और पेयजल की मूलभूतल जरूरत के दृष्टिगत सब-मर्सिबल पम्पिंग सेट में इतना विलम्ब करना और अनियमितता बरतना सम्बन्धित सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता की कार्य उदासीनता और भ्रष्ट आचरण में आता है। इस सम्बन्ध में तकनीकी एवं प्रशासनिक जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। अधीक्षण अभियन्ता ने चीफ इंजिनीयर के आदेश 3132-3223 दिनांक 15.6.90 के आदेश के विपरीत डी.जी.एस. एण्ड डी. की दर संविदा के विरुद्ध भी सुपर एनामल कॉपर वायर खरीदने की निविदाएं करना भी अनियमितता है। इसकी जांच होनी चाहिए।

5. मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगी की जोधपुर जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जल शुद्धिकरण पानी स्वच्छता के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से लाखों रुपये की फिटकरी एवं ब्लिचिंग पाउडर का वितरण किया गया। सरकारी राशि से

वितरित की गई फिटकरी एवं ब्लिचिंग पाउडर के वितरण के रिकार्ड की जांच की जानी चाहिए कि इनके वितरण की क्या पद्धति रही है और राशि का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है ?

6. आपसे अनुरोध है कि पेयजल जैसी मूलभूत जरूरत को त्वरित गति से पूरा करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं में अनावश्यक विलम्ब करने तथा सरकारी नियमों की अवहेलना कर अनियमितताएं किये जाने पर सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जानी चाहिए और उनमें दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

विषय : नगर (भरतपुर) में पेयजल योजना की स्वीकृति

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) :

कस्बा नगर (भरतपुर) में पेयजल आपूर्ति की कमी को ध्यान में रखते हुये करीब तीन वर्ष पूर्व एक पेयजल योजना तैयार की गई। कस्बा नगर में मीठे पानी का अभाव है भट्टपुरा पेयजल योजना जो कि अनुमानित तीन करोड़ रुपये की है। विभाग के पास विचाराधीन है लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो सका। कस्बा नगर के लिए यह महत्वपूर्ण योजना एवं अतिआवश्यक योजना है सरकार स्पष्ट करें कि यह योजना कब तक स्वीकृत की जाकर इस पर कार्यवाही करेगी। इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये में माननीय जनस्वास्थ्यं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।